(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] षष्टम् विधान सभा के तृतीय सत्र का 17वां दिवस [संख्या 15

बृहस्पतिवार:

दिनांक 16 मार्च, 1978

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मण सिंह, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्रीमती मदन कौर।

काश्तकारों को पास बुकों का वितरण

276. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के समस्त काश्तकारों को उनके भूमि संबंधी विवरण के लिये पास बुकें देने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो उस निर्णय की पालना के अनुसार अब तक कितने काश्तकारों को पास बुकें दे दी गई हैं और कितनों को अभी देना शेष है?

(2) क्या हाल ही में चलाये गये राजस्व अभियान में पास बुकों में अंकित विवरण की जांच की गई? यदि हां, तो क्या वे सही और पुरे पाये गये?

राजस्व मन्त्री (श्री पुरूषोतम मन्त्री): (1) जी हां। राजस्थान में कुल 46,50,282 खातेदार एवं गैर खातेदार हैं जिन्हें पास बुकें देनी हैं। इनमें से अब तक 32,10,156 काश्तकारों को पास बुकें वितरित की जा चुकी हैं। अब 14,40,126 काश्तकारों को पास बुकें वितरण करना शेष है।]

(2) जी नहीं।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से यह जानकारी करना चाहती हूं कि अब कितनी पास बुकें देना बाकी है? यह पास बुकों के वितरण का कार्य कितने वर्षों में पूरा हो जायगा? इन पास बुकों को अब तक नहीं देने का क्या कारण है? क्या इसके लिये करेन्सी की तरह कोई विशेष प्रकार के कागज की आवश्यकता पड़ती है? क्या राज्य सरकार अब इन पास बुकों को बदलना चाहती है?

प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर मन्त्री महोदय ने दिया है, 'जी नहीं'। तो क्या राज्य सरकार ने अभी जो राजस्व अभियान चलाया था उसमें पास बुकों में अंकित विवरण की जांच नहीं की? यदि हां, तो उसका क्या कारण था? क्या सरकार यह मानती है कि पास बुकों का काश्तकारों के लिये कोई महत्व नहीं है?

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रश्न के साथ में मेरा भी एक प्रश्न है। मैं माननीय राजस्व मन्त्री-जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या कारण है अभी तक दूसरे काश्तकारों के पास यह पास बुकें नहीं पहुंचीं ? अब राज्य सरकार इन पास बुकों का कब तक वितरण करने की आशा करती है ?

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा राजस्व मन्त्रीजी से यह निवेदन है कि आपने जो पास बुकें काश्तकारों को वितरित की हैं आखिर इसका तात्पर्य क्या है ? इसके पीछे कोई लीगल वेल्यू तो है नहीं। इससे कोई लाभ नहीं है काश्तकार को। काश्तकार को कोई लोन मिलता नहीं है, तो क्या सरकार इसमें अब ऐसा कोई प्रावधान करने जा रही है जिससे काश्तकारों को लाभ हो सके ?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व की डिमान्ड्स पर उत्तर दे रहा था तब मैंने यह निवेदन किया था कि इतनी पास बुकें तो वितरित कर दी गयीं। उसके बाद में हमने सोचा कि इन पास बुकों की कोई लीगल वेल्यू तो है नहीं, इससे आप कोई टाइटल के बारे में कार्यवाही कर नहीं सकते। इससे जमीन पर कोई टाइटल माना नहीं जाता है। इसके अलावा इन पास बुकों के आधार पर काश्तकारों को बैंक से लोन मिलता नहीं है। इसके अलावा भी काफी कठिनाइयां काश्तकारों को होती हैं। इसलिये राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस कानून में समुचित संशोधन करके ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे कि पास बुक के आधार पर टाइटल माना जाये। यह संशोधन जल्दी ही किया जायेगा। इसलिये हमने पास बुकों को बांटना बन्द कर दिया। यहां पर यह कहा गया कि पास बुकों का कागज कोई अलग तरह का है। कागज अलग तरह का नहीं है और न ही कागज की वजह से पास बुकों का वितरण बन्द किया है। चूंकि कानून का स्वरूप ही दूसरा है इन पास बुकों के लिये, इसलिये इन्हें वितरण करना बन्द किया गया।

श्रीमती मदन कौर : तो क्या राज्य सरकार ने जिन लोगों को पास बुकें दे दी हैं उनसे वापस लेकर कानून में आवश्यक संशोधन करके दूसरी पास बुकें देगी या जो पहले पास बुकें दी हैं उसी में कुछ एड कर दिया जायेगा ?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, जो फार्म दिया गया है उसके अनुसार ही अगर हो सका तो पास बुकों के लिये कानून में संशोधन किया जायेगा जिससे कि मौजूदा जो पास बुकें हैं वही काम आ जावें। अगर पास बुकों के स्वरूप में कोई चेंज की कानून में संशोधन करने के बाद आवश्यकता हुई तो दूसरा फार्म इसमें बढ़ाया जा सकता है। हम कोशिश करेंगे कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी ही कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट प्रश्न। श्री सुरेश कुमार।

भरतपुर जिले में बाढ़ की रोक-थाम के लिये दी गई राशि का व्यय

277. श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) : क्या बाढ़ एवं अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भारत सरकार द्वारा भरतपुर जिले में बाढ़ की रोक-थाम के निमित्त 5 करोड़

(श्री सुरेश कुमार)

20 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की जाने की सूचना राज्य सरकार को किस माह और किस तिथि को प्राप्त हुई ?

(2) राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त योजना की क्रियान्विति किये जाने की स्वीकृति और आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति के आदेश किस माह और किस तिथि को संबंधित विभाग को भेजे गये ?

(3) क्या पूरे स्टाफ ने भरतपुर पहुंच कर अपना कार्यभार सम्भाल लिया है ?

(4) जिन निश्चित कार्यों के लिये भारत सरकार ने धनराशि निर्धारित की है उनमें से कौन-कौन से कार्य चालू हो गये हैं और अब तक उनमें कितनी राशि व्यय हो चुकी है ?

(5) उपरोक्त धनराशि को काम में लाये जाने की अन्तिम तिथि क्या है ? क्या समस्त स्वीकृत धनराशि का निश्चित अवधि में उपयोग हो जायेगा ?

बाढ़ एवं अकाल राहत मन्त्री (श्री जयनारायण पूनिया) : (1) भरतपुर जिले में बाढ़ की रोक-थाम तथा बाढ़ व अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत के लिये भारत सरकार से दिनांक 15-11-77 को स्वीकृति हुई थी जो 5 करोड़ 20 लाख न होकर 373.15 लाख रुपये की थी। इस धन राशि में से 103.15 लाख रुपये मेजर रिपेयर्स तथा री-कन्सट्रेक्शन पर व्यय हेतु थे। यह स्वीकृति सहायता विभाग को दिनांक 2-12-77 को प्राप्त हुई। उसी दिन सहायता विभाग ने सिंचाई विभाग को इसकी प्रति भेज कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिख दिया था।

(2) सिंचाई विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवश्यक स्टाफ की स्वीकृति दिनांक 20-1-78 को दी गई थी। स्वीकृत स्टाफ की नियुक्ति के आदेश दिनांक 23-1-78 से 6-3-78 के बीच में जारी किये गये हैं।

(3) भरतपुर जिले हेतु नियुक्त 74 अधिकारियों एवं कर्मचारियों में से अभी तक 40 ने कार्यभार सम्भाल लिया है।

(4) बाढ़ सुरक्षा उपाय के एक कार्य सहित कुल 55 कार्यों पर काम चालू है तथा अनुमानतः 101.45 लाख रुपयों के व्यय में से मार्च के अन्त तक 76.25 लाख रुपये व्यय होने की आशा है।

(5) उपरोक्त धनराशि का उपयोग वर्तमान स्वीकृति के अनुसार 31-3-78 तक किया जाना है। किन्तु इस तिथि तक यह राशि खर्च करना संभव नहीं होगा। अतएव भरतपुर क्षेत्र के क्षतिग्रस्त बान्धों की मरम्मत के लिये आवंटित धनराशि का उपयोग दिनांक 30-6-78 तक करना व बाढ़ से बचाव कार्यों के लिये आवंटित धनराशि का उपयोग दिनांक 31-3-79 तक करने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु भारत सरकार से निवेदन किया जा रहा है।

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं बाढ़ एवं अकाल राहत मन्त्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या मन्त्री महोदय भरतपुर में जो बाढ़ के कार्य चल रहे हैं, उनके नियंत्रण कार्य के लिये कोई समिति एम. एल. एज. को बनाने का विचार रखते हैं ?

श्री जयनारायण पूनिया : ऐसा जरूरी हुआ तो करेंगे।

श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, अभी थोड़े दिनों पहले वित्त

Page No 4

(५)

(श्री काशीनाथ गुप्त)
मन्त्रीजी की अध्यक्षता में भरतपुर में एक मीटिंग हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया था कि भरतपुर में चल रहे बाढ़ कार्यों के लिये सरकार की ओर से एक कमेटी बनायी जायेगी । उसके लिये मेरे ख्याल से जिलाधीश, भरतपुर ने भी राज्य सरकार को लिखा है । उस पर राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर में जो हर साल बाणगंगा नदी की वजह से बाढ़ आती है उसके लिये कोई स्थानीय उपाय नहीं किये जा सकते ताकि बाढ़ से भरतपुर को बचाया जा सके ?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर में जो बाढ़ आती है वह ऐसे तो आती नहीं है कि इसी रास्ते से आयेगी । जो नदी आती है वह पता नहीं कब अपना रास्ता बदल लेती है यह तो भगवान ही जाने, उसका नतीजा यह होता है कि रास्ता बदलने से एक बान्ध टूट जाता है । एक बान्ध के टूटने से फिर दूसरे बान्ध, एक के बाद एक, टूटते ही रहते हैं । इस तरह बाढ़ आती है। फिर भी राज्य सरकार ने इसके लिये जो कुछ भी थोड़ी बहुत हो सकती है जांच करायी है । यह सारा खर्चा योजना बना कर किया जा रहा है ।

श्री सुरेश कुमार : क्या यह सही है, अध्यक्ष महोदय, अलवर वाले पानी ज्यादा छोड़ देते हैं जिससे सारा पानी बहकर भरतपुर में आता है । उससे बान्ध टूट जाते हैं और बाढ़ आती है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और भरतपुर वालों के लिये अलवर वाले यह कहते हैं कि जब पानी की कमी होती है तब वह हमें पानी नहीं देते हैं ।

श्री बन्शीलाल सारस्वत (नागौर) : जो राज्य सरकार काम कर रही है क्या उससे बाढ़ का स्थायी निराकरण होगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह तो नहीं कह सकता हूं कि यह एक स्थायी निराकरण होगा । पर इतना जरूर कह सकता हूं कि इसके करने से कुछ इस समस्या का निराकरण जरूर होगा ।

श्री काशीनाथ गुप्त : भरतपुर में जो पिछले साल बाढ़ आयी है उससे नुकसान होने के कारणों की क्या राज्य सरकार जांच करायेगी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को उसकी जांच कराने की आवश्यकता नहीं है कि बाढ़ आने के क्या कारण थे । पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि भरतपुर में बाढ़ आने का कारण राज्य सरकार नहीं थी····

(व्यवधान)

इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा । भरतपुर के आसपास जो नदियां हैं वह अपना रास्ता जब चाहे तब बदल लेती हैं । उन नदियों के पानी के डाइवर्शन के लिये राज्य सरकार अब कुछ हल निकाल रही है । आर. ए. सी. को भी लगा रखा है नदी के पानी को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिये, पर गांव वाले इसका विरोध करते हैं । मैं यहां माननीय सदस्य, जो कि उस क्षेत्र से आते हैं से निवेदन करूंगा कि वह जाकर व

(श्री भैरोंसिह शेखावत)
के लोगों को समझायें कि आर. ए. सी. को काम करने से नहीं रोकें ताकि इस समस्या का पर्मानेन्ट हल निकाला जा सके।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली): जहां खेती नहीं है और पानी भरा हुआ है, उसके लिये भी विचार करेंगे ?

श्री भैरोंसिह शेखावत: जो विचार किया है वह आपको मालूम है।

श्री रामकरण सिंह: अफसोस की बात है कि आपके अधिकारी ने वहां पर केवल चार-पांच गांव ही बताये, जब कि आज भी 34 गांव गिरफ्त में हैं। आपके मंत्रीजी बहुत ही सीधे सादे हैं उन्हें मालूम नहीं।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट। श्री मनोहर सिंह मेहता।

बिजोलिया को तहसील बनाने की मांग

278. श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बिजोलिया का पठार, जिस पर लगभग 100 गांव बसे हुए हैं; अन्न का भण्डार है और राजस्व को खूब आय देता है ?

(2) ऊपरमाल बिजोलिया क्षेत्र सोलह के उमराव का ठिकाना था जिसे जिले का दर्जा प्राप्त था, ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र को क्या तहसील का दर्जा भी नहीं दिया जा सकता ?

(3) क्या यह सही है कि बिजोलिया क्षेत्र के लोग उसे तहसील का दर्जा दिये जाने के लिए राज्य सरकार से बार-बार अनुरोध कर चुके हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री पुरुषोत्तम मंत्री):
(1) यह सही है कि बिजोलिया के पठार पर कुल 119 गांव बसे हुए हैं। वहां पर काफी अन्न की पैदावार होती है एवं राजस्व की आय भी करीब दो लाख रुपया है।

(2) जी हां। ऊपरमाल बिजोलिया क्षेत्र 16 उमराव का ठिकाना मेवाड़ रियासत के समय था, जिसको फौजदारी एवं दीवानी न्यायालय के अधिकार प्राप्त थे। वित्तीय स्थिति को देखते हुए उस क्षेत्र को तहसील स्तर का दर्जा दिया जाना सम्भव नहीं है।

(3) ऐसे प्रस्ताव पर फिलहाल विचार करना संभव नहीं है।

श्री मनोहर सिंह मेहता: जब एक व्यक्ति भी स्वतन्त्रता आन्दोलन में जूझ गया तो उसको सरकार जन्म भर पेन्शन देती है। यहां तो 119 गांव पूरे के पूरे स्वतन्त्रता आन्दोलन में जूझ गये थे। सैकड़ों आदमी जेलों में गये थे। नायब-तहसील को तहसील में बदलने का आपका विचार है ?

मेजर श्री फतहसिंह (भीम): अध्यक्ष महोदय, जब भी राजस्थान में क्रांति का प्रश्न आता है तो विजयसिंह पथिक का नाम याद आये बिना नहीं रहता। इसलिये माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, जो समस्या उठाई है, विजय सिंह पथिक की स्मृति में, यहां पर नायब-तहसील बनाई जाये।

एक माननीय सदस्य: नायब-तहसील तो पहले ही है।

Page No 6

(6)

मेजर श्री फतहसिंह : नायब-तहसील से तहसील करने का सरकार विचार रखती है? क्या सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करेगी ?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : गम्भीरता से विचार करने की आज ही घोषणा करते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल) : राजस्थान में इस प्रकार तहसील और नायब-तहसील कायम करने की कार्यवाही चल रही है। इस सम्बन्ध में एक समिति भी बनाई जायेगी व उसकी रिपोर्ट आयेगी। इस पर कब तक कार्यवाही समाप्त हो जायेगी? यह बात तो है पर राजाजी का करेग पंचायत समिति, मांडल की सारी कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, उसके लिए क्या विचार है ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया, 6 आदमियों की एक कमेटी बनाई जा रही है, वह राजस्थान में कहां-कहां तहसील और नायब-तहसील बनानी चाहिये, कौन कौनसी तहसीलों को उप-खण्डों में परिवर्तित करना चाहिये, इन सब बातों पर विचार करेगी।

श्री ओंकार लाल चोहान (अटरू) : वह कमेटी अपनी रिपोर्ट कब तक दे देगी ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : यह भी मैंने निवेदन कर दिया है, छः माह में।

प्रश्न संख्या 279

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री कमलेंद्र सिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

जालौर जिले के खनिज और उससे आय

280. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला जालौर में अब तक क्या-क्या खनिज कब कब निकाले गये हैं ? उन खनिजों से अब तक राज्य सरकार को सालाना कितनी आमदनी होने लगी है ? भविष्य में खनिजों की आमदनी बढ़ाने के लिये राज्य सरकार कब तक, क्या-क्या कदम उठाना चाहेगी ?

(2) क्या यह सही है कि जिला जालौर में कई कीमती खनिज निकाले जा सकते हैं ? अगर हां, तो क्या-क्या ? क्या राज्य सरकार ने जिले का इस दृष्टि से पूर्ण सर्वेक्षण किया है ? अगर हां, तो उसका क्या नतीजा निकला है ? अगर नहीं, तो पूर्ण सर्वेक्षण कब तक करवा लिया जायेगा ?

(3) निकट भविष्य में जिला जालौर में खनिज पर आधारित क्या उद्योग लगने संभव होंगे ?

खनिज मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जिला जालौर में 2 महत्वपूर्ण खनिज ग्रेनाइट व फ्लोराइट निकाले जा रहे हैं। इन खनिजों के अतिरिक्त कुछ छोटे निम्न श्रेणी के जिप्सम के भण्डार, बेराइटीज व मेग्नेसाइट आदि खनिजों की भी खोज की गई है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से इनकी उपयोगिता सिद्ध नहीं हो सकी है। जो आमदनी राज्य सरकार को हुई है, उसका विवरण निम्न प्रकार है:—

(श्री कैलाश मेघवाल)

नाम खनिज	वर्ष	माल जो निकाला गया	माल जो बेचा गया	खनिज की वेल्यू
फ्लोराइट	1976	363.5 टन	354.5 टन	17,76,546.00
फ्लोराइट	1977	1004.2 टन	793.6 टन	32,41,850.00
ग्रेनाइट	1975-76	114.5 क्यु. मी.	8.45 क्यु. मी.	91,276.00
	1976-77	950.0 क्यु. मी.	77.04 क्यु. मी.	80,962.00
	1977-78	372.38 क्यु. मी.	53.79 क्यु. मी.	90,720.00
	अप्रेल, 77 से दिसम्बर, 77	219.29 स्क्वायर मीटर स्लेब	14.57 क्यु. मी.	

जालौर जिले में वर्ष 1976-77 में खनिजों से कुल आमदनी 36,589 हुई है। आय बढ़ाने के सम्बन्ध में जो कदम उठाये गये उनका विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

(2) जी हां। ग्रेनाइट एवं फ्लोराइट के और अधिक भण्डारों के मिलने की सम्भावना है। इसके अलावा बेराइटीज, जिप्सम, क्ले, मेग्नेमाइट, ग्रोक अर्थ, सिलीका सेंड, वुलेस्टोनाइट, कालकेनिक ऐश खनिजों के मिलने की सम्भावना है।

राज्य सरकार द्वारा जिले का पूर्ण सर्वेक्षण नहीं किया गया है। भू-वैज्ञानिकों की उपलब्धता तथा आवागमन साधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रति वर्ष कुछ क्षेत्र सर्वेक्षण हेतु चयन किया जाता है और उसमें सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जाता है। सर्वेक्षण एक निरन्तर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि पूर्ण सर्वेक्षण कब तक करवा लिया जायेगा।

(3) ग्रेनाइट पर आधारित ग्रेनाइट के कटिंग एवं पालिशिंग की फैक्ट्री आर. एम.आई.डी.सी. द्वारा चलाई जा रही है। फ्लोराइट पर आधारित फ्लोराइट परिकरण संयंत्र तथा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनाने के संयंत्र भी यदि पर्याप्त मात्रा में खनिज भण्डार सिद्ध हो सके तो लगाये जा सकते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय मंत्रीजी ने कहा कि जालौर जिले में ग्रेनाइट और फ्लोराइट के बहुत बड़े भण्डार हैं। तो फ्लोराइट पर आधारित उद्योग वहां पर लगाने का आप विचार रखते हैं? जालौर में उद्योग की तो कोई वेल्यू नहीं है।

उद्योग मंत्री (श्री सूर्य नारायण चौधरी): तीस वर्ष से वेल्यू नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसके बारे में आप क्या विचार कर रहे हैं?

श्री कैलाश मेघवाल : वह तो मैंने निवेदन किया कि प्रयत्न चल रहे हैं। पर्याप्त भण्डार सिद्ध होंगे . . .

श्री रघुनाथ विश्नोई : पर्याप्त तो हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : जितना है, उसके आधार पर वहां पर आर. एम. आई. डी. सी. द्वारा कटिंग और पालिशिंग फैक्ट्री चलाई जा रही है, और उसमें तरक्की हुई है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जालौर में जो ग्रेनाइट की खानें हैं, वहां हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा पत्थर निकलता है और उसकी विदेशों में काफी मांग भी है। परन्तु वह काफी महंगा पड़ता है क्योंकि वहां के कारीगर अपने हाथों से मेहनत करके पत्थर तैयार करते हैं। इसका उद्योग अगर जालौर में लगाया जाय तो वह पत्थर सस्ता

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)
पड़ेगा और मजदूरों को भी मजदूरी मिल सकेगी। यह पत्थर तरह-तरह के रंगों का काफी ब्यूटीफुल बनता है।

श्री कौशल किशोर जैन : जालौर में जो ग्रेनाइट की खानें हैं, वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में पत्थर चोरी-चोरी आर.एम.आई.डी.सी. के अधिकारियों की मिलीभगत से पार हुआ है।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : कहां जा रहा है ?

श्री कौशल किशोर जैन : बेंगलोर जा रहा है।

श्री कैलाश मेघवाल : ग्रेनाइट और फ्लोराइट दोनों ही बहुत इम्पोर्टेन्ट खनिज हैं। इस संबंध में विभाग तथा आर.एम.आई.डी.सी. दोनों ही का काम तरक्की पर है। हम निश्चित रूप से चाहते हैं कि वहां का विकास किया जाये।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : फैक्ट्री कब तक लगा दी जायेगी ताकि ज्यादा लोगों को मजदूरी मिल सके ? बीच में आपने यह विचार बनाया था कि जोधपुर में फैक्ट्री लगाई जाये। पत्थर वहां पर निकले और पालिशिंग जोधपुर में हो ?

श्री कैलाश मेघवाल : जैसा मैंने निवेदन किया, विभाग प्रयास कर रहा है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ग्रेनाइट के लिए कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री उगमराज मेहता।

श्री टीकम चन्द कान्त : उद्योग मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : एक सप्लीमेन्ट्री और पूछ लीजिये।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ग्रेनाइट पालिशिंग फैक्ट्री जालौर में कब लगायेंगे ?

उद्योग मंत्री (श्री सूर्य नारायण चौधरी): जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण हुआ था उद्योगों के संबंध में उस समय स्पष्टीकरण किया था। क्या उससे संतुष्ट नहीं हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : आप संतुष्ट कीजिये।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : उस भाषण के बाद कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

श्री मूलचन्द डागा : मंत्री महोदय यह कहते हैं कि वह रेफर करो। मेहरबानी करके प्रश्न का उत्तर दीजिये।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : आप स्वयं मौजूद थे।

श्री ओंकारलाल चौहान : स्पेसिफिकली जवाब क्यों नहीं दे देते हैं ?

श्री सूर्य नारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग ने आर.एम.आई.डी.सी. को स्पेसिफिक इन्स्ट्रक्शन्स दिये हैं कि जालौर में ग्रेनाइट उपलब्ध है इसलिए मकराना की भांति जालौर को कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी कर ली जाय।

श्री कौशल किशोर जैन : मशीनें उपलब्ध नहीं हैं, इसलिये उसका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है, क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : हो जावेगा।

श्री उगमराज मेहता।

केन्द्रीय सहकारी बैंक, पाली के प्रधान व्यवस्थापक के विरुद्ध जांच

281. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रधान व्यवस्थापक के विरुद्ध बैंक के प्रशासक (जिलाधीश, पाली) ने एक पत्र पी. ए. 1476, दि. 14-12-77 रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि पाली जिले की सहकारी समितियों की ओर से दिसम्बर, 77 में प्रधान व्यवस्थापक के विरुद्ध 40 लाख के गबन, फोर्जरी, धोखाधड़ी आदि के आरोपों के संबंध में एक ज्ञापन मंत्री महोदय को पेश करने पर मंत्री महोदय ने रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, राजस्थान को आदेश दिया कि इस बैंक पर तुरन्त प्रधान व्यवस्थापक लगाया जाये और बैंक के पिछले पांच वर्षों के कार्य-कलापों की जांच करवाई जाय एवं प्रगति से मंत्री महोदय को अवगत कराया जाये ?

(3) क्या यह सही है कि मंत्री महोदय के आदेशों और जिलाधीश, पाली के पत्र पर रजिस्ट्रार ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की ? क्या राज्य सरकार रजिस्ट्रार के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रधान व्यवस्थापक की नियुक्ति नियमों के विरुद्ध की गयी है ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति की गई है ? नियुक्ति, प्रमोशन के नियमों की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ।

(5) क्या यह सही है कि पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रधान व्यवस्थापक ने रूपावास संयुक्त कृषि सहकारी समिति, तहसील पाली की जमीन कोड़ियों में भाई व पत्नी के नाम खरीदी ?

(6) क्या राज्य सरकार प्रधान व्यवस्थापक के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच कराने को तैयार है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल): (1) जी हां । पत्र संख्या पी. ए. 1476 न होकर पी. ए. 77।1095 है । पत्र पर जांच कराई जा चुकी है ।

(2) जी हां । प्रधान व्यवस्थापक बैंक कर्मचारीगण एवं बैंक से संबंधित मामलों की शिकायत पर जांच कराई जा चुकी है । इसी प्रकार ज्ञापन में अंकित 6 सहकारी समितियों की विस्तृत जांच पूर्व में कराई जा चुकी है । 26 सहकारी समितियों की जांच हेतु आदेश दिये जा चुके हैं ।

(3) जी नहीं । जांच कराई जा चुकी है ।

(4) श्री रघुवीर सिंह भाटी, प्रधान व्यवस्थापक की नियुक्ति बैंक के उप-नियम 36 (7) के अनुसार संचालक मण्डल द्वारा की गयी है जिसकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखी गयी है ।

(5) जी नहीं । जांच रिपोर्ट के अनुसार पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक के

(श्री कैलाश मेघवाल)

प्रधान व्यवस्थापक द्वारा रूपवास संयुक्त कृषि सहकारी समिति की कोई जमीन भाई या पत्नी के नाम से खरीदी जाना नहीं पाया गया है।

(6) जांच हो चुकी है। कोई नये तथ्य जब तक सामने न आयें पुनः जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

(उप-नियम के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री उगमराज मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि आपने प्रश्न के भाग (1), (2) और (6) में यह कहा है कि जांच हो चुकी है। उनके विरुद्ध क्या जांच हुई है यह कृपया स्पष्ट बतायें? दूसरा मेरा पूरक प्रश्न यह है, आपने यह फर्माया है कि उनके भाई और पत्नी के नाम कोई जमीन नहीं ली गयी है। मैं पूछना चाहूंगा कि इस जमीन का क्रय नहीं किया गया तो क्या रूपवास सहकारी समिति से ऋण लेकर उस शख्स ने जमीन नहीं खरीदी? क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, गड़बड़ी की जांच कराई जा रही है। अपैक्स बैंक इसकी जांच कर रहा है। जैसा कि प्रश्न के मूल जवाब में मैंने निवेदन किया था, 6 सहकारी समितियों की जांच हो चुकी है और जिनके खिलाफ गबन के मामले हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। 6 सहकारी समितियों की मेरे पास विस्तृत रिपोर्ट्स हैं। यदि आप चाहें तो मैं उनको पढ़ दूं। बाकी की सहकारी समितियों के विषय में जांच चल रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन!

श्री अचला राम।

रानी नदी पर पुल का निर्माण

282. श्री अचला राम (देसूरी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या रानी नदी पर बनने वाले पुल का निर्माण का एस्टीमेट बन गया है? अगर हां, तो क्या 1978-79 में रानी नदी के पुल निर्माण को भी प्राथमिकता दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? यदि हां, तो कब तक?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जयनारायण पूनिया) : जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। अतः एस्टीमेट बनाने अथवा वर्ष 1978-79 में पुलिस निर्माण को प्राथमिकता देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सीमित आर्थिक साधनों के कारण वर्तमान में पुल का निर्माण कराना संभव नहीं है।

श्री अचला राम : बजट नहीं है तो यह बजट कब तक प्राप्त हो सकेगा? माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि ऐसा कोई एस्टीमेट ही नहीं है तो मेरे पास पत्र आया है क्या वह गलत है?

श्री जयनारायण पूनिया : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का अध्ययन करके कीमत आंक कर बताया गया है कि इतने लाख की लागत आने वाली है। आगे की योजना में इस पर सोचा जावेगा।

श्री अचला राम : यह निर्माण निश्चित रूप से कब तक हो जावेगा?

श्री जयनारायण पूनिया : यह तो राशि उपलब्ध होने पर ही बताया जा सकता है।

Page No 11

(११)

श्री अचला राम : रानी क्षेत्र एक व्यापारिक मंडी है, कृषि उपज-मंडी भी है । 25-30 गांवों के किसानों को बड़ा कष्ट है । चार महीने तक रास्ते अवरुद्ध रहते हैं । उनको खाने-पीने की चीजें भी उपलब्ध नहीं होती हैं ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री अचला राम : जो निर्माण रुका हुआ है वह राजनैतिक प्रभाव के कारण से रुका हुआ है । इस निर्माण की कब तक उम्मीद करें ?

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : यह आपके हाथ में है ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री अचला राम : मुझे कोई विश्वास नहीं दिया गया ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, कुछ उत्तर देना चाहते हैं या जो दे दिया, वह पर्याप्त है ?

श्री जयनारायण पूनिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बताया है कि धन उपलब्ध होने पर ही यह लिया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री अचला राम : कब तक यह धन उपलब्ध हो जावेगा ? औरों के लिये तो धन उपलब्ध होगा और इसके लिये कुछ नहीं ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन । श्री जगदीश चन्द्र शर्मा ।

बीकानेर स्टेट वूलन मिल्स

283. श्री जगदीश चन्द्र शर्मा (रतनगढ़) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बीकानेर स्टेट वूलन मिल्स किसी प्राइवेट फर्म को दे दी गयी है ? यदि हां, तो कितने वर्षों के लिये और किस किराये पर ? लीज एग्रीमेंट को प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ।

(2) बीकानेर स्टेट वूलन मिल्स का भवन, भूमि, मशीनरी एवं समस्त साज-सामान कितने मूल्य का है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस लीज एग्रीमेन्ट को उचित समझती है ? यदि नहीं, तो इसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

राजकीय उपक्रम मंत्री (श्री सूर्यनारायण चौधरी) : (1) जी हां, वर्ष 1976 में राजकीय ऊनी मिल्स, बीकानेर दस वर्ष की अवधि के लिये रु. 18,12,012 वार्षिक दर पर मैसर्स जगन्नाथ जीवन मल वूलन मिल्स प्रा. लि., जयपुर को पट्टे पर दी गयी है । पट्टे के अनुबन्ध की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(2) राजकीय ऊनी मिल्स, बीकानेर के भवन, भूमि, मशीनरी एवं अन्य समस्त सामानों पर हुए व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :—

		रु. लाखों में
1.	भवन	21.24
2.	भूमि	..
3.	मशीनरी:	
	(क) आयातित	55.26
	(ख) देशी मशीनें एवं फर्नीचर	4.97
	कुल योग ..	81.47

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

(3) जी हां । राज्य सरकार इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करेगी और सभी पहलुओं पर देखने के पश्चात् अगर राज्य सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह अनुबंध व्यवसायिक आधारों पर न हो कर ऐसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हुआ है जो राज्य के हितों के प्रतिकूल है तथा व्यवसायिक सिद्धान्तों को दरगुजर किया गया है व भविष्य में अनुबंध का चलाया जाना उचित नहीं माने तो सभी पहलुओं पर विचार कर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

(कृपया पट्टे के अनुबन्ध की प्रति के लिये परिशिष्ट 2 देखे)

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : क्या इस आशय से लिखित रूप में गवर्नमेंट ने लिया है कि कभी घाटा हो और रुपया न हो तो उसके ऊपर कोई प्रतिबन्ध रहेगा ?

श्री कौशल किशोर जैन : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे......

श्री दूधा (मसूदा) : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि प्राइवेट व्यक्ति को देने के बाद यदि वह मुनाफा लेगा तो सरकार इस बात की छानबीन करेगी कि पहले घाटे में क्यों थी ?

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़): क्या जो अनुबंध किया है उसको तोड़ना चाहते हैं ?

श्री कौशल किशोर जैन : 18 लाख में इसको लीज पर देने का क्या कारण है ? 38 लाख का घाटा इस मिल में था ।

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा : माननीय अध्यक्ष होदय, यह 219 लाख रुपये की राशि की उसको 18 लाख रुपये के करीब किराये पर पट्टे पर दी गई जब कि साधारणतया 26 लाख 16 हजार रुपये उस पूंजी का ब्याज होता । अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार के अधिकारी और उस समय के मंत्रियों ने मिल कर साजिश की थी और लगातार इसको घाटे में देकर किन्हीं व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए यह कार्य किया गया था । जो-जो सरकारी उपक्रम जितने भी घाटे में चल रहे हैं उनको क्या आप लीज के ऊपर या पट्टे पर देने के लिए तैयार हैं और घाटे के कारणों की आप जांच नहीं करवाना चाहते हैं ? जिस प्रकार से रोडवेज घाटे में चल रहा है तो क्या राज्य सरकार रोडवेज को भी किसी प्राइवेट व्यक्ति को देने के लिए तैयार हो जायेगी ? यह नीति का प्रश्न है इसका स्पष्ट जवाब आना चाहिए ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : क्या मंत्री महोदय जवाब देंगे कि इस एग्रीमेंट में कोई ऐसा प्रावधान है कि जो इम्पोर्टेंट मशीनरी इसमें लगी हुई है उसकी देखभाल ठीक ढंग से की जा रही है या नहीं ? क्या सरकार अपने किसी काम्पीटेन्ट इन्जीनियर से जांच करवाना चाहती है ? जैसी मेरे पास इन्फार्मेशन है, मशीनों की देखभाल के लिए इनकाम्पीटेन्ट मिस्त्री लगे हुए हैं और उनसे देखभाल करवाई जा रही है ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं पूरा एग्रीमेंट आपके सामने पढ़ दूं, 5–6 पेज का है ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैंने तो स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है । क्या सरकार अपने किसी काम्पीटेन्ट इन्जीनियर से जांच करवा सकती है या नहीं, क्योंकि दस साल बाद जब वापस मिल मिलेगी तो मशीनों के टुकड़े मिलेंगे ?

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा : इसको जिस समय लीज पर दिया जा रहा था उस समय हम जेलों में थे। वहां के मजदूरों ने स्ट्राइक की थी कि सरकार इसको लीज पर नहीं दे और हम इस मिल को चलायेंगे। मैं इस बात से तो सहमत हूं कि प्रश्न का जवाब आशाप्रद है लेकिन जो प्रश्न उठाये गये हैं उनका आप जवाब दें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो घाटे की तालिका है वह बताये देता हूं।

1969-70 में 11 लाख 5 हजार रुपये
1970-71 में 14 लाख 51 हजार रुपये
1971-72 में 16 लाख 11 हजार रुपये
1972-73 में 13 लाख 2 हजार रुपये
1973-74 में 10 लाख 30 हजार रुपये
1974-75 में 29 लाख 77 हजार रुपये
1975-76 में 31 लाख 50 हजार रुपये

और उस वर्ष यह लीज पर दी गयी है। यह आपके शासन का घाटा है। जहां तक पूंजी का सवाल है 219 लाख रुपये की पूंजी माननीय श्री जगदीशचन्द्रजी शर्मा ने बताई है लेकिन हमारे पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं उन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल पूंजी 80 लाख रुपया है जिसमें जमीन की कीमत शामिल नहीं है। जो जानकारी उपलब्ध है इस मिल के लिए 25 एकड़ भूमि जिलाधीश, बीकानेर के द्वारा ग्राम बिछवाल में दी गयी जिसका भुगतान राजकीय उपक्रम द्वारा नहीं किया गया.....

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा : राजकीय उपक्रम की रिपोर्ट में 219 लाख रुपया पूंजी नियोजन लिखा हुआ है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इसमें जो मशीनरी और भवन इत्यादि दिया है वह सारा का सारा इन्क्लूडेड है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : केपीटल में घाटा भी तो शामिल करो।

श्री मदनसिंह दांता : आपने उनको लोन दिया उसकी क्या शर्तें हैं ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : हमने कब दिया लोन ?

श्री मदनसिंह दांता : मुख्यमंत्रीजी ने कहा कि लोन दिया है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री गुल मोहम्मद।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मेरा उत्तर नहीं आया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता चाहते हैं तो मंत्री महोदय से मिलकर बात कर सकते हैं। जानकारी विशेष चाहें तो वह दे देंगे। अब सदन का बिल्कुल समय नष्ट हो रहा है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : सरकार की एक करोड़ की पूंजी लगी हुई है। यह महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, इस फैक्ट्री को बार-बार घाटे में बताने के बाद और प्राइवेट पार्टी को देने के बाद 10 लाख रुपये सरकार को वह पार्टी दे रही है तो पहले क्यों घाटा होता था, इसकी सरकार जांच करायेगी क्या ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : समय-समय पर आपके काम्पीटेन्ट इन्जीनियर से उसकी जांच करवायेंगे, यह आश्वासन तो दें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री गुल मोहम्मद।

राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि. द्वारा बिल्डिंग फण्ड के लिये दान में दी गई राशि

284. श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि. (अपेक्स बैंक) द्वारा तारीख 4-8-76 को नेशनल कोआपरेटिव यूनियन ऑफ इन्डिया को 60,000 रुपय जवाहरलाल नेहरू नेशनल को-आपरेटिव सेन्ट्रल बिल्डिंग फण्ड के लिए दान दिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि मई, 1975 से अगस्त, 1977 तक साधारण सभा की बैठकों का आयोजन किया गया ? यदि हां, तो कब-कब ? क्या उसमें इस अनुदान की इजाजत ली गई ? यदि नहीं, तो क्या यह कार्यवाही अवैध नहीं ?

(3) क्या यह अनुदान राजस्थान कोआपरेटिव एक्ट, 1965 की धारा 62 (डी) के अनुसार व नियम 68 (6) के अनुसार 10 प्रतिशत से अधिक है ?

(4) क्या राज्य सरकार नियमों का उल्लंघन करने वाले दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मन्त्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक द्वारा इस फण्ड के लिए अंशदान दिया गया है।

(2) जी हां। मई, 1975 से अगस्त, 1977 की अवधि के बीच दिनांक 30-11-75 को बैठक बुलाई गई थी। अंशदान की स्वीकृति आम सभा की बैठक दिनांक 29-11-77 में की गई। कार्यवाही अवैध होने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) इस अंशदान पर यह प्रावधान लागू नहीं होते।

(4) प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया, 30-11-77 को जनरल बॉडी की मीटिंग हुई, तो मई, 75 से अगस्त, 77 तक कोई मीटिंग नहीं हुई ? इस बीच में जितना भी बजट था, वह जनरल बॉडी से पास होना चाहिए वह कैसे पास कराया ? जो भी कार्यवाही हुई है वह अवैध हुई है। जो अंशदान दिया है, जब तक जनरल बॉडी की मीटिंग नहीं हो जाये तब तक नहीं दे सकते हैं। तो यह कैसे दे दिया, जब जनरल बॉडी की मीटिंग ही नहीं हुई ? यह पावर जनरल बॉडी की है अंशदान देने की तो यह अंशदान कैसे दे दिया ? बजट कैसे पास करवाया दो-तीन साल का जब कि जनरल बॉडी की मीटिंग न हुई ?

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक्ष महोदय, अगर जनरल बाडी की मीटिंग हुई है तो क्या मंत्री महोदय बता सकेंगे कि कितने स्थानों के प्रतिनिधि उस बैठक में उपस्थित हुए ? उनके नाम या हस्ताक्षर तो जरूर होंगे ही।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, बैंक के लाभ-हानि खाते में अंशदान जो 60 हजार रुपया दिया वह संचालक मण्डल द्वारा अपने प्रस्ताव ......

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक्षजी, इन्होंने जनरल बॉडी की बात कही थी, संचालक मण्डल की नहीं। इसका स्पष्टीकरण हो जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय का उत्तर आ रहा है। सुनें, फिर सप्लीमेंट्री पूछें।

श्री कैलाश मेघवाल : यह राशि दिनांक 27-4-76 को संचालक मंडल में स्वीकृत प्रस्ताव के द्वारा स्वीकृत की गई थी। यह राशि 24-7-76 को स्वीकृत की गई थी उसके पहले जो आम सभा हुई थी 30-11-75 को उसमें रेक्टीफाई करने का सवाल नहीं उठता। उसके बाद पहली आम सभा 29-11-77 को हुई और उसके प्रस्ताव पांच के द्वारा आम सभा ने इस निर्णय को रेक्टीफाई कर दिया। बैंक की इस तरह की व्यवस्था व कार्य-प्रणाली है। इस अंशदान को स्वीकृत करने का संचालक मण्डल को अधिकार है।

श्री रघुनन्दन व्यास : जनरल बॉडी की जो मीटिंग थी उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? वह संख्या बतायें।

श्री गुल मोहम्मद : राजस्थान सहकारी समिति नियम, 1966 के नियम 68 (6) के अन्दर लिखा हुआ है "निधियों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, सामान्य निकाय (जनरल बॉडी) द्वारा शुद्ध लाभ के दस प्रतिशत की दर से संगणित कर तय की गई राशि को चैरिटेबल एन्डोमेन्ट एक्ट, 1890 की धारा 2 में वर्णित, चिकित्सा सहायता (मेडिकल रिलीफ), सफाई (सेनीटेशन), सहकारिता प्रचार, गरीबों के लिये पुस्तकालय, शिक्षा एवं सहायता जैसे उद्देश्यों पर उपयोग में लाने हेतु सामान्य हित निधि में ले जाई जा सकती है"।

इसके अन्दर जब यह लिखा हुआ है कि जनरल बाडी जब तक तय नहीं कर दे, अंशदान नहीं देंगे, तो इस एक्ट के तहत कैसे अंशदान दिया?

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर): आपने नियम पढ़कर संचालक मण्डल की शक्तियां बताईं। संचालक मण्डल की वह शक्ति भी बता दीजिये, किस उप-नियम के तहत वह बजट पास कर सकती है और बजट बिना प्रोवाइड किये हुए खर्चा स्वीकृत कर सकती है? यदि ऐसा नहीं है, तो जनरल बॉडी की मीटिंग नहीं हो, बजट पास न हो तो संचालक मण्डल कैसे खर्चा करवा सकता है? सिर्फ प्रस्ताव करने से खर्चा वैध नहीं हो जाता।

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, सहकारी बैंक और सहकारी उपभोक्ता भण्डार के जिन संचालक मण्डल का जब कार्यकाल समाप्त हो चुका है तो क्या मंत्री महोदय बतायगे उनको भंग क्यों नहीं किया गया?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो सैक्शन 68 सब-सैक्शन (6) का हवाला दिया गया है उसमें 10 प्रतिशत 10 निजी प्राफिट्स की बात की गई है। सैक्शन 2 चैरिटेबल एन्डोमेन्ट एक्ट, 1890 के तहत मेडिकल रिलीफ, सेनीटेशन, कोआपरेटिव प्रोग्राम, मेन्टीनेंस आफ लाइब्रेरी, एजूकेशन, रिलीफ टू पुअर यह सुविधायें दी गई हैं। तो मैंने जैसा सदस्यों से निवेदन

(श्री कैलाश मेघवाल)

किया कि यह सेक्शन इस पर लागू नहीं होता है और इसलिये नहीं होता कि सहकारी क्षेत्र में विकास कार्य करने वाली नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इण्डिया राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन बना है जिसको देश के समस्त सहकारी बैंकों और सहकारी संस्थाओं द्वारा अंशदान दिया जाता है। उसमें राजस्थान की 6-7 संस्थायें हैं वह इस कोआपरेटिव यूनियन की सदस्य हैं। उसके लिये जो इमारत दिल्ली में बनाई जा रही है उसका कन्ट्रीब्यूशन, अंशदान, यह ग्रान्ट नहीं है, चेरिटेबल एन्डोमेंट एक्ट के तहत दिया जाता है। इसलिये 10 प्रतिशत का प्रावधान लागू नहीं होता है। यह 60 हजार अंशदान के रूप में इस नेशनल कोआपरेटिव व यूनियन ऑफ इण्डिया को भवन निर्माण के लिये दिया गया है। इस तरह का बाइलाज में, जैसा मैंने बताया, संचालक मण्डल को अधिकार दिया गया है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : वह बता दीजिये।

श्री अब्दुल अजीज : जनरल बॉडी की स्वीकृति के बिना वर्किंग कमेटी ने कैसे खर्चा कर दिया ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : संचालक मण्डल बजट के बिना खर्चा स्वीकृत कर सकता है क्या ? स्पेसिफिक बाइलाज चाहता हूं। इसका उत्तर देना चाहिये।

श्री गुल मोहम्मद : संचालक मण्डल को कई तरह के अधिकार होते हैं। अपने रिजोल्यूशन........

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री गुल मोहम्मद : प्रश्नकर्ता को तो ...

(व्यवधान)

मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जो आडिट आब्जेक्शन हुए हैं, वे आपने पढ़े हैं क्या ?

श्री कैलाश मेघवाल : यह मैं स्वीकार करता हूं जो आडिट आब्जेक्शन्स हुए हैं, वह मैंने नहीं पढ़े हैं। अगर माननीय सदस्य बतायेंगे तो पढ़ लूंगा।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय मंत्री महोदय ने आडिट रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। इसमें जो आब्जेक्शन्स आये हैं उनसे मालूम पड़ता है सब इल्लीगल काम हुआ है।

श्री नवरंगसिंह : इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : सब इश्यू को वे देख लेंगे।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैंने एक स्पेसिफिक बात कही है......

(व्यवधान)

हमारे दल के मंत्री कोई बात अगर गलत करते हैं तो उनके खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हम नहीं ला सकते। गलत बयानी हाउस में न हो। मैंने पूछा है बिना बजट प्रोविजन के 60 हजार रुपये किस उप-नियम के तहत स्वीकृत किये ?

श्री कैलाश मेघवाल : यह कहना बिल्कुल गलत है कि कोई गलत बयानी...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई प्रिविलेज मोशन इन्वाल्व नहीं होता। मंत्री महोदय, स्थान ग्रहण करें।

श्री गुल मोहम्मद : क्वेश्चन स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । मंत्री महोदय से विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

श्री गुल मोहम्मद : मंत्री महोदय देंगे नहीं जानकारी ।

(व्यवधान)

श्री बजरंग लाल शर्मा : प्राइवेट जानकारी दे दें तो सदन में प्रश्न करने का सवाल उत्पन्न नहीं होता । यह सवाल सदन में स्पेसिफिक तरीके से पूछा गया है कि वह प्रावधान बताया जाये कि संचालक मण्डल ने कैसे.....

श्री अब्दुल अजीज : जनता पार्टी के सदस्यों को मंत्रियों पर विश्वास नहीं रहा..

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : दो दिन से झगड़ा हो रहा है वहां भ्रष्टाचार है उसको दूर करने के लिये क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे.....

श्री अध्यक्ष : हर एक क्वेश्चन का उत्तर देने के लिये मुख्य मंत्री बाध्य नहीं हैं ।

नेक्स्ट क्वेश्चन । श्री गुलाब चंद कटारिया ।

श्री गुल मोहम्मद : उस बैंक की जितनी कार्यवाही हुई वह इल्लीगल है, बेबुनियाद, अवैध है, उसका ताल्लुक भ्रष्टाचारियों से है । जिन-जिन अधिकारियों ने गड़बड़ी की है उनके खिलाफ आप ने जांच कराई ? आपको पता लग जायेगा । आपको परेशानी क्यों हो रही है जांच कराने में ?

श्री अध्यक्ष : आवश्यकतानुसार जांच करवा ली जायेगी ।

श्री मूलचंद डागा : आपन कन्डीशन ले डाउन कर दी, आवश्यकतानुसार ।

श्री अध्यक्ष : मुझे विश्वास है, जांच करवा लेंगे । आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

नेक्स्ट । श्री गुलाब चन्द कटारिया ।

बड़ी सादड़ी-फतहनगर सड़क की मरम्मत

285. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बड़ी सादड़ी से फतहनगर वाया मंगलगढ़, किरकी चौकी सड़क बनी हुई है जिसकी हालत ठीक नहीं है ?

(2) क्या यह भी सही है कि किरकी चौकी से भोपाल सागर तक की सड़क की हालत बहुत खराब है ? यदि हां, तो इस सड़क के निर्माण के बाद इस सड़क को अब तक क्यों नहीं ठीक कराया गया जब कि इस सड़क पर वाहनों का आना-जाना भी बहुत अधिक है और आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं ? अब कब तक इस सड़क को ठीक करा दिया जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जय-नारायण पूनियां) : (1) जी हां । लेकिन 82 किलोमीटर में से 15 किलोमीटर फेयर वेदर रोड है तथा बाकी भाग में से कुछ भाग डामर का व कुछ भाग मेटल रोड का है । बने हुये भाग के अधिकांश

(श्री जयनारायण पूनिया)
भाग की हालत साधारण है। कुछ भाग मेटल रोड है जिसकी हालत सन्तोषजनक नहीं है।

(2) फिरकी चौकी से भोपाल सागर 16 किलोमीटर लम्बी है। उस पर डामर नहीं है और हालत सन्तोषजनक नहीं है। आये दिन दुर्घटनाओं की कोई सूचना नहीं है। उस सड़क पर केवल रोड गेंग द्वारा देख-रेख की जाती है। उसको डामर कराने के कार्य पर छठी पंचवर्षीय योजना में विचार किया जावेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, आज से कितने वर्ष पहले इस रोड पर काम चलाया गया था ? उसके पश्चात् आज दिन तक वह ठीक नहीं कराई गई ? आज उस सड़क की हालत बहुत खराब हो रही है। वहां कृषि मण्डी होने के बाद भी लोगों को काफी परेशानी है तो जल्दी से जल्दी इसको पूरा करने का विश्वास दिलवाइये।

(विराम)

कई माननीय सदस्य : जवाब नहीं आया।

श्री गोविन्द सिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, फिरकी से भोपाल सागर के बीच गन्ने की बहुत बड़ी खेती है। माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि सड़क बहुत टूटी हुई है। यह रोड चित्तौड़ से उदयपुर तक मिलाने वाली सड़क है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द): अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ एक सवाल और है, वह यह है कि 6 लाख रुपया लगाया गया है लेकिन वह इस रोड पर लगा नहीं है। उसकी जांच के लिये कहा था लेकिन उसकी जांच भी नहीं हुई है। कृपया आप उस को भी कराइयेगा और जो अधूरी सड़क है, उसको भी पूरी कीजिये।

(व्यवधान)

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, रोड के विषय में जैसा आपने बताया वह सूचना सही नहीं है। साधारणतया एक्सीडेन्ट होते रहते हैं सौभाग्य से मरने वालों की संख्या चाहे कम रही हो मैं बताना चाहती हूं उनकी मरम्मत कराना अत्यन्त अनिवार्य है।

श्री जयनारायण पूनिया : अध्यक्ष महोदय, मेटल्ड रोड का भाग 16 किलोमीटर है। उस पर डामर कराने की आवश्यकता बताई गई है। मैंने बता दिया है कि छठी पंचवर्षीय योजना में विचार किया जायेगा। आवागमन की दुर्घटनाओं के बारे में जैसा बताया गया, मैंने बताया मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है लेकिन उस रोड को डामर की करवाने की सोच रहे हैं।

श्री समरथ लाल (राजगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूचना देते हैं, क्या उसको वे सत्य नहीं मानते।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्रीराम करण सिंह।

तहसील कोटपूतली की कृषि उपज मण्डी के सचिव

286. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :

(श्री रामकरण सिंह)
क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील कोटपूतली में कृषि उपज मण्डी के सचिव के पद पर श्री बाकलीवाल कब से कब तक रहे ?

(2) इस प्रसंग में उनका स्थानान्तरण कब-कब व किन-किन कारणों से हुआ तथा स्थानान्तरण रद्द करने के क्या कारण थे ?

(3) उक्त अधिकारी स्थानान्तरण के आदेश होने के कितने दिन तक कितनी सूचनाओं के बावजूद भी स्थानान्तरण पर नहीं गए तथा इन आदेशों की अवहेलना पर उनके विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (1) श्री तारा चन्द बाकलीवाल, सचिव, कृषि मण्डी समिति, कोटपूतली के पद पर 22-10-75 से 1-8-77 तक रहे।

(2) श्री बाकलीवाल का स्थानान्तरण राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रस्ताव दिनांक 11-1-77 के आधार पर निदेशक, कृषि विभाग द्वारा दिनांक 31-1-77 को कोटपूतली से नीम-का-थाना, सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति के पद पर किया गया। तत्पश्चात् तत्कालीन कृषि मंत्री महोदय के निर्देशानुसार श्री बाकलीवाल का स्थानान्तरण नीम का थाना से वापस कोटपूतली दिनांक 28-4-77 को उसी पद पर किया गया। परन्तु बाद में यह मालूम होने पर कि अध्यक्ष, मण्डी समिति द्वारा श्री बाकलीवाल को कार्य मुक्त न करने के कारण आदेश दिनांक 31-1-77 की क्रियान्विति नहीं की गई है, निदेशक द्वारा दिनांक 9-5-77 को स्थानान्तरण आदेश निरस्त किये गये जिसके फलस्वरूप श्री बाकलीवाल का स्थानान्तरण नीम-का-थाना में हुआ।

(3) प्रश्न सं. (2) के उत्तर से विदित है कि आदेश दिनांक 31-1-77 की क्रियान्विति में विलम्ब अध्यक्ष, मण्डी समिति द्वारा श्री बाकलीवाल, सचिव को कार्य मुक्त न करने के कारण हुआ। चूंकि श्री बाकलीवाल का स्थानान्तरण का विषय काफी गर्म स्थिति में रहा, अतः कई आदेश प्रसारित किये गये जिनके द्वारा आदेश दिनांक 9-5-77 की पालना में भी समय लगा। आदेशों की क्रियान्विति में विलम्ब के लिये श्री बाकलीवाल प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं हैं इसलिये उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री मूलचन्द डागा : तबादलों की राजनीति है।

श्री रामकरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ माननीय मंत्री महोदय खुद मानते हैं कि यह काफी चर्चा का विषय रहा। उनका दिसम्बर में तबादला किया, दिसम्बर से 6 महीने तक तबादले के आर्डर कैंसल नहीं होते हैं। वे काम करते रहे हैं और जो चेयरमैन हैं, उनके यहां डाका डालते हैं तो माननीय मंत्री महोदय बतायें…

श्री मदनसिंह दांता : थोड़ा घोटाला जरूर है, इसमें तलाश करें। मामला सम्पत राम जी के समय का है।

श्री दिग्विजयसिंह : जो मेन प्रश्न है वह यह है कि उक्त अधिकारी स्थानान्तरण के आदेश होने के कितने दिन तक कितनी सूचनाओं के बावजूद भी स्थानान्तरण पर नहीं गए तथा उन आदेशों की अवहेलना पर उनके विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? मैंने स्पष्ट किया, राज्य सरकार से उनके

Page No 20

(२०)

(श्री दिग्विजयसिंह)
ट्रान्सफर होते रहे और कैन्सल होते रहे। इसी कारण ट्रान्सफर को कम्पलाई नहीं कर सके, इस कारण से कि यह सही नहीं है।

श्री रामकरण सिंह : क्या तीन दफा डाइरेक्टर, एग्रीकल्चर ने नीम-के-थाने के आदेश दिये और वे वहां के लिये रवाना नहीं हुए ?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना उपलब्ध है उसमें मैंने निवेदन किया कि मण्डी समिति उनको रिलीव नहीं कर रही थी इसलिये दुबारा कैन्सल करना पड़ता था। राज्य सरकार और कृषि मण्डल के अध्यक्ष के बीच भी यह मामला चलता रहा था।

श्री रामकरण सिंह : क्या चेयरमैन ने उनको रिलीव नहीं किया ? किस प्रकार के उनके आदेश थे, वह बता सकेंगे ?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें पूछा नहीं गया है। उनको वहां से रिलीव नहीं किया गया। इस कारण वे रवाना नहीं होते थे।

श्री रामकरण सिंह : आपके डाइरेक्टर महोदय के आदेश थे। अगर उसको आपके नीचे के अधिकारी या कर्मचारी नहीं मानते हैं, अराजकता फैलाते हैं तो सतर्कता से काम लेना चाहिये। ऊंचे अधिकारियों के आदेश नहीं माने तो काम कैसे चलेगा।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं स्थानान्तरण का मामला ऐसा है कि इसमें कई प्रकार के कन्सर्न आ जाते हैं और एम. एल. एज. व जनप्रतिनिधि भी इन्ट्रेस्टेड हो जाते हैं। बाज वक्त पर उनकी वजह से भी ट्रान्सफर रोकना पड़ता है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह सही है कि एम. एल. एज. के प्रभाव में आकर ट्रान्सफर करते हैं ? जो मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट दिया है क्या वह सही है ?

मुख्यमंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : जो मामले प्रशासनिक दृष्टि से उचित होते हैं उनमें ट्रान्सफर किया जाता है। प्रभाव और न प्रभाव की इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं रहती है।

श्री मूलचन्द डागा : सम्बन्धित अधिकारी का कितनी बार ट्रान्सफर किया गया और कितनी बार कैन्सल किया गया ? यह बतायें।

श्री रामकरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, साफ है किन-किन कारणों से हुआ है। माननीय मंत्री महोदय बता देंगे तो माननीय सदस्य को तसल्ली हो जायगी। उस समय क्या कारण थे कांग्रेस गवर्नमेंट के ? अब कारण कम हो रहे ।

श्री मूलचन्द डागा : मुख्यमंत्री महोदय ने कहा प्रशासनिक कारणों से ट्रान्सफर किये हैं तो क्या ये सब ट्रांसफर्स प्रशासनिक कारणों से ही हुये हैं।

श्री अध्यक्ष : मेजर श्री फतहसिंह।

अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत उदयपुर जिले में चयनित परिवार

287. मेजर श्री फतहसिंह (भीम): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत उदयपुर जिले से कितने व्यक्तियों का चयन

(मेजर श्री फतहसिंह)
किया गया ? तहसीलवार संख्या दर्शाते हुए विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उक्त चयनित निर्धनों को कुल कितनी आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव है ? कृपया, तहसीलवार अनुमानित अथवा प्रस्तावित धनराशि का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त चयनित निर्धनों को अब तक कुल कितनी धनराशि की सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है ? कृपया, तहसील-वार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा गारन्टी के अभाव में बैंक्स इन निर्धनों को ऋण नहीं दे रही हैं ?

कृषि मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न को 15 दिन के लिए स्थगित करने के लिए निवेदन किया था ।

मेजर श्री फतहसिंह : श्रीमान्, इस प्रश्न को स्थगित करने की कोई आवश्यकता नहीं, है । मैं राज्य सरकार की कठिनाई को समझता हूं लेकिन उत्तर देने में कठिनाई मेरी समझ में नहीं आती है । यह प्रश्न तो बिल्कुल सीधा है कि उदयपुर जिले में कितने परिवारों का चयन किया गया, तहसीलवार इसकी सूची रखें । कितने पैसे देने का प्रावधान था, तहसीलवार सूची रखें । कितने पैसे दे दिए गए हैं, यह बतावें । इसमें कौनसी बात है ? जहां तक उदयपुर जिले का सवाल है, श्रीमान्, मुझे मालूम है कि कलक्टर का आदेश था उसके अनुसार ज्यों-ज्यों किसी क्षेत्र में परिवारों का चयन होता जाता है प्रतिदिन कलक्टर को उसके कार्यालय में उसकी सूचना दी जाया करती है । इसलिए इसमें कोई विलम्ब होने की आवश्यकता नहीं है ।

मैं निवेदन करता हूं कि मेरा सवाल राजस्व मंत्रीजी को सम्बोधित था । साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे नाम की स्पेलिंग में 'त' पर '`' की मात्रा नहीं होती है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह तो योजना ही बोगस है ।

श्री दिग्विजयसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जो खण्ड (4) है उसमें आपने पूछा है कि राज्य सरकार द्वारा गारण्टी के अभाव में बैंक्स इन निर्धनों को ऋण नहीं दे रही है । इस प्रश्न को फाइनेन्स डिपार्ट-मेंट से एग्जामिन करा रहे हैं इसलिए स्थगित करने के लिए कहा गया है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है.....

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक इम्पार्टेंट प्रश्न रह गया है ।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न संख्या 293 है । मेरे पहले भी कई प्रश्न रह गए हैं, आज तक उनका कोई जवाब नहीं आया । मेरा प्रश्न था कि वाजिबुल अर्ज सदन की मेज पर रखा जावे.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

श्री रतनलाल वर्मा : यह सैटलमेंट का मामला है और बहुत गंभीर मामला है । अजमेर जिला कांग्रेस के पापों से बुरी तरह से

(श्री रतनलाल वर्मा)
उलझा हुआ है और बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न का जवाब माननीय अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय को लिखित रूप में मुझे देने के लिए निर्देश दें।

(व्यवधान)

यह बहुत गंभीर मामला है। सदन में पहले भी आठ-दस दफा आ चुका है।

श्री मूलचन्द डागा : जनता पार्टी तो उलझ ही रही है, दिल्ली में भी उलझ रही है।

श्री रतनलाल वर्मा : कांग्रेस के पापों को अजमेर जिला ढो रहा है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

भोण्डर-बम्बोरा सड़क

279. श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभनगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि भोण्डर-बम्बोरा रोड को स्टेट हाई वे घोषित करने की कार्यवाही राज्य सरकार ने सन् 76 में पूरी कर दी थी? यदि हां, तो इसकी घोषणा में क्यों विलम्ब हो रहा है?

(2) राज्य सरकार इस स्टेट हाई वे की घोषणा कब करेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतः विलम्ब का प्रश्न ही नहीं उठाता।

(2) यह सड़क स्टेट हाई वे के मापदण्ड के अनुसार नहीं है अतः इसको अभी स्टेट हाई वे में सम्मिलित करना संभव नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नारायणपुर सड़क पर पुलियाओं का निर्माण

33. श्री शिव नारायण (थानागाजी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या नारायणपुर की सड़क (घाटा से नारायणपुर) पर समस्त पुलिया बना दी गई है? यदि नहीं, तो सब से प्रमुख एवं अत्यावश्यक पुलिया, जिसके न बनने से समस्त यातायात अवरुद्ध हो जाता है, क्यों छोड़ी गई?

उत्तर

घाटा बांदरोल से नारायणपुर के बीच इस समय सात पुलियाओं का निर्माण कार्य चालू है जिस पर इस वर्ष 1 लाख रुपये का प्रावधान है एवं एक पुलिया, जिसकी अनुमानित लागत 2 लाख रुपया है, का निर्माण धनाभाव के कारण हाथ में नहीं लिया जा सका है।

बाड़मेर जिले की सड़कें

34. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विभिन्न पंचवर्षीय योजना

(श्रीमती मदन कौर)
अवधियों में बाड़मेर जिले में कितनी लंबाई की प्लान सड़कें डामर की बनाई गई ?

(2) समस्त राजस्थान में विभिन्न पंचवर्षीय योजना काल में कितनी लंबाई की डामर की प्लान सड़कें बनीं ? जिलेवार आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में डामर की सड़कें 716 कि. मी. बनाई गई तथा इसके अलावा 581 कि. मी. सीमावर्ती क्षेत्र की सड़कों का निर्माण हुआ।

(2) जिलेवार पंचवर्षीय डामर की सड़कों के आंकड़ों की सूची संलग्न है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

जालौर जिले की सड़कें

35. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गत वर्षा ऋतु में ज्यादा वर्षा से जिला जालौर की सड़कें, पुलियायें एवं रपटें बहुत टूट-फूट गई थीं ? अगर हां, तो वहां पर कितना कितना नुकसान हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त टूटी-फूटी सड़कों, पुलियाओं एवं रपटों की मरम्मत अब तक नहीं करवाई गई है ? अगर हां, तो क्यों ? अब उक्त सड़कों, पुलियाओं एवं रपटों की मरम्मत कितने रुपयों की लागत से कब तक करवा दी जायेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि आकोली नदी के कारण एवं जेतपुरा नदी के कारण साल में काफी समय तक सड़क का आवागमन बंद रहता है ? अगर हां, तो उक्त नदियों पर रपटें या पुल कब तक बनवा कर उक्त कठिनाइयां जनता की दूर कर दी जावेंगी ?

(4) जिला जालौर में निकट भविष्य में ग्रामीण सड़क निर्माण, सामाजिक एवं धार्मिक महत्व की सड़कें, अन्तर्राज्यीय सड़कें एवं दुग्ध योजना सड़कें एवं क्षेत्रीय जल प्रदाय सड़कों की दृष्टि से सरकार सड़क निर्माण के बारे में क्या-क्या कदम उठा रही है ? इस बारे में सरकार की क्या-क्या योजना की क्रियान्विति कब तक करवा दी जावेगी ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले में व्यापारिक एवं कृषि मण्डियों को जोड़ने के लिये भी राज्य सरकार सड़क निर्माण करना चाहती है ? अगर हां, तो वे क्या योजनायें होंगी एवं कब तक हाथ में ली जावेंगी ?

उत्तर

(1) जी हां । सूची संलग्न है ।

(2) राज्य सरकार से स्वीकृत कार्यों की सूची संलग्न है । ये मरम्मत कार्य चालू हैं एवं कार्य वर्ष 78-79 में पूर्ण करवाने की सम्भावना है ।

(3) जी हां। आकोली नदी पर रपट के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है। यह कार्य वर्ष 78-79 में पूर्ण कराने की सम्भावना है । जेतपुरा नदी पर पुल बनाने का अभी कोई प्रावधान नहीं है ।

(4) इस ओर सड़क छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है ।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(5) इसका सम्बन्ध कृषि विभाग से है जहां कृषि उपज मण्डियां जोड़ने की योजना बनाई जा रही है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

गांधी नगर स्थित क्वार्टरों के किराये की दरें

36. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सरकारी आवासों में रहने वाले कर्मचारियों के मासिक किराये में 1-9-76 से वृद्धि की गई थी ? यदि हां, तो कृपया आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) गांधी नगर स्थित एफ क्वार्टरों की (इस श्रेणी में नये व पुराने आवासों सहित) के किराये की उक्त आदेश से पूर्व प्रवतमान दरें क्या थीं ? आदेशों की प्रति कृपया सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । प्रतिलिपि संलग्न है ।

(2) जयपुर में गांधी नगर स्थित समस्त आवासों की किराये की दरें नये आदेशों से पूर्व भी निर्धारित थीं । ये दरें वेतन के अनुसार हैं । नियम की प्रति संलग्न है ।

(आदेश के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

नदी में बाढ़ आने से मृतक व्यक्तियों की सहायता

37. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या बाढ़ व अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष अतिवृष्टि व नदी में बाढ़ आने के कारण नदी में डूब जान से जोधपुर तहसील के नान्दणा कलां पंचायत के दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई ? अगर हां, तो उनके नाम मय पिता का नाम, तारीख आदि की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें ।

(2) क्या गत वर्ष राज्य सरकार न उक्त मृतक व्यक्तियों के परिवार को कोई आर्थिक सहायता के रूप में कुछ राशि स्वीकार की ? यदि हां, तो कितनी-कितनी धनराशि दी ? अगर नहीं, तो क्यों ? व अब कब तक उनके परिवारों को बाढ़ सहायता कोष से सहायता देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, अतिवृष्टि से लूणी नदी में बाढ़ आने के कारण गांव उचावड़ा पंचायत समिति नान्दणा कलां के दो व्यक्तियों की दिनांक 8-9-76 को नदी में बह जाने के कारण मृत्यु हो गई थी । इनके नाम मय वल्दियत की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) मुख्यमंत्री सहायता कोष से दोनों मृतक व्यक्तियों के परिवारों को दिनांक 2-4-77 को 150/- रु. - 150/- रु. की आर्थिक सहायता दी गई है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

ग्राम गोगून्दा में राहत कार्य

38. श्री भूरा लाल (गोगून्दा) :

(श्री मूरालाल)
क्या बाढ़ एवं अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि गोगुन्दा, कोटड़ा तहसील में बरसात के कारण फसलें नष्ट हो गई ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इन दोनों तहसीलों के आदिवासी लोगों के लिये राहत कार्य प्रारंभ करना चाहती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां, गोगुन्दा व कोटड़ा तहसीलों में अधिक वर्षा के कारण फसलों की क्षति हुई है और कोटड़ा तहसील में आठ आने या इससे अधिक खराबा होने के कारण अभाव-स्थिति की घोषणा की गई है। गोगुन्दा में आठ आने से कम हानि आंकी गई है। इन दोनों तहसीलों के आदिवासी व अन्य लोगों को राहत पहुंचाने हेतु राज्य सरकार ने 9 राहत कार्य प्रारंभ कर दिये हैं।

पटवार सर्किल, तिलवाड़ा और मेवानगर में भूमि का आवंटन

40. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील पचपदरा (जिला बाड़मेर) के पटवार सर्किल, तिलवाड़ा और मेवानगर में ऐसे कितने केसेज हैं जहां एक ही काश्त की भूमि को विभिन्न वर्षों में विभिन्न काश्तकारों को बिना उस भूमि की सही स्थिति (कब्जा, पूर्व में आवंटन आदि) की जानकारी किये आवंटित कर दिया गया है ?

(2) अब तक इन केसेज में से कितनों का निपटारा कर दिया गया है और उनको निपटाने का क्या आधार था ?

(3) क्या उपरोक्त वर्णित भू-आवंटन में भूमि की सही स्थिति नहीं दर्शाने के लिये किसी को उत्तरदायी ठहराया गया है ? यदि हां, तो किसको और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) पटवार सर्किल, मेवानगर के ग्राम खेड में 117 व्यक्तियों को व पटवार सर्किल, तिलवाड़ा के 42 व्यक्तियों को व ग्राम सिपली चौसीरा के 10 व्यक्तियों को वर्ष 1972 में सीलिंग कानून के तहत अधिग्रहित भूमि आवंटित की गई थी, परन्तु इन आवंटियों ने बावजूद नोटिस के भी न तो कब्जा प्राप्त किया व न ही राशि जमा कराई जिससे तहसीलदार, पचपदरा की प्रार्थना पर वर्ष 1973 में इन आवंटियों को किया गया भू आवंटन निरस्त किया गया एवं यह भूमि वर्ष 1976 में अन्य भूमिहीन काश्तकारों को आवंटित की गई, अतः पुनः किया गया आवंटन भूमि उपलब्ध होने पर ही किया है।

(2) जिन व्यक्तियों के आवंटन निरस्त किये गये उन मामलों में पुनः कार्यवाही वांछित नहीं है।

(3) पुनः किया गया भूमि आवंटन उपलब्ध भूमि का ही किया गया है। अतः इस हेतु किसी को उत्तरदायी ठहराने का प्रश्न नहीं है।

भूतपूर्व राजाओं से अवाप्त भूमि

42. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में राजस्थान भूमि सुधार एवं भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत कितनी-कितनी भूमि किन-किन

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
भूतपूर्व राजाओं से अवाप्त की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य में शासन में आने के बाद में जनता सरकार ने कितनी-कितनी भूमि किन-किन भूतपूर्व राजाओं से अवाप्त की ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) भूतपूर्व राजाओं से कितनी भूमि अवाप्त करना बाकी है और उन्हें अवाप्त करने के लिये राज्य सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं और उठाने जा रही है ? कब तक सम्पूर्ण बकाया जमीन अवाप्त कर ली जायगी ?

(4) उक्त अवाप्त की गई भूमि में कितनी भूमि को कितने भूमिहीन लोगों को वितरण किया गया है ? बकाया भूमि का कब तक वितरण कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) राज्य में राजस्थान भूमि सुधार एवं भू-स्वामियों की भू-संपदा अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत जिन भूतपूर्व राजाओं से भूमि अवाप्त की गई अथवा भूमि अवाप्त करने के आदेश जारी किये गये, की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) कुछ नहीं।

(3) भूतपूर्व शासक, जयपुर से 9354 बीघा 10 बिस्वा भूमि अवाप्ति के आदेश जारी किये जा चुके हैं। इस आदेश के विरुद्ध भूतपूर्व शासक, श्री भवानीसिंह ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है। उस रिट याचिका के फैसले के बाद ही इस संबंध में कार्यवाही किया जाना संभव होगा। भूतपूर्व शासक, उदयपुर से 1418.06 बीघा भूमि अवाप्त करने के आदेश जारी किये गये। इस आदेश के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर हो जाने के फलस्वरूप वास्तविक रूप से भूमि अवाप्त नहीं की गई।

भूतपूर्व शासक, कोटा के विरुद्ध भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी, परन्तु उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त होने के कारण भूमि अवाप्ति की कार्यवाही नहीं की जा सकी।

(4) भूतपूर्व शासक, शाहपुरा से अवाप्त भूमि में से 148 भूमिहीन व्यक्तियों को 495 बीघा 4 बिस्वा भूमि आवंटित कर दी गई है। शेष भूमि नाकाबिल काश्त है।

भूतपूर्व शासक, जोधपुर से अवाप्त भूमि में से 685 भूमिहीनों को 2410 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है। शेष भूमि पर स्थगन आदेश हटने के पश्चात् आवंटित की जा सकेगी।

भूतपूर्व शासक, सिरोही से अवाप्त की गई भूमि में से 128 भूमिहीनों को 567.74 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है। शेष 6.28 एकड़ भूमि कृषि अयोग्य होने के कारण आवंटित नहीं की जा सकी है।

भूतपूर्व शासक, अलवर से अवाप्त भूमि 104 एकड़ पर स्थगन आदेश के कारण आवंटन नहीं किया जा सका।

भूतपूर्व शासक, किशनगढ़ से अवाप्त भूमि 16353 बीघा पर आवंटन हेतु स्थगन आदेश है।

भूतपूर्व शासक, भरतपुर से अवाप्त भूमि 191 बीघा को आवंटन करने की कार्यवाही की जा रही है।

Page No 27

(27)

(राजस्व मंत्री)

भूतपूर्व शासक, बीकानेर से अवाप्त की गई 6441 एकड़ भूमि में से 5657 एकड़ भूमि वन विभाग को स्थानान्तरित कर दी गई है। शेष 784 एकड़ भूमि गोचर भूमि कायम कर दी है।

भूतपूर्व शासक, जैसलमेर से अवाप्त भूमि पर आवंटन हेतु स्थगन आदेश है।

भूतपूर्व शासक, बांसवाड़ा से अवाप्त भूमि जंगलात की है, अतः आवंटन नहीं की जा सकती है।

भूतपूर्व शासक, बून्दी से अवाप्त भूमि नाकाबिल काश्त व वन भूमि होने के कारण आवंटित नहीं की जा सकती।

भूतपूर्व शासक, डूंगरपुर से अवाप्त भूमि सर्वेशुदा न होने के कारण आवंटित नहीं की जा सकती है।

भूतपूर्व शासक, करौली से अवाप्त भूमि पर आवंटन हेतु स्थगन आदेश है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

ग्राम मुंजासर के खातेदार
की भूमि

43. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मुंजासर, तहसील फलौदी, जिला जोधपुर में खातेदार श्री जसवंतराम वल्द श्री भूराराम विश्नोई अभी तक जिन्दा हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त खातेदार के जिन्दा होते हुए भी उसके हक की खातेदारी जमीन में उसके गोद के लड़के श्री लाखाराम के नाम से कानून के विरुद्ध नामान्तरकरण भर दिया गया है ? अगर हां, तो क्यों एवं किसके द्वारा ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त खातेदार ने अपने हक की खातेदारी की जमीन अपनी एक मात्र आयन्दा लड़की अमरू के नाम बख्शीस कर रजिस्ट्री करवा दी है एवं पुराने गोदनामे की लिखावट मंसूख कर दी है ? अगर हां, तो कब ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त खातेदार ने परगना अधिकारी, फलौदी एवं तहसीलदार, फलौदी को अपनी खातेदारी की जमीन में उसके लड़के के नाम से उसको मरा हुआ मानकर गलत नामान्तरकरण भरने के बारे में शिकायतें पेश की थीं ? अगर हां, तो कब ? इस बारे में अब कब तक आवश्यक कानूनी कार्यवाही करके गलत म्यूटेशन खारिज करने के बारे में राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की गई है एवं संबंधित पटवारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है एवं भविष्य में क्या कार्यवाही की जावेगी ? बख्शीस नामे के अनुसार उसके खातेदारी की जमीन में उसकी लड़की के नाम सही म्यूटेशन कब तक भर दिया जावेगा ?

(5) क्या राज्य सरकार उपरोक्त मामले में कलक्टर, जोधपुर द्वारा सही जांच शीघ्र करवा कर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्यवाही कराने के आदेश देना उचित समझेगी ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि गांव मुंजासर, तहसील फलौदी, जिला जोधपुर में श्री जसवंत-

(राजस्व मंत्री)

राम पुत्र श्री घुड़राम बिश्नोई अभी तक जिन्दा है ।

(2) यह सही नहीं है कि जसवंतराम के जिन्दा होते हुये भी लाखाराम के नाम जरिये नामान्तरकरण खातेदारी मन्जूर की गई। वास्तविकता यह है कि श्री जसवंतराम ने जरिये रजिस्ट्री दिनांक 19-1-1961 को श्री लाखाराम को गोद लिया और जरिये रजिस्ट्री दिनांक 23-3-1971 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि दत्तक पुत्र श्री लाखाराम को बखशीस कर दी थी और इसी कारण श्री लाखाराम के नाम नामान्तरकरण भरा गया। यह कहना गलत है कि मृतक मानकर नामान्तरकरण भरा गया ।

(3) इस संबंध में न तो कोई दस्तावेज श्री जसवंतराम ने ही प्रस्तुत किया है और न उसकी पुत्री अमरू ने ।

(4) इस संबंध में कोई लिखित शिकायत उप-जिला कार्यालय में प्राप्त होना नहीं बताया गया । नामान्तरकरण सही भरा जाने के कारण उसके मंसूख किये जाने का कोई कारण नहीं है। पार्टी अपनी मंसूखी के लिये कानूनन कार्यवाही कर सकती है । पूर्व नामान्तरकरण मंसूख होने पर ही नया इन्तकाल खोले जाने की कार्यवाही की जा सकती है। श्री लाखाराम ने जरिये बखशीस से इस प्राप्त भूमि के लिये धारा 53 आर. टी. एक्ट के अन्तर्गत विवाद प्रस्तुत किया है जिसमें प्रश्नकर्ता श्री रघुनाथ विश्नोई, विधायक प्रतिवादी संख्या 5 है। इस मुकदमे के अन्तर्गत यह मामला अदालत में ज़ेर तजवीज है । नामान्तरकरण सही भरा है । अतः पटवारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(5) चूंकि नामान्तरकरण सही भरा गया था, अतः कर्मचारियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है ।

डीजल जीपों को खरीद के लिए अनुदान

44. श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि डीजल जीपों की खरीद के लिये अनुदान के रूप में राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि. (अपेक्स बैंक) द्वारा सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंकों को सन् 1976-77 में 5,63,195.43 पैसे दिये थे ?

(2) क्या सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंकों के पास स्वयं की गाड़ियां नहीं हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अनुदान बैंक के लाभ-हानि खाते को डेबिट करके दिया गया, जिससे बैंक कर्मचारियों को बोनस आदि कम मिला ?

(4) राज्य सरकार की दृष्टि में क्या यह खर्चा किया जाना उचित था ?

(5) गत दो वर्षों में क्या राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि. की जनरल बॉडी की मीटिंग बुलायी गयी ?

(6) यदि हां, तो कितनी व कब-कब ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी नहीं । स्वयं की गाड़ियां हैं ।

(3) जी हां, किन्तु इसका बोनस पर

(सहकारिता मंत्री)
कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस अवधि में बोनस अधिकतम दर 20 प्रतिशत से भुगतान हुआ है।

(4) इस प्रकार के खर्चे हेतु बैंक स्वयं सक्षम है।

(5) जी हां।

(6) दो बैठकें, क्रमशः 30-11-75 व 29-11-77 को हुई।

कामां क्षेत्र की सहकारी समितियों की जांच

45. श्री मोहम्मद जहूर (कामां) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार को कामां क्षेत्र की सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार और घोटालों की जांच हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो जांच कार्य कब से और किस अधिकारी द्वारा प्रारम्भ कराया जायेगा?

(2) वर्ष 1974-75 व 1975-76 में कितने वारण्ट जारी किये गये और धारा 74 के तहत कितने लोगों पर इन वारण्टों की तामील की गई? शेष बचे लोगों पर इन वारण्टों की तामील क्यों नहीं कराई गई? तामील न कराने के लिए कौन अधिकारी दोषी है?

उत्तर

(1) जी हां, शिकायतों के पत्र प्राप्त होते ही जांच आदेश कर दिये गये हैं तथा इनमें से कुछ मामलों की जांच पूर्ण की जा चुकी है तथा इन मामलों में नियमानुसार कार्यवाही जारी है।

(2) राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध वारण्ट जारी किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः वारण्टों की तामील कराने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र की सहकारी समितियां

46. श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में इस समय कितनी सहकारी समितियां कार्यरत हैं?

(2) इन समितियों द्वारा 1976-77 व 15 फरवरी, 1978 तक किन-किन व्यक्तियों को कितना ऋण वितरित किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) 39 सहकारी समितियां हैं।

(2) चाहे अनुसार सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

पंचायत समिति, थानागाजी को नई डीजल जीप खरीदने की स्वीकृति

47. श्री शिवनारायण (थानागाजी) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार जिन पंचायत समितियों

(श्री शिवनारायण)
की जीपों की हालत बिलकुल बेकार है, उनको नई डीजल जीप खरीदने की स्वीकृति देने की स्थिति में है? यदि हां, तो पंचायत समिति, थानागाजी को क्या यह स्वीकृति मिल सकती है।

उत्तर

जिन पंचायत समितियों की जीपों की हालत बिलकुल खराब हो गई है और जो एक लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी हैं, उन पंचायत समितियों को उनकी निजी आय से नई डीजल की जीप खरीदने की स्वीकृति दी जा सकती है बशर्ते कि उन पंचायत समितियों की निजी आय के मद में कर की राशि के अतिरिक्त 1,10,000) रुपये से अधिक राशि उपलब्ध हो। पंचायत समिति, थानागाजी को भी उपरोक्त शर्तों की पूर्ति होने पर नई जीप खरीदने की स्वीकृति दी जा सकती है।

पंचायत समिति, इटावा में किये गये विकास कार्य

48. श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, इटावा की तलाव इटावा, खातौली, मोहनपुरा, लुहावद, मियाना, सुमेरगंज मंडी ग्राम पंचायतों में 1960 से कौन-कौन से विकास कार्य हुए तथा उन पर कितनी राशि खर्च हुई? उन कार्यों पर पंचायत समिति द्वारा कितनी राशि प्रदान की गई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) पंचायत समिति, इटावा द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु दी गई तकावी की रकम किन-किन तथा कहां के व्यक्तियों में कितनी-कितनी बकाया है? प्रत्येक व्यक्तिवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) राज्य सरकार इस रकम को वसूल करने हेतु क्या प्रयत्न कर रही है एवं अब तक क्या प्रयत्न हुए हैं?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 256 एवं 257 के प्रावधानों के अनुसार तकावी ऋण की बकाया राशि को वसूल करने के लिए आदेश पहले से ही दिये हुए हैं, जिसके अनुसार वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

झुन्झुनूं और सीकर जिले की खानों के पट्टे

49. श्री माला राम (खेतड़ी) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

झुंझुनूं और सीकर जिलों में कौन कौन सी पत्थरों की खाने हैं? इन खानों को किस-किस नाम से व कितने समय के लिये पट्टे दिये हैं? उन पट्टों की दरें क्या हैं और राज्य सरकार को इनसे कितनी आय होती है?

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

Page No 31

(31)

कृषि पैदावार के वर्तमान बाजार भाव

50. श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1977 के अन्त में राज्य की प्रत्येक जिले की प्रमुख अनाज मंडियों में कृषि उत्पादन अनाजों, तिलहन व दालों के बाजार भाव क्या-क्या थे एवं वर्ष 1978 की 15 फरवरी को इन उत्पादनों के बाजार भाव प्रत्येक जिले की प्रमुख मंडियों में क्या थे तथा कितना-कितना स्टाक 31-12-77 व 15-2-78 को इन उत्पादनों का इन मंडियों में सरकारी गोदामों के अलावा था ?

(2) क्या यह सही है कि कृषि पैदावार के वर्तमान बाजार भाव उत्पादन खर्च से कम हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार काश्तकारों को उचित दर देने का क्या प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(1) अनाजों, तिलहनों एवं दालों के वर्ष 1977 के अन्त में एवं 15-2-78 को राज्य की प्रमुख मण्डियों के बाजार भाव की तालिका सदन की मेज पर रख दी गयी है (तालिका 'क') इन्हीं मण्डियों में दिनांक 30-12-77 व 17-2-78 के स्टाक की तालिका सदन की मेज पर रख दी गयी है (तालिका 'ख')

(2) जी नहीं ।

(तालिका विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

अजमेर जिले की दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति

52. श्री करतारसिंह (किशनगढ़) : क्या दुग्ध विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले में अनेकों दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां कार्यरत हैं? ये समितियां पशुपालकों से दुग्ध एकत्रित कर प्रतिदिन अजमेर डेयरी को भेजती हैं ?

(2) क्या यह सही है कि ये सहकारी समितियां अपने यहां प्रति दुग्ध विक्रेता के दूध का नाप व फैट आदि का ब्यौरा अपने पास रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि इन सहकारी समितियों द्वारा इकट्ठा किया हुआ दूध अजमेर डेयरी द्वारा नियुक्त ट्रान्सपोर्ट कान्ट्रेक्टर द्वारा अपने निजी वाहनों में अजमेर डेयरी के दुग्ध संग्रहालय पर पहुंचाया जाता है ?

(4) क्या यह भी सही है कि दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा प्रति दिन भेजे जाने वाले दूध व उसकी जनरल फैट आदि का ब्यौरा प्रतिदिन दुग्ध संग्रहकर्ता वाहन के साथ डेयरी कार्यालय भेजता है ?

(5) क्या यह भी सही है कि दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति द्वारा प्रति दिन भेजे गए दूध की मात्रा व फैट आदि तथा अजमेर डेयरी द्वारा प्रतिदिन के भुगतान बिलों में दुग्ध मात्रा व फैट आदि में काफी अन्तर आता रहा है जिससे दुग्ध उत्पादक समितियों को काफी हानि उठानी पड़ रही है ?

(6) क्या यह भी सही है कि समय-समय पर दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा अजमेर डेयरी के अधिकारियों को इस बारे में शिकायतें की जाती रही हैं ? यदि हां,

(श्री करतारसिंह)
तो इन डेयरी अधिकारियों ने आज तक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को इस विभागीय अकर्मण्यता एवं लापरवाही के कारण होने वाली हानि के प्रति क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या राज्य सरकार दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को होने वाली निरन्तर हानि को रोकने हेतु कोई कारगर कदम उठाने जा रही है? यदि हां, तो वह कौन-कौन-से कदम हैं तथा कब तक उठाये जावेंगे ?

(8) क्या राज्य सरकार शीघ्र जांच करा कर इन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई लापरवाही व अकर्मण्यता के फलस्वरूप हुई हानि की क्षतिपूर्ति करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां ।

(4) दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को भेजे गये दूध को केन्स की संख्या एवं केन्स का नम्बर, जो केन्स पर अंकित रहता है, लिखकर भेजती हैं । फैट का ब्यौरा नहीं भेजती है ।

(5) जी नहीं । समिति द्वारा भेजे गये दूध की मात्रा व फैट अधिकतर सही उतरता है इसलिए काफी हानि का प्रश्न नहीं उठता,

(6) जी हां । शिकायत आने पर जांच की गई है । शिकायत सही पाने पर रकम गलती करने वालों से वसूल कर सम्बन्धित समिति के खाते में जमा करा दी जाती है ।

(7) दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को हानि नहीं है । सन् 1975-76 में कुल 122 सहकारी समितियों में से केवल 8 समितियों को हानि हुई जो कि फैट में अन्तर के कारण से न होकर अन्य कारणों से हुई । वर्ष 76-77 का अभी तक 54 समितियों का आडिट हो चुका है जिनमें से 13 समितियां हानि में हैं ।

(8) दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से शिकायत प्राप्त होने पर संघ के अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है एवं भुगतान दिलवाया जाता है ।

नवलगढ़ का गलीचा उद्योग

54. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में कहां-कहां गलीचा उद्योग चल रहा है और उनमें कुल कितने व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) नवलगढ़ गलीचा उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र में कितने व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं तथा कितने वर्तमान में कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) क्या यह सही है कि नवलगढ़ केन्द्र में प्रशिक्षित व्यक्ति बेरोजगार हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार इन प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

(4) क्या यह भी सही है कि कुछ पार्टियां गलीचा उद्योग नवलगढ़ में लगाना

(श्री नवरंगसिह)
चाहती हैं परन्तु विभाग द्वारा सुविधायें न दिये जाने के कारण कठिनाइयां महसूस कर रही हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान में जयपुर, बीकानेर, टोंक, ब्यावर, सीकर, भीलवाड़ा, जोधपुर एवं बाड़मेर में गलीचा उद्योग की 36 इकाइयां पंजीकृत हैं। राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा राज्य में विभिन्न स्थानों पर गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं। इन केन्द्रों में 950 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। सूची संलग्न है।

(2) जब से नवलगढ़ गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र शुरू हुआ है अभी तक 24 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके हैं तथा वर्तमान में 50 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(3) प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद किसी भी प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति ने गलीचा उद्योग लगाने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किया। उद्योग विभाग द्वारा उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराकर, उद्योग लगाने हेतु प्रेरित करता है।

(4) जी नहीं। नवलगढ़ में गलीचा उद्योग लगाने के संबंध में विभाग में अभी तक किसी भी उद्यमी ने पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है एवं न ही कोई प्रतिवेदन ही आया है कि उन्हें उद्योग लगाने में कठिनाई हो रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा 1974-75 में सामान की खरीद

55. श्री माधोसिह कछवाह (सरदारपुरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा वर्ष 74-75 में कुल कितना सामान क्रय किया गया जिसमें से जोधपुर संभाग से कितना और जयपुर संभाग से कितना किया ?

उत्तर

राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा वर्ष 74-75 में कुल क्रय	जोधपुर संभाग से क्रय	जयपुर संभाग से क्रय
73,67,635.19	1,90,540.33	37,26,120.67

राज्य के उद्योग

56. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में 31-12-76 तक कितने उद्योग चालू थे तथा उसके बाद एक वर्ष की अवधि में कितने उद्योग स्थापित हुये तथा नये उद्योग हेतु लाइसेंस जारी किये गये ?

(2) राज्य में पिछले वर्ष 1977 में कितने जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले घोषित किया गया ? उसके तहत कितने उद्योग उन जिलों में स्थापित हुए ? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) राज्य में वर्ष 1978-79 में कितने उद्योग स्थापित करने की योजना

(श्री रामनारायण चौधरी)
राज्य सरकार की है तथा वह किन-किन जिलों में है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) राज्य में कितने सीमेंट के उद्योग स्थापित किये जाने वाले हैं तथा मावन्डा में (नीमकाथाना में) जो सीमेंट का कारखाना बिड़ला ग्रुप लगा रहा था उसकी क्या स्थिति है? उसकी कब तक लग जाने की उम्मीद है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में दिनांक 31-12-76 तक कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 3,812 उद्योग पंजीकृत थे। वर्ष 1977 की अवधि में 994 और उद्योगों का पंजीयन किया गया।

इसी अवधि में 21,716 लघु उद्योग चालू थे तथा वर्ष 1977 की अवधि में 2,585 उद्योग स्थापित हुए।

वर्ष 1977 के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य में 17 औद्योगिक अनुज्ञप्ति तथा 15 आशय पत्र जारी किये गये। इसके अतिरिक्त वस्त्रायुक्त द्वारा 2 परमिट काटन यार्न तथा 21 परमिट ऊनी धागे के निर्माण के लिए भी जारी किए गये। सूची संलग्न है।

(2) राज्य में वर्ष 1977 में भारत सरकार योजना आयोग द्वारा कोई जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित नहीं किया गया। परन्तु वर्ष 1977 में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा 16 पिछड़े जिलों में से 15 प्रतिशत अनुदान केन्द्रीय अनुदान हेतु चयनित 6 पिछड़े जिलों के अतिरिक्त शेष 10 जिलों में लघु उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को भी राज्य कोष से स्थाई पूंजी नियोजन पर 15 प्रतिशत अनुदान दिए जाने की घोषणा की गई। सूची संलग्न है।

(3) वर्ष 1978-79 में राज्य में कम से कम 3,850 लघु उद्योगों को स्थापित कराये जाने का लक्ष्य है। जिलेवार सूची संलग्न है। वृहत् उद्योगों की स्थापना के लिये वर्ष 1977 तक भारत सरकार को राज्य सरकार द्वारा काटन यार्न के 13, ऊनी धागे के 70 तथा अन्य उत्पादनों के निर्माण के 18 प्रार्थना-पत्रों पर सिफारिश की गई है, जो अभी तक भारत सरकार के विचाराधीन है।

(4) राज्य में सीमेन्ट उद्योग लगाने हेतु जिन उद्यमियों के आवेदन-पत्र भारत सरकार को सिफारिश कर भिजवाए गये हैं उनकी सूची संलग्न है। मैसर्स मंगलम् सीमेन्ट कोटा जिले के मोडक स्थान पर सीमेन्ट उद्योग लगाने हेतु 28-2-78 को औद्योगिक अनुज्ञप्ति जारी की गई है जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 4 लाख टन होगी।

नीमकाथाना में मावन्डा स्थान पर बिड़ला ग्रुप द्वारा लगाये जाने वाले सीमेन्ट का कारखाना अब मंगलम सीमेन्ट के नाम से कोटा जिले में मोडक स्थान पर लगाया जा रहा है। इस हेतु भारत सरकार द्वारा औद्योगिक अनुज्ञप्ति जारी कर दी गई है।

कम्पनी ने रेल्वे क्लियरेन्स न मिलने के कारण नीमकाथाना के बजाय मोडक में लगाने का निर्णय किया था। साथ ही अन्य ऐसे कारण उत्पन्न कर दिये गये थे जिनसे वह कारखाना वहां नहीं लग सका। उनमें मुख्य यह है कि स्थानीय संसद सदस्य अपनी लाइम स्टोन की मोनोपोली नहीं छोड़ना चाहते थे और भूतपूर्व सरकार से पाटन

(उद्योग मंत्री)
(जयपुर) से पूर्व के राज्य की लीज कानून के विरुद्ध ले ली तथा मावन्डा में भी लीज बढ़वा ली। इनके संबंध में समुचित कार्यवाही भी की जा रही है। राजस्थान विधान सभा के 56 विधायकों ने एक ज्ञापन मुख्य मंत्रीजी को भी दिया था उस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

जालौर जिले के उद्योग

57. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर औद्योगिक दृष्टि से अभी तक सबसे पिछड़ा रह गया है? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं? क्या राज्य सरकार द्वारा उक्त जिला पिछड़ा घोषित किया गया है? अगर हां, तो कब एवं उससे कहां-कहां पर क्या लाभ पहुंचाए गए हैं जिससे उद्योग विकसित हो सके? अगर नहीं, तो क्यों? अब भविष्य में इस बारे में राज्य सरकार द्वारा कब तक क्या किया जावेगा?

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा बड़े उद्योग, मध्यम उद्योग एवं कुटीर उद्योग (ग्रामीण क्षेत्रों में) लगाने की दृष्टि से पूरे जिले का सर्वेक्षण कर दिया गया है? अगर हां, तो कब? अगर नहीं, तो क्यों?

(3) जिला जालौर में पूर्ण सर्वेक्षण के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक दृष्टि से कहां-कहां पर कब तक क्या-क्या कदम उठाए जावेंगे?

(4) क्या यह सही है कि उक्त जिले में जालौर में कुछ उद्योग लगाने के लिए कुछ जमीन रिजर्व की जाकर कुछ लोगों को आवंटित की थी? अगर हां, तो कुल कितने लोगों को कितनी-कितनी जमीन किस-किस उद्योग के लिए कब-कब आवंटित की गई थी? सूची मय नामों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह भी सही है कि अब मौके पर वहां पर कोई उद्योग का विकास नहीं हुआ है? अगर हां, तो क्यों? अब उद्योग लगाने हेतु आवंटित की हुई जमीन का क्या उपयोग किया जा रहा है?

(6) क्या अब राज्य सरकार इन उद्योगों को पुनः विकसित कराने का प्रयत्न करेगी? अगर हां, तो इस विषय में कब तक क्या-क्या कदम उठाए जावेंगे?

(7) क्या राज्य सरकार जो व्यक्ति वांछित उद्योग नहीं लगाते उनकी जमीन वापस लेकर अन्य उद्योगों के विकास हेतु उपलब्ध कराना उचित समझेगी? अगर हां, तो कब तक एवं ऐसी कितनी जमीन कितने लोगों को उपलब्ध हो सकेगी एवं उनका कब्जा वापस कब तक लिया जावेगा? अगर नहीं, तो क्यों?

(8) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार औद्योगिक बस्तियां बसाने हेतु सांचौर, भीनमाल एवं आहोर नगर क्षेत्रों में भूमि को रिजर्व करना उचित समझेगी? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा? अगर नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में घोषित 16 पिछड़े

Page No 36

(36)

(उद्योग मंत्री)

जिलों में जालौर जिला भी है। स्थानीय उद्यमियों द्वारा उद्योग स्थापित करने में रुचि कम रखने के कारण एवं आवागमन के साधनों के अभाव में जिला का औद्योगिक विकास नहीं हुआ है। जालौर जिला जून, 1970 मे पिछड़ा घोषित किया गया है। उद्योगों के विकास के लिए इस जिले में नये लघु उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को दिनांक 6-9-77 से स्थायी पूंजी निवोजन पर 15 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है। योग्य इकाई को उक्त अनुदान दिलाये जाने हेतु आवेदन-पत्र तैयार करवाये जा रहे हैं। जिले में जालौर के 24, किशनगढ़ के 10 एवं बागरा के 18 उद्यमियों से प्रत्येक से 500) रु. प्राप्त कर उनके आवेदन-पत्र इन स्थानों पर लघु औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने हेतु राजस्थान स्टेट औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम को भेजे गये हैं। इसके कार्य के लिए 53 बीघा 3 बिस्वा भूमि भी निगम के पास उपलब्ध है। इसके अलावा सांचौर, जालौर व रानीवाड़ा में भी औद्योगिक क्षेत्र कायम करने की कार्यवाही की जा रही है। पिछड़े जिले घोषित होने के बाद वर्ष 1973-74 से जिले में जिला उद्योग अधिकारी का कार्यालय स्थापित किया गया। डिफ्रेन्सियल रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट योजना के तहत वर्ष 1976-77 में 88 एवं वर्ष 1977-78 में 81 कामगरों व शिल्पियों को क्रमशः रुपये 52,700) एवं 56,000) रु. ऋण विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से स्वीकृत कराया गया।

(2) जिले में लघु उद्योगों के स्थापित करने हेतु औद्योगिक सर्वेक्षण, भारत सरकार के लघु उद्योग सेवा संस्थान, जयपुर द्वारा वर्ष 1975 में किया जा चुका है।

(3) सर्वेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर जिले में औद्योगिक विकास हेतु जालौर, किशनगढ़ एवं बागरा कस्बों में शीघ्र ही मिनी इण्डस्ट्रियल एरिया का विकास राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम, द्वारा किये जाने की योजना है ताकि उद्यमी संभावित उद्योग स्थापित कर सकें। भीनमाल, सांचौर, रानीवाड़ा एवं आहोर में भी उद्यमियों को उद्योग हेतु जमीन उपलब्ध कराने के लिये औद्योगिक क्षेत्र घोषित एवं विकसित किये जाने के प्रयास जारी हैं। पांच या पांच से अधिक उद्यमियों द्वारा उक्त जगहों पर उद्योग लगाने के लिए तैयार होने पर मिनी औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की दिशा में कदम उठाये जायेंगे।

(4) जी हां। उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु भूमि का आवंटन नगरपालिका क्षेत्र में नगरपालिका जालौर द्वारा दिनांक 3-2-58 के प्रस्ताव से नीति निर्धारित कर लिया गया था। प्रत्येक आवंटित उद्यमियों के नाम प्लाट के साइज व आवंटित प्लाट की वर्तमान स्थिति की सूची संलग्न है।

(5) जी नहीं। वर्तमान में दो प्लाटों पर सूती व ऊनी साड़ी का एक उद्योग चल रहा है। पांच प्लाटों पर तीन उद्योग पहले स्थापित हुए थे जो अब बन्द हैं और उनके भवन राजकीय कार्यालयों के लिए किराये पर हैं। शेष प्लाटों में से चार प्लाटों पर केवल बाउन्ड्री वाल बनी हुई है। पांच प्लाट खाली पड़े हुए हैं।

(6) उद्यमियों को उद्योग स्थापित एवं पुनः जीवित करने हेतु विभाग अपने योग्य अधिकारियों द्वारा उन्हें प्रेरित करने के प्रयास करता रहा है एवं उद्यमी विभिन्न सुविधाएं

(उद्योग मंत्री)
एवं सहायता द्वारा संभावित उद्योगों में से चयन कर उद्योग लगा सकते है ।

(7) जी हां । जिन उद्यमियों द्वारा आवंटित प्लाटों पर उद्योग स्थापित नहीं किये गये हैं, उनके आवंटित प्लाटों को निरस्त करने की कार्यवाही नगरपालिका, जालौर द्वारा की जा रही है ।

(8) सांचोर, भीनमाल एवं जालौर ग्रामों में मिनी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हेतु उद्यमियों को प्रेरित किया जा रहा है तथा 5 व 5 से अधिक स्थानों पर उद्योग लगाने हेतु तैयार होने पर इन स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि आरक्षित करने व क्षेत्र का विकास करने का कार्य राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम द्वारा किया जा सकता है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें ।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था ।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:--

(1) सर्व श्री नूरा, रामरघुनाथ, दुलाराम व रघुनाथ विश्नोई, सदस्य विधान सभा की ओर से ब्यावर में गत 14 मार्च को एक सिनेमा के कर्मचारियों व छात्रों के बीच मार-पीट की दुर्घटना के विषय में,

(2) श्री मूलचन्द डागा, सदस्य विधान सभा की ओर से रतनगढ़ स्थित कृषि फार्म को बन्द कर देने की राज्य सरकार द्वारा की गई कथित सिफारिश के विषय में,

(3) श्री खेतसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से जोधपुर शहर तथा जोधपुर पूर्ण संभाग में बिजली की कटौती के फलस्वरूप खेती को नुकसान होने के विषय में,

(4) श्री मदनसिंह दांता, सदस्य विधान सभा की ओर से शिक्षा विभाग, बीकानेर द्वारा हितकारी निधि में से बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ एक लाख रुपये की राशि दी जाने के विषय में ।

इन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है । जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा ।

(5) श्री मोहम्मद जहूर, सदस्य विधान सभा की ओर से कामां तहसील के 40 गांवों में गत 2 व 12 मार्च को हुई ओलावृष्टि के विषय में ।

सदन में इस विषय पर चर्चा हो चुकी है । अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

(6) श्री शंकरलाल, सदस्य विधान सभा की ओर से पाली जिले के गांव कोसेलाव में एक फैक्ट्री मालिक द्वारा एक गरीब परिवार की महिला के साथ बलात्कार के विषय में ।

इस प्रस्ताव को राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है ।

(7) श्री रामकृष्ण दास, सदस्य विधान सभा की ओर से कुछ राज्यों के

(श्री अध्यक्ष)
मुख्य मंत्रियों द्वारा राज्यों को अधिक अधिकार देने की मांग के विषय में।

यह विषय अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है। अतः मैं इन दोनों मुद्दों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

मेजर श्री फतहसिंह : श्रीमान्, मेरा और माननीय उगमराजजी मेहता का भी ब्यावर में हुई घटना के संबंध में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था। इसका हमने परसों नोटिस दिया था।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 26 फरवरी, '78 को खेतड़ी में जो घटना घटी थी वह दस बारह साल पहले जो कलकत्ता के अन्दर रविन्द्र सरोवर काण्ड हुआ था उससे भी....

श्री खेतसिंह राठौड़ : घृणित।

श्री रामनारायण चौधरी : घृणित और समाज को लज्जित और कलंकित करने वाली घटना खेतड़ी में घटित हुई। उसके बारे में मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया था और निवेदन किया था कि इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करें और सदन में इस पर चर्चा करने का मौका दें ...

(व्यवधान)

ताकि यह मालूम हो सके कि वास्तविक स्थिति क्या है ....

श्री अध्यक्ष : इस संबंध में पहले चर्चा हो चुकी है। अब मैं दुबारा इस विषय को, चर्चित विषय को इस सदन में लेने में असमर्थ हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, इस पर चर्चा नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : हुई है। मैं यहां पर नहीं था। मेरी अदम मौजूदगी में चर्चा नहीं हुई है। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि इस संबंध में चर्चा हो चुकी है। अब बार-बार एक मुद्दे पर चर्चा सदन में नहीं होनी चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी यह मामला उठाया था और आसन की तरफ से यह व्यवस्था हुई थी....

श्री रामनारायण चौधरी : यह मामूली मामला नहीं है, मान्यवर....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं इस संबंध में चर्चा नहीं होने दूंगा। इस पर पहले चर्चा हो चुकी है।

श्री रामनारायण चौधरी : वहां पर एस.डी.ओ. मौजूद था, सेन्ट्रल रिजर्व फोर्स के लोग मौजूद थे....

श्री सूर्यनारायण चौधरी (विधि मंत्री) : आसन पैरों पर है। आप तो उपाध्यक्ष रह चुके हैं फिर भी आपको ध्यान नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। इस पर चर्चा हो चुकी है....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : इसमें जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्यवाही करें, मान्यवर।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, मैंने यह प्रश्न उठाया था। आसन की तरफ से यह व्यवस्था हुई थी कि सरकार को जानकारी के लिए भेजा गया है। सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जायेगी। इस पर यह हुकुम दिया था कि उत्तर आने पर मुझे चर्चा का अवसर दिया जायेगा। तो, श्रीमान्, उत्तर आया या नहीं ? सरकार की लापरवाही से नहीं आया है या क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : इसी संबंध में मैंने कहा..

श्री मूलचन्द डागा : खेतड़ी में जो घटना हुई है उसके हालात किसी से छुपे हुए नहीं हैं....

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा हो चुकी है। माननीय सदस्य, चर्चा हो चुकी है इस संबंध में। अब मैं फर्दर डिस्कशन नहीं अलाउ कर सकता।

श्री रामनारायण चौधरी : चर्चा नहीं हुई है, मान्यवर।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आप रिकार्ड मंगाइये....

श्री नवरंगसिंह : आसन पैरों पर है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरा निवेदन तो सुनें। इस संबंध में जो कुछ भी मुझे जानकारी आप अपनी ओर से देंगे, मेरे कक्ष में आप मुझे मिलें, मैं आपसे इस संबंध में चर्चा करने के लिए तैयार हूं। जो व्यवस्था दी गई है वह फाइनल है। आगे आपको कुछ कहना है तो मेरे से चेम्बर में मिल कर बात करें।

श्री मूलचन्द डागा : एक बार आसन से व्यवस्था हो जाने के बाद उसकी अनुपालना करने के लिए हम बाध्य हैं। आपने ऐसी आज्ञा दे दी है कि इसकी जानकारी की जाएगी और फिर हमको इत्तला करेंगे। इसकी न तो जानकारी आई है और न ही सरकार की ओर से कोई स्टेटमेन्ट सदन में आया है। इसलिए इस प्रश्न को उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह बहुत बड़ी घटना है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : कोई बड़ी घटना नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, यह बैठे-बैठे ही बोल रहे हैं मंत्री होकर। यह सदन की मर्यादा, नियमों के खिलाफ है।

श्री अध्यक्ष : सरकार से जानकारी इस संबंध में प्राप्त करने के लिए वह भेजा गया है। उस समय आपने दो मिनट की इस संबंध में चर्चा कर ली थी, इसलिए इसी प्रश्न को सदन में बार-बार उठाना उचित नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : यह इम्पार्टेन्ट सवाल है। हमारी बहिन-बेटियों की इज्जत लूट ली गई। लड़कियों का पता नहीं है। ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह इम्पार्टेन्ट सवाल है। इस सब्जेक्ट-मेटर पर डिस्कशन इन दी हाउस एक बार हो सकता है। 'I will not allow it.

श्री राम नारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, खेतड़ी नगर में कुछ असामाजिक और समाज विरोधी तत्वों ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया आसन को सहयोग दें ।

माननीय सदस्य, आप नेता होकर इस तरह से आचरण कर रहे हैं । यह अशोभनीय है ।

श्री रामनारायण चौधरी : एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए । आपको तसल्ली हो जाएगी....

श्री अध्यक्ष : एक मिनट छोड़ कर दस मिनट आपको मेरे कक्ष में दूंगा । पहले आपको मेरी बात माननी होगी । उसके बाद अपन देखेंगे । बात करने के पश्चात् ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है । आसन के प्रति पूर्ण सम्मान रखते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष : वह इस सदन से संबंधित नहीं है ।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : इस सदन की क्या राय है ? सारे राज्य की जनता इस बात को जानने के लिए इच्छुक है । ....

श्री अध्यक्ष : जो प्रस्ताव आसन द्वारा अस्वीकृत हो जाता है उस पर चर्चा सदन में नहीं हो सकती है ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : यह विषय अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है । यह सदन से संबंधित नहीं है । अतएव मैं इस पर चर्चा नहीं होने दूंगा । कृपया आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह परम्परा रही है जो स्थगन प्रस्ताव नामंजूर किया जाता है उस पर संबंधित सदस्य को दो मिनट विचार व्यक्त करने का अवसर आसन की ओर से दिया जाता है । पिछले आठ महीनों से यही देख रहा हूं...

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा प्रिविलेज मोशन था..

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था, उस पर 5 मिनट का समय दिया जाना चाहिए । यह ऐसी घटना है....

(व्यवधान)

मेरा नाम पुकारा गया है । ...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपका नाम नहीं पुकारा गया है ।

मेजर श्री फतेहसिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था ।

श्री नूरा : यह 13 तारीख की घटना है..

श्री रतनलाल वर्मा : व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया एक-एक करके सदस्यगण बोलें ।

श्री नूरा : मेरा सबसे पहले नाम पुकारा गया है....

(व्यवधान)

मैं अपनी बात पहले कहूंगा ।

Page No 41

(५१)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है, सुन लीजिए ।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य नूरा, अगर चाहें तो पांच मिनट. . . . .

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर पूर्व): व्यवस्था का प्रश्न है । अध्यक्ष महोदय, मेजर फतहसिंह और श्री उगमराज मेहता ने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया. . .

श्री अध्यक्ष : मेजर फतहसिंह जी को भी मौका दूंगा ।

श्री कल्याणसिंह सांखला : जिनका प्रस्ताव पहले आया है, उनको मौका पहले मिलना चाहिए ।

श्री नूरा : यह सवाल पहले या बाद का नहीं है । मेरा स्थगन प्रस्ताव आ चुका है । इसमें झगड़ा क्या है ।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें । मेजर फतहसिंह का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, स्थगन प्रस्ताव नहीं है । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में एक ही रोज आ सकता है । एक से अधिक प्रस्ताव ध्यानाकर्षण के रूप में नहीं आ सकते । आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, उसको लूंगा परन्तु आज लेने में विवश हूं ।

मेजर श्री फतहसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा का पालन होगा । लेकिन इसी समस्या के संबंध में हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है । हम सत्ताधारी पक्ष के सदस्य हैं, इसलिए स्थगन प्रस्ताव नहीं दे सकते हैं । परन्तु इस संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हमने पहले दिया है । इसलिए हमको पहले मौका दिया जाना चाहिए । जिन्होंने मेरे से पूर्व सूचना नहीं दी है, उनको पहले बोलने दिया जा रहा है ।

श्री नूरा : मेरा स्थगन प्रस्ताव है । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष कोई बात कहने नहीं देना चाहता है । इसलिए मुझे अपनी बात कहने नहीं दी जा रही है । यह जो स्थगन प्रस्ताव है, इस संबंध में यह अर्ज करना चाहता हूं . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवधान समाप्त करें ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : व्यवस्था का प्रश्न है । आज तक जो परम्परा रही है स्थगन प्रस्तावों के संबंध में, वह यह रही है कि जिन सदस्यों के प्रस्ताव नामन्जूर किए जाते हैं उन को दो मिनट का समय दिया जाता रहा है आसन की ओर से । आज आप इस परम्परा से हट कर अलग से व्यवस्था दे रहे हैं । तो स्थगन प्रस्तावों के संबंध में क्या परम्परा इस हाउस में रहेगी, कृपया आसन की ओर से स्पष्टीकरण करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था यह दे दी है कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न नहीं है ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : इस अवसर पर दो मिनट का समय आसन की ओर से मुझे मिलना चाहिए ताकि मैं अपना व्यू पाइन्ट इस संबंध में सदन के समक्ष रख सकूं ।

श्री अध्यक्ष : मैंने इसको स्वीकार करने

Page No 42

(५२)

(श्री अध्यक्ष)

में असमर्थता प्रकट की है। अब इस पर चर्चा नहीं हो सकती है। सदन की परम्परा का पालन कीजिए। सदन की गरिमा को समझिए। अनुशासन में रहिए।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि 13 तारीख को लड़के सिनेमा गये। सिनेमा मालिक ने थोड़े से टिकट बांटे। बाद में सिनेमा के टिकट ब्लैक में चले गये। उसके बाद उन विद्यार्थियों ने मैनेजर के पास जाकर कहा कि टिकट बंटे नहीं हैं। हमको टिकट दिए जाने चाहिए। इस पर विवाद उठा। कुछ लोग जो शराब पिए हुए थे उन्होंने विद्यार्थियों को घसीट कर बाहर पटक दिया। चार-पांच विद्यार्थियों को बुरी तरह से साइकिलों की चैनों से पीटा। मारपीट होने के बाद विद्यार्थी थाने में गये और वहां पर सारी घटना का विवरण दिया परन्तु उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी और उनको वहां से भगा दिया गया कि तुम भाग जाओ। उनको थाने के बाहर निकाल दिया गया। दूसरे रोज 14 तारीख को विद्यार्थी अपने कालेज में गये, उन्होंने सारी घटना लड़कों को बतायी। इस पर कालेज में हड़ताल हो गई। हड़ताल होने के बाद विद्यार्थी शान्तिपूर्वक जलूस लेकर बाजार से गुजरते हुए सिनेमा पर जाकर मांग कर रहे थे। पुलिस ने वहां पहुंच कर उनको धक्का देना शुरू किया, उन पर लाठी चार्ज किया। उन्होंने एस.डी.ओ. को इसकी सूचना नहीं दी। पुलिस अधिकारी, जो सिनेमाओं में फ्री सिनेमा देखने जाते हैं, सिनेमा मालिकों की हिफाजत के लिए लड़कों पर लाठी चार्ज करते हैं। लड़कों के चोटें लगी हैं। उनको जानवरों की तरह से घेर कर मारा गया। लड़के थाने में गये तो उनको भगा दिया गया। लड़के हास्पिटल में इलाज के लिए गये तो चिकित्सा अधिकारी को कहा गया कि इनको भगाओ नहीं तो लाठी चार्ज करना पड़ेगा। पुलिस के इस अत्याचार के खिलाफ सारे ब्यावर शहर में हड़ताल हुई है। पुलिस टुकड़ियां गश्त लगा रही हैं। आज भी वहां हड़ताल है। इस विषय में सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो और भी स्कूलों में हड़ताल हो सकती है। बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज करना, हास्पिटल में उनका इलाज नहीं करने देना, वह थाने में जायें तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखना, अन्याय है। यह अन्याय पुलिस ने किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उनका डेपूटेशन आया हुआ है। अगर न्याय नहीं मिला तो यह उचित नहीं होगा। इम्तहानों का समय है। उनके भविष्य का सवाल है। सारा ब्यावर बन्द है। इस प्रकार विद्यार्थियों के साथ में घटना घटी। मैं मांग करता हूं, मुख्यमंत्री महोदय स्पेशल आदमी भेजकर इसकी जांच करायें। बच्चों के साथ में अन्याय हुआ है। पुलिस ढूंढ–ढूंढ कर मुकदमे कायम कर रही है। आतंक फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं निवेदन करूंगा कि हड़ताल का विस्तार होने वाला है। ब्यावर में गुस्सा फैलने वाला है यह गुस्सा कारखानों तक नहीं पहुंच जाय इसलिए सरकार स्वयं इस ओर ध्यान दे।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, सरकार यह कहती है कि ब्लैक मार्केट को रोका जाय। इसको रोकने के लिए अगर बच्चे आगे नहीं आयेंगे तो और कौन आयेगा ? इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस पर ध्यान दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले इनको बोल लेने दीजिए।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना): अध्यक्ष महोदय, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जब भी कोई नयी फिल्म सिनेमा में लगती है तो टिकटों का अमूमन ब्लैक होता है। दो दिन पहले ही आपने अखबारों में पढ़ा होगा, ब्लैक करते हुए दो आदमी पकड़े गये। यह ब्लैक पुलिस के सामने होता है। उनका ब्लैक कराने में हाथ होता है। विद्यार्थी जब ब्यावर में सिनेमा गये थे, वहां यह घटना घटी। लड़के पूर्व में हुई घटना के संबंध में शान्तिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने गए थे और वहां सिनेमा वालों और पुलिस वालों की ज्यादती से मिली भगत से उनकी पिटाई हुई। यह बिल्कुल सत्य है कि पुलिस वाले आम तौर से ब्लैक कराते हैं। उसी की वजह से यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। इस पर माननीय सदस्यों ने काफी कह दिया है। सरकार इसकी अविलम्ब जांच कराये। मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपकी जानकारी में तो अवश्य ही आया होगा। इसके बारे में निर्णय करें तथा आज ही वक्तव्य दें तो कृपा होगी। वरना यह घटना रुकने वाली नहीं है। विद्यार्थियों में आक्रोश है। पूरे ब्यावर शहर की जनता में आक्रोश है। इसलिए सरकार इस घटना के बारे में ध्यान दें। सरकार इस घटना को एक साधारण घटना न समझे।

श्री अध्यक्ष : श्री दुलाराम।

श्री दुलाराम (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, ब्यावर में 13-3-78 को रॉयल टाकीज में करीब आठ साढ़े आठ बजे यह घटना घटी। ब्यावर कालेज के लड़के टिकट लेने के लिए खड़े हुए थे। जब और लोगों ने टिकट ले लिया और उनका नम्बर आया तो सिनेमा के कर्मचारी ने टिकट नहीं दिया। उसने कहा कि अगर टिकट लेना है तो ब्लैक में ले लो। एक तरफ तो ब्लैक होता है दूसरी तरफ जनता पार्टी की सरकार घोषणा करती है कि भ्रष्टाचार मिटायेंगे। छात्रों को कन्सेशन मिलता है। छात्रों ने चपरासियों और कर्मचारियों से बात की। उन्होंने उन कर्मचारियों को कहा। इस पर उन्होंने एकदम जो 7-8 आदमी बाहर बैठे थे, उनको बुला-लिया और जमकर उन लड़कों की पिटाई कर दी। इसके साथ-साथ दो-तीन छात्र और भी थे, अध्यक्ष महोदय, उनकी भी पिटाई हुई। वह लोग शराब पिये हुए थे, उन्होंने छात्रों की जमकर पिटाई की और धमकी दी कि अगर आपने हमारे खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो हम ओम पुरोहित को जान से मार देंगे। उसको हम जान से मार देंगे। अध्यक्ष महोदय, यह वह छात्र हैं जिन्होंने भारत अंग्रेजों से आजाद कराया है। सरदार भगतसिंह जैसे शहीद इनमें से पैदा हुए हैं। आजादी के बाद ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : यही छात्र हैं, जिन्होंने आप को यहां बैठाया है।

श्री दुलाराम : यही छात्र हैं, जिन्होंने आप को उधर और हम को इधर बैठा दिया है। छात्रों ने अपनी यूनियन की तरफ से रोष प्रकट करने के लिए जलूस निकाला। उनका जलूस रायल टाकीज सिनेमा पर पहुंचा। वहां आते ही, न किसी मजिस्ट्रेट का आर्डर, न शान्ति भंग होने का अंदेशा, न यह घोषणा करवाई कि तुम यहां प्रवेश नहीं कर सकोगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ऐसा जुल्म तो अंग्रेज भी नहीं करते थे।

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, वहां

(श्री दूलाराम)

पर पुलिस पहुंची और छात्रों की खूब पिटाई की। माननीय अध्यक्ष महोदय, करीब दो ढाई सौ छात्रों को पीटा। किसी के हाथ में लगी, किसी के सिर पर लगी। पिटाई में कई छात्र घायल हो गये। अपने घायल साथियों को लेकर जब छात्र इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में पहुंचे तो वहां के सी. एम. ओ. ने जैसे ही इलाज करना शुरू किया, उनको दवा नहीं मिली वहां पर पुलिस पहुंच गई। उसने वहां जाकर इलाज करने से रोक दिया। वह छात्र जब पुलिस में गये और कहा कि हम को पीट रहे हैं तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी। उनको दवाई नहीं देने दी जो उनको मानवता के नाते मिलनी थी।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कोई ऐसी बात थी तो सरकार ऐसी घोषणा करती, उस बिल्डिंग में प्रवेश करने पर धारा 144 लगा दी। जब सिनेमा के आस-पास 144 धारा नहीं लगाई गई तो छात्रों को क्यों पीटा गया? किस मजिस्ट्रेट के हुक्म से पीटा गया? मान्यवर, यदि मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया है तो वह भी गलत है क्योंकि सिनेमा एक सार्वजनिक स्थान है, वहां पर भीड़ हो सकती है। भीड़ छात्रों की हो नहीं दूसरे जो लोग टिकट लेने वाले हैं, उनकी भी भीड़ हो सकती है। इस तरह से छात्रों को पीटना घोर अन्याय है।

श्री किशनसिंह भाटी : बहुत पिट चुके हो।

श्री दुलाराम : यह जो ज्ञापन है इसकी एक कापी छात्रों ने मुख्यमन्त्रीजी को दी है और एक मेरे पास है। आप कहें तो मैं सदन की मेज पर रख दूं। मेरा निवेदन है कि मुख्यमन्त्रीजी घोषणा करें कि जिस अधिकारी ने ब्यावर में बगैर धारा 144 लगाये और बिना किसी के हुक्म के लाठी चार्ज कराया है उस अधिकारी को निलम्बित किया जायगा। बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के यह हुआ है, वहां पर शान्ति भंग होने का खतरा या अन्देशा नहीं था इसलिए मजिस्ट्रेट को भी निलम्बित करना चाहिए। इसकी जांच के लिए किसी जुडिशियल अधिकारी को, कोई भी रिटायर तो हुए ही होंगे, नियुक्त करना चाहिए। मैं आशा करता हूं मुख्यमन्त्रीजी इसकी घोषणा करेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्यावर कालेज के छात्रों पर हुए लाठी चार्ज के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमन्त्रीजी का ध्यान आपके जरिये आकर्षित करना चाहूंगा। सारे तथ्य आपके सामने आ गये हैं। राज्य सरकार के पास भी जानकारी आ गई होगी। इस तरह से मामूली सी बात को लेकर जबरदस्त लाठी चार्ज करना और लड़कों को दबाने की कोशिश करना .....

श्री खेतसिंह राठौड़ : घोर अन्याय है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह सरकार के लिए एक चुनौती है कि यह मामला आज यहां विधान सभा के अन्दर आया और काफी बहस हुई है। अभी जो अमृत महोत्सव पटना में हुआ वहां क्या हुआ, यह हिन्दुस्तान में एक उदाहरण है। पार्लियामेन्ट में भी यह मसला आया और सब जगह निन्दा की जा रही है।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय सदन में एक महत्वपूर्ण बात कही जा रही है,

(श्री किशनसिंह भाटी)
माननीय सदस्य गम्भीर बात कह रहे हैं और सदन के वरिष्ठ सदस्य हंस रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो इस मामले में फेक्ट्स थे वह सामने आ गये हैं। किसकी गलती से यह मामला बढ़ा? यह लाठी चार्ज बचाया भी जा सकता था। छात्रों ने उग्र रूप कैसे धारण किया? उनको दबाने की कोशिश क्यों की गई? पुलिस ने लाठी चार्ज किया और अब पुलिस यह वर्सन दे रही है कि सैल्फ डिफेन्स में किया। इस तरह से लीपा-पोती करके कहीं मामले को खतम न कर दिया जाय। इस तरह से किया गया तो यह उचित नहीं होगा। इस बारे में न्याय होना चाहिए। ब्यावर जैसे सिटी में इस तरह होना कोई अच्छी बात नहीं है, सारे फेक्ट्स आपके सामने आ गये हैं। ब्यावर के लिए माननीय मेजर साहब भी बहुत चिन्तित हैं। यह मामला बहुत गम्भीर है। इस तरह से पहले जब मुख्यमन्त्रीजी इधर बैठते थे, मुझे याद है, कांग्रेस सरकार, जितने भी इस तरह के मामले होते, उनकी न्यायिक जांच करवाती थी। इस तरह से आप किसानों और छात्रों को दबाओ, यह परिपाटी उचित नहीं है, यह आपके लिए खतरा बन सकती है और जयप्रकाश नारायण ने जो समग्र क्रान्ति का नारा दिया है.....

श्री मूलचन्द डागा : यह क्रान्ति को दबाने की ओर बढ़ रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इससे मालूम होता है कि आपका किसी प्रकार का कन्ट्रोल नहीं है। लड़कों ने कहा है कि समग्र क्रान्ति लायेंगे लेकिन उनकी वाजिब बात को लेकर उन पर लाठी चार्ज किया जाता है, यह क्या बात है। इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए। इसको डिफेन्ड करने की आप कोशिश नहीं करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लड़कों की गलती हो तो सामने आ जायेगी और कर्मचारियों की गलती है तो भी सामने आयेगी। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं गृह मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह एक अच्छी परम्परा डालें और इसकी न्यायिक जांच कराने की मांग मन्जूर करें। यही हमारी मांग है।

मेजर श्री फतहसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की परम्पराओं से बंधा हुआ हूं इसलिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं दे सका और न देना ही चाहता हूं। फिर भी मैं अपने विचार व्यक्त करना पसन्द करूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप दबो मत।

मेजर श्री फतहसिंह : मान्यवर, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक छोटी सी बात ने बड़ा रूप धारण कर लिया। 13 मार्च रात्रि को 5-6 विद्यार्थी रायल टाकीज में सिनेमा देखने गये, वहां क्यू लगाकर खड़े थे। उनको टिकट नहीं मिला और टिकट विण्डो बन्द कर दी गई। विद्यार्थियों ने देखा कि बाहर टिकट ब्लैक में बिक रहे हैं। उन छात्रों ने वहां के मैनेजर से शिकायत की तो प्रबन्धकर्ता ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, गाली-गलोच की। वहां पर गुण्डा तत्व थे, कहते हैं सिनेमा वालों के ही रोजगार में लगाये हुए व्यक्ति थे, जो शराब पिये हुए थे, उन्होंने विद्यार्थियों को पीटा। जब विद्यार्थी रिपोर्ट करने के लिए पुलिस में गये तो उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई बताई। इसके ऊपर विद्यार्थियों में रोष उत्पन्न हुआ, जो स्वाभाविक ही था। विद्यार्थियों ने जाकर अपने

(मेजर श्री फतहसिंह)

साथियों से बात की। दूसरे दिन एक प्रदर्शन के रूप में उस सिनेमा घर पर आये। वहां उन्होंने प्रदर्शन किया। वे प्रदर्शन कर रहे थे कि पुलिस के खिलाफ कार्यवाही करो क्योंकि उन्होंने हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इस पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, कई विद्यार्थी घायल हुए और पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए। विद्यार्थियों का यह कहना है कि पुलिस वालों को जो मेडिकल सर्टिफिकेट दिये गये हैं, वह फर्जी हैं, मतलब गम्भीर चोटें सर्टिफिकेट में बताई गई हैं उतनी नहीं हैं।, विद्यार्थियों को जो चोटें लगीं वह नहीं लिखी गई। श्रीमन्, एक जबरदस्त प्रश्न यह उत्पन्न होता है प्रशासन के संबंध में, इस पर गम्भीरता से विचार किया जाय कि 13 तारीख को विद्यार्थियों को पीटा गया और झगड़ा हुआ। पुलिस का कहना है कि हजार-डेढ़ हजार प्रदर्शनकारी थे। तो उनको आने में समय भी लगा होगा। क्या हमारा प्रशासन और इन्टेलिजेन्स कमजोर था कि उसको कोई पता ही नहीं चला ? यह भी सारी जांच की बात है। जो कुछ उधर के माननीय सदस्यों ने बात कही उसको मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूं। जो होना था वह तो हो गया। लेकिन ऐसी बातें राजस्थान में कहीं और नहीं घटें उसके लिए हमें समय रहते कदम उठाना है। मेरा सुझाव है सरकार इस सारी घटना की उच्च अधिकारी से, जो निष्पक्ष हों सरकार की दृष्टि में, जिसकी ईमानदारी के ऊपर आंख नहीं उठा सकते, जांच करायें।

एक माननीय सदस्य : आप स्वयं कर लें।

मेजर श्री फतहसिंह : जरा मेरी बात सुनियेगा।

दूसरा मेरा सुझाव है, सुझाव क्या, मैं मांग करता हूं कि जब विद्यार्थी कहते हैं कि चोटों के सर्टिफिकेट हमको भी गलत दिये और पुलिस को जो भी सर्टिफिकेट दिये हैं वह सर्टिफिकेट उस इन्जरी के दिये गये हैं जो इन्जरी नहीं थी। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार इन सारी इन्जरीज के सम्बन्ध में एक बार और जांच कराये। मेरा यह भी सुझाव है कि मेडिकल बोर्ड कोन्स्टीट्यूट किया जाय। उसमें हमारे साथी माननीय डाक्टर हरिसिंहजी, जो एक मशहूर डाक्टर रहे हुए हैं, को शामिल किया जाय।

तीसरा सुझाव मैं सरकार को यह देना चाहता हूं और यह समय की मांग है कि जब तक यह रिपोर्ट आपके पास न आ जाय, सरकार के पास न आ जाय, तब तक इस घटना के संबंध में जो मुकद्दमे पुलिस में रजिस्टर हुए हैं, दर्ज हुए हैं उन पर कार्यवाही स्थगित की जाय। अब कौन दोषी था, किसने पहल की, क्यों पहल की, कैसे पहल की, यह सारा मैटर अन्डर इन्क्वायरी है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो मैंने सुझाव दिये हैं उन पर कार्यवाही करें।

आज चारों तरफ से आवाज उठाई गई है कि पुलिस की ज्यादती है, इसलिए मेरा सुझाव है कि जांच करने से पहले वहां के जो संबंधित पुलिस के अधिकारी हैं, और जिन 3-4 पुलिस कान्स्टेबल्स ने मार-पिटाई की है। जो उसमें शामिल बताये जाते हैं उन्हें स्थानान्तरित किया जाय, चाहे थोड़े समय के लिए करें। जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक उन्हें स्टेशन पर न रखा जाय। मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्रीजी और मुख्यमन्त्रीजी इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, कुछ विद्यार्थी पिक्चर देखने गये। टिकट के मामले को लेकर रायल टाकीज में जो गुण्डा तत्व मैनेजमेंट द्वारा रखे हुए हैं उनसे कुछ झगड़ा हुआ। इस प्रकार की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। उस घटना को लेकर विद्यार्थी पुलिस थाने गये। अगर पुलिस वाले रिपोर्ट लिख देते तो मेरे ख्याल से इस प्रकार की घटना नहीं होती और मामला वहीं का वहीं दब जाता। इस कारण दूसरे दिन प्रदर्शन हुआ जिसमें हजारों की तादाद में विद्यार्थी बताये जाते हैं। वह प्रोसेशन लेकर रवाना हुए तो सी. आई. डी. के पास रिपोर्ट होनी चाहिए थी और सी. आई. डी. द्वारा घटना का विवरण जिलाधीश और उच्चाधिकारियों को मिलना चाहिए था। वह विवरण अगर मिल जाता तो यह घटना, मेरे ख्याल में, इतनी बड़ी नहीं होती। मैंने जाकर यह मालूम किया है। जब वह प्रदर्शन कर रहे थे सिनेमा के सामने तो डीवाई. एस. पी. वहां पहुंचे थे और एस. पी. भी शायद आये थे तो वहां पर वातावरण शान्त हो गया था। परन्तु बाद में जब विद्यार्थियों ने मांग की कि यहां के जो पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी उनको हटाया जाय। यदि डीवाई. एस. पी. या एस. पी. उनको आश्वासन दे देते कि हम यहां से उनको हटा देते हैं तो कुछ नहीं होता। लेकिन उन्होंने आश्वासन नहीं दिया। उसके बाद फोर्स मंगाई अजमेर से और फोर्स के आने के बाद लाठी चार्ज हुआ। मुझे खबर मिली है कि विद्यार्थियों का शान्तिपूर्ण प्रदर्शन था। कुछ गुण्डा तत्व उसमें थे, और मेरे ख्याल में जहां तक मुझे खबर मिली है कालेज के विद्यार्थी तो शान्त प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन कांग्रेस (ई) की युवा कांग्रेस .....

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस (ई) क्या, कांग्रेस (आई)।

श्री उगमराज मेहता : के कुछ तत्व वहां घुस गये और उन्होंने कुछ गड़बड़ की। जो कालेज के विद्यार्थी थे वे तो शान्त थे। मुझे जहां तक खबर मिली है वह इस तरह की है....

कई माननीय सदस्य : इसको राजनैतिक मुद्दा न बनायें।

(व्यवधान)

श्री उगमराज मेहता : जो भी तथ्य हैं वह सामने आ जायेंगे कि कौन दोषी हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब कहां की बात है कि किसानों का प्रदर्शन हुआ और प्रोसेशन निकला तो कांग्रेस (आई) आ गई और छात्रों का प्रदर्शन हो तो कांग्रेस (आई) आ जाय। यह कोई समस्या का समाधान नहीं है। यह कहकर आप खुश होना चाहते हों तो वह अलग बात है.....

मेजर श्री फतहसिंह : यह जांच की बात है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मुख्यमंत्रीजी से कहना चाहूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट में ही खतम कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष : और विचार हो जाने दें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आज आपकी पुलिस को भी लोगों को पीटने का चस्का लग

(श्री श्योपतसिंह मकासर)
गया है, मुख्यमंत्रीजी । . यह चस्का पहले भी लगा था तो वह काबू में नहीं रहे थे । किसानों के प्रदर्शन पर आपके गृह मंत्रीजी ने एफ. आई. आर. की तरह जबानी रिपोर्ट बोल दी। जो पुलिस ने कहा वह बता दिया और आपने किसी की बात पर भरोसा नहीं किया । इस सदन के माननीय सदस्यों ने आंखों देखा हाल बताया । आपने जांच की बात छोड़ दी । किसी ने मांग की, उसको इग्नोर कर दिया। आपने एफ. आई. आर. की रिपोर्ट की तरह पुलिस की रिपोर्ट को सही माना । जहां झगड़ा होता है वहां हम जाते हैं । संगरिया में झगड़ा हुआ था वहां हमें बताया कि अशान्ति नहीं की गई लेकिन गोलियों से भूना गया । पुलिस ने बताया कि भीड़ पत्थर लेकर आई । इस तरह की सारी की सारी रिपोर्ट न करें । आपकी पुलिस को भी यह चस्का लग गया तो यह चस्का बड़ा खतरनाक होता है। यह बात क्यों हुई विद्यार्थियों के साथ ? हर सिनेमा में ब्लैक होता है टिकटों का। यहां होता है सिनेमा के टिकट का ब्लैक, स्कूटर का ब्लैक होता है और हर चीज का ब्लैक होता है....

एक माननीय सदस्य : एम.पी. के टिकट का ब्लैक होता है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सब कुछ होता है, तो यह रुकना चाहिये । मेरे कहने का मतलब यह है कि जब इस तरह की घटना हो तो उसको रोका जा सकता था । जब शिकायत लेकर लड़के गये तो पुलिस को कदम उठाना चाहिये था । उसकी शिकायत सुन लेते तो कोई वजह नहीं थी कि यह घटना होती। यह सारी की सारी जिम्मेदारी पुलिस अधिकारियों पर है·······

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री रतनाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सिनेमा के टिकटों का सब जगह ब्लैक होता है। यहां राजमंदिर में मैंने लिया है ब्लैक से टिकट।

श्री नवनीत पालीवाल : ऐसी क्या दिक्कत थी कि ब्लैक से टिकट खरीदना पड़ा।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : ओन ए पाइंट आफ आर्डर, सर ।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, आपकी जनता पार्टी....

श्री अध्यक्ष : There is a point of order.

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, केवल इतना ही निवेदन करूंगा....

श्री अध्यक्ष : कृपया 2 मिनट में ।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, मैं एक मिनट में ही खतम कर देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के लोगों में यह बीमारी हो गई है कि जहां कहीं भी जागृति की बात करते हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज लगाई जाती है तो कहते हैं इंदिरा गांधी आ गई....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप से ज्यादा अन्याय किसी ने नहीं किया ?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में जो कहा जाता है कि इन्दिरा गान्धी (आई) वह

(श्री रामनारायण चौधरी)
यह बात गलत है। इसमें इन्दिरा गांधी आई और गयी का सवाल नहीं है।

(व्यवधान)

वहां पर पुलिस ने लड़कों पर लाठी चार्ज किया है। हमने यह मांग की है कि उस लाठी चार्ज की आप न्यायिक जांच करायें। जहां विद्यार्थियों का मामला हो वहां पर इन्दिरा गांधी आई या गयी की राजनीति घुसेड़ना कहां तक वाजिब है? अध्यक्ष महोदय, मुझे वहां के हजारों स्टूडेन्ट्स ने एक मेमोरेन्डम पर खून से हस्ताक्षर करके दिया है मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस मामले की जुडिशियल इन्क्वायरी किसी निष्पक्ष हाई कोर्ट के जज से करावें। जो मेमोरेन्डम मुझे दिया है वह मैं आपको प्रस्तुत करता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह द्रोपदी के चीर की तरह बढ़ रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। स्थान ग्रहण करें।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मुख्य मंत्रीजी आज ही इस सारे मामले की जुडिशियल इन्क्वायरी करने के लिये इस सदन में आदेश प्रदान करें।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो हर बात में इन्दिरा गांधी आई और गयी की बातें की जाती हैं यह उचित नहीं है, यह तो बच्चों का मामला है। वहां पर बच्चों को पुलिस ने लाठी चार्ज करके मारा है। आज ब्यावर में स्थिति बहुत खराब हो गयी है, बच्चे डर के मारे स्कूल नहीं जा रहे हैं और वहां पर हड़ताल चल रही है। बच्चे इधर-उधर छुपे हुए हैं। इसलिये मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां का जो वातावरण बिगड़ गया है उसको ठीक करायें तथा साथ ही बच्चों में जो पुलिस का भय बना हुआ है उसको मिटाने की व्यवस्था करें। कम से कम वहां पर यह तो

(व्यवधान)

घोषणा करें कि वहां जो पुलिस के कर्मचारी हैं उनको वहां से तब्दील कर दिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। कृपया शान्त रहें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ब्यावर में जो घटना घटी है वह सदन में उठायी गयी है। टिकटों के मामले को लेकर लड़कों पर लाठी चार्ज हुआ है यह बात अभी माननीय सदस्यों ने उठायी है। अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी माननीय सदस्यों ने दी है वही मेरी अभी तक जानकारी में है। अगर मुझे यह पहले जानकारी होती कि इस मामले को इस तरह सदन में उठाया जायेगा तो मैं भी पूरी जानकारी मंगा कर स्टडी करके आता और अपना उत्तर सारी स्थिति का पता लगाकर देता। अभी तो मैं यह कह सकता हूं कि इस मामले की जांच करने के लिये मैं अभी अजमेर जिलाधीश को नियुक्त कर देता हूं उससे सारे मामले की रिपोर्ट शीघ्र मंगा लेता हूं। इसमें जो भी लोग दोषी पाये जायेंगे उनके

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
खिलाफ में कार्यवाही निश्चित रूप से की जायेगी

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : तो पिछली इन्क्वायरीज भी आपने जिलाधीशों को ही क्यों नहीं दीं ? इस इन्क्वायरी को भी हाई कोर्ट के जज से कराइये और वहां जो अधिकारी हैं पुलिस के उन्हें तुरन्त ट्रान्सफर करिये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामनारायण चौधरी : आप इसकी किसी हाई कोर्ट के जज से इन्क्वायरी करावें । जिलाधीश से क्यों जांच कराते हैं ? जो हाई कोर्ट का जज इन्क्वायरी करेगा वह ज्यादा निष्पक्ष होगी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, किसी भी व्यक्ति पर पहले से ही अविश्वास करके चलना उचित नहीं है । आखिर अजमेर का जिलाधीश है वह भी तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है । उसका भी तो पब्लिक में कान्फीडेन्स होता है । मैं तुरन्त ही उनसे जांच रिपोर्ट मंगवा लेता हूं । जो भी दोषी व्यक्ति होंगे उनको बचाने की कोशिश नहीं की जायगी, उन्हें दण्ड दिया जायगा ।

इसके अलावा सदन में कहा गया है कि जनता पार्टी की सरकार लाठी और गोली चलाने के लिये पुलिस को प्रेरित करती है, यह गलत है । हमारी यह नीति नहीं है कि हम पुलिस को लाठी चार्ज के लिये या गोली चलाने के लिये प्रेरित करें । इसमें राजनीति का घुसड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है । मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच करा कर मैं जिलाधीश से तुरन्त मंगा लूंगा । इसमें जो भी व्यक्ति दोषी होगा उस जांच रिपोर्ट के अनुसार उसको दण्ड दिया जायगा । उस जांच रिपोर्ट को मैं सदन में प्रस्तुत कर दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने जो जांच के लिये घोषणा की है उसके लिये तो धन्यवाद है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें । कृपया शान्त रहें ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा जैसा कि माननीय सदस्य श्री फतहसिंहजी ने कहा कि वहां जो अधिकारी हैं उनको ट्रान्सफर कर दिया जाये । एक तो वहां जो पुलिस अधिकारी हैं उनको आप वहां से ट्रान्सफर करें । दूसरे आप किसी हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच क्यों नहीं करवा लेते हैं ?

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, मेरा मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन है कि अगर आप किसी हाई कोर्ट जज से इन्क्वायरी कराने को तैयार नहीं हैं तो फिर किसी दूसरे कलेक्टर से जांच करवा लें । जिस कलेक्टर को हम बतायें उस कलेक्टर से जांच करवा लें ।

(व्यवधान)

S.L.

श्री उगमराज मेहता : अध्यक्ष महोदय, वहां का जिलाधीश जो है वह ईमानदार व्यक्ति है ।

श्री अध्यक्ष : आप सभी लोग बिराजिये। कृपया शान्त रहें । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य ! No more discussion.

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, उन पुलिस वालों का ट्रान्सफर्स किया जाना चाहिये। किसी हाई कोर्ट जज से आप इन्क्वायरी करायें, इस सारे काण्ड की जुडिशियल इन्क्वायरी करायें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें । अगर आप शान्त नहीं रहेंगे तो मुझे मजबूर होकर हाउस को 15 मिनट के लिये एडजोर्न करना पड़ेगा । कृपया शान्त रहें ।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हजारों विद्यार्थियों ने खून से हस्ताक्षर करके भेजे हैं । मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा और आपको भी आग्रह करूंगा कि आप मुख्य मंत्रीजी को इस सारे काण्ड की जुडिशियल इन्क्वायरी कराने के लिये कहें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य, शान्त रहें । माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है । अब आगे चर्चा नहीं होगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपने फर्मा दिया कि चर्चा नहीं होगी । चर्चा तो हम नहीं करेंगे लेकिन मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसकी जांच किसी दूसरे व्यक्ति से करालें ।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने मांग की है कि इस सारे काण्ड की जुडिशियल इन्क्वायरी किसी हाई कोर्ट के जज से करायी जाय । अगर मेरी मांग को मुख्य मंत्रीजी मानने को तैयार नहीं है तो मैं इसके विरोध स्वरूप इस सदन से वाक आउट करता हूं ।

(व्यवधान)

(बहिर्गमन)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आप कलेक्टर से ही क्यों जांच कराते हैं ? आप रेवेन्यू बोर्ड के किसी मेम्बर से ही निष्पक्ष जांच करवा लें । जब कलेक्टर पर हाउस के सदस्य राजी नहीं हो रहे हैं तो आप भी सदस्यों की भावना को देखते हुए कोआपरेट करें । मुख्य मंत्रीजी को क्या तकलीफ है रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर से इसकी जांच कराने में?

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, अगर मुख्य मंत्रीजी इस सारे काण्ड की हाई कोर्ट के जज से इन्क्वायरी कराने को तैयार नहीं हैं और वहां के अधिकारियों को ट्रान्सफर करने को तैयार नहीं हैं तो फिर हम इसके विरोध स्वरूप इस हाउस से वाक आउट करते हैं ।

(व्यवधान)

(बहिर्गमन)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद मुख्य मंत्रीजी की मन्शा किसी हाई कोर्ट के जज से जांच कराने की नहीं है, सिर्फ अपने कलेक्टर से इस सारे काण्ड की जांच करवा कर इस पर लीपा-पोती करना चाहते हैं। पुलिस और कलेक्टर तो दोनों आपस में मिले हुए हैं तो फिर कलेक्टर ऐसी रिपोर्ट दे देगा कि इस सारे काण्ड में कुछ नहीं निकला इसलिये मामले को खतम किया जाय। इसलिये मैं इसके विरोध स्वरूप इस सदन से अपने कांग्रेसी साथियों सहित वाक आउट करता हूं।

(व्यवधान)

(बहिर्गमन)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पधारो।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, इन परिस्थितियों में मुझे भी वाक आउट करना पड़ेगा। हमने भी एक छोटी सी मांग रखी थी। वह कोई बड़ी मांग नहीं थी सिर्फ किसी दूसरे कलेक्टर, जिसको कि हम कहें, से जांच कराने की मांग थी। हम हाई कोर्ट के जज की बात को नहीं कह रहे हैं पर जो भी हम कलेक्टर बतावें उसे आप मान लें। एक दो कलेक्टर अभी भी ऐसे हैं जो निष्पक्ष जांच कर सकते हैं। मैं इन्तजार कर रहा हूं मुख्य मंत्रीजी के जवाब का।

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा प्रिविलेज मोशन है।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके विरोध स्वरूप सदन से वाक आउट करता हूं।

(व्यवधान)

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : वह तो चाहते हैं चीफ मिनिस्टर से रिप्लाई और वह रिप्लाई आयेगा या नहीं आयेगा, यह तो आपके विचार के अनुसार जो करना है वह करिये। आपको क्या कहना है?

श्री मदनसिंह दांता : मैंने एक छोटी-सी मांग की थी।

श्री अध्यक्ष : आपने जो मांग करनी थी, माननीय सदस्य, वह कर दी। फिर उसको क्यों दोहराते हैं?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक प्रश्न उठाया था.....

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न माननीय, सदस्य......

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : दिल्ली में कन्वेन्शन होने जा रहा है......

श्री अध्यक्ष : No discussion please.

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : हमेशा परम्परा रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं......

श्री अध्यक्ष : बात करना या डिस्कशन करना, बात तो एक ही है....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं परम्परा की बात कह रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : नियमों के विपरीत बोलने की इजाजत नहीं दे सकता।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं आपकी आज्ञा लेकर ही बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप मेरी आज्ञा की अवहेलना करना चाहें तो आप कर सकते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने एक प्रिविलेज मोशन दिया था.....

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है । पहले मैं खड़ा हुआ हूं । पाइन्ट ऑफ ऑर्डर सर । मेरा यह निवेदन है कि वाक आउट करने की जो पद्धति है उसके साथ ही साथ नियमों में यह कहना चाहिए कि उन दिनों का दैनिक भत्ता भी नहीं लें और अनुदान रूप में उन बच्चों को दे दें तो बहुत अच्छी बात होगी । वरना यह वाक आउट तो एक तरह से राजनैतिक बात हो गयी ।

श्री मूलचन्द डागा : This is no point of order.

श्री अध्यक्ष : No point of order. And they are coming back.

श्री शंकरलाल (पाली) : आप प्रिविलेज मोशन लें उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्थगन प्रस्ताव पर जो आपने व्यवस्था दी उसमें मेरे स्थगन प्रस्ताव को सरकार को उत्तर के लिए भेजा है । मैं यही व्यवस्था चाहूंगा कि सरकार का उत्तर कब तक आ जायेगा ? उसके लिए कोई तारीख मुकर्रर कर दी जाये ।

श्री अध्यक्ष : मेरी व्यवस्था ध्यानपूर्वक सुनिये । आपके प्रस्ताव को राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है । सरकार को इस संबंध में कोई उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है । डिस्पोजल के लिये है, आवश्यक कार्यवाही हेतु है ।

श्री शंकरलाल : इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार आवश्यक कार्यवाही करे । पाली जिले के गांव खेड़ा के अन्दर एक गरीब महिला के साथ फैक्ट्री मालिक ने जो बलात्कार किया उस बात को आज 3 महीने हो गए, अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया । वहां के थानेदार को उसी रोज जिस रोज बलात्कार हुआ, रात को इत्तला हो गयी लेकिन थानेदार ने उसका डाक्टरी मुआयना नहीं कराया । फैक्ट्री मालिक ने तीनों जगह डाक्टरों को रिश्वत दे दी, थानेदार को रिश्वत दे दी । 12 तारीख का वाकया था उसके बाद 16 तारीख को पाली जिले में जब एस. पी. के पास शिकायत की तो उसका डाक्टरी मुआयना कराया । वह इतना प्रभावशाली व्यक्ति है कि उसको आज तक गिरफ्तार नहीं किया । हमने मांग की थी कि उसकी जांच किसी निष्पक्ष व्यक्ति से करा दें, जैसे सम्पत रामजी दवे हैं, जो ईमानदारी के लिए मशहूर हैं । मैं निवेदन करूंगा कि सरकार ने भी इस संबंध में कुछ नहीं किया । वह महिला मिट्टी लेने गयी हुई थी जंगल के अन्दर तब उसके साथ में बलात्कार हुआ । इतना ही नहीं जिसने शिकायत की उसको पीटा और इतनी बुरी तरह से पीटा कि अलग मुकदमा उसके लिए दर्ज हुआ । एक तरफ तो औरत के साथ बलात्कार किया और दूसरी तरफ उसको रिपोर्ट जो कराने गया उसको भी पीटा । फिर भी आज दिन तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया । उसने पुलिस को और डाक्टरों को रिश्वत दी है । हमारे राज्य मंत्री विज्ञान मोदी उसी क्षेत्र के हैं, गांव

(श्री शंकरलाल)
गोठड़ा इन्हीं के क्षेत्र में आता है। इनके पास लोग गये। क्या वह इतना प्रभावशाली व्यक्ति है कि वह मोदीजी के पास भी गये तब भी कुछ नहीं हुआ? बड़ा अफसोस होता है कि पुलिस और डाक्टर लोग रिश्वत ले लें और बात को दबा दें। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसकी निष्पक्ष तफतीश ऐसे व्यक्ति से करायें जैसे सम्पतरामजी दवे हैं या और कोई व्यक्ति, जिनको यह व्यक्ति और पुलिस प्रभावित नहीं कर सके। क्यों नहीं उसको गिरफ्तार किया जा रहा है? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करें वरना यह कलंक है पाली के लिए, राज्य मंत्रीजी के लिए और सरकार के लिए भी कि गरीब औरत के साथ बलात्कार हो, उल्टे लोगों को पीटा जाय और पैसे वाले लोग दिन दहाड़े कहते फिरें कि हमारा कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसकी निष्पक्ष जांच हो।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मोदीजी कुछ फर्माना चाहें तो फर्मा दें।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, मैं हमेशा अनुशासन में रहता हूं और अनुशासन में ही बोलता हूं। मैं पांच, सात बार उठ चुका हूं......

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंहजी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जोधपुर सम्भाग में बिजली की कटौती इतनी ज्यादा है कि जिसकी वजह से काफी फ्लक्चुएशन होते हैं और वोल्टेज बहुत ही कम है। सात-सात और आठ-आठ घंटे तक बिजली शहर में नहीं रहती है। गांवों के अन्दर भी मोटरें जलती हैं और किसान परेशान होते हैं। मुझे मालूम है कि आपके राणा प्रताप सागर में कुछ खराबी बताई जाती है और आप बिजली भाखड़ा से ले रहे हैं। जयपुर में बिजली की कोई कमी नहीं है। जोधपुर के अन्दर थोड़ी बहुत कटौती आप कर सकते हैं लेकिन आठ-आठ घंटे तक बिजली नहीं आती है और सवेरे 5 बजे से बिजली बन्द हो जाती है। नलों के अन्दर पानी नहीं आता है बिजली नहीं आने की वजह से क्योंकि वाटर वर्क्स वाले भी यही बात कहते हैं कि हम पानी कहां से दें हमको बिजली ही नहीं मिलती। इस सारी परिस्थिति को देखते हुए हालांकि इस प्रश्न की खास जिम्मेदारी श्री माधोसिंहजी और विद्युत मंत्री की ही है लेकिन मैं जोधपुर का रहने वाला हूं मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मैंने जिन्दगी में बिजली की इतनी परेशानी कभी नहीं देखी जितनी कि इन दिनों देख रहा हूं। इसलिए कृपापूर्वक आप अपने चेयरमैन और इन्जीनियरों के साथ बैठकर ऐसी व्यवस्था कीजिए कि कहीं एडजस्टमेन्ट करके, कुछ कटौती करके और बिजली कम से कम 2 घंटे सवेरे दी जाय और कम से कम 4 घंटे रात को दी जाय ताकि काम चले। रोड लाइटें खतम हो जाती हैं। अभी जो वहां अव्यवस्था है इतनी अव्यवस्था कभी नहीं रही। मैं समझता हूं कि इस मसले को बहुत गम्भीरता से लेंगे और अविलम्ब कार्यवाही करके इस समस्या का समाधान करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, आज से 5 रोज पहले आपकी सेवा में एक विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था। मैं बहुत बड़ी

Page No 55

55

(श्री मूलचन्द डागा)

तारीफ करता हूं राजस्थान पत्रिका की लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान पत्रिका में मर्यादा से आगे बढ़कर लेख छापा है। मैं आपका अमूल्य समय नहीं लेना चाहता। संक्षेप से कहना चाहता हूं सचमुच.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जानते ही हैं, आपका प्रस्ताव मैंने अस्वीकार किया है।

श्री मूलचन्द डागा : आपने मुझे कहा था कि 5 मिनट बोलने का अवसर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप लोक सभा के सदस्य रहे हैं। जो प्रस्ताव अस्वीकार होता है उस पर चर्चा नहीं होती।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, यह बात थी, आपने कहा था। हाउस का सवाल है। आप सुन लीजिये, सुनने के बाद जैसी आप आज्ञा दें वह मैं मानूंगा। मुझे ज्यादा कहना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपने मुझे कहा था कि मेज पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस को कोट करूंगा उस पर भी चर्चा हो गई।

श्री मूलचन्द डागा : कल बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप सदन में चर्चा करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मैं दृढ़ता से कहता हूं कि आपका प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य मैंने नहीं समझा।

श्री मूलचन्द डागा : अगर सुनने के बाद आप निर्णय दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष : Please, स्थान ग्रहण करें।

श्री मूलचन्द डागा : आपने मुझे कहा था।

श्री अध्यक्ष : मैं सुनने के लिये कभी इन्कार नहीं करता।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपके चेम्बर में वापस आकर समझाऊं।

श्री अध्यक्ष : You are welcome to my Chamber any time you like.

श्री मूलचन्द डागा : You had already assured me once, Sir.

श्री अध्यक्ष : You are repeatedly saying the same thing over and over again.

श्री मूलचन्द डागा : Not over and over again. I have already quoted the rules before you and you have been convinced. I once again request you. मैं यह अर्ज करना चाहता हूं मुझे आप आज्ञा दें। आपको सुनने से एतराज नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप चेम्बर में मिल सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आपने कहा मुझे बोलने का मौका देंगे, तब खड़ा हुआ हूं। मुझे आपने कहा था कि 5 मिनट।

श्री अध्यक्ष : नहीं कहा, 5 मिनट आप बोल लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव

श्री मूलचन्द डागा : 5 मिनट बोलने दीजिये ......

श्री अध्यक्ष : Kindly be seated now.

श्री माधोसिंह कछवाह : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री माधोसिंह कछवाह : जब आप पैरों पर खड़े होते हैं तो डागाजी हर वक्त खड़े-खड़े वार्ता करते हैं। आसन का आदर नहीं करते हैं। इस तरह अगर 10-15 सदस्य हो जायें तो सदन की कार्यवाही चल नहीं सकती। इसलिये इनको बाहर निकाला जाये और सदन के अन्दर....

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : यह तो अध्यक्ष महोदय को सोचना है।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने कभी कोई कानून की अवहेलना नहीं की है न करने को तैयार हूं। जैसी आसन आज्ञा देगा, वैसा बोला करूंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : डागाजी के बिना हमारा मन नहीं लगता। मेरा प्रस्ताव है इनको बाहर न निकाला जाये

एक माननीय सदस्य : यह मारवाड़ी डागा है। डागा ऊंट को कहते हैं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

कागज की कमी के कारण छात्र व छात्राओं को कॉपियों की अनुपलब्धि

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशन पोल) : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत कागज की कमी के कारण छात्र छात्राओं को कापियां उपलब्ध कराने में कठिनाइयों की ओर मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री भंवर लाल शर्मा (शिक्षा मंत्री): विद्यार्थियों को सस्ते दामों में पुस्तकें तथा कापियां उपलब्ध कराने के लिये भारत सरकार रियायती मिल रेट पर राज्यों को कागज का निर्धारित कोटा वितरित करती है। इसके वितरण का कार्य प्रत्येक राज्य में भारत सरकार के सुझावों के अनुसार राज्य स्तरीय कागज वितरण समिति करती है। राजस्थान राज्य में भी ऐसी एक समिति गठित है तथा उसके सचिव राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल के सचिव हैं।

यह समिति राजस्थान में प्रत्येक वर्ष शैक्षणिक कार्य के लिये कागज की आवश्यकता का अनुमान लगाकर अपनी मांग भारत सरकार को भेजती है तथा वहां से तिमाही कागज आवंटित होता है। प्रायः यह संभव नहीं होता कि जितनी मांग राज्य स्तरीय समिति करती है उतना ही कागज प्रति वर्ष मिल जाये। अतः इस प्रकार के सस्ते कागज की कमी बनी रहती है। प्रयत्न यह किया जाता है कि जो भी कागज प्राप्त हो उसे पहले पाठ्य पुस्तकों, कापियों तथा परीक्षा की कापियों के लिये प्रमुख रूप से वितरित किया जाये। सामान्य पुस्तकों, विश्वविद्यालय पत्रिकाओं तथा अन्य कार्यों के लिये कागज बचने पर बाद में वितरित किया जाये।

(श्री भंवर लाल शर्मा)

राजस्थान के लिये चालू सत्र 1977-78 (जुलाई, 77 से जून, 78 तक) के लिये 5000 टन की मांग की गई थी किन्तु मार्च, 1978 तक केवल 2550 टन कागज प्राप्त हुआ है। अब तक आशा नहीं है कि हमें अपनी मांग के मुताबिक कागज शेष समय में मिल जाये। भारत सरकार ने अपने पत्र द्वारा यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्यों की मांग के अनुसार उनके पास कागज नहीं है और वे लगभग 25 प्रतिशत कटौती कर रहे हैं किन्तु उन्होंने यह भी लिखा है कि आगामी वर्ष में संभवतः कागज की स्थिति सुधर जाये। राजस्थान में अप्रेल से जून के महीनों में विशेष रूप से कापियों के कागज की मांग अधिक रहती है। यदि हमें 1800 टन कागज मिल गया तो हमारी स्थिति सामान्य हो जायेगी। किन्तु आशा यह है कि 1200 टन के आस-पास कागज मिल जायेगा। अतः कापियों के लिये निश्चित रूप से कुछ कागज की कमी रहेगी। इसके लिये हम निम्नांकित उपाय सोच रहे हैं:—

1. शिक्षा मंत्रालय से और अधिक कागज देने के लिये प्रयत्न किया जायेगा।

2. जिन राज्यों में शिक्षा सत्र जून में ही प्रारंभ हो जाता है, वहां से कापियों का कुछ आयात नियंत्रित मूल्य पर किया जाये।

3. कापियों में 64 पृष्ठ की कापियों को ही प्रमुखता दी जाये तथा प्रेक्टिकल नोट बुक तथा रजिस्टर का उत्पादन बन्द कर दिया जाये।

4. कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों के लिये कापियों का प्रयोग यथासंभव नहीं किया जाये।

संभव है इन उपायों से हमें आशा है कि हम कागज की कमी का किसी सीमा तक सामना कर सकेंगे।

जहां तक चेतक ब्रान्ड कापियों को अधिक मूल्य पर बेचे जाने का प्रश्न है, यह निस्सन्देह अनुचित है। अभ्यास पुस्तिकाएं अनिवार्य वस्तु मूल्य एवं स्टॉक प्रदर्शन आदेश के अन्तर्गत सम्मिलित हैं तथा अधिक मूल्यों पर बेचने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। अभी हाल ही में यह पता चला है कि राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा निर्मित 64 पृष्ठ की कापियों पर नियंत्रित मूल्य 30 पैसे के स्थान पर 35 पैसे छप गया। इस मामले पर जिला रसद अधिकारी द्वारा कानूनी कार्यवाही हेतु जांच की जा रही है। यद्यपि इन कापियों का मूल्य रबड़ सील लगाकर ठीक कर दिया गया है तथा इसकी विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित भी कर दी गई है, किन्तु उपभोक्ता संघ से इस गंभीर त्रुटि के लिये स्पष्टीकरण मांगा गया है तथा ऐसी सभी कापियों पर मूल्य शुद्ध करके विक्रय हो यह उनसे सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है। इस तिमाही में उपभोक्ता संघ को कोई रियायती कागज आवंटित नहीं किया गया है।

यह सूचना राजस्थान पत्रिका के 22 फरवरी के अंक के अन्दर प्रकाशित हुई थी कि कुछ कापियों पर, जो 64 पृष्ठ की हैं, 30 पैसे के स्थान पर 35 पैसे छप गया है। जिस दिन यह सूचना प्रकाशित हुई, अखबार में आया उसके दूसरे दिन अर्थात्

Page No 58

(58)

(श्री भंवर लाल शर्मा)
23 फरवरी को राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ ने एक सूचना प्रकाशित कर दी और यह बताया कि जानकारी में आया है कि संघ की 64 पृष्ठ की कुछ अभ्यास पुस्तिकाओं में पुराने कवर काम में लेते समय निर्धारित मूल्य 35 पैसे के स्थान पर 30 पैसे की मोहर लगने से रह गई है। अतः समस्त सहकारी समितियों एवं व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि संघ द्वारा सप्लाई की गई 64 पृष्ठ की चेतक अभ्यास पुस्तिकाओं पर 35 पैसे के स्थान पर 30 पैसे कर अंकित कर ही बिक्री करें। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यास पुस्तिकायें आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में आती हैं तथा उन्हें निर्धारित मूल्य से अधिक पर बेचना निषिद्ध है। कृपया विद्यार्थी एवं अभिभावक भी इसका ध्यान रखें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया वह जो उनको लिखकर दिया वह पढ़ दिया। मैं यहां पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में छात्रों को वर्तमान में कापियां नहीं मिल रही हैं, यह अभी समस्या है और एक माह पश्चात्, दो माह पश्चात् जब स्कूलें खुलेंगे तो यह समस्या और गंभीर रूप धारण कर लेगी। राजस्थान सरकार ने वर्ष 1977 और 1978 में 50 सौ टन कागज की मांग की। यह कहा कि 43 सौ टन की मांग करनी चाहिये थी। इन्होंने यह कहा कि गत वर्ष के जो कवर थे, वे लगा दिये। आज जब कि बाजार में कागज उपलब्ध नहीं है और छात्रों की समस्या बढ़ रही है मार्केट में कागज कम हो रहा है, प्राइवेट लोगों के पास जो स्टॉक था, वे उसको बढ़े हुवे भाव पर बाजार में बेच रहे हैं। 5) 6. 7) रु. के. जी. कागज बाजार में मिल रहा है जब कि भारत सरकार से यह 3) 26 रु प्रति के. जी. मिलता है, यानी डबल रेट पर कागज वहां मिलता रहा है। जुलाई से लेकर सितम्बर तक हमको 300 टन और सितम्बर से लेकर नवम्बर तक 400 टन कागज आवंटित हुआ। उसमें से केवल 200 टन कागज मिला और 200 टन हमको आज तक उपलब्ध नहीं हुआ तो स्वाभाविक रूप से कागज की कमी होना निश्चित है। फिर जनवरी से वर्ष बदल जाता है, जनवरी से वर्ष बदल गया, वह 1978 का वर्ष होना चाहिये, यह कह देंगे। 750 टन कागज चाहिये जिसमें से 600 टन कागज भारत सरकार से प्राप्त होगा और 150 टन कागज नेशनल टैक्स्ट बुक के देने की बात की है। इस प्रकार 750 टन कागज मिलेगा।

जनवरी से मार्च में कागज की खपत ज्यादा होती है और वे केवल 600 टन में ही राजी हो गये। मांग ज्यादा करनी चाहिये थी। तो मेरा निवेदन करना यह है कि 750 टन अभी मिलना नहीं और मिल वालों ने कापी बनाने के लिये कागज एडवान्स में भेज दिया। अब मेरा कहना यह है कि वह कागज रवाना होगा नहीं और यदि रवाना भी होगा तो यहां पर मिलने में एक महीने का समय लग जायेगा। यहां पर निवेदन करना यह है कि 400 टन जो अक्टूबर से मिलने वाला था आज उसको 6 माह बीत गये, वह मिला नहीं तो फिर 78 वाला कागज हमें कैसे शीघ्र मिल जायेगा? इसकी हमें क्या उम्मीद है वह भी अप्रेल में मिल जायगा? मैं समझता हूं आगामी एक वर्ष में तो मिलेगा नहीं। फिर कापियों का संकट इस राजस्थान में बहुत बड़ा हो जायेगा और छात्रों के सामने समस्या खड़ी हो

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

जायेगी। मैं समझता हूं इसमें कोई गारन्टी नहीं है कि कब कापी बनेंगी और कब वह विक्रेताओं के पास बिकने को आयेगी। फिर जितना कागज आये उसकी कापियां बनें, यह भी निश्चित नहीं है। कागज आ भी गया तो बनाने वाले के पास पड़ा रह जायेगा, कापी भी बना कर दे दी गई तो डीलर के पास रह जायेगी। अब यह कोई पानी जैसा सिस्टम तो है नहीं कि पानी का जहां तक लेवल है वह पहुंच ही जायेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अक्टूबर से दिसम्बर तक, जनवरी से अप्रेल तक और अप्रेल से जुलाई तक तो कोई आपकी व्यवस्था है नहीं। इसलिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिये ताकि आगामी वर्ष में कापियां मिल जायं और जो भारत सरकार से मिलने वाला कागज है, वह मिल जाय। यही मेरा निवेदन है।

दूसरी उपभोक्ता संघ, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की बात है। आज मेरे पास कापी मौजूद है। माननीय मंत्री महोदय ने बताया रबड़ की मोहर लगा दी है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : प्रेस की मोहर है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : और 35 पैसे के स्थान पर 30 पैसे कर दी है...

श्रीमती उजला अरोड़ा : 64 पृष्ठ की कापी पर मूल्य 35 पैसे लिखा हुआ है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : वे आज भी 30 पैसे में नहीं बेच रहे हैं और 35 पैसे में ही बेच रहे हैं जिसके लिये कहा गया कि जिला रसद अधिकारी को कह दिया गया है। यह तो जयपुर में ही दफ्तर है। बच्चे बराबर कापियां खरीद कर ला रहे हैं। उनको शीघ्र ही पाबन्द करना चाहिये, कोई दूसरी जगह तो दफ्तर है नहीं उनका। मैं समझता हूं उनके खिलाफ ठोस कार्यवाही करना जरूरी है। केवल अखबार में निकालने से समस्या का हल नहीं हो जायेगी। इसलिये मैं शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान जुलाई से जो संकट प्रारम्भ होने वाला है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह संकट जयपुर का ही नहीं सारे राजस्थान का संकट होगा। गर्मियों की छुट्टियां बिताकर जब छात्र आयेंगे तो यह समस्या ज्वलन्त रूप धारण कर लेगी। मेरा निवेदन यह है कि यह समस्या निकट भविष्य में ही आने वाली है इसलिये मैंने शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाया है। मैं समझता हूं वे कोई ठोस कदम उठायेंगे और कोई न कोई अपना सुझाव इस समस्या को हल करने के लिये देंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सस्ते मूल्य पर मिलने वाली कापियों की समस्या सारे राजस्थान की है। माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि रजिस्टरों के निर्माण को बन्द कर दिया जायेगा या अन्य बिक्री को बन्द करके केवल 64 पृष्ठ की कापियों को ही प्रमुखता दी जायेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसकी भी सम्भावना नहीं लगती है कि सीजन से पहले यह समस्या हल हो जायेगी। इस समय कापियां बनतीं? वह जुलाई के महीने में बाजार में आ जातीं और जैसे ही स्कूल खुलते बच्चों को उपलब्ध हो जातीं। अभी कोटा मिला मैसूर का वह 400 के बजाय 200 ही रह गया और

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मैसर्स बल्लभनगर का अभी तक डिस्पेच नहीं किया गया। माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर पहले भी दिलाया था, आपके मार्फत अब फिर दिलाया गया है तो मैं समझती हूं सरकार को ध्यान देना चाहिये। जो कापियों की आने वाली समस्या है उससे पहले ही इसे हल करना चाहिये। अभी जो 750 टन का कोटा मिलने वाला है उसमें 200 टन एक मिल है और 100 टन एक मिला है। और 750 टन में से 600 टन तो मिल से मिल जायेगा और बाकी का 150 टन जो शिक्षा विभाग की किताबों का कागज है उसमें से मिल जायेगा। मेरा निवेदन है अगर किताबों का कागज दिया गया तो किताबें कम छपेंगी और एक दूसरी समस्या खड़ी हो जायेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगी, मंत्री महोदय अपने उत्तर में स्पष्ट संकेत दें कि क्या उपाय सोच रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं?

श्री भंवर लाल शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, कागज की कमी की जो समस्या है उसमें कोई विवाद नहीं है। सरकार भी अनुभव करती है कि जितना कागज उपलब्ध होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। माननीय सदस्यों ने इस संबंध में चिन्ता व्यक्त की है। जो उपाय मैंने अपने वक्तव्य में दिए हैं, उसके अतिरिक्त यदि कोई ऐसे उपाय हों जो माननीय सदस्यों के पास हों तो उनका स्वागत है। मुझे लगता है कि जिन्होंने इस समस्या का काफी गहन रूप से अध्ययन किया है निश्चित रूप से उनके पास समाधान के उपाय भी होंगे। जो समाधान मुझे उपलब्ध नहीं हो सके, उनके पास होंगे। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं, सारे साथियों से निवेदन करता हूं, यह कोई विवाद का प्रश्न नहीं है, राजनीति का प्रश्न नहीं है, यह हमारे विद्यार्थियों का प्रश्न है। इस समस्या का समाधान हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। मैं सम्माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि आपने गहन अध्ययन किया है, बहुत सारे उपाय सुझायें हैं, कुछ मन में भी रह गए होंगे, आप मेरे पास आइये, मुझे सहयोग कीजिए, मेरा मार्गदर्शन करिये ताकि हम सब मिल कर इस समस्या का समाधान कर सकें।

दूसरी बात, यह जो आपने कापियां बताई हैं जिन पर अभी भी रबड़ मोहर नहीं लगी हुई है। आपने कहा, किस वजह से नहीं लगी है? यह ठीक है कि कुछ कापियां इस रेट पर बिकी हैं . . .

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह छपा हुआ है, बिकने की बात नहीं है।

श्री भंवर लाल शर्मा : छपी हुई हैं, यह मैंने पहले ही स्वीकार किया है कि छपी हैं। कानून के अन्तर्गत रसद अधिकारी कार्यवाही कर रहे हैं, उनके जिम्मे यह काम दे दिया है। जो समाचार प्रसारित कराया गया उसके पीछे यही बात थी कि कोई आदमी धोखे में नहीं रहे। केवल जनता को जाग्रत करने के लिए यह प्रचार किया है। यही पर्याप्त नहीं है, रसद अधिकारी कार्यवाही कर रहे हैं और कानूनन जो पकड़ में आयेंगे उनको दण्ड मिलेगा। दण्ड दिलाने में भी मैं उनका सहयोग चाहता हूं और यह निवेदन करता हूं कि इस समस्या के समाधान के लिए आप आमंत्रित हैं।

श्री अध्यक्ष : आय-व्ययक, 1978-79।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 21, सड़कें एवं पुल

Page No 61

61

एवं मांग संख्या 23 श्रम व रोजगार की प्रस्तुती

श्री जयनारायण पूनिया (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 21—सड़कें एवं पुल के संबंध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 24,23,46,000) रु. तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहले और डिमाण्ड भी पेश हो जावे।

श्री अध्यक्ष : श्रम मंत्री जी।

श्री केदार नाथ (श्रम मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 23-श्रम और रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,74,56,000) रु. तक की राशि प्रदान की जाय।

मांग संख्या 21 व 23 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर) :

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनी-पार्क, जयपुर) :

1. (नाहरी का नाका, जयपुर में वर्षा से टूटी हुई सड़कों और पुल के निर्माण अभी तक नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी-बाजार, जयपुर) :

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) :

2. (जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों व पुलों के निर्माण की देरी से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये)।

श्री राम करण सिंह (कोटपूतली) :

3. (कल्याणपुरा खुर्द ग्राम को राष्ट्रीय मार्ग से सड़क द्वारा जोड़े जाने बाबत जो कोटपूतली-जयपुर मार्ग पर है, इस पर चर्चा के लिये)।

4. (कोटपूतली तहसील में 1962 से बजट प्रावधान होने पर भी पावटा से कल्याणपुरा कलां और पावटा से नारायणपुरा रोड नहीं बनाई गई, इस पर चर्चा के लिये)।

5. (तहसील-कोटपूतली में-प्रागपुरा, पुतली और पनियाला के पास राज्य मार्ग 8 पर पानी से हर वर्ष होने वाली असुविधा का स्थाई निराकरण पर चर्चा के लिये)।

6. (कोटपूतली-बानसूर के बीच नदी पर पुल बनाने और कोटपूतली-नीमका थाना सड़क की मरम्मत करने बाबत चर्चा के लिये)।

7. (कोटपूतली तहसील के पांच हजार

(श्री राम करण सिंह)
की आबादी वाले ग्राम सुंदरपुरा, गोपाल पुरा, दातलसूवरपुरा, पाछोड़ाला आदि ग्रामों को सड़कों से जोड़ने हेतु चर्चा के लिये)।

8. (हर वर्ष सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त होते हैं मगर विभाग स्थाई समाधान नहीं कर पाता इस पर चर्चा के लिये)।

9. (कोटपूतली तहसील में सड़कों और पुलों पर विभाग का कोई ध्यान नहीं है, इस लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

श्री भूरालाल (गोगुन्दा) :

10. (कारोड़ से भीम, जिला भीलवाड़ा सड़क को कम्पलीट कराने बाबत चर्चा के लिये)।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) :

11. (पंचायत हैडक्वार्टर्स को सड़क मार्ग से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये)।

12. (मकराना क्षेत्र में सड़कों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

13. (मकराना को आसपास के गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) :

14. (उम्मेदपुर, हरजी, भागदर, जावाल सड़क को प्राथमिकता से निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये)।

15. (जालौर जिले में हरजी गांव को जोड़ने के लिए पचानवा पर रपट बनाई जावे, इस पर चर्चा के लिये)।

16. (सिरोही से आबू पर्वत सड़क पूरी की जाय जिससे आबू की दूरी 30 मील कम होती है, इस पर चर्चा के लिये)।

17. (जावाल, लास, मणादर, हरजी तक सड़क पर की सभी पुलियाओं का निर्माण किया जावे इस पर चर्चा के लिये)।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) :

18. (मकराना में पब्लिक क्रासिंग रेल्वेज पुल निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

श्री विजयसिंह नदेरा (बांदीकुई) :

19. (ग्रामों में सड़कों के अभाव आवश्यक पुलों के न होने से होने वाली कठिनाइयों के बाबत चर्चा के लिये)।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

20. (विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

21. (बाण गंगा-बिलाड़ा मुख्य सड़क पर पुल निर्माण नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई के संबंध में चर्चा के लिये)।

22. (जयपुर-जोधपुर मुख्य सड़क को राष्ट्रीय मार्ग घोषित नहीं करने से सड़क की हुई क्षति व दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

23. (डेगाना-भेरुन्दा वाया नीरवड़ी सड़क को डामर करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

24. (डेगाना-हरसोर सड़क को डामर करने हेतु चर्चा के लिये)।

Page No 63

(63)

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

25. (डेगाना-सांजू-तरनाऊ सड़क को डामर करने हेतु चर्चा के लिये)।

26. (डेगाना-भेरुन्दा-थांवला-अजमेर रोड पर बावला के पास पुलिया के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये)।

27. (हरसोर-परबतसर-डामर सड़क के निर्माण के संबंध में व भकरी के पास बांध के बहते पानी पर पुलिया बनाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

28. (डेगाना खाटू सड़क पर डामर करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

29. (रेण-आकेली सड़क को पूरा करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

30. (डेगाना-लाखोलाई सड़क पर तोलानेस के पास पुलिया बनाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

31. (फेमिन में बनाई हुई सड़कों को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री रामदेव चौधरी (मूण्डवा) :

32. (ग्रेवल रोडों पर डामर करवाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

33. (बड़े-बड़े गांवों को आपस में सड़कों से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये)।

34. (मेड़ता-मूंडवा रोड पर डामर करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

35. (भींचोर से बरुंदनी तक पांच माइल की सड़क बनाकर दो जिलों से जोड़ने बाबत चर्चा के लिये)।

36. (तिलिस्मा से तीन माइल तक सड़क बनाकर मध्य प्रदेश से सड़क को जोड़ने हेतु चर्चा के लिये)।

37. (सींगोली से सराणा पलासिया होते हुए मांडलगढ़ तक सड़क बनवाने हेतु चर्चा के लिये)।

38. (मानपुरा से महुआ, श्यामपुरा, जलीन्द्री होते हुए 20 माइल तक सड़क बनवाने हेतु चर्चा के लिये)।

39. (त्रिवेणी बीगोद से जहाजपुर तक वाया मानपुरा, धामनिया, काछोला सड़क बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

40. [बडल्यास (कोटड़ी) से माण्डलगढ़ तक वाया बरुंदनी, सींगोली, धाकड़खेड़ी होती हुई सड़क की चर्चा के लिये]।

41. (आकोला तथा बडल्यास के बीच बनास नदी पर पुलिया बनाकर दो जिलों को जोड़ने हेतु चर्चा के लिये)।

42. (खनवाड़ा और बीगोद के बीच बनास नदी पर पुलिया बनाने की चर्चा के लिये)।

43. (सराणा तथा पलासिया के पास मेनाली नदी पर पुलिया बनाने की चर्चा के लिये)।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :

44. (कोटपूतली तहसील के विकास में विभाग ने पूर्ण उदासीनता दिखाई, इस पर चर्चा के लिये)।

Page No 64

(64)

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

45. (बड़ल्यास से बीगोद तक सड़क वाया सुरास, मेहताजी का खेड़ा तथा खरवाड़ा की सड़क निर्माण हेतु चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

46. (बांडी नदी पर, जिसके किनारे पाली शहर बसा हुआ है, पुल नहीं बनाने के कारण जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इस पर चर्चा के लिये)।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) :

47. (पाली जिले की रायपुर तहसील की रायपुर से जस्सा खेड़ा रोड को सुधारने हेतु चर्चा के लिये)।

48. (भीम से आसीन्द रोड वाया समेलिया को गिट्टी अथवा डामर कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

49. (देवगढ़ से कुआथल मार्ग वाया सवाड़ी, टेंगी, जीरण को पक्की बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

50. (भीम-उदयपुर राष्ट्रीय मार्ग को गांव बरार से टाडगढ़ को मिलाने वाली अप्रोच रोड पर गिट्टी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

51. (गांव भीम से थाना गांव की सड़क को पक्की बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) :

52. (ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कें बनाने एवं शहरी क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

53. (बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में जहां कि प्रति वर्ग किलोमीटर 5 से 27 व्यक्ति बसे हुए हैं पांच हजार की आबादी के गांवों को डामर सड़कों को जोड़ने के राज्य के मापदंड को रिलेक्स कर दो हजार की आबादी के गांवों को डामर सड़कों से जोड़ने के राज्य सरकार द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

54. (मेटल्ड रोड्स पर प्राथमिकता के आधार पर डामर करने हेतु चर्चा के लिये)।

55. (बाड़मेर जिले की जलिया से हरसोली वाया बैसाला और बायतू से कानोड मेटल सड़कों को टार रोड में परिणित करने के विषय पर चर्चा के लिये)।

56. (बाड़मेर जिले की महत्वपूर्ण सड़क जोधपुर से बाड़मेर सड़क पर बालोतरा एवं सिणधरी पर पुलों के निर्माण के कार्य को छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

57. (मिलिटरी द्वारा सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं गंगानगर में एक्सरसाइज करने पर राज्य की सड़कों को तहस-नहस करने और नुकसान पहुंचाने पर राज्य द्वारा केन्द्र के रक्षा विभाग से मुआवजा लेकर सड़कों की मरम्मत एवं सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

58. [निम्न सड़कों को डामर सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये (1) चवा से फलसुन्ड, (2) बाटाडू से कानोड, (3)

Page No 65

(65)

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
भाडरवा से भीमड़ा, (4) बाड़मेर से लवेरा, (5) बाड़मेर से माहबार] ।

श्री भँवरलाल काला बादल (खानपुर) :

59. (सड़क निर्माण के नाम पर धन का दुरुपयोग व अधिकारियों द्वारा निर्माण के नाम पर लूट किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

श्री अजीतसिंह (टोंक) :

60. (अपूर्ण सड़कों को पूरा कराने व मरम्मत कराने पर चर्चा के लिये) ।

61. (जयपुर से भोपाल मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित करवाने संबंधी चर्चा के लिये) ।

62. (सड़कों की उचित देखभाल न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

श्री माधोसिंह (रेवदर) :

63. (सड़कों के लिये निर्माण कार्य में सिरोही जिले की उपेक्षा करने बाबत चर्चा के लिये) ।

64. (सड़कों व पुलों के निर्माण के मामले में सिरोही जिले की उपेक्षा करने बाबत चर्चा के लिये) ।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) :

65. (भीनमाल-पोसाणा मार्ग पर बांडी नदी व जवाई नदी पर पुलों के निर्माण कराने बाबत चर्चा के लिये) ।

66. (जालौर जिले में सड़कों व पुलों के निर्माण कार्य में उदासीनता बरतने बाबत चर्चा के लिये) ।

67. (जालौर जिले में तवाब गांव से पथिड़ी तक सड़क निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

68. (भीनमाल-झाब सड़क का निर्माण कार्य करवाने बाबत चर्चा के लिये) ।

69. (भीनमाल निर्वाचन क्षेत्र में अकाल राहत कार्यों के तहत निर्मित सड़कों का कार्य पूर्ण कराने बाबत चर्चा के लिये) ।

श्री नारायण सिंह (मालपुरा) :

70. (सड़कों और पुलों के निर्माण में भेदभाव बरतने पर चर्चा के लिये) ।

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा) :

71. (गंगानगर जिले की सड़कों की जीर्ण दशा पर तथा गंगानगर जिला सड़कों के लिहाज से उपेक्षित रहा है, इस पर चर्चा के लिये) ।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

72. (अकाल राहत कार्यों के तहत बनी अधूरी सड़कों व पुलियाओं के निर्माण कार्यों को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूरा कराये जाने हेतु चर्चा के लिये) ।

73. (नई सड़कों का निर्माण कराये जाने बाबत चर्चा के लिये) ।

74. (जिला जालौर में सड़कों का अभाव विशेष कर रानीवाड़ा पंचायत समिति व जसवंतपुरा पंचायत समिति में सड़कों का भारी अभाव है, इस पर चर्चा के लिये) ।

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) :

75. (अधूरी पड़ी सड़कों के विषय में एवं पुलों की आवश्यकता के विषय पर चर्चा के लिये) ।

Page No 66

(66)

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

76. (भीलवाड़ा से बड़ल्यास तक वाया सोलंकियों का खेड़ा गेंदलिया में होते हुए सड़क तथा बनास की पुलिया की चर्चा के लिये) ।

77. (मंगरोप से ग्रामां, रेणवास, सूठेका होते हुए बड़ल्यास की सड़क की मरम्मत कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) :

78. (राजस्थान में सड़कों की दुर्दशा व नई सड़कों का निर्माण प्रारम्भ न कराने पर चर्चा के लिये) ।

श्रीमती नारंगीदेवी (किशनगंज) :

79. (ग्रामीण क्षेत्र, किशनगंज में सड़कों एवं पुल का नितान्त अभाव एवं राज्य सरकार से मांगी प्रोजेक्ट एरिया की इन सड़कों पर जल्दी से जल्दी कार्य जनता के हितार्थ प्रारंभ कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

80. (किशनगंज–रामगढ़ सड़क की दयनीय दशा एवं पार्वती पुल निर्माण हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) :

81. (सड़क व पुल निर्माण का काम घटिया स्तर का होने एवं इससे होने वाले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :

82. (जिला जालौर में सड़कों एवं पुलों का निर्माण कराने में सरकार की घोर उपेक्षा पर चर्चा के लिये] ।

83. (जिला जालौर में पंचायत केन्द्रों तक ग्रामीण सड़क निर्माण करने की सरकार की नीति पर चर्चा के लिये) ।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

84. (जहां पहले कच्ची सड़क बनी हुई है उन पर डामर कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

85. (बड़गांव नदी का पुल निर्माण कराने बाबत चर्चा के लिये) ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

86. (जोधपुर-जैसलमेर सड़क पर पुलिया बनाने बाबत चर्चा के लिये) ।

87. (तहसील शेरगढ़ की तमाम सड़कों की आर्मी द्वारा दुर्दशा करने बाबत चर्चा के लिये) ।

श्री समरथलाल (राजगढ़) :

88. (राजगढ़ से भूलेरी-नामडोली वाया पुराना राजगढ़ ठेकड़ी सड़क का निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

89. (अलवर-राजगढ़ सड़कों के बावड़ी ग्राम से बीलेटा वाया वराथी सड़क का निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

90. (राजगढ़ स्टेशन से बालेटा वाया धमरेड़ सड़क को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये)।

91. (झाकड़ा से रेणी कली सड़क को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

92. [भावाड़ी से सालोली सड़क को भूलेरी व जामडोली होकर कीलपुर, खेड़ाव, मिरागपुरा (अलवर) तक बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये] ।

(श्री समरथलाल)

93. (भावाडी से रामपुरा वाली सड़क अकेरी-भूड़ा होकर मंडावर तक बढ़ाने एवं पूरी कराने हेतु चर्चा के लिये)।

94. (राजगढ़ से मंडावर सड़क की मरम्मत करवाने हेतु चर्चा के लिये)।

95. (सुरेर से बसवा वाया झाजूरामपुरा सड़क को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये)।

96. [नीमला, मोतीवाड़ा, राजपुर, एकट सड़क जो मंजूर हुई है उसको दीघोला (अलवर) तक बढ़वाने हेतु चर्चा के लिये]।

97. (अधूरी पड़ी हुई सड़कों को पूरा नहीं करा पाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

98. (झुन्झुनूं से राजगढ़ वाया मलसीसर सड़क को अभी तक पूरा नहीं करवाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

99. (राजगढ़ से मलसीसर तक सड़क की मंजूरी नहीं दिए जाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री करतारसिंह (किशनगढ़) :

100. [किशनगढ़ उप-पथ (राष्ट्रीय मार्ग नं. 8) न बनाये जाने पर चर्चा के लिये]।

101. (किशनगढ़ क्षेत्र में हो रही सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

102. (किशनगढ़ से कुचील सड़क पर रूप नदी पर पुल न बनाने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) :

103. (भीनमाल से पाथेड़ी मार्ग पर डामर करने व नदी पर पुलियाओं का निर्माण कराने बाबत चर्चा के लिये)।

104. (भीनमाल निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम तिलोढ़ा के लिए एप्रोच रोड बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) :

105. (सिरोही-आबू सड़क का निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये)।

106. (आबू सड़क तथा सूंदा-जसवन्तपुरा सड़क के निर्माण के बारे में चर्चा के लिये)।

107. (जालौर के ग्राम हरजी को सड़क से जोड़ने के लिए पचानवा तथा अन्य नालों पर रपट बनाने की चर्चा के लिये)।

108. (भीनमाल से भाव तथा नरसाणा से बाघोड़ा होकर सायला तक सड़क व पुलियाएं बनाने हेतु चर्चा के लिए)।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) :

109. (निवाई निर्वाचन क्षेत्र में नई सड़कों के प्रस्ताव व सर्वे कराने बाबत चर्चा के लिए)।

110. (निवाई से बोंली वाया ललवाडी-नया गांव सड़क के निर्माण कराने के बारे में चर्चा के लिये)।

111. (निवाई से बोंली वाया झिलाप नोहरा-जामडोली सड़क जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में ली गई थी, उसे पूरा कराने हेतु चर्चा के लिए)।

(श्री जयनारायण सालोदिया)

112. (कोयून से लालसोट वाया करेडा-वतवास सड़क की दयनीय दशा के बारे में चर्चा के लिये)।

113. (निवाई निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों व पुलों के अभाव पर चर्चा के लिए)।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :

114. (ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सड़कों का अभाव है, इस पर चर्चा के लिए)।

श्री करतारसिंह (किशनगढ़) :

115. (किशनगढ़ क्षेत्र की सड़कों की दुर्दशा के बारे में चर्चा के लिये)।

116. (ग्रामों को एक दूसरे से तथा राज्य मार्गों से जोड़ने हेतु छोटी-छोटी लिंक रोड न बनाये जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

117. (किशनगढ़ के समीप से गुजरे गये राष्ट्रीय मार्ग नं. 8 के बाई-पास पर शीघ्र रेल्वे क्रासिंग पुल बनाये जाने की चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :

118. (तहसील सांचौर में नई सड़कें बनाने एवं अधूरी सड़कों को पूरा करने एवं सड़कों की मरम्मत कराने की चर्चा के लिये)।

119. (रानीवाड़ा-मन्डार सड़क पर बड़गांव नदी पुल व जेतपुरा नदी पर पुल या रपट बनाने के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

120. (भीलवाड़ा-चित्तौड़ राज्य मार्ग पर पुल निर्माण की धीमी गति से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये)।

121. (भीलवाड़ा नगर के गांधी नगर फुट ब्रिज के निर्माण में उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

122. (5 हजार से कम आबादी के गांवों को सड़क से जोड़ने तथा अप्रोच रोड बनाने के विषय में चर्चा के लिये)।

123. (भीलवाड़ा जिले की सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) :

124. [ग्राम रामसर, वाघसुरी, श्रीनगर, जेठाना, मांगलियावास, लामाना (नसीराबाद क्षेत्र) के आसपास के गांवों को सड़कों द्वारा जोड़ने हेतु चर्चा के लिये]।

श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर पश्चिम) :

125. (अजमेर अन्दर कोट से तारागढ़ तक सड़क पक्की बनाई जावे, इस बाबत चर्चा के लिये)।

126. (अजमेर में गौतमनगर, भगवानगंज, रामगंज के कच्चे नाले को पक्का किया जावे तथा एक पुल भी बनवाया जावे, इस बाबत चर्चा के लिये)।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) :

127. (ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

128. (जिले में डामर की सड़कों की लम्बाई को ध्यान में रखते हुए मेन्टीनेन्स का पैसा आवंटन करने बाबत चर्चा के लिये)।

Page No 69

(69)

श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभनगर) :

129. (मेनार से ईन्टाली तक की सड़क तक का निर्माण एवं पक्की नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

130. (रुण्डेड़ा से ईन्टाली तक की सड़क पूरी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

131. (कारोई से भीम की तथा करेड़ा से देवगढ़ की अपूर्ण सड़कों को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये)।

132. (कारोई-करेड़ा मार्ग पर कोठारी नदी पर खुर्रा बनाने बाबत चर्चा के लिये)।

133. (हर पंचायत केन्द्र को सड़कों से जोड़ने बाबत चर्चा के लिये)।

श्री गंगाराम चौधरी (गुढ़ा मालानी) :

134. (प्रदेश के रेगिस्तानी क्षेत्रों में सड़कें बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जमवारामगढ़) :

135. [निर्वाचन क्षेत्र, जमवारामगढ़ (जयपुर) में अधूरी सड़कों के निर्माण एवं नई सड़क का सर्वे कराने हेतु चर्चा के लिये]।

श्री हरिश शर्मा (रामगंज मण्डी) :

136. (निर्वाचन क्षेत्र, तहसील रामगंज मण्डी एवं लाडपुरा की लगभग टूटी-फूटी 20 सड़कों एवं अनेक अधूरी सड़कों के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) :

137. (अकाल राहत के कार्यों के फलस्वरूप अधूरी पड़ी हुई सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूरा कराये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

138. (भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति के चारभुजा-दीपपुरा घाटे की सड़क को अविलम्ब पूरा कराये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

139. [भैंसरोडगढ़ से सिघोली (केसरपुरा) अन्तर राज्य एवं अन्तर जिला रोड को पूरा कराये जाने हेतु चर्चा के लिये]।

140. (5000 की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने की सरकारी नीति में लचीलापन लाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

141. (उदयपुर जिले की झाड़ोल एवं कोटड़ा तहसील में सड़कों का पूर्णतः अभाव है जिससे वहां के लोग अत्यन्त दुखी हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा) :

142. (राजस्थान में बूंदी जिले की सड़कों एवं पुल आदि की स्वीकृति के संबंध में अवहेलना की गई है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

143. (जिला बूंदी में सड़कों व पुलों के निर्माण की अनिवार्यता वाले क्षेत्रों की विभाग द्वारा उपेक्षा करने पर चर्चा के लिये)।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

144. (धुंधाड़ा से पाली व जालौर जाने के रास्ते में लूणी नदी पर पुल नहीं होने से

(श्री रामसिंह विश्नोई)
आवागमन वर्षा के दिनों में बन्द हो जाता है, इस पर चर्चा के लिये)।

145. (जोधपुर-सरदार समंद सड़क नहीं बनाने से यातायात में होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये)।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा):

146. (जोधपुर में नगर की सड़कों की मरम्मत कार्यों में ढिलाई के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को ध्यान में रखकर इसे शीघ्र पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री बहादुर सिंह (नोहर):

147. (सड़कें एवं पुलों के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा):

148. (सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त अफसरशाही व ठेकेदारी साजिश की चर्चा के लिये)।

149. (पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र की सड़कों एवं पुल के मामले में सरकार द्वारा लगातार उपेक्षा करने की चर्चा के लिये)।

150. (सुसनेर से पिड़ावा एवं पिड़ावा से सोजत सड़क का निर्माण अब तक नहीं कराये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

151. (भिलवाड़ी, हेमड़ा व पोलिया खाल पर पुलिया न बनाने के बाबत चर्चा के लिये)।

152. (सड़क निर्माण में व्याप्त क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त कराने बाबत चर्चा के लिये)।

153. (भवानी मण्डी, पचपहाड़ व डग रोड पर की उपेक्षा एवं मरम्मत के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहर थाना):

154. (मनोहरथाना-अकलेरा मार्ग को सड़कों की स्थिति दयनीय है एवं प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री टीकमचन्द कान्त (जालौर):

155. 1) जालौर केशवणा खेतड़ा बाकरा सड़क, 2) जालौर बाकरा वाया भागली डकातरा सड़क, 3) बागरा सांथू सरत बाकरा रोड सड़क, 4) सायला बाघोड़ा सड़क का निर्माण कराने बाबत चर्चा के लिये)।

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू):

156. [हाड़ोती (कोटा) डिवीजन में सड़कों की दुर्दशा पर विचार करने हेतु चर्चा के लिये]।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनू):

157. (सड़कों एवं पुलों की दयनीय अवस्था पर चर्चा के लिये)।

158. (राजस्थान राज्य राष्ट्रीय औसत से सड़क एवं पुल निर्माण में बहुत पीछे है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री रावतराम आर्य (सुजानगढ़):

159. (चूरू से सरदार शहर सड़क वाया बुदवा-मोठा पर कार्य चालू कराने हेतु चर्चा के लिये)।

160. (रतनगढ़ से सालासर, जि. चूरू

(श्री रावतराम आर्य)

एवं छापर से राजलदेसर सड़क को पूरा करवाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

161. (सुजानगढ़ से लालगढ़, जि. चूरू सड़क को पूरा करवाने हेतु एवं सांडवा से जोली वाया उडवाला-पोरवड़ा-मार्ग पर सड़क का कार्य चालू करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री श्योदत्तसिंह मकासर (हनुमानगढ़) :

162. ठेकेदारी व्यवस्था को खतम कर विभाग द्वारा ही कार्य कराने के बारे में चर्चा के लिये)।

163. (गंगानगर जिले की टूटी-फूटी सड़कों को ठीक करने में प्राथमिकता दी जावे तथा हनुमानगढ़-अबोहर रोड के नाली पुल को बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) :

164. (सवाई माधोपुर जिले में सड़कों की समुचित व्यवस्था एवं पुलों का निर्माण करने में सरकारी लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

165. (प्रत्येक वर्ष होने वाली दुर्घटनाओं को ध्यान में रख कर श्री मन्डावर से केलादेवी सड़क को डबल बनाने की व्यवस्था करने में सरकार की लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

श्री नरपतराम बरवड (सूरसागर) :

166. (सूरसागर क्षेत्र में सड़कें व पुल निर्माण में सरकार की उपेक्षा करने पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) :

167. (लूनी नदी पर बालोतरा में पुल नहीं बनाने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

168. (प्रदेश में ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों को डामर की सड़कों से नहीं जोड़ने संबंधी विषय पर चर्चा के लिये)।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) :

169. (नवलगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में सड़क बनाने व सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति पर चर्चा के लिये)।

170. (नवलगढ़ से सिगनोर, नवलगढ़ से वाया बावासी गुढा मुकुन्दगढ़ से टिटनवाड़ सड़क निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये)।

171. (झुन्झुनूं जिले में नई सड़क बनाने हेतु सर्वे कराने पर चर्चा के लिये)।

172. (झुन्झुनूं में काटली नदी का पुल तैयार कराने हेतु चर्चा के लिये)।

173. (सड़क व पुल निर्माण में होने वाले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री नरेन्द्र पाल सिंह चौधरी (मावली) :

174. [ग्राम ईन्टाली (तहसील मावली) से ताणा तक की सड़क का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये]।

175. (फतेह नगर से ईन्टाली की सड़क की मरम्मत एवं पक्का न करने तथा जोयड़ा बावजी के पुल की मरम्मत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

176. (फतेह नगर से ईन्टाली मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुलों को ठीक न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर):

177. (जयपुर नगर की सड़कों का मरम्मत कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री बत्ती लाल मीणा (टोडाभीम):

178. (टोडाभीम और नादौती क्षेत्र में सड़कों एवं पुलियाओं की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा):

179. (सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लखुवाली-पीलीबंगा सड़क की बुरी दशा सुधारी जावे, इस पर चर्चा के लिये)।

180. (विरधवाल से फरीदसर ठुकराना चाडसर होते हुए पल्लु तक बनी कच्ची सड़क को पक्का बनाया जावे, इस पर चर्चा के लिये)।

181. (डिगा से चक 2 एस. जी. आर., ढाणी रतनपुरा भागसर, संगर होते हुए राजस्थान कैनाल की सूरतगढ़ ब्रांच के पुल पर सलेमपुर-सारा सड़क में मिलाया जावे, इस पर चर्चा के लिये)।

182. (पीली बंगा से हासलिया सड़क को गोलू वाला, बेरागियों की ढाणी से उमेवाला तथा वहां से हनुमानगढ़-गंगानगर सड़क में सरदारपुरा के पास मिलाया जावे, इस पर चर्चा के लिये)।

183 (गंगानगर-सूरतगढ़ सड़क से सरदारपुरा बीका, वहां से धमंडिया, धमंडिया निरवाणा तथा निरवाणा से रामपुरा न्यौला, रामपुरा न्यौला से 68 एल. एन. पी. तथा वहां से रिड़मलसर तक बढ़ाया जावे, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा):

184. (इटावा से पीपल्दा एवं गेंता सड़क की दुर्दशा के संबंध में चर्चा के लिये)।

185. (इटावा से नोनेरा, बाड़ोली पुसोद लिंक रोड बनाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

186. (इटावा से इन्द्रगढ़ वाया ठीपरी चम्बल स्टेट रोड के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये)।

187. (अयाना से खातौली वाया पीपल्दा कलां सड़क के निर्माण के संबंधमें चर्चा के लिये)।

188. (मांगरोल से बालूंदा वाया बमोरी कलां तथा मांगरोल-सीसवाली रोड के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये)।

189. (ठीपरी चम्बल तथा ठीपरी काली सिंध एवं खातौली में पार्वती नदी पर पुलिया निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर):

190. (कुम्हेर क्षेत्र का तीन-चौथाई क्षेत्र बाढ़ग्रस्त होने से और वहां पुल तथा सड़कें न होने के कारण आवागमन के साधन अवरुद्ध हो जाने की वजह से नवीन पुल तथा सड़कें बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री नाथूराम (बागीदौरा) :

191. (बांसवाड़ा जिला में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के अन्तर्गत आई हुई कृषि भूमि के मुआवजे नहीं चुकाने बाबत चर्चा के लिये) ।

192. (बांसवाड़ा जिला में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलियाओं की मरम्मत नहीं होने बाबत चर्चा के लिये) ।

193. (बांसवाड़ा जिला में माही एवं अनास नदी पर निर्माणाधीन अपूर्ण पुलों के बारे में चर्चा के लिये) ।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहरथाना) :

194. (राजस्थान में बहने वाली नदियों के पुलों के निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री मदन सिंह दांता (दांतारामगढ़) :

195. (दांतारामगढ़ वाया मुरेरा दांता नदियों पर पुल बनवाने बाबत चर्चा के लिये) ।

196. (दांता से बाय जाने वाली रोड को बाड्यावास होकर बाय से खाटू श्यामजी तक करड़ से काकरा डासरोली रोड बनवाने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री राम प्रसाद लड्ढा (माण्डल),

श्री भैरू लाल बैरवा (शाहपुरा) ।

197. (नई सड़कों के निर्माण में घटिया खराब सामग्री बाबत चर्चा के लिये) ।

198. (सड़कों में ठेकेदार द्वारा जो मेटेरियल काम में लिया जाता है उसकी विशेष समिति द्वारा जांच कराये जाने पर चर्चा के लिये) ।

199. (अकाल में बनी सड़कों को प्लान में लिया जावे ताकि उस पर रिपेयरिंग हो सके, इस पर चर्चा के लिये) ।

200. (मुख्य दर्शनीय स्थान जगदीश पंचायत समिति, मांडल की बनी अकाल के तहत सड़क को प्लान में लिया जाकर रिपेयरिंग कराने बाबत चर्चा के लिये) ।

201. (सड़कों की बजाय गांवों के मार्गों को ठीक कराने बाबत विशेषकर गोर्धनपुरा पंचायत, समिति, मांडल के मार्ग को ठीक कराने बाबत चर्चा के लिये) ।

202. (लिंक रोड पर विशेष ध्यान दिया जाये जो दो हाई वे जोड़ सके जैसे करेडा-भीम रोड पर चर्चा के लिये) ।

श्री जगदीश सिंह (धौलपुर):

203. (धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत व पार्वती नदी का पुल व औडेला से कोलारी सड़क को बनाया जावे, इस पर चर्चा के लिये) ।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत):

204. (जिले में सड़कों की मरम्मत के संबंध में राज्य सरकार की अवहेलना पर चर्चा के लिये) ।

205. (पाली जिले में नई सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

Page No 74

(74)

(श्री माधोसिंह दीवान)

206. (पाली जिले में सोजत से जोधपुर तथा सोजत रोड से देसूरी सड़क बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री मयूर खां (तिजारा) :

207. (नूह-टपूकड़ा रोड, टपूकड़ा से तावडू सड़क वाया धिवाना, तिजारा से घासोली रोड तथा जयरोली से तीतरका रोड आंशिक रूप में अधूरे हैं, इन्हें पूर्ण कराने हेतु चर्चा के लिये)।

208. (तिजारा से टपूकड़ा तथा किशनगढ़ से कोट कासिम तक नई पुलियाओं में सीमेंट की मात्रा बहुत कम लगाई गई है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री गंभीर लाल (सराड़ा) :

209. (गोमती नदी पर पुल बनाने की अत्यधिक आवश्यकता है, इस पर चर्चा के लिये)।

डा. गंगासहाय (कठूमर) :

210. (कठूमर क्षेत्र में सड़कों एवं पुलों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री रंगजी (सपोटरा),

श्री उमरावसिंह गूजर (महुआ):

211. (सपोटरा क्षेत्र में सड़क निर्माण में शिथिलता तथा असमानता बरतने पर चर्चा के लिये)।

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) :

212. (लक्ष्मणगढ़ सीकर निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत तथा अधूरी सड़कों को पूरा करवाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

213. (सीकर जिले की अधूरी सड़कों को पूरी नहीं करवाने में असफलता पर चर्चा के लिये)।

214. (सीकर जिले की सड़कों की दुर्दशा पर विचार करने के प्रश्न पर चर्चा के लिये)।

215. (लक्ष्मणगढ़ से डूंडलोद-मुकुन्दगढ़ मंडी सड़क पूरी नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री शिवराजसिंह (बस्सी) :

216. (तहसील बस्सी एवं चाकसू में पुरानी सड़कों व पुलों की मरम्मत व नई सड़कों के निर्माण में सरकार की उदासीनता के लिये)।

श्री कुंजी लाल (बामनवास):,
श्री बत्ती लाल मीणा (टोडाभीम) :

217. (विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम एवं बामनवास की सड़क समस्या पर चर्चा के लिये)।

218. (बामनवास से गढ़मोरा मितरपुरा से पीपलदा रोड तथा बौंली से निवाई एवं खिरनी तक की सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

219. (विधान सभा क्षेत्र, टोडाभीम में मेंहदीपुर बालाजी से गढ़मोरा तक नवीन सड़क बनवाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री सूर्य प्रकाश (खेरवाड़ा):

220. (खेरवाड़ा पंचायत समिति में सड़कों की दयनीय स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री शीशराम ओला (पिलानी):

221. (जिला झुंझुनूं में सड़कों एवं पुलों की मरम्मत एवं सड़कों के नव निर्माण कार्यों के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्री बंशी लाल सारस्वत (नागौर):

222. (असंतुलित और बिना योजनाबद्ध सड़कों एवं पुलों का निर्माण और विशेष तया नागौर जिला में सड़कों का विकास नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा (झालरापाटन):

223. (झालरापाटन से असनूट आने वाली सड़कों एवं पुलों के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री नारायण मीणा (लसाड़िया):

224. (धरियावद से लसाड़िया सड़क, जो वर्षों से बेकार हो रही है, को ठीक कराने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला):

श्री अयूब खां (तिजारा):

श्री हरिसिंह (फुलेरा):

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):

225. (राजस्थान में गत वर्षा काल में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों और पुलों की मरम्मत किये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री उमरावसिंह गूजर (महुआ):

श्री रंगजी (सपोटरा):

226. (निर्वाचन क्षेत्र, महुआ में कच्चे रास्तों को पक्का करने में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा शिथिलता बरतने पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहन लाल शर्मा (डूंगरगढ़):

227. (चूरू जिले में सड़कों के सुधार एवं अधिकारियों की कार्य प्रणाली को सुगठित करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री अचला राम (देसूरी):

228. (परशराम महादेव से सादड़ी मारवाड़ की सड़क निर्माण हेतु तथा रानी नदी पर निर्माण कराने बाबत चर्चा के लिये)।

श्री नाथूलाल (घाटोल):

229. (भुगड़ा से खमेरा तक सड़क निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री जगदीश चन्द्र शर्मा (रतनगढ़):

230. (चूरू जिले में नई सड़कें बनाने हेतु उपयोगी दृष्टि से प्लान बनाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री सुभाषचन्द्र (सूरजगढ़):

231. (सिंगहाना से मुहाना, भुआना से सूरजगढ़ तक अधूरी सड़क को पूरा कराने तथा भुआना से महेन्द्रगढ़ सीमा तक नई सड़क का निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री दाऊदयाल जोशी (कोटा):

232. (चारचोमा ग्राम में चौथी

(श्री दाऊदयाल जोशी)
शताब्दी का मंदिर है व उसे पुरातत्व विभाग ने भी सुरक्षित किया हुआ है उस पुरातन स्थान को अनेक पर्यटक देखने जाते हैं, लेकिन सड़क का अभाव है अतः प्राथमिकता देकर सड़क बनाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार) :

233. (खण्डार क्षेत्र में पुल व सड़कों के अभाव में जनता की परेशानियों पर चर्चा के लिये)।

234. (चम्बल नदी पर सवाई माधोपुर से श्योपुर कलां-ग्वालियर राज्य मार्ग पर पुल के अभाव तथा बनास पर पुल की कमी पर चर्चा के लिये)।

श्री हरिसिंह यादव (बानसूर) :

235. (कोटपूतली-बानसूर सड़क पर एवं अलवर-बहरोड सड़क पर साहबी नदी के पुल निर्माण के विषय में तथा नारायणपुर-बानसूर सड़क की दयनीय अवस्था के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर):

236. (सड़कों व पुलों के निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार व होने वाली धांधली पर चर्चा के लिये)।

237. (सड़कों एवं पुलों के निर्माण में दोषपूर्ण योजना व यथार्थ योजना के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री जीतमल जैन (अलवर) :

श्री जगदीश सिंह (धौलपुर) :

238. (अलवर रेल्वे स्टेशन पर ओवर हैड ब्रिज का निर्माण कराया जावे, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री हजारी मल सारण (सरदार शहर):

239. (चूरू जिले में सड़कों के विस्तार बाबत चर्चा के लिये)।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

240. (सायपुरा से साइबाड़ की टूटी सड़क की मरम्मत कराने हेतु चर्चा के लिये)।

241. (जमवारामगढ़ रोड, जयपुर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र पर पड़ने वाले सूंगडनो डूंड नदी, लालो व रोडे का नाले पर पुल के अभाव से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये)।

242. (जयपुर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण भाग में सड़कों के सर्वथा अभाव पर चर्चा के लिये)।

243. (नायला से पापड़, नोंदपुरा से रामपुरा धाऊपुरा की सड़कों के अभाव में होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये)।

244. (भानपुर कलां के मार्ग से आने वाली नदी के पुल के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी):

245. (फलौदी तहसील में समुचित सड़कों व पुलों की व्यवस्था न होने एवं पुरानी सड़कों तथा पुलों की मरम्मत न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन):

246. (कपासन तहसील में अधूरी सड़कों तथा टूटे पुलों की मरम्मत व पूरा करने

(श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर)
के विषय में तथा उदयपुर में अम्बा माता पुल को बनाने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

श्री बाल चन्द आर्य (डग) :

247. (जो सड़कें पहले से मंजूर शुदा हैं उन्हें पूरा किये जाने बाबत चर्चा के लिये) ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

248. (इटावा बस स्टेन्ड से सूकनी तक दो किलोमीटर सड़क को बीच में ही खराब बिगड़ी हुई अवस्था में छोड़ देने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये) ।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बड़ी सादड़ी) :

249. (डूंगला एवं बड़ी सादड़ी तहसील केन्द्रों को पक्की सड़क द्वारा जोड़े जाने एवं मंगलवाड़ से निकुम्भ के बीच पुलियाओं का निर्माण कराये जाने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) :

250. (सड़कें एवं पुलों के निर्माण के लिए एक निश्चित नीति बनाने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

251. (सड़कें एवं पुलों के निर्माण हेतु साधनों की कमी से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये) ।

श्री अमृत लाल परमार (डूंगरपुर) :

252. (डूंगरपुर में कई जगह पुलियाँ टूट जाने के कारण मार्ग बन्द पड़ा हुआ है, अतः पुलियाये बनाने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

253. (डूंगरपुर में पूर्व में बनी हुई कई सड़कों का काम अधूरा पड़ा हुआ है, उन्हें पूरा करने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली) :

254. (मावली-नाथद्वारा क्षेत्र के देहाती भागों में सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये) ।

255. (उदयपुर जिले में रेल्वे क्रासिंग पर सुरक्षा की दृष्टि से सड़कों व पुलियाओं के निर्माण में उपेक्षा करने पर चर्चा के लिये) ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

श्री भैरूंलाल बैरवा (शाहपुरा) :

256. (शाहपुरा से विजयनगर की अधूरी सड़क को पूर्ण कराने बाबत चर्चा के लिये) ।

257. (शाहपुरा से कोटड़ी अधूरी सड़क को पूर्ण कराने बाबत चर्चा के लिये) ।

258. (शाहपुरा से केकड़ी की सड़क बनाने बाबत, जो जयपुर के लिये सीधा मार्ग होगा, चर्चा के लिये) ।

259. (शाहपुरा में मुख्य सड़कों की दुरुस्ती कराने बाबत चर्चा के लिये) ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

260. (कारोई से पहुना सड़क की दुरुस्ती कराने बाबत चर्चा के लिये) ।

261. (बहुत पुरानी सड़क की घोड़ास से लेसवा-चोहास सड़क बनाने बाबत चर्चा के लिये) ।

(श्री राम प्रसाद लड्ढा)

262. (भीलवाड़ा-रायपुर रोड पर लाखों रुपयों का मोहरडा पड़ा हुआ है केवल लेबर लगाने मात्र से सड़क पर डाल कर रोलर से सड़क तैयार हो सकती है बाबत चर्चा के लिये)।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

263. [भ्रामां (कोटड़ी) से सूंठेफा ग्राम तक एक किलोमीटर की सड़क नहीं बनने से बसें नहीं जाती हैं, इससे उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये]।

264. (यदि सड़कें और पुल मजबूत बनाना है तथा भ्रष्टाचार समाप्त करना है, तो अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर शराब पीने पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री शिवनारायण (थानागाजी) :

265. (घाटा बांधरोल-नारायणपुर रोड पर गहरे नाले पर पुलिया न बनाने से आवागमन के अवरुद्ध हो जाने से उत्पन्न कठिनाई एवं असुविधा पर विचार करने हेतु चर्चा के लिये)।

266. (गुढ़ा चुरानी से सिद्धकर-तिबारा सड़क पूरी न करने पर 40 ग्रामों को उत्पन्न कठिनाई एवं असुविधा पर विचार करने हेतु चर्चा के लिये)।

267. (ताल वृक्ष से नारायणपुर रोड पर डामर बिछाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

268. (वाण गंगा नदी पर वापी ग्राम के पास पुल न होने के कारण उत्पन्न विकट स्थिति पर चर्चा के लिये)।

269. (बाण गंगा नदी पर ग्राम सिकन्दरा के पास पुल के अभाव में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

270. (शहरों में सौन्दर्यकरण की तुलना में ग्रामों में आवश्यकता के लिए नाम मात्र की भी सड़कें न होने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

271. (भाखरी-कुण्डल रोड को बीच में से अनिर्मित छोड़ने के कारण इसकी उपयोगिता समाप्त होने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर) :

272. (अरड़का से किशनगढ़ गेराल से रामनेर, ब्यावर रोड से डूमांडा, मंवतानू रियावास, बुद्धवाड़ा होती हुई पीसांगन तथा ब्यावर रोड से सुभाष नगर, खानपुरा, हडराई, तबीजी होती हुई राजगढ़ सड़क का तथा बीच की पुलियाओं का निर्माण कराने बाबत चर्चा के लिये)।

श्री सैयद मंजूर अली (सवाई माधोपुर) :

273. [सरवाल से रणथम्भोर (तहसील सवाई माधोपुर) तक सीधी सड़क बनाने बाबत चर्चा के लिये]।

274. (सरवाल से भगवतगढ़, जिला सवाई माधोपुर की सड़क को तुरन्त पूरी करने बाबत चर्चा के लिये)।

275. (शेरपुर से कूडेरा की सड़क तुरन्त पूरी कराने बाबत चर्चा के लिये)।

(श्री सैयद मंजूर अली)

276. (मेनपुरा से कूडेरा की सड़क तुरन्त पूरी करने बाबत चर्चा के लिये)।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) :

277. (चौमूं विधान सभा क्षेत्र में सड़कों एवं पुलों की दुर्दशा होने व उनकी समय पर मरम्मत नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

278. (चौमूं क्षेत्र के रेगिस्तानी क्षेत्र, किशनमानपुरा, नांगल, गोविन्द आदि ग्रामों को सड़क निर्माण कर राहत दिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

279. (चौमूं क्षत्र के ग्राम सामोद के ऐतिहासिक महलों तक सड़क की दुर्दशा होने से विदेशी यात्रियों को तकलीफ होने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री मेघराज पंवार (चूरू) :

280. (चूरू तहसील के ग्राम धाधु को सड़क से जोड़ने बाबत चर्चा के लिये)।

281. (दूधवा रवारा स्टेशन को लहोसर्ना बड़ा ग्राम होते हुए टमकोर गांव से सड़क द्वारा जोड़ने हेतु चर्चा के लिये)।

282. (चूरू–सरदार शहर सड़क के अधूरे कार्य को पूरा कराने बाबत चर्चा के लिये)।

श्री सैयद मंजूर अली (सवाई माधोपुर):

283. (बनास नदी पर बन रहे पुल के निर्माण की रफ्तार में तेजी किये जाने बाबत चर्चा के लिये)।

284. (चम्बल नदी पर पुल निर्माण कार्य शुरू किया जावे बाबत चर्चा के लिये)।

285. (ग्राम डूबेरी व धुडासी के करीब के नालों पर पुल बनाये जाने बाबत चर्चा के लिये)।

286. (ग्राम भाडोती, तहसील बोंली से जालेन्दा, जटावती, पीपलवाड़ा होती हुई निवाई तक सड़क बनाये जाने बाबत चर्चा के लिये)।

287. (गम्भीर नदी पर ग्राम कूडेरा व रहीया के बीच पुल बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) :

288. (जोधपुर से इन्दौर वाया ब्यावर, आसीन्द, भीलवाड़ा, नीमच, सड़क को नेशनल हाई वे बनाने पर चर्चा के लिये)।

श्री नूरा (मसूदा) :

289. (अधूरी सड़कों को पूर्ण कराने एवं उन पर पुलिया बनाने पर चर्चा के लिये)।

290. (2,000 की आबादी वाले ग्रामों को मुख्य सड़कों से जोड़ने की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये)।

291. (जिले की छोटी व बड़ी सड़कों की मरम्मत व पुलों के रख-रखाव के संबंध में राज्य सरकार की अवहेलना करने पर चर्चा के लिये)।

श्री लालशंकर डेंडोर (सागवाड़ा) :

292. (भीलुडा के निकट माही पर बने पुल के टूट जाने एवं बनास नदी के पुल का निर्माण बम्बई की संस्था को दिये जाने से होने वाले धन के दुरुपयोग की जांच करने पर चर्चा के लिये)।

(श्री लालशंकर डेंडोर) :

293. (ग्रोबरा रोड से मेहता का पारड़ा घाटा का गांव, भेमई, डाटला, बावा की बार फोफली बोर से पांच कुड़ी पियोला, कडाना पुनर्वास ग्राबादी तक रोड बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

294. (दरियाटी रोड से कोदरीया थमावा तलाब, बोरकेड, पीपल्यागोंज तथा मेहतों का पाटाड़ा कोबरी, पंड्लीया ग्राम डाबाहमनिया से गोवाड़ी तक रोड निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये)।

295. (वावड़ी, कोरमाता रोड से साकोदरा कटारापड़ा गड़ावड़ा से मोनी पापड़ा, माली नई ग्राबादी से फोफलीबोर, बावायी बार, रामडीया, डाहाला भेमई तक रोड निर्माण हेतु चर्चा के लिये)।

296. (मोटर स्टेण्ड, चितरी रोड से भेमई, जोंसावा लिखसीया, दरियाटी रोड खांरगाम, बेड़सा, झौथरी सांसरपुर से मउड़ी व घाटी डूंगरपुर रोड को मिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

297. (ग्रोवरी के निकट मोरन पुल निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) :

298. (फेमिन में बनी कच्ची व कंकड़ सड़कों को सर्वप्रथम कोलतार सड़कों में परिवर्तित किया जावे, इस पर चर्चा के लिये)।

299. (उत्तर पश्चिम राजस्थान बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर जिलों में पांच हजार से अधिक ग्राबादी वाले ग्रामों को सड़कों से जोड़ने में प्राथमिकता के सिद्धान्त को लागू नहीं किया जावे, इस पर चर्चा के लिये)।

300. (बीकानेर में होस्पिटल रोड पर स्थित रेल्वे क्रोसिंग गेट पर पुल बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री हनवन्तसिंह राणावत (बाली) :

301. (रानी फालना, नाणा स्टेशन नाणा गांव के बीच जवाई नदी पर पुल बनाने के विषय पर चर्चा के लिये)।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) :

श्री सुभाष चन्द्र (सूरजगढ़) :

श्री हरीकृष्ण (नदबई) :

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) :

302. (ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें नहीं बन रही हैं बरसात में दुःख पाते हैं, नदी व नालों पर पुलियायें बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री आलम अली खां (फतहपुर) :

श्री नत्थी सिंह (लक्ष्मणगढ़) :

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :

श्री हनवन्त सिंह राणावत (बाली) :

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

श्री जगदीश चन्द शर्मा (रतनगढ़) :

श्री हरीकृष्ण (नदबई) :

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) :

श्री सुभाषचन्द्र (सूरजगढ़):

303. (राजस्थान में वर्षा काल में ग्रसित और नुकसान हुई सड़कों और पुलों की मरम्मत किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री मेघराज पंवार (चूरू):

304. (चूरू शहर में सड़कों की दुर्दशा में सुधार करने बाबत चर्चा के लिये)।

305. [खंडवा (तहसील चूरू) के गांव को चूरू-मालेरी रोड से जोड़े जाने बावत चर्चा के लिये]।

306. (जिला मुख्यालय चूरू को तहसील तारानगर के मुख्यालय से बुंटया, मायासी, लालासर, दूधवासारा, राजपुरा तथा सात्यूं इत्यादि घनी आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़े जाने बाबत चर्चा के लिये)।

श्री किशन सिंह भाटी (जैसलमेर):

307. (सीमावर्ती जिला जैसलमेर को अन्य दीगर जिलों से अधिक धन का प्रावधान करके प्राथमिकता के आधार पर समकक्ष लाने हेतु तथा प्रयोगशालाओं में सामान की जांच करने हेतु चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक-श्रम और रोजगार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय—

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर):

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर):

1. राज्य के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर):

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी):

2. औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की कमी से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल):

श्री भूरा लाल (गोगुन्दा):

3. माण्डल क्षेत्र के अभ्रक श्रमिकों को चुकारे बाबत चर्चा के लिये।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही):

4. आबू क्षेत्र में विशेषकर सिरोही में महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की चर्चा हेतु।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना):

5. मजदूरों को सुविधाएं एवं रोजगार दिलाने में श्रम विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):

श्री विजय सिंह नदेरा (बांदीकुई):

6. श्रमिकों को सुविधायें दिलाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली):

7. श्रम निदेशालय, श्रमिकों के प्रति अपना कर्तव्य निभाने में सदैव विफल रहा है और पक्षपात का अड्डा है, पर चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली):

8. पढ़े-लिखे ग्रामीणों को रोजगार न दिलाने के कारण उनमें भारी असन्तोष के कारणों पर चर्चा के लिये।

(श्री मूलचन्द डागा)

9. श्रम कानूनों में परिवर्तन की भारी आवश्यकता और सरकार द्वारा पूंजीवादी नीति के कारणों पर चर्चा के लिये।

10. पाली महाराजा उम्मेद मिल के सामने लेबर कालोनी में बेसिक एमेनिटीज भी सरकार द्वारा प्रोवाइड न करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

11. श्रमिकों की शिकायतें सुनने व उनका तुरन्त फैसला करने के जिला स्तर पर कलक्टर व एस. डी. ओ. को अधिकार दिये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री विरदमल सिंघवी (जोधपुर):

12. श्रमिकों की सुविधाओं के कानूनों की अनुपालना एवं श्रमिक न्यायालय की उचित व्यवस्था करने में श्रम विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर):

13. राज्य सरकार बेरोजगारी की समस्या को हल करने में असफल रही है, इस विषय पर चर्चा के लिये।

14. राज्य सरकार की श्रम नीति में क्रान्तिकारी परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं):

15. लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में की जा रही ढिलाई पर चर्चा के लिये।

श्री अजीत सिंह (टोंक):

16. लेबर इन्सपेक्टर फैक्ट्री मालिकों से मिली-भगत तथा दूकानों से बन्दी को रोकने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह (मालपुरा):

17. श्रमिक कल्याण हेतु विभाग द्वारा कोई स्पष्ट नीति नहीं अपनाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा):

18. देहाती क्षेत्र के लोगों को, जो बेरोजगार है चाहे शिक्षित हों, चाहे अशिक्षित हों, रोजगार दिलाने में प्राथमिकता दी जावे इस पर चर्चा के लिए।

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज):

19. ग्रामों के विकास हेतु अपनायी जाने वाली योजनाओं की क्रियान्विति में कार्य करने वाले श्रमिकों का ठेकेदारा द्वारा किये जाने वाले शोषण को रोकने में श्रम विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर):

20. ग्रामीण शिक्षित को सरकार की रोजगार दिलाने की नीति पर चर्चा के लिये।

21. खेत मजदूर एवं अन्य शिक्षित युवकों को सरकार द्वारा रोजगार देने में उपेक्षा बरतने पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल):

22. जालौर जिले में रोजगार के अधिकाधिक साधन उपलब्ध कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

23. खेत मजदूर एवं शिक्षित लोगों को नौकरी (धंधा) दिलाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

24. एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेंजों में होने वाली अनियमित कार्यवाही के बारे में चर्चा के लिये ।

श्री जयनारायण वालोदिया (निवाई) :

25. बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री समरथ लाल (राजगढ़) :

26. बी. ए., एम. ए., मैट्रिक बेरोजगार भटक रहे हैं, उन्हें रोजगार दिलाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

27. राज्य की श्रम नीति दिशाहीन हैं, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री राम प्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

28. शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता दिलाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी):

29. रामगंज मण्डी क्षत्र के मजदूरों की दयनीय स्थिति को सुधारने हेतु कानून के अनुसार सुविधा उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) :

30. श्रमिकों की न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

31. औद्योगिक शान्ति कायम रखने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

32. अपरेन्टीस एक्ट के तहत कार्यरत अपरेन्टीसों को राहत देने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

33. एक उद्योग में एक यूनियन को मान्यता देने के प्रश्न पर तथा माइनोरिटी यूनियन के हकों को कायम रखने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर):

34. आई. डी. एक्ट के अन्दर कुछ श्रमिक विरोधी धाराओं पर पुनः विचार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

35. सभी सार्वजनिक उपक्रम एवं राजकीय उपक्रमों में श्रमिकों को प्रबन्ध में भागीदारिता देने के विचार हेतु चर्चा के लिये ।

36. खण्डसारी श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 10 रुपये प्रतिदिन हो, क्योंकि ये सीजनल वर्कर होते हैं, अतः सीजन में न्यूनतम वेतन देने की चर्चा के लिये ।

37. अकुशल कामगार को कम से कम सात रुपया मिलना चाहिये, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

38. उदयपुर जिले में कोई श्रम कल्याण केन्द्र नहीं है जब कि पूर्व में यहां से स्थानान्तरित कर दिया, इसकी चर्चा के लिये।

39. श्रमिक यूनियनों के साथ वार्ता व समझौते की पालना नहीं करने से उत्पन्न औद्योगिक अशान्ति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री माणक लाल ठाकोर (नैनवा):

40. साधनहीन बेकार व्यक्तियों को रोजगार की सुविधा नहीं दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन):

41. बेरोजगारों को रोजगार तथा बेकारी का भत्ता दिलाने में रोजगार निदेशालय की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा):

42. सभी डिग्री प्राप्त डाक्टर, इन्जीनियर और 'मेरिट होल्डर्स' को रोजगार देने की निश्चित व्यवस्था करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (नौहर):

43. रोजगार दिलाने हेतु कार्यालयों की अभिवृद्धि तथा इनकी वर्तमान दशा में सुधार हेतु चर्चा के लिये।

श्री ईश्वर चन्द (पिड़ावा):

44. प्रान्त में श्रम व रोजगार की समाजवादी व क्रान्तिकारी नीतिहीनता की चर्चा के लिये।

45. श्रमिक संघों के बाहुल्य पर नियन्त्रण न कर मजदूर विरोधी गतिविधियों की चर्चा के लिये।

46. बेकारी का भत्ता दिये जाने व ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री ओंकार लाल चौहान (अटरू):

47. श्रमिकों को बोनस एवं अधिकार दिलाने में श्रम विभाग की असफलता तथा ज्वाइन्ट मैनेजमेन्ट के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनू):

48. सरकार की घोषित नीति के अनुसार सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये।

49. श्रमिकों एवं उद्योगपतियों के बिगड़ते हुए संबंधों को सुधारने में श्रम विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री श्योपत सिंह मकासर (हनुमानगढ़):

50. नौकरी के लिए आयु सीमा बढ़ाने तथा एक परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी की व्यवस्था कराने की प्रणाली लागू करने पर चर्चा के लिये।

51. पढ़े-लिखे बेरोजगार नौजवानों को बेकारी भत्ता दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

52. श्रमिकों की कालोनीज बनवाने, दवाइयां उपलब्ध कराने तथा श्रमिकों के

(श्री श्योपत सिंह मकासर)
बच्चों की शिक्षा एवं बिजली आदि की व्यवस्था कराने में श्रम विभाग की दोषपूर्ण प्रणाली पर चर्चा के लिये ।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़):

53. खेतड़ी मजदूरों की चल रही हड़ताल को समाप्त कराने में श्रम विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

54. झुन्झुनूं जिले में रोजगार के साधन बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

55. रोजगार में अवस्था (उम्र) का प्रतिबन्ध हटाने के क्रम में चर्चा के लिये ।

56. शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने पर चर्चा के लिये ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर):

57. राजस्थान के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम):

58. बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

59. बेरोजगारों को रोजगार दिला कर सामाजिक सुरक्षा की भावना पैदा करने पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा):

60. बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

61. बेरोजगारों को धंधों के लिए बैंकों से ऋण दिलाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री नाथू राम (बागीदोरा) :

62. बांसवाड़ा जिला में तहसील गढ़ी कड़ाणा पुनर्वास के निर्माण कार्यों में गढ़ी तहसील के मजदूरों को मजदूरी पूरी नहीं दिलाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री जगदीश सिंह (धौलपुर) :

63. धौलपुर ग्लास फैक्ट्री जो 18 साल से बन्द है उसे चलाया जाकर 2000 मजदूरों को काम दिलाया जावे, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

64. ग्रामीण युवकों में बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा के लिये ।

65. श्रमिक को कारखाने में भागीदार बनाया जावे, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री अयूब खां (तिजारा) :

66. रोजगार की सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक दी जायें, इस पर चर्चा के लिये ।

डॉ० गंगा सहाय (कठूमर) :

67. अलवर जिले में ग्रामी बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री सूर्य प्रकाश (खैरवाड़ा) :

68. अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के व्यक्तियों के पंजीयन में रोजगार कार्यालयों में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

श्री परसराम मोरदिया (लछमनगढ़) :

69 अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लोगों को न्यूनतम मजदूरी दिलवाने में श्रम विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री शीशराम ओला (पिलानी) :

70. खेत मजदूरों एवं ग्रामीण शिक्षित युवकों को रोजगार दिलाने में सरकार की उदासीनता की चर्चा के लिये ।

श्री बंशी लाल सारस्वत (नागौर) :

71. शिक्षित बेरोजगारों को निर्वाह भत्ता और बेरोजगारी की समस्या का समुचित समाधान और रोजगार दफ्तरों में सुधार कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा (झालरापाटन) :

72. श्रमिकों की समस्या एवं नये रोजगार उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री उमराव सिंह गूजर (महुआ) :

श्री रंगजी (सपोटरा) :

73. पंचायत समिति, महुआ क्षेत्र के पढ़े-लिखे बेरोजगार युवकों को रोजगार देने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

श्री हरिसिंह यादव (बानसूर) :

74. रोजगार प्राप्त करने के इन्तजार में ओवर ऐज होने वाले नागरिकों के अंधकारमय भविष्य को रोकने एवम् बेरोजगारी के वक्त बेरोजगारी भत्ता देने के औचित्य के विषय में चर्चा के लिये ।

श्री गोपाल सिंह (खंडेला):

श्री अयूब खाँ (तिजारा):

श्री हरिसिंह (फुलेरा) :

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):

75. राजस्थान में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) :

76. श्रमिकों के हितों की पूरी रक्षा न करने व उनके हितों के लिये सम्पर्क योजना के अभाव पर चर्चा के लिये ।

77. रोजगार उपलब्ध कराने की समुचित योजना की कल्पना के अभाव पर चर्चा के लिये ।

श्री हजारी मल सारण (सरदारशहर) :

78. जिला नियोजन कार्यालयों में फैली अव्यवस्था एवं व्याप्त भ्रष्टाचार तथा रोजगार के लिए आयु सीमा बढ़ाने बाबत चर्चा के लिये ।

(श्री हजारी मल सारण)

79. अकाल राहत कार्यों पर लगे श्रमिकों को श्रम कानून के तहत निर्धारित दरों से मजदूरी दिलाने में श्रम विभाग की उदासीनता बाबत चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

80. बेकार डाक्टर, इन्जीनियर, डिप्लोमा होल्डर्स को दिये जाने वाले भत्ते के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

81. रोजगार दिलाऊ कार्यालयों में नाम भिजवाने हेतु अपनाई जाने वाली प्रणाली से होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

82. श्रमिकों की समस्याएं सुलझाने में विभागीय अधिकारियों की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये ।

83. श्रम विभाग द्वारा संचालित श्रमिक कल्याण केन्द्रों की दुर्व्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

84. श्रमिकों के अनरेस्ट को सुलझाने में श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई कारगर योजना नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिये ।

85. रोजगार दिलाऊ कार्यालयों में पंजीयन कराने के लिये आये व्यक्तियों की परेशानी पर चर्चा के लिये ।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी) :

86. फलौदी तहसील में श्रम विभाग और रोजगार विभाग की कोई व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये ।

श्री बालचन्द आर्य (डग) :

87. बेरोजगारों को कारखाने खुलवा कर काम देकर बेरोजगारी मिटाने बाबत चर्चा के लिये ।

88. वेतन नीति के अभाव में श्रमिकों के बीच में उठने वाली समस्या पर चर्चा के लिये ।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली) :

89. अन्य राज्यों की तरह कनिष्ठ नियोजन अधिकारियों के पद विभाग के मन्त्रालयिक कर्मचारियों से ही भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

90. नियोजन कार्यालयों में कार्य कर रहे मन्त्रालयिक कर्मचारियों के लिये पदोन्नति के अवसर न्यून होने व पदोन्नति के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

91. नियोजन कार्यालय, उदयपुर में पंजीकृत आवेदकों को कम रोजगार के अवसर उपलब्ध होने पर चर्चा के लिये ।

92. शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

93. मांडलगढ़ तहसील में लाडपुरा, बीगोद आदि ऐसे स्थान हैं जहां सुथारों की संख्या ज्यादा है अतः उन्हें ट्रेनिंग में भेजकर लकड़ी का काम करने का प्रोत्साहन दिलाने की चर्चा के लिये ।

श्री शिवनारायण (थानागाजी) :

94. 28 वर्ष की आयु सीमा कम से कम 3 वर्ष और बढ़ाने पर एवं बेरोजगार

(श्री शिवनारायण)
नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता दिलाने पर चर्चा के लिए ।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

95. राजस्थान के रोजगार कार्यालयों की स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) :

96. जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने की चर्चा के लिये ।

97. देहाती क्षेत्र के शिक्षित व अशिक्षित बेरोजगारों को ग्रामीण भत्ता दिए जाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) :

98. स्नातकों को एवं तकनीकी योग्य बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में सरकार की ढिलाई पर चर्चा के लिये ।

श्री सैयद मंजूर अली (सवाई माधोपुर) :

99. आय कर न देने वाले सभी ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट को बेरोजगारी वजीफा देने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री नूरा (मसूदा) :

100. मजदूरों की समस्याओं को सुलझाने में सरकार द्वारा कोई ठोस कार्यक्रम न बनाये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) :

101. बीकानेर में पापड़ व भुजिया उद्योगों में लगे मजदूरों पर मिनिमम वेजेज एक्ट लागू कराने हेतु चर्चा के लिये ।

102. बीकानेर में लेबर कोर्ट व इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट कोर्ट स्थापित की जावे जिससे श्रमिक लोगों को सस्ता व सुलभ न्याय मिल सके, इस पर चर्चा के लिये ।

103. नियोजन कार्यालय में रोजगार के लिये नाम दर्ज कराने पर उसी दिन की आयु को नौकरी के लिए एलिजिबल माना जावे, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) :

श्री सुभाष चन्द्र (सूरजगढ़) :

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) :

श्री हरीकृष्ण (नदबई) :

104. ग्रामीण क्षेत्रों में बसे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सुझावों पर चर्चा के लिये ।

श्री आलम अली खां (फतेहपुर) :

श्री नत्थी सिंह (लक्ष्मणगढ़) :

श्री जगदीश चन्द्र शर्मा (रतनगढ़) :

श्री हनवन्त सिंह राणावत बाली) :

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :

श्री मूलचन्द सामरिया, (दौसा) :

श्री हरीकृष्ण (नदबई) :

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) :

श्री सुभाष चन्द (सूरजगढ़) :

105. राजस्थान में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा) :

106. इटावा में श्रम कल्याण केन्द्र स्थापित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) :

107. श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने एवं प्रबन्ध में भागीदारी पर चर्चा के लिये ।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) :

108. श्रम विभाग के प्रशासन के अनावश्यक खर्चों को कम करने के कारणों पर चर्चा के लिये ।

109. सरकार के पास रोजगार दिलाने की कोई ठोस नीति नहीं है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री राम किशोर मीणा (सिकराय) :

110. बेरोजगार कार्यालयों में पंजीबद्ध बेरोजगारों की अधिकतम आयु 28 से 30 वर्ष किये जाने पर चर्चा के लिये ।

111. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन बढ़ाने पर चर्चा के लिये ।

112. बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने पर चर्चा के लिये ।

113. पुरुष व स्त्री श्रमिकों को समान वेतन दिलाए जाने में श्रम विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी) :

श्री गोविन्द सिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़) :

114. श्रमिकों को जो वेतन दिया जाता है उसमें होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

115. बूंदी में रोजगार की कमी है, नौजवान को रोजगार दिलाने में रोजगार दिलाऊ कार्यालय की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये ।

श्री आलम अली खां (फतेहपुर) :

116. फतेहपुर क्षेत्र में फैली बेरोजगारी मिटाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री लालशंकर डेंडोर (सागवाड़ा) :

117. सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर के भील व किसान मजदूरों को श्रम विभाग द्वारा उचित राहत नहीं दिला पाने पर चर्चा के लिये ।

118. सागवाड़ा क्षेत्र, जिला डूंगरपुर की माही परियोजना व रोड व अन्य निर्माण कार्य में भील मजदूरों का शोषण, पर्याप्त मजदूरी दिलाने में श्रम विभाग की असमर्थता पर चर्चा के लिये ।

श्री राम प्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

119. अभ्रक खनिज श्रमिकों को समय पर वेतन, बोनस दिलाने में श्रम विभाग की असमर्थता पर चर्चा के लिये ।

Page No 90

(९०)

(श्री राम प्रसाद लड्ढा)

120. श्रमिकों को, जहां वे काम करते हैं स्थायी बनाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

121. शिल्पकारों व पर्यवेक्षकों को पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षण नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये।

122. रोजगार कार्यालयों द्वारा रोजगार के साधनों का कोई सर्वे नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री सुखलाल सैंणचा (रायपुर) :

123. पाली जिले के उद्योगों में लगे हुए श्रमिकों को उचित सुविधाएं नहीं देने पर श्रम विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा) :

124. वर्तमान समय में रोजगार देने में सरकार असफल रही, इस पर चर्चा के लिये।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) :

125. श्रम कानूनों का पूर्णतः पालन कर इस विषय में दक्ष व प्रशिक्षित लोगों को हर राजकीय एवं निजी प्रबंधों में नियुक्ति दिये जाने तथा प्रशिक्षण एवं शिक्षणरत विद्यार्थियों को अन्य राज्यों के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अध्ययन करने की सुविधा प्रदान कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री दुला राम (रायसिंहनगर) :

126. गंगानगर जिले के मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने में श्रम विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री करतार सिंह (किशनगढ़) :

127. ग्रामीण अंचलों के युवक-युवतियों को रोजगार में वरीयता देने बाबत चर्चा के लिये।

128. उद्योगों में श्रमिकों को बराबर का भागीदार बनाने हेतु विभाग द्वारा कोई योजना नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) :

129. बेरोजगारों के लिए योजना प्रस्तुत करने पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल (जैतारण) :

130. नियोजन कार्यालयों में फैले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री परसराम मोरदिया (लछमनगढ़) :

131. रोजगार एवं नियोजन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के नाम नियोजकों के पास नहीं भेजे जाने पर चर्चा के लिये।

श्री विजय सिंह नदेरा (बांदीकुई) :

132. बेरोजगारों की पंजीयन हेतु आयु सीमा बढ़ाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल (जैतारण) :

133. नियोजन कार्यालयों को अधिक क्रियाशील बनाने हेतु चर्चा के लिये।

(श्री शंकर लाल)

134. गैर सरकारी उद्योगों और निगमों में भी नियुक्तियों की न्यायोचित प्रणाली का प्रावधान रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक-सड़कें एवं पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय—

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

308. दुब्बी से टोडा भीम वाया डौलीका, डूंण्डा बसेडी, सांकरवाड़ा सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनवाये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

309. सिकन्दरा से वहरावण्डा सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अपने अधीन न लिए जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

310. सिकराय क्षेत्र में सड़कों की अत्यधिक कमी से आम जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

311. सिकराय से मानपुर सड़क की मरम्मत आज तक न होने से आम जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

312. सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई नई सड़कों पर पुलियान बनाए जाने पर चर्चा के लिये ।

313. सिकन्दरा से बांदीकुई सड़क पर बाण गंगा नदी पर पुल निर्माण न किए जाने से व्याप्त भारी जन असंतोष पर चर्चा के लिये ।

श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) :

314. पाली जिले के प्रत्येक 2,000 की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने की व्यवस्था करने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री लालू दास (फलासिया) :

315. फलासिया क्षेत्र में सड़कों के अभाव पर चर्चा के लिये ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) :

श्री गोविन्द सिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़):

316. बून्दी की टूटी सड़कों की मरम्मत करने हेतु चर्चा के लिये ।

317. नामाना से गरड़दा के मध्य अकाल राहत कार्य में बनी अधूरी सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण कराये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

318. बून्दी क्षेत्र में कोध्या से बाजड़ तक तथा नमाना रोड से नमाना तक सड़क बनाई जाय, इस पर चर्चा के लिये ।

319. बून्दी क्षेत्र में लक्ष्मीपुरा से डाबी अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत बनी सड़क को विभागाधीन कर पूर्ण कराने पर चर्चा के लिये ।

320. गंवार की टूटी हुई पुलिया, अथड़ा की पुलिया, बंलून्दा और नीताड़ा की टूटी हुई पुलिया को ठीक कराने हेतु चर्चा के लिये ।

321. आमली और पागल पुरीया के मध्य पुलिया, बरूधण ग्राम में पुलिया निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री आलम अली खां (फतेहपुर) :

322. फतेहपुर क्षेत्र में 5,000 तक की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़े जाने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री सुखलाल संणचा (रायपुर) :

323. पाली जिले के रायपुर व सूकड़ी नदी पर पुल निर्माण हेतु चर्चा के लिये

(श्री सुखलाल सैंणचा)

324. अकाल राहत में बनी सड़कों पर विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार पुल के निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

325. पाली जिले के अकाल राहत क्षेत्र, रायपुर और जैतारण में सड़कों का स्थाई कार्य विभाग द्वारा शीघ्र चालू करने एवं पक्की बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरजी राम बुरडक (लाडनूं) :

326. लाडनूं से नागौर वाया निम्बी जोधा कानूता सड़क को पक्का करने पर चर्चा के लिये।

327. डीडवाना से गनेड़ी वाया मीठड़ी सड़क को पक्का करने हेतु चर्चा के लिये।

328. जसवन्तगढ़ से मीठड़ी सड़क को पक्का कराने हेतु चर्चा के लिये।

329. निम्बी जोधा से पाढड़ी सड़क को पक्का कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा) :

330. बिलाड़ा क्षेत्र में सड़कों व पुलों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) :

331. 5,000 की आबादी वाले ग्रामों को नई सड़कों से जोड़ने की शर्तें रेगिस्तानी सीमा क्षेत्रों के संबंध में, पूर्व आवश्यकतानुसार हटाने के बारे में आरक्षी सतर्कता अधिकारी नियुक्त कर भ्रष्टाचार को रोकने का उपाय करने पर चर्चा के लिये।

श्री जगतार सिंह कंग (करणपुर) :

332. गंगानगर जिले के लिए मंजूर की गई सड़कों को कई वर्षों से न बनाए जाने पर चर्चा के लिये।

333. गंगानगर जिले में सड़कों की खराब हालत पर चर्चा के लिये।

श्री दुला राम (रायसिंहनगर) :

334. रायसिंहनगर की सड़कों की खराब हालत पर चर्चा के लिये।

श्री गणेश लाल बैरागी (हिण्डोली) :

335. बून्दी जिले की सड़कों की खराब हालत, विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, नई सड़कों के निर्माण पर विचार, मुख्यतः शक्करगढ़ से सतरगंज, हिन्डोली से जजावर नैनवा, बूंदी से दबलाना खेई, मोतीपुरा से खीनियां, आकोदा से रामेश्वर महादेव, लकड़ेश्वर महादेव, झामर करने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

336. हीरपुरा से गुजरात बोर्डर तक वाया गांग तक बनी सड़क की मरम्मत कराने एवं पुलिया बनाने बाबत चर्चा के लिये।

337. रानीवाड़ा से दईपुर तक बनी सड़क को मारवाड़ा गुजरात सीमा तक बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री परसराम मोरदिया (लछमनगढ़) :

338. लक्ष्मनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र, जिला सीकर में सड़कों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री विजय सिंह नदेरा (बांदीकुई) :

339. जूनियर इंजीनियर्स भवन व पथ विभाग की तरक्की में आने वाली अड़चनों पर चर्चा के लिये ।

340. ग्रामीण जीवन में पक्की सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

341. सिकन्दरा के पास बाण गंगा नदी पर पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

342. सड़क निर्माण कार्यों में व्यापक भ्रष्टाचार व अव्यवस्था को दूर करने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री विजय सिंह नदेरा (बांदीकुई) :

343. स्टेट हाई वेज की हालत को सुधारने व उसके स्तर को ठीक करने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री शंकर लाल (जैतारण) :

344. अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बनी सड़कों एवं पुलियाओं को विभाग द्वारा अपने अधीन ली जाकर उनकी मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

345. पाली जिले के तीन पुलिया बांडी नदी, रायपुर (लूनी) नदी व रोहट के पास के निर्माण कराये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

346. जैतारण क्षेत्र की अधूरी व टूटी सड़कों एवं पुलियाओं के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 21 व 23 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल भार्गव ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले सड़कें और पुलों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा । राजस्थान निर्माण के पूर्व सड़कों की लम्बाई 17,339 किलोमीटर थी और अब 38,883 किलोमीटर है । पर निवेदन है कि आज भी सड़कों के मामले में जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनके मुकाबले में राजस्थान में सड़कों के निर्माण का कार्य बड़ा ढीला है । हरियाणा का प्रत्यक्ष उदाहरण है, हर गांव सड़क से जुड़ा हुआ है । परन्तु राजस्थान में अभी यह हालत नहीं है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी पार्टी ने, जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में यह कहा था कि हम ग्रामों को सड़कों से जोड़ेंगे, कृषि विकास क्षेत्र बनायेंगे, सब प्रकार के सामान जो गांवों में बनते हैं, जो धन्धे हैं पुराने उनको हम विकसित करेंगे । कुटीर उद्योग-धन्धे बढ़ायेंगे और जितने बड़े-बड़े कारखाने हैं उनके सहायक उद्योग धन्धे गांवों में कायम करेंगे । इस तरह से महात्मा गांधी के सपनों का भारत बना कर छोड़ेंगे । मेरा निवेदन है कि हमने घोषणा की थी कि शहरों की ओर जो लोगों का झुकाव है, रोजगार की तलाश में, काम-धन्धा तलाश करने के लिए शहरों की ओर जो लोग आते हैं, वे शहरों में नहीं आवें और उनको गांवों में ही सब प्रकार की सुख-सुविधा मिले । गांवों में ही कुटीर उद्योग, लघु उद्योग लगा कर बेरोजगारी की समस्या को हल करेंगे । इसके लिए सड़कें बनाई जायेंगी, सड़कों का विकास किया जाएगा, मंडियों से जोड़ा जायेगा, कारखानों से जोड़ा जाएगा । प्रत्येक गांव और प्रत्येक ढाणी को सड़कों से जोड़ दिया जाएगा, यह

(94)

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)
हमने हमारे घोषणा-पत्र में कहा है।

(व्यवधान)

इस काम को पूरा करेंगे और पूरा नहीं करेंगे तो, खेतसिंहजी, उधर भी आकर बैठने में संकोच नहीं करेंगे। मैं तो पहले भी उधर बैठता था, फिर भी आकर बैठ जाऊंगा। इस काम को पूरा करना आवश्यक है। इसलिए मेरी मांग है, ग्राम विकास सड़क प्रधिकरण बना दिया जावे सम्पूर्ण राजस्थान के लिए, जो यह देखे कि गांवों को सड़कों से किस प्रकार जोड़ा जावे। यह बहुत मोटी और मैं समझता हूं, वजनी बात है, पार्टी के घोषणा-पत्र को पूरा करने की मांग है।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि आज जयपुर नगर की सड़कें हैं, उनकी भी हालत खराब है, उनका रख-रखाव नहीं होता है, इसका कारण क्या है? राज्य सरकार केवल मरम्मत के लिए पैसा देती है। जयपुर शहर राजस्थान की राजधानी है, जयपुर शहर हिन्दुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्र है। यहां पर लोग चलें तो सड़कों पर धक्के लगते हैं। सड़कों पर बड़े-बड़े खड्डे हैं, बाजार की सड़कें भी खराब हैं। मैं समझता हूं कि जयपुर शहर सारे राजस्थान की शान है, यह राजस्थान की राजधानी है, यहां पर इस तरह से सड़कें खराब होने से जो पर्यटक आते हैं वे क्या समझ कर जायेंगे। इससे राजस्थान की शान खराब होती है। इसलिए जयपुर नगर की सड़कों की मरम्मत के लिए एक पृथक् से बोर्ड बना दिया जावे और उसको अलग से अनुदान दिया जावे तो मैं समझता हूं कि बहुत बढ़िया बात होगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज यहां पर यू. आई. टी. अलग है, यहां पर नगर परिषद अलग है, यहां पर हाउसिंग बोर्ड अलग है और यहां पर रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट अलग है। अलग-अलग विभाग एक दूसरे पर जिम्मेवारी डाल देते हैं और कह देते हैं कि हम सड़कों की मरम्मत नहीं करायेंगे। आज आप देखें, बनीपार्क का कौन मालिक है? सिंधी कालोनी, जिसमें इन्दिरा कालोनी है जो लेबर कालोनी के नाम से प्रसिद्ध है, के लिए हमारी यू. आई. टी. कहती है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, पी. डब्ल्यू. डी. कहता है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, नगर परिषद् कहती है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी यह मांग है कि सम्पूर्ण जयपुर शहर में चाहे किसी भी एजेंसी के द्वारा सड़कें बनें उनके रख-रखाव का काम, उनको बनाने का काम, उनको मेंटेन करने का काम सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंप देना चाहिए। आज माहरी के नाका की क्या हालत है, इतनी मिट्टी है वहां पर कि लोग जा नहीं सकते। हाउसिंग बोर्ड की जो कालोनीज हैं उनमें एक कालोनी विकसित है और दूसरी अविकसित है। लोग मकान लेना वहां पर पसन्द नहीं करते। मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। इस बारिश के समय फिर रास्ता कट गया तो लोग किस तरह से आयेंगे-जायेंगे। पिछली बार जब जयपुर शहर में बाढ़ की स्थिति हुई तो 17 लाख रुपया जयपुर शहर के बाढ़ रिलीफ कार्य के लिए मंजूर किया था। अखबारों में बड़ा प्रचार हुआ था लेकिन जब अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि एक कौड़ी नहीं मिली। यह जो 17 लाख रुपया मंजूर किया गया था वह जयपुर शहर की सड़कों के मेंटीनेंस के लिए मिलना चाहिए। जयपुर शहर में फुटपाथ हैं उनको दूसरा विभाग मेंटेन करता है। कहा जाता है कि नगर परिषद मेंटेन करेगी। क्यों करेगी? जब सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़कों को मेंटेन करता है तो फुटपाथ भी मेंटेन करने को

Page No 95

(95)

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)
उसकी जिम्मेवारी होनी चाहिए ।

इसी के साथ ही जो भवनों की दशा है, जो भवन किराये पर उठे हुए हैं उनके सदुपयोग की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है । यदि इन भवनों की मरम्मत करके इन्हें शहर में स्थित शिक्षण संस्थाओं, स्कूलों, अस्पतालों के लिए काम में लिया जाय तो इनका सदुपयोग हो सकता है। इनकी मरम्मत हो जाय तो पी. डब्ल्यू. डी. इन भवनों को किराये पर उठा सकता है और इनका उपयोग हो सकता है। आज हमको यह मालूम नहीं है कि राजस्थान के बाहर कितनी सम्पत्ति है। पी. डब्ल्यू. डी. इनकी सारी सूची इकट्ठी करने में भी अक्षम रहा है। मेरा निवेदन है कि इन भवनों का किस प्रकार से उपयोग किया जावे, इस सम्बन्ध में भी विचार करना चाहिए ।

नाहरगढ़ का विकास होना चाहिए और जयगढ़ का विकास होना चाहिए । राज्य सरकार से मैं यह मांग करना चाहूंगा कि जयगढ़ के खजाने के लिए पिछली कांग्रेस की सरकार ने इमर्जेन्सी काल में खुदाई कराई थी । जयगढ़ का किला राजस्थान की जनता को देखने के लिए खोला जाय। यह एक तिलिस्मी किला है जिसके बारे में काफी चर्चा रही है, 'धर्मयुग' में, 'हिन्दुस्तान' में और देश में काफी चर्चा हुई है । इसकी मरम्मत के लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए । नाहरगढ़ की सड़क, जो ऊपर बनी है, के अधूरे काम को भी पूरा किया जाना चाहिए। वहां पर पर्यटक केन्द्र बनाया जाना चाहिए, उसमें सुधार किया जाना चाहिए । इस सदन के जितने भी माननीय सदस्य हैं, दो सौ ही विधायकों को मैं वहां ऊपर ले जाने की व्यवस्था कर रहा हूं । आमेर के किले का विकास किया जावे, जयपुर के किले का विकास किया जावे।

इसके आगे निवेदन करूंगा कि जयपुर में भवनों की कमी है, मंत्रियों के रहने के लिए स्थान नहीं, विधायकों के रहने के लिए स्थान नहीं है ।

(व्यवधान)

मुझे निवेदन करना है कि हमारे यहां पर जो सवाई मानसिंह हास्पिटल है वह भी सवाई मानसिंह के अनुरूप नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके इस विधान सभा भवन की जिस गैलरी में होकर आते हैं, उसमें से यदि खेतसिंह जी जैसे दो आदमी आमने-सामने निकल जावें तो निश्चित रूप से टक्कर हो जावेगी, एक्सीडेंट हो जाने की पूरी सम्भावना है । इसलिए विधान सभा का भवन भी ठीक प्रकार का हो। सवाई मानसिंह अस्पताल, जनाना अस्पताल, मेंटल हास्पिटल, टी. बी. हास्पिटल, कृषि भवन, सचिवालय और नई पुलिस लाइन, इन सब के विकास के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जावे। अगर मास्टर प्लान नहीं बनायेंगे .....

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह डिमाण्ड है ही नहीं, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि आज रामप्रकाश सिनेमा भी चर्चा का विषय है । इसका जो किराया हमको मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है।

इसी प्रकार से जो रवीन्द्र रंगमंच है, उसको एयर कन्डीशण्ड बनाया जाना चाहिए। गर्मी के दिनों में वहां पर सफोकेशन होता है। इसलिए सब प्रकार की माकूल व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए ।

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

जम्बो जैट सांगानेर हवाई अड्डे पर उतारने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके लम्बे-चौड़े भाषण से अनेक सदस्यों को आपत्ति होगी। कृपया संक्षेप में समाप्त करें। समाप्त करें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, आपके साथ में विपक्ष में रहा हूं इसलिए आप तो जानते हैं।

पुलों के निर्माण का कार्य ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। पांचवीं योजना के तहत जो पुलियाएं बननी चाहिए, उनका निर्माण कार्य शीघ्र पूरा होना चाहिए।

वर्षा का मौसम आ रहा है। जयपुर के ग्रामीण क्षेत्र और नाहरी का नाका में जो पुल टूट गये हैं, उनकी मरम्मत अभी तक नहीं हुई है। जयपुर शहर में बाईस गोदाम, सिविल लाइन, कोकाकोला फैक्ट्री, जगतपुरा आदि स्थानों पर पुलों का निर्माण शीघ्र किया जाना चाहिए। जहां पर रेलवे लाइन क्रास करनी होती है, वहां पर भी पुल शीघ्र बनाए जाएं। रेलवे लाइनों पर पुल नहीं होने के कारण यदि मिनिस्टर की कोठी पर जाना हो तो एक-डेढ़ घंटे तक इन्तजार करना होता है। इसलिए यहां पर पुलों का निर्माण जल्दी से जल्दी होना चाहिए। इसके लिये टोल टैक्स लिया जाए। पुलियाओं पर से जो गाड़ियां गुजरेंगी उनसे यह वसूल किया जाय ताकि इन पुलियाओं की मरम्मत आदि हो सके।

अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में म्युजियम, प्रेम प्रकाश सिनेमा, सिरह ड्योडी बाजार, राम प्रकाश सिनेमा के पास पानी भर जाता है। फ्लड कन्ट्रोल के नाम पर इनकी योजनाएं बनी हुई हैं। इसलिए इन योजनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। इसी प्रकार जिन नालों का बहाव रोडवेज, रेलवे स्टेशन की तरफ है उनके लिए भी योजना बनी हुई है। उन योजनाओं पर जल्दी काम किया जायगा तो बढ़िया होगा।

अध्यक्ष महोदय, श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में भी दो मिनट निवेदन करना चाहूंगा। हमें मजदूरों को बेकारी भत्ता देना चाहिए। इस सम्बन्ध में न तो वित्त मंत्री महोदय ने और न ही राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में उल्लेख किया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो बेरोजगार मजदूर हैं, उनको बेकारी भत्ता दिया जाना चाहिए। मजदूरों के लिए व्यवस्थित बस्तियां हों, जहां पर उनके लिए मनोरंजन और शिक्षा का पूर्ण प्रबन्ध हो। हम गांवों में उद्योग लगाकर मजदूरों को बसावें। इसी प्रकार से जयपुर शहर के पास विश्वकर्मा औद्योगिक बस्ती है। यह हिन्दुस्तान का सब से बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है परन्तु आज वहां पर कई इकाइयां बन्द पड़ी हैं। सरकार को उनकी ओर ध्यान देना आवश्यक है।

श्रमिकों के बारे में सरकार की श्रमिक नीति क्या है? हम मजदूरों को मैनेजमेंट में भागीदार बनाना चाहते हैं? इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय उत्तर दें। मजदूरों की समस्या के हल के लिए मोबाइल यूनिट होनी चाहिए। लेबर की समस्या कारखाने पर जाकर हल करनी चाहिए। मोबाइल यूनिट को वहां पर जाकर फैसले करने चाहिए। बोनस और अन्य तरह की उनकी जो मांगे हैं, उनको हल करने में इससे लाभ मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, यह बेरोजगारी का दफ्तर है, यह केवल पोस्ट आफिस का काम

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)
करता है । जयपुर के बेरोजगार दफ्तर में कौन-कौन लोग बेरोजगार हैं, कितने खेतिहर लोग बेरोजगार हैं, इसकी सूचना नहीं है । इसका सर्वे होना चाहिए । मैं यह कहना चाहूंगा कि गांवों के अन्दर अन्य प्रकार के धंधा करने वाले लोग हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाए ।

जनता पार्टी के नाम से एक जनता मार्केट बना हुआ है। यह बंद पड़ा है। उसको पनपाने के लिए, उसको विकसित करने के लिये वहां पर उद्योग लगाने के प्रयत्न किये जायं ।

श्रमिक कल्याण केन्द्रों पर टेलीफोन और मनोरंजन की पूर्ण व्यवस्था हो । मैं आशा करता हूं कि जनता सरकार के मंत्री गण इन सब बातों पर विचार कर ध्यान देंगे और जिस समय उत्तर देंगे, मेरी इन बातों का भी उत्तर देंगे, यह मेरा निवेदन है ।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है । सब के लिए एक समय निर्धारित होना चाहिए । आप इस सम्बन्ध में उदार हैं। इस प्रकार तो एक माननीय सदस्य एक घंटा बोलेंगे और दूसरे को समय नहीं दिया जाएगा। आपका इस प्रकार का उदारता का रवैया है, इस सम्बन्ध में व्यवस्था होनी चाहिए ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यह माननीय सदस्य का डिस्क्रिशन नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : यह सदन का अधिकार है । बराबर है ।

श्री अध्यक्ष : श्री बजरंगलाल शर्मा । 8 मिनट । इससे अधिक समय न लें ।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, सदन में शान्ति हो जाए, उसके बाद से मेरा समय काउन्ट किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय, दो प्रश्नों के ऊपर आज सदन में विचार किया जा रहा है—एक तो सड़क और दूसरा रोजगार । मैं पहले रोजगार के सम्बन्ध में आपकी सेवा में निवेदन करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, जब से देश आजाद हुआ, लोगों को यह आशा हुई कि उनको काम-धंधा मिलेगा । तीस वर्ष तक यह आशा निराशा में परिणत होती रही । जनता सरकार आयी तो लोगों ने फिर यह महसूस किया कि उन्हें रोजगार मिलेगा, काम-धंधा मिलेगा जिससे वे रोटी-रोजी कमा सकेंगे, कपड़ा और मकान उनको मिल सकेगा । लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद है कि कोई परिकल्पना, कोई योजना इस प्रकार की पिछले अर्से में हमारे सामने नहीं आई है, जिसके आधार पर हमें यह लगता हो कि लोगों को रोजगार का आश्वासन हम दे पा रहे हों। पिछले दिनों राजस्थान कॉलेज में गया था। मेरे साथ रोजगार मंत्री, प्रोफेसर केदारनाथ भी थे। वहां छात्रों ने उनको और मेरे को घेरा । मैंने जयप्रकाशजी की तारीफ की इसलिए मेरा घेराव ज्यादा हुआ, मंत्री महोदय का कम हुआ । जयप्रकाश जी के आह्वान पर छात्रों ने भूमिका अदा की क्रान्ति की और उनके मन में यह भावना जागी कि नई व्यवस्था होने पर यूनिवर्सिटी-कॉलेज छोड़ते ही उन्हें रोजगार मिलेगा । परन्तु इस तरह की कोई बात पिछले 8 महीनों में राजस्थान में और 12 महीनों में हिन्दुस्तान में देखने को नहीं मिली। छात्रों में जो आक्रोश है, लॉ एण्ड ऑर्डर की जो सिचुएशन पैदा हुई है, विश्वविद्यालयों में अशान्ति पैदा

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

हो गई है, उसमें यह भी एक कारण है कि हम इस सारे वर्ष में इस तरह की कोई परिकल्पना छात्रों को नहीं दे पाये हैं, कोई ऐसी योजना जिन हाथों के बलबूते पर यह क्रान्ति हुई, उन हाथों को हम आश्वासन नहीं दे पाये हैं। कितने ही बड़े नेक इरादे हमारे हों परन्तु इस दिशा में हमने प्रयत्न नहीं किया है। जिन आदमियों ने क्रान्ति की है, वे ही उस क्रान्ति को विफल कर देंगे। श्रीमान्, मैं रोजगार मंत्री महोदय को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि रोजगार की व्यवस्था के बारे में आप सही तरीके से, स्पष्ट रूप से कोई योजना, देश, प्रदेश के सामने नहीं रखेंगे, लागू नहीं करेंगे तो वह दिन दूर नहीं है कि वे ही हाथ, जो आपके समर्थन में खड़े थे, आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। मैं रोजगार मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली बार जब बजट पर सामान्य बहस हुई थी, तो यह सुझाव दिया था परन्तु उसका कोई उत्तर नहीं मिला। मेरा यह सुझाव था कि यह जो कल कारखाने हैं, उनमें जो तीन शिफ्ट चलती हैं, उनकी जगह पर चार शिफ्ट चलायी जायं? इस निर्णय से एक साथ ही कितने ही मजदूरों, श्रमिकों, इन्जीनियरों को रोजगार प्राप्त होगा। इससे करीब एक-तिहाई संख्या से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा। आज एक शिफ्ट आठ घंटे की होती है। इस प्रकार कुल तीन शिफ्ट चलती हैं। इसको बदल कर 6 घंटे की एक शिफ्ट कर दी जाए तो चार शिफ्ट 24 घंटे में होंगी। इससे मजदूरों को सप्ताह में 36 घंटे काम करना होगा और एक दिन उनका आफ रहेगा, इससे कार्य कुशलता भी बढ़ेगी।

तीन के बजाय चार शिफ्ट होने से यही होगा कि जहां तीन आदमी काम कर रहे हैं वहां चार आदमी काम करेंगे, 5-10 करोड़ की उस मशीन पर और ज्यादा आदमियों को रोजगार मिल सकेगा। लेकिन खेद है कि रोजगार मंत्री ने इस सम्बन्ध में एक शब्द नहीं कहा। अगर वह ऐसी योजना शुरू करें तो मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बेरोजगारों को काम मिलेगा।

जहां तक रोजगार का प्रश्न है, यहां कहा गया है कि 3 हजार पट्टे अधिक जारी किये हैं। राजस्थान में खनिज सम्पदा है। अगर खनन का काम चलायें तो बड़ी संख्या में रोजगार मिल सकता है। पिछले रविवार 12 तारीख को श्रम मन्त्री जी और मैं खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट में गये। वहां पर दो-तीन हजार आदमी खपाये जा सकते हैं। लेकिन वहां के लोगों की शिकायत थी कि वहां पर मजदूर भी बॉम्बे और मद्रास से आते हैं, जैसे सीकर में मजदूर नहीं हैं। दूसरी जगह से आफिसर आते हैं, जैसे कि राजस्थान के लोग इस प्रकार के काम को संभाल नहीं पाते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि जितने भी प्रोजेक्ट राजस्थान में हैं, उन प्रोजेक्ट में, उन खानों में और दूसरी परियोजनाओं में काम राजस्थान के लोगों को मिले ताकि रोजगार की समस्या हल करने में सफलता प्राप्त हो सके।

हमारे यहां सड़क और पुलियाओं के बारे में कोई निर्धारित योजना नहीं जैसा कि अभी भाई गिरधारी लाल जी ने कहा हरियाणा की सड़कों के बारे में। माननीय श्रम मन्त्री जी और मैं वहां होकर आये हैं। वहां सड़कें ही नहीं, एप्रोच रोड भी बन गई हैं। कहा जाता है कि राजस्थान का आकार बहुत बड़ा है।

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

लेकिन जैसा राजस्थान का आकार है वैसा उसका डवलपमेन्ट नहीं है। एक प्रश्न के जवाब में आया, शेरसिंह जी का विकास आयुक्त के पद पर प्रमोशन किया गया है। इस विभाग की जिम्मेदारी है, उसके लिए शेरसिंह जी एक सुयोग्य व्यक्ति हैं।

लोग यह सोचते थे कि राजस्थान के हर गांव में सड़क हो जायेगी। इसके लिए खास तरह के मापदण्ड तय कर दिये जाएं, तो यह सही तरीका नहीं होगा। जब हम इस बात का दावा करते हैं कि यह बजट ग्रामोन्मुखी है तो गांव के लोगों को शहर तक और शहर के लोगों को गांव तक पहुंचने के लिए सड़क बना दें और हम उनको मिला दें। यहां से आप दिल्ली जाते हैं। बीच में हरियाणा आता है। वहां 5 किलोमीटर का रास्ता है। उस रास्ते को माननीय मन्त्री महोदय ने देखा है। वहां बैलगाड़ी चलना भी मुश्किल है। हरियाणा की जहां सीमा समाप्त होती है, जो बोर्डर के रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के बारे में ऐसा सुनने को मिला कि वह अपनी लड़कियां इधर देना पसन्द नहीं करते हैं क्योंकि उनकी लड़की तो सड़क पर चलने की आदी है किन्तु यहां मिट्टी में चलना पड़ेगा। राजस्थान में सड़कें नहीं हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम इस कलंक को तो मिटा दीजिये। जहां मेटल रोड हैं, वहां एप्रोच रोड बना दें।

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सन् 1973 और 75 में रोड रोलर के लिए टेण्डर दिया गया उसके बजाय 27 हजार के रोड रोलर का आर्डर दिया गया। उस फर्म को दिया गया जिसका कि यह काम ही नहीं था। फिर भी उससे रोड रोलर खरीदा गया और सारे नियमों को ताक पर रख दिया। उस रोड रोलर में पुराने पुर्जे थे। उसमें पुराना मैटीरियल लगा हुआ था। वह दिल्ली की फर्म से खरीदा गया। वह आज तक काम में नहीं आया। एक बार गवर्नमेण्ट ने ए. सी. डी. के द्वारा प्रासीक्यूट करने के लिए कहा था। विधिमन्त्री जी बैठे हैं, आप बतायें, आखिर वह कागज कैसे गायब हो गये ? पिछले सत्र में माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ने 23 व्यक्तियों को निलम्बित करने की बात कही थी। इस विभाग में इस प्रकार के घोटाले हैं कि इस विभाग को इस बारे में नामवरी प्राप्त है। एक मैं निवेदन करूंगा कि आप सूचना मांग लें, वह घोटाले आपको भेज देंगे। आपको मालूम पड़ जायेगा कि कितना कलंकमय डिपार्टमेन्ट है। आप इस कलंक को मिटायेंगे तो बड़ी सेवा करेंगे।

मैं एक दूसरा प्रश्न करूंगा, माननीय अध्यक्ष जी, आपकी मार्फत। मैंने पहले भी प्रश्न किया था लेकिन उत्तर नहीं आया है। कडाना डैम में 75 लाख का घोटाला हुआ है। बजट भाषण की सामान्य बहस में मैंने यह प्रश्न उठाया था। 75 लाख का घोटाला हुआ है। इस प्रकार से आप भ्रष्टाचार को कैसे मिटा पायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार में पैसा बहता चला जायेगा तो विकास नहीं होगा। 30 वर्ष तक यही हुआ है। मुझे अफसोस है कि बार-बार मामला उठाये जाने पर भी आज की सरकार कोई कदम नहीं उठा पा रही है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि धनाभाव की जो बात कही जाती

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

है, वह भ्रष्टाचार का पेट बढ़ाने के लिए है। इस विभाग के मन्त्री महोदय संजीदा हैं, सच्चे हैं। वह भ्रष्टाचार मिटायेंगे तो धन का अभाव नहीं रहेगा।

डूंगरपुर से गलियाकोट जाते समय शेरगढ़ से आदे की जो सड़क है...

श्री टीकमचन्द कान्त : समय लेने का तरीका है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : जिस ठेकेदार ने उस सड़क को बनाया पहले उसको एक करोड़ का ठेका दिया। अब उसको कन्स-ट्रक्शन के लिए तीन करोड़ का ठेका दिया गया है। क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय इसकी जांच करवायेंगे?

मेरा निवेदन है कि जब कभी भी बांस-वाड़ा और डूंगरपुर के मामले आते हैं, जो कि आठ महीने में आये हैं, परन्तु जनता सरकार उन मामलों की जांच कराने के लिये पता नहीं क्यों संकोच करती है। वहां के मामलों की जांच अगर कराई जावे, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वहां पर किये गये काले कारनामों का पर्दाफाश होगा। खुद-ब-खुद कई मामले सामने आयेंगे।

मान्यवर, एक और बात निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : एक मिनट और।

श्री बजरंगलाल शर्मा : जयपुर में एक गन्दा नाला है जो 'सी' स्कीम से शुरू होता है और सारे शहर की गन्दगी, माननीय गिर-धारीलाल जी भार्गव के क्षेत्र की गन्दगी श्रीमती उजला अरोड़ा के क्षेत्र की गंदगी और शिक्षा मंत्रीजी, श्री भंवरलाल जी शर्मा के क्षेत्र की गंदगी उसमें बहकर मेरे सीने पर आती है। सारा जहर मुझे पीना पड़ता है। पांच किलोमीटर तक तबाही मचाता हुआ यह नाला गन्दगी बहा कर लाता है। सचि-वालय के अन्दर एक बार जब माननीय मुख्य-मंत्री जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग रखी गई उसमें मैंने सारी बात रखी तो उसको सुनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि इसको ढकने की योजना बनायी जाय। उन्होंने यहां तक कहा कि 15 साल से तो मैं देख रहा हूं इसको, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उनके आदेश के बाव-जूद, इतने पुरजोर शब्दों में आदेश देने पर भी एक काम हुआ है, करतारपुरा के पास एक सड़क बनाई है। वह भी ऐसी है कि उसके अन्दर एक बार एक बैल का पैर फंस गया और दो हजार रुपये का बैल मर गया। इस तरह का काम माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय की नाक के ही नीचे हो रहा है। वहां पर मुख्यमंत्री महोदय भी रहते हैं, वहां पर चीफ इन्जीनियर भी रहते हैं, और दूसरे माननीय मंत्री भी रहते हैं, मेरा निवेदन है कि

(2.02 म.प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय एक बार शहर का चक्कर लगाकर देखें कि क्या हाल हो रहा है।

माननीय मुख्यमंत्रीजी और प्रधानमंत्री-जी ने भी कहा था कि हम कच्ची बस्तियों का निर्माण करेंगे...

श्री मूलचन्द डागा : लेकिन प्रधानमंत्री-जी तो वायदा पूरा होने से पहले ही आ गये।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आप चक्कर लगाकर देख लीजिये आपका सिर शर्म से न झुक जाय तो आप चाहे जो सजा मुझे दे सकते हैं।

मैं एक और उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं, चीफ सैक्रेटरी का बंगला है, बड़ा लम्बा-चौड़ा और विशाल भवन है, उसका किराया 350/- महीना है। उसके बराबर में हीराबाग के जो फ्लेट्स हैं, छोटे-छोटे, वह उसके मुकाबले में ऐसे लगते हैं जैसे राजा भोज के मुकाबले में तेली की झोंपड़ी। उनका किराया भी 350/- महीना। यह है पी.डब्ल्यू.डी. का असेसमेन्ट। इस बात की भी जांच कराई जानी चाहिए कि किस इन्जीनियर ने इस प्रकार से असेसमेन्ट किया है। पी.डब्ल्यू.डी. में कई आफिसर ऐसे हैं, जिन्होंने सरकार से कर्जा लिया, खुद का मकान बनाया और सरकारी मकानों में रहते हैं क्योंकि अलाटमेंट पी.डब्ल्यू.डी. करता है। सरकारी मकान उन लोगों को अलाट किये गये हैं जिनके मकान दूसरों को किराये पर दिये हुए हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आपको ऐसे लोगों की पूरी लिस्ट दे सकता हूं। ऐसे लोग हैं जिनके पास दो-दो मकान खुद के हैं लेकिन पी.डब्ल्यू.डी. के मकान में रहते हैं। ऐसे लोगों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं जो दो-तीन हजार रुपया माहवार किराये का लाभ उठा रहे हैं? बड़े अधिकारियों को बड़ा लाभ मिलना चाहिए, इसलिये अपने मकानों का एक हजार का और दो हजार का असेसमेंट करवा लेंगे। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के बजाय यह पर्सनल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो गया है। ये लोग अपना स्वयं का भला कर रहे हैं। अगर सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर से जो आप कहते हैं कि सड़कों और पुलियाओं की योजनाओं के लिये धन नहीं है, आपको उनके लिये धन ही नहीं मिलेगा बल्कि आप उनका और भी विस्तार कर सकते हैं, नहीं तो जो आपकी इमेज बही जा रही है और इसी तरह से बहती रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा :

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले मांग संख्या 23 पर निवेदन करना चाहूंगी। मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगी कि वह श्रम-नीति की स्पष्ट घोषणा करें। हमारे श्रम कानून बहुत पुराने हैं इनके अन्दर संशोधन किया जाना है। इनसे श्रमिकों को कोई संरक्षण नहीं मिलता और जो मिलता है वह अपर्याप्त है, इसलिए इसमें संशोधन की आवश्यकता है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बधाई देना चाहूंगी कि मंत्री होते ही आपने श्रमिक प्रतिनिधियों और उद्योगपतियों को बुलाकर विचार-विमर्श किया जिससे डिस्प्यूट न बढ़े, जिससे श्रम और उत्पादन में किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। आपने उनकी बैठक बुलाई और आपस में विचार-विमर्श किया। जो घटनाएं आपातकाल में घटीं, श्रमिकों का दमन किया गया उसके स्थान पर आपने मुक्ति का सा वातावरण पैदा किया, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहती हूं। आपके निर्णय अच्छे हैं, तालाबन्दी, हड़ताल, प्रदर्शन आदि के लिए आपने अच्छे कदम उठाये। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इन सबके बावजूद हमारे यहां कुछ ऐसे गलत कदम उठाये गये जिनके कारण से श्रमिकों के कई संगठनों में मनमुटाव बढ़ा,

Page No 102

(102)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। मेरा इतना ही निवेदन है कि इन सब घटनाओं को देखते हुए कहीं ऐसा न हो कि गलत आदमियों को संरक्षण दिया जाय, गलत आदमियों को समर्थन दिया जाय और जो हमारी नीति है वह श्रम-विरोधी बन जाय। मैं उदाहरण के तौर पर निवेदन करूं कि गवर्नमेंट प्रेस में जो हड़ताल हुई, उसी के साथ विद्युत् विभाग में और जलदाय विभाग में भी हुई, भारतीय मजदूर संघ की हड़ताल हुई, उसमें जो रास्ता अपनाया वह गलत था। इस संबंध में हमको सावधानी बरतनी चाहिए, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि ग्रामों में रोजगार संबंधी योजना बनाई जाय ताकि गांवों में अधिक संख्या में बेरोजगार लोगों को रोगजार मिले। रोजगार नियोजन कार्यालय जो है वास्तव में उसकी नीति चिट्ठी पहुंचाने की है। किसी ने नाम मांगा और उन्होंने भेज दिया। इतना ही करने के बाद वे अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। अनेक बार देखा गया है कि जिनके नाम पंजीकृत हैं उनके नाम नहीं भेजे जाते हैं और एक-दूसरे के कहने से नाम भेज दिये जाते हैं। अपनी ओर से कोई सर्वेक्षण नहीं किया जाता, रोजगार दिलाने की कोई योजना नहीं बनायी जाती। इसके द्वारा कोई सर्वे कराकर उसको क्रियान्वित कराया जाना चाहिए। जिस उद्देश्य को लेकर यह विभाग बनाया गया है वह यह पूरा नहीं करता तो इसका कोई उपयोग नहीं है। नाम लिखने में भी, मैं बताना चाहूंगी कि आनाकानी की जाती है। गलत तरीके अपनाये जाते हैं, कोई किसी के लिए कह दे या कोई पैसे दे देतो उसका नाम भेज दिया जाता है। यह गलत तरीका है। जनता राज में इस तरह से काम नहीं होना चाहिए। रोजगार देना हमारे संविधान में राज्य सूची का विषय है। हमने अपने घोषणा-पत्र में भी लिखा है कि हम रोजगार देंगे। उस कार्य को पूरा करने के लिए रोजगार और शिक्षा नीति में कुछ रेडीकल चेंजेज लाई जायं। शिक्षित बेरोजगारों को दूसरी जगह भत्ता दिया जा रहा है। इस बारे में भी निर्णय करना चाहिए कि उनको केवल भत्ता ही नहीं दिया जाय बल्कि कुछ काम भी उनसे लिया जाए। हम जो रोजगार दे रहे हैं वह पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पा रहे हैं। इतने कार्यालय नहीं, इतने पद नहीं। हमारे निजी क्षेत्र में लोग काम करते हैं, दुकानदारों के यहां भी कर्मचारी हैं, कई दवाओं वालों के पास काम करते हैं या अन्य निजी क्षेत्र में काम करते हैं, उनको भी कंपनी नियमों में कम्पनी कर्मचारियों के लिए जो सुविधायें हैं वह दी जाएं, कानून बनाकर उनको संरक्षण दिया जाए। एक दिन नौकरी में लगा दिया, दूसरे दिन कान पकड़कर कह दिया कि कल से मत आना, इस तरह की घटनायें होती हैं। इसलिये उनको संरक्षण देने के लिए भी नियम बनाए जाने चाहिए जिनसे उनको भविष्य निधि, सेवा सिक्योरिटी, चिकित्सा भत्ता, बोनस आदि सुविधायें कंपनी एक्ट के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के समान मिल सकें। छोटे-छोटे कारखानों खोले जाते हैं उनमें मालिक 20 कर्मचारियों की संख्या पूरी नहीं होने देते, हमेशा 19 ही रहने देते हैं, 20 होते ही एक को निकाल देते हैं। इसकी जांच करनी चाहिए जिससे छोटे-छोटे श्रमिकों को संरक्षण दिया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया जल्दी भाषण समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे कुछ सुझाव हैं। 1974 में दुकानों के खुलने व बंद होने के नियमों की घोषणा की गई थी लेकिन आज कल बाजारों में हम सब देखते हैं कि रात को 8 बजे के बाद भी दुकानें खुली रहती हैं। जो भी निजी संस्थाओं में काम करते हैं उनसे भी दूसरे कर्मचारियों की तरह 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं लेना चाहिए।

रिक्शाओं के लिए हमने नियम बनाया था कि रिक्शा उसका जो खुद चलाए। उसको बदलने की चेष्टा की जा रही है। जो रिक्शा खरीदे वह दूसरे से चलवाया जा सकता है, इसको प्रोत्साहन देने की चेष्टा की जा रही है। इस बारे में भी गंभीरता से विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे क्षेत्र की जो समस्यायें हैं, उनके लिए मैंने कटौती...

श्री उपाध्यक्ष : मेरी बात सुनिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं अब सार्वजनिक निर्माण विभाग...

श्री उपाध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों का पहले बोलने वालों में नाम हैं वे निर्धारित समय से ज्यादा न लें। 7 मिनट हो चुके हैं। हर सदस्य यदि 15-20 मिनट लेगा तो कितना समय लग जाएगा। अतः मैं किसी को अनुचित लाभ नहीं देना चाहता। आप जल्दी समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सड़कों और पुलों के बारे में मेरे सुझाव हैं। जो हमारी सीमावर्ती सड़कें हैं, जो बोर्डर एरियाज हैं, जोधपुर से गडरा रोड तक, वहां सड़कें बहुत खराब हैं। वे युद्धोपयोगी सड़कें हैं, उनके द्वारा सैनिकों के लिए सामान लाना ले जाना पड़ता है। खराब सड़कों के कारण सैनिकों को समय पर सामान नहीं पहुंचता इसलिए इन सड़कों को ठीक करने की व्यवस्था की जाय।

श्री मूलचन्द डागा : आप कभी उन सड़कों की तरफ गई हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : जी हां। मैं गिरफ्तार भी वहां की गई थी : आप चलेंगे ?

इसके अलावा खानों तक सड़कें ले जानी थीं, उद्योगों के लिए जो योजनायें थीं उनके संबंध में भी बजट में संकेत नहीं था कि कितना प्रावधान किया गया है। हमें खनन केन्द्रों से पैसा उपलब्ध कराना होगा और उद्योग खोलकर रोजगार देना होगा इसलिए उन क्षेत्रों में भी सड़क बनायी जानी जरूरी है। मेरा सुझाव है कि आवागमन की दृष्टि से जो मुख्य मार्ग हैं उनको चौड़ा किया जाए। इस समय एक तरफ से यदि ट्रक आ रहा है तो दूसरी तरफ से सवारी नहीं जा पाती। नेशनल हाई वे नं. 8 खराब हालत में है, जगह-जगह पानी भर जाता है, बार-बार आवागमन रुकता है। नेशनल हाई वे नं. 11, जो बीकानेर तक जाता है आगरा से, के लिए भी केन्द्रीय सरकार पैसा देती है, विश्व बैंक से पैसा मिल सकता है। वहां हालत खराब है, उसमें सुधार करना चाहिए। इसके साथ ही जो सड़कें गांवों में जाती हैं..

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : रामगढ़ रोड पर पांच नाले पड़ते हैं, लाली का नाला, रोड़े का नाला, सुगली नदी, डूंड नदी व मानसागर का नाला व साईवाद का नाला। इन पर कलवर्ट्स बनाये जाने चाहिए। इनकी

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

वजह से सवारियों के दो-दो घंटे खराब हो जाते हैं ....

श्री उपाध्यक्ष : मैं अधिक समय देने में विवश हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं समाप्ति की ओर जा रही हूं।

कृषि उपज मंडी के पास बहुत पैसा है, कृषकों से पैसा लिया जाता है, उस पैसे का उपयोग गांवों की सड़कें बनाने के लिए किया जाए। सेतु निगम जो बनाना था उसकी भी तत्काल घोषणा की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुल मोहम्मद।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बेरोजगारी की समस्या, जो दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है, के लिए कुछ कहना चाहता हूं। ये जो आंकड़े हैं बेरोजगार व्यक्तियों के उसके अनुसार उनकी संख्या 1975 में 2 लाख 65 हजार थी, 1976 में 2 लाख 73 हजार थी और 1977 में 2,83,630 याने 4.5 प्रतिशत बढ़ गए। हमारी जनता पार्टी के मैनीफेस्टो में कहा गया है कि 10 वर्ष में बेरोजगारी की समस्या का निराकरण कर देंगे लेकिन केवल कहने से कोई निराकरण नहीं होगा, इसके लिए कोई ठोस कार्यक्रम बनाना पड़ेगा जो कि अभी तक नहीं बनाया गया है। मेरा सुझाव है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है वह बिल्कुल बेकार है। जितने लोग हाई स्कूल एजूकेशन लेने कालेज व यूनिवर्सिटी जाते हैं उनको बिल्कुल तकनीकी ज्ञान नहीं होता है। जब तक देश टैक्नोलोजी की तरफ नहीं जाएगा तब तक यह समस्या बढ़ती जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि समस्या को सुलझाते-सुलझाते हम भी चल देंगे लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। इसको सुलझाने के लिए यूनिवर्सिटी व कालेजों के अंदर जो आर्ट्स क्लासेज हैं उनको समाप्त करके उनकी जगह तकनीकी क्लासेज चलाई जायं और उद्योग-धंधों का ज्ञान दिया जाए। इससे जब वे यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो रोजगार की तलाश में नहीं होंगे बल्कि अपने छोटे-छोटे उद्योग-धंधे लगाने की तलाश में लगे रहेंगे, फैक्ट्री की तलाश में होंगे।

महाराष्ट्र में बेरोजगारों के लिए अभी एक राइट आफ वर्क कानून बनाया गया है। पंजाब व बंगाल ने, जिन बेरोजगारों को 5 वर्ष से रोजगार नहीं मिला और जिनका रोजगार विभाग में रजिस्ट्रेशन है उन्हें 50/-रु. प्रति माह भत्ता निर्धारित किया है। इसी प्रकार यहां पर भी बेरोजगारों को भत्ता दिया जाए। केरल में भी प्रति वर्ष 400/-रु. के हिसाब से भत्ता देना तय किया गया है। इसके अलावा जैसे शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को, ग्रेजुएट्स को 150/- व एम.ए. पास को 250/- रु. सहायता के रूप में दिया जाता है वैसे ही मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेज के जो व्यक्ति हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, उनको एक पैसे की भी सहूलियत नहीं होती है, उनकी सहायता भी की जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेज के लोगों को भी यह सहूलियत दी जानी चाहिये। जिन्होंने बी. ए., एम. ए. पास किया है उनको भी आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके

(श्री गुल मोहम्मद)

अलावा, श्रम के लिए भी मैं कहना चाहूंगा। आजकल जितनी हड़ताल वगैरह हो रही हैं इनके बारे में हमें बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। श्रमिकों को भी यह देखना चाहिए कि हड़ताल वगैरह से उत्पादन का नुकसान होता है और देश का उत्पादन खराब होता है। उद्योगपति और श्रमिकों के बीच में जो एटमास्फियर है उसको क्लियर करना चाहिए। श्रमिकों को ऐसा समझना चाहिए कि जो उद्योग लगाये गये हैं वे अपने हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके अलावा एक बात और कहना चाहूंगा। बेरोजगारी की समस्या के बारे में अभी कुछ समय पहले . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो दूसरे कटौती प्रस्ताव आपके हैं उन पर विचार व्यक्त कर दें बहुत संक्षेप में।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय मंत्री महोदय ने 25-2-78 को एक आॅर्डर निकाला था जिसके द्वारा डाइरेक्टर, नियोजन को उन्होंने हटाया था। उनकी जगह यह कहा गया था कि जो डिप्टी डाइरेक्टर हैं उनको डाइरेक्टर बना दिया जाय, लेकिन मंत्री महोदय के आदेश की अवहेलना की जा रही है। आई.ए.एस. आॅफिसर हैं उनको जो भी आॅर्डर्स दिये गये हैं उनकी कोई अनुपालना नहीं की जा रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो डाइरेक्टर, नियोजन थे उनको 25 फरवरी को हटा दिया गया लेकिन आज भी उनके घर पर टेलीफोन लगा हुआ है। उस टेलीफोन का खर्चा कौन देगा? इस तरह की कई बातें देखने में आई हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सड़कों और पुलियाओं के बारे में अपनी बात कहना चाहूंगा। कई दफा मुझे घूमने का मौका मिला है, पुलियाओं की यह स्थिति है कि उनके ऊपर से बरसात का पानी निकलता है। इस कारण से वे पुलियाएं बरसात के बाद खतम हो जाती हैं। मंत्री महोदय से मैं यह कहना चाहूंगा कि जो भी पुलिया बनाई जाती है तो पानी पुलिया के नीचे से होकर जाना चाहिए, वरना हर बरसात के बाद उन पुलियाओं की मरम्मत करवानी पड़ जाती है जिससे देश के धन का नुकसान होता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर के लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि जयपुर की सड़कों का मेन्टीनेन्स पी.डब्ल्यू.डी. को दे दिया जाय, क्योंकि कई ऐसी जगहें हैं, मिसाल के तौर पर बर्फखाने की और सिन्धी......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कॉलोनी की सड़कें हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके बनाने के लिए पुनर्वास विभाग को कहा गया तो जवाब आया कि हमारी सड़कें नहीं हैं, और यू.आई.टी. कहती है कि हमारी सड़कें नहीं हैं और दूसरे डिपार्टमेंट भी कहते हैं कि हमारी सड़कें नहीं हैं। तो इन सड़कों की मरम्मत कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि इन सड़कों की मरम्मत का काम और भवनों की मरम्मत की जिम्मेवारी पी.डब्ल्यू.डी. को दी जाय।

Page No 106

(106)

(श्री गुल मोहम्मद)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पी. डब्ल्यू. डी. के अन्दर इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि जिसकी कोई हद नहीं है। ठेकेदारों से पर्सेन्टेज बन्धा हुआ है ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री गुल मोहम्मद : उसकी कोई जांच नहीं होती है। जो भी सड़क का कार्य किया जाय उस कार्य की कुछ राशि ठेकेदारों को रोक दी जाय और वह राशि एक साल के बाद उनको तब दी जाय जब यह मालूम हो जाय कि उनका काम ठीक हो गया है। उसके बाद में वह राशि उनको लौटाई जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके अन्दर जो प्रमोशन की नीति है वह इस तरह की होनी चाहिए कि उन्हीं इन्जीनियर्स को प्रमोशन दिया जाय जिनका वर्क अच्छा हो, जो ईमानदार हों और उनके द्वारा बनवाई हुई सड़कें या भवन अच्छे बने हों, काफी समय तक वे चलें। यह देख लें कि किस प्रकार का उनका कार्य हुआ है और उनके बनाये हुए भवन कितने अच्छे बने हैं। अगर वे खराब बने हैं तो उसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराना चाहिए और उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

साथ ही कानून में तब्दीली लाई जाकर ऐसे लोगों के लिए सजा का प्रावधान भी होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजिये।

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जितनी भी शहरों की सड़कें हैं उनकी स्थिति चिन्ताजनक है। जयपुर जैसे शहर में, जो कि पिंक सिटी कहलाता है, सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जो रामगंज बाजार का इलाका है उसके अन्दर जो सड़कें हैं उसके लिए एक साल...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

से कह रहा हूं लेकिन सारी सड़कें वैसी ही पड़ी हुई हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। श्री ओमप्रकाश।

मैं यह बात देखता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनके विषय में नहीं बोल कर दूसरे विषयों पर चर्चा करना शुरू कर देते हैं और समय का ख्याल ही नहीं करते हैं। अगर समय ज्यादा लगायें तो कम से कम उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी चर्चा को कटौती प्रस्तावों तक ही सीमित रखें। यदि वे दूसरे विषयों पर बोलेंगे तो बाध्य होकर मुझे बैठने का निर्देश देना पड़ेगा।

श्री गुल मोहम्मद : आपकी घंटी से बार-बार लिंक टूट जाता है।

एक माननीय सदस्य : तो बैठ जाया करें घंटी बजते ही।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा में 13-14 नवम्बर को मंत्रिमंडल की बैठकें हुई।

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

उस मंत्रिमंडल की बैठकों में जो निर्णय लिये गये उन निर्णयों के अनुसार एक भी काम आज तक शुरू नहीं हुआ है जबकि आपके मंत्रि-मंडल ने कहा था, सरकार ने यह बात कही थी कि मार्च तक हर हालत में यह काम शुरू कर दिया जायगा। उन निर्णयों में से कुछ काम सड़कों के बारे में थे। लक्ष्मीपुरा रोड से डाबी को सड़क 12 किलोमीटर तक वह पहले से ही बनी हुई है। उसमें लाखों रुपया खर्च हुआ है, परन्तु उस सड़क के लिये कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है। इसी प्रकार से नमाना से गरड़दा तक की सड़क बेकार पड़ी हुई है। उसकी मरम्मत की आवश्यकता है, लेकिन कोई कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। इसी प्रकार बाईपास, छतरपुरा होती हुई बूंदी-कोटा सड़क तक तीन किलोमीटर की सड़क को मिलाती है। अगर वह पूरी हो जाती है तो बूंदी के बाहर से रास्ता हो जायगा और उससे बड़ी सुविधा रहेगी। इसी तरह से दो और चीजें हैं जिन पर मंत्रिमंडल ने निर्णय लिये थे। एक तो बूंदी में पर्यटक केन्द्र के भवन निर्माण के लिए। इस बात को स्वीकार किया गया था कि बूंदी में इस प्रकार के भवन तैयार किये जायेंगे परन्तु अब तक कहीं भी काम शुरू नहीं किया गया है। इसी प्रकार से बूंदी अस्पताल में-बच्चों का वार्ड और जनाना वार्ड "बी" श्रेणी का अस्पताल बनाने की बात की थी उसका भी पता नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल उसी बात का निर्णय ले जो वह पूरा कर सके। किसी वायदे को पूरा नहीं किया है। अगर आप वायदा करते हैं तो उसको पूरा करना चाहिए।

हमारे यहां बालचंद पाडा स्कूल में भवन की कमी है। पिछले अधिवेशन के अन्दर भी मैंने इसके बारे में कटौती प्रस्ताव रखा था, परन्तु उस कटौती प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस प्रकार की जो बातें रखी जाती हैं विधान सभा के अन्दर यदि उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है तो हमारा बोलना बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है।

चौगान गेट स्कूल का भवन इस प्रकार की हालत में है कि एक बरसात भी वह सहन नहीं कर सकता। अगर उसको तुरन्त ठीक नहीं करेंगे तो उस भवन के नीचे गिरने की सम्भावना है। भगवान न करे, वह भवन गिरे और सैकड़ों बच्चे मौत के घाट उतर जायं।

बूंदी में मिडिल स्कूल है उसकी भी यही हालत है। लड़कियों के स्कूल के भवन की कमी है और स्कूल तीन शिफ्ट में चल रहा है। उसमें बच्चियों के बैठने की जगह नहीं है। इसको पूरा कराया जाना आवश्यक है।

इसी प्रकार से नमाना रोड से नमाना को जो सड़क जाती है उस पर लगभग 20 गांवों के लोग आ जा सकते हैं। जनता सरकार ने वायदा किया था कि गांवों को सड़कों से जोड़ेंगे, मगर वह भी पूरी नहीं हुई है।

बूंदी से लगभग 9 किलोमीटर उमरच होता हुआ सिलोर तक जो रास्ता जाता है उस सड़क को बना दें तो 10 गांवों को लाभ मिलेगा। बरसात के दिनों में वर्तमान समय में गांव में यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाय तो सड़क या रास्ता नहीं होने की वजह से जिन्दा व्यक्ति को ही इस प्रकार से लाना पड़ता है जैसे किसी मृत व्यक्ति को ले जाते हैं। चार व्यक्ति खाट पर डालकर उसको लाते हैं यह गांव ऐसे गांव हैं कि इनको तुरन्त सड़कों से लिंक किया जाय।

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

इसी प्रकार कोथ्या से बाजड़ तक की सड़क वहां से 15 किलोमीटर दूर है। वहां के काश्तकार हजारों मन गल्ला पैदा कर शहरों को देते हैं। बूंदी जिला सारे राजस्थान को अन्न देता है, लेकिन वहां पर सड़कों की यह हालत है। अतः मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन राज्य सरकार को करना चाहूंगा कि आप इन गांवों को सड़कें बना कर शहरों से मिलायें जिससे कि काश्तकार अपना अनाज वहां अच्छी तरह से ले जाकर बेच सकें।

इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बूंदी शहर को गवार से जोड़ा जाय।

एक माननीय सदस्य : क्या गवार ?

श्री ओमप्रकाश शर्मा : हां, गवार एक गांव का नाम है। अगर आप गवार गांव की पुलिया को बना दें तो वहां के काश्तकारों को काफी लाभ पहुंचेगा। ऐसा करने से गवार से बूंदी तक लोग ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, ट्रक वगैरह से अपना अनाज लाकर बेच सकेंगे। आज उनको बहुत भारी दिक्कत हो रही है। इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, नौलाड़ा और देलन्दा की पुलिया टूटी हुई है। वहां के आसपास के एरिया में हजारों बीघा जमीन पर गन्ना खड़ा हुआ है लेकिन आज वहां पर आने-जाने के साधन नहीं होने से, पुलिया नहीं बनी हुई होने के कारण किसान अपना गन्ना लाकर नहीं बेच सकता है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि नौलाड़ा और देलन्दा की पुलिया बनायी जाय व सड़क बनायी जाय ताकि लोगों को राहत मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अंथड़ा के जो काश्तकार हैं वह लोग इस नई पुलिया बनाने के लिये 50 हजार रुपये तक देने का तैयार हैं। इसके लिये मैं आपको पहले भी कई बार निवेदन कर चुका हूं। इस सदन में भी कई बार निवेदन किया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही उस पुलिया को बनाने के बारे में नहीं हुई है जो कि होनी बहुत जरूरी है। उस पुलिया के बनने से, उपाध्यक्ष महोदय, बूंदी को करीब 30-35 गांवों से जोड़ा जा सकेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन पुलियाओं को ठीक कराया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब थोड़ा बेरोजगारी के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी जनता पार्टी ने चुनावों में यह घोषणा की थी कि हम अगर जीत गये तो हम पढ़े-लिखे लोगों को रोजगार देंगे। हम आज देख रहे हैं कि हजारों पढ़े-लिखे लोग आज बेरोजगार घूम रहे हैं। जब इन पढ़े-लिखे बेरोजगारों के पास कोई काम नहीं होगा तो वह क्या करेंगे। उन्हें फिर शैतानी करना ही सूझेगा। यही कारण है कि आज यह बेरोजगार लोग विद्यार्थियों में मिल कर शैतानियां करते हैं और हड़तालें कराते हैं। इसलिये मुझे यह निवेदन करना है कि जब हमने इनसे वायदा किया था रोजगार दिलाने का तो फिर आप इन्हें रोजगार मुहय्या कराने में तत्पर क्यों नहीं हो रहे हैं ? आज स्थिति यह है, उपाध्यक्ष महोदय, जब हम बूंदी जाते हैं तो लोग हमें पकड़ते हैं कि आपने लोगों को रोजगार दिलाने के वायदे किये थे, अब आपकी सरकार आ गयी, हमें रोजगार

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)
क्यों नहीं दिलाते हो, तो हम क्या जवाब दें। मेरा निवेदन है कि इस ओर राज्य सरकार को तुरन्त ध्यान देना चाहिये। इसके लिये मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बूंदी में रॉक फॉस्फेट की बहुत बड़ी खानें हैं इससे रॉक फॉस्फेट का उद्योग लगाया जा सकता है। आज हमारे देश में सीमेन्ट की बहुत आवश्यकता है। अगर आप बूंदी में सीमेन्ट का कारखाना खोलें तो एक तो हमें सीमेंट मिल जायेगी, दूसरे वहां पर हजारों लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इसके अलावा रॉक फॉस्फेट से हम बूंदी में और भी दूसरे उद्योग लगा सकते हैं। वहां बहुत-सी खानें हैं। वहां पत्थर की भी बहुत-सी खानें हैं। अगर आप वहां उद्योग लगायें तो मैं समझता हूं हजारों लोगों को न केवल काम ही मिलेगा अपितु हमारे देश का विकास भी होगा। मैंने इसके लिये उद्योग मंत्रीजी से भी निवेदन किया था। अब, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बूंदी में जल्दी से जल्दी सीमेण्ट कारखाना खोला जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा आपका ध्यान बूंदी शहर की ओर दिलाना चाहूंगा। आज बूंदी शहर में जो सड़कें हैं उनमें डेढ़-डेढ़ फीट के गहरे गड्ढ़े पड़े हुए हैं। जब पी. डब्ल्यू. डी. वालों से सड़कों की मरम्मत के लिये कहते हैं तो वह कहते हैं कि यह तो हमारी सड़कें नहीं हैं। नगरपालिका को कहते हैं तो वह सार्वजनिक निर्माण विभाग का नाम बताते हैं। जब वह दोनों एक दूसरे की सड़क बता कर सड़कों को ठीक कराने के काम को टाल रहे हैं तो हम फिर किसको जाकर कहें, यह समझ में नहीं आता। इसलिये मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन सड़कों को तुरन्त ठीक कराया जाय। आज स्थिति ऐसी है कि उन गड्ढ़ों में पानी भर गया है और नालियों से पानी बह कर सड़कों पर आ जाता है। बरसात में तो हालत बहुत ही खराब हो जाती है। अभी भी वहां पर सड़कों पर वैसी ही हालत है जैसी कि बरसात में हो जाती है। इससे वहां पर बीमारियां फैलने का डर लगा रहता है। मलेरिया वगैरह की बीमारियां वैसे भी फैल रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ आधा मिनट ही और निवेदन करके बैठ जाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, बूंदी शहर में जो सड़कें बनायी गयी थी वह ठेकेदारों ने बनायी थीं। वह मुश्किल से एक महीना भी नहीं चल पायी और उनमें गड्ढ़े पड़ गये। मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि आप इसकी जांच करायें और दोषी अधिकारियों को दण्ड दें। इन्जीनियरों का और ठेकेदारों का कमीशन बन्धा हुआ होता है। उनका संबंध ऐसा होता है जैसे मधुमक्खी का मधु से। उनका पर्सेन्टेज बन्धा हुआ होने से गड़बड़ियां होती हैं। इसलिये मेरा सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से यह निवेदन है कि बूंदी की सड़कों को तुरन्त ठीक करायें और जो इन्जीनियरों को ठेकेदारों से पर्सेन्टेज मिलता है वह तुरन्त बन्द किया जाय।

साथ में जो मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी दूर करने के लिये सुझाव दिये हैं

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

उसकी ओर राज्य सरकार ध्यान दे। बेरोजगारों को भत्ता भी राज्य सरकार जो कि हमारी जनता पार्टी की घोषित नीतियों में से है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम करणसिंह। आपके लिये वैसे तो माननीय सदस्य, जो दातारामगढ़ से आते हैं, श्री मदनसिंहजी ने यह कहा था कि मेरा बोलने का समय जो है वह श्री रामकरणसिंहजी को दे दिया जाय, वैसे हुमायूं ने प्रार्थना अकबर के लिये की थी कि मेरी जिन्दगी उसको दे दी जाय। मैं इसे मानने वाला नहीं हूं। अतः मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपको जो निर्धारित समय दिया हुआ है उसी के अन्दर आप बोलने का कष्ट करें?

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे यह बताया कि दातारामगढ़ से आने वाले सदस्य श्री मदनसिंहजी ने अपना समय मुझे देने के लिये कहा, उसको आपने स्वीकार नहीं किया है लेकिन आप फिर भी कुछ रियायत तो मुझे देंगे ही।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सार्वजनिक निर्माण विभाग ऐसा विभाग है जो कि हमको वास्तव में चला सकता है। मैं बहुत ही थोड़े में चन्द पॉइन्ट ही बोलूंगा और आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा।

सबसे पहले तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे पी. डब्ल्यू. डी. के कई ऐसे-ऐसे भवन हैं जिनको आज तक इस विभाग ने जाकर के भी वापस नहीं देखा है। उनकी हालत बिगड़ रही है। सच पूछो तो, उपाध्यक्ष महोदय, उनको यह ज्ञान नहीं है कि वह उनकी प्रोपर्टी है। ऐसे भवन कई तो गांवों में हैं और कई शहरों में हैं। अब वह बेकार हो रहे हैं। उनकी मरम्मत ही नहीं हो पा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, कई जगह पर डाक बंगले पुरानी स्टेटों के समय के बने हुए हैं उन पर लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखा है। मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया तो हमारी सरकार को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मेरा निवेदन है कि उनकी ओर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिये। अब चूंकि हम अपने राजस्थान का विकास करने जा रहे हैं और नये-नये ऑफिसेज खोलने जा रहे हैं तो हम इन पुराने भवनों को ऑफिसेज के रूप में काम में ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपको निवेदन करूं कि कोटपूतली तहसील में एक पावटा जगह है जहां पर स्टेट के जमाने का डाक बंगला बना हुआ है। उस पर लोगों ने नाजायज तौर से अपना कब्जा कर रखा है। और ऐसी स्थिति हो गयी है कि उसका मुंह बन्द हो रहा है। मेरा निवेदन है कि बहुत अच्छी जगह वह अच्छा डाक बंगला है उसकी ओर ध्यान दिया जाय। इसी तरह पर स्टेट के समय की एक राधारी जगह है। वहां की एक बिल्डिंग आपके पी.डब्ल्यू.डी. के रिकार्ड में है, लेकिन उसका अता पता ही नहीं है। वह दो तीन लाख रुपये की बिल्डिंग है। मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि आप उस पावटा के डाक बंगले के साथ राधारी को भी सम्भालें। उन पर आज जो दूसरे लोग कब्जा किये हुए बैठे हैं उनको हटा कर राज्य सरकार उनको अपने कब्जे में ले। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह पावटा और राधारी की जो बिल्डिंग स्टेटों के जमाने

(श्री रामकरणसिंह)

की है उनमें से राधारी की बिल्डिंग में तो आप एक मार्केट खड़ा कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं आपको थोड़ा कोटपूतली इलाके की सड़कों के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, कोटपूतली का इलाका ऐसा इलाका है जिसके बोर्डर के पास ही उत्तर प्रदेश का इलाका पड़ता है। उधर उसके पास दिल्ली पड़ती है और ठीक कोटपूतली की सरहद से सटता हुआ हरियाणा का इलाका है। उपाध्यक्ष महोदय, जब हम हरियाणा में जाते हैं तो वहां की सड़कों की हालत देख कर हमारी आंखें चकाचौन्ध हो जाती है। स्थिति ऐसी बन गयी है कि हमारे इलाके के लड़कों को हरियाणा के लोग अपनी लड़की तक देने को तैयार नहीं होते हैं। कारण यह है कि हमारे इलाके को हरियाणा वाले पिछड़ा इलाका मानते हैं। हरियाणा में अच्छी मैटल रोड है जबकि हमारे यहां पर कच्ची और खराब हालत में सड़कें हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे स्वाभिमान को इससे ठेस पहुंचती है। एक तो वह बोर्डर का इलाका है और दूसरे हमारी सड़कों की हालत खराब है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो बोर्डर के इलाके की सड़कें हैं उनकी ओर विशेषतौर से राज्य सरकार ध्यान दे।

इसी प्रकार हमारे यहां एक सड़क कल्याणपुरा खुर्द है जो कि कोटपूतली के नजदीक है। सिर्फ डेढ़ किलोमीटर सड़क और बनाने का सवाल है। हमारे वहां पर खानें है, लाइम स्टोन की और रॉक स्टोन की। मेड़े नाम की जगह है, उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह डेढ़ किलोमीटर सड़क बन जाय तो यह जो क्वेरीज हैं, खानें हैं, वहां से हमें स्टोन मिल सकेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। बिल्डिंग स्टोन की खानों से पत्थर उपलब्ध होगा, इससे राज्य सरकार की रेवेन्यू भी बढ़ेगी। सिर्फ, उपाध्यक्ष महोदय, डेढ़ किलोमीटर की सड़क बनने से माईनिंग का विकास भी होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और सरकार को रेवेन्यू ज्यादा होगी। इसलिये इस ओर राज्य सरकार ध्यान दे।

दूसरी चीज पावटा प्रागपुरा से नारायणपुरा सड़क की सन् 1962 में योजना बनाई थी। अलवर जिले में यह सड़क ऐसी है कि जो दो जिलों को मिलाती है। इसके साथ ही साथ ऐतिहासिक स्थान है पाण्डुपोल, सिली सेढ़, भर्तहरि। यह धार्मिक स्थान है उनसे भी यह सड़क मिलाती है। साथ ही पंचपहाड़ी का पत्थर लाइम स्टोन के लिए उपयोगी है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : दो ही मिनट आप और बोल सकते हैं।

श्री रामकरणसिंह : रेलवे स्टेशन तक पावटा-प्रागपुरा से सड़क को पूरा करना चाहिए। 15-20 साल में केवल दो मील का टुकड़ा ही बना सके हैं, जो मैटल्ड रोड है उसके लिए तो धन्यवाद, बाकी फेयर वेदर रोड बना रखी है। पांच-सात मील का टुकड़ा और बना देंगे तो रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में सुविधा हो जायगी। जो कि डाबला रोड है उससे कनेक्ट हो जायेगा तो काफी सहूलियत हो जायेगी।

तीसरी चीज कह रहा था कि कोटपूतली एक ऐसी जगह है कि उधर से नेशनल हाईवे

(श्री रामकरण सिंह)
से लोग गुजरते हैं वे देखते हैं कि वह तीन-चार जगह से सड़क टूटी हुई है। उसमें आपका हर वर्ष पैसा लग जाता है। हर वर्ष लगने वाले पैसे के हिसाब से यदि स्थाई हल निकाल लिया जाये तो पैसा बरबाद नहीं हो। प्रागपुरा, कोटपूतली और बनिवाले के पास से सड़क टूटी हुई है। बनिवाले के पास तो आप पुल बना दें और एक नाली भी बना दें तो पानी सारा निकल जायेगा और दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए आप कोई पर्मानेन्ट उपाय कर लें तो अच्छा हो।

दूसरा पॉइन्ट मेरा काम दिलाऊ कार्यालय के बारे में है। मंत्रीजी यहां नहीं हैं फिर भी मेरा निवेदन है कि बेरोजगारी का भूत ऐसा है, बेरोजगारी की समस्या ऐसी फैली हुई है कि चाहे जितनी घोषणायें आप कर लें, वह हल नहीं हो सकती। चाहे जितनी कोशिश करें वह समस्या हल नहीं हो सकती। उद्योगों का आप ज्यादा फैलाव करें तो देहाती लोगों को इससे रोजगार मिल सकता है। दूसरे जो काम दिलाऊ दफ्तर हैं उनके लिए लोगों को शहरों में आना पड़ता है। आप उप-जिला खण्ड में काम दिलाऊ कार्यालय खोलें और वहां पर एक दो क्लर्क ही बैठा दें। किसानों के बच्चे......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो पहले से बेरोजगार हैं, दस बीस रुपये खर्च करके जयपुर दौड़ें या दूसरे जिला हैडक्वार्टर्स पर जायें, यह ठीक नहीं है। इसलिए जो उप-जिला खण्ड है वहां आप काम दिलाऊ कार्यालय के बाबू लोगों को तैनात कर दें ताकि लोग वहां अपना नाम रजिस्टर करालें और लोगों को पैसा भी खर्च नहीं करना पड़े। बस मुझे यही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों का देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। किसी वस्तु का देश में उत्पादन होना, वहां की प्राकृतिक व्यवस्थाओं के ऊपर निर्भर करता है। सड़कें और रास्ते ठीक नहीं होने से जो उत्पादन होता है उसका काश्तकार को उचित पैसा नहीं मिलता है और न उपभोक्ताओं को ही सही कीमत पर चीज मिल पाती है। मेरा निवेदन है कि सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 के अन्दर गरीबी मिटाने का नारा दिया जिसके कारण वह प्रचण्ड बहुमत में आई..

श्री शीशराम ओला : यह क्या हमेशा इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी !

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य !

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : महमूद गजनवी के पापों का वर्णन आज तक इतिहास कर रहा है। उसको 500 साल हो गए। अभी तो इंदिरा गांधी को एक साल ही हुआ है। आप क्यों चिढ़ा करते हैं इंदिरा गांधी के नाम से। आप तो कांग्रेस (आई) में हैं भी नहीं, फिर क्यों चिढ़ते हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि इंदिरा गांधी .....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप नाम लेने से रोक नहीं सकते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को कुछ कहना है तो पाइन्ट ग्राफ ग्रॉर्डर पर ही कह सकते हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : ग्रभी से ही चिढ़ होने लग गयी।

श्री शीशराम ग्रोला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य हमारी महान प्रधान मंत्री, जो कि इतने लम्बे समय तक इस पद पर रही हैं ......

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री शीशराम ओला : मुझे कहने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : कहें, लेकिन संक्षेप में कहें।

श्री शीशराम ग्रोला : उनके लिए इस तरह से अपशब्द बोलें, यह शोभनीय नहीं है। मैं ग्रापके माध्यम से निवेदन करूंगा कि हाउस की कार्यवाही में बाधा नहीं ग्राये इसके लिये जरूरी है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। इस संबंध में ग्राप व्यवस्था दें।

श्री दाऊदयाल जोशी : रोज ग्रखबारों को नहीं देखते ? सारी तस्वीर नंगी हो रही है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री नारायणसिंह (मालपुरा) : पाइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर, सर। मैं यह जानना चाहूंगा कि देश में बड़े-बड़े महान नेता हो चुके हैं, उनमें सुभाषजी हैं, नेहरूजी भी हैं, इंदिरा गांधी भी हैं ग्रौर इनके ग्रलावा ग्रौर भी हैं। ग्रगर किसी संदर्भ में उनका नाम लिया जाता है तो क्या उनका नाम भी नहीं लिया जाये। ऐसा है तो वह सन्दर्भ किस तरह से पूरा किया जायेगा। मैं ग्रासन से इसकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह तो इंदिरा गांधी के नाम से चिढ़ते हैं ग्रौर किसी के नाम से नहीं।

श्री नारायणसिंह : किसी सन्दर्भ में नाम ग्राता है तो इसमें क्या है।

श्री शीशराम ग्रोला : सन्दर्भ में ग्राता है तो ठीक है लेकिन सभ्यता से तो बोलें।

श्री दाऊदयाल जोशी : इन्दिरा गांधी ग्रौर सभ्यता—दोनों में मेल हो नहीं है। यह तो हमसे पूछें जो कि 19 महीने तक जेल में रहे हैं। हमारे परिवारों को भूखों मार दिया। ग्राप भी 19 महीने तक जेल में रहेंगे तो नानी याद ग्रा जायेगी।

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, कृपया विराजिये। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो चर्चा कटौती प्रस्तावों पर की जाये उस चर्चा में रिलेवेन्ट प्रश्न ह वही उठाये जायें। ग्राप कटौती प्रस्तावों पर चर्चा के माध्यम से कोई इस तरह की बात करते हैं जो कि चर्चा से संबंधित नहीं है तो पासिंग रेफरेन्स दे सकते हैं। जो मूल प्रस्ताव है उसके ग्रनुरूप ही सवाल को उठाइयेगा।

मैं एक ग्रौर निवेदन करना चाहूंगा कि अब कटौती प्रस्तावों के लिए बहुत लिमिटेड टाइम दिया है तो माननीय सदस्यों से मैं इस बात की जरूर ग्रपेक्षा करूंगा कि वह चर्चा

(श्री उपाध्यक्ष)

को बहुत सीमित रखें। जो चर्चा उठानी है वह संक्षेप में ही उठायें ताकि मुझे बार-बार सावधानी बरतने के लिए घंटी नहीं बजानी पड़े।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह इंदिरा के फोबिया से पीड़ित हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में कमेन्ट्स मत कीजिए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा !

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्षजी, प्रदेश का 56 प्रतिशत भाग गरीबी की रेखा से नीचे है। इसका मुख्य कारण यह है कि गांवों की सड़कों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आपके माध्यम से सबसे पहले मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि अकाल के तहत बनी सड़कों को प्लान रोड में शामिल किया जाये। उन सड़कों पर, चाहे वे कहीं भी बनी हों, आखिर देश का पैसा लगा हुआ है। आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी सड़कें, जिन पर करोड़ों रुपया लगा हुआ है, मेंटेन होंगी तो उनका बराबर उपयोग होता रहेगा। इसलिये निवेदन करूंगा कि जितनी भी सड़कें अकाल राहत में बनीं, उन्हें प्लान रोड के अन्तर्गत लिया जावे।

इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो सड़कें बनी हुई हैं उनमें से जिन पर केवल पुलियाओं का काम बाकी है, उन पर पुलिया बनाकर सड़कों को काम लायक बनाया जाये ताकि उनका उपयोग होता रहे। जहां पर केवल पाइप लाइन की खातिर, पुलियाओं की खातिर सड़कें अधूरी पड़ी हैं उनको पूरा किया जाये।

जनता पार्टी की सरकार ने आज गांवों की तरफ बढ़ने का फैसला किया है। जो बड़ी-बड़ी सड़कें हैं मैं उनकी नहीं कहता, उनकी बनिस्बत गांवों के अन्दर जो छोटे-छोटे रास्ते हैं उनको ठीक किया जाये जिससे लोग कस्बों तक पहुंच सकें। आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय जब उत्तर दें तो बतायें कि एक हजार की आबादी वाले गांवों के रास्तों को कब तक ठीक कर देंगे। बड़ी रोड नहीं बनें, छोटी रोड बनें तो वे सारे रास्ते, जो कृषि उपज मण्डियों तक पहुंचते हैं, ठीक किये जा सकते हैं।

इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हर पंचायत सेन्टर को सड़क से जोड़ा जाये। सड़क से मेरा मतलब डामर रोड से नहीं, पर ऐसा अवश्य है कि रास्ता ठीक रहे। नहीं तो पंचायतों में जाने के लिये सुबह से शाम तक का समय खराब करना पड़ता है। इस ओर 30 साल तक ध्यान नहीं दिया गया है। आज जनता सरकार इस तरफ ध्यान दे।

इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी रोड्स को प्राथमिकता दी जाये जो लिंक रोड का काम करें। उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र में भीम-करेडा सड़क है। 15 मील का एक ऐसा टुकड़ा है जहां दुनियां भर का सामान पड़ा हुआ है। मिट्टी पड़ी हुई है, पत्थर पड़े हुए हैं। वहां पर लेबर भेज कर सड़क बनाई जा सकती है। इसके साथ ही आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, जो लिंक रोड्स का काम लें, इसके साथ ही मेरे क्षेत्र की कुछ सड़कें हैं जो मामूली रिपेयर करने से ठीक हो सकती हैं। केवल कोठारी नदी को

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
बागोर के पास पड़ती है उस पर काज वे बनाने की जरूरत है। इस पर 2-3 लाख का खर्चा होगा। केवल नदी के कारण रास्ता लिंक नहीं हो पाता। वह बना दिया जाय तो रास्ता चालू हो जायेगा।

इसके साथ ही मैं आपके .....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, सांगानेर से शाहपुरा एक बस जाती है। सांगानेर के पास एक खड्डा है। बस मुश्किल से निकल पाती है। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ एक स्थानों पर खड्डे पड़े हुए हैं। उनको ठीक कराया जाये।

इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बागोर से रायपुर सड़क जाती है। सड़क पर मुरंम पड़ी हुई है जो लाखों रुपयों की है। दो, चार, पांच हजार रुपये खर्च करके अच्छी तरह से सड़क बनाई जा सकती है। वह मुरंम पिछले दस सालों से पड़ी हुई है। लोग चोरी कर के ले जा रहे हैं। ऐसे स्थानों पर ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सड़कें प्राथमिकता से बनाई जायें।

इसके साथ ही आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि भीलवाड़ा जिले में माइका का पनपा हुआ धन्धा था जिसके अन्दर हजारों आदमी काम करते थे। सरकार ने माइन्स को सड़कों से जोड़ने की घोषणा की थी। सरकार इस ओर तुरन्त ध्यान दे और भीलवाड़ा जिले का मुख्य उद्योग माइका, जो समाप्ति पर हो गया है की ओर सरकार पूर्ण ध्यान दे। आज हजारों मजदूर बेकार हैं। इस ओर ध्यान दें ताकि हजारों मजदूरों को काम मिल सके।

इसके साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो श्रमिक वर्षों से कार्य करते हैं माइका में उनको पेमेन्ट समय पर नहीं हो पाता है। बोनस नहीं मिलता है। इसके साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो मजदूर काम करता है वह लम्बे समय तक काम करने बाद भी स्थाई नहीं है। सरकार सख्ती से कदम उठाकर इस ओर ध्यान दे कि मजदूर पर्मानेन्ट हों।

जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भूरालाल।

(अनुपस्थित)

श्री अब्दुल अजीज।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 21 और 23-सड़क और श्रम पर आज सदन में चर्चा हो रही है। मुझे इस पर बहुत तेजी और उत्तेजना से कुछ नहीं कहना। मैं तो साधारण बात कहता हूं कि लोगों के आवागमन के लिए माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिये निहायत जरूरी है कि सड़कें बनायी जायें। मेरे इलाके की एक महत्वपूर्ण सड़क है, मकराना से नागौर वाया कुचामन 100 मील का रास्ता है। नागौर जाने के लिए वाया बोरावड़ होते हुये जायें तो केवल 60 मील ही होता है। इस सड़क के जल्दी से जल्दी निर्माण करने के बारे में सरकार को सोचना चाहिये। हमारा बहुत कुछ पेट्रोल और डीजल अनावश्यक रूप से इसमें फुंक जाता है। मैं समझता हूं राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में पहल करनी चाहिये। जहां तक पी. डब्ल्यू. डी. का सवाल है, खनिज विभाग ने सड़क बनाने के लिये दो लाख रुपया

Page No 116

(116)

(श्री अब्दुल अजीज)

सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिया लेकिन मातावर की सड़क नहीं बनी। इसी तरह से मकराना से बजात सड़क का निर्माण आज से 10 साल पहले हुआ। मैंने कलेक्टर, नागौर को दरख्वास्त की कि इसकी मरम्मत की जाये। वह बीच में पड़ी हुई है। तो यह कहा कि खनिज विभाग इसका पैसा दे तो मरम्मत हो। पी.डब्ल्यू. डी. इसे अपनी सड़क नहीं समझता। इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं, सड़कें बिना मरम्मत के पड़ी रहती हैं। इस प्रकार सड़कों के निर्माण के बारे में अच्छी पेंठ नहीं रहती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में कहीं भी कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। 8 महीने में हम उम्मीद करते थे कि कुछ न कुछ सड़कों का काम होगा। लेकिन सड़कों का काम वहां हुआ जहां अकाल है। मैं नहीं समझता कि इसमें राजनैतिक कारण हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं, ठीक है राजनीति के मैदान में हम काम से जीते हैं। लोगों को हराया है तो अच्छी नीयत से हराया है। आप लोगों को विकास के काम में मदद करें लेकिन जो कुछ हम कहें उसमें भी गरीब लोगों को राहत देने की दृष्टि से दिलचस्पी लें।

मैं ज्यादा न कह कर एक विशेष बात अर्ज करना चाहता हूं कि मकराना रेलवे लाइन है। उसके दोनों तरफ आबादी है। हजारों मजदूर एक तरफ से दूसरी तरफ आते हैं। वहां के जन प्रतिनिधियों ने और मैंने रेलवे नदर्न जोन से दरख्वास्त की है और उन्होंने कृपापूर्वक ओवर-ब्रिज बनाने की स्वीकृति प्रदान की है लेकिन उन्होंने बताया कि राज्य सरकार दो लाख रुपए दे दे तो वह पुल बन सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि उस पुल को बनाने में पी. डब्ल्यू. डी दिलचस्पी से काम करे तो पुलिया नहीं होने से दो-चार दुर्घटनाएं हो जाती ह, वे भी बच सकेंगी।

मेरे इलाके में पंचायत समिति हैड-क्वार्टर है। 15-15 मील से मजदूर पैदल आते हैं। अगर सड़कें हों तो मजदूर साइकिल से आ सकता है। यह बहुत घनी आबादी वाला मजदूरों का क्षेत्र है लेकिन आने-जाने की काफी असुविधायें हैं क्योंकि सड़कें नहीं हैं। इसलिये मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि आप कृपया वहां पर सड़कें बनवावें और जो टूटी-फूटी सड़कें हैं उनकी मरम्मत करवायें। मकराना से बोरावड़ और बोरावड़ से रानीगंज डामर की सड़क बनवायें। इसी तरह बोरावड़ से सबल-पुर की भी डामर सड़क बनायें। इस प्रकार यदि आप सड़क निर्माण करेंगे तो वहां के हजारों मजदूर अपनी रोजी-रोटी के लिये साइकिल से आ जा सकेंगे और उनको काफी राहत मिलेगी।

अब मैं राजस्थान के मजदूरों की समस्या के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। एक संघ मजदूरों के नाम से है लेकिन मैं समझता हूं कि आज 20 साल के बाद भी मजदूरों को लाभ नहीं मिला। हम कहते हैं कि हम मजदूरों को लाभ दे रहे हैं। यहां 10-12 हजार मजदूर जो बाहर से आते हैं न तो उनके लिये यहां कोई अस्पताल है, न फर्स्ट-एड की कोई सुविधा है। पिछली साल सरकार ने एक ई. एस. आई. सेन्टर खोला था इसमें मजदूरों के राहत की बात है इसलिये श्रम मंत्री इस ओर अधिक ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आपको मजदूरों से हमदर्दी है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री अब्दुल अजीज)

श्रम मंत्री सोशलिस्ट ग्रुप के हैं, वे मकराना पधार भी चुके हैं। उन्होंने देखा है, मजदूरों की कितनी बुरी हालत है। वहां न इन्श्योरेन्स की कोई स्कीम है, न पी. एफ. की कोई स्कीम है और न ही कारखाने के जो मालिक हैं वे ही कोई उनको सुविधायें प्रदान करते हैं। जो फेक्ट्रीज वगैरह के लिये इन्सपेक्टर्स आते हैं वे भी बड़ी रिश्वत लेते हैं। जो मजदूरों की हालत वहां है, उसमें कोई सुधार कीजिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये मैं चाहूंगा लेबर के लिये एक ई. एस. आई. सेन्टर खोलें, मजदूरों के लिये एक ई. एस. आई. की व्यवस्था करें, उनके पी. एफ. और इन्श्योरेन्स की भी उचित व्यवस्था करें ताकि उनके जान-माल की कुछ रक्षा हो सके। इतना ही मैं निवेदन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनन्दन व्यास।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : माननीय उपाध्यक्षजी, मेरे 13 कटौती प्रस्ताव श्रम और सार्वजनिक निर्माण विभाग पर हैं। सबसे पहले मैं श्रम कल्याण की बात करूंगा। जो पुस्तिका हमें पढ़ने को मिली है उसमें संगठित मजदूरों के बारे में चिन्तन है, उसकी चिन्ता की गई है लेकिन जो ग्रामीण मजदूर हैं, जो वनवासी हैं, जो खेतीहर मजदूर हैं, मकानों पर काम करने वाले जो मजदूर हैं उनके बारे में, उनकी सुविधाओं के बारे में, पूरी मजदूरी मिलती है या नहीं मिलती है—इसके बारे में कुछ भी इस सारी पुस्तिका में लिखा हुआ नहीं मिला। मुझे बहुत अधिक खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो बिखरे हुए मजदूर हैं, जो संगठित नहीं हैं उनके बारे में जो मजदूरों के नेता हैं, क्या उनके विभाग में नहीं आया? यदि आया है तो उन्होंने उनकी उपेक्षा की है। राज्य सरकार भी उनकी ओर नहीं देखती है, यह दुःख का विषय है। मेरा निवेदन है इन मजदूरों के बारे में भी सोचें और कोई श्रम कल्याण का कार्य करायें।

दूसरा मेरा निवेदन है जो नियोजन के कार्यालय हैं आज वे भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। उनमें नाम तक नहीं लिखते हैं। इसकी व्यवस्था कराई जाय और उसको भी सुधारा जाय। यह एक साधारण श्रम का प्रश्न है।

मैं ज्यादा समय भी नहीं लूंगा क्योंकि आपकी घंटी बज जायेगी।

अब दूसरा और पब्लिक वर्क्स विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है। मैं अगर यह कहूं कि अंग्रेजों के जाने के बाद या राजाओं के राज्य के समय में जो काम हुआ था उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ है तो गलत नहीं होगा। मैं जिस सिरोही क्षेत्र से आता हूं उसकी यह दशा है कि पुल, स्कूल भवन, कॉलेज भवन, सड़कें, अस्पताल आदि के अनेक कार्यों में 30 वर्षों में राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कुछ भी नहीं किया। इससे ज्यादा दयनीय स्थिति और क्या हो सकती है। आज भी वहां ऐसी स्थिति है कि जिस एक्स. ई. एन. को बिठा रखा है, वह सरकार के पैसे पर सांप का काम कर रहा है। उसका हाजिरी भरने के अतिरिक्त कोई काम नहीं है, यहां तक कि जिस डाक बंगले में हैं, उसकी देखभाल तक नहीं करता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री इस सारी पृष्ठ भूमि में सोचें।

आबू में एक अप्रोच रोड है जो गुजरात से मिलाने वाली है। उस सड़क के बीच में बीच

(श्री रघुनन्दन व्यास)

गांवों में गेहूं की फसल लगी हुई है। उसे सरकार ने कागजों में सड़क बता रखा है। मैं खुद जीप से वहां गया हूं और देखा है किन्तु मेरी समझ में नहीं आता है उस स्थान पर गेहूं कैसे खड़े हैं जबकि सरकारी कागजों में सड़क का स्थान है। मेन्टीनेन्स के नाम पर जो पैसे आते हैं, उनका भी सदुपयोग सिरोही जिले में नहीं होता है। उस आये हुये मेन्टीनेन्स के पैसे को वापस देने को सोचते हैं। मेरा यह निवेदन है इन प्रश्न पर विचार करते हुये माननीय मंत्री महोदय सोचें।

इतना ही नहीं जो राष्ट्रीय राज मार्ग है उसमें भी घपला है। ब्यावर से आबू रोड के लिये मैंने भारत सरकार को लिखा और भारत सरकार के प्रधान मंत्री मोरारजी भाई ने चान्दराम के थ्रू लिखा कि गुजरात की सरकार कहती है ब्यावर आबू रोड राष्ट्रीय राज मार्ग में लिया जाय। लेकिन अफसोस है राजस्थान का सार्वजनिक निर्माण विभाग उसके बारे में सोचता नहीं है। उस सड़क पर रोज 30 से 40 एक्सीडेन्ट होते हैं। इतने ट्रकों का आवागमन वहां रहता है। वह गुजरात को मिलाने वाला मार्ग है। मेरा निवेदन है इस पर भी विचार करिये।

मेरा निवेदन है जिन सड़कों पर कंक्रीट डालें उस पर बीटी भी करायें ताकि सड़कें जल्दी खतम न हो। अधूरे पुलों को भी पूरा करवायें। मैं समझता हूं जैसे बिजली वालों ने बॉन्ड्स के रूप में धन संग्रह करके साधन जुटाये हैं उसी प्रकार यदि राज्य सरकार का सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़कों और पुलों आदि के निर्माण के लिये गांवों से धन मांगे और अपने साधनों को जुटाये तो हम बॉन्ड्स के रूप में धन भी दे सकते हैं। सड़कों की हमारे यहां पर बहुत बड़ी मांग है।

उम्मेदपुरा से जावाल तक सड़क पर चार-चार बड़े गांव पड़ते हैं जिनकी पांच-पांच हजार की आबादी है। जालौर से सिरोही जिले को मिलाने वाली जो सड़क है उसका काम नहीं हो रहा है। दोनों ओर से इसको जोड़ने की मांग है। वर्षा के अन्दर दोनों का सम्बन्ध टूट जाता है। इस पर पांच पांच बड़े गांव आते हैं, हरजी, भागदरलास, मणादर आदि। 1971 की जनगणना के आंकड़ों में उन की जनसंख्या 4,700 थी लेकिन आज दस वर्ष में बढ़ कर वह पांच हजार से ऊपर हो चुकी है फिर भी उनको नेग्लेक्ट किया जाता है।

इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, जसवन्तपुरा पंचायत समिति हैडक्वार्टर है। पुराने जोधपुर राज्य के जमाने में वह परगना था यानी तहसील हैडक्वार्टर था। आज भी वह बहुत बड़ा रमणीक स्थान है। सूदा को आबू का बच्चा कहा जाता है वहां पर अर्बुदा का मंदिर बना हुआ है। जसवन्तपुरा पंचायत समिति हैडक्वार्टर भी है वह जिला हैडक्वार्टर जालौर से डामर की सड़क से इस समय जुड़ा हुआ नहीं है। यह सारा काम क्यों नहीं हो सका, कुछ पता नहीं लगता। जरूर, फेमिन के नाम पर कुछ पैसा खर्च हुआ लेकिन सड़क पर डामर नहीं होने के कारण सड़क टूट गई, बरबाद हो गई, चौमासे में उस पर चल भी नहीं सकते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पुलिया पहले बनाई जावे, रपट बनाई जावे और जिन सड़कों पर कंक्रीट हो गई है उन पर डामर बिछाया जावे तो जो धन खर्च हुआ है उस धन का दुरुपयोग नहीं होगा।

पूत कपूत तो क्यों धन संचे,
पूत सपूत तो क्यों धन संचे।

पहले वाले तो कपूत हो गए, उन्होंने धन को

(श्री रघुनन्दन व्यास)
बरबाद कर दिया लेकिन अब तो उस पैसे का सदुपयोग करना चाहिए ।

इसके अलावा मेरा निवेदन है कि गुरु शिखर पर राडार लगाया जावे । राडार लग जाय और वहां तक पहुंचने के लिए कच्ची, कंक्रीट की सड़क बनायी जाय । चीराड़ी से आबू तक सड़क बन जाती है तो उससे आने-जाने वालों को लाभ होगा, मिलिटरी को लाभ होगा और जयपुर से आबू पहुंचने में चालीस मील का एरिया बचेगा ।

इससे अधिक मैं कुछ भी नहीं कहता । आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद देता हुआ निवेदन करूंगा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग गंभीरतापूर्वक, बिना किसी भेदभाव के सोचते हुए इन कामों को पूरा करवाने में आगे बढ़े । इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया ।

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह नदेरा !

श्री विजयसिंह नदेरा (बांदीकुई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी खुशी है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग एक गांव से सम्बन्ध रखने वाले माननीय मंत्री के हाथ में है । आज जब युग पलटा है, तीस साल के बाद शासन बदला है तो लोग आवश्यक समझते हैं कि गांव में सड़क होनी चाहिए । आप और हम जब गांवों में जायेंगे तो आपको इसकी जरूरत महसूस होगी । लोग दूसरी मांगों के अतिरिक्त यह पूछते हैं कि आप यह सड़क कब ला रहे हैं ? तो सड़कों की आवश्यकता गांवों में निरन्तर बढ़ती जा रही है । अगर सड़क नहीं बनी, गांव के अन्दर सड़क नहीं बना सके और पांच साल में कुछ भी आश्वासन नहीं दे सके तो लोग क्रांति लायेंगे । वह लोग जागेंगे, आपको बुला कर पूछेंगे । वह ऐसा चिन्तन करेंगे जिससे एक लहर पैदा होगी जो आपको भी सड़क नहीं बनाने के कारण गिरा सकती है । मैं यह चेतावनी देता हूं । इसलिये इस प्रकार का चिंतन करें कि गांव के लोग जो मण्डी में आना चाहते हैं, गांव के लोग जो धन्धा करना चाहते हैं, वे अपने घर भी पहुंचना चाहते हैं, और अपने घर में रात को सोना चाहते हैं । अगर आप आबादी से हिसाब लगायें तो राजस्थान की अस्सी प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और बीस प्रतिशत जनता शहरों में रहती है । शहरों के अन्दर तो रात-दिन हम देखते हैं कि लोग सड़कों पर ही चलते हैं, सड़कों पर ही दौड़ते हैं और सड़कों पर ही उड़ते हैं । लेकिन गांव में साइकिल से पहुंचने के लिए भी सड़क नहीं है । छोटी-मोटी, कच्ची सड़क भी नहीं है । इसलिए गांव की अवहेलना अब सड़क के नाम पर आप करेंगे तो यह बहुत बड़ा अपना दुर्भाग्य होगा । अब हम यह देखते हैं कि गांवों में चालीस प्रतिशत रुपया लगेगा । हम सोचें कि हमारे गांवों से ही पचास प्रतिशत धन पैदा करते हैं तो यह आवश्यक है कि चालीस प्रतिशत रुपया जो गांवों में खर्च होने वाला है उसका पच्चीस प्रतिशत हिस्सा सड़कों पर खर्च हो । जब आप चिंतन करेंगे तो देखेंगे कि आज तक के शासन ने इस ओर कभी चिंतन नहीं किया है । उन्होंने सड़कें नहीं बनाई तो उनको गड्ढे में ढकेल दिया लोगों ने । लोगों ने उनको यह बताया कि यह आपका दोष था । हम जब यहां पर बताते हैं कि आपका दोष है तो विचार तो वे करते नहीं बल्कि चिल्लाते हैं । अगर कोई इन्दिरा गांधी का नाम ले लेता है तो चिल्ला उठते हैं । ऐसी

(श्री विजयसिंह नदेरा)

स्थिति है लेकिन कहना पड़ता है कि उनके द्वारा गांवों का चिन्तन नहीं किया गया, अब गांवों का चिंतन बढ़ा है। 40 प्रतिशत गांवों पर पैसा खर्च होने वाला है। मैं मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि जो पैसा खर्च होने वाला है उसका 25 प्रतिशत सड़कों पर खर्च किया जावे। सड़कों से रोजगार मिलेगा। सड़कों से राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था बदलेगी। गांवों की तो मुख्य रूप से दो ही मांगें रहती हैं, एक बिजली की और दूसरी सड़क की। सड़क और बिजली गांवों को दे दो तो गांव चमकेंगे और गांवों का हर प्रकार से विकास हो सकेगा। आज तो गांवों की यह स्थिति है कि कोई मास्टर गांव में नहीं जाना चाहता, कोई डॉक्टर गांव में नहीं जाना चाहता। आज सड़कों के बिना स्थिति यह है कि गांवों का विकास बिल्कुल अवरुद्ध है। अगर सड़क हो जाए तो मास्टर भी जाने लग जायें। इसलिये जो सड़क की आवश्यकता है उस मूलभूत आवश्यकता के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

अब दूसरा जो मेरा कटौती प्रस्ताव है उसके बारे में आपके माध्यम से और निवेदन कर देना चाहता हूं। मैं सारे राजस्थान की बात नहीं करता, मैं अपने इलाके की बात करता हूं जहां सन् 53 में 17 मील सड़क बनी थी। उसके बाद कोई प्रगति नहीं हुई। अब आबादी को लें तो वहां की आबादी डेढ़, पौने दो लाख है। इतनी आबादी पर कुल 17 मील की सड़क है। जयपुर शहर की आठ लाख की आबादी है और सड़कों की लम्बाई कितनी है? पी. डब्ल्यू. डी. वाले सारी स्थिति को समझते हैं। अगर जनसंख्या के आधार पर सड़कें बनाई जायं तो भी हमारा जो चिंतन रहा है वह बिल्कुल गलत रहा है, अच्छा नहीं रहा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने चिंतन को बदलिए। हमारे यहां स्थिति यह है कि चार महीने हम सारे लोगों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, क्योंकि बाण गंगा नदी चार महीने तक बहती है। चार महीने तक कोई व्हिकल निकल नहीं सकती। पुल निर्माण क्यों नहीं होता? सार्वजनिक निर्माण विभाग का दिमाग यह है कि बीस लाख रुपया खर्च होगा। बीस लाख खर्च करने के लिए होते नहीं इसलिये पुल बनता नहीं और विकास होता नहीं। सीमेंट पहुंचती नहीं, खम्भे पहुंचते नहीं, लोहा पहुंचता नहीं। इस तरह से चार महीने काम होता नहीं है और आठ महीने काम हो नहीं सकता। उसका सम्बन्ध एक ओर सवाई माधोपुर से है, एक ओर गंगापुर से है। उसका सम्बन्ध दक्षिण प्रदेश से लेकर दिल्ली तक है। इसलिए बाणगंगा का पुल बनना इम्पार्टेंट है, जरूरी है।........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अगर बीस लाख रुपये वहां पर खर्च नहीं कर सकें तो इसका छोटा डिजाइन तैयार करके थोड़े पैसों से भी कर सकते हैं। मैं अपनी बात निवेदन करता हूं कि बाण गंगा का पुल निर्माण करने के लिए सरकार तत्काल ध्यान दे ताकि उस सारे क्षेत्र का विकास हो सके। जो दिल्ली की तरफ जाते हैं उनको या तो जयपुर होकर जाना पड़ता है या महुआ होकर जाना पड़ता है। इस तरह से कम से कम साठ-सत्तर मील का चक्कर पड़ता है। उस चक्कर को बचाने के लिए, उस क्षेत्र का विकास करने के लिए आप इस ओर ध्यान दें, पुल बनायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इन दो बातों को कहते हुए एक छोटी-सी बात और कह देता हूं। जो रोजगार के

(श्री विजय सिंह नदेरा)

लिए आयु सीमा है उस आयु सीमा को बढ़ायें। आपने आयु सीमा 28 साल तय कर दी, जैसे आपने मौत का परवाना पकड़ा रखा है। 28 साल के बाद वह नौकरी नहीं कर सकता। जब नौकरी नहीं कर सकता तो उसके दिमाग में भटकाव पैदा होता है, मानसिक स्थिति खराब होती है। ऐसे हजारों लोग हैं, सरकार का इसमें कोई खर्चा भी नहीं होता इसलिए आज ही यह घोषणा करें कि इस आयु सीमा को 28 से ऊपर बढ़ा रहे हैं। 30 कर रहे हैं, 32 कर रहे हैं, इसकी घोषणा होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : उपाध्यक्ष महोदय, आधुनिक युग में सड़क यातायात का शहर में ही नहीं बल्कि गांव में भी महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। आज से तीस साल पहले हिन्दुस्तान के किसी भी गांव में सड़क का नामोनिशान नहीं था लेकिन ज्यों-ज्यों गांवों में जागृति हुई, लोग इसकी अहमियत को समझने लगे। प्रजातन्त्र के अन्दर चुने हुए लोगों ने गांवों की चीज शहर में, गांव की पैदावार शहर में पहुंचाने के लिए सड़क की अहमियत को समझा। जो प्रभावशाली लोग थे, जो नेता लोग थे उन्होंने गांवों में सड़कों का प्रादुर्भाव किया। उपाध्यक्ष महोदय, जो गांव शहर से सड़क से जुड़े हुए हैं उनकी माली हालत उन गांवों से, जहां पर सड़क नहीं है, बड़ी अच्छी है। दोनों में काफी अन्तर है। उनके जीवन स्तर में रात-दिन का अन्तर है। किसानों की जो पैदावार लाखों रुपयों की होती है उसको शहर तक पहुंचाने के लिए और शहर की पैदावार को गांव तक पहुंचाने के लिए अगर सड़क की व्यवस्था न हो तो किसान की उस पैदावार की कोई कीमत नहीं होती है। जो शहर में पैदा होता है उसको गांव तक ले जाने में भी कीमत बढ़ जाती है। आप ताज्जुब करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान और राजस्थान का ऐसा कोई शहर नहीं है, उसकी कोई ऐसी गली, मोहल्ला नहीं है, जहां पर कि डामर की सड़क न हो। आप और भी ताज्जुब करेंगे यह देख कर कि जहां गांवों में राजस्थान की 80 प्रतिशत जनता रहती है, वहां एक पर्सेन्ट सड़कों का विकास, निर्माण नहीं किया गया। केवल मात्र अकाल के दिनों में या ऐसे मौके पर जब गांवों के लोगों की जीविका का कोई साधन उपलब्ध नहीं रहा, राज्य सरकार ने वहां पर सड़क निर्माण के कार्य कराये परन्तु सड़क का निर्माण भी इस कदर हुआ, आप ताज्जुब करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, उस सड़क पर साइकिल, मोटर, गाड़ी कुछ भी नहीं चल सकती है। शहरों के अन्दर जो सड़कों का निर्माण कराया गया है, उसमें एक सूत का भी फर्क नहीं है। एक तरफ तो वैज्ञानिक तौर पर हम यह मांग करते हैं कि सड़कें ऐसी हों कि हमारी गाड़ी, जीप जब सड़क पर चलती हो तो उसमें दचका न लगे, दूसरी तरफ गांवों में जो हमारी गाड़ियां, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि जिन सड़कों पर चलते हैं उनमें दो-दो फीट के गड्ढे देखने को मिलते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि गांवों में फेमिन की सड़कें बनें। लाखों रुपया जहां सड़कों पर खर्च हो गया है वहां सड़कों का नामोनिशान भी नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि आज समय बदला है, गांवों में जागृति आई है, गांव के किसान लोग अब समझने लगे हैं कि जो गांव सड़क से जुड़ गये हैं उनका विकास हुआ है और उन गांवों की दूसरे गांवों से माली हालत अच्छी है। इसलिए मैं राज्य सरकार और

(श्री रामसिंह विश्नोई)
विशेष कर मंत्री महोदय से यह पुरजोर मांग करता हूं कि जो नेता हैं और जिनके हाथ में आज सत्ता है, वे गांव की ओर ध्यान दें। गांव का किसान, गांव की जनता देश के लिए पैदावार करती है। वह शहरों के लिए पैदा करती है। उनकी पैदावार शहरों में जल्दी से आ जाए, इसके लिए वहां पर सड़कों का निर्माण होना आवश्यक है। सड़कों का निर्माण किया जाए जिससे गांवों का विकास हो, ग्रामीण लोगों को रोजगार मिले और साथ ही गांव के लोगों का जीवन स्तर बढ़े।

मैं इन बातों के साथ-साथ, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मेरे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में भी, मंत्री महोदय तो यहां पर नहीं हैं, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर के बाद जोधपुर राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है। यह भी एक अहमियत का शहर है। सीमा के पास आया हुआ शहर है। हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियां प्रति माह जयपुर-जोधपुर सड़क पर चलती हैं परन्तु आज तक इस सड़क को राष्ट्रीय मार्ग घोषित नहीं किया गया है जिसकी वजह से सड़क टूटी हुई है। मैं यह मांग करूंगा कि जयपुर से ब्यावर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर तक की सड़क को नेशनल हाई वे में परिणित किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इसके लिए लाखों, करोड़ों रुपया केन्द्रीय सरकार से मिलता है। गवर्नमेन्ट का इसलिए यह दायित्व है कि उससे ऐड लेकर सड़क का निर्माण करे, नेशनल हाई वे इसको घोषित कराये तो इसकी मेन्टीनेन्स में भी वह इसको ले सकती है।

मैं दूसरी बात मेरे क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। दो साल पहले ज्यादा बारिश हो गई थी, उसके कारण जयपुर से जोधपुर का मार्ग करीब एक महीने तक बंद हो गया। इससे जनता और सरकार को लाखों, करोड़ों रुपयों की हानि हुई। इसलिए इसके ऊपर पुल बनाया जाए। जो रपट है उससे काम चलता नहीं है। दो-तीन फीट के गड्ढे हैं जिनकी वजह से गाड़ियां चलती नहीं हैं। मैं निवेदन करूंगा कि पुल का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र किया जाए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। आज सरकार के पास इतना धन नहीं है कि वह एक साथ ही सड़क का निर्माण कर सके। मैं चाहूंगा कि कृषि उपज मन्डी की मार्फत जो लाखों, करोड़ों रुपये आएंगे, उस लाखों, करोड़ों रुपयों के धन से पी. डब्ल्यू. डी. की मार्फत, उसके निर्देश के आधार पर सड़क बनाई जाए। सरकार का भी यह फर्ज है। बीस मील के रेडियस में कृषि उपज मंडी को सड़क से जोड़ा जाता है, इसी तरह जहां पर डेयरी प्रोग्राम चल रहा है, उस डेयरी प्रोग्राम के अन्तर्गत भी गांवों को सड़कों से जोड़ा जाए। इस तरह एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ कृषि उपज मंडी और तीसरी तरफ डेयरी प्रोग्राम के तहत गांवों में सड़कें बनाई जा सकती हैं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम रघुनाथ चौधरी।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना): उपाध्यक्ष महोदय, चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, उनके क्षेत्र का विकास अधिक सेअधिक हो, यह सभी चाहते हैं। संपूर्ण विकास न जाने कब होगा। उससे पहले एक

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

प्रश्न सामने आता है कि आज जो विकास की न्यूनतम आवश्यकता है, वह तो कम से कम पूर्ण होनी चाहिए। मंत्री महोदय नहीं हैं, फिर भी मैं आपकी मार्फत चाहूंगा कि उनका ध्यान इस ओर आकर्षित हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की बहुत ही कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को जो न्यूनतम आवश्यकता है, उसमें बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा ये ऐसी आवश्यकताएं हैं जो कम से कम वहां पर उपलब्ध हों। ग्रामीण क्षेत्रों में ये सब सुविधाएं सब जगह उपलब्ध नहीं हैं। वहां पर कच्चे रास्ते हैं। वहां पर धूल भरी आंधी चलती है। रेगिस्तानी इलाका है। पैदल 4-5 मील रोज स्कूल जाने हेतु नहीं चल सकते हैं। अगर वहां पर उन लोगों को सड़कें उपलब्ध हो जाएं तो वे साइकिल से अप-डाउन करते हुए आ जा सकते हैं। उनके बच्चे स्कूल आ जा सकते हैं और सायंकाल घर लौट सकते हैं। इसी तरह से उनकी पैदावार को कृषि ऊपज मंडी में ले जाने के लिए सड़क व साधन उपलब्ध नहीं हैं। उनको उनकी पैदावार, अनाज का पूरा भाव, पूरी कीमत गांव में नहीं मिल पाती है। जो खाद्यान्न होता है, उसको शहर में ले जाते हुए उनको दिक्कत होती है, महंगा पड़ता है। मेरा तात्पर्य यह है कि गांवों की तरफ जाने के लिए पिछली सरकार भी प्रयत्नशील रही है और आज की सरकार भी इस ओर कोई प्रयत्नशील नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि मंत्री महोदय ने अपने भाषण में यह कहा है, एवं जगह-जगह पर इस बात को दोहराया है कि पांच हजार की जनसंख्या के जो गांव हैं, उनको सड़कों से जोड़ने का प्रयत्न किया जाएगा। मेरा निवेदन है कि पांच हजार की जनसंख्या वाले गांव बहुत कम हैं। इसलिए इस जनसंख्या को घटाकर दो हजार कर दिया जाए ताकि जो छोटे-छोटे गांव हैं उनको भी यह सुविधा उपलब्ध हो सके।

इसके साथ ही माननीय सदस्य, रामकरणसिंह जी ने एक बात कही है। गांव में सड़क उपलब्ध नहीं होने से कई बार रिश्ते भी नहीं हो पाते हैं। यह बात सही है। कोई भी रिश्ता करने से पहले यह देखता है कि उस गांव में सड़क, पानी, बिजली है या नहीं है। सड़क है तो हर प्रकार की चीज वस्तु लाने ले जाने का कोई भी साधन वहां पर उपलब्ध हो सकता है। रिश्ता करने से पहले यह बात देखना लोग आवश्यक सा समझने लगे हैं।

इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन दयनीय सड़कों की ओर जो अकाल राहत या फेमिन में बनी हैं, मैं राज्य सरकार और निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राज्य सरकार ने इन सड़कों पर करोड़ों रुपया खर्च किया है लेकिन साथ ही उनके साथ सौतेला व्यवहार भी किया है। इन सड़कों की मरम्मत के लिए, इनके रख रखाव के लिए सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सार्वजनिक निर्माण विभाग यह कहता है चूंकि इन सड़कों का निर्माण अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत हुआ है, इसलिए वे इनको देखभाल नहीं कर सकते। संयोग से हमारे मंत्री महोदय के पास ये दोनों विभाग हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय उन तमाम सड़कों को, जो अकाल राहत कार्यक्रमों के अन्तर्गत बनी हैं, तुरन्त निर्माण विभाग को स्थानान्तरित कर दें। पी. डब्ल्यू. डी. उनको अविलम्ब टेक-ओवर करे ताकि उन सड़कों की हालत सुधर सके। हालांकि यह नीति का प्रश्न है, परन्तु फिर भी इस पर बहुत गौर से सोचा जाए और इसको

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

समझने की कोशिश की जाए। आशा है वे प्रयत्न करेंगे। अकाल राहत कार्य होते हैं। उनमें सड़कें बनती हैं और इन कार्यों के खतम होते ही इन कार्यों को, सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित कर दिया जाना चाहिए ताकि उनकी देख-भाल की जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों पर करोड़ों रुपये हम खर्च करते हैं। अगर उनकी मरम्मत नहीं करायेंगे तो वे सड़कें कैसे रहेंगी ? अगर सड़कों के आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि अकाल राहत के अन्तर्गत जितनी भी सड़कें बनी हैं वे प्लान और दूसरे कार्यक्रमों के अन्तर्गत बनी सड़कों से कई गुना अधिक हैं। उन सड़कों की देख-भाल न करने का मतलब है उन करोड़ों रुपयों की चिन्ता नहीं करना, जो हम इन सड़कों के निर्माण के लिए खर्च कर चुके हैं। एक तरफ हमारे पास सड़कों के लिए धनराशि नहीं और दूसरी तरफ उस धनराशि, जो इतनी बड़ी धनराशि खर्च कर चुके हैं, के रख-रखाव का उस लागत को बचाने का प्रयत्न नहीं। अतः इन सड़कों को अकाल राहत से सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित कर दें। उपाध्यक्ष महोदय, मेटल रोड का तो नाम ही समाप्त हो जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मतलब यह है कि छोटी-मोटी रोड़ी बिछाकर रोलर से ग्रेवल से दबा देते हैं। कुछ दिनों में कंकड़ और मिट्टी ऊपर आ जाती है, उखड़ जाती है। फिर उस पर न तो कोई आदमी चल सकता है और न कोई बैलगाड़ी, मोटर ही चल सकती है। जिन सड़कों को मेटल बनाया जावे उन्हें तुरन्त साथ ही साथ डामर की कर देना चाहिए अन्यथा मेटल रोड की व्यवस्था गड़बड़ है, बेकार है।

मेरे क्षेत्र में डेगाना पंचायत समिति है। वहां रेलवे स्टेशन है बड़ा जंक्शन है। वहां से जोधपुर, नागौर, अजमेर, बीकानेर और जगह-जगह के लिए करीब 50 बसें आती जाती हैं। वहां कोई डामर सड़क नहीं है। डेगाना-निम्बडी-भैरूंदा-डेगाना-हरसोर, डेगाना-सांजू, डेगाना-खाटू, ये मुख्य-मुख्य सड़कें हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इन तमाम सड़कों को अविलम्ब डामर किया जाये। इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि सड़कें तकनीकी आधार पर न बना डामर की सड़कों के समतल बनाया जाता है। जब बरसात आती है तो सड़क नाले बन जाती हैं। उनके ऊपर से पानी बहता है। डामर व पानी की दुश्मनी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट और लूंगा।

जब अधिक बरसात होती है तो वह सड़क पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वह सड़क जगह-जगह से टूट जाती है। इसीलिए जमीन से दो-तीन फीट ऊपर उठा कर उसको बनायें तो उसके ऊपर से पानी नहीं बहे। इससे सड़कें नहीं टूटेंगी।

श्रीमान्, हरसोर और परबतसर के बीच एक बंधा है। वर्षा में बांध का ओवर फ्लो का पानी सड़क पर बहता रहता है। उन्हीं दिनों परबतसर में एक बड़ा पशु मेला लगता है। उसके कारण परबतसर के मेले में लोगों का आना-जाना कठिन हो जाता है। मैं पिछले कई वर्षों से निरन्तर निवेदन कर रहा हूं कि वहां पर एक पुल का निर्माण किया जाय।

थांवला ग्राम के पास अजमेर-भैरूंदा, नागौर सड़क पर एक नाला बहता है। वह नाला हर वर्ष वर्षा में दो-तीन महीने ही बहता

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

है। पिछले तीन-चार वर्ष से सामान पड़ा है। वर्षा जब आती है तब काम शुरू किया जाता है। थोड़े दिनों में वर्षा से जब पानी अधिक आ जाता है तो काम बन्द करना पड़ता है। इसी कारण सामान होते हुए भी अफसरों की गड़बड़ी के कारण काम नहीं हो पाया है। मैं निवेदन करूंगा कि वहां की जनता के साथ न्याय करें। वहां पर उस पुल को बनवाया जाये। यह एक महत्वपूर्ण स्टेट हाई वे है, जिसके लिए मैंने निवेदन किया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अन्त में भ्रष्टाचार के संबंध में अधिक न कह कर एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। हमारे नागौर जिले में एक एक्स.ई.एन. थे श्री खींवराज भंसाली। उन्होंने बहुत सी सड़कों में, जो अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बन रही थीं, छोटी-मोटी गड़बड़ियां कीं। पर मेरे क्षेत्र की एक सड़क पर जो धांधली की है उसको जानकर तो आश्चर्य की सीमा नहीं है। वह सड़क तरनाऊ से साजू के लिए बनाई जा रही थी उस पर एक साजिश की गई। जितना भी मैंटीरियल अकाल राहत के अन्तर्गत पड़ा था उसी को सड़क बनाने में काम ले लिया तथा बिल नए मैंटीरियल के बनाए गए। वहां जो ए.ई.एन., श्री जोशी कार्यरत थे उन को छुट्टी पर भेज दिया एवं श्री पुरोहित, जे.ई.एन. को मूण्डवा भेज दिया। पीछे से उस सड़क का बिल ए.ई.एन. श्री राठौड़ एवं जे.ई.एन., सिंह से बनवाया गया। आप देखिये, उपाध्यक्ष महोदय, सड़क के मैंटीरियल का नाप तो पहले वाले ए. ई. एन. व जे. ई. एन. के पास था और बिल बनाया नए ए. ई. एन. और जे. ई. एन. ने। समझ में नहीं आता कैसे बनाया? आगे सुनिये, श्रीमान्, नया मैंटीरियल वहां डाला ही नहीं गया और फेमिन के मैंटीरियल को काम में लेते हुए उसे ही नया मैंटीरियल बता दिया गया जब कि फेमिन का मैंटीरियल एक्स. ई. एन., श्री व्यास थे उनके चार्ज में था। माननीय, उस पूरी एम.बी. की फोटोस्टेट कापी मेरे पास है, यह है जिसे आप देख सकते हैं तथा मंत्रीजी के मांगने पर उन्हें प्रस्तुत कर दूंगा। इस एम.बी. के द्वारा एक लाख ग्यारह हजार रुपये का एक साथ फर्जी भुगतान किया गया। श्रीमान्, इससे अधिक भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा क्या हो सकती है? बिना माल, सामान, मैंटीरियल डाले नाप हो गया, भुगतान हो गया। मुझे पूरी आशा है आप, मंत्री महोदय, इस मामले की गहराई तक जाकर ऐसे लोगों को सजा देंगे।

मैं एक बात अब रोजगार के संबंध में थोड़े में ही कहना चाहूंगा, क्योंकि समय की कमी है। वह यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के पढ़े-लिखे लोगों के लिए भी रोजगार का प्रबन्ध करें। ग्रामीण क्षेत्र के गरीब पिछड़े लोग, सीमान्त काश्तकार या भूमिहीन काश्तकार के जो बच्चे पढ़े-लिखे हैं, मैट्रिक, बी.ए. तथा एम.ए., पढ़ाई एवं योग्यता के आधार पर कम से कम प्रति परिवार में एक व्यक्ति या युवक को प्राथमिकता से रोजगार देने की गारन्टी आपको देनी होगी। इस समस्या को गम्भीरता को देखते हुए इसका प्रबंध कराने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामदेव।

श्री रामदेव चौधरी (मूंडवा) : उपाध्यक्ष महोदय, नागौर में सड़कें पूरी टूटी हुई हैं। जगह-जगह जो सड़कें फेमिन में बनी हुई हैं, वहां कंकड़ी पड़ी हुई है, सारा सामान पड़ा

Page No 126

(126)

(श्री रामदेव चौधरी)
हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि जो सामान पड़ा है, उसमें वह सड़क बनायें।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात नागौर, मेड़ता के ऐसे गांव हैं, जहां बरसात में आवागमन बन्द हो जाता है। वे किसी भी रोड से जुड़े हुए नहीं हैं। वहां न बैलगाड़ी जा सकती है और न मोटर जा सकती है। कोई आदमी शहर तक नहीं जा सकता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, उन गांवों को रोड़ से जोड़ा जाये। वहां डेयरी स्कीम से संबंधित गांव हैं लेकिन सड़क नहीं होने से उन्हें उतना लाभ नहीं मिल पाता है क्योंकि दूध की गाड़ी ऐसे गांव में नहीं जाती है अतः उनको रोड से जोड़ा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, खास बात यह है कि सड़कों को तीन दफा में बनवाते हैं। पहले तो कच्ची, फिर रोलर, फिर तीसरी साल मरम्मत करवाते हैं और फिर डामर करवाते हैं, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। अगर पहले ही रोलर फिरवा दें एवं डामर करवा दें तो पक्की हो जाय। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जहां सड़कें टूटी हुई हैं वहां उनको सही करवा दिया जाये।

हमारी कान्स्टीट्यूएन्सी की समस्या यह है कि मूंडवा से मेड़ता सड़क है, उसके लिये जो सामान डाला जाता है, वह सामान वहीं पड़ा रहता है परन्तु सड़क नहीं बनती। क्या कारण है, कृपया जांच करें।

मेड़ता रोड में पार्श्वनाथजी का मंदिर है, वहां पर साल में दो बार मेला लगता है और हजारों आदमी इकट्ठे होते हैं। उनको मेड़ता सिटी होकर जाना पड़ता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय व आपके मार्फत निवेदन करूंगा कि मूण्डवा से मेड़ता रोड को पक्की डामर की रोड बना दिया जाय।

हरसौलाव से सखवास की सड़क को पक्का बनाया जाये जो आगे जाकर मून्दियाड़ बलाया व नागौर को मिलाती है। अगर यह रोड कम्पलीट हो जाती है तो 10 मील, 20 मील में जितने भी गांव हैं वह सब सड़क से जुड़ जायेंगे। वहां के लोगों को आवागमन में आसानी हो जायगी। नागौर से जोधियासी सड़क पक्की बना दी जावे ताकि रास्ते के गांवों को सड़क सुविधा मिल जाय बासनी से बरायल की रोड्स कम्पलीट बनी हुई हैं। परन्तु बुरी तरह टूटी हुई हैं जहां कंकरी ठेकेदार की पी. डब्ल्यू.डी. वापस उठा रहा है। इनको डामर की बनायी जाय जिससे लोगों का आवागमन का साधन हो जाय। डेयरी की स्कीम जहां-जहां भी है वहां पर सड़कें बनायी जानी चाहिए ताकि आवागमन आराम से हो और लोग शहर से अपना सामान भी ले जा सकें, ला सकें और दूध भी आसानी से ले जा सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि कई गांव ऐसे हैं जहां पर सामान कम्पलीट पड़ा हुआ है परन्तु वहां पर काम नहीं हो रहा है। ठेकेदार कहते हैं कि सामान नहीं है। पांच-पांच साल से मुर्रम पड़ा हुआ है लेकिन सड़क पर नहीं डाला जाता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन पर शीघ्रता से काम कराया जाय ताकि आसानी से आवागमन हो सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आपको घंटी न बजानी पड़े इसलिए मैं घड़ी खोलकर बैठा हूं।

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
सात मिनट में समाप्त कर दूंगा।

अन्त्योदय का काम शुरू हो रहा है तो मेरे क्षेत्र की बात ऐसी है कि सड़कों के मामले में अन्त में है। वहां पर सड़कें नहीं हैं। चातुर्मास में बिना दवा के कई लोग मर जाते हैं। उनको कहीं नहीं ले जाया जा सकता। इसलिए सबसे पहले जो बहुत जरूरी सड़कें हैं संक्षेप में मैं उनके नाम बताता हूं, भीचोर से बरूंदनी पांच माइल का टूकड़ा व तिलिस्मा से घाटा तीन माइल का टुकड़ा बनाया जाय। भीलवाड़ा से गैंदल्या बड़ल्यास तक सड़क व सोलंकिया के खेड़ा पर पुलिया बनाई जाय। भीलवाड़ा से मंगरोप, आमां होते हुए बड़ल्यास की सड़क की रिपेयर कराई जाय। सींगोली से मांडलगढ़ वाया सराना पलासिया, मानपुरा से महुआ, श्यामपुरा, जलीन्दी, खीण्या, मोतीपुरा होते हुए बीस माइल की सड़क, त्रिवेणी नदी से जहाजपुर वाया मानपुरा, धामनिया काद्दोला होते हुए जहाजपुर यह सड़क बनी हुई हैं, लेकिन ऐसी हालत में हैं कि उनका भगवान ही मालिक है। उनको जल्दी से जल्दी संभाला जाय। बड़ल्यास से मांडलगढ़ वाया बरूंदनी, सींगोली, धाकड़-खेड़ी जोजवा होते हुए त्रिवेणी सड़क बनाई जाय। आकोला से बड़ल्यास, बनास नदी पर पुलिया बनाई जाय। खटवाड़ा बीगोद के बीच बनास पर पुलिया तथा बड़ल्यास से बीगोद तक सड़क बनाई जाय। सराणा-पलासिया के बीच मेनाल पर पुलिया बनाई जाय।

उपाध्यक्ष जी, भीलवाड़ा से बम्बई पहुंचना आसान है लेकिन एक तीन मील का ऐसा टुकड़ा है कि उस पर कोई गर्भवती स्त्री नहीं जा सकती। अब मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। त्रिवेणी से जहाजपुर तक पक्की सड़क है लेकिन खड्डे इतने हैं कि उस सड़क पर किसी और का गर्भ गिर जाय या कोई हार्ट फेल होकर मर जाय तो यह क्या राज की जिम्मेदारी नहीं होगी ? अगर राज की जिम्मेदारी है तो उसका नाम गर्भपात रोड रख दिया जाय। उस पर साइन बोर्ड लगवा दीजिये कि गर्भवती स्त्रियों का जाना वर्जित है और अगर जायगी तो इसकी जिम्मेवारी सरकार की नहीं होगी। या तो आप सड़क बनवा दीजिये या यह लिखवा दीजिये।

दूसरी बात, वित्त मन्त्री जी नहीं हैं, मैं उनको निवेदन करता कि जिस तरह से.....

श्री केदारनाथ (श्रम मन्त्री) : मैं कह दूंगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : कमाऊ पूत है यातायात, वन कमाऊ पूत है, ठीक उसी तरह से पी. डब्ल्यू. डी. भी कमाऊ पूत है शराब के मामले में। जो आदमी शैम्पेन, स्काच व्हिस्की और व्हाइट होर्स में से नहीं खरीद सके तो, उपाध्यक्ष जी, इण्डिया मेड फोरिन लिकर से नीचे तो कोई नहीं जाता। शराब की 33 करोड़ की आमदनी का अधिकांश श्रेय इस विभाग को है। तीस साल हो गये कांग्रेस सरकार भी इसको बन्द नहीं कर सकी। हम भी बंद नहीं कर सके तो जैसे वे गये हम भी जायेंगे।

अब मैं आपका ध्यान ग्रामोद्योग की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। जब तक श्रम और बुद्धि का भेद नहीं मिटेगा तब तक श्रमिकों का भला होने वाला नहीं है। अन टू दी लास्ट में लिखा है 'नाई और वकील' का महत्व बराबर है। सब को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। एम. एल.

Page No 128

(128)

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

ए. की तो पेन्शन से सिक्योरिटी हो गई, किसान ने जन्म भर काम किया लेकिन मिलता क्या है ? इसलिए श्रम और बुद्धि का भेद मिटना चाहिए । श्रम को महत्व देने की बात भी होनी चाहिए ।

अब एक मिनट और लूंगा ।

गांधीजी ने गांवों के बारे में कहा था कि उनको अन्न और वस्त्र के बारे में स्वावलम्बी बनाया जाना चाहिए । एक तरफ आप तेली को सब्सीडी देते हैं लेकिन दूसरी तरफ उसके पास ही बकासुर खड़ा कर देते हैं । ये दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते । जब घाणियों से काम चल सकता है तो वहां पर बड़ी मिलों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए । अखाद्य तेलों के लिए आप एक्सपेलर लगाइये लेकिन खाद्य तेलों के लिए घाणियों को पनपाइये । भगवान ने एक मुंह के साथ दो हाथ भी दिये हैं :—

"ईक मूंडा के साथ में
हाथ दिया हरि दोय
काम देवण्यो होय तो
भूखों रहे न कोय।"

इसलिए आप इनको काम दीजिये और श्रम का महत्व बढ़ाइये । श्रम की इज्जत बढ़ाइये । इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की सरकार बेरोजगारों को काम दे सकती तो 13 मार्च को यह क्यों निकलता कि बेकारों की संख्या बढ़ती जा रही है । मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि जो बड़ी-बड़ी बातें कहते हैं जो यह कहते हैं पांच लाख आदमियों को रोजगार देंगे, जिन्होंने वोट लेने की प्रवृत्ति अपनायी, उनके राज्य में, आपको क्या अर्ज करूं, 2 लाख 83 हजार 630 बेरोजगारों की संख्या रजिस्टर में बोल रही है । यह 1977 के आंकड़े हैं । श्रीमान्, 1976 में 2 लाख 72 हजार थे, 1975 में 2 लाख 63 हजार 729 थे ।

मैं अब इसमें ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, समय की कमी के कारण । मैं कहना चाहता हूं कि कौन-कौन से प्रगतिशील कानूनों में आपने परिवर्तन किये ? बहुत बड़ी बातें कहते हैं, और लोग सुनते हैं । ट्रेड यूनियन एक्ट का नारा गुण्डा लाना एक्ट क्यों . . .

श्री ईश्वरचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, गुण्डा शब्द अनपार्लियामेंट्री है इसको हटा देना चाहिए ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं उन लोगों के लिये कहना चाहता हूं जो ट्रेड यूनियन बना देते हैं, आपके लेबर मिनिस्टर साहब की दृष्टि में क्या है । ट्रेड यूनियन्स एक्ट के तहत जो हिसाब पेश करते हैं आपका श्रम विभाग उन हिसाबों की जांच नहीं करता है कि वे इस पैसे को काम में लेते हैं या नहीं । इस बात की गहराई से जांच होनी चाहिए । ट्रेड यूनियन एक्ट में पूरा संशोधन होना चाहिए । आपने लेबर पार्टीसिपेशन इन मैनेजमेंट की दिशा में क्या किया ? आपने किन को पार्टीसिपेट कराया ? महाराजा उम्मेद मिल्स, पाली है, वहां के मजदूर मैनेजमेंट में हिस्सा लेते हैं ? आपके जो राजकीय उपक्रम हैं, मैंने देखे हैं, किसी में भी सरकार हिस्सेदार नहीं बना सकी। तो फिर आप क्यों दूसरे लोगों से कहना

(श्री मूलचन्द डागा) चाहते हैं ? आप समाजवादी समाज की बात करते हैं लेकिन एक भी मजदूर मैनेजमेंट में भाग नहीं ले रहा है। जितने भी राजकीय उपक्रम हैं किसी में भी मिनीमम वेजेज एक्ट लागू नहीं होता है। सारे उपक्रमों में मजदूरों का शोषण होता है, ठेकेदारी प्रथा अभी भी मौजूद है।

आपने आंकड़े दिए हैं कि, 6 हजार बंधक मजदूरों को मुक्त करवाया। इस मामले पर मैं कोर्ट में खड़ा हो सकता हूं। आपने उनको छुड़ाया ? यह तो कांग्रेस सरकार ने किया है। आपने कहा, हम 4 लाख रुपए के मकान बनायेंगे। पाली में जो लेबर कालोनी बनी हुई है, उसमें 5-5 फीट के खड्डे हैं, सड़कें नहीं, पानी की निकासी का रास्ता नहीं। अलॉटमेंट कमेटी जो बनाई है उसमें विधायक भी सदस्य होना चाहिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : आप झूठ बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : लेबर कालोनीज में लेबर नहीं रहता दूसरे लोग ही रहते हैं जो मजदूर नहीं हैं। उनको आपके अधिकारी रखते हैं। आप जांच करायें।

प्रावीडेंट फंड की हालत क्या है ? मजदूर अपना रुपया लेने जाते हैं तो उसका इंतजाम नहीं। यही हालत ई. एस. आई. की है। आपने कहा कि प्रगतिशील होने की बात कर ली। आज नौकरों के साथ क्या हो रहा है ? आपका यह क्या कानून है फेक्ट्रीज एक्ट ? यह 10 आदमियों वाले कारखाने पर ही लागू होगा। 14 है तो 4 का शोषण होगा। अगर जनता पार्टी नहीं जागेगी तो मजदूर स्वयं अपने अधिकारों को छीनेंगे। दुनिया विषमता को बर्दाश्त नहीं करेगी, अपनी रोटी का सवाल खुद हल करेंगे। कहते हैं कि फेक्ट्रीज एक्ट में संशोधन करने के लिए हमने कमेटी बिठा दी है। कमेटी बिठाने का क्या मतलब है ? जब कभी सरकार बोलती है तो कहती है कि हमने कमेटी बिठा दी है, हम समझते हैं कि सरकार कमेटी में गई। इसलिये जो आपने आंकड़े दिए हैं उनके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि आज मिनीमम वेजेज एक्ट लागू नहीं है। यदि है, तो कितने आदमियों का चालान हुआ ? कितनों का कन्विक्शन हुआ ? आपकी रिपोर्ट में कहीं पढ़ने को नहीं मिला।

इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट बहुत पुराना हो गया है, कोडीफाइड लॉ नहीं है, हो तो मंत्री महोदय बता दें। ग्रेच्युइटी रूल्स की प्रतिलिपि सदन की मेज पर नहीं रखी गई। यह आपका श्रम विभाग है जिस पर लाखों रुपए का खर्चा किया जा रहा है ? भगवान रक्षा करे। ये लेबर कमिश्नर, व अधिकारी, मैं चैलेंज देकर कहता हूं, मजदूरों से कहते हैं, आगे बढ़ो और उधर सीधे मालिक से मिलकर फायदा उठाते हैं। मैं एक एक आंकड़ा चैलेंज करने के लिए तैयार हूं। कहते हैं कि 500 मकान बनायेंगे, बने हैं 200। श्रम मंत्री को जनता पार्टी के विधायक घेरे रहते हैं। उनका पूरा मन है लेकिन यह अधिकारियों व जनता पार्टी के विधायकों का घेराव, जनता पार्टी की नीतियों को आगे नहीं आने देता। प्रोफेसर केदार का मन बंध गया।

सड़कों के बारे में मेरा निवेदन है कि बांडी नदी पर पुल बनाना चाहिए। मैं कई बार कह चुका हूं। शंकरलालजी का भी प्रस्ताव है, मेरा भी प्रस्ताव है। निर्माण विभाग नगरपालिकाओं से 15 प्रतिशत लेता है। कहते हैं कि हम आपकी सड़कों का

(श्री मूलचन्द डागा)
सुपरवीजन करेंगे । किस बात का सड़क मंत्री सुपरवीजन करते हैं ?

एक माननीय सदस्य : सड़क मंत्री का कौनसा पद है ?

श्री मूलचन्द डागा : सार्वजनिक निर्माण मंत्री जो बाहर चले गए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मेजर फतह सिंह ।

श्री मूलचन्द डागा : मुझे एक बात कहनी है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने समझा आपने समाप्त कर लिया । मेजर फतहसिंह ।

मेजर श्री फतह सिंह (भीम) : श्रीमान्, पिछले 30 वर्षों में राजस्थान में असंतुलित विकास हुआ है । किसी क्षेत्र का विकास तो बहुत हुआ है और किसी क्षेत्र को बहुत पीछे छोड़ दिया गया है । मैं जनता सरकार से अपेक्षा करूंगा कि अपने शासन-काल में सब क्षेत्रों के साथ एक जैसा बर्ताव करें और विकास असंतुलित न हो, चाहे वह सड़कों का हो या दूसरे क्षेत्रों में हो ।

मान्यवर, मैंने अपने 5 कटौती प्रस्ताव आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए दिए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों की दयनीय स्थिति है। मैं रायपुर और भीम तक के क्षेत्रों की समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार कमियों को दूर करेगी। मेरा एक कटौती प्रस्ताव रायपुर विधान सभा क्षेत्र के लिए है। वहां की जनता की मांग है कि रायपुर से जसाखेड़ा तक जो फेमिन रोड बनी हुई है वह सम्वत् 2029 में बनी थी। उसको सुधारा जाए और उसको मेटल रोड बनाया जाए । यह रायपुर से खीवलगांव, कालब, पच्चनपुरा होती हुई जस्साखेड़ा पहुंचेगी । उसको बनाया जाना चाहिए । ब्यावर होकर रायपुर तहसील जाना पड़ता है । पाली जिले के कोटा किराना इत्यादि गांवों के लोगों को 30 मील का चक्कर बच जाएगा ।

दूसरा कटौती प्रस्ताव है, आसीन्द रोड, जो सर्मेलिया होकर जाती है, की दयनीय हालत है। एक-एक फुट के खड्डे पड़े हुए हैं। मैंने कभी सोचा था कि इन सड़कों की हालत सरकार समझे, इसका सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि मैं मुख्य मंत्री या श्री केदारनाथ-जी और सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री सहित दो-तीन मंत्रियों को वहां ले जाऊं और उस इलाके का दौरा कराऊं । तो भीम से आसीन्द रोड को मेटल रोड बनाया जाए और उस पर डामर डलवाया जाए ।

सरकार किसी काम को करने में कितनी गंभीरता बरतती है इसका एक उदाहरण मैं देता हूं । समेलिया गांव में इसी सड़क पर पुल का निर्माण हो रहा है, 6 वर्ष पहले काम शुरू हुआ, 3/4 काम हो गया लेकिन 5 वर्ष से अधूरा पड़ा हुआ है । बरसात में बाईपास होकर जाना पड़ता है। जब नदी बहती है तो बसें नहीं निकल पातीं ।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव है, श्रीमन्, देवगढ़ से कुआथल मार्ग वाया सवादड़ी, टेगी, जोरण और फिर आगे का 5 किलोमीटर का फासला है कुआथल से आमेठ का है, वह भी आगे का रास्ता खराब है । उसे सुधारें तो देवगढ़ से आमेठ जाने के लिए अभी 30 मील का चक्कर काटना पड़ता है, वह कम हो जायगा । इसलिए देवगढ़

(मेजर श्री फतह सिंह)

से कुम्रायल और कुम्रायल से ग्रामेठ की रोड को सुधारा जाय और इसको मेटल्ड रोड बना दिया जाय।

मेरा तीसरा सुझाव है कि ब्यावर से उदयपुर जो नेशनल हाईवे तक सड़क जाती है, भीम से आगे 8 मील की दूरी पर बरार नाम का गांव है, बरार से टाडगढ़ तक एक सड़क है जो कि अंग्रेजों के समय में बनी थी उसकी बहुत खराब हालत है। बरार से टाडगढ़ जाना पड़ता है तो पहले भीम जायें जो 9 मील है और फिर भीम से टाडगढ़ 9 मील जायें, इस तरह से 18 मील का चक्कर काटना पड़ता है। बरार से टाडगढ़ की एप्रोच रोड बन जाती है तो केवल 6 मील का ही वह रास्ता रह जाता है।

मेरा आखरी कटौती प्रस्ताव है, श्रीमन्, भीम से थाना गांव की तरफ जो सड़क जाती है उसकी हालत इस समय बहुत बुरी है। मैं थाना गांव गया था पिछले चुनावों में माननीय लड्ढाजी का प्रचार करने के लिए उस वक्त मैंने इस सड़क को देखा था। इसकी बहुत बुरी हालत है। चार मील चलने में पौन घंटा लगा जीप से। मैं चाहता हूं कि आपको उस ओर ले जाऊं ताकि उसकी गम्भीरता को आप समझें।

मैं इतना ही कहकर अपने कटौती-प्रस्तावों को प्रस्तुत करता हुआ सरकार से यह आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इस ओर ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बिरदमल सिंघवी।

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द जैन!

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सड़क एवं पुल, श्रम एवं रोजगार की मांग पर अपने कटौती-प्रस्ताव रखे हैं। सबसे पहले मैं सड़कों के बारे में अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहूंगा।

राजस्थान सरकार ने जो यह निर्णय लिया है कि 5 हजार की आबादी के गांवों को टार रोड से जोड़ा जाय, यह निर्णय स्वागत योग्य है, परन्तु बाड़मेर जिले और जैसलमेर जिले के लिए इस निर्णय से कोई लाभ नहीं होने वाला है। जैसलमेर जिले में 5 हजार की आबादी का एक भी गांव नहीं है। जैसलमेर आलरेडी मिला हुआ है, पोकरण आलरेडी मिला हुआ है। 5 हजार की आबादी का एक गांव भी नहीं है तो जैसलमेर जिले में किसको ऐसे क्षेत्रों से जोड़ेंगे। उसी प्रकार से जैसा कि मैंने पहले कहा कि जैसलमेर जिले में एक गांव भी नहीं है जो कि 5 हजार की आबादी का हो। जैसलमेर जिला एक पिछड़ा हुआ जिला है और सीमावर्ती जिला है, उस जिले में ऐसा गांव नहीं मिल सकता है।

उसी प्रकार से बाड़मेर जिला है उसके अन्दर बालोतरा सब-डिविजन है। लूनी नदी होने से वह डबल क्राप एरिया है। समदड़ी का एरिया डबल क्राप एरिया है। और कुछ बालोतरा का एरिया डबल क्राप है। बाकी के एरिया में 5 हजार आबादी का कोई गांव नहीं है। बाड़मेर सब-डिविजन, जो कि जैसलमेर जिले से लगा हुआ है, 8 लाख की आबादी में से 6 लाख की आबादी का क्षेत्र है। उसके लिए और जैसलमेर जिले के लिए अगर यह

Page No 132

(132)

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

सिद्धान्त लागू किया जाय, यह मापदण्ड लागू किया जाय तो उनके प्रति घोर उपेक्षा होगी, उनके प्रति घोर अन्याय होगा। इसलिए में मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस दृष्टिकोण को, इस सिद्धान्त को इस मापदण्ड को, जो कि अभी तय किया गया है, बाड़मेर सब-डिविजन और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के लिए रिलेक्स किया जाय, वहां पर ढाई हजार, दो हजार की आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ा जाय। इस सिद्धान्त को लेकर निर्णय करें।

जैसलमेर जिले में तो यह स्थिति है कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर पर 4 व्यक्ति रहते हैं और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में प्रति वर्ग-किलोमीटर कहीं पर 10, कहीं पर 11 और कहीं पर 15 रहते हैं। सिवाना और बालोतरा के क्षेत्र में 50 से कम संख्या है इसलिए जहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर 25 या 27 से कम व्यक्ति रहते हों उस क्षेत्र में हालांकि 5 हजार की आबादी का गांव नहीं है फिर भी उनको भी इस प्रकार का लाभ देना चाहिए नहीं तो वहां पर कोई रोड नहीं बनेगी।

अब सीमावर्ती रोड्स के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हर साल मिलिटरी एक्सर्साइजेज बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में होती हैं, बीकानेर में होती हैं, गंगानगर में होती हैं। मिलिटरी जब एक्सर्साइज करती है तो बड़े-बड़े टैंक्स का प्रयोग किया जाता है, बड़ी-बड़ी गाड़ियों का उपयोग किया जाता है और सड़कों को बहुत खराब कर देते हैं। जो सड़कें उनकी खुद की सड़कें हैं, जो डिफेन्स रोड बनी हुई हैं उनमें इन्क्लूड की गई हैं, उनके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट की सड़कों का दुरुपयोग करते हैं और बहुत बड़ा उनको नुकसान पहुंचाते हैं। उन सड़कों का कोई कम्पेन्सेशन नहीं मिलता है। उनकी मरम्मत पर गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है। तो आप इस पाइंट को मूव करें कि मिलिटरी एक्सर्साइज करती है उनसे जो सड़कों का नुकसान होता है उनके लिए वे कम्पेन्सेशन दें, उनकी पूर्ति करें। उनसे पूर्ति कराकर सड़कों की रिपेयर कराई जानी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखा जाय।

1965 के युद्ध में सड़कों की कमी होने के कारण, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें अपनी जीत नहीं हुई थी। 1971 के अन्दर फिर जो हिन्दुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो सड़क टार रोड बनीं, बाड़मेर जैसलमेर में बनीं, बीकानेर और गंगानगर में बनीं, उसके कारण हमारी फौजें आगे बढ़ी थीं और बढ़कर उन्होंने हमें शानदार जीत दिलाई थी। अभी तक इस प्रकार की रोड्स, जो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जिनको सैकण्ड प्रायोरिटी रोड्स कहा जा सकता है उन रोड्स को अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने हाथ में लेना चाहिए। यह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।

अब प्रश्न यह उठता है कि हमारे यहां के क्षेत्र की योजना में, बाड़मेर और जैसलमेर जैसे सीमावर्ती क्षेत्र की योजनाओं के अन्दर एक भी पैसे का प्रोवीजन रोड्स के लिए नहीं है। न पहले किया था हमारी सरकार ने और न

(श्री वृद्धि चन्द जैन)

इस सरकार ने किया है। जितनी भी रोड्स बनती हैं डिफेन्स रोड्स के अलावा यह फेमिन के समय बनती हैं। उसके बाद उनका पी. डब्ल्यू. डी. कन्ट्रोल और सुपरवीजन अपने हाथ में नहीं लेता है और उनकी कोई रिपेयर्स नहीं कराता है। फिर कभी अकाल आये तब जाकर उनकी रिपेयर्स होंI वे रोड्स खराब हो जाती हैं। अकाल के समय ही उनकी रिपेयर होती है। तो इसका प्रोविजन आप करें कि जो फेमिन के अन्दर की रोड्स हैं और अच्छी कन्डीशन में हैं उनको पी. डब्ल्यू. डी. ले ले ताकि उनकी रिपेयर की जा सके और इस संबंध में कदम उठाया जा सके।

एक बात यह है कि जो महत्वपूर्ण पुलियाएं हैं जिनकी आवश्यकता है वह बनाई जानी चाहिए। बाड़मेर से जोधपुर जावें तो समदड़ी और बालोतरा

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं जल्दी ही समाप्त कर दूंगा।

बालोतरा में तो रपट बनी हुई है लेकिन समदड़ी में कोई पुलिया नहीं बनी है। लूनी नदी जब आती है तो हमारा संबंध एक डेढ़ महीने तक टूट जाता है, बालोतरा और समदड़ी से संबंध टूट जाता है। इसके लिये पुल बनाने की आवश्यकता है। मैं बार-बार इस बारे में कह रहा हूं। 10 साल से इसकी मांग कर रहा हूं। फेमिन के मौके पर समदड़ी के पुल की स्वीकृति हो गई थी। उस पुल के कार्य को अपने हाथ में लेना चाहिए।

रोजगार और श्रम के बारे में मुझे इतना ही कहना है कि बन्धक श्रमिक उन्मूलन के बारे में हमारी गवर्नमेंट ने स्टेप लिये थे, 20 सूत्री कार्यक्रम में स्टेप लिए थे, लेकिन उसके बाद में इस गवर्नमेंट ने एक कदम भी नहीं उठाया, बल्कि हमारे वर्तमान मुख्य मंत्रीजी ने उसके खिलाफ मांग की और उसको बिगड़ा किया। यह बड़ा गलत कदम उठाया है, इसकी निन्दा करता हूं। हमारी गवर्नमेंट ने कोई गलत कदम उठाया हो तो उसकी प्रशंसा नहीं की, लेकिन बोन्डेड लेबर का जो प्रश्न है उसके बारे में आपकी गवर्नमेंट कोई इन्टेरेस्ट नहीं ले रही है। कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हमारे श्रम और रोजगार मंत्रीजी ने कुछ स्टेप उठाये हैं, कदम उठाये हैं वह सराहनीय है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि और भी अच्छे कदम उठाये।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बोन्डेड लेबर का प्रश्न है यह एक बहुत ही गम्भीर प्रश्न है इसे हमें गम्भीरता से लेना चाहिये। यह बोन्डेड लेबर का जो प्रश्न है यह अधिकांश रूप से आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा और बाड़मेर जिले में है। इसको जब तक बन्द नहीं करेंगे तब तक आपकी यह अन्त्योदय योजना कभी भी सफल नहीं हो पायेगी, यह आप निश्चित रूप से मान लें। इस बोन्डेड लेबर के प्रश्न पर मैं आपको और चेतावनी के रूप से यह निवेदन कर दूं कि इसमें आपको कई कांफ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ेगा, आपके जो यह मध्यम श्रेणी के जागीरदार लोग हैं जो आपकी पार्टी में घुसे हुए हैं उनसे आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपको बोन्डेड लेबर के प्रश्न को समाप्त करने में कई महाजनों से कंन्फिलक्ट में आना पड़ेगा। आपको अगर समाज की इस बुराई को समाप्त करना है तो आपको इसका सिसियरली एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरवलाल काला-बादल !

श्री भैरवलाल कालाबादल (खानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांग पर बहस चल रही है। मैंने भी इस पर अपने कटौती के प्रस्ताव दिये हैं। सड़क निर्माण के नाम पर धन के दुरुपयोग व अधिकारियों द्वारा निर्माण के नाम पर लूट किए जाने पर चर्चा के लिए। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश में 80 प्रतिशत जनता किसान है फिर भी पता नहीं क्यों आज तक इतना बजट होते हुए भी न किसान का कोई भला होता है और न किसान के विकास का कार्य ही होता है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी जब मैं मेरे क्षेत्र में चुनाव के जीतने के बाद गया तो मैंने सोचा कि चलो भाई अपने क्षेत्र के लोगों से मिल आऊं। मैंने मन में समझा कि वहां पर अपनी इज्जत ही होगी। यह सोचकर मैं मेरे क्षेत्र के सारोला गांव चला गया। वहां पर जब मैं गया तो, उपाध्यक्ष महोदय, वहां सड़कों की हालत बहुत ही खराब थी। वहां मैंने देखा कि रोड के बीच में गड्ढे पड़े हुए हैं, कीचड़ में एक बस फंसी हुई है और लोग बाहर खड़े हैं। मैं भी वहां जब पहुंचा तो मेरी गाड़ी वहां पर फंस गई जहां दूसरी बस पहले से कीचड़ और गड्ढे में फंसी हुई थी। मेरे अन्नदाता खड़े थे। मैंने देखा कि अपना यहां पर आदर होगा। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मतदाताओं ने मुझे देखते ही कहा कि लो यह कालाबादल आ गया है इसको कीचड़ में घसीट कर लाओ। मैंने सोचा और विचार किया कि कहां तो मैं यह सोच रहा था कि मेरे मतदाता मेरे से प्यार मोहब्बत करेंगे। पर वहां लोगों ने पकड़ कर मुझे कीचड़ में घसीटा। मैंने जब उनसे पूछा कि ऐसा क्यों किया तो उन्होंने बताया कि जब तुम्हें कीचड़ में घसीटेंगे तब तुम्हें पता चलेगा। फिर मुझे कहा कि इस रोड को कब तक पक्का कराओगे, जनता को इससे बड़ी परेशानी है। उन लोगों ने जो वहां खड़े थे कहा कि इस कालाबादल को बैठा कर उस गड्ढे में बस को ले जाओ। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा हुआ कि मेरी बस जाते ही गड्ढे में फंस गयी। मेरी बस उस गड्ढे में औंधी हो गयी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अकेला ही उस बस में बैठा हुआ था। वहां पर कोई मेरी सुनने वाला नहीं था। मेरा रोना किसी ने नहीं सुना। आपके सामने रोऊं नहीं तो किसके सामने रोऊंगा। खैर, उपाध्यक्ष महोदय, अब उन सड़कों की हालत के लिए मैं क्या करूं। अब से पहले जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के मन्त्री थे हमारे कोटा के श्री ललितजी उन्होंने ऐसे इन्जीनियर को वहां पर लगाया है जिनके लिये यह कहा जाता है कि पहले वह कोटा नगरपालिका में इन्जीनियर थे। 35 लाख रुपये का काम स्वीकृत था नगर-पालिका का। उन्होंने उस काम की स्वीकृति होने के बावजूद 28 लाख रुपये लेप्स कर दिए और सिर्फ चार-पांच लाख रुपये का काम किया। जब बजट मन्जूर है तो भी उस इन्जीनियर ने बजट को ही लेप्स कर दिया। इस प्रकार के इन्जीनियर को हमारे यहां पर दुर्भाग्य से ललितजी ने भेजा। हमारे गांव के लोग सड़कों की उम्मीद करें, यह सड़कें बन जायेंगी तो हमें राहत मिलेगी। पर यह इन्जीनियर साहब तो जैसे कसाई होते हैं वैसे हैं। कसाई, उपाध्यक्ष महोदय, दो तरह के होते हैं एक तो वह जो तलवार से

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

गर्दन काटते हैं हलाल करते हैं । दूसरा कसाई होता है जो कलम से खून करता है। यह दूसरी तरह के कसाई हैं । हमारे यहां पर कलम से खून करने वालों के लिए यह कहा जाता है —

"अब मत लूटो कलम कसाई
खून मल लोही हो गयो रे ।"

आगे कहा है,

करा करा फरयाद ध्यान सुणे न कोई रे ।
फिरा भटकता ठाम-ठाम सबली पथ खोई रे।

अब वह खून कैसा, उपाध्यक्ष महोदय, वह भी खून काला लोही पड़ गया । अब उसकी फरियाद भी करें तो किसके पास जाकर करें ।

गांव बलाई खूंट्यो मांग, और सिपाही रे,
पांच रुपया पटवारी मांगे करे लड़ाई रे ।।
लू में करां खरार भकर सूं झुलसे काया रे,
आसोजा को तपे तावड़ो करां कमाया रे ।।
सीं-सीं करता स्यालो काटां, फिरा उघाड़ा रे
ऊधाला में फिरां उघाणां कोरो हाण्डा रे ।।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत में 80 फीसदी किसान हैं, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है ।

उन्धाला में फिरां उघाड़ा कोरो हाडां रे,
खां-खां सांवों और झोमरू धरती हांका रे,
आंटी लगा पेट के धन्धो करान थाका रे,
अब मत लूटो रे ।
मां का दुःख को पार न आवे कहता आवे लाज,
मन मसोस कोरी छाती सूं भरां जगत का काज,
अब मत लूटो रे ।

तो यह हालत है, उपाध्यक्ष महोदय, पर किसको कहें । वैसे तो मैं भी उपाध्यक्ष महोदय, अपने क्षेत्र के काम के लिए मंत्री महोदय की चमचागिरी करने जाता हूं ताकि किसी प्रकार वहां पर काम हो जाए । आज हमारी 80 प्रतिशत जनता किसान है उनकी कमाई है ....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे किसानों के खून-पसीने की कमाई है । इन रुपयों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये । आपने बजट भी दे दिया पर, उपाध्यक्ष महोदय, जो इन्जीनियर हमारे यहां पर बैठा दिया लाकर उसका क्या करूं । मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे इलाके में चार सड़कें हैं जिसमें एक तो खानपुर से इकलेरा, दूसरी कनवास से खानपुर, इसके अलावा खानपुर से अटरू । यह रोड, उपाध्यक्ष महोदय, सन् 52 में बनी थी । उसके बाद मैं समझता हूं कि कभी भी इन रोड्स की मरम्मत नहीं हुई । इसके अलावा वहां पर कभी कोई सड़क व पुलिया नहीं बनी जिससे जनता को बहुत नुकसान हो रहा है । अब ललितजी ने ऐसे इन्जीनियर को झालावाड़ में लगा दिया । मैंने कहा था कि यह बजट को लेप्स करने वाला इन्जीनियर है, काम करता ही नहीं । तो उन्होंने मुझे कहा, नहीं, यह बहुत अच्छा इन्जीनियर है । खैर, मेरा तो कनवास से खानपुर और खानपुर से अटरू रोड पक्की करने के लिये निवेदन है । करीब 11-15 मील का टुकड़ा है उसको पूरा किया जाय । इसके अलावा खानपुर से इकलेरा को मैटल रोड किया जाय । इस पर आधा काम तो डामर का हो चुका है, अब सिर्फ 6 मील डामर का काम बाकी है उसको पूरा किया जाय । उपाध्यक्ष महोदय, यह खानपुर से इकलेरा बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है । इकलेरा में मुन्सिफी का आॅफिस है । वहां

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

पर गरीब लोगों का आना जाना रहता है। मेरा निवेदन है कि कहीं गरीब जनता के खजाने का दुरुपयोग यह निर्माण विभाग वाले नहीं कर लें। इसीलिये मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, पी. डब्लू. डी. मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि आप खानपुर से इकलेरा और जो आस-पास के गांवों को मिलाने वाली सड़कें हैं उन्हें पक्की करावें ताकि जनता को राहत मिले।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अजीतसिंह।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में सार्वजनिक निर्माण विभाग व श्रम विभाग की मांगों पर बहस चल रही है। मैंने भी अपने कटौती प्रस्ताव इन मांगों पर दिये हैं। इन कटौती प्रस्तावों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा उससे पहले तो मैं थोड़ा नीति संबंधी मामलों पर अर्ज करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण विभाग के मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि हम अपने यहां पर योजनाओं से विकास तब तक नहीं कर सकेंगे जब तक कि हम राजस्थान के आन्तरिक भागों को दूसरे प्रान्तों से नहीं मिला देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार को इसके लिये केन्द्रीय सरकार को मजबूर करना चाहिये कि जो जयपुर से भोपाल की सड़क है उसको वह नेशनल हाईवे मानकर अपने अन्दर में, कन्ट्रोल में ले। पहले जब राज बहादुरजी केन्द्र में मंत्री थे तब इस सड़क को केन्द्र द्वारा लिये जाने की स्वीकृति भी हुई लेकिन बाद में हमारी सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को जोर नहीं देने के कारण केन्द्रीय सरकार के नीचे वह सड़क नहीं जा सकी। राज्य सरकार के पास धन उपलब्ध नहीं होने के कारण वह पूरी नहीं हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, वह बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है जयपुर-कोटा-इन्दोर-उज्जैन होती हुई वह सड़क जाती है। मेरा निवेदन है कि उसको केन्द्र सरकार के नीचे देने के लिये हमारी सरकार द्वारा प्रयास किये जाने चाहियें ताकि राजस्थान की उस सड़क की हालत सुधर सके। रोजना सैकड़ों ट्रक व बसें उस पर से आती जाती हैं इसलिये उसकी हालत बहुत ही खराब है। मेरा माननीय मन्त्री महोदय से, आपके माध्यम से, यह निवेदन है कि इसके लिये केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाला जाय।

दूसरा, माननीय मंत्रीजी, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि पहले कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी कि वह 2500 से ऊपर की आबादी वाले गांवों को एप्रोच रोड से मिला देगी। वापस आप 5000 की आबादी पर कैसे आ गये, पता नहीं। 2,500 से ऊपर की आबादी के गांवों को जो एप्रोच रोड से मिलाने की योजना थी उसमें काफी काम हो चुका था, जितना भी प्लान था वह तैयार कर लिया गया था। सब गांवों के नाम आ चुके थे और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अनुसार हर जिले को पैसा अलॉट हो चुका था। काफी प्रयास हो रहे थे 2500 से ऊपर की आबादी वाले गांवों को मेन रोड से मिलाने के लेकिन अब रिवर्स देखने को मिलता है, आप 5,000 की आबादी वाले गांवों पर आ गये।

दूसरे डेयरी योजना के तहत भी सरकार को केन्द्र से काफी पैसा मिला है,

(श्री अजीतसिंह)

कृषि उपज मण्डियों का भी फण्ड है और म्युनिसिपैलिटीज का भी फण्ड है । इन योजनाओं के तहत बनने वाली सड़कें कैसे-कैसे बनेंगी और इनकी क्या-क्या योजना है जब माननीय मंत्रीजी जवाब दें तो इसका स्पष्टीकरण करें । डेयरी विकास योजना के तहत जो केन्द्र से सहायता मिलती है और जो विकास करने के लिए आप वचनबद्ध हैं उसकी क्या योजनायें हैं ? कृषि उपज मण्डियों के लिए भी पैसा काश्तकारों से वसूल किया गया है । मण्डियों में बनने वाली सड़कों के बारे में क्या कार्यवाही हो रही है और नई सरकार की क्या नीति है, उनके बारे में, यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है । अब ऐसा सुनने में आया है कि आपने पैसे का कुछ पर्सेन्टेज विभाग को दे दिया है और सड़कें डिपार्टमेन्ट ही मण्डियों में बनायेगा । तो क्या आप नीति निर्धारित करने जा रहे हैं, यह बताने का कष्ट करें ।

इसके साथ ही मैं थोड़ा लेबर के बारे में निवेदन करना चाहूंगा । जो पर्मानेन्ट लेबर है वह सड़कों को सुधारने का काम और मिट्टी डालने का काम करता है, लेकिन यह काम बिलकुल नहीं हो पाता है क्योंकि यह लोग ओवरसियर और इन्जीनियर्स के यहां काम करते रहते हैं और कोरी मटरगश्ती में इनकी हाजिरी होती रहती है । तो जो पुराना तरीका चल रहा है उसे इस सरकार को बदलना है । मंत्री महोदय स्पष्ट करें कि पर्मानेन्ट लेबर किस प्रकार से नियुक्त करेंगे । सड़कों में गड्ढे पड़ गये हैं, उनकी मरम्मत का काम नहीं होता है । आपको इसके लिए कोई पर्मानेन्ट योजना बनाकर काम करना पड़ेगा । जो पैसा होता है वह मेडिकल वगैरह में और दूसरे कामों में ही खर्च हो जाता है । जैसे उदाहरण के तौर पर कहूं कि 15 लाख रुपये आप देते हैं लेकिन सारी पर्मानेन्ट लेबर और दूसरा लेबर है उसके मेडिकल भुगतान वगैरह में ही सारा पैसा खर्च हो जाता है और सड़कों का काम होता ही नहीं है । इसलिए इस पर भी आप गंभीरता से विचार करें ताकि हमारी सड़कों का विकास ठीक ढंग से हो सके ।

एक बात, उपाध्यक्ष महोदय, और निवेदन करना चाहूंगा । सड़कों के निर्माण में डामर का बहुत महंगा आइटम है । आप कुछ अनुसंधान कीजिए कि डामर की जगह और कोई दूसरी चीज को इस्तेमाल कर सकें और अच्छी सड़क बना सकें । डामर से सड़कों का निर्माण बहुत महंगा पड़ता है इसलिए दिक्कत होती है । उपाध्यक्ष महोदय, फेमिन के अन्दर भी सड़कें बनीं, तो कच्ची सड़कें बनाने की योजना चालू रही । हमारा सौभाग्य है कि अकाल राहत मंत्री और पी. डब्ल्यू. डी. मंत्री एक ही हैं । इस समय अच्छा मौका है इसलिए जिन सड़कों पर माल पड़ा हुआ है उन सड़कों पर वह माल बिछाकर रोलर फिरा दें तो कच्ची सड़कों की उपयोगिता बढ़ेगी ।

इसके अलावा आपको यह भी अलग से क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा कि जिले की सड़कें कौनसी रहेंगी, प्रान्तीय सड़कें कौनसी रहेंगी और राष्ट्रीय मार्ग कौन से रहेंगे । तो जब तक आप इसकी योजना नहीं बनायेंगे तब तक कैसे इनका सुधार होगा ? जब तक आप इस योजना पर पर्टीकूलरली विचार नहीं करेंगे तब तक हालत ठीक होने वाली नहीं है । आप

(श्री अजीतसिंह)

अलग-अलग सड़कों का क्लासिफिकेशन करें, इनके सुधार के लिए अलग से व्यवस्था करें और अलग बजट अलॉट हो ताकि ठीक तरह से काम हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिन लेबर इन्सपेक्टर्स को आपने शहरों में लगा रखा है उनका काम सिर्फ दुकानदारों से पैसा उठाना है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह लोग लेबर के अन्दर बिलकुल रुचि नहीं रखते हैं। तो आप इन लेबर इन्सपेक्टर्स को भी जिम्मेदार बनायें लेबर के प्रति ताकि ठीक ढंग से काम चले।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माधोसिंह।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सड़कें और पुल के लिए सरकार ने हमारे सामने अपनी मांग प्रस्तुत की है उस पर मेरे कटौती प्रस्ताव हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हां पक्ष में बैठने वाले और ना पक्ष में बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने एरिया की जैसी स्थिति है वह हमारे सामने रखी है। उन्होंने भूतपूर्व सरकार के लिए भी कहा कि उसने तीस सालों में इसके अन्दर कुछ नहीं किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1951 के अन्दर 843 किलोमीटर रोड थी जब कि अब 22,916 किलोमीटर सड़कों का काम हुआ। आखिर इतना काम हुआ तो सरकार जो उस समय की थी उसने भी काम किया है। ऐसी बात नहीं है कि उसने काम नहीं किया। हां, लोगों को और माननीय सदस्यों को इस बात की शिकायत हो सकती है कि जो भी बजट का प्रावधान है वह असमानतापूर्ण है। जिस तरीके से सब जगहों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए उस तरीके से पहले की सरकार ने काम नहीं किया था, इसलिए सबको शिकायतें थीं। आज आप भी उन्हीं के कदमों पर चल रहे हैं और उसी तरीके के आपके भी काम हैं। अगर यही आपकी नीति रही तो यह असन्तुलन बना रहेगा। मैंने बजट पर सामान्य वाद-विवाद के समय भी निवेदन किया था कि आप 66 करोड़ 50 लाख रुपया चम्बल परियोजना, भरतपुर की एक-दो नदियों और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर खर्च कर देते हैं, इनमें पूरे पैसे का हिस्सा खर्च कर देते हैं और 5 करोड़ 25 लाख रुपया राजस्थान के दूसरे जितने जिले हैं उनमें भी ज्यादातर बांसवाड़ा और डूंगरपुर हैं जहां कडाना और माही परियोजनायें चलती हैं वहां खर्च करते हैं। यानी पूरा का पूरा बजट राजस्थान के इन तीन-चार जिलों के अन्दर लगाना चाहते हैं। तो फिर किस बात का सन्तुलन है? मेरी समझ में नहीं आता कि जो दूसरे जिले हैं जैसे मेरा सिरोही जिला भी है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस जिले में दस साल के अन्दर एक भी नया काम शुरू करने में पैसा नहीं लगा है। जो हमेशा से विभागीय मरम्मत के लिए पैसा आता है वही खर्च कर दिया जाता है। या ठीक है इस साल बाढ़ का प्रकोप रहा तो 211 लाख रुपया आपने मरम्मत के काम के लिए दे दिया, लेकिन सिरोही जिले में जो सड़कों और पुल निर्माण के लिए काम होना चाहिए था वह नहीं हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि रेवदर क्षेत्र सारा पहाड़ी क्षेत्र है जहां हजारों

(श्री अजीतसिंह)

नदी और नाले हैं। माउन्ट आबू, जो कि पहाड़ों का सिरमौर है, वहां है। वह बोर्डर का जिला कहा जा सकता है। देश का बोर्डर नहीं, लेकिन प्रान्त का बोर्डर कहा जा सकता है। पास में गुजरात है जहां सीमेन्ट की और दूसरी अच्छी सड़कें हैं। आदमी जैसे ही गुजरात से राजस्थान में घुसता है तो सड़कों की दशा ऐसी है कि उसके लिए सरकार को और हम सबको इस बात का अफसोस रहता है कि हमारी स्थिति इतनी खराब है। आबू लोग पर्यटन के लिए आते हैं, गुजरात से ज्यादा लोग आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं और दूसरे देश-विदेश से आते हैं। जहां ऐसे सब लोगों का आवागमन हो वहां सड़कों की दशा खराब हो तो यह हमारे लिए शर्मनाक बात है।

मैं निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र, रेवदर के अन्दर एक करोटी रिवर है। वह साल के 4 महीने रेवदर तहसील का आवागमन बिलकुल ठप्प कर देती है। न तो रेवदर तहसील का सम्बन्ध जिले से रहता है और न रेलवे से रहता है। रेवदर तहसील का संबंध जो दूसरे मण्डी क्षेत्र हैं उनसे नहीं रहता है। पूरे तरीके से चार महीने तक संबंध कटा रहता है। इसलिए इस बोर्डर डिस्ट्रिक्ट में पुल बनाने का मेरा सुझाव है। दूसरे रेवदर से भीनमाल वाया जसूलपुरा और भीनमाल तहसील हैडक्वार्टर और जसवन्तपुरा हैड-क्वार्टर, यह हैड-क्वार्टर पहले भी रहा है, 8 किलोमीटर तक रोड बनी हुई है और उसके आगे मेटल्ड रोड बनी हुई है, लेकिन दस साल से उस पर एक भी पैसा नहीं लगा। उसकी इतनी हालत खराब हो गयी है कि कंकर बिखर गये हैं और कोई भी ट्रक या गाड़ी उसके ऊपर सेफली नहीं जा सकती।

मेरा आपसे अनुरोध है पंचायत समितियों से मिलने वाली सड़कों की तरफ ध्यान करके पुलियाओं को कम्पलीट कराया जाए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कालन्द्री-जसवन्तपुरा सड़क से जिला हैड-क्वार्टर से मिलता है। यह भीनमाल को भी मिलाती है। इसको भी करने की कृपा करेंगे। कालन्द्री-वलदरा सड़क, रेवदर-दादुरला सड़क, सोरडा-बांट सड़क, यह मेटल रोड बनी हुई थी। अब कंकर निकल रहे हैं। इन पर लाखों रुपया खर्च हो गया किन्तु इनका सदुपयोग नहीं हो रहा है। आप इनको प्राथमिकता देकर पूरा कराने की कृपा करें ताकि आगे जाकर यह समस्या नहीं आये और उसकी रिपेयर के ऊपर खर्चा न करना पड़े।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक और अनुरोध करूंगा कि करेली रिवर है। उसकी रपट साल भर से टूटी हुई पड़ी है। ठेकेदार को ठेका दिया गया। ठेकेदार ने थोड़े बहुत पत्थर लाकर डाल दिये और वहां से भाग गया। उसके बाद में विभाग ने इसे लिया, थोड़ी प्रगति हुई किन्तु आज भी वह कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। आज मार्च का महीना है, 2-3 महीने के बाद वर्षा का सीजन आ जायेगा। उस रपट पर एक लाख रुपया खर्च हो गया, वर्षा में उसकी क्या हालत होगी अगर समय पर नहीं कराया गया।

आप सड़क व पुल के मामले में असंतुलन

(श्री अजीतसिंह)

को मिटाइये। एक कमेटी का गठन कीजिये जो प्राथमिकता के आधार पर इन कामों को देखे और बराबर पूरे राजस्थान को न्याय दे सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

नहीं तो लोग आज हमें कोसते हैं, थोड़े दिनों बाद वे आपको कोसेंगे। इस तरह की स्थिति नहीं हो। आप असंतुलन को मिटायेंगे तो मैं समझता हूं राजस्थान का विकास हो सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सूरजपाल सिंह।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 5-7 कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

अगर देश का विकास सही मायनों में हम करना चाहते हैं तो सड़कों का निर्माण करना बहुत ही जरूरी है। इस तरफ विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जब तक सड़कों का निर्माण नहीं होगा, हर गांव सड़क से नहीं जुड़ेगा तब तक उसका विकास मैं नहीं मानता। जब तक प्रत्येक गांव को सड़क से न जोड़ दिया जाये तब तक विकास की बात सोचना निरर्थक है। कर्मचारियों की बात सदन में बार-बार सरकार द्वारा कही गई। इस सदन में कहा कि गांवों में डाक्टरों, नर्सों, अध्यापकों की नियुक्तियां की जाती हैं, किन्तु कर्मचारी जाते नहीं। अगर कहीं जाने की सुविधा ही नहीं हो, गांवों तक पहुंचाने की सुविधा ही न हो तो वे लोग पहुंचेंगे कैसे। मंत्री महोदय, आपके पास शिकायतें आती हैं कि हमारे यहां स्टाफ लगाया गया, वह पहुंचता ही नहीं। जब तक सड़कों का निर्माण नहीं होगा तब तक किसी भी क्षेत्र का विकास नहीं हो सकेगा।

इसलिए सड़कों और पुलों की ओर अधिक ध्यान दिया जाये। प्रदेश के अन्दर 80 प्रतिशत किसान लोग खेती करते हैं। मैं अपने जिले की बात कहूं कि हमारे जिले में सड़कों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मेरे ख्याल से सबसे पिछड़ा हुआ अगर सड़कों की दृष्टि से कोई जिला है तो वह जालोर जिला है। वहां की भौगोलिक स्थिति ही कुछ ऐसी है। बांडी, लूनी सभी नदियों का प्रवाह है। हर चार-पांच मील जाने के बाद कोई न कोई नाला मिलेगा। बरसात के दिनों में आपको 10 मील से आगे का रास्ता नहीं मिलेगा। गांव तो पिछड़े हुए हैं ही। एक बड़े भूभाग का साल में तीन महीने डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर से लिंक टूट जाता है। अकोली नदी और भरूंडी नदी के लिये राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है, मैं निवेदन करूंगा कि बरसात आ रही है, इसलिये ज्यादा समय नहीं रहा है। अभी टेन्डर वगैरह हो गये हैं, लेकिन मेरे ख्याल से, वह निर्माण कार्य इस बरसात से पहले पूरा हो सकेगा, इसमें कुछ सन्देह है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आकोली और भरूंडी नदियों की पुलियाओं का निर्माण युद्ध स्तर पर बरसात से पहले करवाया जाये ताकि उप-खण्ड भीनमाल का जो बरसात में सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है वह रुक सके।

इसके अलावा मैं मेरे क्षेत्र के लिए रोड्स का सुझाव देना चाहता हूं। राजस्थान सरकार ने नीति बनाई है कि 5 हजार की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा जायेगा मगर हमने डिस्ट्रिक्ट विजीलेंस कमेटी की मीटिंग में देखा कि 5 हजार के गांव बहुत ही कम आते हैं। पांच

(श्री सूरजपाल सिंह)

हजार की आबादी वाले गांव करीब करीब सड़कों से जुड़े हुए हैं। इसलिए इस सीमा को थोड़ा-सा कम किया जाये। दो हजार की आबादी वाले सारे गांव सड़कों से जोड़े जायें और जिस सड़क की मैं बात कर रहा हूं भीनमाल से गोवागां इसमें जो गांव आते हैं उनमें दासवां गांव की आबादी साढ़े चार हजार है, पाथेड़ी, उमड़ी, नरता, पावरा, वेता कोषाणा गांव हैं वे सब 2 हजार की आबादी के ऊपर हैं। इनकी पूरी आबादी 25 हजार के करीब होती है। वहां ग्रेवल रोड भी बनी हुई है। इससे जो विशेष लाभ होगा उस पर भी मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। भीनमाल में कृषि उपज मण्डी का निर्माण 60 लाख की लागत से हो रहा है। जिस सड़क के निर्माण का मैं सुझाव दे रहा हूं उससे इन सारे गांवों का माल इस मण्डी क्षेत्र में आयेगा। सड़क के अभाव में यह माल सुमेरपुर मण्डी में जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरे क्षेत्र का सारा अनाज भीनमाल मण्डी के अन्दर आये और इस मण्डी की उपयोगिता बढ़े इसलिये मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसके लिये अविलम्ब स्वीकृति प्रदान करें। दूसरा जो मेरा सुझाव है वह यह है कि भीनमाल से भाव-सिवाड़ा, इस रोड पर भी सभी बड़े बड़े गांव हैं। कृषि की दृष्टि से सारे गांव बड़े हैं, इन गांव के लोगों को असुविधा होती है। भीनमाल से भाव तो बहुत पुरानी रोड है, उस पर 32 साल से बसें चलती हैं, लेकिन अभी भी उस रोड पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं चाहूंगा कि यह सड़क भाव से आगे सिवाड़ा तक मिला दी जाये तो जालौर से बाड़मेर जाने का रास्ता है उसमें 40 किलोमीटर का अन्तर पड़ेगा। बोर्डर एरिया है उस दृष्टि से भी बहुत लाभप्रद होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तीसरा जो मेरा सुझाव है...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो मिनट।

वरुडी से तवाब तक सड़क बनी हुई है। मैं यह चाहूंगा कि यह सड़क तवाब से मोदरा, धानसा, थरवाड़ पोथेडी तक बढ़ा दी जावे। ग्रेवल रोड बनी हुई है, वह डामर करवा दी जावे। मोदरों में माताजी का मन्दिर है बड़ी आबादी है। धानसा में हाई स्कूल व तीन हजार की आबादी है। अतः इस सड़क की स्वीकृति प्रदान की जाये।

इसके अतिरिक्त मैं चाहूंगा, अकाल राहत के अन्दर जो छोटी मोटी सड़कों का काम हाथ में लिया गया था, उनको भी छोड़ा नहीं जाय और उनको हाथ में लिया जाय। तिलोड़ा की एप्रोच रोड के लिये भी निवेदन करूंगा कि उस काम को भी हाथ में लिया जाय। छोटा-सा तीन मील का ही टुकड़ा है।

अब मैं लेबर एम्प्लायमेन्ट के बारे कहूंगा। जालौर में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायें। इण्डस्ट्रियल दृष्टि से उसका विकास रुका हुआ है। मैं यह भी सरकार से निवेदन करूंगा कि शिक्षित बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, इसलिये

(श्री सूरजपाल सिंह)

नौकरी के लिये आयु सीमा 28 साल रखी गई है उसको बढ़ा देना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

28 साल तक नौकरी नहीं मिलती है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अतः इसको बढ़ाकर 28 से 35 साल किया जाय ये मेरे सुझाव हैं। इन सुझावों को देने के साथ ही मैं स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नारायण सिंह !

श्री हर चन्द !

श्री नारायण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मौजूद हूं।

श्री उपाध्यक्ष : I am sorry.

श्री नारायण सिंह (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मेरे कुछ कटौती प्रस्ताव सड़क और पुल और श्रम व रोजगार की मांग के ऊपर हैं। पहले मैं रोजगार को लेना चाहता हूं और आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सन् 1962 में मेरे क्षेत्र के अन्दर भारत सरकार की मदद से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाया गया था, वह है शीप एण्ड वूल रिसर्च इन्स्टीट्यूट। तमाम भारतवर्ष का जितना ऊन का रिसर्च होता है वह वहां पर आता है। बड़े-बड़े अच्छे वैज्ञानिक शोध करते हैं और शोध के रिजल्ट्स उनके पास भेज दिये जाते हैं लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि जो मशीनरी वहां आई हुई है वह कम से कम 20-25 करोड़ की होगी लेकिन वह सारी मशीन आइडल पड़ी हुई है, उसे काम में नहीं लिया गया है। अभी 3-4 दिन पहले हमारे त्रिलोकचन्दजी जैन, प्लानिंग मिनिस्टर साहब मालपुरा पधारे थे। मैं उनको साथ लेकर गया उस इन्स्टीट्यूट में और उनको सारी मशीनरी दिखाई। जो वहां के डाइरेक्टर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। ऐसा मालूम पड़ता है उस इन्स्टीट्यूट की मशीनरी को अच्छी तरह काम में लिया जाय तो मैं निवेदन कर दूं हमारे जिले की जितनी बेरोजगारी की समस्या है, वह खतम हो जायेगी। जो 10-12 हजार लोग बेकार हैं वे उसमें लग सकते हैं। न राज्य सरकार को पैसा खर्च करने की जरूरत है और न किसी चीज की आवश्यकता है। सिर्फ मशीन को काम में लेने वाली बात है और भारत सरकार से स्वीकृति लेनी है। उस मशीन का प्रयोग करके अन-एम्प्लायड लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। अगर इस दृष्टि से राज्य सरकार ध्यान देवे तो मेरे इलाके में बेरोजगारी की समस्या खतम हो जायेगी। मैं यह बहुत ही नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस मशीनरी का शीघ्र उपयोग किया जाय। मैं इस सम्बन्ध में पहले भी कह चुका हूं लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।

मैं एक और, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं जो आपने मिनिमम वेजेज एक्ट लागू किया है यह दूसरे लोगों पर ही लागू है या राज्य सरकार पर भी है ? आज राज्य सरकार द्वारा जितने फेमिन रिलीफ के काम चलाये जा रहे हैं उनमें मजदूरों को तीन और साढ़े तीन रुपये मजदूरी दी जाती है। आप विचार करिये

(श्री नारायणसिंह)

तीन और साढ़े तीन रुपये में वे कैसे काम करेंगे ? आपका मिनिमम वेजेज एक्ट लागू है उसके अनुसार पांच रुपये देने पड़ते हैं । तो आप खुद ही इस एक्ट का पालन नहीं कर रहे हैं । इस पर विचार करियेगा और वेजेज में सुधार लाइयेगा । इस बारे में पहले भी माननीय सदस्य बोल चुके हैं । खेद के साथ कहना पड़ता है कि विधायकों की इस मांग को राज्य सरकार ने पूरा नहीं किया । मैं प्रोफेसर केदार जी से विशेष रूप से निवेदन करूंगा, जो मजदूर फेमिन रिलीफ में काम करने जा रहे हैं उनको 5 और 6 रुपये मजदूरी देवें तो आपकी मेहरबानी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात की ओर और राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं; जो स्कूलों में पार्ट टाइम पानी भरने वाले हैं, आपको ताज्जुब होगा उनको 75 रुपये दिये जाते हैं । क्या एक आदमी आज के युग में 75 रु० में पेट भर सकता है ? क्या वह अपने बाल-बच्चों का गुजारा कर सकता है ? आप इस ओर भी ध्यान दीजिये और उसको मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार कम से कम 150-200 रुपये दिलवाइये । 75 रुपये में क्या तो वह अपने बच्चों को पढ़ायेगा, क्या खायेगा क्या कपड़ा पहिनेगा और क्या रहने की कोई व्यवस्था करेगा ? तो मेरा निवेदन है, इस ओर भी ध्यान दीजिये ।

अब मैं आपका ध्यान सड़कों की तरफ दिलाना चाहता हूं । मेरे इलाके में एक सड़क है मालपुरा से लाम्बा हरिसिंह । खुशकिस्मती समझूं या बदकिस्मती समझूं, हमारे जो कलेक्टर महोदय हैं वह स्त्री है । मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप थोड़ा उधर का दौरा कीजिये । लेकिन वे दौरा करना नहीं चाहती है. इसका क्या कारण है, आप समझ सकते हैं । वित्त मंत्रीजी के साथ भी वे गईं, लेकिन मालपुरा तक ही गईं लाम्बा हरिसिंह तक नहीं गईं । वित्त मंत्री महोदय से इजाजत लेकर वहीं से टोंक चली गईं । आखिरकार कोई मर्डर हो जाय, भयंकर दुर्घटना घट जाय और अगर कलेक्टर महोदय नहीं पहुंच पाये तो उस इलाके की क्या हालत होगी ? मैं इस सड़क की ओर मुख्य अभियन्ता महोदय का भी ध्यान दिला चुका हूं । जो पहले मंत्री थे ललित किशोरजी उन्होंने इस 24 किलोमीटर की सड़क के लिये 50 हजार रुपये की मंजूरी दी थी । उससे क्या होगा, उपाध्यक्ष महोदय ? आपकी जानकारी के लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा वह रूट नेशनलाइज होने जा रहा है । आज हमारी नेशनलाइजेशन की नीति क्या है ? नेशनलाइजेशन के प्रति हमारी भावना है या नहीं यह भी एक देखने की बात है । रूट नेशनलाइज होने के बाद राज्य सरकार की बसें चलेंगी । बस चलेंगी तो कभी उसकी कमानी टूटेगी, कभी टायर फूटेंगे । आपको इसका ध्यान भी रखना होगा । जितनी आज मोटरें चलती हैं चाहे प्राइवेट हों या राज्य सरकार की हों उनका कितना नुकसान होता है और देश का कितना नुकसान होता है, यह भी देखना पड़ेगा ।

मैं एक बात और निवेदन कर दूं, जयपुर से मालपुरा की रोड है मेरे एक भाई अनुसूचित जाति के हैं और फागीक्षेत्र से आते हैं, मैंने उनसे कहा आप बोलियेगा इस सड़क के लिये । बड़े दुःख से उन्होंने कहा, मैं तो अनुसूचित जाति का हूं मेरी सुनवाई होती नहीं है । मैंने उनसे इजाजत ली है

(श्री नारायण सिंह)

और उनके दुःख भरी जो मांग है वह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। जो मासी नदी है वह उनको कान्स्टीट्यूएन्सी में आती है। हर साल पानी का उफान आता है और कई ट्रक, पशु आदि बह जाते हैं। इस साल आपको जानकारी होगी, पांच ट्रक बह गये। यह खुश किस्मती है कि आदमी कोई मरा नहीं, क्योंकि मजदूर वहां मौजूद रहते हैं, वे उन्हें निकाल लेते हैं। एक रेल थी उसका 20 हजार का नुकसान हुआ है। सीमेंट के ट्रक बह गये लेकिन उसकी ओर किसी महापुरुष का ध्यान नहीं है। इसलिये इस सदन के द्वारा मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं मासी नदी का कुछ इलाका करना हो आप करें। सुना है तीन चार.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, दुःख भरी कहानी है मेरे साथी की।

यह मैं निवेदन कर दूं फागी से निमेड़ा तक की जो सड़क है वह बड़ी भयंकर सड़क है। सरकार का जितना नुकसान होता है और अन्य लोगों का जितना नुकसान होता है वह सारा का सारा नुकसान पी. डब्ल्यू. डी. से वसूल किया जाय क्योंकि उसकी वजह से गाड़ियां टूटती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरचन्द सिंह।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय विचाराधीन मांगें पारित होने तक बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रोज-रोज आप कब तक टाइम बढ़ाते रहेंगे ? आखिर कोई सीमा तो होनी चाहिए. रात को आठ बजे तक, नौ बजे तक। रोज-रोज रात को बारह-बारह बजे तक सदन चला कर आप क्या करना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सदन को अगर सहमति होगी तो उसकी सहमति के आधार पर समय बढ़ाया जायगा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन की राय जान लेता हूं।

क्या सदन की सहमति है कि विचाराधीन मांगें पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय सदन के बहुमत की भावना के अनुसार आज की कार्यवाही सम्राप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुख्य सचेतक महोदय को समय के मामले में विपक्ष को

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

भी कोंफीडेंस में लेना चाहिए । आप बहुमत के आधार पर इस तरह से समय बढ़ायें, यह उचित नहीं है ।

श्री हरीश कुमार शर्मा : अगर विपक्ष को एतराज है तो जो कटौती प्रस्ताव हैं उनको वापस कर दिया जावे ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं आसन से यह व्यवस्था चाहता हूं कि कटौती प्रस्तावों पर बोलने के लिए जनता पक्ष के ही लोगों को नहीं पुकारना चाहिये । तीन उधर से हो जायं तो एक इस पक्ष से भी बोले ।

श्री उपाध्यक्ष : यह सम्भव नहीं है ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जनता पार्टी के सदस्य पहले बोलने के लिए समय तो ले लेते हैं। उसके बाद यहां पर बैठते नहीं हैं ।

श्री रामरघुनाथ : यह जनता पार्टी की सरकार विधायकों के लिए भोजन की भी चिन्ता नहीं करती है। रात्रि को जब 12-1 बजे सदन की बैठक स्थगित होती है तो सारे होटल बन्द हो जाते हैं। भोजन नहीं मिलता । फिर इन प्रहरियों के भोजन की क्या व्यवस्था है ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है ।

श्री दुलाराम : समय तो चाहे आप सुबह तक बढ़ा दीजिए, इससे इन्कार नहीं है.......

श्री उपाध्यक्ष : आवश्यकता होगी तो सुबह तक भी बढ़ा दिया जावेगा ।

श्री दुलाराम : इस तरह से रोज-रोज आप रात को दो-दो बजे तक समय बढ़ाते रहें लेकिन, मुख्य सचेतक महोदय, खाने का प्रबन्ध तो करें । अगर आपसे नहीं हो सकता तो हमें कहें, हम कर देंगे । उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जो खाने का प्रबन्ध है वह बिल्कुल अच्छा नहीं है । आप खुद खाकर देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि कोई भी व्यक्ति इस खाने को खा नहीं सकता । वैसे तो भूखा आदमी क्या नहीं खा सकता । चने भी चबाने पड़ें तो उनको भी चबाना है लेकिन खाने का विशेष प्रबंध नहीं है । इसलिये पहले जनता सरकार यहां पर खाने की व्यवस्था करे, अगर उससे व्यवस्था नहीं हो सके तो हमको कहें, हम करेंगे। रात को दो-दो बजे तक यहां पर बैठना पड़ता है और कुछ भी खाने को नहीं मिलता। कम से कम खाने की व्यवस्था तो होनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्वयं की व्यवस्था कर लीजिए ।

श्री शीशराम ओला : इस तरह से रोज-रोज रात तक समय बढ़ाया जाय, एक दिन हो जाय, दो दिन हो जायं, कोई इमर्जेंसी का समय हो तो बात है लेकिन बजट की डिमाण्ड पर इस तरह से रात-रात तक बैठना पड़े, यह नहीं हो सकता ।

(व्यवधान)

आपका ही ठेका नहीं है, हमारा भी समय है......

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जो आपकी चिन्ता है उस चिन्ता से दूसरे माननीय सदस्य भी

(श्री उपाध्यक्ष)
चिंतित हैं। अगर वे महसूस करेंगे कि इतना समय नहीं बढ़ाना चाहिए तो नहीं बढ़ायेंगे।

श्री शीशराम ग्रोला : आप हमें सुनिये तो सही मेहरबानी करके। एक तो इस प्रकार से व्यवस्था हो कि सभी लोगों को बोलने का अवसर मिले। रात को एक-एक बजे तक बैठे रहें कुछ, लोगों का बोलने का नम्बर रात को 11 और 12 बजे आवे तो हम इस तरह से नहीं बैठ सकते। हम भी इनसान हैं। हम टाईम से काम करना चाहते हैं।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : इस तरह से समय बरबाद नहीं करें।

(व्यवधान)

श्री शीशराम ग्रोला : एक-दो दिन की बात हो तो हो जाय लेकिन अगर रोज-रोज चले तो कैसे हो सकता है। बारह-बारह बजे तक लोग परेशान होते रहें......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये, मैंने आपकी भावना को समझ लिया है। मैं भी कुछ कहना चाहूंगा....

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरा भी सुझाव है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। इससे पहले भी बजट पर बहस होती रही है, कटौती प्रस्तावों पर बहस होती रही है। इससे पहले सिलसिला यह रहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी के लोग क्योंकि ज्यादा संख्या में होते हैं वे कुछ अपने साथियों की संख्या तय कर देते हैं कि इन-इन मुद्दों पर, इन-इन सवालों पर फलां-फलां साथी, सदस्य अपने विचार प्रगट करेंगे। अदरवाइज रिपीटीशन होता है। एक ही बात को बार-बार रिपीट करते हैं। इस तरह से दो-दो बजे तक बोलते रहना तो लिमिटलैस है। इससे कोई हल निकलेगा नहीं। बाकी दलों के लिए भी तय कर दें जिनके कटौती प्रस्ताव हैं उनमें से कौन-कौन बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करूं कि यह समस्या पहले भी यहां पर उठाई गई थी, कांग्रेस दल के कुछ सदस्यों की राय ली तो उन्होंने उससे सहमति प्रगट कर दी लेकिन सदन के कुछ अन्य सदस्यों ने इससे असहमति प्रगट की और उन्होंने यह दबाव डाला कि हम अपने कटौती प्रस्तावों पर बोलना चाहेंगे। फिर भी जैसा कि पहले भी निवेदन किया था, इस सम्बन्ध में सर्वसम्मत राय निकल सके तो मैं उसका स्वागत करूंगा। सभी माननीय सदस्यों से और खास तौर पर मान्यता प्राप्त दलों के नेताओं से यह आग्रह करूंगा कि इस सम्बन्ध में सुझाव दें। अध्यक्ष महोदय से चैम्बर में मिल कर अगर इस बारे में तय कर लें तो स्वागत योग्य है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : हमारे दल के समय का भी विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आपका भी स्वागत होगा।

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदत से लाचार हैं हमारी सरकार और आदत से ही लाचार हम हैं।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी: हम नहीं, आप अपने लिए बोलिये।

श्री हरचन्द सिंह : उसका कारण यह है कि मांगें पेश हुई हैं और मांगें पारित हुई

(श्री हरचन्द सिंह)

हैं और आगे भी होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदतन हम बोलते भी हैं लेकिन जो समस्या पिछले सत्र में हमने उठाई वह वैसी की वैसी मुंह बाये खड़ी है और दुबारा फिर हमारे से मोहर लगवाई जा रही है। सरकार ने फिर मांगें पेश कर दीं। हमारे से यह सरकार चाहती है कि हम फिर मोहर लगा दें और मजबूरन हमें लगानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं।

मांग संख्या 21 व 23 पर अग्रेत्तर विचार

श्रीमान्, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की डिमाण्ड के बारे में पिछले सत्र में सवाल उठाया था कि गंगानगर जिले की साठ फीसदी सड़कें मिनिस्ट्री आफ ट्रांसपोर्ट को हमने ट्रांसफर कर दी हैं और केवल चालीस फीसदी सड़कें पी. डब्ल्यू.डी. के पास में रही हैं। हालत यह है कि अगर हम सूक्ष्म दर्शक यन्त्र लेकर सड़कों को देखें तो बेशक कुछ दिखाई दे जाय बाकी सड़कों का नामोनिशान नहीं है। अनूपगढ़ से घूनीधाम की सड़क के लिए डिमाण्ड पेश करवाई गई और सड़क बना दी गई लेकिन सड़क को ढूंढने जायं तो सड़क नहीं मिलेगी। माननीय मनोहर सिंह जी मेहता अपनी समिति को साथ लेकर इस सड़क की जांच करने के लिए वहां तशरीफ ले गए थे। उनको इस बात का ज्यादा अहसास हुआ होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं। दूसरी सड़क पीलीबंगा से लखूवाली तक है। यही हाल इस सड़क का है। कहीं-कहीं पक्की ईंटें दिखाई देती हैं बाकी ईंटें भी नदारद हैं। ऊपर का काला हिस्सा भी नदारद है। कहीं उसका नामोनिशान नहीं। डिमाण्ड सदन में पेश हुई और पारित भी हो गई, सड़कें बनी भी लेकिन सड़क मिल नहीं रही है। यह है हमारी सड़कों का हाल, फिर भी मांग पेश की है उसको हम पास कर देंगे।

श्रीमान्, अभी कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि पांच हजार से ज्यादा आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ा जाय। मैं कहता हूं कि आप बड़ी-बड़ी मंडियां हैं उनको तो सड़कों से जोड़ दीजिए। गांवों का लोभ मत करिये। दो मंडियां हैं, देहाती क्षेत्र की मंडियां हैं, सरदापुरा बीका और रिडमलसर। पिछले सत्र में भी इसकी ओर सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करवाया था। केवल 17-18 किलोमीटर का फासला है दोनों मंडियों के बीच में। आवागमन का साधन नहीं है, देहाती क्षेत्रों की मंडियां हैं। सूरतगढ़ से गंगानगर राष्ट्रीय मार्ग पर है। सरदापुरा बीका मण्डी, उसके आगे है धमड़िया निवरवाण और वहां से होते हुए रामपुरा न्योला होते हुए रिडमलसर मण्डी को माल आता जाता है। अगर यह सड़क बन जाय तो इन सब गांवों को बहुत बड़ा लाभ होगा।

दूसरी, श्रीमान् पलेनपुरा रोड है जिसको सूरतगढ़-गंगानगर सड़क के बीसवें किलोमीटर, जहां सूरतगढ़ नहर ब्रान्च का पुल है, आगे बंद कर दिया गया है। इसको आगे 13 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो सलेमपुरा का सीधा सम्पर्क पीलीबंगा, हनुमानगढ़, सांगरिया, सिरसा, हिसार से कायम हो सकता है। कुल यह 13 किलोमीटर का टुकड़ा है। इस टुकड़े के बन जाने से बहुत बड़ी आबादी को लाभ मिल सकता है और तीन प्रान्तों का सीधा-सम्बन्ध, सम्पर्क हो सकता है।

(श्री हरचन्द सिंह)

तीसरी सड़क अकाल राहत कार्यों में बनायी गयी थी। करीब सात लाख रुपया इस पर खर्च हो चुका है। इस सड़क पर लाखों रुपयों की ईंटें डाली गई थीं उनको लोग ले गये हैं। अगर इस सड़क को पक्का बना दिया जाए तो बीकानेर के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र का गंगानगर जिले के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र से सीधा सम्पर्क हो सकता है और गंगानगर-बीकानेर के इस इलाके का जयपुर से 70 किलोमीटर का फासला कम हो सकता है।

अब, श्रीमान्, मैं श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। और किसी इलाके में कुछ होता होगा परन्तु हमारे यहां सिवाय नौकरियों के और कोई नियोजन का कार्य नहीं दिखाई देता है। श्रीमान्, गंगानगर जिले में जिप्सम का बहुत बड़ा भण्डार है जो खाद के लिए रॉ मैटीरियल माना जाता है। पहले जिप्सम यहां से सिन्दरी जाया करता था। श्रीमान, आज से करीब दस-बारह साल पहले, गंगानगर की एक फ्लड स्कीम बनी। उसके डाइवर्शन बने। सारा का सारा बढ़िया जिप्सम जो था वह उसके नीचे आ गया। जहां जिप्सम नीचे दबा पड़ा है, आज वहां तीस-तीस फीट पानी भरा पड़ा है। इसके साथ ही वहां पर वाटर लौगिंग की समस्या खड़ी हो गई। एक तो बढ़िया रॉ मैटीरियल जिप्सम हाथ से गया जिससे खाद बनती थी, जो खाद्यान्न की पैदावार बढ़ाने में सहायक था, वह गायब हो गया और दूसरी यह वाटर लौगिंग की समस्या पैदा हो गई। बार-बार यहां पर निवेदन किया गया है यह जो जिप्सम है, वह वहां पर उपलब्ध है इसलिए एक खाद का कारखाना सूरतगढ़ में कायम किया जाए। इसके लिए पानी, बिजली और रॉ मैटीरियल वहां पर उपलब्ध है। एक उद्योग को लगाने के लिए यही आवश्यक चीज होती है। इसलिए यह उद्योग वहां स्थापित किया जाए ताकि उस इलाके के देहाती शिक्षित और अशिक्षित लोगों को रोजगार मिले।

दूसरे, उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले में धाण की फसल बहुत ज्यादा होती है। सारे देश में आज कागज की कमी है। राजस्थान प्रदेश की जो स्थिति ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए आज सुबह सामने आई उसको देखते हुए मेरा निवेदन है कि कागज उद्योग के लिए रॉ मैटीरियल यह धाण है लेकिन वह भूसा आज बेकार जा रहा है। इसलिए वहां पर पेपर इण्डस्ट्री लगा दी जाए, रॉ मैटीरियल वहां पर मिल जायेगा और इस समस्या का हल भी हो जायेगा।

इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर के नजदीक कापडल गांव है। उसकी जमीन के नीचे जो पानी है, उसका सर्वे करवाया जाए, निरीक्षण करवाया जाए। उस पानी से नमक बन सकता है। इतना बड़ा वह भू-भाग है और ज्यादा तादाद में पानी उपलब्ध है, उसका एक्सप्लोइटेशन सर्वे करवा कर चालू किया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह जो आप कह रहे हैं, यह कौन सी मांग से संबंधित है ?

श्री हरचन्द सिंह : श्रीमान्, श्रम और नियोजन से।

मेरा कटौती प्रस्ताव है देहाती क्षेत्रों

(श्री हरचन्द सिंह)
शिक्षित और अशिक्षित लोगों के लिए रोजगार कैसे मुहय्या कराया जाए, इसके लिए निवेदन कर रहा हूं।

इस तरह से वहां कापडल गांव में जो पानी है उससे नमक बनाने के लिये प्लॉटस काट कर शिक्षित बेरोजगार लोगों को दिये जायं। इससे उनको रोजगार मिलेगा। जो अशिक्षित लोग हैं वे भी नमक बना सकते हैं। उनको भी रोजगार मिलेगा।

इन चन्द बातों की ओर, श्रीमान्, मैं आपके माध्यम से सरकार का और उसके मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए यह निवेदन करूंगा कि जो मैंने सुझाव दिए हैं उनसे देहाती क्षेत्रों में शिक्षित, अशिक्षित लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना है। उन योजनाओं को आप कार्यान्वित करें और जो सड़कें हैं, उनको बनाने की कार्यवाही भी करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनाराम चौधरी!

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम मैं अपने जिले की सड़कों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। जालौर जिला, अगर देखा जाए तो वह सब से पिछड़ा जिला है सड़क निर्माण की दृष्टि से सबसे पीछे रहा है। हमारे क्षेत्र में भीनमाल से जसवन्तपुरा तक सड़क पर मैटीरियल बिछाया पड़ा है, कुछ बाकी है उसको पहले लिया जाए। जसवन्तपुरा पंचायत समिति हैडक्वार्टर है। पुलिस थाना भी है। पहले यह तहसील थी। इसकी आबादी करीब पांच हजार तक की है। इसलिए कृपा करके भीनमाल से जसवन्तपुरा सड़क बनवायें। फेमिन के वक्त में यहां पर काम हुआ था। जो तमाम पत्थर बिछाये गये थे वे आज बिखर रहे हैं और दिनों दिन कम होते जा रहे हैं। कृपा करके इस पर डामर करवायें। जसवन्तपुरा-रेवदर से जो दस-पन्द्रह किलोमीटर दूर है, वह भी टुकड़ा मिला दिया जाय। इसके अलावा फूड़ासे झाब सड़क पहले से बनी हुई है। कम्पलीट है। केवल उस पर डामर बिछाना बाकी रह गया है। लाखों रुपया सरकार का इन पर खर्च हो चुका है। अगर सरकार अभी डामर नहीं करवायेगी तो इसे बाद में लाखों रुपया खर्च करना पड़ेगा। अभी यह हजारों रुपये का ही काम है। इसलिए इन सड़कों पर भी कृपा करके डामर बिछवा दीजिये ताकि आवागमन की सुविधा हो। वैसे भी यहां पर काफी ज्यादा ट्रैफिक है।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निर्माण मंत्री महोदय को आपकी मार्फत यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि फेमिन के वक्त जो रोड बनाई गई वह अधूरी पड़ी हैं। इसलिए जो फेमिन में रोड्स बनी थीं, उनको बनाने के लिए सर्व प्रथम प्राथमिकता दें ताकि लाखों रुपया जो सरकार का खर्च हो गया है, उसका लाभ लोगों को मिले और क्षेत्र भी विकसित हो सके। कई सड़कों पर सामान पड़ा है। वह सामान इधर-उधर बिखर रहा है। सरकार उन सड़कों को हाथ में ले। उन सड़कों को सर्व प्रथम प्राथमिकता दें जो सड़कें फेमिन में बनी थीं।

रानीवाड़ा-दईपुर, से मारगाड़ा तक रोड बना दी जाय। रानीवाड़ा से 15–20 किलोमीटर पर ही है। यह सड़क बना दी जाये, इससे माल ऊंझा मण्डी ले जाने की सहूलियत

(श्री रतनाराम चौधरी)

होगी। करोड़ों रुपया किराये में खर्च होता है। रानीवाड़ा से मारगाड़ा तक सड़क बनायेंगे तो काश्तकारों का फायदा हो सकता है। गुजरात जाने के लिये सांचौर वाया थराद होकर जाना पड़ता है, वह रास्ता करीब 200 किलोमीटर तय करना पड़ता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सरकार ग्रामीणों का उत्थान करना चाहती है। 80% लोग गांवों में रहते हैं। अगर सरकार को गांवों का कल्याण करना है और 80% लोगों का भला करना है तो सर्व प्रथम शहरों में ज्यादा पैसा खर्च नहीं करके गांवों में खर्च करें। आपने बजट को ग्रामोन्मुखी कहा है। लेकिन यह शहरोन्मुखी है। आप 80% को पहले मौका दें। इसलिए शहरों में सड़क नहीं बनायें और ग्रामों में बनायें। हमारे यहां जो रानीवाड़ा में डेयरी चलती है। वहां सड़क बनने से दूध वालों को डेयरी तक दूध पहुंचाने की सहूलियत हो जायेगी तो दूध से ज्यादा आमदनी होगी और डेयरी को करोड़ों रुपयों का फायदा होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री रतनाराम चौधरी : जालौर जिले को पिछड़ा हुआ जिला मानकर विशेष ध्यान दें।

श्री सभापति : श्री सुरेशकुमार।

श्री सुरेशकुमार (भरतपुर) : सदरे जलसा, हमारी सरकार को जितनी सड़कों की आवश्यकता है उतनी सरकारी भवनों की नहीं। राजस्थान में यह बड़ा लाभ है कि राजा-महाराजा, जमींदारों के महल और बड़े-बड़े किले खाली पड़े हैं। उनकी मरम्मत भी नहीं करवा पाते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है, राजस्थान में भवन निर्माण का काम 10 साल के लिए बन्द कर देना चाहिए। अगर सरकार को भवनों की जरूरत हो तो राजा-महाराजाओं के भवनों को लेकर उपयोग करना चाहिए। श्रीमन्, सिंचाई विभाग और भवन-पथ निर्माण विभाग दोनों ऐसे विभाग हैं, जिनमें समन्वय की आवश्यकता है। बांध ऐसी जगह बनाते हैं कि जब बांध टूटते हैं तो सड़कें भी बह जाती हैं। कई ऐसी जगह सड़कें बना दी हैं, जहां साधारण तरीके से पानी बह कर निकल जाता था। इसलिए बांध बनायें तो दोनों विभागों के जो अधिकारी हैं, उनको आपसी समन्वय स्थापित करके बांध बनाये जायें। आज रोजाना यह हो-हल्ला कि कहीं बांध टूट गया, कहीं सड़क बह गई, अगर दोनों विभागों के अधिकारियों में समन्वय होगा तो इसमें काफी रुकावट आयेगी।

श्रीमन्, बड़ी चिन्ता व्यक्त की गई है कि काम अच्छा नहीं होता है। लेकिन, श्रीमन्, किसी ने यह सुझाव नहीं दिया है कि भविष्य में किस प्रकार काम करना है। मेरा 27 साल का ठेकेदारी का अनुभव है। जो मजबूरियां होती हैं वह मैं जानता हूं। कामों की प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति विभाग को सितम्बर में दी जाती है। मैं यह निवेदन करूंगा, मई या जून में विभागों की स्वीकृतियां दे दी जायें तो काम अच्छा हो जाएगा। विभाग अपने टेण्डर विज्ञप्तियां नहीं निकाल सकते हैं। हर एक विभाग की विज्ञप्ति जन सम्पर्क विभाग से निकाली

(श्री सुरेश कुमार)

जाती है। ऐसे आदेश हैं कि जिस तारीख को निकालनी हो उससे 45 दिन पहले सूचना दी जाय। आम जनता को टेण्डर देने का टाइम एक महीना चाहिए। इस प्रकार करीब ढाई महीना व्यर्थ जाता है। तो मेरा यह निवेदन है कि विभागों को स्वयं अपने विभाग से विज्ञप्ति प्रकाशित करने का अधिकार होना चाहिए।

कभी-कभी इस बात से बड़ी देर हो जाती है कि लागत खर्च बढ़ जाने से कामों की लागत काफी बढ़ गई है। मैं सुझाव दूंगा कि काम जल्दी हो इसलिए जो वर्तमान शिड्यूल आफ पावर है, उसमें फेर बदल कर पावर बढ़ानी चाहिए।

श्रीमन्, कुछ बातें और कहूंगा। कुछ सड़कें मेरे जिले में अधूरी पड़ी हुई हैं। प्रत्येक जिले में होगी। कुछ एक सड़कें ऐसी हैं, जो दो किलोमीटर इधर बन गई हैं और दो किलोमीटर उधर बन गई हैं। माननीय वित्त मन्त्रीजी यहां नहीं हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के मन्त्री महोदय हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि 5 करोड़ रुपये का लम्प सम प्रावधान ऐसी सड़कों के लिए बजट में कर दें। वह रुपया जिले के लिए उपयोग में लिया जाये। भरतपुर जिले में बाणगंगा नदी है। छोकरवाड़ा से खैरली रास्ता जाता है उस पर पुल नहीं है। बरसात में जयपुर से खैरली जाने वाले को 54 मील का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। उस पुल को जल्दी बनवायें। खानुजा का पुल वर्षों से टूटा हुआ पड़ा है। राजस्थान के निवासियों को उत्तर प्रदेश होकर जाना पड़ता है। ट्रक वालों को 300/- रु. उत्तर प्रदेश को टैक्स देना पड़ता है। अगर वह पुल बन जाये तो 300/- रु. हमारे यहां के लोगों को नहीं देने पड़ेंगे।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री सुरेशकुमार : एक मैं यह निवेदन करूंगा सभापति महोदय, आगरा से भरतपुर और भरतपुर से जयपुर विदेशी पर्यटक बहुत आते हैं। आगरा से भरतपुर, भरतपुर से अलवर, जयपुर, डीग का राष्ट्रीय मार्ग घोषित करें तो इससे पर्यटकों को बहुत सुविधा होगी और आपकी आमदनी बढ़ेगी।

श्री सभापति : श्री प्रद्युम्न सिंह।

(अनुपस्थित)

श्रीमती नारंगी देवी।

(अनुपस्थित)

श्री शिवचरण सिंह।

(अनुपस्थित)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि श्रम मन्त्रीजी आज खेतड़ी कॉपर काम्पलेक्स में चल रही मजदूरों की हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य देने वाले थे। वह कब होगा ?

श्री सभापति : मैं मन्त्री महोदय को मजबूर तो नहीं कर सकता बयान देने के लिए; लेकिन आपकी बात उन तक पहुंचा दी जायगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कब देंगे ?

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि टाइम का ख्याल रखें। किसी को ज्यादा टाइम मिल जाता है।

श्री सभापति : मैं कोशिश करूंगा कि आपको शिकायत का मौका न मिले ।

श्री रघुनाथ विश्नोई !

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : सभापति महोदय, मैंने भी जिला जालौर में पुलों और सड़कों के बारे में दो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जिनकी ओर मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जालौर जिले में सड़कों की हालत बहुत खराब है । बरसात में टूट-फूट जाती हैं बहुत सी पुलिया खत्म हो गई हैं। हालांकि राज्य सरकार ने उनके लिए पैसा दिया है मगर मुझे भय है कि 31 मार्च तक वह पैसा लगेगा नहीं । अभी तक उनका ठेका नहीं दिया गया है और काम करने की बहुत ही धीमी गति है। इसलिए मेरी डिमाण्ड है कि शीघ्र ही इस काम को पूरा कराया जाय । पुलों का काम भी अभी शुरू हुआ है, इसलिए चीफ इन्जीनियर साहब कोशिश करें कि यह काम जल्दी से जल्दी पूरा हो जायं । जैतपुरा नदी पर पुलिया बनाने के बारे में अभी कुछ नहीं हुआ है । उसकी डिजाइन वगैरह पास करानी थी वह भी तैयार नहीं हुई है । राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि जालौर जिले में प्राथमिकता के आधार पर ये काम करवाये जायें । जालौर-आबू रोड से कनेक्टेड है । जैतपुरा नदी के पुल पर राज्य सरकार को विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए । कुछ पैसा इसके लिये मन्जूर किया गया है लेकिन अभी काम चालू नहीं हुआ है ।

दूसरा, ग्रामीण रोड्स की दृष्टि से जालौर जिला अभी बहुत पीछे है । इसलिये प्राथमिकता के आधार पर गांवों के अन्दर सड़कें बनाकर उनको जोड़ा जाय । सभापति जी, फेरिया गांव की जनसंख्या पांच हजार से ज्यादा है । वह एक बड़ा गांव है । उसको सड़क से जोड़ा जाय । उस पर विशेष ध्यान देने की कृपा करें । वहां पर आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं हैं ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा रोड्स कार्पोरेशन और ब्रिज कार्पोरेशन, जिसका गवर्नर महोदय के भाषण में भी इण्डिकेशन था, बनाया जाना चाहिए । एक इण्डिपेण्डेन्ट एजेन्सी से पैसा प्राप्त करके यह काम कराया जाना चाहिए । मेरा यह सुझाव है कि ये दो कार्पोरेशन बनाये जायं ताकि जो पिछड़े जिले हैं उनमें सड़कों के विकास का काम किया जा सके । जालौर जिले में बरसात में आये दिन सड़कें टूट जाती हैं । इसलिए वहां पर पक्की सड़कें बनायी जानी चाहिए । यह जिला कृषि उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेन्ट है । इसलिए मेरा निवेदन है कि रोड पोइन्ट ऑफ व्यू से विशेषतौर पर ध्यान दिया जाना चाहिए । बहुत सी सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं । 60-70 पर्सेन्ट काम अधूरा पड़ा है । इसको प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए । फेमिन में जो रोड्स बनी हैं उनको भी मेन्टीनेंस लिस्ट में लेना चाहिए ।

सभापति जी, रूरल एजूकेटड लोग हैं, उनके एम्प्लायमेन्ट के बारे में इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है । अभी घोषणा की गई थी कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार दिया जायगा । लेकिन नवयुवकों के एम्प्लायमेन्ट के बारे में कोई विचार नहीं किया गया है। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए यही निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस तरफ विशेष ध्यान दे ।

श्री सभापति : माननीय श्री खेत सिंह जी !

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : सभापति महोदय, मैंने तीन कट मोशन माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी और रोजगार मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किये हैं। पहला मेरा कटौती प्रस्ताव सड़कों के बारे में है। मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस वर्ष डिफेन्स फोर्सेज ने हमारे इलाके के अन्दर बहुत भारी एक्स-साईज शुरू की। तीन महीने तक लगातार-शेरगढ़, शिव और जैसलमेर के इलाके में, करीब 60 हजार से अधिक सैनिकों ने हैवी व्हिकल्स, टैंक फार्वर्ड कार, के साथ एक्स-साईज की। उसका नतीजा यह हुआ, मान्यवर, जोधपुर से जैसलमेर की सारी रोड्स बेकार हो गई और जितनी भी मैटल रोड्स थीं उनका तो सर्वनाश ही हो गया। खास तौर से चांदण से चामू और चामू से देसू की सड़कें बिल्कुल बेकार हो गई। मैं यह मानता हूं कि इनकी इतनी दुर्दशा हुई है कि फेमिन रोड से भी गई गुजरी हो गई हैं। जब एक्ससाईज हो रही थी तब मैंने जनरल बोहरा, जो लेफ्टिनेन्ट जनरल और आर्मी के इन्चार्ज थे, से बात की थी तो उन्होंने कहा कि पी. डब्ल्यू. डी. को चाहिए कि डिफेन्स डिपार्टमेन्ट से बात करे। हमारे पास ऐसा फण्ड होता है उससे जितना सड़कों को नुकसान होता है उसकी पूर्ति की जा सकती है। यह मसला मैं मुख्य मन्त्रीजी के ध्यान में भी लाया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वे दिल्ली जा रहे हैं और डिफेन्स मिनिस्ट्री से बात करेंगे। मुझे मालूम नहीं, क्या हुआ लेकिन आज जबकि चीफ इन्जीनियर साहब भी मौजूद हैं और सार्वजनिक निर्माण मन्त्रीजी भी हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन सड़कों की बरबादी हुई है अगर उनको इम्प्रूव नहीं किया गया तो उन पर जो बसें चलती हैं प्राइवट हैं या आपकी हैं वे चलनी बन्द हो जायेंगी। वे रोड्स काफी बरबाद हो गई हैं। वह पिछले तीन महीनों में बरबाद हुई हैं। इसका मुख्य कारण है कि टैंक लोड करके वहां चलाये गये। टैंक वैसे भी हैवी होते हैं, वे सड़कें उनके बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकीं और बेकार हो गई।

दूसरा मेरा सुझाव है, खास तौर से डेजर्ट एरिया के अन्दर जो रोड बनती है वह साल भर के बाद बिखरने लग जाती है। इसलिए वहां डामर की बनानी चाहिए। उनकी दो साल में ही इतनी ही दुर्दशा हो जाती है कि वह फेमिन रोड से भी बुरी हो जाती है। इसलिए आप इस तरह का प्रोग्राम बनावें कि मैटल रोड्स को प्राथमिकता के आधार पर लिया जा सके और पैसा बरबाद नहीं हो। वरना आपको मैटल रोड्स नहीं बनानी चाहिए और फेयर वेदर रोड्स ही बनानी चाहिए।

तीसरा मेरा सुझाव रोड्स के बारे में है कि जहां दोनों तरफ से डामर रोड्स बनी हुई हैं और बीच में कहीं पर भी 5-5, 7-7 मील का ऐसा पैच छूट गया है जिसके डामर न होने से सारी रोड्स किसी काम नहीं आ रही हैं न ट्रैफिक आ जा सकता है, ऐसी सड़कों को आप प्राथमिकता देकर पूरा करायें जिससे रोडवेज और प्राइवेट आपरेटर्स भी पैसा कमा सकें और ग्रामीणों को भी लाभ मिल सके।

अब मैं रोजगार मंत्री से दो तीन बातें निवेदन करना चाहता हूं। वह हैं ही नहीं, जबकि आज उनकी मांग है। खैर, आप बैठे हैं संयुक्त जिम्मेदारी है आप उनसे कह दीजिए। गांवों के जो लड़के हैं जो एम्प्लाय-मेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज कराते हैं,

(श्री खेतसिंह राठौड़)

जब उनको इन्टरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो उनको केवल दो-तीन दिन पहले इत्तला भेजते हैं। गांव में डाक वितरण की सुविधा न होने से कोई भी लड़का इन इंटरव्यूज में नहीं पहुंचता। इसलिए केवल शहरी लड़कों का ही चयन हो पाता है। मुझे जोधपुर शहर का अनुभव है, कोई गांव का लड़का नहीं है जो इन्टरव्यू में आया हो। जिस इलाके में रिक्त स्थान हों वहीं के लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उसी हिसाब से प्राथमिकता दें जिस हिसाब से रजिस्ट्रेशन हुआ है। मान लीजिए फलौदी में 10 वेकेन्सीज हैं तो आपको चाहिए कि फलौदी तहसील के लड़कों को, जिनके नाम एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में लिखे हुए हैं, प्राथमिकता दें। लेकिन होता यह है कि उनको प्राथमिकता नहीं मिलती है। शहर के लड़के हमेशा जाते रहते हैं, समय पर अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू भी कराते हैं। इस कारण गांव के लड़कों का नंबर कभी नहीं आता। इसलिए इस नीति में परिवर्तन करके 7 दिन पहले कम से कम सूचना देनी चाहिए और जिस इलाके में वेकेन्सीज हों उनको प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि उनको भी कुछ संतोष हो और उनको नौकरी मिल सके।

दूसरी बात आपने अपने घोषणा-पत्र में और जनता पार्टी की नीति के अनुसार एलान किया था कि हम हर एक शिक्षित बेरोजगार को भत्ता देंगे। अब बिहार सरकार और बंगाल सरकार ने ये भत्ते देने शुरू कर दिए हैं तो यहां पर भी एजीटेशन करवा कर बाद में देने से तो अच्छा है कि पहले ही घोषणा करें जिससे आपकी बात भी रहे और जो आपने घोषणा-पत्र में कहा है उसका भी पालन हो। जो लाखों की संख्या में शिक्षित बेरोजगार हैं उनको कोई भत्ता न मिलने के फलस्वरूप उनमें फ्रस्ट्रेशन है, जिसके कारण ये एजीटेशन्स वगैरह होते हैं। इसलिए इस पर भी जल्दी से जल्दी घोषणा करके अमल करना चाहिए।

श्री सभापति : श्री समरथ लाल !

श्री समरथ लाल (राजगढ़) : सभापति महोदय, मैंने आपके मार्फत जो कटौती प्रस्ताव पेश किए हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग, रोजगार व श्रम के संबंध में, उन पर निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जिन सड़कों का निर्माण होता है, उनके विषय में मैं मंत्री महोदय को कुछ सुझाव देना चाहूंगा। उदाहरण के लिए विभाग की तरफ से एक या दो मील सड़क बनती है उस पर 40-50 हजार रुपये का खर्चा होता है। खर्च करने के बाद यह जानकारी दी जाए कि वास्तव में उस सड़क पर जितना धन खर्च हुआ है वह धन उस सड़क पर मौके पर खर्च हुआ है या नहीं। सड़क बनाने के 6 महीने बाद उस सड़क के अंदर 6 इंच 8 इंच लंबे गड्ढे पड़ जाते हैं। विभाग को भी जानकारी देनी चाहिए कि 6 महीने के बाद वह सड़क क्यों खराब हुई। विभाग में इस बात की जानकारी और मेन्टीनेन्स के लिए कोई सेल होना चाहिए जो सड़क बनते समय और उसके बाद जो उसकी हालत होती है उसकी जानकारी रखे और देख-रेख करे तो पैसा अपव्यय तो नहीं हो पायेगा।

हर जिले में मेन्टीनेन्स के लिए आप पैसा देते हैं। जितना धन आप देते हैं उसका 3/4 हिस्सा लेबर पर खर्च कर देते हैं और एक-चौथाई मेन्टीनेन्स के लिए खर्च करते हैं। मान लीजिए किसी जिले को 12 हजार

(श्री समरथ लाल)

रुपए देते हैं तो 9 हजार रुपए लेबर पर खर्च होते हैं। वह लेबर 9 हजार का काम नहीं करता। इसके अतिरिक्त जो 3 हजार रुपए बचते हैं उसका भी उचित उपयोग नहीं हो पाता है। मेन्टीनेन्स के नाम पर जो पैसा दिया जाए वह पूरे का पूरा पैसा लेबर पर खर्च हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि लेबर का जो मामला है आपके ए, बी व सी क्लास ठेकेदार हैं उनको यह सब लेबर दिया जाए और विभाग के अंदर न रखें क्योंकि यह विभाग उसका उचित उपयोग नहीं कर पाता।

इसके अलावा जिलों के ऑफिसेज का सेंट्रलाइजेशन कर रखा है। उनके जो दफ्तर जिस-जिस नाम से हों उनको वहां पर रखा जाना चाहिए। एक दफ्तर राजगढ़ के नाम से है उसको अलवर में रखा गया है। अलवर से राजगढ़ आना हो तो उसको 50-60 किलोमीटर जाना पड़ेगा, थानागाजी जाना पड़ेगा तो 60-70 किलोमीटर चलना पड़ेगा। इसलिए ऐसे दफ्तर को अलवर में रखने का औचित्य नहीं है।

आप गांवों की ओर जा रहे हो जैसी आप लोगों ने घोषणा की है। आपके बजट में जितना धन है उसका 80 प्रतिशतगांवों में सड़कों के लिएकाम में आना चाहिए। इस तरह का प्रावधान आपको बजट के अन्दर करना चाहिए। जब 80 प्रतिशत जनता गावों में रहती है तो बजट का 80 प्रतिशत हिस्सा गांवों में सड़कें बनाने के लिए काम में लाना चाहिए :

आपकी जो सड़कें टूटती हैं अतिवृष्टि के कारण उनको तोड़ने में सिंचाई विभाग बड़ी पहल करता है। जो सड़क आपकी उसने खराब की है उसका पैसा सिंचाई विभाग को सार्वजनिक निर्माण विभाग को देना चाहिए। अगर यह पाबंदी लगायेंगे तो सिंचाई विभाग आपकी सड़कों को तोड़ने से बचाएगा।

अब मैं श्रम व रोजगार के बारे में मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आम-तौर से बेरोजगारी हमारे राज में बहुत अधिक है लेकिन अनुसूचित जाति व जन-जातियों में यह बेरोजगारी बहुत पहुंच चुकी है। मेरी जानकारी के अनुसार शिक्षित बेरोजगार इन जातियों के राजस्थान में करीब 25-30 हजार हैं और उनके रोजगार के लिए आपकी तरफ से कोई विशेष इंतजाम नहीं हो पाया है। इसलिए राजस्थान में जितने विभाग हैं उनसे कहा जाए, उन पर जोर डाला जाए कि 28 प्रतिशत जो आरक्षण किया गया है उसका पालन किसी भी विभाग में नहीं किया जा रहा है इसलिए इसका पूरी तरह से पालन होना चाहिए।

श्री सभापति : अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री समरथलाल : एक मिनट। श्रम मंत्री से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्रम के बारे में जब हम विधान सभा में बोलते हैं तो उस समय शर्म आती है क्योंकि इस देश की व्यवस्था में श्रम का कोई महत्व नहीं है।

सभापति महोदय, हमारे यहां पर डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है। यहां पर जो मेहनतकश लोग हैं उन्हें आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। श्रम के बारे में मैं इतना और निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारे लोग श्रम करते हैं उन्हें हमें अधिक से अधिक सुविधा देनी चाहिये। बस इतना ही मुझे निवेदन करना था।

श्री सभापति : श्री रामनारायण चौधरी !

(अनुपस्थित)

श्री करतार सिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री परसराम मोरदिया !

श्री नरलराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : सभापति महोदय, मैंने भी सड़कों और श्रम के बारे में अपने कटौती के प्रस्ताव दिये हैं । सबसे पहले मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री महोदय का ध्यान मेरे क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ की ओर आकर्षित करना चाहूंगा । सभापति महोदय, मेरा लक्ष्मणगढ़ का इलाका सीकर जिले में आता है । वहां पर जो सड़कों की हालत आज से तीस साल पहले थी उससे भी खराब हालत आज सड़कों की है । वहां पर तीस साल में एक भी सड़क पक्की नहीं बनी है। जो एक-दो मील सड़क है वह भी सही ढंग से बनी हुई नहीं है, बहुत ही खराब हालत है । वहां सड़कों पर जगह-जगह गड्ढे पड़े हुए हैं । ऐसी हालत है, सभापति महोदय, वहां ऊंट गाड़ी तो क्या आदमी भी नहीं आ जा सकता है । इसलिये मैं आपको, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार इस ओर ध्यान दें ।

तीस साल से लक्ष्मणगढ़ में सड़क का जो काम चल रहा था वह आज तक पूरा नहीं हो पाया है । वह सड़क है लक्ष्मणगढ़ से सालासर । जब कभी फेमिन होता है तब उस पर काम चलता है । फेमिन के समय तक जितना काम हो जाता है उतनी सड़क बन जाती है । बाद में उस पर कोई भी काम नहीं होने के कारण उसकी हालत बिलकुल ही खराब हो जाती है । इसलिये, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आप इन सड़कों को ठीक करावें ताकि जो पैसा आपने खर्च कर दिया है वह व्यर्थ नहीं जाय । वह सड़कें पूरी नहीं होने के कारण थोड़े ही अर्से में उनकी हालत खराब हो जाती है । इसी तरह से लक्ष्मणगढ़ से और दूसरी सड़कों को मिलाया जाय । लक्ष्मणगढ़, डूंडलोद से कूकन मुकनगढ़ वाली सड़क को भी बनाया जाय । सभापति महोदय, आज 20-25 साल हो गये हैं पर वह सड़क भी अभी तक पूरी नहीं हो पायी है । सभापति महोदय, स्थिति तो यह है कि यह सभी सड़कें, जिनके बारे में मैंने निवेदन किया है, सन् 52 में शुरू हुई थीं पर अभी तक पूरी नहीं हो पायी हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, अब मैं थोड़ा आपके माध्यम से श्रम मंत्रीजी का ध्यान श्रम विभाग के बारे में दिये गये कटौती प्रस्ताव की ओर दिलाना चाहूंगा । सभापति महोदय, आज हमारे शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हजारों शिक्षित बेरोजगार बैठे हैं । उनको अभी तक कोई रोजगार नहीं मिल पाया है । आज, सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि करीबन 25 हजार बेरोजगार नवयुवक बैठे हुए हैं । मैं आपके माध्यम से श्रम मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप उनको रोजगार दिलाने की व्यवस्था करावें । वह लोग ओवरएज हो रहे हैं । मैं आपके माध्यम से यह निवेदन भी श्रम मंत्रीजी से करना चाहूंगा कि उनकी ओवरएज नहीं हो इसलिये एज बढ़ाने की व्यवस्था करें । इसके साथ

(श्री परसराम मोरदिया)
साथ उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाये।

इसके अलावा जो हमारा 28 प्रतिशत का कोटा है उसको तो कम से कम पूरा किया ही जाय। आज स्थिति यह है कि एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज के ऑफिसरों में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के नाम दर्ज होने पर भी उन लोगों को सूचना नहीं दी जाती है। इसमें भयंकर रूप से भ्रष्टाचार है। पैसे नहीं देने के कारण रोजगार दफ्तरों के लोग उनका नाम नहीं भेजते हैं। फिर दूसरे ऑफिसर लोग यह कह देते हैं कि हमें शिड्यूल्ड कास्ट्स वाले लोग अवेलेबल नहीं हुए इसलिये हमने दूसरे लोगों को ले लिया। जब आप उनके पास सूचना ही नहीं भेजते हैं तो फिर वह लोग अवेलेबल कैसे होंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि श्रम मन्त्रीजी इस सम्बन्ध में कठोर कदम उठायें और जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है एम्प्लायमेन्ट दफ्तरों में उसको समाप्त किया जाय। इसके अलावा जो वहां पर नाम भेजने के दो सौ रुपये मांगते हैं उनको तुरन्त रोका जाय तथा साथ में यह जो ओवरएज होने का मामला है उसमें भी छूट दिलावें। इतना ही निवेदन करके मैं अपने कटौती प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री सभापति : श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री जयनारायण सालोदया (निवाई) : सभापति महोदय मैंने भी सार्वजनिक निर्माण विभाग और श्रम विभाग की मांगों पर अपने कटौती प्रस्ताव दिये हैं। मैं मेरे उन कटौती प्रस्तावों के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान मेरे ही क्षेत्र निवाई की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। वैसे तो, सभापति महोदय, मेरे पूर्व वक्ताओं ने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को रोजगार दिलाने के बारे में काफी कुछ कहा है। पर मैं भी इस बारे में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जहां तक सड़कों का प्रश्न है, सभापति महोदय, मेरा इलाका ऐसा है जहां पर जितनी भी सड़कें बनी हैं वह सभी सड़कें 25-25 साल पुरानी हैं। वह सभी सड़कें पहली पंचवर्षीय योजना के अन्दर बनी हुई हैं और आज तक वह सड़कें पूरी नहीं हो पायी हैं। वह इसलिये पूरी नहीं हो पायी हैं कि मेरा क्षेत्र हमेशा से ही विरोधी पक्ष को जिताता रहा है। यही सबसे बड़ा कारण था कि कांग्रेस सरकार ने कभी भी मेरे इलाके में सड़कों का निर्माण नहीं किया और यही कारण है कि सड़कें नहीं बन सकीं। जो भी पैसा होता था वह पैसा कांग्रेसी सरकार के मन्त्रियों के क्षेत्र में लग जाता था। मेरे क्षेत्र में, सभापति महोदय, केथून से लालसोट वाया कोडादतवास रूट है जो कि अच्छा रूट है और जयपुर से लालसोट और दौसा को मिलाता है। उस पर, सभापति महोदय, रोजाना सैकड़ों, ट्रकें बसें जाती हैं। उस सड़क की हालत इतनी खराब है कि मैं आपको अर्ज नहीं कर सकता। जगह-जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। उस सड़क के बारे में तो मैं इतना कह सकता हूं कि मैं उसके लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग के मन्त्री महोदय को दावत देना चाहता हूं अगर वह उसकी हालत देखकर तरस नहीं खायें तो। उनको मेरे साथ में चलना होगा। मैं ही ले जाकर उनको सारी स्थिति बता सकूंगा। मेरे क्षेत्र की सड़कें जितनी खराब हैं उतनी आपको कहीं भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेंगी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो सड़कें बननी शुरू हुई थीं वह भी आज तक मेरे यहां पर पूरी नहीं बन सकी हैं।

(श्री जयनारायण सालोदिया)

इसके अलावा दूसरी सड़क है जिसकी ओर मैं माननीय मन्त्री महोदय का आपकी मार्फत ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, निवाई से बोंली तक। उसका भी थोड़ा काम हुआ है वह भी आगे सवाई माधोपुर की तरफ के हिस्से पर हुआ है। मेरे क्षेत्र में नहीं हुआ। क्योंकि कांग्रेस से मेरे क्षेत्र से कोई जीत कर नहीं गया, इसलिये कांग्रेस सरकार ने पिछले तीस सालों में वहां पर कोई सड़क बनाने का कार्य नहीं किया।

इसके अलावा निवाई से बोंली वाया मिलाप, नया गांव की सड़क को भी प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू किया था। वह भी आज तक पूरी नहीं हो पायी। तो इस तरह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिन सड़कों पर रात-दिन ट्रकें चलती हैं उनकी हालत खराब हो तो क्या स्थिति होगी। अब चूंकि हमारी जनता पार्टी सरकार आ गयी है और हमारे मेनीफेस्टो में है कि हम शहरों में और गांवों में भेदभाव मिटा देंगे इसलिये आप हमारे यहां के बैकवर्ड एरिया के अन्दर स्कूलें खोलें, अस्पताल खोलें, सड़कें बनवायें ताकि आज जो शहरों में और गांवों में फर्क है वह मिट जाय। इसलिये मैं मन्त्री महोदय को आपके माध्यम से, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर कदम उठाये जायं। मेरे निवाई एरिया में पिछले तीस सालों से सड़कें नहीं बनी हैं और कोई विकास का काम नहीं हुआ है। वहां पर जो सड़कें प्रथम पंचवर्षीय योजना में मन्जूर हो चुकी थीं उन्हें पूरा कराने के काम को प्राथमिकता दी जाये।

इसी तरह निवाई क्षेत्र में सुनारा से वनस्थली वाया राहोली की महत्वपूर्ण सड़क बननी चाहिये। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना में मन्जूर शुदा है पर अभी तक नहीं बन सकी है। सभापति महोदय, सुनारा में एक बहुत बड़े महात्मा हैं। हजारों लोग उनके दर्शन करने आते हैं पर सड़क नहीं होने के कारण लोगों को बहुत तकलीफ होती है। ससनारा, राहोली बहुत ही महत्वपूर्ण जगह निवाई तहसील के अन्दर है। उसी तरह झुझारपुरा से बन्धाजारा की सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। निवाई तहसील की बहुत ही महत्वपूर्ण जगहों को जोड़ने वाली सड़के हैं उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाय ताकि गांव की जनता को राहत मिले। यह वह क्षेत्र है जहां आज तक, सभापति महोदय, विकास की किरण नहीं पहुंची है। इसलिए मंत्री महोदय इस ओर विशेष ध्यान दें। इसी तरह सूरजखाड़ा से सुनारा वाया बोंली और कुन्ती से राहोली बहुत ही महत्वपूर्ण सड़कें हैं। उन्हें पूरा कराया जाय ताकि वहां की जनता, जो कि तीस सालों से उपेक्षित रही है, को लाभ पहुंचे।

इसके अलावा आप जानते हैं कि रोजाना गांवों से काश्तकारों को तहसील निवाई में पेशियों पर आना पड़ता है या इधर-उधर जाना पड़ता है। उन्हें सड़कें नहीं होने के कारण बहुत ही तकलीफ होती है। आज जो किसान, मजदूर और दूसरी जनता को परेशानी होती है वह मिटाने की व्यवस्था करायें।

इसके साथ साथ मैं श्रम मंत्री जी का ध्यान मेरे श्रम विभाग से संबंधित दिये गये कटौती प्रस्तावों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। हमारी जनता पार्टी की नीति है कि गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को, अल्पसंख्यकों और विशेष तौर से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को अधिक से

(श्री जयनारायण सालोदिया)

अधिक उपर उठायेंगे और उन्हें रोजगार देंगे। पहले तो हालत यह थी कि हम लोग कुछ इस बारे में कहते थे कि हमारे शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों को रोजगार दिया जाय तो यह कहा जाता था कि वह अवेलेबल नहीं हैं। अब तो कुछ वर्षों में हमारे शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हजारों शिक्षित नवयुवक उपलब्ध हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। अब तो आप उन्हें रोजगार दिलाने की व्यवस्था करें। और कुछ नहीं तो जो हमारा रिजर्वेशन कोटा 28 प्रतिशत का है उसे तो पूरा कर लें। आज स्थिति यह है कि 28 प्रतिशत कोटा, जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों का है, भी पूरा नहीं होता है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके जो हमारी घोषित नीति है और गवर्नमेन्ट के नियम हैं और गवर्नमेन्ट ने कहा है कि. . . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

28 प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को रोजगार देंगे हर नौकरी में, उस वायदे को पूरा कीजिए और हर डिपार्टमेन्ट को पाबन्द कीजिये..

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से रिक्वेस्ट करूंगा कि खतम करें।

श्री जयनारायण सालोदिया : जो ऑफिसर्स इन आदेशों का पालन नहीं करें, उनको सजा दीजिए, उनको डिसमिस कीजिए, क्योंकि वह लोग गवर्नमेंट की नीतियों के माफिक काम नहीं करते हैं। मैं यही प्रार्थना करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री उगमराज मेहता !

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले दस वर्षों में मेरे क्षेत्र में एक भी सड़क नहीं बनी परन्तु जनता पार्टी की सरकार बनी उसके बाद वहां दो-तीन सड़कें जरूर बनीं. . .

श्री खेतसिंह राठौड़ : पक्षपात किया है।

श्री उगमराज मेहता : मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक-एक योजना लेकर चलें कि हमको हर क्षेत्र में इस साल में यह काम करवाने हैं और इतनी सड़कें बनवानी हैं। ऐसा नहीं हो कि जैसे पिछली सरकार ने सड़कों के नाम पर लाखों रुपयों का घोटाला किया और अपनी जेबों में पैसा भर लिया। मैं आपको उदाहरण दूं कि अलीसर-मालेसर की सड़क का 27 मील का टुकड़ा है उसका 27 लाख रुपया कहां गया ? उनसे पूछा गया लेकिन कोई जवाब नहीं है। सड़क नहीं है और 27 लाख का कोई हिसाब नहीं है। इसकी जांच चल रही है। तो मैं निवेदन करूंगा कि सोलिड वर्क्स हाथ में लिये जायें। भले ही आप तीन चार सड़कें ही बनायें लेकिन सोलिड काम कीजिए ताकि उससे जनता को राहत मिले।

सभापति महोदय, मेरा ऐसा पहाड़ी क्षेत्र है कि जहां आने-जाने के साधन उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि देवाता-बडकोचरा लौटियाना – सूरजपुरा और दूसरी बड़ा खेड़ा-बनजारी-भीम और तीसरी सैन्दड़ा रेलवे फाटक से अमरपुरा-सिलिबेरी-इसमें रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सड़कें बहुत जरूरी हैं। एक छोटी-सी सड़क ब्यावर से देलवाड़ा को भी हाथ में ली जाये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रानी से खोमल-

(श्री उगमराज मेहता)

फालना बहुत इम्पोर्टेन्ट सड़क है। बीच में सघन क्षेत्र योजना है और वहां हाई स्कूल भी है। फिर भी वहां पर सड़क नहीं है। इसके लिए टेन्डर निकले हैं लेकिन पता नहीं उन टेन्डर्स का क्या हुआ। अभी तक काम चालू नहीं हुआ है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सड़कें जल्दी से जल्दी बनाई जायें क्योंकि बारिश के अन्दर बच्चों को आने-जाने में बहुत तकलीफ होती है।

इसी तरह से अरड़का से बाधा मगरी होती हुई किशनगढ़ तक की सड़क बनायी जाये। इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि ब्यावर रोड से टुमाडा भावता-बुधवाड़ा होते हुए पीसांगन की सड़क की हालत खराब है और इतनी खराब है कि बरसात में आवागमन बिलकुल रुक जाता है। इसी तरह से ब्यावर रोड से सुभाषनगर–बोराई–तबीजी होती हुई राजगढ़ की सड़क बननी चाहिए। इसके अलावा मांगलियावास से नसीराबाद रोड, जो कि पेट्रोल पम्प के पास दो मील का टुकड़ा है, को इधर कर दीजिए ताकि वहां तालाब भी बन जाये और उससे सिंचाई भी हो जाये। यह जो ब्यावर रोड से टुमाडा-मावता-बुधवाड़ा होते हुए पीसांगन रोड है वह श्री चिरंजीलालजी के क्षेत्र में आती है यह भी सड़क हाथ में ली जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री कौशल किशोर जैन !

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, सड़कों और पुलों के विभाग में राजस्थान के चीफ इन्जीनियर हैं, चीफ इन्जीनियर के नीचे सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर हैं, सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर के नीचे एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर है, एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर के नीचे ए.ई.एन. है, उसके नीचे जे.ई.एन. हैं और उसके नीचे ओवरसीयर है। उसके बाद आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट है। ऊपर से नीचे तक इतने अधिकारी हैं। मुझे 8 महीनों में ऐसा लगता है कि यह सारी नौकरशाही जन प्रतिनिधियों को और जनता को विश्वास में लेकर खुद प्रपोजल शायद ही भेज पाई हो, मुझे विश्वास नहीं होता है। मुझे एक शेर याद आता है नौकरशाही का। मैं कहना चाहता हूं :

"तू तीर पर तीर चलाये जा मेरी जान,
मगर यह भी तो देख, वह दिल किसका है,
यह जिगर किसका है।"

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में नौकरशारी ने चाहे चीफ इन्जीनियर हो या फिर ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट हो, 30 साल तक राज्य देखा होगा और कांग्रेस और उसके मंत्रियों को देखा होगा लेकिन हम जनता पार्टी के विधायक और मंत्री हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 8 महीनों के अन्दर जो नौकरशाही का रवैया रहा है वह उसे बदलना होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सड़कों का आवागमन क्या हो, इसका निर्णय कौन करे ? एक एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर अपने ऑफिस में बैठकर इसका निर्णय करे, इसका प्रपोजल भेजे कि जिले के किस क्षेत्र के अन्दर कौनसी सड़क बनेगी--मुझे विश्वास नहीं होता कि वह जन-प्रतिनिधि के साथ और जनता के साथ न्याय कर पायेगा।

सभापति महोदय, चार प्रकार की सड़कों का वर्गीकरण किया गया है। एक तो

(श्री कौशल किशोर जैन)

राष्ट्रीय राज मार्ग, दूसरे राज मार्ग, तीसरे जिला राज मार्ग और चौथे सामान्य मार्ग। जनता पार्टी ने तय किया है कि हम गांवों का विकास करेंगे। यह विषमता समझ में नहीं आती कि एक ओर हम गांवों के विकास की बातें करें और दूसरी ओर गांवों के विकास की दिशा वही रखें जो कि पिछले तीस सालों से चली आ रही है। 8 महीने की हुकूमत में हमको इस बात पर विचार करना पड़ेगा। जो लोक निर्माण मंत्री महोदय ने कहा कि हमारी योजनायें 2500 तक की आबादी के कस्बों का जोड़ने वाली होंगी – मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको बदलना होगा। 2500 और उससे नीचे के गांवों को जोड़ने की योजना बनायें और हम कहें गांवों में विकास की बात तो राष्ट्रीय राज मार्ग और राज मार्ग एक साल के लिए छोड़ दें। मैं निवेदन करूंगा कि जो एप्रोच रोड हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाये। भीलवाड़ा जिले के अन्दर अगर 30 एप्रोच रोड बना देते हैं तो सारी भीलवाड़ा तहसील जुड़ जाती है। एक एप्रोच रोड पर 1 लाख से 1½ लाख का खर्चा आयेगा। इस प्रकार से 15-20 लाख रुपये में सारी तहसील जुड़ती है। जब 15-20 लाख रुपया खर्च होता है तो उसके परिणाम भी फिर देखिये। मेरा निवेदन है कि एप्रोच रोड की योजना को स्वीकार किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, कृषि उपज मंडियों के जिम्मे एक काम था लेकिन कृषि उपज मण्डी का बजट राज्य सरकार ने पी. डब्ल्यू.डी. को सौंप दिया। अब पी. डब्ल्यू. डी. तय करेगी कि एप्रोच रोड मण्डी कमेटी बनाना चाहती है वह कहां होगी। उसका निर्माण पी.डब्ल्यू.डी. करेगी। मेरा निवेदन है कि एक ओर गांवों के विकास की बात करते हैं और विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं और दूसरी ओर सड़कों को उसी नौकरशाही को सौंप रहे हैं जो कि इस काम को तीस साल से कर रही है और जिसका परिणाम आपके सामने है।

सभापति महोदय, 1951 के अन्दर इस राज्य के अन्दर सीमेन्ट की 23 कि.मी. सड़क थी डामर की 845 कि.मी., मेटल की 4560 कि.मी., कच्ची या ग्रेवल रोड 3286 कि.मी. थी और मौसमी 8625 कि.मी. सड़कें थीं। कुल 17,339 कि.मी. सड़कें इस राजस्थान के अन्दर थीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, दो मिनट भी नहीं हुए हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप 5 मिनट बोल चुके हैं।

श्री कौशल किशोर जैन : 1976 के अन्दर 17,339 कि. मी. से लेकर यह उन्नति हुई 37,808 कि.मी. की और 1976 से 1977 के अन्दर 37,808 की जगह 38,883 कि. मी. याने एक साल के अन्दर केवल 1083 कि.मी. सड़कें राजस्थान के अन्दर बनीं। 26 जिले हैं, अगर 1083 में 26 का भाग देते हैं तो एक जिले में 41 किलोमीटर सड़क आती है। क्या है 41 किलोमीटर ? मैं निवेदन करना चाहूंगा; बजट में मांग स्वीकार करवा रहे हैं, वह सड़कों के लिये करवा रहे हैं या प्रशासनिक खर्चे के लिये करवा रहे हैं ? कौन का खर्चा कितना है, गाड़ियों का खर्चा कितना है, और सड़क बनाने का खर्चा कितना है ? मुझे लगता है कि सड़क बनाने का खर्चा नाम मात्र का है। सड़क बनाने के नाम पर

(श्री कौशल किशोर जैन)
प्रशासनिक खर्चा किया जाता है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस खर्च को बन्द किया जाये, ऐसी व्यवस्था करें।

श्रम और रोजगार के बारे में एक मिनट निवेदन करना चाहूंगा। आज तक राष्ट्रीय वेतनमान निर्धारित नहीं हुए। उसका परिणाम है राजस्थान में एल.आई.सी. और बैंकों के वेतनमान ज्यादा दिखाई देते हैं। सहकारिता के अन्दर आज भी वेतनमान 150 रुपये हैं। यह अन्तर कम करना होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक सैकण्ड के लिये।

श्रम मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं इस साल अप्रेल, 77 से दिसम्बर, 77 तक 88 हड़तालें, 10 तालाबन्दी हुईं, 25 लाक-आउट हुए, 20 छंटनी हुईं। इस मामले को अच्छी तरह निपटाया, इसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति: श्री भंवर लाल ऐरन।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद): सभापति महोदय, विगत 30 सालों से नसीराबाद क्षेत्र उपेक्षित रहा है। करीब-करीब प्रत्येक क्षेत्र में काम हुआ है लेकिन, इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। पिछले बजट भाषण में जब 4 हजार की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने वाली बात कही तो हमें कुछ आशा बंधी थी किन्तु मुझे दुःख है कि राज्य सरकार ने कागजों में तो अवश्य यह घोषणा की है लेकिन वस्तुतः मेरे क्षेत्र में 4 हजार की आबादी वाले एक गांव को भी सड़क से जोड़ा नहीं गया। जब यह बजट आया तो 4 हजार से 5 हजार हुआ। कोई चिन्ता की बात नहीं। जब मैं यह देखता हूं कि हमारा बजट ग्रामोन्मुख बजट है तो आशा बनती है कि इस बजट में शायद हमारे क्षेत्र की तरफ कुछ थोड़ा सा ध्यान दिया जायेगा। मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, राज्य सरकार का ध्यान उन गांवों की तरफ, जो बड़े-बड़े गांव हैं, जिनकी आबादी 5 हजार से अधिक है, दिलाना चाहता हूं वे यह हैं—रामसर, श्रीनगर, बागसुरी, लामाना, मांगलियावास, जेठाना। इन गांवों के लोगों और आसपास के गांव वालों को आने-जाने की सुविधा नहीं है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं रामसर को सूरजपुरा मोराझड़ी, सांप्रादा, नवान चाकसेन से जोड़ा जाय। बहुत लम्बी सड़क नहीं है ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर की सड़क है। ग्राम भवानखेड़ा को बागसुरी से जोड़ा जाय, बाघसुरी से बनेवड़ा, बिडिक्नावास, लीडी व लामाना, जेठाना से नाथूला व मांगलियावास से अर्जुनपुरा गढ़ी को जोड़ा जावे। यह जितने गांव हैं उनके बीच में, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा छोटे-छोटे नाले इस कदर आते हैं और बरसात के दिनों में ऐसा रूप धारण कर लेते हैं कि गांव करीब-करीब टापू बन जाते हैं। वहां से बड़े-बड़े गांवों को आने के लिये साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि शीघ्र से शीघ्र पुलों के निर्माण का कार्य अपने हाथ में लें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

Page No 163

(163.)

(श्री भंवरलाल ऐरन)

जब कृषि उपज मण्डी ने सड़कों के निर्माण का कार्य हाथ में लिया था, तब सड़कों के बनाने की आशा बंधी थी। जैसे ही कृषि उपज मण्डी का अन्त हुआ और प्रशासक नियुक्त हुआ, वह आशा भी नहीं रही। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में सड़कों व पुलों को बनाकर छोटे गांवों को बड़े गांवों से जोड़ा जाये तभी हमारा कथन सार्थक होगा। जय भारत।

श्री सभापति : माननीय श्री नवल राय बच्चाणी।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री हरिसिंह।

(अनुपस्थित)

माननीय कमलेन्द्र सिंह।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री गंगाराम जी चौधरी।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री रामेश्वर प्रसाद जी।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जमुवारामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय को मेरे क्षेत्र जमुवारामगढ़ के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। यह क्षेत्र जयपुर जिले में इतना पिछड़ा हुआ है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह हमेशा भूतपूर्व सरकार के विपक्ष में रहा है। 49 पंचायतें ऐसी हैं जो सड़क से जुड़ी हुई नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, आपकी मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के अन्दर 5-6 सड़कें अकाल राहत में बनी हुई हैं। उनका सोलिंग बना हुआ है, सारा सामान पड़ा हुआ है लेकिन उनके ऊपर रोड रोलर नहीं चलाया गया। इस कारण मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, यह सड़कें हैं जमुवारामगढ़ से रायसर, थोला और माला से मनोहरपुरा, बिराटनगर से छितोली और बिराटनगर से बाडा। इन सड़कों के ऊपर सारा मैटीरियल पड़ा हुआ है। केवल रोड रोलर लाकर इनको ठीक किया जाये तो आवागमन के साधन हो सकते हैं।

इसके अलावा कुछ सड़कें ऐसी हैं जो एक जिले को दूसरे जिले से मिलाती हैं। बिराटनगर से किशनगढ़ केवल 9 किलोमीटर का टुकड़ा है। 10 हजार आबादी के दोनों कस्बे हैं वह टुकड़ा बन जाय तो दो जिले मिल जायेंगे। इस रोड के बन जाने से आवागमन के साधन सुलभ हो सकते हैं।

इसके अलावा प्रतापगढ़ के पास कुछ माइन्स हैं। वहां से कच्चा ताम्बा खेतड़ी जाता है। 30 मील का चक्कर काट कर जाना पड़ता है। इसलिये माननीय सभापति महोदय, आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अधूरी रोड हैं उनको पूरा किया जाये और जो न्यू रोड्स हैं उनको मंजूरी देकर उनका कार्य शीघ्र किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री हरिश शर्मा।

श्री हरिश कुमार शर्मा (रामगंजमंडी) : माननीय सभापति महोदय, गांवों की सड़कें टूटी-फूटी हैं। उनकी दुर्दशा देखकर ऐसा लगता है कि क्या गांवों की सड़कों की ओर

(श्री हरिश कुमार शर्मा)

कभी कोई देखेगा ? राजस्व अभियान के अन्दर राजस्व के मामलों को देखा तो हम सड़कों की ओर भी देखें और पुलियाओं की ओर भी देखें। जो पुल निगम बनाया गया था, उस निगम की सरकार ने घोषणा की थी, उसके संबंध में अभी तक क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला। क्या सर्वेक्षण हुआ है ? बरसात में अनेकों गांव आवागमन के साधनों से कट जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा, पुल निगम का कार्य शीघ्र से शीघ्र चालू किया जाय। ऐसी जो सड़कें हैं जो डामर की हैं लेकिन खड्डे पड़े हुये हैं, जिन पर नाम मात्र की डामर रह गई है उनको अति शीघ्र ठीक कराना चाहिये। मैं, सभापति महोदय, आपको बताना चाहता हूं कि अभी गांवों में यह स्थिति है कि एक साल से कोई काम नहीं हुआ। हम सोच तो लेते हैं लेकिन हमें काम करना चाहिये, बातें नहीं करनी चाहिये। श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा, मेरे क्षेत्र में रामगंज मण्डी, रावत भाटा, लाडपुरा, खतौड़ी, ढाबरिया आदि में ऐसी डामर की सड़कें हैं जिन पर केवल नाम मात्र की डामर रह गई है। करीब 30 सड़कें हैं जो कच्ची पड़ी हुई हैं। वे पक्की हो जायं तो राज्य सरकार को राजस्व भी ज्यादा मिलेगा, किसान अपने सामान को आसानी से ला सकेगा, किसान को लाभ होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप सड़कों की ओर ध्यान दें।

श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में कहूंगा, मान्यवर, एक कहावत है, घर का पूत कंवारा डोले—पाड़ौसी क. फेरा। क्या राजस्थान में ऐसे मस्तिष्क नहीं हैं जिन्हें रोजगार दें। यहां के लोगों को रोजगार नहीं देते हैं और बाहर वाले लोगों को दिया जाता है। जब उड़ीसा में यहां के डॉक्टर काम करने गये तो उन लोगों ने कह दिया कि आप यहां किसी प्रकार का रोजगार नहीं कर सकते हैं। राजस्थान की प्रतिभाओं को क्यों नहीं अवसर दिया जाता है ? आज राजस्थान में रोजगार की स्थिति बड़ी दयनीय है। जिसने नाम पहले दर्ज कराया उसका नाम ही नहीं है और जिसने बाद में नाम दर्ज कराया उसका रोजगार में पहले नाम आ जाता है। मर्जी आये उसका नाम भेज दिया, मर्जी आये जिसका नाम नहीं भेजा। आप इस पर पूरी तरह से अंकुश लगायें। मेरा निवेदन है अन्त्योदय योजना की तरह पंचायत हैडक्वार्टर पर जाकर नाम दर्ज कराना चाहिये। नाम तब तक खारिज नहीं करें जब तक कि नौकरी नहीं मिल जाय। वास्तव में बेरोजगारी बहुत जबरदस्त है। जैसे वित्त मंत्री के भाषण में आंकड़े हैं—तकनीकी स्नातकों के लिये 716, डिप्लोमा होल्डर्स के लिये 514, कृषि स्नातकों के लिये 480, पशु चिकित्सकों के लिये 85, डाक्टरों के लिये 120 कला विषयों में स्नातकों के लिये 1565, मैट्रीकुलेट्स के लिये 6540 और आई. टी. आई. शिक्षा प्राप्त लोगों के लिये 3000 के लगभग स्थान मिलने की सम्भावनायें हैं। केवल हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इतने से लोगों के लिये वायदा किया है। बाकी का क्या होगा ? अधिकतम लोग अपनी आयु सीमा को पार कर चुके हैं। अन्त में यह होगा कि गलत धन्धे करेंगे, देशद्रोही गतिविधियां अपनायेंगे। इसलिये जरूरी है कि रोजगार के लिये अधिकतम आयु सीमा बढ़ाई जाय और रोजगार दिया जाय। जो औद्योगिक संस्थान हैं उनको आदेश दिये जायं कि स्थानीय लोगों को नौकरी में लिया जाय तभी जाकर बेरोजगारी की समस्या को हम हल कर सकते हैं।

मजदूरों को जो आज ऋण दिया जाता है,

(श्री हरिश कुमार शर्मा)

क्या वह पर्याप्त है ? श्रम विभाग का जो चित्र है वह इससे स्पष्ट हो जाता है कि लाडपुरा में खदानें हैं, सैकड़ों मजदूर काम करते हैं लेकिन वे चिकित्सा के श्रभाव में काम करते-करते पत्थर या सरिया की चोट से मर जाते हैं। जहां श्रमिकों से सम्बन्धित मसले होते हैं वहां मजदूरों को प्रतिनिधित्व पूर्ण रूप से दिया जाय और उनसे बातचीत की जाय . . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जितने कानून द्वारा अधिकार प्रदान किये गये हैं आज यह स्थिति है कि वह दिये नहीं जा रहे हैं।

मान्यवर, मैं एक बात अवश्य निवेदन करना चाहता हूं, यह घोषणा की गई थी कि मीसा बन्दियों को संस्थानों में नौकरी दिलाई जायगी। आज संस्थान इस बात का पालन नहीं कर रहे हैं। उनको पाबन्द किया जाय और उसका पालन करने के लिये सख्ती से आदेश दिये जायं। आखिर उन्होंने कौनसा अपराध किया था ? लोकतन्त्र की लड़ाई लड़ी थी। तो उन संस्थानों में क्यों नहीं उनको वापस लिया जाय ? इसलिये मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों को उन सब संस्थानों में अवसर दिया जाय। मान्यवर, जितने भी संस्थान हैं उन्हें हमें सख्ती से आदेश देना होगा कि हर हालत में उन्हें लेना पड़ेगा, बिना उसके काम चलने वाला नहीं है। उन्होंने देश के लिये त्याग किया है......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज बैठिये।

श्री हरिश कुमार शर्मा : मान्यवर, अप्रेल, 77 से दिसम्बर, 77 तक 145 नये मामले क्षतिपूर्ति आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत हुये तथा 126 मामले गत वर्ष के विचाराधीन थे। कुल 271 मामलों में से 98 मामलों में आयुक्तों द्वारा निर्णय दिया गया बाकी को नहीं मिला। जो काम करते-करते स्वर्ग लोक सिधार जाते हैं उनके परिवार वाले क्षतिपूर्ति कार्यालय के चक्कर काटा करते हैं। कम से कम क्षतिपूर्ति तो तत्काल दी जाय। ज्यादा से ज्यादा एक सप्ताह......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री हरिश कुमार शर्मा : उनका फैसला तो हो ही जाना चाहिये.......

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये। प्लीज।

श्री हरिश कुमार शर्मा : मैं यह मानता था कि आप जवानों को ज्यादा महत्व देते हैं...

श्री सभापति : I request you please, बैठिये। बैठिये। आपने बहुत अच्छा भाषण दे दिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बैठिये।

श्री एच. एन. शर्मा।

श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले श्रम मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि 1 जुलाई, 77 से इस सदन की कार्यवाही होने तक यानी 28 फरवरी, 78 तक के आंकड़ों को ध्यान में रखें या उन पर दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे चाहे सरकारी

Page No 166

(166)

(श्री एच.एन. शर्मा)

संस्थान हों, चाहे प्राइवेट संस्थान हों, चाहे कल-कारखाने हों उन सब में कुल मिलाकर 154 हड़तालें हुई हैं। 154 हड़तालों में 16,99,152 मेन आवर्स का लास हुआ है और लागत के रूप में देखें तो लगभग 11,01,57,540 रुपयों के उत्पादन की क्षति हुई है। यह इस बात का प्रमाण है कि मजदूरों में भयंकर रूप से असन्तोष है। मैं यह कहना चाहता हूं, सभापति जी, आज देश पर असली राज्य करने का हक किसी का है तो वह हक है किसानों का, लेकिन उनकी ओर सरकार के द्वारा किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया है जिससे यह महसूस होता है कि उनके प्रति सरकार की भयंकर रूप से उपेक्षा है। सरकार श्रमिक पक्ष की तरफ ध्यान देना चाहती है या नहीं।

दूसरे मैं कहना चाहता हूं, 315 असफलता प्रतिवेदन प्राप्त हुये हैं उनमें से 169 इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल व लेबर कोर्ट को भेजे गये हैं बाकी अभी पेन्डिंग हैं। यह इस बात का द्योतक है कि कर्मचारी वर्ग में कोई उनके प्रति दिलचस्पी नहीं है। उनके विभाग में यह बात ही नहीं इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें सोचने के लिये मजबूर होना पड़ेगा कि इतनी हड़तालें हुई, उनके क्या कारण थे? इतना नुकसान हुआ, इसके क्या कारण थे? सबसे पहले हमारे ध्यान में आता है कि उनकी तनख्वाह पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हमको मालूम पड़ेगा There is a discrimination between worker and worker. मजदूरों और मजदूरों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन है। उनकी तनख्वाहों की ओर ध्यान देना होगा। आप बजट पास करना चाहते हैं लेकिन सिंचाई विभाग का बजट है उसमें किसी प्रकार की मजदूरी में बढ़ोतरी नहीं हुई है। सिंचाई विभाग में सिंचित क्षेत्र में वयस्क को 6) रु., बालक को 4) रु. मजदूरी दी जाती है। इसी प्रकार सिंचित क्षेत्र—लिफ्ट और कुओं की सिंचाई के क्षेत्र में वयस्क (पुरुष एवं महिला) को 5) रु. प्रति दिन, बालक (पुरुष एवं महिला) को 3) रु. प्रतिदिन मजदूरी दी जाती है। अब असिंचित क्षेत्र में वयस्क (पुरुष एवं महिला) को 4.25 पैसे प्रतिदिन, बालक (पुरुष एवं महिला) को 2.85 पैसे प्रतिदिन मजदूरी दी जाती है। अकाल राहत में जो लगे हुये हैं, सुबह से शाम तक अपने कन्धों पर बोझा ढोकर गधे की तरह काम करते हैं उनको तीन रुपये, ढाई रुपये और दो रुपये की मजदूरी दी जाती है। इस प्रकार के जो वेतन में डिफरेन्स हैं, वेतनों में डिस्क्रिमिनेशन है, उसको समाप्त करने के लिये सरकार को तुरन्त कोई न कोई कार्यवाही करनी चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आंकड़े हैं, जो इंडेक्स है, मूल्य सूचकांक, उसको अगर आप ध्यान से देखें तो, सभापति महोदय, सन् 75 में जो मूल्य सूचकांक था, जनवरी, 76 तक के आंकड़े हैं उस वक्त मूल्य सूचकांक 298 से कम था और आज दिसम्बर, 77 के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 330 तक पहुंच गया है......

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

और जनवरी, फरवरी में, इन दो महीनों में तो और भी बढ़ा है। तो, माननीय सभापति महोदय, यह मूल्य सूचकांक 332 से ऊपर निकल गया है, इसके आधार पर वतन में बढ़ोतरी करना जरूरी है।

इसके बाद में मैं यह कहना चाहूंगा कि औद्योगिक शांति कायम रखने के लिए....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

Page No 167

(167)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री एच. एन. शर्मा : दो-तीन मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आधा मिनट में समाप्त कर दें।

श्री एच. एन. शर्मा : औद्योगिक शांति कायम करने के बारे में हमारे बजट भाषण में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है जिससे कर्मचारियों के अन्दर बड़ा असंतोष है।

निर्माण विभाग के बारे में मेरे दो-तीन कटौती प्रस्ताव हैं। माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया उसमें लिखा है कि पांच हजार की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा जायेगा। माननीय सभापति महोदय, हमारे संविधान में फ्लेक्सीबिलिटी है, उसमें इस प्रकार की भेदभाव की बात करना कि पांच हजार की आबादी को सड़कों से जोड़ा जायेगा, गलत है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि कई गांवों को ऐसी सड़कें हैं जो इण्टर-स्टेट हैं, दो स्टेट को जोड़ती हैं, जो एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ने वाली हैं, इन सड़कों का कोई समन्वय नहीं है। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में भैंसरोड़गढ़ से सिघोली सड़क है जो एक तरफ मध्य प्रदेश को राजस्थान से जोड़ती है, दूसरी तरफ कोटा को चित्तौड़ से जोड़ती है, कोटा-झालावाड़ को जोड़ती है, चित्तौड़-झालावाड़ को जोड़ती है। ऐसी महत्वपूर्ण सड़क के लिए 3-9-77 को सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर ने राज्य सरकार के पास सिफारिश भेज दी, जिसके साथ सारे नक्शे पेश कर दिये, लेकिन नौ महीने हो गए उसके बाद भी अधिकारी वर्ग को टाइम नहीं है, इस ब्युरोक्रेसी के दफ्तर में फाइल पड़े हुए नौ महीने हो गए, लेकिन अधिकारी वर्ग को टाइम नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की ब्युरोक्रेटिक सरकार है जिसके पास में इतनी महत्वपूर्ण सिफारिश आती है लेकिन उसको भी देखने का टाइम नहीं है, तो यह सरकार किस तरह से चल सकेगी।

इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं ...

श्री सभापति : मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप तशरीफ रखिए। Please.

श्री श्योपतसिंह मकासर : सभापति महोदय, दो दें माननीय सदस्य।

श्री एच. एन. शर्मा : सभापति महोदय, दो मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज बैठ जाइये।

श्री एच. एन. शर्मा : आधा मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : आप कृपया बैठ जायें।

श्री एच. एन. शर्मा : भैंसरोड़गढ़ की जो सड़क है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने की मांग करते हुए और आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री गुलाबचन्द कटारिया!

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : सभापति महोदय, जिस प्रकार शरीर में रक्त शिराओं का वर्क है ठीक उसी तरह से इन सड़कों का प्रदेश में महत्व है। जिस प्रकार

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रक्तवाहिनी अगर शून्य हो जाती है, अगर रक्तवाहिनी शिथिल और सुस्त हो जाती है तो शरीर को लकवा मार जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस देश में, जिस प्रदेश में यह रक्तवाहिनी सड़कें नहीं होती हैं तो वह क्षेत्र पिछड़ा रह जाता है। राजस्थान के पिछड़ेपन का एकमात्र कारण यही है। इसी का फल है कि हमारे यहां झाडोल और कोटड़ा तहसील को कालापानी के नाम से पुकारा जाता है। वहां न कोई काला है और न पानी है, लेकिन फिर भी उसको कालेपानी की संज्ञा इसीलिए दी गई क्योंकि वहां पर आवागमन के साधनों की कमी है। सड़कें नहीं होने के कारण उस क्षेत्र को लोग कालापानी कहते हैं। श्रीमान्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तीस वर्ष के शासन में झाडोल तहसील को केवल दस किलोमीटर सड़क डामर की और 5 किलोमीटर सड़क ऐसी मिली जिसमें कंकरीट दबाई गई। यह तीस साल की प्राप्ति है झाडोल तहसील को। मैं कहूंगा कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जहां के आदिवासी यातायात के साधनों के लिए शहरों की ओर मुंह ताका करते हैं, उसके विकास में अब सरकार सहयोग करे।

यही नहीं, सभापति महोदय, निर्माण विभाग ने केवल मनुष्यों के साथ ही ज्यादती नहीं की, पशुओं के साथ भी ज्यादती की है। यह जो चिड़ियाघर हैं, चाहे उदयपुर का चिड़ियाघर हो या जयपुर का चिड़ियाघर हो, जंगलों में जो शेर स्वच्छंदतापूर्वक घूमता था और स्वतंत्रतापूर्वक दहाड़ा करता था, उसको घूमने के लिए पर्याप्त जंगल और खुली जगह थी लेकिन आपने उसको लाकर चिड़ियाघर में एक आठ फीट की कोठरी में बन्द कर दिया। इस आठ फीट की कोठरी में रख कर क्या आप उसके साथ न्याय कर सकते हैं? जिस समय स्वयं पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर महोदय जयपुर के चिड़ियाघर को देखने के लिए गये तो आपने स्वयं यह कहा था कि पशु के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, मैं चाहता हूं कि निर्माण विभाग ध्यान दे। चिड़ियाघर के लिए कुछ और जमीन की मांग थी लेकिन पी. डब्ल्यू. डी. ने मना कर दिया कि हम और जमीन नहीं दे सकते। हम लोग यहां पर दूब लगायेंगे, हम यहां पर गुलाब उगायेंगे। पशुओं के जीवन के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ करना, उनको इस तरह से एक छोटी सी कोठरी में बन्द कर देना घोर अमानुषिक बर्ताव है। मैं प्रार्थना करूंगा कि उनके साथ न्याय करना चाहिए और जगह की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्रीमान्, यही नहीं आश्चर्य तो यह है कि निर्माण विभाग में जो स्किल्ड लेबर है उनको आंशिक लेबर से भी कम वेतन दिया जाता है। पी. डब्ल्यू. डी. आयुक्त ने इसकी सिफारिश करके वित्त विभाग को भेजी कि इनके वेतन में यह अन्तर समाप्त होना चाहिए लेकिन वित्त विभाग मानने को तैयार नहीं है क्योंकि इनकी संख्या सीमित है, थोड़ी है। जो अंशकालीन लेबर है, जिनकी संख्या हजारों में है, वे जब मांग करते हैं, हड़ताल करते हैं और संगठित रूप से आपको ललकारते हैं तो आप तैयार हो जाते हैं उनकी मांगें मानने को लेकिन जो संख्या में कम हैं उनकी मांग को ठुकरा दिया गया। यह वास्तव में उनके साथ न्याय नहीं है। हमारे देश में श्रम के साथ खिलवाड़ होता है। उस व्यक्ति की कदर होती है जो बढ़िया-बढ़िया कपड़े पहनते हैं। पंखे लगे हुए एयर-कण्डीशन्ड कमरों में बैठ कर जो काम करते हैं उनकी कदर होती है लेकिन जो मजदूर हाथ से काम करता है,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मेहनत-मजदूरी करके अपनी रोजी-रोटी कमाता है उसको समाज में सम्मान नहीं मिलता। इसको कितना घोर अन्याय कहा जाय। इस प्रकार से देश के मजदूरों के साथ वास्तव में घोर अन्याय हो रहा है। इसलिए मैं कहूंगा कि मजदूरों के प्रति न्याय करने के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए प्रबन्ध में सम्मिलित किया जावे, प्रबन्ध में उनकी सलाह ली जाय और प्रबन्ध में उनको जोड़ा जाय।

यही नहीं हमारे प्राइस इंडेक्स को तय करने का जो तरीका है वह थोक भावों के आधार पर किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन ऐसा मजदूर है जो थोक में पर्चेजिंग करता है ? वह क्या थोक मण्डी में जाकर खरीददारी करेगा? वह तो दो रुपये का धनिया और एक रुपये का आलू खरीदता है। इसलिए जो इंडेक्स तय किया जाता है वह थोक भावों पर नहीं करके फुटपाथ पर बिकने वाले माल के भाव पर तय किया जाय जिससे उस मजदूर को फायदा मिल सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्रीमान्, दो-तीन मिनट में।

श्री सभापति : एक मिनट में समाप्त कर दें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : थोड़ी-सी महरबानी करें।

श्री सभापति : एक मिनट में।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इस तरह से ..

श्री सभापति : मैं आपसे अर्ज करूं कि इस रफ्तार से भी रात के बारह बजे से पहले फारिग नहीं हो सकेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : ये तो फारिग हो जायेंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इसी तरह से मजदूरों में संघर्ष होंगे कि किस यूनिट को मान्यता दें। मेरा निवेदन है कि मान्यता का आधार चुनाव होना चाहिए और प्रति वर्ष चुनाव के आधार पर जिस यूनियन का बहुमत हो उसको मान्यता मिले, उसको प्रतिनिधित्व दिया जावे जिससे यह सारी समस्या हल हो सके।

न्यूनतम वेतन के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि पांच रुपये से बढ़ा कर सात रुपये मिनिमम वेज होनी चाहिए। जो स्किल्ड लेबर है उसको कम से कम दस रुपये मिलने चाहिएं। लोगों के द्वारा जो बेगार ली जाती है और ढाई रुपये और दो रुपये रोज मजदूरी देते हैं, ऐसे व्यक्तियों को सजा दी जाय, जो इस प्रकार से मजदूरों का शोषण करते हैं।

श्रीमान्, इसके साथ ही इस प्रकार का भी संशोधन प्रसारित करें कि जो 240 दिन तक लगातार काम कर लेता है उसको परमानेंट मान लिया जावे। इसके बाद में अगर कोई व्यक्ति नौकरी से निकाला जाता है तो कम से कम छः सप्ताह में उसका निर्णय होकर वापस उसको नौकरी में लिया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री माणकलाल ठाकोर!

श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा) : सभापति महोदय, पिछले तीस वर्ष पूर्व से कुछ क्षेत्रों में, जिनमें मेरा क्षेत्र नैनवा भी शामिल है, भूतपूर्व सरकार द्वारा, कांग्रेस सरकार द्वारा

Page No 170

(170.)

(श्री माणकलाल ठाकोर)
स्थगन आदेश जारी हुए, उसका आशय यह था कि मेरे क्षेत्र में और मेरे जैसे दुर्भाग्यशाली क्षेत्र में कोई किसी प्रकार का डवलपमेंट वर्क नहीं किया जावे।

श्री मूलचन्द डागा : आप सौभाग्यशाली हैं।

श्री माणकलाल ठाकोर : और मैं निवेदन करूं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं उसकी जांच की जावे, यहां की कोई समिति जाकर देखे तो उसको पता चलेगा कि वास्तव में वह जो निषेधाज्ञा जारी हो गई थी, उसका बहुत ही ईमानदारी से कांग्रेस सरकार के समय अधिकारियों ने पालन किया। मुझे इस बात की खुशी है और मैं वर्तमान सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह जो निषेधाज्ञा थी, वह जो स्थगन आदेश था कि चूंकि नैनवा क्षेत्र के निवासी कांग्रेस सरकार के कट्टर विरोधी हैं इस कारण से वहां पर कार्य नहीं किया जावे, जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद वह निषेधाज्ञा रद्द कर दी गई है। इसके लिए मैं वर्तमान सरकार को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देता हूं। तीस साल तक हमारे क्षेत्र में काम नहीं हुआ हमारा क्षेत्र पिछड़ा रहा। माननीय सभापति महोदय, आप भी एक वरिष्ठ एडवोकेट रहे हैं और यहां पर भी काफी एडवोकेट्स हैं, वे जानते हैं कि दफा 144 जो है सी. पी. सी. में उसके अन्दर रेस्टीट्यूशन, पुनर्स्थापना का सिद्धान्त है। तीस साल तक निषेधाज्ञा जारी कर अन्याय किया गया था, अब रेस्टीट्यूशन, पुनर्स्थापन के सिद्धान्त के आधार पर जो पिछड़ापन है तीस साल का उसको दूर किया जाए। यही नहीं, जयपुर में जितनी सड़कें बनती हैं, कोटा में जितनी सड़कें बनती हैं, उतना ही बजट वहां पर कर दिया जाए। श्रीमान्, मैं तो यह निवेदन करूंगा कि उनके बराबर दे दीजिए तो रेस्टीट्यूशन का क्लेम हम छोड़ देंगे। सड़कों का संबंध रोजगार के साथ जोड़ा जाए। यदि आप गांवों का उत्थान चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा सड़कें बनाना शुरू कर दीजिए, रोजगार की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। हजारों व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा और जो अन्त्योदय योजना में आने वाले लोग हैं, उनको काम मिलेगा। यह काम शुरू कर दें।

अभी आपने यह नियम बनाया है कि पांच हजार की आबादी के गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। मैंने सोचा और पांच हजार की आबादी वाले गांवों को तलाश किया। मेरे बूंदी जिले में पांच हजार की आबादी के जो गांव हैं उनमें एक तो बूंदी है और दूसरा नैनवा है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि आपका जो लक्ष्य है, वह ग्रामोन्मुखी है तो इन छोटे-छोटे गांवों की ओर मानवीय आधार पर, मानवीय दृष्टिकोण के साथ ध्यान दें। मैं आपको एक उदाहरण देकर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। माननीय निर्माण मंत्री महोदय, यदि मौका मुलाहिज़ा न करें तो इसकी जांच करा लें। मेरे क्षेत्र में खट्टर नाम का गांव है वहां जवारा नाम की पगडंडी है। यह पगडंडी पहाड़ पर होकर जाती है। यह रास्ता करीब दो किलोमीटर का है। पहाड़ी पर होकर जाना पड़ता है। गांव के अन्दर यदि कोई महिला गर्भवती हो, उसके प्रसव पीड़ा हो जाती है तो 8-10 व्यक्ति खटिया पर डालकर इस पगडंडी में होकर जाते हैं। रात हो जाये या शाम हो जाए तो वहीं पर उसका प्राणान्त हो जाता है। मैं आपको इस बात की सूची दे सकता हूं। कम से कम गए साल

(श्री माणकलाल ठाकोर)

6 महिलाओं की मौत इसलिए हुई कि सड़क न होने के कारण वह अस्पताल, बूंदी न जा सकीं। यह कांग्रेस के तीस साल के शासन का एक नमूना आपको मैंने दिया है। इसको मजाक में न लिया जाए। मानवीय आधार पर मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूं।

रोजगार की बात है। डिस्ट्रिक्ट पुल के ड्राइवर से मैंने पूछा, क्या तनख्वाह मिलती है? उसने बताया, 80/- रुपया मिलता है। इतना रुपया बूंदी जिले में एक ड्राइवर को मिलता है जब कि तीन साल की उसकी सर्विस हो चुकी है। यह हालत हमारे यहां की है। मेरा आपसे यही निवेदन करना है कि गांव में अधिक से अधिक सड़कें बिछाने की आप कोशिश करें। पांच हजार की आबादी वाले गांव को सड़क से जोड़ने की पाबन्दी आप कर रहे हैं इसका तो बड़े कस्बे लाभ उठायेंगे। इसको हटा कर मानवीय आधार पर सड़कें बनावें। धन्यवाद !

श्री समापति : श्री गोपाल पचेरवाल !

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : समापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान मेरे क्षेत्र की सड़कों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में बूंदी से पाटन, पाटन से लाखेरी तक जो रोड है, जब हम 15-20 वर्ष के थे, उसी समय से इस रोड की हालत देख रहे हैं कि यह वैसी की वैसी है। तो, श्रीमान्, इस रोड पर हजारों रुपया खर्च किया जाता है और उसकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। कोई प्रगति इसमें नहीं होती है। इसी प्रकार कृषि उपज मंडी द्वारा जो रोड बनाए जा रहे हैं, पिछले साल से यह देख रहा हूं, ज्यों का त्यों पड़ी है। कांकरण से गामेड़ा महत्वपूर्ण रोड है। पत्थर डाल दिए गए हैं। मिट्टी डाल दी गई है। हजारों रुपया खर्च किया जा चुका है परन्तु रोड उसी अवस्था में है, जिस अवस्था में थी। पावडी से बड़ा खेड़ा रोड कृषि उपज मंडी के माध्यम से बन रही है। इस पर मिट्टी डाल दी गई है परन्तु आगे प्रगति नहीं हुई है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह पैसे का दुरुपयोग किया जाता है इसको रोका जाए। पैसे का सदुपयोग करवाने हेतु यह मांग करूंगा कि इस रोड को जल्दी पूरा करवाया जाए और इसको बड़ा खेड़ा, मारवीहा और लबान होते हुए जोड़ा जाए। इस तरह मेरे क्षेत्र के लोग केशोरायपाटन से बूंदी अदालत में जाते हैं तो पाटन और बूंदी के बीच में बाजेड़ नदी पड़ती है। इस बाजेड़ नदी में पानी आ जाता है और कई लोगों को जिनको अदालत में जाकर पेशी पर हाजिर होना पड़ता है, वह नहीं जा पाते हैं। गैर हाजिर होने पर उनको सजा हो जाती है। इसलिए मेरे क्षेत्र में इस नदी पर पुल बनवाया जाए और वहां के गरीब किसानों को बचाया जाए।

इसके बाद, समापति महोदय, मैं आपकी मार्फत श्रम मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब हम अलग-अलग घटक में थे तो हम उनके नेतृत्व में आन्दोलन करते थे और बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के आन्दोलन में हम एक साथ जेल गये थे। हमारे श्रम मंत्री महोदय डा. लोहिया के अनुयायी हैं, उनकी यह मान्यता थी कि जो बेरोजगार लोग हैं, उनको हम बेरोजगारी भत्ता दें। श्रीमान्, आज आप कुर्सी पर बैठे हैं, विराजमान हैं। आशा है बेकारों को काम देंगे, नहीं तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता देंगे। जो लोग बेरोजगार हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए या उन लोगों को काम दिया

(श्री गोपाल पचेरवाल)

जाना चाहिए। मेरा यह भी निवेदन करना है कि बेरोजगार केवल शहरी लोग ही नहीं हैं। जो पढ़े-लिखे हैं केवल वे ही लोग बेरोजगार नहीं माने जावें। देहातों के लोग भी गरीब लोग हैं उनको पहले रोजगार की जरूरत है। आज हम अशिक्षित लोगों को बेरोजगार नहीं मानते हैं। इसलिए जो अशिक्षित युवक बेरोजगार हैं, पहले ऐसे देहाती अशिक्षित युवकों को रोजगार दिया जाये या उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। केवल शहरी शिक्षित युवकों को ही नहीं दिया जाए। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हम बेरोजगारी मिटाने के लिए कोई लक्ष्य नहीं दे पाये हैं। मेरी मान्यता है कि देहात के जो लोग हैं, वे अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद शहर में आते हैं। देहाती युवक मंत्रियों के पास आकर रोजगार मांगता है। उनकी कोठियों का चक्कर काटता है। दो-चार दिन बाद उसकी जेब में पैसा नहीं रहता है और वह जयपुर की सड़क पर सो जाता है। पुलिस उसको धारा 109 के तहत पकड़ ले जाती है। यह एक बेरोजगारी का कारण है।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री गोपाल पचेरवाल : इसी तरह से, सभापति महोदय, जो अनुसूचित जाति, जनजाति के शिक्षित युवक हैं उनको भी रोजगार नहीं दिया गया है। यह महत्वपूर्ण है। आज नगर परिषद् में 50 शिक्षित मेहतर युवक हैं जो मैट्रिक, हायर सेकण्डरी पास हैं। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जिन्होंने इनके लिए आन्दोलन किए और जो आज सरकार में बैठे हैं, उनके होते हुए यह होता है, यह कलंक की बात है कि दसवीं, ग्यारहवीं पास लड़के नगर परिषद्, जयपुर में सफाई का काम कर रहे है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो अनुसूचित जाति, जन जाति के युवक हैं, जो शिक्षित हैं, पिछड़े वर्ग से आये हैं, उनको शीघ्र रोजगार दिया जाए। डा. लोहिया की मान्यता के अनुसार पिछड़े वर्ग व महिलाओं को 60 प्रतिशत अवसर दिया जाय। 28 प्रतिशत कोटा आरक्षित किया गया है। उसके बावजूद भी शिक्षित का कोटा निर्धारित किया जाना चाहिए था, किन्तु हमारी सरकार में आने के बाद भी हरिजन युवक नगर परिषद् में सफाई का कार्य कर रहे हैं। यह हमारे लिए कलंक की बात है।

अन्त में धन्यवाद देता हुआ मैं यह मांग करूंगा कि सरकार बुनियादी सवालों पर जोर दे।

श्री सभापति : श्री माधोसिंह कछवाह।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : सभापति महोदय, मन्त्रीजी नहीं हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैं क्षमा चाहता हूं, मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कई वर्षों से कुछ विशेष तरीके से पड़े हुए जो अधिकारी हैं, उनको ढंग से सम्भाला जाये। अगर ढंग से नहीं सम्भलते हैं, तो कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये।

मैं ज्यादा भाषण नहीं करूंगा। आम जनता से सम्बन्ध रखने वाली सड़कों की जो हालत है उनके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी समय पर मरम्मत नहीं होती है। उनकी ओर आपके जरिये से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जहां तक जनपथ का प्रश्न है, यह सार्वजनिक

(श्री माधोसिंह कछवाह)

निर्माण विभाग जून से लेकर दिसम्बर तक सार्वजनिक निर्माण विभाग बना रहता है। बरसात में जो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है वह दिसम्बर तक पड़ी रहती है। जब तक जन-प्रतिनिधि और जनता की शिकायतें नहीं पहुंचती हैं. उसको हटाया नहीं जाता है। मेरा निवेदन यह है कि सड़कों पर जो खड्डे पड़ जाते हैं, वे बरसात के बाद ही भर दिये जायें। यह जोधपुर का ही प्रश्न नहीं है, पूरे राजस्थान का प्रश्न है। मान्यवर, सड़क के अन्दर जो खड्डे पड़ते हैं जब तक वह एक फुट गहरा नहीं हो तब तक उनको नजर ही नहीं आता है। जब पांच-छः फीट का मिनिस्टर जितना गहरा लम्बा हो जाता है, जब एक-दो दुर्घटना हो जाती है और जब एस. ई. को ले जाकर मौके पर दिखाया जाता है, तब मुश्किल से उनको नजर आता है। यह राजस्थान का बड़ा ही दुर्भाग्य है। इस प्रकार की लापरवाही इस विभाग द्वारा बरती जाती है। जब कोई अधिकारी या मन्त्री आकर कहते हैं तो कार्यवाही की जाती है।.......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं इस विभाग के कार्य से सन्तोष नहीं कर सकता हूं क्योंकि जो रोड हैं उन पर खड्डे पड़े हुए हैं। मेरा मतलब आम जनता से सम्बन्ध रखने वाली सड़क से है। नयी सड़क बनाने में समय लगता है, इसलिए मरम्मत व सुधार के कार्य पर ध्यान दिया जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमान्, आप घंटी बड़ी तेजी से बजा रहे हैं।

श्री सभापति : वक्त बहुत कम है।

श्री माधोसिंह कछवाह : रोजगार के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा, जो हमारे नवयुवक यूनिवर्सिटी से निकलते हैं उनमें डॉक्टर हैं, अच्छे मेरिट होल्डर हैं वह भी नौकरी के लिए मारे-मारे फिरते हैं। सरकार की कम से कम ऐसी योजना होनी चाहिए कि अमुक वर्ष में इतने डॉक्टर, इतने इन्जीनियर निकालेंगे उनको कहां नौकरी देंगे। हजारों रुपया डिग्री लेने के लिए खर्च होता है लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है। सब पढ़ा-पढ़ाया भूल जाते हैं। उनको बहुत ही कटु अनुभव होता है। इसका नतीजा यह होता है कि हमारे इन्जीनियरों और डॉक्टरों की जितनी ऊंची आकांक्षाएं हैं, वह समाप्त हो जाती हैं। वैसे हमारे प्रधान मन्त्रीजी ने बेरोजगारी मिटाने की बात कही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : अब आप बिराजें।

श्री माधोसिंह कछवाह : मैं आपका आभारी हूं कि आप आसन पर बैठे हैं। दो मिनट और दे दीजिए।

श्री सभापति : मैं निवेदन करता हूं कि आप बिराजिए।

श्री माधोसिंह कछवाह : मैं भी निवेदन करता हूं कि आप बोलेंगे तो समय का पालन करेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह तो, माननीय सभापतिजी, आसन का निरादर है।

श्री माधोसिंह कछवाह : आदर करने वाले माननीय सदस्य ही नहीं हैं। खुद तो स्प्रिंग की तरह उछलते रहते हैं।

श्री सभापति : श्री बहादुर सिंह !

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : माननीय सभापतिजी, मैं अपने क्षेत्र की सड़कों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा । बोलने वाले हर सदस्य ने अपने क्षेत्र की बात कही है । जनता पार्टी के सदस्य ने ही नहीं विरोधी पक्ष के सदस्यों ने, जिन्होंने 30 साल तक शासन किया है, यह भी आरोप लगाया है कि हमारे यहां सड़कों का अभाव रहा है । जो विरोधी सदस्य हैं वे 30 साल तक सत्ता में रहे हैं, उन्होंने भी यह कहा है । कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो यह कहता कि सड़कों का समुचित विकास हुआ है । मैं भी कहूंगा कि पिछले 10 सालों में मेरे क्षेत्र में एक किलोमीटर नयी सड़क नहीं बनाई गई है । बनाने की बात अलग है, मरम्मत भी एक किलोमीटर सड़क की नहीं की गई है । मेरे क्षेत्र में सड़कों का नाम एबोर्शन रोड रखा गया है । माननीय सदस्यों की आशा पूर्ति नहीं की जा सकेगी क्योंकि सड़क निर्माण का बहुत महंगा काम है । बहुत पैसे की आवश्यकता है । इतना पैसा सरकार जुटा नहीं पायेगी । इसलिए मेरा सुझाव है कि हर क्षेत्र की उपयोगिता, आवश्यकता और आवागमन की कठिनाई को देखकर राज्य स्तर पर एक योजना बनाई जाये और उसके अनुसार सड़कों का निर्माण कराया जाय । अलग-अलग क्षेत्रों की अलग-अलग कठिनाइयां हैं इसलिए मैं निवेदन करूंगा, सरकार राज्य की आवश्यकताओं, आवागमन की कठिनाई और उपयोगिता को देखकर राज्य स्तर पर योजना बना कर सड़कों का निर्माण करायें । सड़कों की उपयोगिता और आवश्यकता है यह निर्विवाद है ।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ सालों से कुछ सड़कें निर्माणाधीन पड़ी हुई हैं, उन पर कहत में काम हुआ था । उन पर सिर्फ रुपया बरबाद किया गया क्योंकि आज भी वे सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं । इसलिए मेरा सुझाव है कि बहुत अर्से से जो सड़कें निर्माणाधीन पड़ी हुई हैं उनका निर्माण पूरा कराया जाय ताकि जो पैसा अब तक लगा है वह काम आ सके और आगे जो पैसा लगाया जाय उसका पूरा फायदा लोगों को मिल सके ।

श्री सभापति : माननीय श्री ईश्वरचन्द्र-जी !

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : माननीय सभापति महोदय, यह पी.डब्ल्यू.डी. बड़ा तिलस्मी विभाग है । शायद इसका काम हमारे मिनिस्टरों के बंगले ही फर्निश करवाने का है । बड़ी खूबसूरती से बंगलों को फर्निश करता है ।

'आपके कालीन देखेंगे किसी दिन,
इस समय तो पांव कीचड़ में सने हैं"

पिड़ावा क्षेत्र के 213 गांवों में से अभी तक केवल तीस गांवों में ही सड़कें हैं । यह जो पांच हजार की आबादी वाले गांव को सड़कों को जोड़ने का आंकड़ा दिया है, निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि यह किसी आई.ए.एस. ऑफिसर के दिमाग की उपज है । पांच हजार की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने की जो बात कही गई है वह किसी मिनिस्टर के दिमाग की उपज नहीं हो सकती....

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : माननीय सभापति जी, मिनिस्टर का कोई दिमाग होता भी है ?

श्री ईश्वरचन्द्र : मैं यह निवेदन कर

(श्री ईश्वर चन्द्र)
रहा था कि 33 हजार गांव राजस्थान में हैं उनमें से केवल 165 गांव हैं जिनकी आबादी पांच हजार के करीब है। अगर जनता सरकार केवल 165 गांवों का विकास करके उनको सड़कों से जोड़कर वाहवाही लूटना चाहती है तब तो बड़ी मुश्किल है, हम लोग तो इस वाहवाही में शामिल हो नहीं सकते। इसलिए यदि यही आपका पैमाना है, मापदण्ड है तो इस मापदण्ड को बदलना चाहिए। मंत्री महोदय, जब अपना उत्तर दें तो वे इस बात की घोषणा करें कि जो सरकार अपने को गांवों का विकास करने वाली और ग्रामोंन्मुखी कहती है वह गांवों को जोड़ने के काम को प्राथमिकता देगी।

आज नये नये निगम, पुल निगम, सड़क निगम और पुलिया निगम बनाने की बात की जा रही है। अभी मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं, उनको मेरा सुझाव है कि एक मंत्री विस्तार अधिकरण और विधायक तुष्टिकरण निगम और बना दीजिये। केवल निगम और आयोग बनाने से ही काम नहीं हो जाता। मेरे क्षेत्र के अन्दर 25 वर्षों से निरन्तर मांग की जाती रही है सड़कों के लिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं—

"पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ही मुखर है
बात इतनी है कि कोई पुल बना है"

इस बात पर चर्चा चल रही है। रचनात्मक चर्चा तभी सम्भव होगी जब इस विषय में कोई नीति निर्धारित की जायेगी। मेरे क्षेत्र के अन्दर सुसनेरा से पिड़ावा केवल 16 किलोमीटर की अन्तर्राज्यीय सड़क है, मध्य प्रदेश सरकार आठ किलोमीटर बनाने को तैयार है। मंत्री महोदय नहीं लिख रहे हैं, मैं समझता हूं यह बहुत इम्पोर्टेन्ट बात है। केवल आठ किलोमीटर के लिए पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब अनुग्रह कर दें तो मेरा क्षेत्र इन्दौर से जुड़ सकता है। पिड़ावा से भवानी मण्डी चले जायं तो जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था मुझे गर्भवती स्त्री की याद आ गई, वहां पहुंचते-पहुंचते डिलीवरी हो जायगी, इतने गड्ढे हैं। इस तरह की घटनाएं देखी हैं, हुई हैं और हो रही हैं।

श्री राम कृष्णदास गुप्ता : एक समिति बना दी जाय।

श्री ईश्वरचन्द्र : आपको उसका चेयरमेन बना दिया जाय।

1977 में प्रदेश में 38151 किलोमीटर सड़कें थीं और 1978 में 38551 किलोमीटर सड़कें हुईं, यानी चार सौ किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई। अगर इसी रफ्तार से चले तो पचास साल में भी राजस्थान में सड़कों का काम पूरा नहीं हो सकता। फिर किस तरह से आप विकास की बात करते हैं? पी. डब्ल्यू. डी. का काम केवल बंगलों को फर्निश करवाने का रह गया है, उसके बजाय सड़कें बनाने के काम को कम करे और गांवों की आत्मा को....

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

जोड़ने को कोशिश की जाय।

दो बातें और निवेदन करना चाहूंगा।

श्रम मंत्रीजी बिराजमान हैं। टोंक क्षेत्र के बीड़ी मजदूरों के बारे में कहना चाहता हूं। वहां पर 5 और 6 रुपये की रेट से मजदूरी दी जाती है। 6 रुपया स्पेशल बीड़ी का और 5 रुपया साधारण बीड़ी का, यह फर्क

(श्री ईश्वरचन्द्र)

किया है कारखानेदारों ने, यह गलत है। मिनिमम वेजेज भी मजदूरों को नहीं दी जा रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक सर्क्यूलर जारी किया जाय और मिनिमम रेट लागू की जाय व ऐसी व्यवस्था हो कि बीड़ी मजदूर को न्यूनतम वेतन हर सूरत में मिले।

बेरोजगारों को भत्ता देने के संबंध में मेरा निवेदन है कि पश्चिमी बंगाल में साम्यवादी सरकार है, पंजाब में जनता सरकार है, उन्होंने इस संबंध में कदम उठाया है। हमारे यहां वित्त मंत्रीजी वित्त संकोच की बात करते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वे इस संकोच को तोड़ दें और हिम्मत करके घोषणा कर दें कि कहीं से भी पैसा लायेंगे लेकिन बेरोजगारों को भत्ता दिया जायगा।

वन इण्डस्ट्री वन यूनियन की बात की गई लेकिन सीटू का भूत सवार हो गया इसलिए चुनाव नहीं कराये। इस संबंध में आर्डिनेन्स नहीं आ रहा है। मंत्री महोदय कहते हैं कि एम्प्लायर की मर्जी पर है वह चाहे तो करवा देंगे। मैं निवेदन कर दूं कि एम्प्लायर कभी नहीं चाहेगा, वह तो चाहेगा कि दस यूनियन हों और वह फायदा उठावे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए, अन्न मंत्रीजी, एम्प्लायर हमेशा मल्टीप्लीसिटी ऑफ यूनियन चाहेगा। सीटू आती है तो आने दीजिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बैठिये।

श्री ईश्वरचन्द्र : वन इण्डस्ट्री और वन यूनियन का सिद्धान्त आप मानते हैं तो इसको लागू करिये, जार्ज फर्नान्डिस और रविन्द्र वर्मा ने भी कहा है कि जनता सरकार इसको मानती है।

श्री सभापति : माननीय श्री विट्ठलप्रसादजी।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री टीकमचन्दजी कान्त।

श्री टीकमचन्द कान्त (जालौर) : सभापति महोदय, जमाने की रफ्तार में जालौर पीछे रह गया। विकास का सीधा संबंध सड़कों से है, ग्रामों का उत्थान, ग्रामों की प्रगति सड़कों से ही संभव है। जालौर के गांव और लोग पीछे रह गये सड़कों के मामले में। अब तो ऐसी हालत हो गई है, अकाल में बनी सड़कों को ठीक करने के लिए कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि एक दो अकाल और आ जावें तो यह ठीक हो जावे। सड़कें जो अकाल में बनी हैं ऐसी हो गई हैं कि उन पर लोग चल ही नहीं सकते, गाड़ियां नहीं चल सकती और बैल नहीं चल सकते, बैल चलते हैं तो उनके पांवों के अन्दर पत्थर घुस जाते हैं। उनको ठीक कराने की पी. डब्ल्यू. डी. की जिम्मेदारी नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं कि एक दो अकाल और आ जायं तो इनकी हालत भी सुधरे। या तो इनको कोई अभियान चलाकर ठीक करायें या उन्हें तुड़वाकर साफ करवा दें ताकि मिट्टी के कच्चे रास्तों पर चल तो सकें। लेटवना, बागड़ा, बाकरा रोड सड़क की ऐसी हालत है कि उस पर कोई गाड़ी नहीं चल सकती। वही हालत है भागली होती हुई जो सड़क डकातरा जाती है उसकी। श्री विज्ञान मोदी वहां आए थे एक बार। ग्रामीण बैंक वालों ने उन्हें बुलाया

(श्री टीकम चन्द कान्त)

था वहां उन्होंने भाषण दिया था। जैसे कि कई सदस्यों ने कहा यहां से यदि एक गर्भवती स्त्री निकली होती तो अब तक डिलीवरी हो चुकी होती। वास्तव में यही हालत है। बागरा से सांथू सड़क है उस पर अगर पानी बरस जाए तो दो-तीन महीने पानी नहीं सूख सकता क्योंकि वहां बहुत खड्डे पड़े हुए हैं जिनके अंदर पानी भरा रहता है। कई बार कहा गया लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया जब कि आज भी वहां से कोई वाहन नहीं गुजर सकता।

सभापति महोदय, मैंने पिछली बार भी कहा था और अब भी कह रहा हूं जो जिला केन्द्र जालौर है उसके दो-तीन जितने भी रास्ते हैं, उनके बीच में नदियां हैं, आकोली का काम शुरू हो गया, भीनमाल-भरूंडी का काम शुरू हो गया लेकिन जवाई नदी का काम शुरू नहीं हुआ। जब बरसात ज्यादा होती है तो जालौर मुख्यालय एक टापू बन जाता है, गांवों से सम्पर्क टूट जाता है। बरसात के समय जिले से सम्पर्क नहीं टूटे इसके लिए आवश्यक है कि जो जवाई नदी है उस पर भी यदि पुल बनाना हो, रपट बनानी हो तो बनायी जाए। मैंने प्रारंभ में कहा कि जालौर को हर तरह से पीछे रखा जाता है। मैंने एक आंकड़ा देखा है, सिरोही जिले में भी 5 वर्ष के लिए सड़कों के लिए तीन करोड़ रुपए दिए गए और जालौर जिले को भी तीन करोड़। यह आंकड़ा मेरे ध्यान में आया। कल श्री रघुनंदन व्यास ने कहा कि सिरोही का जिला, जो भीनमाल तहसील का आधा है, को भी ओसतन्, तीन करोड़। मैं नहीं कहता कि सिरोही को कम दें लेकिन जालौर में भीनमाल तो चौथी तहसील है, उस दृष्टि से जो पैसा अलाट हो उसमें भी भेदभाव रखा जाए यह उचित नहीं है।

अभी रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उसे सड़क द्वारा गुजरात से जोड़ो। जालौर जिले की समृद्धि का संबंध, किसान की समृद्धि का संबंध, जालौर जिले के बाजार का संबंध गुजरात से बहुत अधिक है। अगर एक बार सड़क द्वारा अच्छी तरह यह जिला जुड़ गया तो जालौर जिले की समृद्धि हम गुजरात से पैसा व धन लाकर करेंगे। इसलिए पूरे जालौर के हित में ध्यान रखा जाए। मात्र 7 कि.मी. सड़क का ही प्रश्न है।

सियाणा गांव से सिरोही जाते हुए रास्ते में एक रायपुरिया का नाला आता है। एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ने का संबंध है। उसके लिए पहले भी कहा गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि इसमें थोड़े ही खर्च की बात है। इसको ठीक करवाया जाए। सिरोही व जालौर का जो संबंध है, वहां रेलगाड़ियों की व्यवस्था ऐसी है कि लोग सिरोही से होकर बस द्वारा सियाणा जाते हैं इसलिए इस नाले को ठीक करवाया जाए।

मेरी विचारधारा श्रम व रोजगार के बारे में कुछ अलग है। ग्रामों की व्यवस्था टूटने के साथ ही धन्धों की व्यवस्था भी टूट गई उसके साथ में बेरोजगारी भी बढ़ गई कुछ हद तक सबको रोजगार नहीं दे सके। जो व्यक्ति अपना पैत्रिक धंधा करना चाहता है उसे विशेष अनुदान दिया जाए। अगर इस बारे में सरकार सोचे तो बहुत हद तक बेरोजगारी को कम किया जा सकता है।

श्री सभापति : श्री ओंकार लाल चौहान।

श्री ओंकार लाल चौहान (डग) : सभापति महोदय, दुनिया के विकासशील

(श्री ओंकार लाल चौहान)

देशों के एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर किसी भी देश या राज में सड़कों का जाल बिछा दिया जाए तो विकास की गति तेज होगी। उसके साथ-साथ उसके कई फायदे हैं। एक्सपर्ट ओपीनियन इस बात को जाहिर करती है कि सड़क के महत्व को दृष्टि में रखते हुए प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उसका एक बड़ा कारण यह है कि उद्योग चाहे छोटे हों, मध्यम हों या बड़े हों, वे पनपते हैं उसके साथ ही रोजगार पनपता है लेबर व एम्प्लायमेंट का जितना पोटेंशियल है, उसके साथ जुड़ता है इसलिए बेरोजगारी की समस्या किसी हद तक हल होती है और उससे देश को एक दिशा मिलती है। राजस्थान को सड़क की दृष्टि से चार हिस्सों में बांटना चाहिए : बोर्डर रोड्स, डेजर्ट रोड्स, रूरल रोड्स, अर्बन रोड्स। जहां तक बोर्डर रोड्स का सवाल है उसका केन्द्रीय सरकार से संबंध है। केन्द्रीय बजट में वह आती है। जब तक हम रूरल रोड्स डवलप नहीं करेंगे तब तक न तो ग्रामों का विकास होगा, न ग्रामीणों की समस्या का हल होगा। 30 साल में कमी रही इस बात के चिंतन की। हमने कह दिया कि सड़क की समस्या को सबसे कम दर्जे पर रखा, चिंतन नहीं किया। आप पी. डब्ल्यू. डी. की रिपोर्ट्स को देखें। राजस्थान में 30883 किलोमीटर रूट्स हैं। क्या पर्सेन्टेज है? राजस्थान का कैसे विकास करेंगे? जो डेजर्ट इलाका है, वेस्टर्न पोर्शन उसके साथ भेदभाव है। पूर्वी व पश्चिमी क्षेत्र दोनों में असमानता है। सड़क के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से आज असमानता बढ़ती जा रही है। इन 30 सालों में उदयपुर के साथ फेवर किया गया है। हाड़ौती के साथ अन्याय किया गया है, कोई भी सड़क अच्छी बता दो। आपने 5 हजार की आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ने का क्राइटेरिया रखा, कोटा डिवीजन में बहुत से गांव ऐसे हैं जो तहसील मुख्यालय से जुड़े हुए नहीं हैं। बरसात में कोई बीमार पड़ गया तो मर जाएगा, कोई धनी धोरी नहीं। यह कोई आलोचना की बात नहीं। समय गुजरता चला जा रहा है। अब समय परिवर्तन का आ रहा है। टेक्निशियन, इंजीनियर्स व प्लानर्स के साथ बैठकर मंत्री योजना बनायें और सड़कों के माध्यम से आर्थिक विकास करें। इस काम को टोप प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। इन 8 महीने में, जब से जनता पार्टी की सरकार आई है, विकास के काम शुरू हुए हैं इसमें दो राय नहीं। इसके लिए मैं मंत्री महोदय और जनता सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं यह निवेदन कर रहा था, माननीय सभापति जी, इस संबंध के अन्दर....

श्री ज्योपत सिंह मकासर : सड़क बनाना है।

श्री ओंकार लाल चौहान : मकासर से आने वाले माननीय सदस्य, सड़क बने या न बने, यह नीति का प्रश्न है। हम यहां बैठे हैं। हम 27 साल से राजनीति में बैठे हैं। आप तो अब आये हो। भड़काओ मत शोले। शोले भड़केंगे और फूटेंगे तो आप पर भी पड़ेंगे। माननीय सभापति जी, डिस्टर्बेन्स हो रहा है।

श्री सभापति : आप ध्यान मत दें, माननीय सदस्य।

श्री ओंकार लाल चौहान : मैं निवेदन कर रहा था कि नीति संबंधी जो प्रश्न है उसको तय करते नहीं हैं। 2-3 रोड्स के

(श्री ओंकार लाल चौहान)

बारे में कहता हूं खास तौर से। मकासर से आने वाले माननीय सदस्य को ताज्जुब होगा और रश्क भी होगा......

एक माननीय सदस्य : अश्क भी आयेंगे।

श्री ओंकार लाल चौहान : अश्क भी आ जायेंगे।

मैं निवेदन कर रहा था कि एक सड़क के लिए माननीय सदस्य कालाबादल जी ने कहा था अटरू से कुंजेड व अटरू से खानपुर, इस पर तुरन्त कार्य होना चाहिए। कुछ काम हुआ है। भवानी मंडी से डग—चौमहला, यह भी ठीक होनी चाहिए। मैंने काफी चिट्ठियां इस बारे में मंत्री महोदय को लिखी हैं। वहां पर काम चल रहा है।

मैं बुनियादी नीति की बात यहां पर कहूंगा, सड़क बनेगी या नहीं बनेगी अभी तो हम 4-5 साल बराबर चिल्लाते रहेंगे। और निवेदन करते रहेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर इस दृष्टि से सोचना पड़ेगा कि हमारा प्रदेश किस प्रकार से तरक्की कर सकता है। हमको यह सोचना पड़ेगा जब प्रायोरिटी फिक्स करने लगें तो ट्राइबल एरियाज को हम लें, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया को हम लें, क्योंकि वहां पर ज्यादा लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, गांवों में रहते हैं, इनकी तरफ देखकर प्रायोरिटी फिक्स करनी पड़ेगी। इनको मद्दे नजर रखें। मैं नहीं कहता कि मेरे इलाके में बनें, मैं नहीं कहता कि मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में आप कर दें। राजस्थान में जितने गांव हैं उनका सर्वे करा लें और जहां दयनीय स्थिति है सड़क की पहले उसको ठीक करें। कोई इम्पोर्टेन्ट मेम्बर कहे वहां बन जाय तो वह क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। क्राइटेरिया फिक्स करें, प्रायोरिटी फिक्स करें और उसके आधार पर चलें तो किसी को कहने की गुन्जाइश नहीं होगी।

एक पाइंट और है। मैं श्रम मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बेरोजगारी भत्ते के लिए कई माननीय सदस्यों ने कहा। जब दूसरी स्टेट्स दे सकती हैं तो हमको भी देना चाहिए। हमारे मंत्री केवार हैं वह उदार हैं और बहुत बड़े उदार हैं। वह यहां पर बेरोजगारी भत्ते की घोषणा करें।

एक इन्डस्ट्री में कोई सेठ पैसे लगाता है वह एक यूनिट लगाता है और यूनिट काम करता है और हजारों लेबरर्स और वर्कर्स काम करते हैं। व्यक्ति एक होता है जो कि यूनिट कायम करता है और वर्कर्स सैकड़ों तो जोइंट मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जब तक यह भावना डवलप नहीं होगी तो कोई इन्डस्ट्री कामयाब नहीं हो सकती है। यह होगा और आगे चलकर करना पड़ेगा और नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा।

हमारे यह क्वार्टर्स का अलाटमेंट होता है तो सैक्रेटेरियेट के मेम्बर्स उसमें बैठते हैं। मैंने पता लगाया और छानबीन की तो बड़ा दुःख हुआ कि यहां के सचिवालय, विधानसभा सचिवालय के जो लोग 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे हैं वह उस स्थिति में नहीं हैं कि अलॉटमेंट कमेटी में बैठ सकें। उन बेचारों को महरूम रहना पड़ता है अलॉटमेंट से। मैं चाहूंगा कि यह विषमता है इस को दूर किया जाय। उनको भी इसमें शामिल किया जाय और उनके साथ में न्याय किया जाय।

(श्री ओंकार लाल चौहान)

मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती सुमित्रा सिंह जी ।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री रावतराम आर्य ।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री श्योपत सिंह जी ।

श्री श्योपत सिंह मकासर (हनुमानगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की सड़क के लिए नहीं कहूंगा लेकिन मैं कहूंगा कि आप मेहरबानी करके बेरियर्स लगा दें उन सड़कों पर जिनसे दूसरी स्टेटों में जाते हैं । जब हम पंजाब में जाते हैं, हरियाणा में जाते हैं और वहां की सड़कों को देखते हैं तो हम शर्म महसूस करते हैं । जब पंजाब, हरियाणा और दूसरे प्रदेश के लोग राजस्थान में आते हैं तो हमें लानत देते हैं । यह दो बीमारियां हमारे को बहुत बड़ी लगी हैं । हम क्या करें ? वहां भी सरकार है और यहां भी सरकार है । यहां भी जनता पार्टी की सरकार है और वहां भी । पहले यहां भी कांग्रेस की सरकार थी और वहां पर भी कांग्रेस की सरकार थी लेकिन सड़कों की क्या हालत हमारे यहां है ? हमारे आफिसर्स ट्रेनिंग कहां से लेकर आये हैं ? पहले तो ट्रेनिंग को बन्द कर दें मेहरबानी करके । किसी भी सड़क पर आप जायें पंजाब में, हरियाणा में, जब वहां की सड़क पर चलें तो आपको अलग आनन्द अनुभव होगा । और जब हमारी तरफ आयेंगे तो उनके लिए बहुत कह दिया है और मेरे कहने के लिए कुछ छोड़ा नहीं है जनता पार्टी के सदस्यों ने और सरकार पर असर भी उनका ही होगा । हमारी सड़कें जितनी भी बनें चाहे वे 2 मील की बनें या 4 मील की बनें वह बहुत बढ़िया बननी चाहिए ।

दूसरी बात 5 हजार की आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ने की है । माननीय सदस्यों ने इसको ठीक नहीं कहा । क्या ढाणियों में होगी सड़क, अगर 5 हजार की आबादी का फार्मूला आप पसन्द नहीं करते हैं तो ? इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है । एक फार्मूला तय कर दिया गया है, एक आधार बना दिया गया है । आज 5 हजार तक की आबादी को शहर से जोड़ना चाहिए । आपने तय नहीं किया है कि शहर से जोड़ेंगे या किस से जोड़ेंगे । आपने एक ही बात तय की है कि 5 हजार की आबादी के गांव को सड़क से जोड़ देंगे । कहां से जोड़ देंगे । पंचायत समिति के हैडक्वार्टर से या तहसील हैडक्वार्टर से जोड़ेंगे या जिला हैडक्वार्टर से जोड़ेंगे ? कहां से जोड़ेंगे ? आप यह तय करें । यह फार्मूला ठीक है । 15 हजार तक की आबादी के गांवों को जब सड़क से जोड़ेंगे तो बीच में जो गांव पड़ते हैं वे भी उस सड़क से जोड़ दिये जावेंगे । दूसरी बात यह है कि 5 हजार की आबादी से छोटी ढाणियों में सड़क कैसे जायेगी, जहां एक-एक घर है, 10-10, 15-15 घर हैं ? ज्यादा से ज्यादा आदमियों के गांवों को कम से कम पैसे में हमें सड़क से जोड़ना चाहिए । यह हमारा आधार होना चाहिए ।

दूसरा मैं यह कहूंगा कि पी. डब्ल्यू. डी. का सबसे ज्यादा खर्च करने वाला महकमा है । जितने भी विभाग हैं उनमें सबसे ज्यादा पैसा यदि किसी में खर्च

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

होना है तो पी. डब्ल्यू. डी. के मार्फत होता है। तो मेहरबानी करके ठेकेदारी सिस्टम को बन्द करें और मिलिटरी में जिस तरह वर्क ब्रिगेड्स बने हुए हैं जो कि डिफेन्स की रोड्स बनाते हैं उसी तरह से हम क्यों नहीं करते हैं? मुझे बड़ा आनन्द आता है जब मैं उनको काम करते हुए देखता हूं। उनका पैटर्न क्या है? आप उनके पैटर्न को लीजिये और उसी पैटर्न के आधार पर काम कराइये। इस ठेकेदारी सिस्टम को खतम कर दें तो करोड़ों रुपया आपका बच जायेगा। मिलिटरी के पैटर्न से काम क्यों नहीं हो सकता है? मिलिटरी की बनी हुई जो सड़के हैं वे 20-20 साल तक नहीं टूटती हैं। उसी तरह से आप ब्रिग्रेड बनायेंगे तो लोगों को एम्प्लायमेंट मिलेगा, काम की गारन्टी मिलेगी और आपकी अन-एम्प्लायमेंट की प्राब्लम हल हो जायेगी। आप ज्यादा इन्जीनियर्स को खपा सकेंगे और जो अनपढ़ लेबर है गांवों का उनको एम्प्लायमेंट दे सकेंगे। मिलिटरी के अन्दर डिफेन्स रोड्स के लिए ब्रिगेड बने हुए हैं तो राजस्थान में भी ब्रिगेड बनाकर उस सिस्टम को शुरू किया जाय तो अच्छा रहेगा।

दूसरी बात, माननीय सभापतिजी, आपकी मार्फत मैं श्रम मंत्रीजी का ध्यान खींचना चाहूंगा, हमें उम्मीद है, हमें भरोसा है कि राजस्थान में भी हमारे श्रम मंत्री महोदय आज इस तरह की घोषणा कर देंगे या एलान कर देंगे कि राजस्थान में भी बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। यह जो नाम कमाया है बंगाल ने, पंजाब ने मेरे ख्याल में हमारे पंडितजी भी उससे पीछे नहीं रहेंगे चाहे उनको सरकार से लड़ना पड़े। उनका ज्यादा संबंध नौजवानों से है। हम उम्मीद रखते हैं कि नौजवानों के लिए हमें आज राजस्थान में भी सुनने को मिलेगा कि राजस्थान में भी बेरोजगारी भत्ता पढ़े-लिखे नौजवानों को देने का तय कर दिया गया है। यह करना पड़ेगा आपको, क्योंकि परिस्थित ऐसी है, हालत ऐसे हैं। बंगाल ने किया तो आप रह नहीं सकते। यहां पर केवल बातों से ही काम नहीं चलेगा। आपने बहुत बड़ी-बड़ी हुकूमतें बना लीं इससे काम नहीं चलेगा। अब तो कम्पीटीशन से चलना पड़ेगा। आप पिछड़ जायेंगे तो लोग सजा देंगे। आप अपने नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दें।

इसके साथ-साथ ही मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को यह भी कहना चाहूंगा कि आपने श्रमिकों की कॉलोनीज के बारे में क्या किया है? आपने कितनी श्रमिकों की कॉलोनीज बनायी हैं? कितने श्रमिकों को आपने रिहायशी मकान दिलाये हैं? क्या व्यवस्था की है? उनके लिये आप जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज जिन लोगों की आयु ज्यादा हो गयी है उन ओवरएज लोगों का ख्याल रखें। अब उनकी उम्र एक्सपायर हो रही है आप जब उनको अभी तक नौकरी नहीं दे पाये हैं तो आप उनकी एज-लिमिट की सीमा बढ़ाइये। 28 की जगह आप उसे 30 करिये। यह व्यवस्था आपकी नहीं होनी चाहिये कि किसी को डेट निकल गयी तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी। वह गलत बात है। नौकरी की एज एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। आप इसको बढ़ाओ। जैसा बंगाल ने किया

182

(श्री श्योपतसिंह मकासर)
है, आपको भी करना चाहिए आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। बंगाल ने किया है कि परिवार में अगर किसी को नौकरी नहीं मिली है तो उसको प्रायोरिटी दी जाय। शहरी क्षेत्र में ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपको नौकरी देनी पड़ेगी। दूसरे ओवर-एज की बात हटाइये। बंगाल की तरह जिस परिवार में किसी को नौकरी नहीं मिली है उस घर के नौजवान को आप प्रायोरिटी दो।

श्री किशनसिंह भाटी : बंगाल में भुखमरी कम है यहां से।

श्री सभापति : आप जल्दी समाप्त करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं एक ही मिनट में समाप्त करता हूं।

बस अन्त में यही निवेदन करता हूं, मन्त्री महोदय, हमारे गंगानगर की सड़कों में बड़े-बड़े खड्डे पड़ गये हैं उन्हें तो आप ठीक करा दें।

श्री किशनसिंह भाटी : वह तो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी के हथोड़ों से गड्ढे पड़े हैं।

श्री सभापति : श्री श्रवणलाल।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : सभापति महोदय पी. डब्ल्यू. डी. की डिमान्ड पर मेरे भी कटौती के प्रस्ताव हैं। सभापति महोदय, जिला सवाई माधोपुर के अन्दर केला देवी का एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। वहां पर हर साल हजारों यात्री उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से आते हैं। केला देवी का मेला, सभापति महोदय, एक माह तक चलता है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण विभाग के मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि करौली से केला देवी और मन्डावर से करौली की जो सड़कें हैं उनकी हालत बहुत खराब है। इसका कारण यह है कि वह सड़कें स्टेट के जमाने से चली आ रही हैं। वह सड़क जगह-जगह खराब हो गयी है। बहुत कम चौड़ी होने के कारण जब केला देवी का मेला होता है तब वहां पर रोजाना दो-चार एक्सीडेन्ट्स तो हो ही जाते हैं। रोजाना कई आदमियों की जानों के जाने का खतरा रहता है। सभापति महोदय, इतना बड़ा मेला लगता है वहां पर कि लाखों की तादाद में लोग आते हैं। यात्री लोग इन खराब सड़कों से बहुत ही परेशान होते हैं। सभापति महोदय, यह सड़कें स्टेट के समय से चली आ रही हैं। सड़क खराब होने से यात्रियों को बहुत भारी दिक्कत हो रही है। इतनी कम चौड़ी सड़क है कि जिनसे एक गाड़ी आ सकती है। दूसरी गाड़ी निकल नहीं सकती है, इतनी कम चौड़ी सड़क है। इस कारण आये दिन एक्सीडेन्ट होते हैं। बेचारे मोटर वाले इधर-उधर एक इन्च भी नहीं हो सकते हैं। इस कारण वहां पर एक्सीडेन्ट्स होते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान केला देवी के पवित्र स्थान की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इन सड़कों की ओर ध्यान दिया जाय और सड़क को दुगुनी चौड़ा की जाय ताकि एक्सीडेन्ट्स नहीं हों, जो आये दिन दुर्घटनायें होती हैं वह बन्द हो जाय, और लोगों की जाने जो जाती हैं वह जानी बन्द हो जायें।

सभापति महोदय, वहां पर पत्थर की खानें होने के कारण रोजाना उस सड़क पर ट्रकें चलती हैं। यही कारण है कि रोड्स जगह-जगह से टूटी हुई हैं। राज्य सरकार उन्हें ठीक नहीं करा रही है। स्थिति ऐसी है कि ट्रकें तो रास्ता सड़क का छोड़ती नहीं हैं इस कारण दूसरे जो वाहन होते हैं वह दुर्घटना-

(श्री श्रवणलाल)
ग्रस्त हो जाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पवित्र स्थान की सड़क दूनी चौड़ी की जाय।

सभापति महोदय, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि बहुत पुरानी सड़कें हैं, वह प्रथम पंचवर्षीय योजना में बनी हुई हैं। हिन्डौन से धमानधमारा रोड है वह ग्राज तक पूरी नहीं हो पायी है। वह पूरी करायी जाय तथा उसके साथ-साथ जो भी प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ग्रन्तर्गत सड़कें बननी शुरू हुई थीं जो कि ग्राज तक पूरी नहीं हो पायी हैं उनको पूरी कराया जाय। मैं, सभापति महोदय, यह सुझाव भी देना चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा जो भी सड़कें ग्रब बनायी जावें चाहे कितनी छोटी क्यों न बनायें वह सड़कें पक्की कंकरीट डाल कर बनायें ग्रौर उनके ऊपर डामर ग्रवश्य करावें ताकि सड़कें जो भी बनें वह मजबूत बनें ग्रौर टिकाऊ रहें। सभापति महोदय, जिन सड़कों पर डामर नहीं होता है उन सड़कों पर कच्ची रोड़ी ग्रौर मिट्टी डाल देते हैं। वह बरसात में खराब हो जाती है ग्रौर वह सब सामान बेकार हो जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो भी सड़कें ग्राप बनावें उस पर डामर जरूर करायें। नहीं तो सड़कों पर गड्ढे पड़ जाते हैं।

श्री सभापति : ग्राप बिराजिये।

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय, एक करौली से मन्डावर रोड पर दो-तीन पुलियायें ग्रगर ग्राप बनवा दें तो जनता को काफी राहत मिलेगी। बरसात के मौसम में वहां पर पानी ग्रा जाता है ग्रौर ट्रैफिक बन्द हो जाता है। बान्धवा का नाला है, उसके ग्रागे दो-तीन छोटी पुलियायें हैं वह बहुत ही कम लागत पर बन सकती हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि उन पुलियाग्रों को जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाय।

श्री सभापति : श्री नरपतराम !

श्रवणलाल जी, ग्राप बिराजें। प्लीज।

श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर) : सभापति महोदय सार्वजनिक निर्माण विभाग ग्रौर श्रम विभाग की मांगों पर ग्राज सदन में बहस चल रही है। मैंने भी ग्रपने क्षेत्र सूरसागर में सड़कें व पुल निर्माण में सरकार के द्वारा उपेक्षा करने के बारे में ग्रपने कटौती प्रस्ताव दिये हैं। सभापति महोदय। हमारे क्षेत्र सूरसागर में पत्थर की खानें हैं। वहां पर सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। गत वर्ष की वर्षा व नदी नालों से सारी सड़कें टूट गई हैं। हालांकि खनिज विभाग ने डेढ़ लाख रुपये मन्जूर भी किये लेकिन ग्राज तक उस क्षेत्र की सड़कों की कोई रिपेयर नहीं हुई है। वहां पर रोजाना पत्थर की ट्रकें खानों से भरी हुई ग्राती हैं जिससे सड़क बिना मरम्मत होते हुए ज्यादा टूटती जाती हैं। इससे वहां जो ट्रेकटर जाते हैं उनके टायर खराब हो जाते हैं ग्रौर ट्रकों के इंजन खराब होते हैं। इसके लिये वहां खान के मालिकों ने रिप्रेजेन्टेशन भी सरकार को दिया था पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरा ग्रापके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण के मन्त्री महोदय से यह निवेदन है। कि वह इस ग्रोर जल्दी से जल्दी ध्यान देकर उचित व्यवस्था करावें।

इस के ग्रलावा मेरे क्षेत्र की ग्रोर मैं मन्त्री महोदय का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहूंगा। चोपड़ से बोमी मोटर्स से होती हुई कालीबेरी तक सड़क जाती है वह सड़क चौड़ी की जाय ताकि दो ट्रक ग्रा जा सकें ग्रौर कोई दुर्घटना नहीं हो। मेरी मांग है

(184)

(श्री नरपतराम)

कि उस सड़क की चौड़ाई को डबल कर दिया जाय ।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं नानगा से उचरड़ा तक की सड़क के बारे में । वहां पर बीघ नदी आती है और छोटे-छोटे बान्ध भी हैं । उसमें बरसात के दिनों में काफी पानी भर जाता है । पुल नहीं होने के कारण लोगों का आवागमन बन्द हो जाता है । वहां पर लोग गांवों से दूध साइकिलों पर लेकर आते है लेकिन कई बार नदी में बरसात से पानी अधिक होने के कारण लोग बह जाते हैं । पहले भी इसमें दो व्यक्ति बह गये थे । कई बार इसमें मवेशी बह जाते हैं और दुर्घटनायें होती हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस ओर ध्यान दिया जाय । जहां नदी है उचरड़ा के पास, वहां पर पुलियाओं का निर्माण कर दिया जाय ताकि दूध वाले जो दूध बेचने आते हैं वह बेचारे दुर्घटनाग्रस्त नहीं हों। यह नहीं किया गया तो जिन लोगों को मजबूरी से शहर में उधर से दूध बेचने आना पड़ता है उनके दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा है ।

जो चौखां से जोधपुर की सड़क है वह माइनिंग एरिया में आई हुई है । उसकी हालत बहुत खराब है । वहां से जीप भी मुश्किल से निकलती है । वहां करीब दो-दो और तीन-तीन फीट के गड्ढे हैं । उस पर पहले कन्क्रीट हो रखी थी वह भी सारी निकल गयी है । उस पर डामर नहीं किया गया है । इसलिए इस माईनिंग एरिया का जो पूरा क्षेत्र है उसकी हालत बहुत खराब है जब कि वहां से आय बहुत ज्यादा होती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो बाहर से आने वाले लोग हैं वह भी इसी रोड से गुजरते हैं । रोड की हालत यह है कि सड़क के दोनों तरफ 150 और 200 फीट के गड्ढे हैं । बाउन्ड्री डेढ फीट और 2 फीट की है जब कि वह 5 फीट की होनी चाहिए । कई बार वहां दुर्घटनायें हो जाती हैं । व्हीकल्स गिरते हैं तो 150 और 200 फीट दूर नीचे खड्डों में जाकर गिरते हैं । बैलगाड़ियां और ऊंट वाले भी नीचे चले जाते हैं । इसलिए कम से कम बाउन्ड्री वाल 5 फीट ऊंची होनी चाहिए और 3 फीट चौड़ी होनी चाहिए । जो चौखां के पास खानें हैं वहां भी पांच फीट ऊंची दीवार होनी चाहिए ताकि दुर्घटनायें नहीं हो सकें ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : श्रीमती मदन कौर !

(अनुपस्थित)

श्री नवरंगसिंह !

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले अपने कटौती प्रस्ताव के जरिये माननीय मंत्री-जी का ध्यान खेतड़ी में मजदूरों की हड़ताल के संबंध में आकर्षित करना चाहूंगा । आज खेतड़ी पर निर्भर मजदूर 20 दिनों से हड़ताल पर हैं और लाख कोशिश करने के बावजूद भी श्रम विभाग हठधर्मी किये हुए है और मजदूरों की वाजिब मांग मानने के लिए भी तैयार नहीं है । स्वयं श्रम मंत्री-जी सारी स्थिति को अच्छी तरह से जानते हैं । मैं आपकी मार्फत उनसे निवेदन करूंगा कि इस संबंध में विस्तृत अपना स्पष्टीकरण दें तथा साथ ही केन्द्र सरकार से

(श्री नवरंगसिंह)

वह निवेदन करें कि मजदूरों को जो वाजिब मांगें हैं उनको मनवाया जाये ताकि मजदूर काम पर आ सकें। मजदूरों की मांगें अहम मांगें हैं। मजदूरों के रहने के लिए मकानों का प्रबंध नहीं है। एक तरफ तो वहां के मैनेजर और ऑफिसर्स बड़े-बड़े मकानों में रहते हैं और दूसरी तरफ मजदूरों के रहने के लिए मकान नहीं हैं और न उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है। ऑफिसर्स और दूसरे लोगों को कई तरह के अलाउन्सेज मिलते हैं लेकिन मजदूरों को अलाउन्सेज नहीं मिलते।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं दूसरे कटौती प्रस्ताव के जरिये माननीय नियोजन मंत्रीजी का ध्यान शिक्षित बेरोजगारों की ओर खींचना चाहूंगा। उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि बंगाल, पंजाब और केरल में नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देकर जो जनता पार्टी ने घोषणा की थी अपने घोषणा-पत्र में उसके अनुसार उन्होंने वहां भत्ता दे दिया है। क्योंकि श्रम मंत्रीजी स्वयं समाजवादी हैं और नौजवान उन पर भरोसा करके चलते हैं इसलिए उनसे यह उम्मीद करता हूं कि वह जनता पार्टी की घोषणाओं के अनुसार यहां राजस्थान के बेरोजगारों को भी भत्ता देने की आज घोषणा करेंगे। इसके लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान में इस समय कुल 2,83,630 लोग हैं जिनका नाम बेरोजगार कार्यालय में दर्ज है। बंगाल, पंजाब और केरल की तरह से आप भी 5 साल वाले व्यक्ति को यह भत्ता दें तो यह संख्या केवल 2500 है। मैं समझता हूं कि संख्या कोई ज्यादा नहीं है। बंगाल ने 500 रुपये तक की आय वाले को भत्ता दिया है। यहां राजस्थान में गरीबी को देखते हुए इसको कम किया जा सकता है। 250 या 300 रुपये मासिक पाने वाले को ही भत्ता दिया जाये। उनकी संख्या केवल 1750 है। उनमें से 50 हरिजन छात्र हैं जिनको फिलहाल भत्ता मिल रहा है। इस तरह से मैं माननीय मंत्री महोदय, इन आंकड़ों को प्रस्तुत करके बताना चाहूंगा कि इस तरह से 50 रुपये प्रति माह भत्ता देंगे तो केवल राज्य सरकार के बजट पर 9 लाख रुपये का असर पड़ेगा। उनके प्रशासनिक खर्च में ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपया और खर्चा हो सकता है। इसलिये केवल 10 लाख रुपये में हम एक अच्छी योजना इस राजस्थान को दे सकते हैं और एक नमूना पेश कर सकते हैं। साथ ही हमने जो वायदा किया था चुनावों में उस वायदे की भी पूर्ति कर सकते हैं।

इसी तरह से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो नियोजन कार्यालय हैं यह पंचायत समिति स्तर तक भी जायें। पंचायत समिति स्तर तक जायेंगे तो सही आदमी मिलेंगे और सही रोजगार मिलेगा। बहुत से टैक्निकल आदमी हैं जो कि जिला हैडक्वार्टर्स पर नहीं मिलते हैं वह पंचायत हैडक्वार्टर्स पर मिल जायेंगे और दूसरी जगह से भी आदमियों को बुलाना नहीं पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी तरह मेरा निवेदन यह है कि जो ओवरएज हो जाते हैं उनके लिए भी यह प्रासीजर होना चाहिए कि जब उनका नाम एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में दर्ज हो जाता है तो उसके बाद में चाहे उनकी कितनी भी उम्र हो जब नौकरी का चान्स आये तो उनको नौकरी

(श्री नवरंगसिंह)

मिलनी चाहिए।

इसी तरह से एक निवेदन और करना चाहूंगा और मैं ब्यूरोक्रेसी का उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के डाइरेक्टर को रिटायर कर दिया गया लेकिन आज भी सरकारी खर्चे से उनके घर पर टेलीफोन लगा हुआ है और वह इसलिए लगा हुआ है कि मिस्टर भण्डारी जो कोटा के कलेक्टर हैं वह उनके पिता हैं। इसलिए उनके टेलीफोन लगा हुआ है। तो मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर खींचना चाहूंगा कि इस तरह की ब्यूरोक्रेसी है उसको भी समाप्त किया जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इन्हीं शब्दों के साथ और इस आशा के साथ कि मंत्री महोदय समाजवादी हैं वह नौजवानों के लिए निश्चित रूप से भत्ते की घोषणा करेंगे मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

जय भारत।

श्री सभापति : श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी!

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली) : सभापति महोदय, मैं कटौती प्रस्तावों के माध्यम से मावली क्षेत्र की जो सड़कें हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मावली क्षेत्र उदयपुर जिले में एक उपेक्षित क्षेत्र रहा है और राजनैतिक दलदल में हमेशा से रहा और आज भी वही उसी स्थिति में है। वहां एक अच्छी मण्डी है किन्तु सड़कों के अभाव में वहां मण्डी का विकास रुका हुआ है। मण्डी को बढ़ाने के लिए सड़कों का निर्माण होना जरूरी है मैंने निर्माण मंत्रीजी को इस बारे में निवेदन किया था और एक फाइल अवलोकन के लिए दी थी किन्तु मंत्री महोदय ने यह कह कर टाल दिया कि यह तो अकाल में बनी हुई सड़क है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल तो नहीं लेकिन अभाव जरूर है। अतः इसे ध्यान में रख कर सड़कों को पूरा करवायें।

मैं पॉलिसी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जनता पार्टी का राज आया है इसलिये पालिसी के ऊपर अधिक जोर देना चाहता हूं। पालिसी क्या है इस बारे में नहीं जानते। पालिसी साफ है कि बजट आया है, किस-किस क्षेत्र में कितना-कितना खर्चा होगा, किस मद में खर्चा किया जायगा, उसमें यह साफ बता दिया जाय तो अधिकतर विधायकों के सामने साफ हो जायगा। सड़कों के बारे में, पुलियाओं के बारे में, गांवों के बारे में, दवाओं के बारे में, सब तरह के आइटम बजट में साफ हों तो मैं समझता हूं बहुत से विधायक बोलते हैं, वे बैठ जायेंगे। मुझे बहुत लम्बा अर्सा हुआ, पालिसी के बारे में चर्चा किये। कुछ लोहिया के बड़े भक्त आये हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं मैंने लोहिया को बहुत नजदीक से देखा है। वे हमेशा गरीबों के लिये संघर्ष करते थे। हम गरीबों की बात कहते हैं। लेकिन जहां जब करने की कुछ बात आती है तो शान्त हो जाते हैं। वह कहते थे, भूमि सेना से बेकारी दूर हो सकती है, देश बन सकता है। हम मंत्री बन गये। लोहिया की बात करते हैं तो भूमि सेना के बारे में बैठकर विचार करें। सभापति महोदय, मैं पॉलिसी के बारे में मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं और आगाह करना चाहता हूं, आप पॉलिसी के ऊपर विचार कीजिये और जो बजट के अन्दर मद हैं उनका बंटवारा कीजिये। हर क्षेत्र में खर्चा करें तो मैं समझता हूं, हर क्षेत्र का विकास होगा। अगर मंत्रियों ने अपनी इच्छा के साथ खर्चा किया....

(श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो यह ठीक नहीं होगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय सदस्य, सड़क चाहिये, पॉलिसी नहीं चाहिये।

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी: सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। अगर मैं उसमें पड़ता हूं तो बड़ा समय जायेगा। इसलिये मंत्री महोदय देख लें। कितना पैसा है, यह देख लें तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरे क्षेत्र की सूची में सदन की मेज पर रखता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वहां बंगाल में हमारे सामने....

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी : लोहिया की भूमि सेना के बारे में आपको डर है, मुझे डर नहीं है। मैं जोर दूंगा अपनी सरकार पर, अगर बेरोजगारी मिटानी है तो युवकों को काम देना होगा। भूमि सेना बना दीजिये, यह सब आन्दोलन दूर हो जायेंगे। इसलिये आगाह करना चाहता हूं, लोहिया से मत धबराइये। उसकी पॉलिसी को पढ़ें। हम देश को बढ़ाना चाहते हैं......

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें, कृपया बैठ जायें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा।

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी : मुझे कोई शिकवा नहीं है। आपकी आज्ञा का सम्मान करके मैं बैठ जाता हूं।

श्री सभापति : श्री बत्तीलालजी।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) : सभापति महोदय, एक माननीय सदस्य का ऑथोरिटि लेटर है मेरे पास। उनका कटौती प्रस्ताव नं. 216 है उस पर मैं अपनी ओर से विचार प्रकट करूंगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान राजस्थान में सबसे गरीब क्षेत्र की ओर दिलाना चाहूंगा जिस क्षेत्र की 6 किलोमीटर की दूरी पर, 6 पंचायतों पर 25 हजार जनसंख्या है। माननीय सभापति महोदय, टोडाभीम से पदमपुर की दूरी 6 किलोमीटर है। वहां अनुसूचित जाति और जनजाति के करीब 20 हजार किसान निवास करते हैं। पदमपुरा टोडाभीम से 6 किलोमीटर है। छः पंचायत समिति ऐसी नहीं हैं जिनकी दूरी कम से कम दस गज तो हो सकती है लेकिन ज्यादा से ज्यादा दूरी, मान्यवर, 200 गज नहीं हो सकती। मान्यवर, यह पंचायतें हैं - मान्नोज, माचड़ी, शहनागर, खोटा आदि। मान्यवर, कस्बा पदमपुरा की आबादी 5 हजार से अधिक है। सरकारी नीति के हिसाब से वह सड़क से जुड़ जाना चाहिये था लेकिन राजनैतिक कारणों से वह कस्बा अभी तक सड़क द्वारा नहीं जोड़ा गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं अगर सरकार इन 25 हजार किसानों का हित चाहती है, इनका कल्याण चाहती है तो यह 6 किलोमीटर की सड़क बना दी जाये। इस कस्बे का बहुत बड़ा एरिया है। किसानों का क्षेत्र नेशनल रोड नं. 11 से जुड़ा हुआ है। इन किसानों का भविष्य इस सड़क से जुड़ा हुआ है। सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, मेरे एरिया में 6 किलोमीटर लम्बी सड़क अवश्य बना दें। इस बजट में इसको स्वीकृत नहीं किया गया तो मैं यह मानूंगा कि यह बजट न तो पूंजीपतियों का बजट है, न किसानों

(श्री बत्तीलाल)
का बजट है बल्कि मंत्री उन्मुख बजट है। यह बजट का पैसा अपने क्षेत्र में ले जायेंगे, अकाल राहत के नाम से ले जायेंगे, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम भी जनता से कह सकें, हम भी जनता सरकार के प्रतिनिधि हैं, हमने भी जनता से वायदे किये हैं ....

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमारा क्या होगा ?

श्री बत्तीलाल : हम सरकार से निवेदन करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि अनुसूचित जाति के किसानों के हित के लिये 6 किलोमीटर लम्बी सड़क अवश्य बनायें। रिजर्व कान्स्टीट्यूएन्सी है। आज सरकार ने सड़क बनाने के लिये जो आधार निर्धारित किया है, सभी दृष्टि से यह एरिया उसे पूरा करता है। इसलिये निवेदन करना चाहूंगा यह 6 किलोमीटर की सड़क अवश्य बनायें।

जो पुरानी सड़क है, बामनवास-गंटोर रोड, सन् 52 से उस पर काम चल रहा है। मान्यवर, पोलो से निवाई रोड को किसानों के हित की दृष्टि से पूरा किया जाना चाहिये। पोलो से पीपलवादा–यह बहुत पुरानी रोड है। यह अभी अधूरी पड़ी हुई है। एक मैम्बर का आंथोरिटी लैटर मिला है, उनकी ओर से निवेदन कर रहा हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

टोडाभीम क्षेत्र में एक भी किलोमीटर डामर सड़क नहीं बनायी कांग्रेस सरकार ने। जो 4 किलोमीटर है वह राजा-महाराजाओं के टाइम की है। इस क्षेत्र की ओर, मुझे आशा है, जनता सरकार अवश्य ध्यान देगी।

एक पुलिया का जहां तक सवाल है उसे व्यक्तिगत रूप से अगर बनायें तो 10 हजार की लागत नहीं आये। एक नाला है। हमारे जिला हैडक्वार्टर तक पहुंचने के लिये 120 मील का चक्कर काटना पड़ता है। यह नाला मोचीयान पर पड़ता है। इस नाले पर पुलिया बनाने का प्रावधान जनता सरकार के मंत्रीगण और अधिकारीगण इसी बजट में अवश्य करें। मुझे आशा है मेरी इस मांग पर सरकार अवश्य ध्यान देगी...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरे क्षेत्र में अनेक...

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें। 8 मिनट हो गये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह सड़क क्या बनायेंगे, टाइम ही नहीं दे रहे हैं।

श्री बत्तीलाल : धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : सभापति महोदय, मेरा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है और काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यह दूसरे राज्य की सीमा को जोड़ने वाला है। हमेशा इस क्षेत्र की उपेक्षा रही है। मैं मेरे क्षेत्र के विकास के लिये निम्न सड़कों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। इटावा से पीपलदा एवं गैंता इन दोनों ही सड़कों की स्थिति खराब है, सड़कों पर खड्डे पड़े हुये हैं। वर्षा में इन सड़कों पर बसेज नहीं चलती है और सारा आवागमन रुका रहता है। दूसरी अयाना से खातोली वाया पीपल्दा कलां सड़क है। इस सड़क का निर्माण अकाल राहत में हुआ था। इस सड़क में

(श्री हीरालाल आर्य)

15-20 कट्स लगे हुये हैं जिसकी वजह से आवागमन नहीं हो पाता है। मैं चाहूंगा क्षेत्र के विकास के लिये इस सड़क का निर्माण हो। यदि यह सड़क डामर की नहीं बनाई जा सके तो कट्स को ठीक किया जाय ताकि आवागमन हो सके। दूसरे मांगरोल से बालून्दा यह सड़क मध्य प्रदेश से जोड़ती है। इस क्षेत्र के विकास के लिये जरूरी है कि इसका शीघ्र निर्माण कराया जाय। एक इन्द्रगढ़ से इटावा-इस मार्ग को स्टेट रोड घोषित किया है। स्टेट रोड घोषित तो कर दिया लेकिन इस सड़क का निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। इस सड़क का निर्माण करावें। यह मेरी नायब-तहसील को मुख्य तहसील से जोड़ने के लिये आवश्यक है। उधर से सीमेन्ट, चूना व अनाज आदि एक दूसरे क्षेत्र में आ जा सकें, इसके लिये सड़क का निर्माण आवश्यक है। मेरे क्षेत्र में एक नदी पड़ती है इसलिये नायब-तहसील में जाने के लिये करीब 200 किलोमीटर चक्कर लगाकर आना पड़ता है। मेरे क्षेत्र में लोग आसानी से जा सकें इसलिये इसका निर्माण होना अत्यन्त आवश्यक है। मेरे क्षेत्र में कुछ लिन्क रोड्स की भी आवश्यकता है इटावा से पूसोद, वाड़ोली, इटावा से नोनेरा, मांगरोल से सीसवाली आदि का निर्माण होना भी अत्यन्त आवश्यक है। मांगरोल-सीसवाली सड़क यह पुराने जमाने से ही महत्व की सड़क रही है लेकिन इस क्षेत्र की उपेक्षा रही है। सरकार पूर्ण उपेक्षा की दृष्टि से इसको देखती है। इसका निर्माण अति आवश्यक है।

सभापति जी, मैं आपके मार्फत मेरे क्षेत्र में सुल्तानपुर-खातोली का सी.ए.डी. के तहत निर्माण हो रहा है, इटावा से सूकनी तक का 2-3 मील का टुकड़ा है। यह पहले छोड़ दिया गया था। यह सड़क इतनी खराब है कि बसेज व ट्रक यहां फंस जाते हैं और सारा आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। इस खराबी को शीघ्र पूरा करना चाहिये जिससे इस पूरी रोड का उपयोग हो सके। मैं निवेदन करूंगा कि इस 2-3 मील सड़क का निर्माण कर दिया जाय तो पूरी सड़क का उपयोग हो सकता है।

मेरे क्षेत्र में तीन नदियां है काली सिंध, चम्बल और पार्वती। अतः इन स्थानों पर पुलियाओं का निर्माण होना चाहिये। पार्वती, काली सिंध की नदी पर पुलिया बन जाय तो सड़क मध्य प्रदेश को जोड़ेगी। इन स्थानों पर पुलियाओं का होना आवश्यक है। बरसात में मेरा क्षेत्र टापू बन जाता है और सारे आवागमन के रास्ते अवरुद्ध हो जाते है, इसलिये यह अत्यन्त आवश्यक है।

मेरा नेक्स्ट कटौती प्रस्ताव बेरोजगारी पर है। हमारे प्रदेश में बेरोजगारी बराबर बढ़ती जा रही है। अशिक्षित बेरोजगार तो है ही लेकिन शिक्षित बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ती जा रही है जिससे अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। मैं चाहूंगा, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिया जाय। मेरे क्षेत्र में 2-3 बैंक हैं जब ये बेरोजगार उनसे ऋण लेने जाते हैं तो वे इनको लोन देने से इन्कार करते हैं। सरकार उनसे कहे कि बेरोजगारों को लोन दिया जाय।

अब मैं श्रम मंत्री जी का ध्यान श्रमिकों की बस्ती की ओर दिलाना चाहता हूं। श्रमिकों की बस्ती में शिक्षा, प्रकाश, जल और चिकित्सा तथा मनोरंजन का अभाव है। इनकी व्यवस्था की जाय, ज्ञान-वृद्धि हेतु श्रम कल्याण केन्द्र खोले जायं। मैं यह चाहूंगा कि श्रमिकों की ज्ञान-वृद्धि के लिये प्रत्येक पंचायत समिति केन्द्र पर श्रम कल्याण केन्द्र खोले

(श्री हीरालाल आर्य)
जाने चाहिये . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : प्लीज बैठिये ।

(व्यवधान)

कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये ।

श्री काशी नाथ ।

श्री काशी नाथ गुप्त (कुम्हेर): सभापति महोदय, आज मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान ऐसे क्षेत्र की ओर दिला रहा हूं जो 30 साल से उपेक्षित है । 30 साल में इस क्षेत्र में केवल 3-4 मील सड़कें बनी हैं और 15 साल में एक भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है । यह क्षेत्र प्रकृति प्रकोप भाजन के साथ-साथ निर्माण विभाग का भी प्रकोप भाजन है । तीन-चौथाई गांव हर साल बाढ़ से घिर जाते हैं, चारों ओर बाढ़ आ जाती है । अभी आपने देखा चोरी, डकैतियां आदि भी इस क्षेत्र में सबसे अधिक होती हैं । आपने देखा होगा, कई चोरियां, डकैतियां, हत्याएं इस साल में हुई हैं । चोरियां करके चोर इधर-उधर निकल जाते हैं और पुलिस 6-6 घंटे बाद में पहुंचती है । आवागमन के साधन न होने से उन्हें पकड़ नहीं सकती । इस क्षेत्र में ऐसे-ऐसे गांव हैं जिनकी आबादी पांच हजार है, जो आज सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं मैं चाहूंगा पांच हजार की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा जाय ताकि वहां आने-जाने के साधन हो सकें । जो गांव यू. पी. की सीमा से लगा हुआ है उसके लिये कोई रास्ता नहीं है. . . .

श्री ग्योपत सिंह मकासर : गांव का नाम तो बता दो ।

श्री काशी नाथ गुप्त : सांवरुक ग्राम है । इसी प्रकार भटावली ग्राम है जहां की आबादी पांच हजार है लेकिन आवागमन के साधन नहीं हैं । जिस समय फ्लड आया हुआ था कुछ दिनों पहले चिकित्सा मंत्री जी पहुंचे थे और काफी देर से और प्रयत्न के बाद डॉक्टर को भजने में कामयाब हुए । मीलों तक पानी से घिरा हुआ था आप आज पैदल नहीं पहुंच सकते हैं, ऐसी हालत है । मेरे क्षेत्र में सरकार 15-15 साल से कोई ध्यान नहीं दे रही है वरना सड़कों के बनाने से राज्य सरकार को फायदा भी हो सकता है । कुम्हेर से धनवड़ा तीन मील का टुकड़ा बन जाता है तो राज्य सरकार को काफी फायदा हो सकता है । इस सड़क को 15 साल पहले पंचायत समिति ने बनवाया था लेकिन अब वह बिल्कुल टूट चुकी है । सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है । मैंने इस बारे में निर्माण विभाग से बात की थी कि धनवड़ा की खान से और पास में बनने वाली सड़कों से गिट्टी पत्थर आसानी से ला सकते हैं । जब कि आज तीस मील तक की लीज ठेकेदार को देते हो । उन्होंने कहा हम सरकार के ध्यान में ला चुके हैं कि इस सड़क को बनाने से लाखों रुपयों का फायदा हो सकता है लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है । इसी प्रकार गई बाढ़ के दिनों में भरतपुर-डीग सड़क पर गंगा के नगला में फ्लड आ जाने से रास्ते रुक गये थे । लोग गर्दन तक पानी में आते थे । उस पर पुल बनाने का 60 हजार का एस्टीमेट था लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया है । आज जिले के अन्दर जब डवलपमेंट करने का सवाल आता है तो केवल कुम्हेर क्षेत्र ही है जहां पर पहले एक-दो सड़कें निकली

(श्री काशी नाथ गुप्त)

थीं लेकिन आज चार-पांच महीने से लगातार निवेदन करने पर एक भी सड़क का नाम नहीं आया है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे। जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं, जहां पर साल में छः महीने तक आवागमन के साधन नहीं रहते हैं, दूसरे प्रान्तों की सीमा से लगे हुए स्थान हैं, जहां पर चोर-डकैत आते जाते हैं, इन क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ा जाना चाहिए। जहां पर छोटे-छोटे टुकड़े एक-एक, दो-दो माइल के टुकड़े छूटे हुए हैं उनको पूरा करना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अन्त में एक बात का फिर आपसे आग्रह करूंगा। इस क्षेत्र के अन्दर कई स्थान ऐसे हैं जहां पर दस-दस साल से सड़कें बननी शुरू हुई लेकिन आज तक अधूरी पड़ी हुई हैं। उन पर लगाया गया सारा पैसा बेकार गया है। ऐसी एक सड़क नदबई से जनूथर है, जो कच्ची पड़ी हुई है तथा कुम्हेर से नगर तक सड़क को पूरा करने के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा। इसके साथ ही जो नेशनल हाई वे पर सेवर का स्टेशन है जहां रेलवे की बड़ी लाइन जाती है देहली से बम्बई जाने वाली लाइन है, वहां पर जो फाटक है वह दिन में दस-दस बार बन्द रहता है ओवर ब्रिज न होने के कारण है लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि राज्य सरकार इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दें।

श्री सभापति : श्री नाथूराम जी।

(अनुपस्थित)

श्री मदनसिंह जी।

(अनुपस्थित)

श्री भैरूंलाल जी।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीश सिंह जी।

श्री जगदीश सिंह (धौलपुर) : सभापति महोदय, मैं कहूं कि आज का युग वह नहीं जो कुछ साल पहले था। आज ग्रामीण जनता की यह भावना है कि एक समय खाना मंजूर है लेकिन गांव में सड़क का होना अति आवश्यक है चूंकि बगैर सड़क के जैसी कि यहां पर ध्वनि गूंजती रही है विधान सभा में कि मास्टर नहीं जाते डाक्टर नहीं जाते, इंजीनियर नहीं जाते। यह केवल सड़क नहीं होने की वजह से, आवागमन के साधन नहीं होने की वजह से है। अगर आवागमन के साधन हो जायं तो अवश्य तौर पर वहां जायेंगे और वहां के ग्रामों का विकास होगा। जैसी कि अपनी सरकार की नीति है उसी नीति को मद्देनजर रखते हुए यह अति आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर सड़कों का अभाव है उसको जल्दी से जल्दी दूर किया जावे। फिर यह पांच हजार-ढाई हजार, और दो हजार वाली बात है यह बिल्कुल जनता पार्टी के सिद्धान्त के विपरीत है। यह कहना वाजिब नहीं है कि दो-ढाई हजार से ऊपर की आबादी वाले शहर और कस्बे ही फायदा उठायें और जो छोटे स्थान हैं उनको महरूम कर दिया जाय। धौलपुर क्षेत्र के अन्दर, धौलपुर सब-डिविजन में चैलेंज के साथ कहता हूं कि कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसकी आबादी पांच हजार की हो। वहां पर एग्रीकल्चर और जो दूसरे छोटे-छोटे साधन हैं जिसकी

(श्री जगदीश सिंह)

वजह से छोटे-छोटे गांव हैं। इसका मतलब यह हुआ कि धौलपुर क्षेत्र में सरकार की योजना के तहत एक भी सड़क नहीं बनने वाली है। मैंने पिछले सत्र में यह कहा था सड़क के अभाव के कारण मृत्यु धौलपुर में हुई थी, रास्ते में ले जाते हुए एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मैं इसके लिए राज्य सरकार को अपनी ओर से धन्यवाद दूंगा कि उसने वह दो किलोमीटर का टुकड़ा बनवा दिया जिससे आयन्दा ऐसी सम्भावना पैदा ही नहीं हो कि सड़क के अभाव में किसी की मृत्यु हो जाय।

इसके साथ-साथ मैं निवेदन करूं कि धौलपुर इलाके में करीब एक लाख काश्तकार रहते हैं लेकिन उस एरिया में न लिंक रोड है न मेन रोड है जिस पर चल कर शहर के पास किसी भी तरह से आ सकें। बल्कि पिछले साल तो फ्लड के अन्दर ऐसी नौबत आई कि पन्द्रह दिनों तक उस क्षेत्र का कोई भी आदमी किसी भी अधिकारी से या किसी भी रूट से चल कर किसी से सम्पर्क नहीं कर सका। उस सड़क पर तो दो ही आदमी मरे थे लेकिन इस क्षेत्र के अन्दर बाढ़ के अन्दर, जो जुलाई अगस्त में आई थी, 15 आदमी मरे। इसलिए यह सड़क जो ओडेला से कोलारी बन रही है, दस साल से बन रही है, चार-पांच किलोमीटर बन चुकी है, 12 किलोमीटर बनना बाकी है। मुझे विश्वास है कि अगर अधिकारी लोग और सरकार जरा भी ध्यान देंगे तो 10-12 किलोमीटर को पूरा करने में ज्यादा आपत्ति नहीं होगी। न तो यहां कोई जमीन लेने का सवाल है न मुआवजे का सवाल है, समतल जगह है, थोड़े से खर्चे में पूरी हो सकती है। मैंने लिख कर भी दिया है और मेरा आग्रह है क्योंकि जन-जीवन का सवाल है इसलिए इस बालेरा रोड को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति महोदय, अभी तो मैं तीन मिनट ही बोला हूं।

श्री सभापति : आप पांच मिनट बोल चुके हैं।

श्री जगदीश सिंह : एक मिनट और लूंगा।

श्री सभापति : अच्छा एक मिनट बोलिये।

श्री जगदीश सिंह : Thank you.

लिहाजा मैं आशा करता हूं कि इस क्षेत्र के आवागमन के साधनों के अभाव को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देकर पूरा कराने की कृपा करेंगे। इसके साथ-साथ एक रोड धौलपुर से मौरोली अधूरी पड़ी हुई है, दस साल से अधूरी पड़ी है। बदकिस्मती से फ्लड के बाद भी इसकी कोई मरम्मत नहीं हुई। केवल तीन-चार किलोमीटर की दूरी है। अगर यह सड़क, जो तीन चार किलोमीटर की दूरी की है, को पूरा कर दें तो यह सड़क अपने आप सफल हो जावेगी और पहाड़ी लोग और जो गरीब लोग उस एरिया में रहते हैं उनको राहत मिलेगी। इसी तरह से एक लिंक रोड या अप्रोच रोड टहरी राजपुर से तसीमा तक चार किलोमीटर की है, पुरैनी से सरानीखेड़ा तक चार किलोमीटर है और पुरैनी से

(श्री जगदीश सिंह)

मालीनी तक चार किलोमीटर है, इस रोड को आप पूरा करा दें, यह सड़क बना दें तो लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी। इसके लिए आपको कृषि उपज मण्डी से पैसा मिलेगा। इसको ध्यान में रखते हुए अगर थोड़ा सा उत्साह बरता जावे तो निश्चित तौर पर इसी बजट में यह रोड्स पूरी हो सकती हैं। बाड़ी से सैपान तक की रोड का

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

काम सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। मैं आशा करता हूं कि इस काम को बीच में न छोड़ें और पूरा करने की कृपा करेंगे। साथ-साथ में.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : आप विराजिये।

श्री जगदीश सिंह : सीमेंट की फैक्ट्री वहां पर लग सकती है क्योंकि वहां पर सारा रॉ मैटीरियल उपलब्ध है। स्टेट के टाइम में वहां पर ताम्बा निकलता रहा था। केवल सड़क के अभाव में कोई अधिकारी लोग सर्वे करने को तैयार नहीं हैं।

बेरोजगारी का जहां तक सम्बन्ध है मैं बहुत संक्षेप में निवेदन कर दूं कि आज की तारीख में धौलपुर में एक भी फैक्ट्री नहीं है। धौलपुर ग्लास फैक्ट्री के नाम से पहले एक बहुत मशहूर फैक्ट्री थी लेकिन अब तो वह भी बन्द है। अगर सरकार थोड़ा सा योगदान दे और इस फैक्ट्री को अच्छी तरह से चलावे तो दो हजार आदमियों को रोजगार मिल सकता है। चूंकि.....

श्री सभापति : मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप बिराज जाइये।

माननीय श्री माधवसिंह जी दीवान।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री अयूब खां।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री गंभीरलाल।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री गंगा सहाय।

श्री गंगा सहाय (कठूमर) : माननीय सभापति महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान कठूमर क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि यह क्षेत्र सबसे अधिक उपेक्षित रहा है। जो सड़क लक्ष्मणगढ़ को जोड़ती है वह पहली योजना में बनी थी। उसके बाद में 15 वर्षों से यह सड़क अभी तक अधूरी है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना में वह इसे पूरा करें।

हमारे यहां मंडी है, कृषि पुनर्वित्त निगम की सबसे पहले इस क्षेत्र में लागू की गई योजना से कृषि की पैदावार बढ़ी है। किसानों को अपनी उपज मंडी तक लाने की सुविधा देने के लिए हर गांव को सड़क से जोड़ दिया जाए। सड़क न होने के कारण किसानों का शोषण होता है, उसको अपनी पैदावार को सस्ते दाम में गांव में ही बेचना पड़ता है।

मेरा निवेदन है कि कठूमर से मंडावर वाया मनोखर-धोपराना सड़क को पूरा किया जाए। खेड़ली से मनोखर-जटवाड़ा गढ़ी सवाई राम वाली सड़क को बनाया जाय।

(श्री गंगासहाय)

(8.10 रात्रि)

(श्री लक्ष्मण सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

उसी प्रकार खुडयाना से क्षौरनागढ़-मनोखर जाने वाली सड़क अधूरी पड़ी है, उसको भी पूरा कर दिया जाए तो सारे किसानों को लाभ होगा। खेड़ली से सोंखर, सोंखरी, नाटोज, घोलगढ़ की सड़क को भी पूरा किया जाना चाहिए। यही मुझे खुडियाना से घोलगढ़-मनोखर की सड़क के लिए कहना है ।

बरसात के मौसम में बहुत अधिक पानी आता है जिसके कारण जिन बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है उनको कठिनाई होती है, इसलिये खेणीजाथान और धोषराना टेशनः के मध्य पुल बनाया जाए। कठूमर से खेड़ली वाली सड़क पर बरसात का पानी आता है। 4 महीने तक इसे ठीक किया जाय और उपयोग में लाया जाय। 20-25 गांव बीच में आते हैं लोगों का आना-जाना मुश्किल हो जाता है अतः पुल बनाया जाय। लक्ष्मणगढ़ से हरसाणा ग्राम के बीच छोटे-छोटे तीन पुलों की आवश्यकता है। वहां इतना अधिक पानी आता है कि आवागमन ही ठप्प हो जाता है। हाई स्कूल बीच में पड़ता है, छोटे बच्चों को दिक्कत होती है। दारोदा के तिवारे से पास वाले ग्राम को जोड़ने के लिए भी पुल जरूरी है ।

अब मैं श्रम मंत्री से निवेदन करूंगा कि अगर देश को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें योजना बनानी पड़ेगी। जैसे जालौर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, सड़कों का विकास नहीं होगा तो उद्योग नहीं पनपेंगे। जब तक कुटीर उद्योगों का विकास नहीं होगा तब तक बेरोजगारी की समस्या हल नहीं होगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री रंग जी ।

(अनुपस्थित)

श्री उमराव सिंह गूजर ।

(अनुपस्थित)

श्री शिव राज सिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री कुंजी लाल ।

(अनुपस्थित)

श्री सूर्य प्रकाश ।

(अनुपस्थित)

श्री शीश राम ओला ।

(अनुपस्थित)

श्री बंशी लाल सारस्वत ।

श्री बंशी लाल सारस्वत (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, सदन के सभी माननीय सदस्यों ने चिंता और क्षुब्धता जाहिर की है और बताया है कि सभी क्षेत्र उपेक्षित हैं। प्रश्न उठता है कि कौनसा ऐसा क्षेत्र है जहां पर उन्नति हुई है और बहुत ज्यादा विकास हुआ है। आंकड़े देखने से जाहिर होगा कि सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र बीकानेर है जहां 100 वर्ग मील के पीछे 4.43 मील सड़क है। उसके बाद में जैसलमेर और फिर राजस्थान के दूसरे हिस्से आते हैं। तो केवल यह कहना कि प्रमुख-प्रमुख क्षेत्र उपेक्षित था, उपयुक्त नहीं है। माननीय

(श्री बंशी लाल सारस्वत)

सदस्य विचार कर सकते हैं, नागौर में, जहां के एक समय तीन-तीन मंत्री रहे थे, लोग सोचते होंगे, बहुत ज्यादा सड़कें होंगी। आंकड़ों के हिसाब से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 100 मील पर 11 मील सड़क है और यही राजस्थान की औसतन सड़क आती है। जोधपुर के लिए कहा जा सकता है मगर फिर भी जिस राजस्थान में रेल की माकूल व्यवस्था नहीं है सड़कों की अपेक्षाकृत कमी है, इसको दूर किया जाना चाहिए। सीमित साधनों के अनुसार कितना कर सकते हैं। मगर मैं बधाई देना चाहता हूं कि 1977 में जो डामर की सड़कें बनाई गई हैं सभी वर्षों से अपेक्षाकृत अधिक हैं। अब किस क्षेत्र में क्या असंतुलन है उसको दूर किया जाना चाहिये। पिछले साल किसी भी क्षेत्र को देख लें—

> सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया
> सर्वे भद्रेतु पष्याण्म मा कश्चित
> दुख भाग्भवते।

सभी का ध्यान रखा जाए। एक क्षेत्र विशेष का ध्यान रखने से कल्याण होने वाला नहीं है सुख, संपन्नता होने वाली नहीं है। हमारा हो और सभी का हो, मगर साधन सीमित हैं, आर्थिक स्थिति हमारी सीमित है। मैं अपने क्षेत्र के लिए निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां खनिज की दृष्टि से जिप्सम के अंडरग्राउण्ड डिपोजिट्स हैं। उनसे बड़े डिपोजिट्स हैं और साथ ही साथ चूने का पत्थर, चूना जो पैदा होता है तथा संगमरमर का अद्वितीय भण्डार है, वह नागौर की स्थिति है। अपेक्षाकृत उद्योगों और खनिजों को ध्यान में रखा जाए तो वहां कुछ विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए। यदि जोधपुर से लेकर नोखा से मिलने वाली कच्ची सड़क डामर रूट में मिला दी जाए तो बीकानेर-जोधपुर की दूरी 20 किलोमीटर निकट आ जाएगी। यदि खाटू को मकराना से मिलाया जाए तो जैसलमेर और जयपुर की दूरी डिफेंस की दृष्टि से 30 किलोमीटर कम हो सकती है। इसके अलावा छोटी-छोटी सड़कें, जो तीर्थ-स्थानों व मेलों से संबंध रखती है, जैसे कच्ची सड़कों के लिए मैंने निवेदन किया था कि पक्की बनाई जायं लेकिन दूरी कम की जानी चाहिए और जो लोकल समस्या है वह कहने के बजाय आपस के सम्पर्क और विचार-विमर्श से ज्यादा हल हो सकती है।

मैं नीति संबंधी प्रश्न के लिए निवेदन करना चाहता हूं। आज होड़ भवन निर्माण की लगी हुई है। चिड़ियाघर बनाने की जरूरत नहीं है, बड़े-बड़े स्थानों का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र में किया जाना चाहिए और देश की सम्पत्ति का सदुपयोग किया जाना चाहिए। भवनों या वैभव के स्थानों को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं और उन पर पाबंदी लगानी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर इसके उपाय जो हैं टैक्निशियन करें। साथ-साथ प्रशासक ठीक ढंग से रख सकते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि 1977 और 1978 में जो योजनाएं बनी हैं उनमें सर्किट हाउसेज, डाक बंगले, आफिसर्स होस्टल्स बनाने का संकल्प किया गया है उन्हें निरस्त करें। इनके बनाने के बजाय यह अच्छा होगा कि यह पैसा गरीब, पीड़ित और दुखी लोगों की सहायता में लगावें और इस पर खर्च न करें।

(196)

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

दूसरा मैं बेरोजगारी की समस्या के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। यह एक गंभीर समस्या है और इसके उपाय किए जाने चाहिए। कई युवक गलियों में सहसा यह कहते हुए निकलते हैं-

'मेरा मन भूखा, मेरा तन भूखा।
मेरी फैली युग बाहु में,
मेरा सारा जीवन भूखा।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री बंशी लाल सारस्वत : और कुछ न होता हो, परन्तु इन स्वरों को सुन कर कम से कम हमारे श्रम मंत्री महोदय इस चिन्तन में लग जाते हैं कि इसका कोई न कोई उपाय निकाला जाए।

यह जो श्रमिक हैं, उनमें, कुछ तो संगठित हैं और उनका रिप्रजेन्टेशन होता रहता है। मगर जो असंगठित श्रमिक हैं जैसे खादी उद्योग और छोटे-छोटे उद्योगों में लगे हुए, उनके कल्याण और संगठन की कोशिश नहीं की गई है। इसी तरह से खेतों में लगे हुए जो श्रमिक हैं वे भी संगठित नहीं हैं। उनकी ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो बेरोजगार शिक्षित युवक हैं, उन तमाम लोगों को निर्वाह भत्ता दिया जाये और जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और जिनको एम्प्लायमेन्ट तीस वर्ष तक नहीं मिल पाया है प्रथम उन्हें दिया जाय व सभी को निर्वाह भत्ता दिया जाए। जो बेरोजगार काश्तकार हैं, श्रमिक हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन किया जाकर उनकी समस्या का निवारण किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री निर्मल कुमार।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा (झालरापाटन): अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग के आफिसर सार्वजनिक निर्माण के बजाए खुद अपना निर्माण करते रहे हैं। आज जो बड़े-बड़े आफिसर हैं उनके मकानों को देखा जाए तो यह साबित हो जाएगा कि उन्होंने सार्वजनिक निर्माण करने के बजाए अपना स्वयं का निर्माण किया है।

अध्यक्ष महोदय, पिछले तीस साल के शासन में कांग्रेस सरकार का एक रुपया पचास पैसे में चला। एक रुपये की जगह पचास पैसे का काम हुआ। अब मुझे खुशी इस बात की है कि आज एक रुपये में 75 पैसे का काम हो रहा है।

मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इतना रुपया लगाने के बाद भी आज राजस्थान में सड़कों की इतनी दुर्दशा है, इतने गड्ढे हैं, जो हमारे सामने हैं। इसलिए इस विभाग में चुस्ती लानी होगी, फुर्ती लानी होगी और ऊपर से इस विभाग को कसना होगा। आज जो हम यह शिकायत कर रहे हैं, सड़कें नहीं हैं, सड़कें बनाने के लिए पैसा नहीं है—यह सारी समस्या दूर हो सकती है यदि ऊपर से इस विभाग को कसा जाए और पैसे का सही-सही सदुपयोग हो।

मान्यवर, कोटा में मंत्रिमण्डल की बैठक हुई थी और वहां पर झालावाड़ जिले के लिए आठ करोड़ रुपये का प्लान बनाया गया था। मुझे हैरानी हुई इस बजट को देख कर कि जो प्लान बना था उस सड़क का, उसका इस बजट में कहीं कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार ने जो घोषणा की थी, वहां पर सड़क बनाने की,

(श्री निर्मल कुमार सकलेचा)

पुल बनाने की, उसको क्रियान्वित करने की कोशिश करें क्योंकि हमने जनता में जाकर कहा है कि कोटा में मंत्रिमण्डल की बैठक होने के बाद यह घोषणा हुई है। वहां पर जो घोषणाएं पुल बनाने की गई हैं, यह देख कर निराशा हुई कि इस बजट में उनके लिए कुछ नहीं है। मंत्री महोदय, आप हमारी ओर ध्यान देकर सड़क के लिए पैसा दीजिए। पुल निगम अभी नहीं बना है। पुल निगम का निर्माण करिए और हमारे यहां की सड़कों पर पुल बनाइये।

अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिला अफीम का बहुत वर्षों से उत्पादन करता है और हमारे यहां का किसान अफीम का जो उत्पादन करता है, उसको 130 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति किलो के भाव से केन्द्रीय सरकार खरीदती है और उसी को एक हजार रुपये किलो की दर से विदेशों को भेजती है। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार हमारे यहां पैदा हुई अफीम से 200-250 करोड़ रुपया कमाती है। केन्द्रीय सरकार से, हमारे जो किसान अफीम का उत्पादन करते हैं, उनके लिए, उनके क्षेत्र में सड़क निर्माण के नाम पर पैसा लीजिए, क्योंकि केन्द्रीय सरकार को काश्तकारों ने कमा कर दिया है। उनके पास साधन नहीं हैं। सड़क नहीं है। केन्द्रीय सरकार ने अफीम, जो काश्तकार पैदा करते आए हैं, से कमाया है इसलिए उसका कुछ हिस्सा हमारे जिले को दिया जाए जिससे उस जिले में सड़कों का सुधार कर सकें, वहां पर पुलियाओं का निर्माण कर सकें।

मान्यवर, श्रम और रोजगार के मामले में इतना ही निवेदन करूंगा कि हमें श्रम को प्रधानता देनी होगी। जो शिक्षा नीति है, उसके कारण श्रम की महत्ता गिरी है। इसलिए हमें श्रम प्रधान शिक्षा नीति बनानी होगी ताकि श्रमिक काम करने में, श्रम करने में हिचके नहीं। पढ़े-लिखे लोग इसको हल्का समझते हैं। इसलिए यदि हमने श्रम को प्रधानता दी, इसमें आमूल-चूल परिवर्तन किया तो जो हमारे सामने समस्या हैं, वह कम होंगी।

मान्यवर, झालावाड़ जिला अफीम का उत्पादन करता है परन्तु उससे बनने वाली चीजें गाजियाबाद और नीमच में बनाई जाती हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम एक अफीम की फैक्ट्री झालावाड़ जिले को दी जाए। मैं राज्य सरकार को निवेदन करूंगा कि वह हमारी मांग को केन्द्रीय सरकार, प्रधान मंत्री को पहुंचाये। यह झालावाड़ जिले का हक है। इससे दस हजार लोगों को रोजगार मिल सकेगा। यह मेरा निवेदन है, जिसे आप प्रधान मंत्री तक पहुंचा दें। इससे हमारे जिले की सारी समस्या हल हो जाएगी। झालावाड़ में बीड़ी का पत्ता होता है किन्तु बीड़ी बनती है टौंक में। इस संबंध में बहुत बार यहां निवेदन कर चुका हूं कि इसकी एक शाखा झालावाड़ में भी खोली जाए। इससे करीब एक हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। परन्तु हमारी बात नहीं सुनी जाती है। बार-बार निवेदन कर चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय, जो रोजगार कार्यालय हैं, उनमें एक बार जिनके नाम रजिस्टर्ड हो जाते हैं, जब तक उनको रोजगार न मिले, चाहे उनकी उम्र कितनी ही हो जाए, तब तक उनको निरस्त न किया जाए। हमने हमारे चुनाव मेनीफेस्टो में घोषणा की है कि जिन लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा उन्हें बेरोज-

Page No 198

(198)

(श्री निर्मल कुमार सकलेचा)

गारी भत्ता देंगे। मुझे दुःख इस बात का है कि बार-बार कहने के बाद भी इसकी घोषणा नहीं की गई है। मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि इसकी शीघ्र ही घोषणा की जाए वरना मुझे कठोर, सख्त कदम लेना पड़ेगा और मुझे भूख हड़ताल भी करनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री नारायणसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री गोपालसिंह खण्डेला !

(अनुपस्थित)

श्री मोहनलाल शर्मा !

श्री मोहनलाल शर्मा (डूंगरगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं। मैं चूरू जिले के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 10 साल में चूरू जिले में एक किलोमीटर सड़क का भी निर्माण नहीं हुआ है। यह क्यों नहीं हुआ है, आपको यह सोचना होगा? सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि आपको मालूम है कि चूरू जिले में सड़कों की क्या हालत है?

श्री नवरंगसिंह : माननीय सदस्य, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। माननीय मंत्री महोदय चूरू जिले के ही हैं।

श्री मोहनलाल शर्मा : यदि मैं नहीं बोलूंगा तो सार्वजनिक निर्माण मंत्री चूरू जिले के ही रहने वाले हैं, वह यह सोचेंगे कि मैं चूरू जिले के लिए कुछ करूंगा तो लोग सोचेंगे कि पक्षपात कर रहे हैं। इसलिए मुझे कहना आवश्यक है।

श्री नवरंग सिंह : वह तो बिना कहे ही कर देंगे।

श्री मोहनलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 साल से चूरू जिले में कोई सड़क नहीं बनी है। नई सड़क का बनना तो दूर रहा जो सड़क है उसकी मरम्मत तक नहीं हुई है। हमारे श्रम मंत्रीजी जब गंगानगर में जाते हैं तो कितनी देर में वह सूरतगढ़ पहुंचते हैं, वह उनको मालूम है।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हमारा बजट ग्रामोन्मुखी कहा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहां 5 हजार से ज्यादा का कोई गांव नहीं है। क्या मैं यह समझूं कि 5 हजार से ज्यादा का गांव नहीं है तो हमारे जिले में सड़क निर्माण की व्यवस्था नहीं होगी? आपको इस नीति को बदलना होगा। छोटे-छोटे गांव हैं। 5 हजार से ज्यादा का कोई गांव नहीं है। अगर ढाई हजार की आबादी का होगा तो क्या यह समझा जाय कि कोई निर्माण का काम होगा ही नहीं? सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय को मालूम है कि ढाई हजार से ज्यादा का कोई गांव नहीं है। अगर वहां सड़क नहीं होगी तो विकास नाम की कोई चीज हो नहीं सकेगी। सड़क नहीं होगी तो जिले का विकास नहीं होगा। आवागमन का साधन नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। इसलिए मैं आपकी मार्फत निवेदन करूंगा, मंत्री महोदय को बाध्य किया जाये और सरकार को बाध्य किया जाये कि चूरू जिले में छोटे-छोटे गांव हैं ढाई हजार की आबादी के उनमें सड़क निर्माण कराया जाये।

Page No 199

(199)

(श्री मोहनलाल शर्मा)

हम निर्माण विभाग की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार की बात करने की प्रथा है। भ्रष्टाचार की बात निश्चित रूप से कहते हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि इस विभाग में बिना लिए बिल पास नहीं करते हैं। वैसे मैं ध्यान दिलाऊंगा कि इस विभाग में ईमानदार भी हैं। लेकिन जब तक नीचे का अमला ईमानदार नहीं होगा तब तक यही समझा जाएगा कि आप भी शामिल हैं। इसलिए निर्माण मंत्रीजी इसके लिए चेष्टा करें। भ्रष्टाचारी अधिकारियों की छुट्टी करें। उनको निकाला जाये....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ताकि इस विभाग से भ्रष्टाचार समाप्त हो सके।

एक बात और निवेदन करूंगा, सरदारशहर में व उसके आसपास के क्षेत्र में ऐसे गांव हैं, जिनमें आवागमन के कोई साधन नहीं हैं। इसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाये।

एक छोटीसी बात और है। नगरपालिका से निर्माण विभाग एस्टीमेट बनाने के प्रतिशत लेता है जिससे उसकी हालत आर्थिक रूप से खराब होती जा रही है इस परम्परा को हटाया जाये।

दूसरा मैं यह निवेदन करूंगा कि लालफीताशाही को हटाया जाये। इसके कारण कोई काम नहीं होता है। मौके पर ठेकेदार हों, कार्यकर्ता हों, सबके सामने ठेका देने की व्यवस्था की जाये जिससे लालफीताशाही में सुधार हो सके। मौके पर काम सबके सामने प्रारम्भ कराया जाये।

अन्त में मैं थोड़ी सी बात बेरोजगारी के लिये और कहूंगा। वास्तव में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। एक तरफ हमारे छोटे-छोटे कर्मचारियों के स्थान रिक्त पड़े हैं। दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे काम किये जायें जिनसे कि लोगों को काम मिले और काम को पूरा करने के लिए कहना नहीं पड़े। अतः मैं निवेदन करूंगा कि बेरोजगारी को हटाने की व्यवस्था की जाये।

रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होता है तो जो नियोजन अधिकारी होते हैं, वह बिना पैसा लिये नाम नहीं भेजते हैं। इसकी व्यवस्था में सुधार किया जाय। नाम भेजने के मामले में जल्दी की जाये। अगर रजिस्ट्रेशन के बाद ज्यादा उम्र भी हो जाए तो नौकरी नहीं लगती है। मेरा निवेदन है कि ऐसी अवस्था में उम्र बढ़ाने के बारे में विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री अचलाराम!

श्री अचलाराम (देसूरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्माण विभाग की मांग पर मैंने भी कटौती प्रस्ताव रखे हैं। यह तो हम सोचते ही हैं कि जिस प्रकार के ग्राम हैं, उसी प्रकार की शिकायत होनी चाहिए। हमारे यहां की छोटी-छोटी झाड़ियों के बीच पगडण्डियां देखकर हमें तो बहुत खुशी होती है। लेकिन जब हम मंदिर में जाते हैं तब मंदिर में आने वाले यात्रियों के लिए सड़क का अभाव देखते हैं तो दुःख होता है। परशुराम महादेव सादड़ी से 9 मील दूर है। वह सड़क बनाने के लिए तय हो गया था लेकिन हमारे पाली के एक व्यक्ति की कृपा से वह नहीं हुआ।

एक माननीय सदस्य : नाम बताइये।

श्री अचलाराम : अध्यक्ष महोदय की आज्ञा हो तो, नहीं तो स्वीकार नहीं।

अप्रेल में पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकारी ने आकर वहां का काम नाकामयाब कर दिया। दूसरी जगह से कंक्रीट नहीं आई। तो इस प्रकार से जानबूझकर क्यों व्यवस्था की गई, यह समझ में नहीं आया। उसका बराबर स्थानान्तरण होता है, निरस्त होता है। वह वहां पर बैठा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जब हम यह देखते हैं कि हमारे जिले में 4 किलोमीटर लम्बी सड़क है तो थोड़ा सा हमें अपनी हीन अवस्था का अनुभव होता है। जोधपुर में 1767 किलोमीटर, नागौर में 1460 किलोमीटर, जयपुर में 1235 किलोमीटर, उदयपुर में 1190 किलोमीटर सड़कें हैं। मैं एक बार उदयपुर की तरफ गया, वहां पर ऐसी हालत है कि दस-पन्द्रह किलोमीटर पर तीन-तीन सड़कें बनी हुई हैं। कभी भी उसका सर्वे ठीक प्रकार से नहीं कराया गया। अनाप-शनाप वहां पर खर्चा किया गया है। मगर हमारी तरफ कोई सड़कें नहीं हैं। देसूरी क्षेत्र में केवल एक 19 किलोमीटर की सड़क बनी है जो देसूरी और रानी पंचायत समिति को मिलाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक्स. ई. एन. महोदय से भी बात की। हमारे क्षेत्र में भी पांच हजार की आबादी वाले बहुत से गांव हैं, वहां पर सड़कें क्यों नहीं हैं? सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक प्रपोजल भी बनाया, रानी वाया खीमेर से फालना, रानी और फालना में पांच हजार से ज्यादा आबादी है लेकिन वहां पर सड़कें नहीं बनीं। अध्यक्ष महोदय, बाली की आबादी डेढ़ हजार से भी कम है लेकिन वहां पर गांवों को सड़कों से मिलाया गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, एक मिनट और। अध्यक्ष महोदय ईश्वर को भी नहीं छोड़ने वाले लम्बी पूंछ वालों को इन्जेक्शन लगाना चाहिए।

जोधपुर के हिसाब से लगायें तो मेरे क्षेत्र में 225 किलोमीटर की सड़कें आती हैं, गंगानगर का हिसाब लगायें तो मेरे क्षेत्र में 183 किलोमीटर सड़कें आती हैं, जयपुर का हिसाब लगायें तो मेरे क्षेत्र में 155 किलोमीटर सड़कें आती हैं और उदयपुर का हिसाब लगायें तो मेरे क्षेत्र में 150 किलोमीटर सड़कें आती हैं लेकिन—

"रूखा सूखा खायके ठंडा पानी पीव,
देख पराधी चूपड़ी मत ललचावे जीव।"

पाली के हिसाब से हमारी कान्स्टीट्यूएन्सी में 81 किलोमीटर की सड़कें आती हैं जब कि हमारे यहां पर केवल 19 किलोमीटर की सड़कें हैं।

पुल निर्माण के लिए निवेदन करूं, रानी पंचायत समिति है वहां पर कृषि उपज मण्डी है लेकिन बरसात के अन्दर चार-चार महीने तक रास्ते रुक जाते हैं। वहां के मजदूर और किसानों को और वहां के लोगों को सामान लाना ले जाना पड़ता है, वे सामान नहीं ला सकते। हमेशा उनको लाना ही पड़ता है, और पानी में निकलने में दुविधा होती है। पुल के लिए 15-16 लाख रुपये का एस्टीमेट भी बन चुका है। उसके बाद 45 बड़े पुल बन चुके हैं, सभापति महोदय, हमारे साथ ऐसी क्या बात है, आप कृपा करिये ...

श्री श्योपतसिंह मकासर : मंत्रीजी को कहो।

श्री अचलाराम : अब वहां से पहले वाला एम. एल. ए. तो नहीं है।

(श्री अचलाराम)

ऐसे स्थान भी वहां पर हैं जहां सफेद पत्थर निकलता है, बिल्डिंग मेटीरियल के लिए चूने के भट्टे बन सकते हैं। उन स्थानों को सड़कों से जोड़ा जाना चाहिए ताकि वहां के जो कारीगर हैं उनको भी प्रोत्साहन मिले। अब मैं आपकी आज्ञा से अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूलाल।

श्री नाथूलाल (घाटोल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे देश और परदेश के लिए सड़कें अत्यावश्यक हैं। सड़कों से हमारा देश कस्बों, शहरों और नगरों से जुड़ता है, यह आवागमन का एक साधन है। हमारे प्रदेश की जनता को इससे सुविधा मिलती है। पर मैं सरकार का और निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान जिला बांसवाड़ा, तहसील घाटोल मेरी कान्स्टीट्युएन्सी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में भुगड़ा से खमेरा जो सड़क फेमिन में बनी थी उस पर इतने खड्डे बन गये हैं कि कोई आवागमन के साधन वहां की जनता को नहीं मिलते। वहां के लोगों को तहसील स्तर पर आने के लिए और पंचायत समिति घाटोल आने के लिए काफी कठिनाई सहनी होती है। तहसील और अस्पताल घाटोल में हैं। वहां पर कोई आवागमन का साधन न होने से वहां से बीमार को खटिया पर लिटा कर चार आदमी उसे अपने कंधे पर रखकर अस्पताल तक पहुंचाते हैं। ऐसी समस्या है, अध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र की जनता की सुविधा के लिए डामर की सड़कों का निर्माण कराया जावे ताकि वहां के लोगों को घाटोल तक आने में सुविधा हो।

मेरे क्षेत्र में भुगड़ा से घन्टाली गोमतेश्वर होते हुए अरनोद एक सड़क मिलती है, मेरे क्षेत्र में पड़ोली गोरधन वाया कलाजी होते हुए भुवास एक सड़क जुड़ती है, मेरे क्षेत्र में पीपलखूंट से घन्टाली एक सड़क जुड़ती है, मेरे क्षेत्र में घाटोल से वाया देलवाड़ से जगपुरा एक सड़क जुड़ती है, मेरे क्षेत्र में नरवाली वाया जगपुरा से मोटा गांव एक सड़क जुड़ती है, मेरे क्षेत्र में घाटोल से वाया नखनोया से नेगरड़ एक सड़क जुड़ती है, तब तो वहां की जनता को सुविधा मिल सकती है। मेरा क्षेत्र घाटोल का पूर्वी भाग सड़कों से बिल्कुल वंचित है। डामर की सड़कें न होने से लोगों को बारिश में तहसील स्तर पर आने के लिए असुविधा होती है। आज भी उनको तकलीफ उठानी पड़ती है। इसलिए, मान्यवर, मैं निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र की तरफ पूर्ण ध्यान देवें और सड़कों का निर्माण करा दें, उन सड़कों पर डामर करवादें ताकि लोगों को आवागमन के साधन उपलब्ध हो सकें।

मैं आपको नम्र निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मूंगराव से घाटोल वाया खमेरा की सड़क इतनी खराब है कि लोगों को बारिश तो दूर गर्मियों के दिनों में चलने में कठिनाई होती है। तो मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी समस्या की तरफ अवश्य ध्यान दें। साथ ही गरीब लोगों की जो आवागमन की समस्या है उसको जल्दी से जल्दी हल कराने की व्यवस्था करावें।

इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि हमारी सरकार ने अपनी नीति की घोषणा की है कि हम पांच हजार की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ देंगे। ऐसा निश्चय

(श्री नाथूलाल)

किया है। मैं आपसे, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा इस बारे में कि पांच हजार की आबादी वाले गांवों को आपने सड़कों से जोड़ने को कहा है जब कि बांसवाड़ा में और आदिवासी क्षेत्रों में एक हजार और दो हजार लोगों की आबादी से ज्यादा आबादी वाली बस्तियां भी नहीं हैं। वहां तो आपको आदिवासी लोग मिलेंगे जिनमें ज्यादातर क्या सभी गरीब वर्ग के लोग हैं? एक मकान यहां है तो दूसरा मकान वहां पर है। पहाड़ी इलाका है वह लोग वहीं रहते हैं जहां पर उनके खेत होते हैं। वह लोग एक जगह इकट्ठे तो रह नहीं सकते। वह तो काश्तकारी का धन्धा करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में समाप्त करता हूं, साहब।

अध्यक्ष महोदय, वहां तो बिखरी हुई आबादी है। वहां पर आपका यह क्राइटेरिया बिलकुल फायदेमन्द नहीं होगा। इसलिये मैं तो आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप वहां पर अधिक से अधिक सड़कों की सुविधायें दें।

इसके साथ-साथ मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर अतिवृष्टि के कारण सभी फसलें नष्ट हो गयी हैं वहां ज्यादा भुखमरी है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि वहां पर अकाल राहत कार्य खोले जायें। अभी मैं अपने क्षेत्र में गया था तो मुझसे वहां पर लोगों ने बार-बार पूछा और कहा कि फसल तो सारी नष्ट हो गयी है, अब आप राहत कार्य कब चालू करायेंगे। तो मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जल्दी से जल्दी अकाल राहत कार्य खोलें।

बस इतना ही कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। आपने मुझे समय दिया है, उसके लिये आपको धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशचन्द्र शर्मा।

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष जी, अभी सदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार हुआ। वह प्रश्न यह था कि पांच हजार की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा जाना चाहिये। माननीय अध्यक्ष जी, यह रीति-नीति का प्रश्न है। हमारी जनता सरकार लोक कल्याणकारी कार्यों में अपना विश्वास रखती है इसलिये यह तय किया गया है कि पांच हजार की आबादी वाले गांव जो भी हैं उन्हें सड़कों से जोड़ा जायेगा। मेरा निवेदन है कि हमें इसके लिये नोर्म्स तय करने चाहियें। जो भी योजनायें हम बनायें उन योजनाओं को पूरा करने के लिये हमें वास्तविक व्यय करना चाहियें। मेरा सुझाव यह है, वास्तव में होना तो यह चाहिये कि हमें गांवों के लिये एक क्राइटेरिया निर्धारित कर देना चाहिये। हम पांच या सात किलोमीटर ऐसी दूरी निर्धारित करें ताकि सड़क से हर गांव दूर न पड़े। ऐसा तय किया जाय कि हर गांव सड़क से दूर न हो। इस प्रकार जो भी योजना हम बनावें वह योजना कल्याणकारी वास्तविक रूप से होनी चाहिये। इसके लिये हमें ऐसे नोर्म्स तय करने चाहियें कि हर गांव से पांच-सात किलोमीटर की दूरी पर सड़कें हों।

दूसरी एक और बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जहां-जहां

(श्री जगदीशचन्द्र शर्मा)

रेलवे लाइन निकली है वहां पर रेलवे क्रोसिंग की वजह से एक दिक्कत भी हुई है। हम कानूनी रूप से रेलवे क्रोसिंग को क्रोस कर नहीं सकते हैं। इसके कारण आज गांवों में समस्या बनी हुई है। मेरा सुझाव है कि हमारी सरकार रेलवे से सम्पर्क इस बारे में करें। इन सारी जगहों का पी. डब्ल्यू. डी. से सर्वे करा कर रेलवे से इसके लिये मुआवजा लेने के लिये तथा केन्द्रीय सरकार से वहां पर सड़कें बनाने के लिये बातचीत की जाय। आज तीस साल हो गये हैं फिर भी यह रेलवे क्रोसिंग की समस्या गांवों में बनी हुई है।

दूसरी बात मैं अपने क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मेरा क्षेत्र रतनगढ़ भूतपूर्व बीकानेर रियासत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था। इसके दक्षिण में 20–25 गांव लगते हैं। करीब दस हजार की आबादी से ऊपर की आबादी दक्षिण में है। रतनगढ के उत्तर में एक रेलवे स्टेशन है उसके बीच में रेलवे क्रोसिंग है। उससे जनता को बहुत ही दिक्कत होती है। इसके लिये हमने कई बार राजस्थान सरकार से निवेदन किया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, इस पर ज्यादा खर्चा नहीं होगा। सिर्फ 50–55 हजार रुपये के खर्च का मामला है। अगर पी. डब्ल्यू. डी. एक अन्डर ब्रिज बना दे तो रतनगढ़ को कम से कम 25–30 गांवों से मिलाया जा सकता है। रतनगढ़ चालीस हजार की आबादी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कस्बा है। अगर आप यह व्यवस्था कर देंगे तो काफी गांव के लोगों की समस्या हल होगी।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सालासर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वहां पर हजारों यात्री बाहर से दर्शनार्थ आते हैं। वह बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थान है। अध्यक्ष महोदय, हर साल हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कलकत्ता, बंगाल, आसाम से यात्री दर्शनार्थ आते हैं। रतनगढ़ से सालासर सड़क बनायी जाय ताकि यात्रियों को दुविधा नहीं हो। उस स्थान की आज तक उपेक्षा की गयी है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है इसको पूरा किया जाय।

इसके अलावा एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर पहले रतनगढ़ के एक सेठ ने एक सड़क बनायी थी। अध्यक्ष महोदय, आश्वासन राज्य सरकार ने ही नहीं दिया बल्कि एग्रीमेन्ट किया कि अगर आप यह सड़क बना देंगे तो राज्य सरकार हर साल इस सड़क पर पांच हजार रुपये भी मेन्टीनेन्स का खर्च करेगी। उस दानवीर सेठ के साथ एग्रीमेन्ट करने के बाद भी सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपने एग्रीमेन्ट की पालना नहीं की और पांच हजार रुपये भी हर साल मेन्टीनेन्स के लिये खर्चा नहीं किया। एक नहीं, दो नहीं, दस साल नहीं, 15 साल के बाद काफी रिप्रेजेन्टेशन करने के बाद एक साल तो गवर्नमेन्ट ने पांच हजार रुपये खर्च कर दिये लेकिन बाद में दूसरे साल खर्च नहीं किये। सिर्फ एक साल पांच हजार खर्च करके पांच हजार खर्च करना बन्द कर दिया। यह कितनी अशोभनीय बात है कि जो आपने अनुबन्ध किया उस अनुबन्ध की आप पालना नहीं कर रहे हैं।

इसी प्रकार हमारे यहां पर रतनगढ़ से भालेरी और रतनगढ़ से मुमासर की सड़कें बहुत ही महत्वपूर्ण सड़कें हैं। उनके बन जाने से बीसियों गांवों को आपस में

(श्री जगदीशचन्द्र शर्मा)

मिलाया जा सकेगा और लोगों को राहत दी जा सकेगी।

हमारी कल्याणकारी नीति है इसलिये मेरा यह भी निवेदन है कि आबादी का क्राइटेरिया नहीं रख कर ज्यादा से ज्यादा गांवों को किस तरह सड़कों से मिलाया जाये इसकी योजना बनाने की आवश्यकता है।

अब थोड़ा मैं, अध्यक्ष महोदय, नियोजन के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। आज हमारे नियोजन कार्यालय का काम सिर्फ नाम रजिस्ट्रेशन करने तक ही सीमित रह गया है। नियोजन महकमे में भयंकर भ्रष्टाचार है। यह भ्रष्टाचार का अड्डा होने के कारण हमारे लिये कलंक है। रोजगार के मामले को राज्य सरकार को बहुत ही गम्भीरता से लेना चाहिये। सिर्फ रजिस्ट्रेशन तक ही नियोजन कार्यालय का कर्त्तव्य सीमित नहीं रहना चाहिये। लोगों का रजिस्ट्रेशन करने के अलावा उसके द्वारा अलग-अलग उद्योग जैसे कुटीर उद्योग आदि का प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जाना चाहिये। नियोजन कार्यालय में ऐसी व्यवस्था हो कि वह लोगों को बतावे कि उन्हें किस प्रकार लोन मिल सकता है। किस प्रकार की सर्विसेज के लिये क्या करना है। आप दस साल में बेरोजगारी को दूर करने की घोषणा कर चुके हैं। अगर यही नियोजन कार्यालय की भूमिका रही तो कैसे आप बेरोजगारी दस साल में मिटा पायेंगे? नियोजन कार्यालय से बेरोजगार लोगों को अप-टू-डेट सूचना मिलनी चाहिये। नहीं तो बेकारी दूर करना तो दूर, बेरोजगारी हर साल बढ़ती रहेगी। हमें ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है जिससे हमारे यहां पर बेरोजगारी समाप्त हो सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

अध्यक्ष महोदय, मैं अभी स्थान ग्रहण करता हूं। वास्तव में तो यह बात सत्य है कि जब भी आप आसन पर बैठे होते हैं तो मुझे बोलने का मौका मिलता है, अन्यथा मुझे बोलने का मौका भी नहीं मिलता है।

तो मैंने जो सुझाव दिये हैं कि सड़कों से पांच सात किलोमीटर दूर हर गांव रहे यह होना चाहिये। आबादी के हिसाब से दूसरे नोर्म्स तय किये जाय कि कितने किलोमीटर गांव सड़क से दूर रहे। दूसरी बात यह है कि रोजगार कार्यालय में जो भ्रष्टाचार है उसे समाप्त किया जाय। तीसरी बात यह है कि नियोजन कार्यालय रोजगार दिलाने में सक्रिय भूमिका निभा सके। इसके लिये कोशिश की जाय। इसके लिये मैंने प्रार्थना की है।

धन्यवाद !

श्री अध्यक्ष : श्री सुभाषचन्द।

श्री सुभाषचन्द (सूरजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। जैसे मेरा क्षेत्र सूरजगढ़ है उसमें दो तहसीलें हैं, दो ही पंचायत समितियां हैं और वह क्षेत्र सारा का सारा हरियाणा से जुड़ा हुआ है। जैसे नारनोल से लुहारू 60 किलोमीटर लगता है, वह क्षेत्र सारा का सारा हरियाणा से लगा हुआ है। मेरे क्षेत्र में पिछले तीस साल के अर्से में दो हाथ सड़क भी नहीं निकली। कोई भी काम इस क्षेत्र में सड़क और बिजली का किसी तरह का भी आज की तारीख तक नहीं हुआ है। मेरा क्षेत्र हरियाणा के बोर्डर पर है। हरियाणा में बिजली जगह-जगह लगी हुई है और

(श्री सुभाषचन्द)

सड़कें भी जगह-जगह निकली हुई है लेकिन जनता को परेशान करने के लिए आज तक पहली बार सरकार ने मेरे क्षेत्र में 11 अंगुल की सड़क भी नहीं निकाल कर दिखाई है।

मेरे क्षेत्र में भुवाणा से सिघाना, जो कि 12 किलोमीटर लगता है, पर थोड़ा बहुत काम मिट्टी और ईंट-पत्थर का कर रखा है जिससे पशुओं के आने जाने का रास्ता भी नहीं रहा है। काश्तकारों की गाड़ियों को खराब करने के लिए बना हुआ है। भुवाना से सतनाली 16 किलोमीटर लगता है, भुवाना से दुलोठ और महेन्द्र-गढ़ 13 किलोमीटर लगता है और भुवाना से सूरजगढ़ 16-17 किलोमीटर लगता है। मंत्री महोदय से मैं प्रार्थना करता हूं यह जगह सड़कों मे मिला दी जायें तो जनता को काफी सुविधायें हो सकती हैं। यह काम इस साल में होना चाहिए।

एक छोटी-सी बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट के गन्दे नाले का पानी बहता है और 15 गांवों के लोगों के स्वास्थ्य को खराब करता है। अध्यक्ष महोदय, गांवों का पानी इस गन्दे नाले से खराब होने के कारण कोई भी साग सब्जी नहीं उगती है। वह गांव उजड़ने की स्थिति में हो गये हैं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 15 गांवों की देखभाल व उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जावे।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में 53 गांव ऐसे हैं जिनमें बिजली नहीं है पिछली सरकार ने बिजली को प्रोत्साहन नहीं दिया, जैसा कि हरियाणा में दिया गया है। मैंने मंत्री महोदय को प्रार्थना की थी कि बुहाना के भूतपूर्व प्रधान प्रह्लाद ने करोड़ों रुपयों का घोटाला किया। अगर वह रुपया उससे लेकर वहां लगा दिया जाये तो सारे के सारे मसले हल हो जायें।

इतना ही कहकर मैं घंटी बजने से पहले ही बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : परम श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, जहां ईमानदार आदमी हो वहां फरियाद क्या करना। मैं यह इसलिए कह रहा था कि गत तीस वर्षों में दो चार अधिकारियों को छोड़कर करप्ट अधिकारी रहे। आज जनता पार्टी के शासन में कम से कम मैं बड़े गर्व के साथ यह घोषणा कर सकता हूं कि कोटा में आज जो पी. डब्ल्यू. डी. विभाग के अधिकारी हैं वह ईमानदार हैं, मेहनती हैं इसलिए मैंने यह बात कही कि जहां ईमानदार हों वहां फरियाद की आवश्यकता नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह शिकायत है।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह मक्खन बाजी नहीं है, यह स्पष्टता है।

मेरा निवेदन करना यह है कि अगर ईमान-दार आदमी होंगे तो निश्चित रूप से जितनी राशि मिली है वह व्यवस्थित रूप से खर्च होगी और काम अच्छी तरह से हो पायेगा। अध्यक्ष महोदय, कोटा में ईमानदार और परिश्रमी अधिकारी लगाने के लिये मैं प्रशासन को धन्यवाद देता हूं और निवेदन करता हूं कि जहां भी बेईमान अधिकारी हों उनको छांटकर और विभागों

(श्री दाऊदयाल जोशी)

में सिंचाई और पी. डब्ल्यू. डी. से बदल कर रख दिया जायेगा तो आपका काम दस गुना अच्छा हो जायेगा, ऐसी मेरी मान्यता है।

मैं हमारे भूतपूर्व पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा, पिछले सदन में मैंने पुरजोर शब्दों में निवेदन किया कि राजस्थान में एक ब्रिज कॉर्पोरेशन की स्थापना की जाय। भूतपूर्व निर्माण मंत्री महोदय ने ब्रिज कॉर्पोरेशन की स्थापना की है। 27 करोड़ रुपया राज्य सरकार उसमें लगायेगी और ब्रिज कॉर्पोरेशन बनायेगी। भिन्न भिन्न स्थानों पर जो पुल हैं उनका निर्माण ब्रिज कॉर्पोरेशन के माध्यम से होगा। उसमें हमारा पैसा भी लगने वाला नहीं है। इसमें हमारी नाम मात्र की पूंजी लगेगी और टोल टैक्स के माध्यम से पूंजी कॉर्पोरेशन जुटायेगा जैसे यू. पी. आदि प्रान्तों में है। इसके द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य को मिलाने वाले ब्रिज बन सकेंगे।

मेरा इतना निवेदन है कि आज जिन माननीय सदस्यों के मैंने भाषण सुने, उनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा बजट अगर हम सड़कों पर लगा दें तब भी जितनी सड़कों की मांग की गयी है वह सड़क पूरी नहीं हो सकती। 560 करोड़ रुपये का हमारे विकास का बजट है, यह भी मानकर चलें कि सारे विकास को एक कोने में भी रख दें तो भी यह बजट कम पड़ेगा। हमारा सड़कों का 12 करोड़ का बजट है उसमें कितनी सड़कें बन पायेंगी मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि मेरे कोटा नगर की तरफ जो सड़क जाती है, जयपुर से निकलने के बाद, सांगानेर के बाद से ही पता लगने लग जाता है कि यह रास्ता कहां जा रहा है? कोटा को जा रहा है। क्यों जा रहा है क्योंकि सड़क सारी की सारी टूटी हुई है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : बहुत अच्छी है।

श्री दाऊदयाल जोशी : श्योपतसिंह-जी, मैं आपके गंगानगर क्षेत्र में गया था। जरा वहां की सड़कों की कोटा की सड़क से तुलना करके देख लें। शायद आप जाते नहीं हैं और जाते भी हैं तो आप शानदार कार में जाते हैं। आपको पता नहीं है कि कोटा की तरफ की सड़कों की क्या हालत है।

मैं माननीय निर्माण मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि अन्य मार्गों को भी आपने नेशनलाइज किया है तो जयपुर-भोपाल मार्ग का भी नेशनालाइजेशन कर दें। मुख्य मंत्रीजी दिल्ली पधारते रहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस संबंध में लिखा भी है और कोशिश भी कर रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं निवेदन कर रहा था कि मेरे क्षेत्र में वर्ल्ड बैंक की मार्फत काम चल रहा है कि इस इस क्षेत्र में सड़क बनेगी। मेरा निवेदन है कि वर्ल्ड बैंक की स्कीम चम्बल सिंचाई के तहत बनी है, वह इटावा तक जाती है। तरह मेरा निवेदन है कि कोटा में जहां से नहर निकलती है वहां से स्कीम चालू हो जाये। अगर आप यह तो मांग करेंगे तो स्कीम में फेर-बदल हो सकती है। मेरे क्षेत्र में जहां-जहां चम्बल की नहरें हैं वहां सड़कें नहीं बनाई जायं लेकिन कम से

(श्री दाऊदयाल जोशी)
कम जितनी नहरें हैं उनको पक्का करा दें।

मैंने एक मांग और की है। मेरे क्षेत्र में चार चौमा ग्राम में चौथी शताब्दी का महादेव-जी का मन्दिर है। राजस्थान में उसकी सानी का एक भी मन्दिर नहीं है। आप भगवान महादेव के स्थान को महादेव के नाम से लिंक रोड से जोड़ दें, वहां पर बहुत पुरातन विशेषज्ञ पहुंचते हैं, पर्यटक पहुंचते हैं लेकिन रास्ता नहीं है। बड़ी तकलीफ से वह जाते हैं। वहां विदेशी यात्री तक पहुंचते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कोई नयी सड़क बनाने की मांग नहीं कर रहा हूं बल्कि यह कह रहा हूं कि जो सड़क अधूरी पड़ी है उसको पूरा किया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : थोड़ा छबड़ा में भी पहुंच जाओ।

श्री दाऊदयाल जोशी : जो महत्वपूर्ण सड़कें बन चुकी हैं, उन पर डामर डालना है।

मुख्य मंत्रीजी ने कहा, इनसे मेरा पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि आप बुलायें एक बार तो आपका बड़ा आभार होगा। आपने बड़ा अहसान किया है, उधर से चुनाव लड़ा है। राजस्थान में यह देखने के लिये अगर कोई स्थान देखना है कि 30 सालों में कांग्रेस ने क्या किया है तो छबड़ा में जाकर देखिये। क्या किया है पिछली सरकार ने? तीन-तीन तहसीलें हैं, तहसील लेवल पर सड़के मौजूद नहीं हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह मुख्य मंत्री से प्रभावित होकर बोल रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : इसी प्रकार से माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि आपके क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण पुलियां आती हैं। बीच में इन्दिरा गांधी जब कोटा आई थी उनको काले झण्डे दिखाने का तय था। बीच में मोहनलाल सुखाड़िया आये और तय हुआ था . . .

(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

डी. सी. एम. के श्रीराम भरतराम दो पुलियायें बनाकर देंगे। राजस्व मंत्री के क्षेत्र में वह एरिया पड़ता है। मैं अडिअप्पा साहब से निवेदन करूंगा उनका काम हो। सड़कें बना देते हैं और बैठ जाती हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : हम भी काले झण्डे तैयार रखें।

श्री दाऊदयाल जोशी : जितनी भी सड़कें बनती हैं वह नीचे बैठ जाती हैं। निवाई से लेकर कोटा तक काली मिट्टी होने के कारण सड़कें बैठ जाती है। चूना मिलाकर सड़कें बनाते हैं, उससे सन्तोषजनक स्थिति नहीं होती है। इसमें कोई नई टेक्निक अपना कर देखिये।

एक बात और कहूंगा। ईश्वचंदजी ने एक बात कही थी हमारे श्रम मंत्रीजी को उनको मेरा भी निवेदन है कि मेरे एरिया में तेन्दू पत्ता बहुत ज्यादा होता है। अगर वह एरिया बीड़ी मजदूरों को अलॉट कर दें तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार तेन्दू पत्ते से समाप्त हो सकता है। मेरा निवेदन है कि तेन्दू पत्ते के लिये ठेकेदार नियुक्त किये जाते हैं। अगर ठेकेदार ने किसी कारणवश 2 हजार के बजाय ज्यादा बोरे पत्ते तोड़े तो दस रुपया फी कट्टा पेनल्टी होती है या उस जंगल के अधिकारी की मर्जी पर है कि

(श्री दाऊदयाल जोशी)

पैनल्टी 10 पैसा वसूल करें या 10 रुपया करें। अगर दो हजार तेन्दू पत्ते के बोरों पर हाकिम 10, 20 या 50 पैसा जुर्माना करता है तो उसमें भ्रष्टाचार की बू निकलती है इसलिये सारे के सारे पत्ते बीड़ी मजदूरों को संभला दिये जायें। मुझे आज के दिन यही निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : श्री चन्नीलाल जेलिया।

(अनुपस्थित)

श्री हरिसिंह यादव।

श्री हरिसिंह यादव (बानसूर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के माध्यम से सार्वजनिक निर्माण विभाग और श्रम विभाग के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं। इस प्रगति विवरण के अन्दर कहा है जनता सरकार ने कि हम 5 हजार की आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ेंगे। न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के तहत इसी प्रगति रिपोर्ट में लिखा है कि ढाई हजार की आबादी वाले गांवों को भी जोड़ेंगे सड़क से, वास्तव में यह स्वागत योग्य योजना है।

(9.17 रात्रि)

(श्री मन्जूर अली, सभापति, पीठासीन।)

यह योजना है ग्रामीण जनता को सड़कें मुहैया कराने की। दो एक प्रमाण भी इस प्रगति रिपोर्ट से मिलते हैं प्रगति के सन् 51 से लेकर सन् 77 तक की जो प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पेश की है इसमें है कि सन् 51 से सन् 56 तक कुछ सड़कों की लम्बाई में प्रगति हुई। 56 से 61 तक भी कुछ प्रगति हुई। परन्तु 61 के बाद 5 साल तक राजस्थान के निर्माण विभाग ने इतना उत्तम काम किया कि वह प्रगति अवरुद्ध होती चली गई। यह खुशी की बात है कि जहां आपातकाल में सन् 75-76 के अन्दर राजस्थान के अन्दर सड़कों की जो लम्बाई थी उसको कुल 976 किलोमीटर बढ़ाया गया इसकी तुलना में जनता सरकार ने शासन में आने के बाद में आने वाले वित्तीय वर्ष के अन्दर 1996 किलोमीटर बढ़ायी है। जनता सरकार यदि अपनी नीति के अनुसार 5 हजार और 2॥ हजार की आबादी के गांवों को सड़कों से तत्परता से जोड़ेगी तो यह एक अच्छा कार्यक्रम जनता की बहबूदी के लिये हो सकता है, विकास की एक अच्छी योजना हो सकती है। मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि पहली पंचवर्षीय योजना से पांचवी पंचवर्षीय योजना चली और खतम हो गई लेकिन इस प्रगति रिपोर्ट को देखने से यह मालूम होता है कि माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने अलवर जिले की सड़कों की अवहेलना की है। मैंने पिछले सत्र में भी निवेदन किया था, माननीय मुख्य मंत्री महोदय को इस बात का पूरा ज्ञान है कि साबी नदी एक भयंकर नदी है, जो साल में करीब-करीब बहती रहती है। बरसात के अन्दर इस साल हरियाणा और दिल्ली को भी तबाह किया। इस नदी को पार करने के लिये 30 साल के शासन में एक भी पुलिया नहीं बनाई गई। मुझे अफसोस है कि इस साबी नदी के ऊपर एक पुल निर्माण करने के लिये अभी भी विचार नहीं किया गया है। माननीय सभापतिजी, मैं अनुरोध करूंगा कि हमारा विस्तृत अलवर जिला जनसंख्या और उपजाऊ शक्ति की दृष्टि से राजस्थान के अन्दर अपना एक स्थान रखता है। जहां इण्डस्ट्रीज हैं। इस साबी नदी पर पुल का निर्माण करने से ही नेशनल हाईवे

(श्री हरिसिंह यादव)

नं. 8 से जुड़ सकता है । इतने महत्वपूर्ण इलाके को साबी ने हाई वे से दूर रखा है। मैं गुजारिश करूंगा आपके जरिये निर्माण मंत्री महोदय से कि साबी नदी के ऊपर पुल बनायें । कोटपूतली से अलवर सड़क जा रही है वहां यह नदी छोटी है, उसके आगे इसका पाट और चौड़ा हो जाता है । तो कोटपूतली अलवर मार्ग में सीकर तक रोडवेज की बसेज जाती हैं । सीकर और झुंझुनू और चूरू से जोड़ने वाला यह जो हमारा राज मार्ग है यह पूरा हो । फिर अलवर साबी की वजह से छिन्न भिन्न रहता है । इसमें बसेज और मोटर गाड़ियां हर साल डूबती हैं । बह जाती हैं। इन्सान और पशु भी बह जाते है । वस्तुतः जनता बरसात के दिनों में आ जा नहीं सकती। इसलिये मेरी मांग है, तत्काल गंभीरता से विचार करके साबी पर कोटपूतली और अलवर रोड के बीच पुल का निर्माण निश्चित रूप से शीघ्र कराया जाय । मेरा निवेदन है इसमें लागत भी कम आयेगी और जो हाई वे है, दिल्ली-जयपुर का, उसका फायदा होगा अलवर जिले की जनता को।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मान्यवर, मैं इसके अलावा यह भी कहना चाहूंगा निश्चित रूप से हमारे घोषणा-पत्र में तय है ग्रामीण विकास में जनता सरकार धन लगायेगी परन्तु प्रगति विवरण भवन निर्माण के क्षेत्र में बात कही गई है उसमें यह है कि केवल कुछ चन्द मुख्यालयों के भवनों के लिये ही पैसा रखा गया है । वह चाहे जयपुर हो, चाहे जोधपुर हो । जिला स्तर के औषधालय, चिकित्सालय, कालेज आदि के लिये उसमें विशेष प्रावधान नहीं है । इसलिये मैं अपने कटौती प्रस्ताव के जरिये सरकार से मांग करता हूं। राजस्थान के समस्त सार्वजनिक भवनों की स्थिति देखते हुए भवन निर्माण के कार्य को करें । हमारे अलवर के अस्पताल और अलवर के जनाना अस्पताल की आज तक कम्पाउन्ड वाल नहीं बनी है । इस प्रगति विवरण में भी इसका हवाला नहीं है केवल एक शब्द लिखा है कि राज ऋषि कालेज के भवन निर्माण के लिये कुछ पैसा दिया जायगा। मैं कहना चाहता हूं सार्वजनिक निर्माण विभाग को अलवर जिले की इस प्रकार की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मान्यवर, मैं दो शब्द लेबर के बारे में भी कहना चाहता हूं । मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि हमारी जनता सरकार और हमारे श्रम मंत्री जी, प्रो. केदार जी को यह श्रेय प्राप्त है कि जब से जनता सरकार आई हैं कोई भी मजदूर भूखे पेट नहीं सोया है । प्रो. केदार ने श्रमिकों के जितने झगड़े थे, उनको बिना प्रशासनिक हस्तक्षेप के समाप्त किया है, यह सराहनीय बात है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बात मैं गंगापुर. . . .

श्री सभापति : अब आप बैठिये ।

श्री दुलाराम : अगर इस तरह समय दिया गया तो तीन बजेंगे ।

श्री हरिसिंह यादव : जो लेबर के डिस्प्यूट्स हैं राजस्थान में वे सब मजदूरों के हित में डिसाइड हुये हैं, उतने बंगाल में भी शायद नहीं हुये हैं ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : खेतड़ी बाकी है ।

श्री सभापति : मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कृपया अब आप बिराज जाइये।

(व्यवधान)

प्लीज, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, बैठिये।

श्री हरिसिंह यादव : एक मिनट की कृपा कर दीजिये।

जो सारे सदन के माननीय सदस्यों ने मांग की है मैं भी मांग करता हूं कि बेरोजगार लोगों को रोजगार भत्ता देने की सरकार कोशिश करे और दिया जाय।

दूसरे जो रोजगार तलाश करते-करते..

(व्यवधान)

थक जाते हैं और दर-दर भटकने पर भी नौकरी नहीं मिल पाती है ऐसे लोगों के लिए नौकरी में जो ओवर एज का प्रावधान है, वह किसी भी कसौटी पर सही नहीं है। इसलिये उस व्यक्ति को ओवर एज नहीं माना जाय जो बराबर नौकरी की तलाश में इधर-उधर घूमता फिरता है। सरकार उसको ओवर एज का सर्टिफिकेट देकर अन्धकार में धकेलना चाहती है इसलिये ओवर एज को निश्चित रूप से सरकार को खतम करना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपने कटौती प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री सभापति : श्री जीत मल जैन।

श्री जीत मल जैन (अलवर) : माननीय सभापति जी, किसी भी देश की प्रगति के लिये कुछ मूल-भूत बातें आवश्यक होती हैं, वे हैं सड़क, बिजली और पानी। इन तीनों चीजों के अभाव में कोई भी देश और प्रदेश प्रगति नहीं कर सकता है। हमारे देश का यह दुर्भाग्य रहा है कि गत 30 वर्षों में सड़कों की इस देश के अन्दर बड़ी उपेक्षा हुई है, विशेषकर राजस्थान में जो सड़कों की उपेक्षा की गई है उससे हमारा यह प्रान्त अन्य प्रान्तों से काफी पिछड़ गया है। जब हम अपने पड़ौसी राज्यों, हरियाणा और पंजाब को देखते हैं और जब हम अपने प्रदेश का उस प्रदेश से कम्पेरिजन करते हैं तो आंखें शर्म से झुक जाती हैं। केवल सड़क, बिजली और पानी के कारण ही ये प्रदेश इतनी उन्नति कर सके हैं। आज नगरों में जो आबादी बढ़ रही है और गांवों के लोग शहरों में दौड़ रहे हैं उसका एकमात्र कारण यह है कि गांवों का शहर से संबंध नहीं है। वह संबंध सड़कों के कारण नहीं हो सका है। अगर पिछले 30 वर्षों में सड़कें उपलब्ध कराई होतीं तो आज शहरों की आबादी पर भी रोक लगाई जा सकती थी और उसका समाधान हो सकता था।

अब मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से अलवर की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। भवन निर्माण विभाग के बारे में पिछले दिनों ध्यान आकर्षित किया था और अभी माननीय हरिसिंहजी ने भी अलवर के जनाना अस्पताल और अस्पताल की ओर ध्यान आकर्षित किया है। पिछले कई वर्षों से इन दोनों अस्पतालों की बाउन्ड्री वाल नहीं बनी हुई है। बाउन्ड्री वाल के अभाव में जो अस्पताल साफ स्वच्छ रहने चाहिये वहां गन्दगी के ढेर लगे हुये हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे जनाना अस्पताल की बाउन्ड्री वाल शीघ्र से शीघ्र बनाने के लिये धन जुटायें।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं अलवर

(श्री जोत मल जैन)

के अन्दर इन 30 वर्षों में आबादी बढ़ी है। अलवर का रेलवे स्टेशन बिलकुल जंगल में था और शहर से उसका कोई संबंध नहीं था। आज वह शहर रेलवे लाइन तक ही नहीं बल्कि रेलवे लाइन क्रास करके आगे बढ़ता जा रहा है। अलवर में उद्योग भी बढ़ते जा रहे हैं। अलवर में जो रेलवे फाटक है, वह हमेशा बन्द रहता है जिससे आवागमन में वहां के नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। रेलवे फाटक बन्द होने के कारण राष्ट्रीय मार्ग है वहां ट्रक और बसेज की भीड़ खड़ी रहती है और नागरिकों को काफी असुविधा रहती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अलवर में ओवर हैड ब्रिज की अत्यन्त आवश्यकता है। कृषि उपज मण्डी से और सार्वजनिक निर्माण विभाग से धन की व्यवस्था कराई जाकर ओवर हैड ब्रिज की व्यवस्था कराई जाय।

सारी मांगों को धन के अभाव में पूरा करना सम्भव नहीं है इसलिये धन को जुटाने के लिये.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि जो सार्वजनिक भवनों के रख-रखाव पर लाखों रुपया खर्च किया जाता है, उसमें हमें बचत करनी पड़ेगी। विशेष रूप से अधिकारियों की कोठियों पर या जिनमें वी. आई. पी. रहते हैं उनमें लाखों रुपया प्रति वर्ष सरकार खर्च करती है। सारे प्रदेश में अस्पतालों के जितने भी भवन हैं, उनको छोड़कर तीन वर्ष के लिये रख-रखाव पर जो खर्च किया जाता है, व्हाइट-वाश आदि पर वह बन्द कर दिया जाय। इससे जो धन की बचत हो, उससे सड़कों के निर्माण की ओर ध्यान देकर प्रदेश को प्रगति की ओर ले जा सकते हैं।

श्री सभापति : माननीय श्री हजारीमलजी सारण।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री बालकृष्ण थानवी।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी) : माननीय सभापतिजी, सड़कें कच्ची तो फलौदी तहसील में बहुत हैं और उनमें भी खास तौर से बहुत ज्यादा जिन सड़कों की हालत खराब है उनमें हैं लोहावट से ढेलना, कोलू से पीलवा, कोलू से भांवरीज-डेडिया, फलौदी से जाम्भा, मोखेरी से कुशलावा, बीटड़ी से बारू-टेकरा खीचन से जालोड़ा, आऊ से चाम्पासर, चोतीणा से मानेवड़ा, देणोक से घंटियाली चिमाणा, बाप व रावरा से भुर्ज भड़ला कानसिंह की सिड्ड से लूना-मीठडिया, खिवरस से ऊदट, ओड़ से बाकड़ी और खारा से सांवरीज। इन सारी सड़कों पर विशेष तौर से मरम्मत की जरूरत है। काफी जगह रेत के बड़े-बड़े टीले आये हुए हैं और काफी जगह गड्ढे हैं और कुछ जगह पर तो केवल जिप्सम रोड़े ही डाले हुए हैं। अतः ऐसे स्थानों पर वास्तव में सड़क नाम की कोई चीज ही नजर नहीं आती है चूंकि ये सारी सड़कें कांग्रेस के राज में बनी थीं और अकाल के नाम पर बनी थीं। अकाल जब पड़ता है तब कम से कम कुछ लोगों को फायदा होता है और किसान बेचारा मरता है। अकाल किसान के लिए अभिशाप है। मगर कांग्रेसी शासकों, नेताओं, पी डब्ल्यू. डी. अधिकारियों व व्यापारियों के लिए अकाल वरदान साबित हुआ है और इसमें उन्होंने करोड़ों रुपये इधर-उधर करके फायदा उठाया है। मैं आपको

(श्री बालकृष्ण थानवी)

मिसाल के तौर पर कहूंगा कि सन् 72 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब जैसलमेर क्षेत्र की सड़कों के लिए लाखों रुपयों की राशि मंजूर की गई पर उसमें से कई लाख रुपये कांग्रेसी उम्मीदवारों को जिताने के लिए लगाए गये थे और खर्च कहीं सड़कें बनाने के नाम पर झूठे बिल, मस्टर रोल बना कर गलत बताया गया था। इसी तरह से आपातकाल के दौरान कांग्रेस द्वारा फलौदी तथा अन्य क्षेत्रों में आयोजित किसान सम्मेलनों पर भी सड़कों की राशि खर्ची गई थी। जब संजय जी बीकानेर पधारे थे तब वहां आयोजित जलसे पर भी अधिकांश खर्चा सड़कों के फण्ड में से ही किया गया था मगर बताया यह गया कि सड़कों का निर्माण किया गया है। इसी तरह से ढाई हजार रुपयों तक की लागत से टूटी-फूटी सड़कों की जो मरम्मत होती है उसके लिए नियमानुसार टेंडर नहीं मांगे जाते हैं और पी. डब्ल्यू. डी. अधिकारियों को उसकी इजाजत देने का अधिकार होता है और उसके बिलों का भुगतान करने के लिये भी वे अधिकृत होते हैं। इसी तरीके के कई मामले उस समय भी हुए और ढाई-ढाई हजार राशि के कई ठेके सड़क निर्माण व मरम्मत के दिये गये लेकिन न कोई टूट थी और न कोई फूट थी तथा न ही कोई सड़क का टुकड़ा ही बना। मगर लाखों रुपये इस तरह से चले गए। अतः जनता सरकार इस बारे में सावधान रहे। सभापतिजी, आपके जरिये राज्य सरकार से मेरी यह मांग है कि पी. डब्ल्यू. डी. वालों द्वारा जो ठेके दिए जाते हैं उनमें भारी गड़बड़ी होती है अतः इस ठेके की प्रणाली को बन्द किया जाकर सड़क निगम की स्थापना की जावे और उसके द्वारा ही सारा कामकाज हो।

फलसूंड से बाड़मेर तक काफी दूरी है मगर एक रास्ता ऐसा है जिसमें सड़क बन जाती है तो उससे कुछ मील तक की दूरी, कम से कम दस-दस मील का फासला कम हो जाता है, इसलिए इस ओर भी ध्यान देने का मेरा निवेदन है।

जहां तक डामर सड़कों का सवाल है, फलौदी से जोधपुर वाया ओसियां, फलौदी से जोधपुर वाया देच्छु, लोहावट से पीलवा व फलौदी से नागौर की सड़कें ऐसी हैं जो बीच-बीच में टूटी हुई हैं परन्तु इसके मुकाबले में....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

फलौदी से जैसलमेर, फलौदी से बीकानेर की डामर सड़कें ठीक हालत में हैं, थोड़ी जगहों से ही टूटी-फूटी हुई हैं। अतः इन सारी सड़कों को जहां-जहां से वे टूटी हुई हैं, राज्य सरकार जल्द से जल्द ठीक करवाये।

जो मलार से नमकरिण, बाप जाने वाली डामर सड़क और उन पर बनी पुलिया जिनके कि बारे में मैंने पहले इशारा किया था कि संजय गांधी के बीकानेर आगमन पर उनके स्वागत में आयोजित जुलूस पर इस सड़क और इन पुलियाओं के रुपये लगाये गये और पुलियायें पूरी न बना कर रेत से भर दी गईं पुलिया का निर्माण नहीं कराया गया, नतीजा यह हुआ कि बरसात का पानी आने से रेत बह गई और सारा का सारा बरसाती पानी नमकरिण में पहुंच गया जिससे कम से कम तीस लाख रुपयों की हानि नमक उत्पादकों व व्यवसायियों को उठानी पड़ी। इस रास्ते में अर्थात् नमकरिण-बाप जाने वाली डामर सड़क के रास्ते में दो गड्ढे इस तरह के हैं कि उनमें ट्रक फंस जाते हैं और ट्रक दुर्घट-

(श्री बालकृष्ण थानवी)

नायें हो जाती हैं। चूंकि बाप-मलार नमकरिण से नमक के ट्रक इस सड़क पर दिन-रात चलते रहते हैं इसलिए इन पुलियाओं के बीच में जो गड्ढे हैं उनको जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाय।

अब मैं श्रम विभाग के बारे में निवेदन करूंगा।

श्री सभापति : श्रीमान्, अब बहुत थोड़े में कहिए।

श्री बालकृष्ण थानवी : श्रम विभाग का ऐसा कायदा है कि जहां-जहां बड़ी संख्या में मजदूर काम करते हों वहां-वहां इस विभाग के निरीक्षक जाकर मजदूरों के हितों की देख-भाल करें मगर बाप, मलार, नमकरिण में करीब दस हजार मजदूर व अन्य लोग काम करते हैं, पर श्रम विभाग का कोई इन्सपेक्टर वहां नहीं जाता है। नमकरिण के कतिपय व्यापारी वहां मजदूरों से मनमाना काम करवाते हैं। श्रम कानून के मुताबिक उनको कोई सहूलियतें नहीं मिली हुई हैं। जैसे वहां स्कूल नहीं है, दवाखाना नहीं है और पानी की व्यवस्था भी नहीं है। पानी की टंकी बनी हुई है पर फलौदी से वहां तक पानी पहुंचता नहीं है, हालांकि पाइप लाइन पड़ी हुई है। इसलिए इस ओर ध्यान देकर वहां स्कूल, दवाखाने और पानी की तत्काल व्यवस्था करानी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। श्रीमती श्यामाकुमारी।

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन) : माननीय सभापति महोदय, आज की मांग के द्वारा आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मेरे क्षेत्र की सड़कों की तरफ, टूटे हुए पुलों की तरफ तथा उदयपुर के अन्दर अम्बा माता मंदिर का जो पुल है जो कई महीनों से टूटा हुआ है उसकी तरफ आकर्षित करना चाहूंगी। श्रीमान्, अन्य प्रदेशों की तुलना में यद्यपि हमारे राजस्थान में सड़कों के नाम पर बहुत कम सड़कें हैं। पूरे प्रदेश में 38,883 किलोमीटर सड़कें हैं। उसमें से कच्ची और पक्की दोनों मिला करके और चित्तौड़ जिले में, श्रीमान्, उसी प्रकार की कच्ची और पक्की दोनों मिला करके केवल 292 किलोमीटर है। 292 किलोमीटर में भी जैसा कि माननीय थानवी साहब ने फर्माया, मैं उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों की ओर इशारा करके कहना चाहूंगी कि वह जो सड़कें नक्शे में बनी हैं, उनके पैसे आपने कहीं और खर्च किए और सड़कें केवल नक्शे में बनाईं, यही कारण है कि आज आप भी सड़कें मांग रहे हैं। अगर वास्तव में आपने सड़कें बनाईं होतीं तो आज आपको तो कम से कम सड़कों की मांग करने की जरूरत नहीं होती। श्रीमान्, चित्तौड़ जिले की सड़कों का वर्णन करने से पहले मैं आपका ध्यान चित्तौड़ के किले की सड़क की तरफ दिलाना चाहूंगी।

श्रीमान्, चित्तौड़ का वह किला....

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया इन्ट्रप्ट नहीं करें। माननीय सदस्या को बोलने दीजिए।

श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर : जो वीरों का शेष स्मृति चिन्ह और वीरांगनाओं की जौहर भूमि है। पर्यटन और ऐतिहासिक दृष्टि से भी उस किले का महत्व है। श्रीमान्, उस किले के अन्दर जो सड़क है, जिन लोगों ने

(श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर)

देखी हैं वे जानते हैं कि प्रवेश द्वार से लेकर कालका माता के मंदिर तक तो सड़क ठीक है मगर सम्पूर्ण किले की सड़कों का हाल अत्यन्त खराब है। चित्तौड़ जाने वाला व्यक्ति केवल कालका माता का दर्शन करके ही नहीं लौटना चाहेगा, स्वाभाविक है वह सभी स्थान देखना चाहेगा, विजय स्तम्भ भी देखेगा, जौहर स्थल भी देखेगा और जितने भी ऐसे ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं वे सब देखना चाहेगा लेकिन वहां जाने के लिए अगर स्कूटर, मोटर साइकिल या कार लेता है तो वहां जाने से पहले टायर का बीमा करा लेता तो अच्छा रहता, यह उसे सोचना पड़ेगा। श्रीमान् से मैं यह अर्ज करूं और आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अर्ज करूं कि उस किले की जो सड़कें हैं उनकी मरम्मत कराने की कृपा कीजिएगा।

इसके साथ ही, श्रीमान्, चित्तौड़ के किले की बात करने के बाद अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र कपासन की बात करना चाहूंगी। मेरे क्षेत्र के अन्दर जो सड़कें हैं वह पच्चीस-तीस वर्षों तक पुरानी हैं और जब से वे बनी हैं सम्भवतः उनकी बिल्कुल मरम्मत नहीं हुई, मरम्मत के नाम पर बिल्कुल मेटीरियल खर्च नहीं किया गया है। जैसा कि मेरे अनेक भाइयों ने वर्णन किया ये वैसी ही सड़कें हैं जहां कहीं पर एक फुट, डेढ़ फुट और दो फीट गहरे गड्ढे हैं। साधारण व्यक्ति तो भले ही उन पर होकर जा सके लेकिन अगर कोई बीमार हो और दिल का मरीज उस रास्ते से जाएगा तो रास्ते में ही मर जाएगा, पहुंच भी नहीं सकता आखिरी मंजिल तक। अतः मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि मंत्री महोदय मेरे क्षेत्र में जो इस प्रकार की सड़कें हैं, उनकी मरम्मत करवाने की व्यवस्था करें। मान्यवर, जहां पर सड़कें अधूरी हैं, अथवा सड़कें नहीं हैं और सड़क की आवश्यकता है, उनके बारे में मैं अर्ज करना चाहूंगी जैसे मेरे सभी सहयोगियों ने अपने-अपने क्षेत्र में सड़कों की आवश्यकता पर जोर दिया है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि मंत्री महोदय एक समान नीति का पालन करते हुए, कोई भेदभाव न रखते हुए, हम जितने एम. एल. ए. 200 हैं, प्रत्येक के क्षेत्र के अन्दर, जितनी सड़कें हमारे हिस्से में आती हैं, हमारे क्षेत्र की सड़कों को देख लिया जाए और उसके बाद उनकी प्राथमिकता तय कर दी जाय। उसके आधार पर शनैः शनैः एक-एक सड़क को प्रति वर्ष लेते रहें। इस प्रकार से सड़कों की तकलीफ को दूर करने की कोशिश की जाय।

भोपालसागर से कीर की चौकी तक पुरानी डामर रोड है जिसमें गड्ढे पड़े हुए हैं। भोपालसागर से आकोला तक तो मरम्मत हो चुकी है लेकिन आकोला से ताणा और कीर की चौकी तक जो पुरानी डामर रोड है, वह ग्रेवल रोड से भी गई बीती है। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगी इस सड़क को मरम्मत कराने की कृपा करें।

श्रीमान, थोड़े से सुझाव मैं सड़कों के बारे में और देना चाहूंगी। मेरे क्षेत्र के अन्दर फतहनगर मण्डी से पटोलिया होकर आकोला जाने वाली सड़क है, यह कई वर्षों पहले बनी थी और अब करीब-करीब समाप्त हो चुकी है। इसलिए इसकी मरम्मत करवाई जाए। हिसाब से फतहनगर मण्डी को इस सड़क का निर्माण कराना चाहिए क्योंकि उनके और पिछली सरकार में यह समझौता था कि मण्डी क्षेत्र के 10 किलोमीटर के अन्दर-अन्दर जो सड़कें हैं, वे मण्डी को बनानी हैं, लेकिन वह अभी तक नहीं बनी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगी कि मण्डी वालों

(श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर)
को बाध्य करके इस क्षेत्र की सड़कें मण्डी द्वारा बनायी जाय और इसके लिए आदेश जारी किए जायं ।....

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : माननीय सदस्या जो कह रही हैं, उसको मंत्री महोदय ध्यान से सुनें ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : आप क्यों चिन्ता कर रहे हैं ।.....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह कार्यवाही असेम्बली रिकार्ड में आ रही है...

श्री सभापति : कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर : श्रीमन् मेरे क्षेत्र में एक भोपालसागर शुगर फैक्ट्री है। उसके साथ भी सरकार का यह समझौता है कि दस मील के रेडियस में जितनी सड़कें हैं उनका निर्माण, मरम्मत और रख-रखाव भोपालसागर शुगर फैक्ट्री करेगी । लेकिन इस शुगर फैक्ट्री ने भी वहां पर नाम मात्र को सड़क बनाई। अगर आप आज्ञा दें तो कुछ के नाम और बोल दूं ।

कपासन से घमाना जाने वाली सड़क सबसे पुरानी है और यह अत्यन्त ही जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है । इसको ठीक कराया जाए । इसी प्रकार से कपासन से पाण्डोली जाने वाली सड़क है । इस पर दो पुल हैं । ये टूटे हुए हैं । बरसात के दिनों में कपासन अलग हो जाता है और गांव के लोगों को इलाज, व्यापार की सुविधा समाप्त हो जाती है । पुल टूटने के कारण वे आ-जा नहीं सकते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि किसी वजह से सड़क न बनाई जा सके, तो कम से कम इन दोनों पुलों को ठीक करवा दिया जाए ताकि लोगों को आवागमन की सुविधा रहे। इसके अलावा भी अनेक सड़कें बनानी हैं जिनकी लिस्ट माननीय मंत्री महोदय को दे रही हूं ।

श्रीमान्, इन्हीं सुझावों के साथ आपके द्वारा मंत्री महोदय का मेरे ग्रामीण क्षेत्र की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मैं आपको धन्यवाद अर्पित करते हुए अपना स्थान ग्रहण करती हूं ।

श्री सभापति : श्री बालचन्द आर्य !

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द जैन !

(अनुपस्थित)

श्री रघुवीरसिंह कौशल !

(अनुपस्थित)

तमाम सदस्यगण, जो नहीं बोल पाये हैं से मैं अर्ज करूंगा कि वक्त की तंगी को देखते हुए.........

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : सभापति महोदय, अभी तक जनता पक्ष के सदस्यों द्वारा सड़कों, पुल की भीख मांगी गई है । मैं अब जनता पार्टी का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करूंगा...

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : यह भीख नहीं है । गलत है ।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं अपने आप इस शब्द को वापस ले लेता हूं ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य वर्मा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिराजिए ।

(व्यवधान)

आसन पांवोंपर है। कृपया विराजिए ।

मंत्री महोदय !

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आसन के प्रति आदर रखते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि यह परम्परा गलत है । अभी तक जनता पक्ष के सदस्य ही बोले हैं ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजिए ।

(व्यवधान)

कृपया मुझे सुनिए । आसन रिक्वेस्ट करता है । प्रश्न यह है कि समय की तंगी को देखते हुए क्या इस डिबेट को क्लोज कर दिया जाये ?

(व्यवधान)

श्री रामरघुनाथ चौधरी : यह गलत है ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : हमको रोकने का आसन को अधिकार नहीं है . .

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया सुनिए !

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : आप डिबेट क्लोज आप नहीं कर सकते ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह गलत निर्णय है ।

श्री सभापति : कृपया आसन की गरिमा का ख्याल रखिए ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आसन ने नियमों को तोड़ा है । I walk out.

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : आप कैसे नहीं बोलने देंगे ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया आप सुनिए तो सही ।

श्री दुलाराम : क्या सुनें ?

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : माननीय सदस्या बोलना चाहें तो उनको अनुमति दे दी जाए । हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : ये धमकी दे रहे हैं ।

श्री दुलाराम : यह कोई धमकी नहीं है ।

श्री सभापति : हाउस का कांसेन्श : यह था और सत्ता पक्ष की ओर से यह मूव आया कि डिबेट को क्लोज कर दिया जाए । मैं गलत नहीं कह रहा हूं । आपने भी यह सुना कि यह हाउस का सेन्स था कि टाइम की तंगी को देखते हुए डिबेट को क्लोज कर के मंत्री महोदय को सुन लिया जाए । इस पर मैंने यह मूव किया था ।.....

(व्यवधान)

Page No 217

(217)

(श्री सभापति)

इसके बावजूद आप बोलना चाहते हैं तो आप बोलिए ।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी (उद्योग मंत्री): बुलवाइये, बुलवाइये । हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री सभापति : आप डिबेट शुरू करने के लिए बोलना चाहते हैं, तो बोलिये ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सभापति जी, मेरी तरफ से कोई रोक नहीं है ।

आप जब तक बोलना चाहते हैं, बोलें । हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है ।

श्री सभापति : आप भी खामोश रहे तो मैं समझा आप राजी हैं ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मगर आपने हां पक्ष और ना पक्ष की बात कैसे कही ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : हमें बोलने का रोग नहीं है ।

श्री सभापति : माननीय श्री अमृतलाल जी ।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री चिरंजीलाल जी गर्ग !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री रामेश्वरदयाल यादव !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री मेघराज पंवार !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री विजयेन्द्रपाल सिंह जी !

एक माननीय सदस्य : हैं, पर वह बोलना नहीं चाहते हैं ।

श्री सभापति : माननीय श्री नूरा ।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री लालशंकर जी !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री रामकृष्ण दास गुप्ता !

(अनुपस्थित)

एक माननीय सदस्य : वह गये ।

श्री सभापति : माननीय श्री हनुवन्त सिंह जी !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री रतनलाल जी !

एक माननीय सदस्य : बोलना नहीं चाहते हैं ।

श्री सभापति : माननीय श्री हरिकृष्ण !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री गुरुशरणजी !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री आलमअली खां !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री नत्थी सिंह !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री किशन सिंह !

(अनुपस्थित)

(श्री सभापति)
माननीय श्री रामकिशोर जी ।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री खंगार सिंह जी ।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री लालूदास जी ।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री गोविन्द सिंह जी ।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, लोगों को बोलने से रोका जा रहा है ।

कई माननीय सदस्य : किसी को नहीं रोका जा रहा है । कोई बोलना ही नहीं चाहते हैं ।

श्री सभापति : माननीय श्री मुन्नालाल जी ।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री हरजीराम बुरड़क ।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री रामनारायण डूंडी ।

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा) : माननीय सभापति जी, मैं कुछ समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में सड़कों की जो दयनीय स्थिति है, उसकी ओर सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में डामर की सड़कें सबसे ज्यादा लम्बी हो सकती हैं, लेकिन वह काफी पुरानी हैं । जगह-जगह खड्डे पड़ गये हैं । उनकी मरम्मत का काम भी नहीं हो रहा है । सन् 76 के अगस्त में बाढ़ व 1977 में जो ज्यादा बरसात हुई उससे वह सड़कें टूट गई । उनकी किसी भी प्रकार की मरम्मत नहीं हो रही है । न उन सड़कों की तरफ ध्यान दिया गया । मैं माननीय मंत्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो आसोप-बिलाड़ा सड़क 100 किलोमीटर की है उस सड़क को रिपेयर के लिए ध्यान दिया जाय। यह सड़क प्रथम सड़क है जो तहसील व मुन्सिफ कार्यालयों को जोड़ती है । सड़क अत्यधिक टूटी होने के कारण यातायात में बाधा पड़ती है एवं बसों द्वारा समय पर लोगों को नहीं पहुंचाया जाता है । बिलाड़ा के पास बाणगंगा नदी पर पुलिया नहीं बनी है। वह भी बनाई जाय क्योंकि बरसात के दिनों में दस-दस दिन तक रास्ता बन्द रहता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उस पुलिया का निर्माण कराया जाय। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की अधूरी सड़कों को पूर्ण किया जाय जो मामूली धनराशि से पूर्ण हो जायेंगी। कुछ सड़कों के लिये दुग्ध उत्पादक संघ व कृषि उपज मण्डियों की सहायता ली जावे। यदि पी० डब्ल्यू० डी० के सुपरवीजन चार्जेज का मामला विवादास्पद है तो सैटल करा दिया जाय ताकि इन समितियों के पैसे का सार्वजनिक क्षेत्र में उपयोग हो। वह सड़कें कम्पलीट हो जायेंगी तो आवागमन का रास्ता हो जाएगा ।

सभापति महोदय, श्रम और रोजगार की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जनता सरकार ने दस साल में प्रत्येक आदमी को नौकरी देने का वायदा किया है, लेकिन उसके अनुपात में किसी को रोजगार मुहय्या नहीं कराया गया है । मुख्य-मंत्री जी के सामने कई डेलीगेशन आये ।

(श्री रामनारायण डूंडी)

उनको कोरा आश्वासन ही दिया है। आश्वासन देकर वापस भेज दिया गया। बेरोजगार नवयुवक रोजी-रोटी के लिए हर प्रकार से संघर्ष कर सकता है, तो सरकार का दायित्व हो जाता है कि उसको रोजगार देकर उसकी शक्ति समुचित विकासोन्मुख कार्यों में लगाई जावे। दूसरी सरकारों ने बेरोजगारी भत्ता या स्टाइपेण्ड देने की शुरुआत कर दी है, तो राजस्थान के बेरोजगार युवकों को भी भत्ता देने की स्कीम शुरू की जाय। सर्विस में लिये जाने की जो आयु है, वह 30-35 तक की जानी चाहिए अथवा जब से वह स्टडी छोड़ता है तभी से रोजगार की व्यवस्था की जाय। यदि समय रहते इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वह सड़कों पर घेराव के लिए मजबूर हो जायेंगे। इसलिये इसकी व्यवस्था की जाय। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री जगतारसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री दुलाराम।

श्री रतनलाल वर्मा : पुलिंग को स्त्री लिंग बना दिया।

श्री दुलाराम (रायसिंहनगर): मैं तो स्त्रीलिंग नहीं बना, लेकिन आपको जरूर स्त्रीलिंग बना दूंगा।

माननीय सभापति महोदय,...

श्री शंकरलाल : यह तो वैज्ञानिक युग है। दोनों बातें होती हैं।

श्री दुलाराम : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, कि माननीय मुख्यमंत्री जीने घोषणा की थी कि भ्रष्टाचार मिटा देंगे, मान्यवर, मुख्यमंत्री जी मेरे सौभाग्य से यहां बिराजमान भी हैं। मैं ऐसी दो सड़कों का विवरण दे रहा हूं जिनका पैसा तो लग गया, मगर सड़कें नहीं बनीं। हालांकि यह कांग्रेस शासन में हुआ लेकिन गलत काम हुआ, उसको नहीं बताऊं तो यह दुर्भाग्य की बात है।

माननीय मुख्यमंत्री जी, रायसिंहनगर से 31 पी. एस. सड़क मन्जूर की गई। उसका 80 हजार रुपये का एस्टीमेट पास किया गया। कुछ मिट्टी डाली गई और 80 हजार रुपयों का पेमेंट कर दिया गया। उसके बाद कोई सड़क नहीं बनी, मिट्टी जरूर मेरे एस्टीमेट से, सरकार का एस्टीमेट ज्यादा भी हो सकता है, दस या पांच हजार की होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन सड़क कोई नहीं है, सरकारी कागजों में केवल सड़क आई है। मैं जनता सरकार के माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि रायसिंहनगर से 31 पी. एस. की सड़क का 80 हजार रुपया डूब गया। यह 1970 के बाद की बात है। उसके बाद एक पदमपुर से गुड़ाजुरोड की ओर, मुख्य सचेतक महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। ठेकेदार भी आपके ध्यान में है, जिन्होंने वह सड़क बनाई। मान्यवर, मिट्टी पड़ गई, सड़क बन गई, पेमेंट उठा लिया, लेकिन .....

श्री नवनीत पालीवाल : कब की बात है।

श्री दुलाराम : मैं कांग्रेस के जमाने की बात कह रहा हूं।

तो माननीय मुख्यमंत्री जी ये दो सड़कें मेरे निर्वाचन क्षेत्र की हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र

(श्री दुलाराम)

के लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है। उनके साथ में धोखा हुआ है चाहे ठेकेदार ने किया हो या किसी ऑफिसर ने किया हो। आप कृपा करके इसकी जांच करायें और दोषी व्यक्तियों को दण्ड दें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये दो सड़कें हैं, दण्ड तो आप दोषी व्यक्तियों को देते रहें, इनको आप पूरा करावें, यही मेरा निवेदन है। बाकी सड़कों पर जितना आपके पास पैसा होगा उतना लगाओगे। मेरे क्षेत्र में जो हिस्सा आये मेहरबानी करके मेरे क्षेत्र में लगाना, जितनी आपकी हिम्मत हो उतना लगाना।

भ्रष्टाचार का प्रश्न जहां तक है, मान्यवर, भ्रष्टाचार को रोकना बहुत जरूरी है, इससे मैं सहमत हूं। भ्रष्टाचार कांग्रेस के जमाने में भी हुआ उसके लिए भी कहूंगा, लेकिन आपको भी नहीं बख्शूंगा, यह मेरा दृष्टिकोण है। मान्यवर, यह ठेकेदार जो हैं आपको भ्रष्टाचारी बना देंगे। आप, माननीय मंत्री महोदय, मेरी बात की तरफ ध्यान दें। पिछले वाले मंत्री कोई जन्म से भ्रष्ट नहीं थे वह भी नये थे, उनको भ्रष्ट बनाया गया। आठ-दस महीने आपको भी हो गये हैं। आज आप उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, समय आयेगा तो आपको बताऊंगा। आप नये हैं इसलिए चार्ज नहीं लग रहे हैं। मान्यवर, मंत्री महोदय, पी. डब्ल्यू. डी. में सबसे बड़ा मजदूर होता है वह बेलदार होता है। वह सड़कों पर मेहनत से काम करता है, उसकी ओर आप ध्यान दें। एक्स. ई. एन. का कमीशन बंधा हुआ है, एस. ई. का कमीशन बंधा हुआ है, चीफ इन्जीनियर तक पैसा पहुंचता है। बेलदार मिट्टी खोदता है, उसको पूरा वेतन नहीं मिलता, लेकिन पैसा चीफ इन्जीनियर तक पहुंचता है। मेरा निवेदन है कि जितना आप वेतन बढ़ा सकें बेलदार का पांच रुपया, दस रुपया, सौ रुपया जितनी आपकी हिम्मत हो उस मजदूर का वेतन बढ़ाने की आप घोषणा करें कि हम इतना बढ़ा रहे हैं।

मैं श्रम मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जिला गंगानगर में मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। रात-दिन उनसे काम लिया जाता है। आपको ज्ञान है जो जमींदार के यहां नौकर होते हैं वे रात को भी काम करते हैं और दिन में भी ड्यूटी देते हैं। 24 घंटे में 17-18 घंटे ड्यूटी देते हैं, मगर मेहनताना उनको 8 घंटे का मिलता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि श्रम निरीक्षकों को आप गांवों में भेजें और मजदूरों को राहत दिलावें। जो ज्यादा ड्यूटी उनसे ली जाती है उसका अलग से उनको मेहनताना दिलाये जाने की व्यवस्था करें।

उसी तरह से गंगानगर में जो फैक्ट्रियां चलती हैं उनमें....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दस-दस साल के बच्चों से काम लिया जाता है, उनसे 16-16 घंटे ड्यूटी ली जाती है, औरतों से भी काम लेते हैं। अगर कोई एक्सीडेन्ट हो जाता है, तो यह रिपोर्ट की जाती है कि यह बच्चे या औरतें इसमें काम ही नहीं करतीं। इसलिए आप कृपा करके श्रम निरीक्षकों को आदेश दीजिये जिससे वे मजदूरों के पास जावें और उनकी तकलीफों को दूर करें। मेरा निवेदन है कि भूतपूर्व सरकार ने श्रम निरीक्षक भेजे थे, उसी तरह की व्यवस्था आप भी कीजिये ताकि मजदूरों को यह अहसास हो कि जनता पार्टी की सरकार जो आई है वह हमको पूरी मजदूरी दिलायेगी। नहीं तो वह आप पर भरोसा नहीं करेगा।

Page No 221

(221)

श्री सभापति : माननीय श्री गणेशलाल।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री शंकरलाल जी।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : सभापति महोदय, अभी जनता पार्टी के कुछ माननीय सदस्यों ने अपना भाषण देते हुए हरियाणा और पंजाब का उल्लेख किया। वहां की सड़कों की प्रगति के बारे में चर्चा की। वैसे राज्य का विकास सड़कों के विकास से जुड़ा हुआ है, लेकिन मेरी मान्यता है कि जहां छोटे-छोटे राज्य होते हैं, वहां सड़कों का बहुत महत्व होता है। मैंने इसीलिए मरुप्रदेश की मांग उठाई थी। आज राजस्थान का एक बड़ा इलाका दूर-दूर तक फैला हुआ है बिना सड़कों के एक-दूसरे गांव को जोड़ना संभव नहीं है। खैर, यह दूसरा प्रश्न है। समय आने पर मैं मुख्यमंत्रीजी से स्वयं मिलकर विचार-विमर्श करूंगा। अभी इस बात की तरफ केवल उनका ध्यान आकर्षित करूंगा जिससे वे इस बारे में सोचें।

जहां तक सड़कों और पुलियाओं के निर्माण का प्रश्न है, राजस्थान का रेगिस्तान इतना फैला हुआ है कि जितनी सड़कों और पुलियाओं की बात हम करते हैं वह इस बजट को देखते हुए पूरी नहीं हो सकतीं। मुझे पता नहीं, मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा की कि पुलों के लिये निगम बनाया जा रहा है। इस प्रगति रिपोर्ट में कुछ नहीं है। यदि ऐसा कर रहे हैं तो सराहनीय है। राजस्थान में सड़कों और पुलों की स्थिति को देखते हुए सरकार को तुरंत निगम का निर्माण करना चाहिए। जितने सड़कों के कार्यक्रम हैं, न्यूनतम प्रोग्राम के तहत बनाते हैं, बाढ़ नियंत्रण के तहत बनाते हैं, सीमा सुरक्षा के नाम से बनाते हैं। इन सारी सड़कों का एक ही जगह, एक ही तरह कन्ट्रोल हो, योजनाबद्ध तरीके से हो, उसके लिए निगम की आवश्यकता है। यदि सरकार का विचार है तो मैं उसकी सराहना करता हूं, निगम का गठन तुरन्त करना चाहिए।

दूसरी बात, सड़कों के निर्माण के मामलों में आपको ठेकेदारी प्रथा को खतम करना चाहिए। सड़कों के अन्दर ठेकेदारी प्रथा है जिसके जरिए भ्रष्टाचार होता है। आपने अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया उससे भ्रष्टाचार थोड़ा बहुत कम हुआ। ठेकेदार नीचे ओवरसियर, मिस्त्री से लेकर इंजीनियर तक से मिला हुआ रहता है, वह प्रणाली 15 पर्सेन्ट वाली चालू है। इसलिये जब तक ठेकेदारी प्रथा खतम नहीं करेंगे तब तक नुकसान होगा। इसलिए आप डाइरेक्ट काम करें।

तीसरी बात, राजस्थान में कई जगह माल पड़ा हुआ है, टूटी हुई गिट्टी पड़ी हुई है, डामर के ढोल पड़े हुए हैं, आप उनकी सूची बनवा दें कि पूरे राजस्थान में पी. डब्ल्यू. डी. का कितना सामान सड़कों पर कहां-कहां पड़ा हुआ है वरना कई जगह चोरियां हुई हैं। जहां प्राइवेट काम होते हैं फेमिन के अंदर टूटी गिट्टी पड़ी थी, आज भी ट्रकें भरकर ले जाते हैं। उन चोरियों को रोकें और लिस्ट बनायें तो इकोनॉमी आ सकती है।

पुलियाओं के लिए मेरा निवेदन है कि पाली जिले में तीन पुलियां ऐसी महत्वपूर्ण हैं जिनके लिए मैंने गत सत्र में सवाल उठाया था और मुझे आश्वासन मिला था। वह केवल पाली जिले को ही नहीं राजस्थान से अहमदाबाद और पाली-जोधपुर को जोड़ती है और

(श्री शंकरलाल)

पाली-जयपुर को जोड़ती है। एक बांधी नदी पर है, दूसरी रायपुर (लूणी) नदी पर है व तीसरी रोहत के पास है। बरसात के दिनों में सारा आवागमन खतम हो जाता है। कृपया उनको प्राथमिकता दें।

जैतारण के लिए मैं अधिक सड़कों की सूची नहीं दूंगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण सड़क के लिये निवेदन करूंगा जो जोधपुर-मेड़ता दो जिलों को मिलाती है। ब्यावर से जैतारण, जैतारण से डेगाना बड़ी सड़क है जो टूटी हुई है। फेमिन में बनी हुई है। आप नई सड़कों के लिए पैसा दें। लेकिन सबसे पहले अधूरी सड़कों को लें। थोड़ा पैसा खर्च करने से उनकी उपयोगिता हो सकती है।

हमारे यहां भवनों की बहुत कमी है, पाली शहर में इतने सरकारी कर्मचारी हैं जो हमेशा पाली व जोधपुर के बीच में चलते हैं, नौकरी पाली में करते हैं, वापस रात को जोधपुर में रहते हैं, क्योंकि रहने के मकान पाली में नहीं हैं। इसलिए पी. डब्ल्यू. डी. के मार्फत जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके रहने के लिए पाली में मकान बनवायें। आपकी हाउसिंग स्कीम विफल हो गई है।

इसके अलावा जो डाक बंगले का प्रावधान है। जैतारण सब-डिवीजनल हैडक्वार्टर में कोई भी अधिकारी इसलिए नहीं ठहर सकता क्योंकि डाक बंगला नहीं है। जो था उसमें वहां के पी. डब्ल्यू. डी. इंजीनियर ने अपना रहने का घर बना लिया। 1967 में जब मैं विधायक था, डाक बंगला था, बीच में मैं नहीं रहा तो उसने घर बना लिया। अब कोई डाक बंगले की आप व्यवस्था करें जिससे सरकारी कर्मचारी या दूसरे जिला अधिकारी वहां जायं तो उनको रहने को जगह मिले।

श्रम व नियोजन के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। बेरोजगारी की समस्या के बारे में मेरा निवेदन है कि हमारे श्रम मंत्री समाजवादी विचारों के हैं, वह चाहते हैं कि बेरोजगारी दूर हो, लेकिन कम से कम यह तो बता दें कि राजस्थान में कुल कितने बेरोजगार हैं, कितने बेरोजगार इंजीनियर हैं? उनको रोजगार देने की आपने अलग-अलग क्या योजना बनाई है? बजट भाषण में आपने कह दिया कि 3 लाख 40 हजार लोगों को रोजगार पर लगाने की संभावना है। कैसे लगायेंगे? बेरोजगारी समस्या मिटाने के लिए आपको कान्क्रीट स्टेप्स लेने पड़ेंगे। किस प्रकार से इस समस्या को हटाना चाहेंगे, आपको कान्क्रीट एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। लेकिन यह आपने नहीं बताया। जिस प्रकार से दूसरे राज्यों ने बेरोजगारी भत्ता दिया है, आप उसका अनुकरण करें। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया जाये। प्रोफेसर साहब, आपके पास श्रम व नियोजन विभाग होते हुए भी आपके द्वारा यह घोषणा न हो, तो आपके प्रति जो श्रद्धा राजस्थान की जनता की है उसमें कमी आयेगी और जो आपके विचार हैं, उनमें लोगों को संदेह हो जाएगा कि आप केवल कुर्सी के मोह के कारण इस बात को नहीं रख रहे हैं। आप मंत्रिमंडल को मनवायें और बेरोजगारी भत्ता राजस्थान में दिलवायें।

अब मैं श्रमिकों की उद्योग में भागीदारी के सवाल पर आता हूं। मोरारजी भाई ने कहा है कि बहुत से संशोधन संविधान में करने पड़ेंगे। उसमें से एक है—उद्योग के अन्दर श्रमिकों का हिस्सा। आपके द्वारा श्रम मंत्री बनने के बाद किन-किन उद्योगों में यह लागू किया गया, वह इस प्रगति रिपोर्ट में

(श्री शंकरलाल)

नहीं है । अपने विवादों को शान्तिपूर्वक सुलझाया, मजदूरों को संरक्षण दिया, लेकिन फिर भी कमी रही। जितनी बड़ी-बड़ी मिलें हों उनमें मजदूरों को भागीदारी के....

(10.16 रात्रि)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

लिए कितना हिस्सेदार बनाया, कितने संचालक मंडलों में श्रमिक हैं जो मालिक के साथ बैठकर कहें कि हम भी मालिक हैं ? यह अभाव है जिसकी पूर्ति आप करें ।

जहां तक मिनीमम वेजेज का सवाल है, यह भी कड़ाई से लागू नहीं हो रहे हैं। इसी सदन में जब मुख्यमंत्री नहीं थे, सारे सदन में यहां के लोगों ने इस बात पर जोर देकर कहा था कि आज फेमिन मजदूर काम करने के, लिए नहीं आते हैं उसका कारण यह है—कम मजदूरी। वहां पर 5) रु. कम से कम दिये जायं जो मिनीमम वेज है । आप इस एक्ट को लागू नहीं करना चाहते । आखिर वे आपके सामने भूख हड़ताल कर नहीं सकते, आपके सामने प्रदर्शन नहीं कर सकते। आप भोले-भाले गरीब आदमियों को मिनीमम वेज नहीं देना चाहते हैं। सब धंधों में यह लागू किया जाए । कम से कम उनको दैनिक मजदूरी 5) रु. दें.....

श्री नवरंग सिंह : हमको तो 5-5 मिनट दिए।

श्री शंकरलाल : मैं अधिक समय नहीं बोलूंगा।

जितने प्राइवेट उद्योग हैं उनमें मिनीमम वेजेज एक्ट लागू किया है, आप भी अपने यहां कड़ाई से लागू करें, चाहे पाली मिल....

श्री रतनलाल वर्मा : 20 मिनट हो गए हमको बोलते हुए। शराफत से मानने वाले नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री दुलाराम : ये देखिए बड़े-बड़े ओले पड़ गए ।

श्री रतनलाल वर्मा : यह आपकी करामात है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त करें ।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, जितने......

श्री दुलाराम : माननीय मुख्यमंत्री का आप कहना नहीं मानते हैं और सभापति ने हमको बोलने नहीं दिया इसलिए इतने बड़े-बड़े ओले पड़े हैं ।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, सागड़ी प्रथा उन्मूलन से लोगों को पहले राहत मिली थी। वह सागड़ी प्रथा फिर चालू हो गई है । उन लोगों को राहत नहीं मिल रही है । मैं श्रम मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि शीघ्र ही सागड़ी प्रथा के बारे में एक सर्क्युलर आप ऑफिस से निकलवायें और उसको एग्जीक्यूट करायें। जिन लोगों को इससे मुक्ति मिली उनको वापस बंधक पर काम पर बुलाया जा रहा है ।

प्राइवेट कारखानों में कोई एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज के थ्रू आदमियों को नहीं लेते हैं तो उनका चालान करिये ।

(श्री शंकरलाल)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा आपका जो बच्चों और औरतों के लिए लेबर एक्ट लागू है वह कतई लागू नहीं होता है। पाली में आज भी रात में छोटे-छोटे बच्चे काम करते हैं। इस संबंध में मैंने पहले भी कहा था तो एक दफा श्रम मंत्री जी ने एक ऑफिसर भेजा था। तो थोड़े दिन के लिए कार्यक्रम बन्द हुआ लेकिन फिर वही की वही बेढंगी चाल चल रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

नियोजन कार्यालय में भ्रष्टाचार होता है। कई प्रकार की भ्रष्टाचार की शिकायतें आई हैं। यहां पर डिप्टी डाइरेक्टर और असिस्टेन्ट डाइरेक्टर की पोस्टें बिलकुल गलत हैं। आप केवल डिस्ट्रिक्ट एम्प्लायमेंट ऑफिसर रखें जो सीधे आपसे ताल्लुक रखें। बेरोजगारी मिटाने के लिए काम कीजिये। हिसाब से रोजगार दीजिये और बेरोजगारी भत्ता दें तो हमें संतोष होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सार्वजनिक मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सड़क मिलने के बाद।

श्री जयनारायण पूनिया (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण ने अपने कटौती-प्रस्तावों के माध्यम से नई सड़कें बनाने, अधूरी सड़कों को पूरा करने व टूटी-फूटी सड़कों की मरम्मत करने के बाबत अपने अमूल्य सुझाव दिये हैं, वह स्वागत योग्य हैं, और मुझे इनसे प्रेरणा मिली है कि राजस्थान के अन्दर सड़कों के विकास और उन्नति का अभाव रहा और सड़कों के बाबत हम पिछड़े हुए रहे हैं, उनका विकास किया जाय।

माननीय सदस्यगण ने अपने कटौती-प्रस्तावों पर बहस के दौरान में अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं के बाबत बताया है, जो स्थिति सड़कों की है वह बताई है। जहां पर सड़कें थीं उनकी स्थिति इतनी खतरनाक बताई कि वे चलने के काबिल नहीं हैं, उपयोग के काबिल नहीं हैं, टूटी-फूटी हुई हैं, यानी जो नक्शा पेश किया गया है यदि इस प्रकार की स्थिति है तो राजस्थान में सड़कों की स्थिति काफी कमजोर है। इस स्थिति के अन्दर राजस्थान में जो सड़कों के विकास के लिए पिछली सरकार ने अपनी योजनाओं में कार्य किया है, आज क्या स्थिति है और आगे इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं इसके बारे में थोड़ा विवेचन की जरूरत होती है।

राजस्थान में और प्रान्तों की अपेक्षा सड़कों का पर्सेंटेज काफी कम है। यहां पर 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में केवल 8-10 किलोमीटर सड़क है। यह काफी कम है, यानी पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर बाकी प्रान्त में सड़कों का पर्सेन्टेज उससे लम्बा है। इस प्रकार की स्थिति में विकास के मार्ग में आगे क्या बढ़ सकते हैं, यह सोचने की बात है। खराबी की स्थिति क्या है और किस प्रकार के साधनों के साथ इन सड़कों की स्थिति सुधर सकती है, इस पर सीमा के अन्दर रहते हुए विचार कर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरे प्रान्तों से कोई कम्पेरिजन नहीं कि हरियाणा में क्या हुआ और पंजाब में क्या हुआ, किसने किस प्रकार से इस चीज को लिया है, कहां

(श्री जयनारायण पूनिया)

किस प्रकार से निर्माण किया गया है। वह उनकी नीति के अनुसार किया गया है। उसके अनुसार चलने की न आज हम पोजीशन में हैं और न चलना चाहते हैं। किस सरकार ने क्या किया यह देखने की चीज है। जिस प्रकार की स्थिति में जिस प्रकार के साधनों से किया गया, उस प्रकार के साधन हम आज नहीं अपना सकते हैं। इसलिए अपने स्रोतों के अनुसार हमें विकास करना चाहिए। उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। उसके आधार पर किस जिले में तथा किस गांव में तथा किस क्षेत्र के अन्दर, किस स्थिति के अन्दर कौन से काम को प्राथमिकता के साथ लेकर चलें, सड़क निर्माण की नीति क्या एडाप्ट करें ताकि किसी के साथ भेदभाव न हो, किसी को यह कहने को मौका न मिले कि आज हम उपेक्षित हैं, ऐसा वातावरण बनाकर, नीति निर्धारित करके हमको चलना पड़ेगा।

इस देश के अन्दर गांवों की जो स्थिति है और राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो स्थिति बताई है, जो-जो वर्णन यहां किया गया है और जो कमियां बताई गई हैं उनके मुताबिक तो साफ तौर से यह साबित होता है कि राजस्थान के अनुसार सड़कें नहीं हैं। जिन्होंने यह स्वीकार किया है उनके क्षेत्रों के अन्दर यह मालूम पड़ता है कि सड़कों का निर्माण हुआ है। बाकी किसी ने नहीं कहा कि हमारे इलाके के अन्दर कोई सड़क नहीं बनी हुई है। इस प्रकार की स्थिति जो हमारे प्रान्त की है उससे निपटने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो नीति निर्धारित करेंगे उसके अनुसार चलना पड़ेगा। इस नीति को बनाने में, आबादी के महत्व, ट्रैफिक के महत्व, कृषि के महत्व तथा पर्यटन के महत्व या ऐतिहासिक महत्व का इलाका है, क्षेत्र है. इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें सड़कों की प्राथमिकता के आधार पर चलने की नीति निर्धारित करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

गांवों के अन्दर सड़कें बनाने के संबंध में जनता पार्टी की जो नीति है, उससे यह घोषणा की है कि प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ा जायेगा। विकास के लिए यह बहुत जरूरी है कि सड़क गांवों तक पहुंचे। जो गांव इधर-उधर पड़ते हैं और मंडियों से जुड़े हुए नहीं हैं उनको जोड़ने की बहुत जरूरत है ताकि आवागमन के साधन जुटाये जायें। हमने जो नीति निर्धारित की है उस नीति पर चलेंगे। जैसे-जैसे विकास के साधन आते जायेंगे प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने की नीति बरकरार रहेगी। कौन से गांव को प्राथमिकता के आधार पर लें, उसकी नीति हमने निर्धारित की है।

5 हजार की आबादी वाले गांवों को जोड़कर दूसरे गांवों के साथ में भेदभाव किया गया है यह आवाज आई है। कई क्षेत्रों से यह आवाज आई है कि हमारे क्षेत्रों के अन्दर इस प्रकार का काम नहीं किया गया है, हम सड़कों से महरूम रह गये हैं, हमारा हिस्सा हमको नहीं मिला है। कुछ हद तक यह बात सही है, लेकिन फिर भी एक सिद्धान्त हमें तय करना है। गत सरकार ने क्या नीति अपनाई थी? उसने इस बारे में न तो कोई स्टेप लिये थे और न कोई सिद्धान्त ही प्रतिपादित किये थे। अपनी इच्छा के अनुसार, मर्जी के अनुसार सड़कें बना दीं। इस प्रकार के आक्षेप हम सुनना नहीं चाहते हैं। हमने एक नीति निर्धारित की है कि 5 हजार की आबादी वाले गांवों को पहले जोड़ा जाय। आपको आश्चर्य होगा

(श्री जयनारायण पूनिया)

कि राज्य में ऐसे 41 गांव थे जो कि सड़कों से जुड़े हुए नहीं थे, जब कि उनकी आबादी 5 हजार या उससे अधिक थी । 8-8, 9-9 हजार की आबादी के गांव भी थे उनमें । ताज्जुब की बात है कि इतने बड़े-बड़े गांव आज तक सड़कों से नहीं जुड़े हुए थे । उनको प्राथमिकता दी गई है ।

मैं आपको विवरण दूं कि 2500 की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए 3 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण करना पड़ेगा और उसके अन्दर 45 करोड़ की लागत आयेगी । उनके लिए पुलियाओं वगैरह की भी आवश्यकता पड़ेगी तो करीब 90 करोड़ की उनके लिए जरूरत पड़ेगी । यदि हम ढाई हजार की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ना चाहें तो उसके अन्दर 135 करोड़ की लागत बैठती है । इसी तरह से 1500 की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा जाय तो 12 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण करना पड़ेगा और उसकी करीब 150 करोड़ रुपये की लागत बैठती है । इतना खर्चा वहन करने की ताकत मौजूदा स्थिति में सरकार की नहीं है । इसलिए 5 हजार की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने की नीति प्राथमिकता के अनुसार बनाई गई है । इस नीति का आज क्रिटिसिज्म किया गया है लेकिन मैं समझता हूं कि प्रत्येक गांव को जोड़ने की नीति को अपना कर हम उन गांवों के साथ इन्साफ नहीं कर सकेंगे जिनकी आबादी ज्यादा है जिनको सर्विसेज की ज्यादा जरूरत है । इसलिए इस प्रकार की नीति अपनाई है और 5 हजार की आबादी वाले गांवों को प्राथमिकता देनी पड़ी है । इसलिए मैं माननीय सदस्यों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनते ही यह नीति अपनाई थी, उससे काफी राहत मिलेगी । धीरे-धीरे ढाई हजार की आबादी वाले गांवों तक पहुंचना चाहते हैं, 1500 की आबादी वाले गांवों तक पहुंचना है, लेकिन सीमित साधनों को देखते हुए इतना ही प्रोग्राम हाथ में ले सकते हैं इसलिए 5 हजार की आबादी वाले गांवों को पहले जोड़ा जायेगा ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों के निर्माण के लिये जो धनराशि राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध कराई है वह 12.50 करोड़ रुपये करायी है । इसके साथ-साथ मैं यहां पर माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहूंगा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये पिछली कांग्रेस सरकार ने जहां केवल साढ़े चार करोड़ रुपये का प्रावधान किया था वहां पर हमारी जनता सरकार ने इसको बढ़ा कर 12.07 करोड़ रुपये का इस वर्ष में व 12.50 करोड़ रुपये का अगले वित्तीय वर्ष में प्रावधान रखा है। इससे ही माननीय सदस्यों को यह पता लगेगा कि जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस सरकार से सड़कें बनाने में प्राथमिकता देगी । पुरानी कांग्रेस सरकार ने सिर्फ साढ़े चार करोड़ ही रखे थे ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : केवल तनख्वाहें दी थीं ।

श्री जयनारायण पूनिया : हमने उसको बढ़ा कर 12.50 करोड़ कर दिया है । इससे सड़कों के निर्माण में गति तेज होगी । माननीय सदस्यों को यह भी पता लग जायेगा कि हमारी जनता पार्टी की सरकार सड़कों के बारे में कितनी चिन्तित है । हमारी जैसी नीति है, ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी विकास का कार्य हो ।

(श्री जयनारायण पूनिया)

मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली कांग्रेस सरकार ने कई तरह की सड़कों की किस्में बना रखी थीं, जैसे मौसमी सड़क, कच्ची सड़क, डामर की सड़क और ग्रेवल रोड वगैरह। हमने, उपाध्यक्ष महोदय, इन सभी सड़कों को अलग नाम नहीं दिया है। हम सिर्फ डामर रोड ही बनायेंगे ताकि जो भी सड़क बने वह मजबूत और परमानेन्ट सड़क बने। पुरानी सरकार कई तरह की सड़कों का क्राइटेरिया बनाकर, सड़कें अलग-अलग अधिक दिखाती थी। वह दिखने में तो अधिक दिखायी देती थीं, पर जनता को विशेष फायदा देने वाली नहीं होती थीं। हमारा जो काम है वह पुख्ता काम होगा, उसमें ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो पुख्ता नहीं हो। उनमें पैसे का पूरा उपयोग होगा। अगर हम पुरानी सरकार की डामर, कच्ची रोड, ग्रेवल रोड, मौसमी रोड्स और दूसरी रोड्स को मिलायें तो जो हम डामर रोड बनायेंगे उसके बराबर ही होगी। टोटल हमारी रोड्स, कांग्रेसी सरकार ने जो रोड्स दी थी, उससे कम नहीं होगी बराबर ही होंगी। उसके साथ में हमारे द्वारा सड़कें जो बनायी जायेंगी वह मजबूत होंगी और हमारा काम पुख्ता होगा। इसलिये नई सड़कें इस वर्ष 413 किलोमीटर बनी हैं और सन् 78-79 में 462 किलोमीटर नई सड़क बनाने का लक्ष्य है जब कि कांग्रेस सरकार ने 76-77 में नई सड़कों के अन्तर्गत केवल 261 किलोमीटर सड़कें ही बनाई थीं।

अब थोड़ा मैं, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहूंगा कि जहां भी सड़कों की मरम्मत आदि कराने का प्रस्ताव है सरकार इसके बारे में पूर्ण रूप से जागरूक है। इस संबंध में मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने 11 करोड़ रुपये का सड़कों के संधारण हेतु प्रावधान किया था। उपाध्यक्ष महोदय, यह सड़कों के लिये पैसा कम था, काफी नहीं था। हम यह चाहते थे कि सर्व प्रथम विभिन्न प्रकार की सड़कों हेतु जो धनराशि उपलब्ध है उसके लिये नार्म्स फिक्स किये जायं ताकि कार्य स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हो। इस प्रकार इन पर प्रति वर्ष 21.75 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इतनी धनराशि तो राज्य के सीमित साधनों को देखते हुए जुटा पाना सम्भव नहीं था, किन्तु हमने 11 करोड़ रुपये का जो मूल प्रावधान था उसको बढ़ा कर 15 करोड़ कर दिया। इस धनराशि से इस वर्ष न केवल मरम्मत आदि का कार्य किया गया बल्कि सड़कों का यथा सम्भव सुधार भी किया गया है, जो कि सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कोई छुपा हुआ नहीं है। फिर भी मैं यह मानने को तैयार हूं कि सड़कों की वर्तमान दशा को देखते हुए चूंकि पुरानी सरकार ने इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था इसलिये मरम्मत में और धनराशि को जुटाना आवश्यक है। कालान्तर में सड़कों की काफी हालत खराब होती और उनकी अपेक्षित मरम्मत भी नहीं हो पायी थी, इसलिये इन बातों को ध्यान में रखकर हमारी जनता पार्टी की सरकार ने इस वर्ष सड़कों की मरम्मत के लिये अधिक व्यय किये जाने के लिये निर्णय लिया है। अगले वर्ष के लिये इन सड़कों के जीर्णोद्धार के लिये 15 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं।

अब मैं माननीय सदस्यों का जो नयी

(श्री जयनारायण पूनिया)

सड़कों के लिये योजना बनायी जायगी उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पांच हजार की आबादी वाले गांवों को जोड़ने वाली सड़कें। इस वर्ष 38 सड़कें स्वीकृत की गयी हैं जिन पर पांच करोड़ रुपये राज्य सरकार को खर्च करने पड़ेंगे। इन 38 सड़कों में पांच हजार की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़े जाने के लिये प्राथमिकता देकर काम चालू कर दिया गया है। इन पर 77-78 में 116 लाख रुपये का व्यय किया जाना है और वर्ष 78-79 में इन सड़कों पर कार्य चालू रहेगा और 240 लाख रुपये व्यय किये जावेंगे। इन सड़कों के कार्यों पर वर्ष 79-80 में 240 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे और जून माह तक इन समस्त सड़कों का काम पूर्ण कर दिया जायेगा, ऐसी आशा की जाती है। इस तरह से जून, 80 तक यह सारे पांच हजार की आबादी वाले गांव सड़कों से जुड़ जावेंगे।

पहली वाली कांग्रेस सरकार सामान्यतः अपने-अपने क्षेत्रों में ही काम कराती थी पर हमने सभी क्षेत्रों को बराबर प्राथमिकता दी है। इसके साथ-साथ मौजूदा सड़कों का सुधार एवं संधारण, अन्तर्राज्यीय महत्व की सड़कें, पुरानी अधूरी सड़कें और उद्योग क्षेत्र की सड़कें एवं पर्यटन महत्व की सड़कें व म्युनिसिपल क्षेत्र की शहरी सड़कों को भी बनाना आवश्यक है। इन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए एक सड़क विस्तार योजना बनायी जा रही है जिसकी अभी टेन्टेटिव लागत करीब 180 लाख रुपये की होगी, खर्च किया जायेगा।

इसी प्रकार में माननीय सदस्यों को यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि अगले वर्ष लगभग तीन करोड़ लागत की नई सड़कों का कार्य और हाथ में लिया जायेगा जिनके लिये 100 लाख रुपये का वर्ष 78-79 के बजट में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राज्य की योजना मद में व न्यूनतम आवश्यकता कार्य के मद में जो सड़कें पहले ढाई हजार आबादी वाले गांवों की भी ले ली थीं उन्हें भी पूरा किया जायेगा। तथा उनको पांच हजार या उससे अधिक आबादी वाले गांवों से जोड़ा जायेगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण पुलियाओं पर कार्य—जैसे चम्बल नदी का पुल, बनास-गम्भीरी पर अप्रोच का कार्य भी शुरू किया गया। राजस्थान नहर क्षेत्र व चम्बल की सड़कों का विकास तीव्र गति से चल रहा है और वर्ष 78-79 में 250 लाख रुपये का राजस्थान नहर क्षेत्र में प्रावधान प्रस्तावित किया है जिसके अन्तर्गत 105 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जावेगा। इसी प्रकार चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में 78-79 में 200 लाख रुपये खर्च किये जावेंगे जिसके अन्तर्गत 70 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर दिया जावेगा।

इसके अलावा मैं माननीय सदस्यों को एक यह जानकारी भी देना चाहूंगा कि कृषि उपज मन्डी क्षेत्र की सड़क, जो इस विभाग द्वारा बनाई जावेंगी, के अन्तर्गत भी एक समन्वित योजना तैयार की गई है जिसके अन्तर्गत ढाई हजार की आबादी वाले करीब 100 गांव और 2500 की आबादी से कम आबादी वाले 200 गांवों को सड़कों से जोड़ा जायेगा। इस योजना की कुल लागत करीब 20 करोड़ रुपये होगी और प्रति वर्ष इस पर राज्य सरकार चार करोड़ रुपये खर्च

(श्री जयनारायण पूनिया)

करेगी। इसके अलावा केन्द्र सरकार के अन्तर्गत आने वाली सड़कों पर केन्द्र से हमें दो करोड़ रुपये मिलेंगे। जिसमें से हम अन्तर्राज्यीय महत्व की सड़कों पर 125 लाख रुपये खर्च करेंगे और रेलवे पुलों पर 60 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे।

इसके अलावा बाढ़ग्रस्त सड़कों की मरम्मत के बारे में भी मैं माननीय सदस्यों को कुछ निवेदन करना चाहूंगा। पुरानी सड़कों के जीर्णोद्धार के तथा अतिवृष्टि के कारण भी खराब हुई सड़कों की मरम्मत के कार्य किये। साथ ही पुलों को भी काफी क्षति हुई लेकिन फिर भी किसी सड़क पर ट्रैफिक को ज्यादा देर नहीं रुकने दिया गया और आवश्यक मरम्मत तुरन्त राज्य सरकार ने कर के आवागमन यथावत रखने का प्रयास किया। जो क्षति हमारी सड़कों एवं पुलों को हुई थी उनको ठीक कराने की अनुमानित लागत 12 करोड़ थी। राज्य सरकार ने इस के लिये केन्द्रीय सरकार को निवेदन किया था लेकिन केन्द्रीय सरकार ने पूरी रकम नहीं देकर सिर्फ 2.77 करोड़ रुपये ही उपलब्ध कराये। बाकी की रकम राज्य सरकार ने उपलब्ध करायी। क्षतिग्रस्त सड़कों को राज्य सरकार ने अपने ही साधनों से ठीक कराने का प्रयास जारी रखा था।

इसके अलावा मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये अकाल राहत के समय में बनी हुई सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा, जिनकी हालत बहुत ही खस्ता हो गयी थी, जो कि करीब 15 हजार किलोमीटर होंगी, जिनकी देख-रेख के लिये व उनकी मरम्मत के लिये मापदण्ड से सालाना 6 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इसके लिये वैसे भी कई माननीय सदस्यों ने ज्यादा शिकायत अपने विचार व्यक्त करने के दौरान की थी। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने यह तय किया है, राज्य सरकार ने इन सड़कों को पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में स्थानान्तरित करने का फैसला किया है। वह सभी काम अब पी. डब्ल्यू. डी. के हाथ में दे दिये जायेंगे।

रेलवे पुलों के संबंध में भी टौंक फाटक जयपुर, सवाई माधोपुर, राई का बाग, जोधपुर—यह सारे कार्य पूर्ण हो चुके हैं और भीलवाड़ा और कोटा में यह कार्य प्रगति पर हैं। इन रेलवे पुलों के लिए जो राशि खर्च की जाती है वह आधी तो राज्य सरकार खर्च करती है और आधी राशि भारत सरकार करती है....

श्री नवरंग सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है। काफी टाइम हो गया है इसलिये मंत्री महोदय जल्दी अपनी बात समाप्त करें।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री जयनारायण पूनिया : मैं थोड़े ही समय में समाप्त करता हूं।

एक प्रश्न यह भी आया कि ठेकेदारी सिस्टम को खतम किया जाये। इसके लिए भी कदम उठा रहे हैं तथा सोच-विचार कर निर्णय हो रहा है। ब्रिज कन्सट्रक्शन कार्पोरेशन का निर्माण किया जाय, यह कार्पोरेशन बड़े-बड़े ठेके भी देगा और ठेकेदारों से भी काम करायेगा। हमने लेबर कोआपरेटिव को भी प्रोत्साहन देने की

(श्री जयनारायण पूनिया)

योजना बनाई है। इस प्रकार की कोआपरेटिव्स आगे आयेंगी तो उनको सरकार संरक्षण देकर उनकी मार्फत काम करवायेगी। इस तरह से ठेकेदारी सिस्टम को खतम करने में काफी मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय राज मार्ग की बाबत मैं अर्ज करना चाहता हूं। इसके अन्दर हमारे राजस्थान के अन्दर 2100 किलोमीटर की सड़कें हैं। इन राष्ट्रीय राज मार्ग का पर्सेन्टेज पर—100 किलोमीटर हमारे राजस्थान में 6 किलोमीटर है जब कि आल इण्डिया एवरेज पर—100 स्कवायर किलोमीटर पर 9 किलोमीटर है। इसमें भी हम थोड़ा बहुत पीछे हैं। उसके लिए पूर्ण सजग हैं और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि राजस्थान के अन्दर और अधिक नेशनल हाई वे घोषित करवायें। इसके लिए हमने भारत सरकार के साथ कोटा-भोपाल सड़क और जयपुर-कोटा-भोपाल को राष्ट्रीय मार्ग घोषित कराने के लिए बात चला रखी है। हम आशा करते हैं कि हमारी यह बात मान ली जायेगी।

इसके अलावा और भी हमने सड़कों को नेशनल हाई वे घोषित कराने के लिए प्रस्ताव किया है। इसके लिए हमने यह सड़कें प्रस्तावित की हैं। सांचौर-पालमपुर, अहमदाबाद-भोपाल, पोकरण-जोधपुर-ब्यावर, बीकानेर-नागौर-अजमेर-देवली कोटा, शिवपुर अजमेर-भीलवाड़ा-चित्तौड़-इन्दौर, जयपुर-कोटा-झालावाड़-बियावरा, और श्री डूंगरगढ़, तारानगर-हिसार-चन्डीगढ़। इस प्रकार हम नेशनल हाई वे की बाबत प्रयत्नों में लगे हुए हैं....

श्री शीशराम ओला : सीकर-लूहारु-राजगढ़ को इसमें और जोड़ दिया जाय।

श्री जयनारायण पूनिया : ईसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि....

एक माननीय सदस्य : अब यदि कोई शीघ्र सड़कें चाहते हैं तो गांव की पांच हजार से ज्यादा की आबादी कर लें।

श्री जयनारायण पूनिया : एक प्रश्न भ्रष्टाचार का भी इस विभाग में उठाया जा रहा है। मैं इस के लिए पूरी कोशिश करूंगा, सरकार इस भ्रष्टाचार को हर प्रकार से मिटाने के लिए कोशिश करेगी और जो भी केसेज आयेंगे या जिनको रिलीव किया जायगा उनके लिए कोशिश की जायगी कि उनके खिलाफ कार्यवाही हो। जो तथ्य सामने आयेंगे उनको छिपाने का प्रयत्न नहीं करके उनके ऊपर कार्यवाही करने के लिये मैं सदा तत्पर रहूंगा। सब सदस्यों का मैं सहयोग चाहूंगा कि इस मामले में आगे आकर सहयोग करें। मैंने जो तथ्य पेश किये हैं उनको देखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि मेरे विभाग की मांग को स्वीकार किया जाय।

श्री किशन सिंह भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूंगा। गत वर्ष का जब बजट रखा गया था और पापुलेशन की बात को माना गया था तो भूतपूर्व सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से मैंने प्रश्न किया था कि क्या इसका मतलब यह समझा जाय कि मेरे एरिया में जहां 3 हजार की आबादी का भी कोई गांव नहीं है वहां 15 वर्ष तक भी कोई सड़क नहीं बनेगी, उस समय माननीय मंत्री महोदय ने यह एश्योरेन्स

(श्री किशन सिंह भाटी)

दिया था कि उन इलाकों को अपवाद मानकर यह कन्डीशन लागू नहीं होगी। यह एश्योरेन्स कायम रहेगा या नहीं, इसके बारे में मंत्री महोदय क्या जवाब देंगे ? वर्तमान सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी उस एश्योरेन्स को एश्योरेन्स मानेंगे या उसको कायम रखेंगे या नहीं ? इसका स्पष्टीकरण चाहिए क्योंकि यह लाखों लोगों के भविष्य का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य बिराजिये।

श्री किशन सिंह भाटी : माननीय मुख्य-मंत्री जी पधार गये हैं। गत बार हाउस में यह एश्योरेन्स दिया गया था कि 5 हजार की आबादी की कण्डीशन ऐसे क्षेत्रों में लागू नहीं होगी। क्या यह समझा जाय कि वह एश्योरेन्स कायम रहेगा? यह वाइटल सवाल है मेरे डिस्ट्रिक्ट के पाइन्ट आफ व्यू से।

श्री रतनलाल वर्मा: मैं भी निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में सिवाय भिनाय के कोई भी 5 हजार की आबादी का गांव नहीं है तो मैं क्या उम्मीद करूं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 5 हजार की आबादी में सड़क जाने का यह मतलब नहीं है कि सड़क कोई आसमान से आ देगी। उसके बीच में भी कई गांव ऐसे आयेंगे जिनकी आबादी बहुत कम होगी।

श्री बालकृष्ण थानवी : मंत्री महोदय ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले सामने आयेंगे तो हम कार्यवाही करेंगे। अतः क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि गत विधानसभा में उस समय के माननीय सदस्य, श्री पूनमचन्द जी विश्नोई ने पुराने अकाल राहत मंत्री पर सड़कों के निर्माण में करोड़ों रुपयों के घोटाले का आरोप लगाया था जो मामला अभी तक पड़ा है। अतः क्या उसकी जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री उत्तर देंगे।

श्री केदारनाथ (श्रम मंत्री) : मान्यवर, मेरे विभाग की मांग पर 135 कटौती के प्रस्ताव आये मगर कुछ ही माननीय सदस्य ऐसे रहे जिन्होंने इस पर अपने विचार प्रकट किये। मैं समझता हूं कि लम्बी सिटिंग के कारण, थकावट और भूख का बहुत असर आ गया। मैं भी, मान्यवर, अपनी बात को बहुत सीमित रूप से रखूंगा क्यों कि आम तौर पर लेबर पालिसी पर काफी बहस हो चुकी है।

इमर्जेन्सी के दौरान जो बोनस का फार्मूला समाप्त कर दिया गया था और नयी कम्पलसरी डिपोजिट स्कीम लागू कर दी गयी थी, जो यूनियन को अधिकार थे स्ट्राइक के और कलेक्टिव बार्गेन के वह समाप्त कर दिये गये थे। तो सबसे पहला काम केन्द्रीय सरकार का और राज्य सरकार का यह था कि जो राइट्स मजदूरों के छीने गये थे और जिन राइट्स को मजदूरों ने पिछली बार अपने संघर्ष की मार्फत हासिल किया था उनको हम रेस्टोर करें। मुझे बहुत खुशी के साथ कहना पड़ता है कि बोनस सन् 1976 का वापस दे दिया गया है। आज कोई भी कारखाना राजस्थान में ऐसा नहीं है कि जहां मजदूरों को बोनस न मिला हो। इसके अलावा इमर्जेन्सी के दौरान 346 मजदूरों को निकाला गया उनको री-इन्सटेट कर दिया गया है।

(श्री केदारनाथ)

तीसरी बात, इमर्जेन्सी के दौरान जो मुकदमे मजदूरों पर चलाये गये वह वापस कर लिए गए। और कलेक्टिव बार्गेन को सिद्धान्त के रूप में मानकर हमारी सरकार ने जो यूनियन मेजोरिटी की थी उसको मानकर उसके एग्रीमेन्ट को माना और उसकी मार्फत डिस्प्यूट्स का वहां सैटलमेन्ट किया। सरकार के बनने के बाद सबसे पहला काम ट्र पाइन्ट कान्फ्रेन्स करने का था। हमने मजदूरों के नुमाइन्दों को बुलाया, मालिकों के नुमाइन्दों को बुलाया और सरकार के नुमाइन्दे भी बैठे और तीन दिन हमारी मीटिंग चली। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आये हैं। हमारी यह पालिसी होगी, तीस साल के बाद हमने यह माना कि लेबर को एक पार्टी के रूप में रखा जाये। इस सिद्धान्त को हमने माना है। आज तक लेबर को एक प्रोडक्शन का फैक्टर माना हुआ था लेकिन इस चेन्ज में मजदूरों का बहुत बड़ा हाथ रहा। मौजूदा सरकार उनके कलेक्टिव बार्गेन के सिद्धान्त में विश्वास करके चलती है। मजदूरों को एक न स्टेटस, नई रेस्पेक्ट दी जा रही है। मजदूरों का हमने एक टेबल बैठकर साथ लिया है।

जून से लेकर दिसम्बर तक अनेक हड़तालें हुई हैं। उन हड़तालों का कारण कुछ भी रहा हो। उनका विक्टीमाइजेशन भी कारण था। काफी हड़तालें हुई। मान्यवर, आपकी मार्फत निवेदन कर देना चाहता हूं उनके साथ जब टेबल पर मजदूर बैठा है सी. पी. एम., सी. पी. आई. के थे, कांग्रेस इण्टक के थे, मजदूर संघ के थे। उनको पार्टनर माना है। नेगोसियेशन्स के अन्दर बहुत बड़ी उदारता दिखाई है। सारे राजस्थान में स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज में फैसला किया है। हमने कमेटी बना दी। ऐसी कमेटी जयपुर, कोटा, अलवर में, 5-10 के सिवाय सब स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज में काम कर रही हैं। सारी ट्रेड यूनियन्स के माननीय सदस्यों ने और लेबर पार्टी के सदस्यों ने हमारा साथ दिया। केवल हमारी पार्टी ने साथ दिया है मैं इस बात को मान कर नहीं चलता। सारी पार्टियों ने साथ दिया। इण्डस्ट्रियलट्रूस कायम हुआ। जब तक इण्डस्ट्रियलट्रूस कायम नहीं होता, नये दृष्टिकोण के साथ काम नहीं होगा, मैं इस बात को मानकर चलता हूं इसमें गड़बड़ हो सकती है। दिल्ली की सरकार ने सब से पहले यह किया है, यह उनकी बहुत बड़ी देन है। मजदूरों के मन में सोशल कान्शियसनैस पैदा की, पोलिटिकल कान्शियसनैस उन्होंने पैदा की, अनेक लीडर पैदा किये हैं सारे देश में। जो उन्होंने राइट्स हासिल कर लिये है कोई भी सरकार हिम्मत नहीं कर सकती उनको कम करने की।

16 करोड़ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अन-आर्गेनाइज्ड लेबर हैं। सबसे पहले कन्सन्ट्रेट किया कि इनके लिये नेशनल मंच कैसे कायम किया हो। ऐसे 16 करोड़ लोग जो भी काम करते हैं उनका कोई संगठन नहीं। उनकी ओर भी 30 साल में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ये बढ़ते जा रहे हैं। इनमें बाउंडेड लेबर भी है, शेयर क्रापर्स भी हैं, प्रेस में काम करने वाले भी हैं। अनेक और है जो छोटी-छोटी फैक्ट्रियों में काम करते हैं। पहली कान्फ्रेंस राजस्थान में 15 तारीख को हमने की। लोग इसमें इन्ट्रस्टेड हैं। हम सब को दावत देंगे। उसकी क्या कांसश है, वह लेकर चलें, कौन-सा नया कानून, कौन सी इफैक्टिव मशीनरी हम पैदा करें, इसके लिये सैन्टर में एक

(श्री केदारनाथ)

कमेटी होगी । मैं सोचता हूं, हम एक नया दृष्टिकोण दे रहे हैं । जनता पार्टी ने नेशनल वेज इवाल्व नहीं की । लेकिन कम से कम जितने मजदूर हैं, चाहे कहीं काम करें, घर में काम करें, खेत में काम करें, दुकान में काम करें और चाहे सड़क पर काम करें, क्या मजदूरी उन्हें मिलनी चाहिये, वेजेज पालिसी के लिये सरकार ने तय किया है । इसे साल के अन्दर-अन्दर जनता के सामने ले आयेगी । इसलिये सोचता हूं, भूतलिंगम कमेटी कायम की । कुछ भ्रम पैदा हो गये । दिल्ली की सरकार ने सारी की सारी यूनियन्स की कांसश मालूम कर ली है । अब भी उन्होंने कहा कि जब भूतलिंगम कमेटी की रिपोर्ट आ जायेगी, इस मामले को तब लेंगे । वह केवल स्टडी ग्रुप है, वह कमीशन नहीं है, कोई मेम्बर नहीं है । स्टडी ग्रुप है वह देखेगा कि वेजेज एण्ड प्राइस और इन्कम में क्या रिलेशन हैं । मजदूर को बोनस 8.33 मिलता है वह बहुत ही कम है । प्रोडक्शन में कितनी उसकी देन है ? जब तक मजदूर श्योर न हो जाये कि प्रोडक्शन में मेरा इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा और मिल जायेगा, तब तक प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकता । भूतलिंगम कमेटी को छोड़ दो । यह ऐसा तबका है जो आज तक नेगलेक्टेड रहा, जिसको आज तक इगनोर किया गया, ऐसे तबके को उसका शेयर पूरा न मिला और मजदूरी जो करते हैं वह भी समय पर नहीं मिली । उसको मिनीमम वेज देना तय किया था । यह तय कर दिया गया मगर उसके बाद अमल में नहीं लाये । मैं सोचता हूं, सरकार इस कदम को उठायेगी और तत्काल अमल में लायेगी । जितनी आर्गेनाइज्ड लेबर है वह नहीं देखते हैं कि क़ानून में क्या खामी है । मगर आज इस लेबर के पास कुछ भी नहीं है, न संगठन, न लीडरशिप, न आवाज । इसलिये केन्द्रीय सरकार ने, राजस्थान सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है ।

मैनेजमेंट में लेबर का शेयर हो, यह प्रिंसिपल माना है । हमने पहले जो हमारी रोडवेज है, उसमें एक्सपेरीमेंट किया, जो यूनियन मेजोरिटी में थी सी. पी. आई. उसके प्रतिनिधि को मजदूर मानकर चले उसका अपाइन्टमेंट कर दिया । ऐसी शुरुआत इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी कर दी । और भी तीन-चार कारखाने हैं प्राइवेट जहां नेगोसियेशन हुआ तो जो भी यूनियन थी चाहे वह किसी भी पार्टी की थी हमने उसको मैनेजमेंट में लिया । हमने कोई पक्षपात नहीं किया, डीमोरेलाइज नहीं किया, उसमें कोई रुकावट पैदा नहीं की । मजदूरों ने हम पर विश्वास किया और हमने एक्सपेरीमेंट शुरू कर दिया । सेन्टर ने एक कमेटी इस पर विचार करने को बना दी है कि शेयर इन मैनेजमेंट क्या हो ? पिछली सरकार ने इस सम्बन्ध में कभी नहीं सोचा था कि वर्कर्स कमेटी बना दें । इस पर कभी विचार नहीं किया कि कैसा लेबर एक्ट हो । हम चाहते हैं कि मैनेजमेंट में शेयर हो । इसलिये हमने पॉलिसी बनाई । कमेटी का निर्माण हो गया वह जैसी गाइडेन्स देगी उसको मानकर सुधार करेंगे ।

दूसरी बात यहां कही गई । हमने सिद्धांततः इसको माना है । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में संकेत भी किया था । कमेटी बनाकर फैसला कर दिया, मगर अफसोस है कि एक यूनियन ने नोट आफ डिसेंट भेज दिया । किस यूनियन ने किया है, यह नहीं कहता । गुप्त मतदान से करवाना चाहते हैं,

(श्री केदारनाथ)

हम करवा नहीं सकते । हमने कहा, यह देखें कि सेन्टर से गाइडेन्स आती है । पार्लियामेंट में कानून पेश कर रहे हैं। इसलिये आप वेट कीजिये। सारे देश की ट्रेड यूनियन ने तय कर दिया कि बार्गेनिंग एजेन्सी हो, इसकी बहुत बड़ी मांग है । उसमें यह भी है कि बार्गेनिंग एजेन्सी रहेगी तो जितनी माइनोरिटी यूनियन्स हैं वह हड़ताल नहीं करवा पायेंगी मगर वो इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स को ले सकेगी । कुछ नार्म्स ट्रेड-यूनियन ने तय कर दिये, इससे यूनियन की राइवलरी में जो चीज पैदा होती है, वह समाप्त हो जायेगी । मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं । मैं अब भी मानता हूं राजस्थान में इन्डस्ट्रियल बेस नहीं है, राजस्थान में टू पर्सेन्ट आर्गेनाइज्ड लेबर है । आप भी हमें सजेशन दें, हम ऐसा मान रहे हैं कि राजस्थान में लेबर की एक ऐसी अप्रोच और डाइरेक्शन दें कि अन-आर्गेनाइज्ड लेबर की भी एक नई लाबी क्रियेट हो ।

अब यहां खेतड़ी के विषय में कहा गया, यह एक ऐसी संस्था है जो सेन्ट्रल प्रोजेक्ट के रूप में है या सेन्टर के डाइरेक्शन के नीचे है । अगर उसमें स्टेट की आथोरिटी को नहीं मानते हैं तो नेगोसियेशन्स कभी सफल नहीं होंगे । इसी तरह रावतभाटा एटोमिक पॉवर प्रोजेक्ट के नेगोसियेशन्स हमारे हाथ में नहीं हैं । मेरा मानना है कि अगर खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट के नेगोसियेशन्स हमारे हाथ में होते तो शायद इतनी लम्बी हड़ताल नहीं होती । जो सीधा कान्टेक्ट हमारा है, वह सेन्टर का नहीं हो सकता है । जिस तरीके से हम बात कर सकते हैं वहां के ऑफिसर्स उस तरह से उनको डील नहीं कर सकते हैं । हमारा अधिकार नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं आज जो सेन्टर में बैठे हैं, हाई ऑफिसियल्स हैं उनके सोचने के तरीके में मौलिक परिवर्तन नहीं हो पाया है, जिनके हाथ में नेशनल प्रोजेक्ट है....

श्री श्योपतसिंह मकासर : उन्होंने तो आपको कन्सल्ट करना भी उचित नहीं समझा ।

श्री केदारनाथ : इसलिये हमने अपनी ओर से मूव किया है । जहां-जहां सेन्टर के प्रोजेक्ट्स हैं वहां नेगोसियेशन्स में स्टेट का रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये । फाइनेन्सेज उनके हाथ में रहें, मगर स्टेट्स को नेगोसियेशन्स के अधिकार दिये जायं । रावतभाटा के लिये भी मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। अब खेतड़ी में हड़ताल 20 तारीख से चल रही है । मामूली बात थी। लेबर ने कोई नया स्टेटस देने के लिये नहीं कहा था । मैनेजमेंट का यह ख्याल कि सारे प्रोडक्शन में हमारा हाथ है, उनका अगर यह दृष्टिकोण बदल जाय तो मेरे ख्याल से कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है । मामूली बात है । 103 वर्कमेन पहले लिफ्ट से नीचे जाते थे । उसके बाद 20 तारीख को लिफ्ट में खराबी आई तो उन्हें सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ा । उसमें टाइम लगता है, एनर्जी लगती है इसलिये इस बात में डिस्प्यूट खड़ा हो गया । डिस्प्यूट में 1 घंटा 45 मिनट का समय लग गया । माइन्स के इनचार्ज हैं उन्होंने मजदूरों का इस पीरियड का वेतन काट लिया । आज तक हिन्दुस्तान में जहां नेगोसियेशन्स होते हैं, उसमें टाइम दिया जाता है । वह उनकी पार्ट-टाइम ड्यूटी मानी जाती है यह कानून सेन्टर का है लेकिन मैनेजमेंट ने वह नहीं माना । लेबर ने नोटिस दे दिया और धरना

(श्री केदारनाथ)

शुरू हो गया। दो दिन काम करते रहे। तीसरे दिन माइन्स के लोग इकट्ठे हो गये। फिर सारी ट्रेड यूनियन्स आ गईं। पांच यूनियन्स मैनेजमेंट के पास गईं और कहा कि आप बात मान लें और लेबर को 1 घंटा 45 मिनट के पैसे दे दें। वे दो दिन लगातार कोशिश करते रहे। अब उनका बेस ही बदल गया और सब लोगों ने इकट्ठे होकर 17 मांगें उसमें और जोड़ दीं। जब मूवमेंट स्टार्ट होता है तो ज्यादा ताकत के लिये अनेक स्ट्रेटेजी करनी पड़ती है—यह सब आप और हम जानते हैं। पहले वाली डिमान्ड जो 1 घंटा और 45 मिनट के पैसे देने की थी वह गौण हो गई। उसमें भत्ते, इन्क्रीमेंट्स आदि की मांगें और जुड़ गईं। अब मसला बढ़ गया। युनियन्स के नेता दिल्ली में जाकर मिले, अब उनका उनसे लिन्क जुड़ रहा है। कल या परसों हमारे सैन्टर के मिनिस्टर पटनायक साहब ने स्वीकार कर लिया। अब वार्तालाप शुरू हो जायेगी और मुझे विश्वास है कि इसका हल निकलेगा। इतनी लम्बी हड़ताल चली इसमें 12 लाख के नुकसान का जहां सवाल है, वहां 7 हजार मजदूर हड़ताल पर हैं। अब सबके लिये यह चिन्ता की बात हो गई। यह भी आप समझते हैं कि लम्बी हड़ताल में कुछ दिमाग में पावर ऑफ बैलेन्स बिगड़ जाती है। ऐसा मालूम पड़ता है कि मजदूरों की नेसेसिटी बढ़ गई है। मजदूर यह कहते हैं कि यह नेशनल प्रोजेक्ट है इसलिये इसमें हमारा भी हाथ है। ऐसा ही केस रावतभाटा में दिया है। मामूली इन्सीडेंट्स से 120 दिन हड़ताल पर रहना उसकी इमेज को हाइटन करती है।

अनेक मसले जो यहां आये उसमें एक बेकारी भत्ते की बात माननीय सदस्यों ने कही। यह भी बताया कि जनता पार्टी की घोषणा थी। तीन स्टेट्स पंजाब, हरियाणा और बंगाल में बेकारी भत्ता देने पर विचार किया। सारे यूथ मूवमेंट की एक मांग रही है, राइट टू वर्क, काम करने का राइट है फण्डामेन्टली। एम्पलॉयमेन्ट न दें तो भत्ता दो। इस प्रकार की सारी बातें रखी हैं। हम इनके लोजिक को मानते हैं। उनके आर्ग्यूमेंट में वेट है। पढ़ा लिखा तबका है और पूरी तरह से आर्गेनाइज्ड है। हम उस उत्तरदायित्व को मानते हैं और उनकी बात में विश्वास भी करते हैं, यह भत्ता सिद्धान्ततः स्वीकार किया जाय लेकिन राजस्थान के फाइनेन्सेज से कोई बात मेल खा जाय, उसको हम देख रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं मंत्रिमण्डल, इसके बारे में कुछ न कुछ फैसला करेगा।

दूसरी बात ओवर एज की बात कही गई। 28 साल के बाद एल. डी. सी., यू. डी. सी. और जो मिनिस्ट्रियल पोस्ट्स हैं उनके लिये वे एलीजिबल नहीं होंगे। काम हम नहीं दे पाये, नाम रजिस्टर उन्होंने कर दिया फिर भी कहीं नौकरी नहीं मिल पाती तो समाज का या सरकार का दोष हो सकता है, इसमें उस नौजवान का दोष नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं। अब सवाल यह है कि इसका कौनसा तरीका निकाला जाय। कैसे युनिफार्मिटी स्टेट्स में हो, ये सारी बातें चीफमिनिस्टर साहब की नॉलेज में भी हैं। हमारी यह मंशा है दो साल की उम्र बढ़ जाय, फिर भी काम न मिल पाय, नॉन-एलिजिबिलिटी का सर्टिफिकेट न मिले तब वह क्या करें? यह सिद्धान्ततः मान रहे हैं, लेकिन इसके साथ और इश्यूज भी जुड़े हुये हैं इसलिये जब तक उनको हम देख नहीं लेते हैं, तब तक कोई घोषणा नहीं कर सकते। इस पर गहरा चिन्तन करना पड़ेगा। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं यह मसला भी मंत्रिमण्डल के ध्यान में है।

(श्री केदारनाथ)

तीसरी बात जो माइनोरिटीज हैं, मुस्लिम्स हैं, हरिजन्स हैं, मीसा और डी. आई. आर. में बन्द हुए लोग हैं, विडोज हैं, एक्स-सर्विसमैन हैं, या स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए सर्विस के क्या नियम बनायें। मैं समझता हूं कि अपन सभी साथ बैठ कर इसको तय करेंगे तथा मिलजुलकर निर्णय लेंगे। एक मीटिंग बुलायेंगे जिसमें एम. एल. एज. को भी बुलायेंगे और सभी साथ बैठ कर विचार करेंगे ताकि कोई रास्ता निकाला जाय, एक कांसन्स बन जाय ताकि बिहार में जो स्थिति पैदा हो गई, जो कण्डीशन क्रोप-अप हुई है वह यहां पर पैदा नहीं हो....

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप बिहार की स्थिति गलत मानते हैं या क्या समझते हैं ?

श्री केदारनाथ : मैं बिहार की बात नहीं करता कि वहां पर क्या हुआ लेकिन बिहार में जो स्थिति क्रोप-अप हुई है वह स्थिति यहां पर नहीं हो इसलिए मैं कह रहा हूं। ऐसे जो सैक्शन्स हैं, वीकर सैक्शन हैं उनको नुमायन्दगी दें और जिस घर में अर्निंग हैड नहीं हैं उनमें से किस को प्रिफरेंस दें। प्रिफरेंस ओवर एज वालों का भी हो, जो विडोज हैं उनको भी प्रिफरेंस दें, मीसा और डी. आई. आर. में रहे हैं उनको दें, जो एक्स-सर्विसमैन हैं उनको भी शामिल करें, किस तरह से केटेगराइजेशन कर दें। इन्कम ग्रुप के लिहाज से बैकग्राउण्ड तय करें। इस तरह से सारी केटेगरीज को कंसीडर करके हमारी कांसन्स तय हो जाय उसके आधार पर राजस्थान सरकार काम करे। उसके मुताबिक कानून में भी तब्दीली करनी पड़े तो इसमें भी कोई एतराज नहीं होगा.....

एक माननीय सदस्य : लूले-लंगड़े लोगों के लिए भी सोचें।

श्री केदारनाथ : उनको दो पर्सेंट दे रखा है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप कोटा तय करें पहले।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : एग्रीकल्चर में जो काम करते हैं .....

श्री अयूब खां : क्या ग्रामीण अनएम्प्लॉयड को शहरों के मुकाबले में प्राथमिकता दी जाएगी ?

श्री रतनलाल वर्मा : किसानों की मेहनत का आज तक मूल्यांकन नहीं हुआ। उसके द्वारा पैदावार करने में जो मेहनत होती है उसका मूल्यांकन आज तक नहीं हुआ, उसके बारे में भी सोचेंगे ?

श्री केदारनाथ : केवल जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज में नाम दर्ज कराते हैं उन्हीं का नाम लिखा जाता है और जो रूरल में बेकार हैं, जो अपना नाम नहीं लिखाते हैं, उनका नाम नहीं आता है। हम इसके लिए सर्वे करा रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोई एजेन्सी क्रियेट हो जिससे हमें मालूम हो सके कि कितने ऐसे आदमी हैं, उनका क्या टेस्ट है एम्प्लॉयमेंट का, क्या एप्टीट्यूड है, किस तरह से और कहां उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जावे, किस तरह से उनको गाइडेंस दी जाय। हम चाहते हैं कि आज का जो मौजूदा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसमें एक ऐसा सेल क्रियेट करें यह बिल्कुल नई चीज होगी।

मैं समझता हूं कि काफी कह दिया है। माननीय सदस्यों ने कुछ बातें और भी कहीं। जैसे कॉपर इंडस्ट्री हैं, खादी इंडस्ट्री हैं इनमें मिनीमम वेज लागू नहीं होता है। मैं समझता

(श्री केदार नाथ)

हूं कि इसको भी लागू करने की बात है।

कामन प्राइस इंडैक्स हो जो आज अलग-अलग हैं। आप ताज्जुब करेंगे कि सन् 60 का बेस लेकर आज भी इंडैक्स तय करते हैं जब कि वह सब खतम हो गया है। हम चाहते हैं कि कामन कन्जूमर इंडैक्स बने और सबका एक ही बेस ईयर हो। यह सारे देश में पॉलिसी इवाल्व हो रही है।

मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाकर इतना ही कहूंगा कि इसमें पोलिटिकल विल का प्रश्न है, लेबर को इक्वल पार्टनरशिप देने का प्रश्न है जिससे उसको रेस्पेक्ट मिले, उसका स्टेटस बने, उसको इक्वल स्टेटस दिया जा सके और जितने कार्पोरेशन्स हैं, उनके चाहे मैनेजमेंट हों, फाइनेन्स मैनेजमेंट हों सब में उनको इक्वल रेस्पेक्ट और स्टेटस दिया जावे। इस तरह से उसको राहत दी जावे, उसको आदर दिया जावे। इसके अलावा जब भी मजदूर और मालिक में डिस्प्यूट हो उसको सस्पेंशन में रखा जावे तो उसको सस्पेंशन अलाउन्स दिया जावे। मैं यह मानता हूं कि 120 से 180 दिन के अन्दर उसके केस का फैसला हो जाना चाहिए। अगर फैसला नहीं होता है तो जब तक उसका फैसला नहीं हो जावे उसको सस्पेंशन अलॉउन्स दिया जावे ताकि वह अपने केस की ठीक से पैरवी कर सके, अपने आपको सरवाइव कर सके और मालिक के मुकाबले में आनरेबली खड़ा रह सके। उसको सस्पेंशन अलाउन्स दिया जावे कानूनी तौर पर ताकि वह अपने आपको जिन्दा रख सके और केस लड़ सके। यह ट्रेड यूनियन्स ने भी सलाह दी और राज्य सरकार भी इस बात को मानती है कि उसको सस्पेंशन अलाउन्स मिलना चाहिए। 180 दिन में उसके केस का फैसला हो जाय सस्पेंशन पीरियड में, ताकि जितने भी ग्रिवेंसेज बनें, जितने भी केसेज बनें, प्रशासन द्वारा विक्टीमाइजेशन हो तो उसके सामने वह मजबूती से खड़ा रह सके और मजदूर अपने आपको जिन्दा रख सके।

मैं समझता हूं कि मांगों को पास करने के लिए इतना कहना पर्याप्त होगा।

श्री शीशराम ओला: मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा, आपने जैसा अभी खेतड़ी और रावतभाटा के बारे में कहा कि उनकी स्ट्राइक में इन्टरफियर करने का हमारा अधिकार नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि सन् 1968-69 में इससे भी बड़ी हड़ताल हुई थी और मेरे खयाल से कोई पचास-बावन दिन तक हड़ताल चली थी। उस वक्त जो मुख्य मंत्री थे उन्होंने उसमें हस्तक्षेप किया था और उस हड़ताल को उन्होंने सुलझाया था तथा मजदूरों की मांगों को हल कराया था। तो मैं यह नहीं मानता कि आप जो यह कहते हैं कि हम बीच-बचाव नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, यह कह कर आप बच नहीं सकते। यह आपके अधिकार क्षेत्र के अन्दर है, आपको हस्तक्षेप करना चाहिए। आप सेंटर को मूव करें तो उनको भी बाध्य होकर मानना पड़ेगा। इतनी लम्बी हड़ताल खेतड़ी में चल रही है वहां पर दोनों तरफ का नुकसान हो रहा है। जैसा आपने फर्माया कि मजदूर अनुशासित होकर वे चाहते तो ऊधम भी कर सकते थे, यह बात आप भी महसूस करते हैं। इसलिए खेतड़ी की हड़ताल में आप को तुरन्त हस्तक्षेप करना चाहिए और इस हड़ताल के मसले को सुलझाने के लिए लेबर की मदद करने को आगे आना चाहिए।

Page No 238

(238)

श्री केदारनाथ : आपने जो कहा...

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं भी एक बात कह दूं, फिर आप साथ-साथ ही जवाब दे देना ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को इतना ही कहना चाहूंगा कि खेतड़ी की हड़ताल चल रही है और रावतभाटा में भी असंतोष फैला हुआ है, इन दोनों ही मामलों में आप और मुख्यमंत्री महोदय, दोनों मिल करके जब तक केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से और सम्बन्धित मंत्रियों से लड़ेंगे नहीं तब तक यह मसला हल नहीं होगा । राजस्थान को बहुत बड़ा नुकसान होगा । पहले ही काफी नुकसान हो चुका है । अगर आप लड़ने की मंशा बना कर नहीं जायेंगे, उनसे लड़ेंगे नहीं, तब तक यह मसला हल नहीं होगा ।

श्री रामेश्वर प्रसाद यादव : माननीय मंत्री महोदय ने शहरों की इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेशन्स में और मिलों में कार्य करने वाले श्रमिकों के बारे में उल्लेख किया लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में राहत कार्यों पर, जो राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, मजदूरों को 4 रुपये 8 पैसे प्रति दिन दिए जा रहे हैं । उनको राहत दिए जाने के बारे में आपने कोई उल्लेख नहीं किया । इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो देहातों में मजदूर हैं, जिनका कोई संगठन नहीं है, वे अपनी बात आप तक संगठित रूप से पहुंचा नहीं सकते तो माननीय मंत्री महोदय उनको जो 4 रुपये 8 पैसे मजदूरी दी जा रही है, इसको बढ़ाने के बारे में विचार करें। कम से कम पांच रुपये मजदूरी दी जावे ।

श्री केदारनाथ : मैं जानकारी देना चाहता हूं कि नेशनल वेज पोलिसी करीब दो महीने के अन्दर तैयार हो जाने वाली है। उसके मुताबिक जो भी निर्णय होगा और जो कुछ रिवीजन करना होगा हम भी करेंगे।

दूसरी बात जो अभी दोनों माननीय सदस्यों ने कही, मैं आपके एक्सप्रेशन की तारीफ करता हूं । मैं स्वयं वहां पर गया था और कोशिश भी की थी लेकिन सफल नहीं हो पाया ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप तो दिल्ली जाओ ।

श्री केदारनाथ : मुख्यमंत्री जी शायद कल या परसों वहां पहुंच रहे हैं, यूनियन के सारे लीडर्स भी पहुंचने वाले हैं, बातचीत चालू होने वाली है । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और आपका सहयोग रहा तो जरूर सफल होंगे ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमारा सहयोग जरूर मिलेगा ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह क्या प्रश्न काल बना रखा है, उपाध्यक्ष महोदय ।

मांग संख्या 21 व 33 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 21–सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 24, 23, 46,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग सर्व सम्मति से स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-23 श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,74,56,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग सर्व सम्मति से स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 17 मार्च, 1978 प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 11-18 बजे शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च, 1978 के म.पू. 11-00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 281 का उपनियम)

पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., पाली

उपनियम संख्या 36 (7):--

किसी ठहराव के अनुसार जो कि जनरल मीटिंग के पास हुआ हो या किसी आदेश के अनुसार जो रजिस्ट्रार साहब, सहकारी विभाग ने इस बारे में दिया हो, ऐसे वेतन भोगी या अवैतनिक पदाधिकारियों और दूसरे कर्मचारियों को आवश्यकता अनुसार नियुक्त करना, उनका वेतन निश्चित करना, उनको छुट्टी स्वीकृत करना और उनकी अनुपस्थिति में उनके काम का प्रबन्ध करना। वेतन पाने वाले अमले को मुलाजिमत कमेटी के बनाये हुए नियमों के अनुसार, जो कर्मचारियों की नियुक्ति, त्यागपत्र (इस्तीफा), मुलाजिमत का छूट जाना रुखासत, सजा, अलहदगी और अन्य ऐसे विषयों के संबन्ध में हो जिसको रजिस्ट्रार साहब, सहकारी विभाग के आदेश के अनुसार, जो समय-समय पर दिये जावें, होगी, किन्तु शर्त यह है कि मैनेजर, एजेन्ट व अकाउन्टेन्ट की नियुक्ति या अलहदगी रजिस्ट्रार साहब, सहकारी विभाग, राजस्थान की मंजूरी से की जावेगी।

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 283 का समझौता)

AGREEMENT

1. This licence deed made on this day 10th, month June, year 1976 between the Governor of State of Rajasthan hereinafter called licensor, which expression shall, where the context so requires include his successors, legal representatives and permitted assignees of the one part and M/s Jagannath Jiwanmal Woollen Mills (Private) Ltd., Jaipur having its registered office at 27 Katewa Bhawan, Mirza Ismail Road, Jaipur, hereinafter called the licensee which expression shall where the context so requires include their successors, legal representatives and permitted assignees of the other part.

2. Whereas, the licensor has, subject to the execution of these presents and the terms and conditions hereinafter contained, allowed the licensee to occupy in Bikaner, District. Bikaner in the State of Rajasthan the Mill known as State Woollen Mills, Bikaner with its factory building, godown, administrative block and open space attached thereto and delinated in the plan, hereto annexed and (coloured in red pencil) together with the plants machinery and fixtures existing thereon, which are more particularly described and set out in Schedule 'A' annexed hereto, all of which are hereinafter referred to as the "premises", and whereas, the licensee has agreed with the licensor to abide by the terms and conditions.

3. Now, this indenture witnesseth and parties hereto agree as follows:—

(a) In consideration of the licence fee hereby reserved and of the licensee's convenants contained in these presents the licensor doth hereby demise unto he licensee the premises and the plants, machinery and fixtures, to hold the same for a period of ten years commencing from 17th June, 1976 hereinafter referred to as the 'said term' on payment therefor during the said term to the licensor of monthly licence fee of Rs. 1,51,001/- (Rupees One lac fifty-one thousand and one) only. The licensor will be at liberty to retain part of the constructed portion viz. raw-wool godown shown in yellow in the attached plan and use it for a period of one year and no charges for the same will be paid by the licensor to the licensee.

(b) The licensee shall pay in advance a sum equivalent to the monthly licence fee along with Bank guarantee equivalent to three month's licence fee as security before the possession of the building and machinery is handed over to him and monthly licence fee shall be paid in advance before the first day of each month. The Bank guarantee shall be operative for two years and shall be renewed by the licensee at his cost every year.

(c) On the expiry of the term of licence, the licensee shall have the right of the renewal of the licence for a further period of five years at the rate of the licence fees mutually agreed upon between the parties and subject to the maximum of 25% escalation in the licence fee for which a fresh agreement shall be executed.

(d) In case of any dispute between the licensee and licensor the matter will be referred to a sole arbitrator who shall be a serving District Judge to be nominated by the Chief Justice of the Rajasthan High Court, and his decision shall be final and binding on both the parties.

4. The licensee hereby convenants with the licensor as follows:—

(a) That the licensee shall duly pay the licence fee reserved hereunder on the appointed day at the office of licensor at such other place or places as the licensor may from time to time appoint.

(b) That the licensee shall during the said term pay all taxes rates, assessments, licence fees and other charges and out going at the existing rate or at rates which may be fixed hereafter in respect of the premises except wealth tax and property tax for the said term.

(c) That the licensee shall pay charges for electricity and water as determined from Meter readings or minimum/maximum charges claimed by the suppliers directly to them on receipt of the relevant bills for the said term.

(d) That the licensee shall not carry out any additions or alterations and expansion to the premises and plants and machinery except in emergency without obtaining the prior written consent of the licensor. In case of emergency also the licensee shall inform in writing to the licensor with in 24 hours about the additions/alterations to the premises and plant and machinary carried out.

(e) That the licensee shall not use the premises and plants and machinery for any purpose except as a factory for the manufacture of carpets, knittings, hosiery, blankets. yarn of any description as per terms of licence having regard to the safety and proper maintenance of the premises and plant and machinery.

(f) Except as provided in clause 5 (j) and (k) the licensee shall not sublet, hypothecate mortgage or otherwise transfer, or part with the possession of the premises or any right or interest therein or in respect thereto without the prior written consent of the licensor.

(g) That the licensee shall insure and keep adequately insured at his own cost, the premises in the name of the licensor against lose of damage by fire and all other risks as the licensor may require, with the Nationalised General Insurance Company/Corpo-

ration. The amount of the insurance cover shall be the depreciated book value of the premises—

(*i*) that the licensee shall comply with all the rules, regulations and laws in force, from time to time, in respect of the maintenance, and working of the premises and plant and machinery as a factory;

(*ii*) that the licensee shall be responsible for proper maintenance of premises, plant and machinery and keep them in a state of proper repair to the satisfaction of the licensor;

(*iii*) that if, for the purpose of obtaining the approval of the competent/concerned authority, the said plant requires any addition and/or alterations to the premises the same shall be done by the licensee at his own cost after obtaining the licensor written permission. Any additions and alterations carried out by the licensee will be subject to removal only on the expiry of the said term of ten years at the licensee's cost, if so required by the licensor as mentioned hereinafter;

(*iv*) where, without any breach of terms and conditions of this agreement on the part of the licensee, the licensor in exercise of his options under claue (5) (c), terminates the licence or the licence comes to an end by efflux of, the said term it shall be open to the licensor to take over the additions and alteratios made in the premises, plant and machinery by the licensee by making payment of the depreciated book value there of to the licensee. Where the licensor does not opt to take over such premises, plant and machinery, the licensee shall be entitled to remove it at his own cost;

(*v*) that the licensee shall deliver back possession of the premises, plant and machinery to the licensor at the expiry of the said term and shall deliver back the same in the same condition in which they were; when the licensee was put in possession subject however, to the usual wear and tear.

5. The licensor hereby convenants with the licensee as follows—

(*a*) (*i*) that on the licensee's paying licence fee hereby reserved and performing and observing the convenants and conditions contained in these presents, shall hold and enjoy the premises during the said term subject to the conditions that licensee will allow the licensor and his authorised representatives and servants free access for inspection, to the plant, machinery, building and factory premises at all hours,

(*ii*) that the licensor shall provide the use of the premises and machinery to the licensee subject to 4 (a) and 5 (a) (i) above,

(*b*) that the licensee shall be at liberty to engage his own staff for running the factory and day to day administration, and the licensee shall not be liable for any employees' liability incurred

prior to the commencement of the present licence or shall the licensee be liable to employ any employee employed by the licensor before the date hereof;

(c) the licensor will be at liberty to terminate the licence by giving three calendar months' notice in writing of his intention of terminating the licence provided that if the licensee commits breach of any of the covenants and condition herein contained, it shall be lawful for the licensor to give only one month's notice to terminate the licence in writing addressed to the licensee;

(d) that the cost and expenses (excluding stamp duty) incidental to the preparation, execution and registration of this licence deed shall be borne and paid by the licensee. The stamp duty shall be borne by the two parties in equal shares;

(e) that if the licence fee shall remain unpaid for a period of one month after the same becoming due (whether formally demanded or not) or if the licensee becomes insolvent or goes into liquidation voluntarily or otherwise or, if thereby any attachment on the premises or if the licensee commits breach of any of the convenants and conditions contained in these presents, then, or in any of such cases, it shall be lawful for the licensor to re-enter upon the premises after giving one month's notice;

(f) that the premises shall be returned to the licensor after the termination of the licence by efflux of time or otherwise ;

(g) that the licensee will make all payments timely to the licensor and other as specified above and abide by the terms and conditions of licence failing which the amount of security money in the form of Bank guarantee referred to in clause (3)(b) shall be liable to be forfeited ;

(h) where the running of the Mill is rendered impossible due to war, riot fire, earthquake, flood or any other act of God, the licence fee shall cease to be payable till normal conditions are restored.,

(i) the licensor undertakes to recommend the applications of the licensee for licence for the import of plant and machinery required for the running of the Mill and its expansion up to 2500 spindles.,

(j) that the licensee shall have the right to mortgage, pledge and hypothecate the plant, machineries any auxillary or ancillary unit which the licensee procures and instals in the factory premises at his own cost with any bank and/or financial institutions for his financial arrangements for which no permission shall be required to be taken from the licensor and the licensor shall have no lien over such plants and machineries procured and erected by the licensee,

(*k*) that the licensee shall have the right to keep the raw goods, finished goods, semi-finished goods, goods in process and stores procured at his own cost at any place in the premises and also to pledge, mortgage, hypothecate or to put the same under lock and key with any bank or any financer for which no permission shall be required to be taken and the licensor shall have no lien over such pledge, mortgage and hypothecation of all type of goods mentioned above.

6. In witness whereof the parties above-named have signed these presents in the presence of the witnesses mentioned therein.

For JAGANNATH JIWANMAL WOOLLEN MILLS (PVT.) LTD.

Licensor:	Licensee:
ह. जे० एन० भटनागर 10-6-76 उप सचिव, राजकीय उपक्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर।	Sd/- Bhiwanath Taparia, Director. For Jagannath Jiwanmal Woollen Mills (Pvt.) Ltd. Sd/- H. Taparia, Director.
Witnesses:	Witnesses:
ह. (1) राधामोहन दुसाद 10-6-76 ।	(1) Sd/- (SHREE CHAND MEHTA)
ह. (2) शिव कपूर 10-6-76 ।	(2) Sd/- (PRAMOD KALANI)

(246)

परिशिष्ट 3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये गये तारांकित प्रश्न र उनके उत्तर

ग्राम पंचायत, रामपुरा के सरपंच द्वारा आवंटित भूमि

288. श्री हरचन्दसिंह (पीलीबंगा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, रामपुरा के सरपंच, श्री सत्यपाल तावर ने सूरतगढ़ नगरपालिका की सीमा में स्थित पंचायत समिति के कार्यालय के इर्द गिर्द रिहायशी भू-खण्ड अपने नजदीकी रिश्तेदारों, भाइयों, भतीजों के नाम से नाम मात्र रकम लेकर आवंटित किये ? अगर हां, तो किन-किन को आवंटित किये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) अगर आवासीय भू-खण्ड इस प्रकार अनधिकृत क्षेत्र में राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाने की नियत से किये तो राज्य सरकार ने उक्त सरपंच के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या उक्त आवंटित भू-खंडों के पट्टे भी जारी किये गये थे ? अगर हां, तो कितने ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां । 25 भू-खण्ड नियमानुसार कार्यवाही किये बिना ही नाम मात्र की राशि लेकर विक्रय दिनांक 15-7-76 से 27-7-76 की अवधि में किये गये हैं तथा 32 भू-खण्ड निःशुल्क दिनांक 6-12-75 को आवंटित किये गये हैं । इस प्रकार कुल 57 भू-खण्ड दिये गये हैं । श्री सत्यपाल, भूतपूर्व सरपंच ने उपरोक्त भू-खण्डों में से 8 भू-खण्ड नाम मात्र की रकम लेकर व 4 भू-खण्ड निःशुल्क अपने रिश्तेदारों को दिये हैं । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) अधिकृत रूप से विक्रय एवं आवंटित किये गये भू-खण्डों के बारे में पहले कोई भी शिकायत अथवा सूचना प्राप्त नहीं होने से संबंधित सरपंच के विरुद्ध अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है ।

(3) जी हां । निःशुल्क आवंटित 32 भू-खण्डों के तो पट्टे दे दिये गये हैं । शेष भू-खण्डों के पट्टे नहीं दिये गये हैं जिसके कारणों की जांच कराई जा रही है ।

श्री सत्यपाल, भूत पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा नगरपालिका सूरतगढ़ की सीमा में आवंटित भू-खण्डों की सूची:--

क्र.सं.	नाम व्यक्ति	आवंटित भू-खण्ड का क्षेत्रफल	आवंटन का दिनांक	कीमत	सरपंच से संबंध
1	2	3	4	5	6
1.	श्री रणजीत	150 वर्ग गज	15-7-76 एवं 16-7-76	230	सरपंच का जंवाई

1	2	3	4	5	6
2.	श्री साहिब राम	150 वर्ग गज	27-7-76	225	सरपंच का भतीजा
3.	श्री नरेन्द्र सिंह	,,	,,	230	सरपंच का भतीजा
4.	श्री रघुवीर सिंह	,,	,,	220	सरपंच का भाई
5.	श्री विजय सिंह	,,	,,	220	सरपंच का पुत्र
6.	श्री कृष्ण	,,	,,	224	सरपंच का सगा
7.	श्री राम प्रताप	,,	,,	210	सरपंच का सगा
8.	श्री डालू राम	,,	,,	215	सरपंच का सगा
9.	श्री माला राम	,,	6-12-76	निःशुल्क	सरपंच का सगा
10.	श्री बृज लाल	,,	,,	,,	सरपंच का जंवाई
11.	श्री हेतराम	,,	,,	,,	सरपंच का साला
12.	श्री बसन्तपाल सिंह	,,	,,	,,	सरपंच का भाई

राजस्थान प्रियेम्पशन एक्ट और मकान खरीदने का हक

289. श्री शंकरलाल (जैतारण): क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान प्रियेम्पशन (हकशफा) एक्ट के कारण मकान में आवास करने वाले किरायेदार का मकान की खरीद करने में कोई हक नहीं माना गया है जब कि हिस्सेदार का हकशफा माना गया है चाहे उसके पास पहले से मकान हो और उसमें निवास भी नहीं करता हो ?

(2) क्या यह कानून मौजूदा परिस्थितियों में जनहित के विरुद्ध है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह नीति-संबंधी प्रश्न है जिस पर राज्य सरकार ने इस दृष्टि से विचार नहीं किया। इस सारे कानून को इस दृष्टि से अवश्य देखा जायेगा कि किरायेदार को भी मकान की खरीद में विशेषाधिकार प्राप्त हो।

धौलपुर में जे. के. की टायर फैक्ट्री

290. श्री जगदीश सिंह (धौलपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि धौलपुर में जे. के. की टायर फैक्ट्री खोलने की योजना थी ? यदि हां, तो उसे वहां से उदयपुर के कांकरोली ग्राम में किस कारण से ले जाया गया ? इसी प्रकार कौन-कौन से उद्योग धौलपुर में खोलने की योजना बनी और वे किन कारणों से रद्द कर दी गई हैं ?

उत्तर

जी हां। उपलब्ध सूचना के अनुसार तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट के अनुसार टायर ट्यूब के निर्माण के लिये धौलपुर की जलवायु उपयुक्त नहीं माने जाने के कारण यह कारखाना कम्पनी द्वारा उदयपुर (कांकरोली) में स्थापित किया गया। धौलपुर में जिन उद्योगों के खोलने की योजना बनी, वह बाद में संबंधित पार्टियों द्वारा समय पर उद्योग लगाने हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाये जाने के कारण उनके आशय-पत्र भारत सरकार द्वारा निरस्त कर दिए गए। उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

248

(उद्योग मंत्री)

धौलपुर में उद्योग लगाने के लिये भारत सरकार द्वारा उद्यमियों को स्वीकृत आशय-पत्र / अनुज्ञप्ति की सूची :—

क्र. स.	पार्टी का नाम	उत्पादन की जाने वाली वस्तु का नाम	स्वीकृति सं. एवं दिनांक	क्रियान्विति नहीं किये जाने के कारण
1.	मैसर्स श्री वासुदेव कानोडिया, कलकत्ता	कास्टिक सोडा	एल. ओ. आई. 4(33)71 सी. एच. II दि. 12-4-73	पार्टी ने उद्योग लगाने हेतु कार्यवाही नहीं की है।
2.	मैसर्स कास्टिग इण्डिया लि., कलकत्ता	ट्राईक्लोरो-इथिलिन एवं परक्लोरो-इथेलिन 6000 एम. टी.	एल. आई. 926 (74) दिनांक 17-10-74	पार्टी ने उद्योग लगाने हेतु कार्यवाही नहीं की है।
3.	मैसर्स कास्टिक इण्डिया लि., कलकत्ता	बैन्जिल हैक्साक्लरा-इड टैक्नीकल 3300 (टी.पी.ऐ.)	एल. आई. 1151 (74) दि. 31-12-74	पार्टी द्वारा इसे लगाने के संबंध में कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण भारत सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया। (28-1-77)
4.	श्री बैजनाथ अग्रवाल पी. आर. रोलिंग इण्डस्ट्रीज, आगरा	आक्सीजन, गैस एवं नाइट्रोजन गैस	एल. आई. 382 (75) दि. 30-4-75	पार्टी ने इसकी क्रियान्विति हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाये अतः भारत सरकार ने आशय-पत्र दिनांक 27-1-76 को निरस्त कर दिया।
5.	श्री मुकुटबालकृष्ण, नई दिल्ली	ग्वारगम डिराईवेटिव्स 3000 (टी.पी.ए.)	एल. आई. 452 (75) दि. 30-5-75	पार्टी ने उद्योग लगाने हेतु कार्य नहीं किया है।
6.	मैसर्स कास्टिक इण्डिया लि., कलकत्ता	केल्शियम कार्बाइड 15000 (टी.पी. ए.)	एल. आई. 499 (75) दि. 19-6-75	पार्टी द्वारा इसे लगाने के संबंध में कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण भारत सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया। (28-1-77)

सी. ए. डी. तहसील का निर्माण कार्य

291. श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, इटावा में सी. ए. डी. तहसील के इटावा में बनाये जाने का निर्णय हो चुका है ?

(2) यदि हां, तो इसके टेन्डर किसके नाम से तथा कितनी रकम के हुए तथा कब हुए ?

(3) सी. ए. डी. तहसील का निर्माण कार्य प्रारम्भ होने में विलम्ब का क्या कारण है ? क्या राज्य सरकार कार्य में इस प्रकार की ढिलाई को सहन करेगी ? यदि नहीं, तो कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो, इस हेतु राज्य सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) सी. ए. डी. तहसील भवन के इटावा में निर्माण के लिये टेन्डर श्री हीरा लाल ठेकेदार, इटावा के नाम रु. 1,10,839.30 के दिनांक 5-12-77 को हुए ।

(3) जिस स्थान पर प्रारम्भ में तहसील भवन का निर्माण होना था उस स्थान को बदलने हेतु इटावा ग्राम की जनता का आग्रह हुआ । ऐसी स्थिति में दूसरा स्थान चुनने में कुछ समय लग गया पर निर्माण कार्य फरवरी, 1976 में प्रारम्भ हो गया ।

अटरू का उद्योग स्थापित करने हेतु सर्वे

292. श्री ओंकार लाल चौहान (अटरू): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार अटरू, जिला कोटा का लघु उद्योग स्थापित करते हेतु सर्वे कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

वर्ष 1975-76 में कोटा जिले का, जिसमें अटरू भी शामिल है, का सर्वेक्षण कराया गया था । सर्वे की रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी गई है । जिले में, गांवों एवं कस्बों का अलग-अलग सर्वेक्षण नहीं कराया जाता है ।

(रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अजमेर जिले में सैटलमेंट का कार्य

293. श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर जिले का बन्दोबस्त सन् 1951-52 में हुआ उस वक्त के सेटलमेंट कमिश्नर, हादी हुसन अली ने अजमेर का क्या वाजिबुल अर्ज लिखा है ? प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि सन् 1951-52 ही से अजमेर जिले की जनता लिख रही है कि जमीनों के नक्शे सही नहीं हैं, खसरा सही नहीं है ? क्या यह भी सही है कि सन् 1969 से 71 तक दुरुस्ती के नाम

Page No 250

(250)

(श्री रतनलाल वर्मा)

से राज्य सरकार द्वारा सेटलमेंट कार्य प्रारम्भ किया गया जिसमें करीब 20 लाख रुपये का खर्चा राज्य सरकार का हुआ, करोड़ों किसानों से खाया और आज भी नक्शे सही नहीं हैं? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी हैं?

(3) क्या अब अजमेर जिले के किसानों को खेत के नक्शे सही बन कर सही खसरा इन्द्राज होकर सही पास बुक के साथ मिल जायेंगे? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या राज्य सरकार गलत नक्शे बनाने वालों को सजा दिलाने हेतु कोई ठोस कदम उठायेगी जिससे भविष्य में दूसरे कर्मचारी गलत काम नहीं करें? यदि हां, तो वह क्या कार्यवाही होगी?

उत्तर

(1) यद्यपि अजमेर जिले के तत्कालीन जागीर एवं इस्तमरार ग्रामों का बन्दोबस्त सन् 1951–52 में हुआ उस समय वाजिबुल अर्ज नामक प्रपत्र भी ग्रामवार तैयार किया गया था जो कि प्रत्येक ग्राम के लिये पृथक-पृथक बनाया गया था। सम्पूर्ण जिले का संकलित वाजिबुल अर्ज नहीं लिखा गया था। उक्त वाजिबुल अर्ज की एक प्रति छपी हुई है जिसे सदन में प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है।

(2) सन् 1951–52 में भी बन्दोबस्त हुआ उनके इन्द्राजों या दुरुस्ती के संबंध में किसी भी कृषक का कोई वाद विचाराधीन नहीं है। जहां तक अमीनों द्वारा तैयार किए गए नक्शों व खसरों के सही नहीं होने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में इस प्रकार का कोई अपवाद विचाराधीन नहीं है। सन् 1970 से जिला अजमेर में सेटलमेंट का कार्य प्रारम्भ हुआ था जो इस समय भी चालू है। इस कार्य में अब तक हुए व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष	राशि जो व्यय हुई
जुलाई 70, से मई, 72	14,00,000 रुपये
सन् 1975–76	68,743 रुपये
सन् 1976–77	1,05,643 रुपये
1977–78 (जनवरी, 78)	1,05,490 रुपये
योग ..	16,79,876 रुपये

भू-प्रबन्ध के कार्य पूरा करवाने का प्रश्न विचाराधीन है।

जहां तक नक्शे सही नहीं होने का प्रश्न है, जब तक सेटलमेंट कार्य को विधिवत रूप में मान्यता प्रदान कर सम्बन्धित अभिलेख को उपयोग में नहीं लिया जाता, तब तक नक्शों के गलत अथवा सही होने का अनुमान लगाया जाना सम्भव नहीं है।

(3) सेटलमेंट कार्य के पूर्ण होने के पश्चात ही पास बुक का वितरण किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(4) जी नहीं।

हाईब्रीड बाजरे की प्रति क्विंटल दर

294. श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में 1976 खरीफ में वितरित किये गये हाईब्रीड बाजरा की दर प्रति क्विंटल क्या थी?

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष

(श्री रामसिंह विश्नोई)

1977 खरीफ में हाईब्रीड बाजरा की दर प्रति क्विन्टल 662/- रु. निश्चित की गई ? यदि हां, तो गत वर्ष इतनी अधिक दर निश्चित करने व इस वर्ष इतनी कम दर निश्चित करने का क्या औचित्य है ? इससे विभाग को कितना नुकसान हुआ व इसकी पूर्ति कैसे की जायेगी ?

(3) क्या राज्य सरकार ने गत वर्ष और इस वर्ष हाईब्रीड बाजरा बीज उत्पादन करने वाले काश्तकारों को 500/- रु. प्रति क्विन्टल की दर से कीमत (प्रोक्योरमेंट रेट) दी थी ? यदि हां, तो इसमें विभाग की क्या नीति है ?

उत्तर

(1) राज्य में 1976 खरीफ में वितरित किये गये हाईब्रीड बाजरा एन. एच. बी.-5 की दर 955/– रुपये प्रति क्विंटल तथा बाजरा बी. जे.–104 की दर 1000/– रु. प्रति क्विंटल थी । बिक्री कर 2 प्रतिशत अलग से था ।

(2) जी नहीं । वर्ष 1977 खरीफ में हाईब्रीड बाजरे की दर 650/– रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई थी जिस पर 2 प्रतिशत बिक्री कर अतिरिक्त था । वर्ष 1976 में कृषि उद्योग निगम द्वारा राज्य के कृषि विभाग, कर्नाटक स्टेट एग्रो सीड्स कार्पोरेशन तथा राष्ट्रीय बीज निगम से संकर बाजरे का बीज क्रय किया गया था । उस समय बीज की दर ऊंची थी । वर्ष 1977 में संकर बाजरे का जो बीज क्रय किया गया उसके लिए विभिन्न राज्यों के बीज व्यवसाइयों से निविदाएं आमंत्रित की गई जिसके फलस्वरूप कम दरों के टेण्डर प्राप्त हुए । यह दरें व्यवसाई प्रति स्पर्धा के कारण कम हो सकीं तथा बीज के अधिक उत्पादन के कारण भी दरें कम रहीं । कृषि उद्योग निगम द्वारा वर्ष 1977 में वितरण की दर 734/– रुपये प्रति क्विंटल निश्चित की गई थी लेकिन राष्ट्रीय बीज निगम ने अपनी दर घटाकर 650/– रु. प्रति क्विंटल निर्धारित कर बेचना प्रारम्भ कर दिया । अतः कृषि उद्योग निगम को भी अपनी दरें संशोधित कर 650/– रु. निर्धारित करनी पड़ी जिससे निगम को 4,64,882.65 रु. की हानि हुई । उक्त हानि की पूर्ति अनुदान से करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(3) जी नहीं । गत वर्ष (1976) बीज उत्पादकों से बाजरे का बीज 650/– रु. प्रति क्विंटल की दर से क्रय किया गया था एवम् इस वर्ष 1977 में 550/– रुपये प्रति क्विंटल से क्रय किया गया । विभाग की नीति के अनुसार बीज के उत्पादन खर्चों एवं बीज उत्पादन में निहित जोखम को मद्देनजर रखते हुए खरीद दर तय करने की सिफारिश विभाग द्वारा कृषि उद्योग निगम को की जाती है । निगम द्वारा अपने बोर्ड की मीटिंग में आवश्यक संशोधन कर खरीद दर को अनुमानित कर घोषित कर दी जाती है ।

बिक्री कर की बकाया राशि

295. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में बिक्री कर की कितनी राशि विभिन्न जिलों में बकाया है तथा यह राशि कितने वर्षों से बकाया चली आ रही है ?

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) उक्त राशि अब तक बकाया चली आने के क्या कारण हैं ?

(3) राज्य सरकार उक्त बकाया वसूली के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) दिनांक 30-9-1977 को बिक्री कर मद के अन्तर्गत जिलेवार तथा अवधिवार बकाया राशि का विवरण तालिका 'ए' में दिया गया है, इसमें पुरानी बकाया राशि के साथ-साथ वर्ष 77-88 में निर्धारित अतिरिक्त मांग की अवशेष राशि भी सम्मिलित है। तालिका 'ए' सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त राशियां अब तक बकाया रहने के मुख्य कारण निम्न हैं:–

व्यापारियों द्वारा सक्षम अधिकारियों से विषयांतर्गत वसूली के लिये स्थगन। किश्तों में भुगतान के आदेश प्राप्त कर लेना। इसके अतिरिक्त व्यापारियों द्वारा अचानक व्यापार बन्द कर देना, लापता हो जाना, या दिवालिया हो जाना आदि हैं।

(3) उक्त बकाया राशि की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार हर सम्भव सतत् प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप प्रगति भी हुई है।

दिनांक 30-9-1977 को बिक्री कर मद के अन्तर्गत जिलेवार तथा अवधिवार बकाया राशि का विवरण

तालिका 'ए'

(रुपये हजारों में)

क्र. सं.	जिले का नाम	एक वर्ष से कम	एक वर्ष पुरानी	दो वर्ष पुरानी	तीन वर्ष पुरानी	तीन वर्ष से अधिक पुरानी	दिनांक 30-9-77 को कुल बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	562	303	115	64	1472	2516
2.	अलवर	1169	193	248	132	522	2264
3.	भरतपुर	760	1133	576	343	3074	5886
4.	जयपुर	6816	4360	2771	2227	7044	23218
5.	सीकर	177	34	34	18	230	493
6.	झुंझुनूं	125	17	77	22	165	406
7.	बीकानेर	260	51	96	69	325	801
8.	चूरू	117	160	117	13	85	492
9.	गंगानगर	1309	533	202	298	476	2818
10.	जोधपुर-बाड़मेर-जैसलमेर	1640	1011	468	271	931	4321
11.	नागौर	151	44	51	18	46	310
12.	पाली	284	254	74	39	307	956
13.	सिरोही-जालौर	268	73	21	17	88	467
14.	झालावाड़	316	156	79	8	182	741

Page No 254

(२५५)

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	कोटा–बूंदी	10961	5628	7628	231	972	25470
16.	सवाई माधोपुर–टौंक	737	316	187	104	203	1547
17.	भीलवाड़ा	172	140	115	78	242	747
18.	चित्तौड़गढ़	495	394	76	107	453	1525
19.	बांसवाड़ा–डूंगरपुर	170	83	45	2	41	341
20.	उदयपुर	789	3369	262	149	400	4969
	योग ..	27278	18252	13242	4260	17258	80290

रामसर का ब्रीडिंग फार्म

296. श्री करतार सिंह (किशनगढ़) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले का रामसर फार्म पशुपालन विभाग का एक बहुत बड़ा ब्रीडिंग फार्म रहा है जिसमें 'गीर' नस्ल के नस्ल सुधार का कार्य होता था?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त ब्रीडिंग फार्म कुछ माह पूर्व हस्तान्तरित कर झालावाड़ जिले में ले जाया गया है? यदि हां, तो इस ब्रीडिंग फार्म को अजमेर जिले के रामसर फार्म से झालावाड़ जिले में हस्तान्तरित करने के क्या मुख्य कारण रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि 'गीर' नस्ल अजमेर जिले में स्थित इस रामसर फार्म के समीपवर्ती गांवों में ही पाई जाती है तथा झालावाड़ जिले में इस नस्ल का पाया जाना असंभव है ? यदि हां, तो 'गीर' नस्ल के ब्रीडिंग फार्म को झालावाड़ हस्तान्तरित करने का क्या औचित्य है ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस फार्म के झालावाड़ जिले में हस्तान्तरण से राज्य सरकार को हानि उठानी पड़ी है ? यदि हां, तो इस हानि के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

(5) क्या राज्य सरकार अजमेर जिले के पशुपालकों की मनोभावना का आदर करते हुए इस ब्रीडिंग फार्म को अजमेर जिले के रामसर ग्राम में ही पुनः रखने का विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक संभव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या राज्य सरकार इस फार्म में कोई अन्य पशुपालन संबंधी योजना प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है तथा कब तक सम्भव है ?.

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। बचे हुए पशु डग फार्म पर भेजे गये हैं।

(3) जी नहीं।

(4) रामसर फार्म को बन्द करने पर केवल वहां के बचे हुए पशुओं को डग फार्म पर फिलहाल रखा गया है।

(5) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(6) 'गीर' नस्ल का फार्म पुनःस्थापित किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

धन उपलब्ध होने पर छठी योजना में विचार किया जा सकता है।

कृषि उपज मण्डी समिति, भीलवाड़ा द्वारा कांटे की खरीद

297. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति, भीलवाड़ा द्वारा आर्डर नं. JAI/254/DDR/21-10-75 के अनुसार 4 डायलनुमा कांटे खरीदे गये ?

(2) क्या यह भी सही है कि दिनांक

(श्री कौशल किशोर जैन)

6-10-76 को इसके लिये 66,730.35 की राशि जमा कराई गयी ?

(3) उक्त कांटे किस उद्देश्य से खरीदे गये ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त कांटों का खरीदने के बाद एक दिन भी उपयोग नहीं हुआ ?

(5) क्या यह भी सही है कि इनमें से एक कांटा वर्तमान में स्टोर में नहीं है ?

(6) इतनी बड़ी धनराशि निरुद्देश्य लगाने के लिए कौन-कौन जिम्मेवार हैं तथा राज्य सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) कांटे खरीदने का उद्देश्य मण्डी में व्यापारियों के कांटे, बाटों की प्रामाणिकता की जांच करना था । इन कांटे-बाटों को मण्डियों में रखकर यथासमय तोल की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिये इनका उपयोग किया जाता है जिससे कि विक्रेता स्वयं देख सकें कि तोल कितना है ।

(4) जी नहीं ।

(5) जी नहीं ।

(6) यह धनराशि निरुद्देश्य नहीं लगाई गई । मण्डी में इस प्रकार तोल कांटों की व्यवस्था करना विपणन नियमों के प्रावधान के अनुकूल है ।

परियोजना अधिकारी, तहसील बेगूं का कार्यक्षेत्र

299. श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि परियोजना अधिकारी, तहसील बेगूं का कार्यक्षेत्र केवल बेगूं पंचायत समिति तक ही सीमित है जब कि बेगूं तहसील के अन्तर्गत दो पंचायत समितियां, बेगूं व भैंसरोडगढ़ आती हैं ?

(2) यदि हां, तो पंचायत समिति, भैंसरोडगढ़ के काश्तकारों को परियोजना अधिकारी द्वारा दिये जाने वाले लोन की सुविधा से वंचित क्यों रखा गया है ?

(3) क्या भविष्य में राज्य सरकार भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति के लिये अलग से परियोजना अधिकारी की नियुक्ति का विचार रखती है या बेगूं तहसील के परियोजना अधिकारी के क्षेत्र को ही भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति तक बढ़ाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) लघु सिंचाई योजना, बेगूं का कार्यक्षेत्र पंचायत समिति, बेगूं में आने वाले ग्रामों तक सीमित है । क्योंकि इस प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन तहसील स्तर पर न हो कर पंचायत समिति स्तर पर होता है ।

(2) कृषि पुनः वित्त एवं विकास निगम से योजना का कार्यक्रम केवल बेगूं पंचायत समिति क्षेत्र के लिए ही स्वीकृत है, अतः प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) पंचायत समिति, भैंसरोडगढ़

(कृषि मंत्री)

को अभी लघु सिंचाई योजना तैयार नहीं की गई है। ऐसी योजना बनाने के पश्चात् ही परियोजना अधिकारी नियुक्त करने, अथवा लघु सिंचाई योजना, बेगूं का कार्य क्षेत्र भैंसरोड-गढ़ तक बढ़ाने पर विचार किया जा सकेगा।

पिपलाई-बामनवास सड़क

300. श्री कुंजीलाल (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले की पिपलाई-बामनवास सड़क वर्षा के दिनों में कई स्थानों पर अधिक पानी आने के कारण प्रायः पानी में डूब जाती है?

(2) क्या यह सही है कि सड़क के इस प्रकार से डूब जाने के कारण इस सड़क कई स्थानों पर जमीन से ऊंची की गई है?

(3) क्या यह सही है कि अब भी कई स्थानों पर सड़क ऊंचाई नहीं बढ़ाने के कारण पानी में डूब जाती है तथा सड़क के दोनों ओर काफी गहराई लिये हुये पानी ही पानी हो जाता है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस समस्या को दूर करने के लिए जिन स्थानों पर सड़क की ऊंचाई नहीं बढ़ाई है, वहां सड़क की ऊंचाई बढ़ायेगी तथा दोनों ओर पानी होने के कारण गाड़ियों को बचाने के लिए सड़क को अधिक चौड़ा करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां, इस सड़क को ऊंचा करने की कार्यवाही समय-समय पर की गयी और इस वर्ष भी इस पर कार्य चालू है। सड़क के चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह सड़क 7 मीटर चौड़ी है जो पर्याप्त है।

ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों को अधिक अधिकार

302. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा),

श्री कुंजीलाल (बामनवास),

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

: क्या राज्य सरकार पंचायत राज को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिये ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों को अधिक अधिकार दे रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां, पंचायत राज संस्थाओं के स्वरूप एवं उन्हें अधिक अधिकार देकर सुदृढ़ बनाने से सम्बन्धित मामला अभी तक राज्य सरकार के विचाराधीन है।

राजगढ़ में सीमेंट का कारखाना लगाने हेतु सर्वे

303. श्री गंगा सहाय (कठूमर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राजगढ़, जिला अलवर में सीमेन्ट का कारखाना लगाने हेतु पिछली सरकार ने कोई सर्वेक्षण करवाया था? यदि हां, तो

(श्री गंगा सहाय)
उस सर्वेक्षण रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

जी हां । राजगढ़, जिला अलवर में सीमेन्ट ग्रेड लाइम स्टोन हेतु खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर द्वारा सन् 1974-75 में सर्वेक्षण कराया गया था । इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर सीमेन्ट बनाने के लिए उपयुक्त सीमेन्ट ग्रेड लाइम स्टोन उक्त क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं पाया गया एवं नीचे किस्म का लाइम स्टोन (लो ग्रेड लाइम स्टोन) पाया गया है ।

सहकारी समिति, सलोतिया की जांच

304. श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या भूतपूर्व उप-मंत्री, श्री कन्हैया लाल पटेल, निवासी सलोतिया तहसील पिड़ावा के विरुद्ध सहकारी समिति, सलोतिया के हजारों रुपये गबन करने की जांच चल रही है ? यदि हां, तो जांच की प्रगति का विवरण दें ।

(2) क्या यह सही है कि भूतपूर्व उप-मंत्री, श्री कन्हैया लाल पटेल ने सहकारी समिति के ऋण का वितरण अपने कार्यकाल में अनुचित जाति के व्यक्तियों को नहीं किया एवं भाई भतीजावाद पनपाया ?

(3) क्या यह सही है कि सहकारिता विभाग की मिलीभगत से अब तक गबन की फाइलें दबी पड़ी हैं व कोई पुलिस कार्यवाही आज तक श्री कन्हैया लाल पटेल के विरुद्ध नहीं की गई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं ।

पाली जिले में सीलिंग के मामले

305. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले में कितने ऐसे भूतपूर्व जागीरदार हैं जिनमें मुकदमात सीलिंग कानून के अन्तर्गत दुबारा खोलने पर पैन्डिंग पड़े हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) जिन सीलिंग केसेज को दुबारा खोला गया उनको रोकने का क्या कारण था ? क्या अब उन पर निर्णय लिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार इस बात की जांच कराएगी कि खेती की भूमि कई लोगों को कानून और नियमों का उल्लंघन कर आवंटित की गई ? क्या ऐसे लोगों से वापस जमीन ली जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) जिन व्यक्तियों से दुबारा जमीन ली जावेगी उसके लिए कोई समय-सीमा तो निर्धारित नहीं रहेगी ?

(5) क्या सरकार उन लोगों से भी जमीन ले लेगी जिनको गलत जमीन आवंटित हुए दस साल व्यतीत हो जाने के कारण खातेदारी हक मिल गये हैं ?

(राजस्व मंत्री)

उत्तर

(1) पाली जिले में ऐसे भूतपूर्व जागीरदार, जिनके मुकदमे सीलिंग कानून के अन्तर्गत दुबारा खोलने पर पेन्डिंग पड़े हुए हैं, की संख्या 167 है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) भूतपूर्व राज्य सरकार ने दिनांक 18-4-77 को यह निर्णय लिया था कि जिलाधीशों को सूचित कर दिया जाये कि सीलिंग विधि में संशोधन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और जब तक इस पर निर्णय न हो, तब तक पुरानी सीलिंग विधि के अधीन कार्यवाहियों को अन्तिम रूप नहीं दिया जाय तथा न ही पुरानी विधि के अधीन फिर से खोले जाने के नये मामले सरकार को रेफर किये जायें और ना ही पुराने सीलिंग विधि के अधीन कोई नये मामले दायर किये जायें। उक्त निर्णय की अनुपालना में पुरानी सीलिंग विधि के अधीन सभी कार्यवाही रोकी गई है। इस सम्बन्ध में मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है जिस पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

(3) इस सम्बन्ध में बेरी आयोग क स्थापना राज्य सरकार द्वारा की गई है जिसके टर्म आफ रेफरेन्स में यह रखा गया है। बेरी आयोग की रिपोर्ट पर राज्य सरकार प्रत्येक मामले पर कार्यवाही करेगी।

(4) इसके लिये-समय-सीमा नियमानुसार ही होगी।

(5) इस प्रश्न पर राज्य सरकार प्रत्येक मामले में गुणिता पर परीक्षण कर नियमानुसार निर्णय लेगी।

सीलिंग के रि-ओपन शुदा विचाराधीन मामलों की सूची

क.सं.	मुकदमा संख्या	बनाम	ग्राम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1	2176	सरकार बनाम जालमसिंह	आंकली	
2	3176	,, लक्ष्मणसिंह	पांचकवाड़ा	
3	4176	,, विजयकंवर	ओठिया	
4	5176	,, विजेन्द्रसिंह	आसोप	
5	6176	,, प्रेमसिंह	बोया	
6	7176	,, प्रतापसिंह	मुण्डारा	
7	8176	,, भूरसिंह	ठाकूरला	
8	10176	,, प्रेमसिंह	बागड़िया	
9	11176	,, भवानीसिंह	फूलना	
10	12176	,, चन्दनसिंह	दूजाना	
11	14176	,, नरपतसिंह	पावा	

Page No 260

(260)

1	2	3	4	5
12.	15176	सरकार बनाम उम्मेदसिंह	कूरना	
13.	18176	,, थानसिंह	कूरना	
14.	19176	,, शिवदानसिंह	खरवा	
15.	21176	,, देवीसिंह	बीजापुर	
16.	22176	,, पृथ्वीसिंह	बिसलपुर	
17.	23176	,, किशोरदान	माण्डल	
18.	24176	,, जबरसिंह वगैरह	कोरटा	
19.	25176	,, डूंगरसिंह	सिवान्दी	
20.	26176	,, गणपतसिंह	जाणा	
21.	27176	,, रामसिंह	सिवान्दी	
22.	28176	,, मुकनसिंह	वाणोद	
23.	29176	,, रामसिंह	मिटवाड़ा	
24.	30176	,, हिम्मनसिंह	वाणोद	
25.	31176	,, बिशनसिंह	निम्बेडा खुर्द	
26.	32176	,, लक्ष्मणसिंह वगैरह	घाणेराव	
27.	33176	,, सुशीला कुमारी	घाणेराव	
28.	34176	,, पुष्पेन्द्रसिंह	घाणेराव	
29.	35176	,, तेजसिंह	बालोतरा	
30.	36176	,, मंगलसिंह	आकवड़ा	
31.	37176	,, अमरसिंह	बिरोलिया	
32.	38176	,, बीरा वगैरह	तखतगढ़	
33.	39176	,, मनोहरसिंह	कोट	
34.	40176	,, विजयसिंह वगैरह	भादरलाऊ	
35.	41176	,, नाथूसिंह	दैरथा	
36.	42176	,, जबरसिंह	देवरिया	
37.	43176	,, महिपालसिंह	नाणा	
38.	44176	,, नीमसिंह	बागड़ी	
39.	45176	,, जगदीशसिंह	बेड़ा	
40.	46176	,, बिशनसिंह	कानपुरा	
41.	47176	,, धोकलसिंह	कोट	
42.	48176	,, किशन	याड़वास	
43.	49176	,, महावीरसिंह	बेड़ा	
44.	50176	,, भोपालसिंह वगैरह	भीमालिया	
45.	51176	,, पृथ्वीसिंह	देवतड़ा	
46.	52176	,, सरदारसिंह	बोया	
47.	53176	,, हमीरसिंह वगैरह	मोसमपुरा	
48.	54176	,, बलदेवसिंह	भांवरी	
49.	55176	,, मूलसिंह	मुण्डेरा	
50.	57176	,, देवीसिंह वगैरह	रुपावास	
51.	58176	,, बिजेन्द्रसिंह	माण्डल	
52.	59176	,, बल्लभ कुमारी	रायपुर	

1	2	3	4	5
53.	60176 सरकार बनाम	कमलसिंह	गुढ़ा गुमानसिंह	
54.	61176 ,,	नरपतसिंह	कूरना	
55.	63176 ,,	पृथ्वीसिंह	बान्डाई	
56.	64176 ,,	भूरसिंह वगैरह	आकड़ावास	
57.	65176 ,,	दलपतसिंह	बांसिया	
58.	66176 ,,	गोपालसिंह	देवतड़ा	
59.	67176 ,,	प्रतापसिंह	कोरटा	
60.	68176 ,,	स्वरूपसिंह	जोधपुर	
61.	69176 ,,	भोपालसिंह वगैरह	सिवाड़ा	
62.	70176 ,,	देवाराम	दूदोढ़	
63.	71176 ,,	उदयसिंह	लोलावास	
64.	72176 ,,	विशनसिंह	सोडावास	
65.	73176 ,,	देशवरसिंह वगैरह	गिरादड़ा	
66.	74176 ,,	स्वरूपसिंह	जोधपुर	
67.	76176 ,,	दीपसिंह	गिरादड़ा	
68.	77176 ,,	छत्तरसिंह	कोरटा	
69.	78176 ,,	भैरूंसिंह	जवड़िया	
70.	79176 ,,	कल्याणसिंह वगैरह	जाड़ण	
71.	80176 ,,	नरपतसिंह	मडली खुर्द	
72.	81176 ,,	सुन्दरसिंह	सोढावास	
73.	82176 ,,	रूप कंवर	सोढावास	
74.	83176 ,,	भगवतसिंह	बिठू	
75.	84176 ,,	बलवीरसिंह	रास	
76.	85176 ,,	बिशनसिंह	गिरपर	
77.	86176 ,,	चिमन वगैरह	चाणोद	
78.	87176 ,,	सवाईसिंह	फालना	
79.	88176 ,,	मोहनसिंह	कोरटा	
80.	89176 ,,	प्रतापसिंह	झूपेलाव	
81.	90176 ,,	शेषकरण	रामपुरा कलां	
82.	91176 ,,	भीमसिंह	बिठू	
83.	92176 ,,	भंवरसिंह	बाबरा	
84.	93176 ,,	हरीसिंह	मोरिया	
85.	94176 ,,	जबरसिंह	चावंडिया	
86.	95176 ,,	गोपालसिंह	लोटोती	
87.	96176 ,,	हरीसिंह	डिरी	
88.	97176 ,,	बजरंगसिंह	आकोदिया	
89.	98176 ,,	भोपालसिंह वगैरह	बिलाड़ा	
90.	1177 ,,	दौलतसिंह	निम्बाज	
91.	2177 ,,	स्वरूपसिंह वगैरह	आमलिया	
92.	3177 ,,	सवाईसिंह	निम्बोल	
93.	4177 ,,	मूलसिंह	राजडियावास	
94.	5177 ,,	देवीसिंह	राजडियावास	

Page No 262

(262)

1	2		3	4	5
95.	6177	सरकार बनाम	दलपतसिंह	डूंगरपुर	
96.	7177	,,	चांदसिंह	निम्बोल	
97.	8177	,,	धूलसिंह	बढ़ली	
98.	9177	,,	दलाराम वगैरा ह	बढ़ो	
99.	10177	,,	नारायणसिंह	धोलेरिया	
100.	11177	,,	हीराराम	सिनला	
101.	12177	,,	किशनकुमारी	आसोप हल तंन्डा	
102.	13177	,,	मगसिंह	धागड़वास	
103.	14177	,,	तखतराज	जैतारण	
104.	15177	,,	छत्तरसिंह वगैरह	मंडली दर्जीयान	
105.	16177	,,	गंगासिंह	काणेवा	
106.	17177	,,	आनन्दसिंह	बावंडिया खुर्द	
107.	18177	,,	विजयसिंह	भैरवा	
108.	19177	,,	वल्लभदास	बांजाकुड़ी	
109.	20177	,,	भगवतसिंह	राजडियावास	
110.	21177	,,	अर्जुनसिंह	सिनला	
111.	22177	,,	गणेशसिंह	बांगवा	
112.	23177	,,	गोबिन्दसिंह वगैरह	लाम्बिया	
113.	24177	,,	गोबिन्दसिंह	ढ़ोरी	
114.	25177	,,	भोलाराम	देवली कलां	
115.	26177	,,	बेणीदान	बिजलियावास	
116.	27177	,,	वीरसिंह	जोटीला	
117.	28177	,,	लादा	राणीवाला	
118.	29177	,,	कल्याणसिंह	बिराठिया खुर्द	
119.	30177	,,	देवीसिंह	गिरवर	
120.	31177	,,	मोतीसिंह	चाटेलाव	
121.	32177	,,	हनवंतसिंह वगैरह	करना	
122.	33177	,,	जीवराजसिंह	देबान	
123.	34177	,,	देवीसिंह	बिगड़ला	
124.	35177	,,	वीरेन्द्रसिंह	रोहट	
125.	36177	,,	विक्रमसिंह वगैरह	रोहट	
126.	37177	,,	भीमसिंह	बोटीला	
127.	38177	,,	मानसिंह	जबड़िया	
128.	39177	,,	हरी रायल	आसरलाई	
129.	40177	,,	जोगसिंह	जोटीला	
130.	41177	,,	बालाबक्ष	आनन्दपुर काल	
131.	42177	,,	शतानसिंह	जोटीला	
132.	43177	,,	देवेन्द्रसिंह वगैरह	भांवरी	
133.	44177	,,	गिरधारीसिंह	रामपुरा कलां	
134.	45177	,,	सिणगारकंवर	पढ़ासला कलां	
135.	46177	,,	माधोसिंह	गुढ़ानारवां	
136.	47177	,,	भीमसिंह	बोटीला	

Page No 263

263

1	2	3	4	5
137.	48177	सरकार बनाम फतेहसिंह	सिनला	
138.	49177	,, रामसिंह	ओमकली	
139.	50177	,, आईदान	सुकरलाई	
140.	51177	,, नृसिंह	बड कलां	
141.	52177	,, अर्जुनसिंह वगैरह	चोटीला	
142.	53177	,, शैतान सिंह	चोटीला	
143.	54177	,, सुमन्दर कंवर	घोटीला	
144.	55177	,, हरीसिंह	आकोदिया	
145.	56177	,, दीप सिंह वगैरह	चोकड़िया	
146.	57177	,, सांवलदान	विजलियावास	
147.	58177	,, मानसिंह	मेणीया	
148.	59177	,, पुष्प कंवर	पडासला कलां	
149.	60177	,, उम्मेदसिंह वगैरह	निम्बेडा कलां	
150.	61177	,, उम्मेदसिंह वगैरह	रयावास	
151.	62177	,, गोपाल सिंह वगैरह	सोना ईलाखा	
152.	63177	,, कानसिंह वगैरह	खारची	
153.	64177	,, रूपेन्द्रसिंह	निम्बेड़ा कलां	
154.	65177	,, अजीतसिंह	मोहरा कलां	
155.	66177	,, दलीपसिंह	जोधपुर	
156.	67177	,, मांगपुरी	पालडी	
157.	68177	,, पीरखान	नयागांव (सोजत)	
158.	69177	,, मोहनलाल	पाली	
159.	70177	,, सांवलसिंह	हिंगोला खुर्द	
160.	71177	,, द्वारकालाल	जोधपुर	
161.	72177	,, राजेन्द्रसिंह	रोहट	
162.	73177	,, महेन्द्रसिंह	रोहट	
163.	74177	,, अनुकमसिंह	रोहट	
164.	76177	,, गोपालसिंह	आकोदिया	
165.	78177	,, नागलकंवर	कुडकी	
166.	79177	,, सज्जनसिंह	देवती	
167.	80177	,, रतन कंवर	रोहट	

मकराना खनिज एरिया की सड़कें

306. श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मकराना खनिज एरिया में सड़कों का निर्माण कार्य क्यों रुका पड़ा है ? माताघर सड़क व मकराना बद्याद खान सड़क कब तक बन जाएगी ?

(2) इस वर्ष खानों की सड़कें पूरी न होने में राज्य सरकार क्या जिम्मेदार मुलाजिमों को दण्डित करेगी ?

(3) खान विभाग द्वारा बनाई गई पुरानी सड़कों की मरम्मत कार्य कौन करता

(श्री अब्दुल अजीज)

है ? गणावती कोला डूंगरी सड़क की मरम्मत कब तक होगी ?

(4) नई खानों के अलाटमेंट पहले खान सड़क बनाने की क्या राज्य सरकार योजना बना चुकी है ? यदि हां, तो मकराना खानों की सड़कों का मोजूदा व आगामी नक्शा सदन की मेज पर पेश करने की कृपा करें।

उत्तर

(1) मकराना खनिज क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कार्य रुका हुआ नहीं है। केवल माताभर सड़क का कार्य इसलिये रुका है कि सड़क के बीच में आने वाली भूमि का विवाद चल रहा है। विवाद पर निर्णय होने पर इसका शुरू हो जायेगा। मकराना बिदिया खान सड़क बनी हुई है।

(2) इस वर्ष नई बनाई जाने वाली सड़कों की स्वीकृति दिनांक 13-1-78 को जारी की गई है। सड़कों पर कार्य फेज्ड प्रोग्राम के अनुसार होता है। राज्य सरकार के किसी भी मुलाजिम द्वारा देरी नहीं की गई है अतः दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) पुरानी सड़कों की मरम्मत का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। सड़कों की मरम्मत हेतु 3.50 लाख रु. का प्रावधान इस वर्ष किया गया है तथा गुणवती कोलाडूंगरी सड़क की मरम्मत का कार्य इस वर्ष किया जावेगा।

(4) मकराना क्षेत्र में चालू खानों के लिये सड़कें पहले से बनी हुई हैं। जहां-जहां नई खानों का क्षेत्र खोला जायगा आवश्यकतानुसार उस क्षेत्र में सड़क निर्माण पर विचार किया जावेगा।

अन्त्योदय योजना के तहत जोधपुर जिले में चयनित परिवार

307. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अन्त्योदय योजना के तहत जोधपुर जिले के कितने परिवार लिए गए हैं तथा उनका चयन किस आधार पर किया गया था ?

(2) क्या इन परिवारों को गरीबी की रेखा पार करने के लिए जो सरकारी सहायता दी जाने वाली थी, वह दे दी गई है ? यदि नहीं, तो अब कब तक फैसला कर लिया जाएगा ?

(3) वर्ष 78-79 के लिए इस योजना के तहत गरीब परिवारों का चयन कब शुरू किया जाएगा ?

(4) तहसील शेरगढ़ में इस योजना के तहत चयनित परिवारों को किस-किस गांव में क्या-क्या सहायता देकर आर्थिक उत्थान किया गया है ? यदि कुछ भी नहीं किया गया है तो अब कब तक कर दिया जाएगा और क्या कार्यक्रम लिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले 33,42 परिवारों का चयन अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत उनका जीवन स्तर सुधारने हेतु किया गया। प्रत्येक गांव में सबसे गरीब परिवारों का चयन मजमा-ए-आम में उपस्थित ग्रामवासियों की सहमति से किया गया।

(2) जोधपुर जिले में अन्त्योदय

(राजस्व मंत्री)

योजनान्तर्गत चयनित 3,342 परिवारो को संलग्न सूची के अनुसार सहायता अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जा चुकी है, शेष ऋण एवं स्वीकृत पेंशन के वितरण की कार्यवाही जारी है । जहां तक अन्त्योदय के अन्तर्गत चयनित समस्त परिवारों को सहायता दिये जाने का प्रश्न है यह कार्य करीबन 6 माह के अन्दर सम्पन्न कर लिये जाने की सम्भावना है ।

(3) वर्ष 78-79 में योजना के तहत गरीब परिवारों का चयन करने के लिये कार्यक्रम अभी निश्चित नहीं किया गया है ।

(4) तहसील शेरगढ़ की संलग्न सूची के अनुसार चयनित परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है तथा बाकी परिवारों को लाभान्वित करने के लिये प्रयत्न जारी हैं । अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में चल रहे कार्यक्रमों के द्वारा ही इन परिवारों को लाभान्वित किया जाना है । सब परिवारों को अक्टूबर, 78 तक साधन उपलब्ध कराने की योजना है ।

तहसील शेरगढ़ में निम्न ग्रामों में उनके आगे अंकित परिवारों को ऋण वितरित किया जा चुका है

ग्राम	परिवारों की संख्या	ऋण का प्रयोजन
बीन्जणीयाला	1	बकरी 1
बालेसर दुर्गावता	2	चर्म उद्योग 1, पत्थर उद्योग 1
बालेसर सत्तां	1	पत्थर उद्योग 1
बाबरली	1	भेड़ इकाई 1
भाटेलाई चारणान	5	भेड़ इकाई 5
भाटेलाई पुरोहितां	5	दुधारू पशु 5
खुडियाला	3	ऊंट छकड़ा 2, चर्म उद्योग 1
बालू राजवां	1	भेड़ इकाई 1
दूगर	5	भेड़ इकाई 4, दुधारू पशु 1
ठाडिया	2	भेड़ इकाई 1, दुधारू पशु 1
गोपालसर	1	भेड़ इकाई 1
खुराणी	4	दुधारू पशु 3, भेड़ इकाई 1
सेतरावा	1	ऊंट छकड़ा 1
सोमेसर	1	चर्म उद्योग 1
कनोटिया महासिंह	1	चर्म उद्योग 1
खाई	1	कुम्हारी कार्य 1
बासनी मनणा	3	दुधारू पशु 3
गिलाकोर	2	भेड़ इकाई 2
तोलेसर पुरोहितां	4	भेड़ इकाई 4
सवारन	3	भेड़ इकाई 1, ऊंट छकड़ा 2

Page No 266

(266)

तहसील शेरगढ़ में चयनित परिवारों की स्वीकृति एवं लाभान्वित परिवारों की स्थिति निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	विवरण	स्वीकृत	वितरित
1.	पेंशन	248	..
2.	दुधारू पशु	15	13
3.	भेड़ इकाई	28	21
4.	बकरी	1	1
5.	ऊंट छकड़ा	6	5
6.	बैल छकड़ा	2	..
7.	चर्म उद्योग	5	4
8.	पत्थर उद्योग	2	2
9.	कुम्हारी उद्योग	1	1
	योग ..	308	47

राज्य में स्थापित नये उद्योग

308. श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 22 जून, 1977 के बाद राज्य में किन-किन लघु उद्योगों की नई इकाईयां स्थापित की गई ?

(2) उक्त यूनिट्स में कितनी पूंजी का नियोजन हुआ है ? यूनिटवाइज पूंजी का नियोजन बताने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य में दिनांक 23-6-77 से 31-12-77 तक 1,210 लघु इकाईयां स्थापित हुई।

(2) इन 1,210 लघु उद्योग इकाईयों में 9.01 करोड़ रुपये की पूंजी का नियोजन हुआ है एवं 6,906 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। इन इकाईयों की सूची पूंजी नियोजन के आंकड़ों सहित सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

विक्री कर समाप्त करने की योजना

309. श्री हरजी राम बुरडक (लाडनूं), श्री ईश्वरचन्द (पिड़ावा), श्री बालचन्द्र आर्य (उग) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने कभी बिक्री कर समाप्त करने के प्रश्न पर विचार किया है ? यदि हां, तो कब-कब और क्या-क्या निर्णय लिया गया ?

(2) क्या भारत सरकार ने भी इस प्रश्न पर राज्य सरकार से कोई राय मांगी है या विचार-विमर्श किया है ? यदि हां, तो कब और राज्य सरकार ने अपनी तरफ से क्या मत व्यक्त किया ?

(3) क्या राज्य सरकार ऐसा विचार रखती है कि बिक्री कर समाप्त किया जाये ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

(4) यदि बिक्री कर समाप्त किया गया तो इसके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने इस मामले में अभी तक विचार नहीं किया है।

(2) भारत सरकार ने इनडाइरेक्ट टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर सब ही राज्य सरकारों की राय मांगी है। इस रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है और विचार के बाद राज्य सरकार द्वारा अपनी राय भारत सरकार को भेजी जाऐगी।

(3 व 4) इसके उपरांत केन्द्रीय सरकार से विचार-विमर्श करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा।

ब्यावर-विजयनगर तथा रामगढ़-मसूदा सड़क का मरम्मत का कार्य

310. श्री नूरा (मसूदा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर से विजयनगर सड़क व रामगढ़ से मसूदा, जिला अजमेर की सड़कें डामर की बहुत पहले समय से बनी हुई हैं ? अगर हां, तो इनकी मरम्मत का क्या प्रावधान है ?

(2) पिछले तीन वर्षों में इन सड़कों की मरम्मत हेतु कितनी धनराशि लगाई गई ?

उत्तर

(1) जी हां। सीमित प्रावधान होते हुए इन सड़कों की मरम्मत के लिए प्रावधान किया जाता है।

(2) पिछले तीन वर्षों में इन सड़कों की मरम्मत हेतु 6,95,209 रुपये व्यय किये गये जो निम्न प्रकार हैं:—

वर्ष	ब्यावर-विजयनगर सड़क (रु. में)	रामगढ़-मसूदा सड़क (रु. में)
1974-75	0,78,361	0,26,008
1975-76	1,26,984	0,32,367
1976-77	2,69,984	1,61,505
कुल व्यय	4,75,329	2,19,880

(268)

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 34 की सूची)

CONSTRUCTION OF NEW B. T. ROADS

S. No.	Name of district	Ist Plan 51-56	IInd Plan 56-61	IIIrd Plan	3yrs. Plan IVth Plan 1970	IVth Plan 1974	Vth Plan up to 31-3-77
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ajmer	..	..	232	139	65	58.00
2.	Alwar	133	171	276	82	120	37.00
3.	Banswara	8	62	46	90	154	8.75
4.	Barmer	..	80	131	0	421	84.00
5.	Bharatpur	242	151	328	85	65	71.50
6.	Bhilwara	5	200	70	156	131	11.00
7.	Bikaner	159	72	84	68	360	72.00
8.	Bundi	9	66	63	86	45	54.50
9.	Chittorgarh	2	114	127	112	69	9.00
10.	Churu	32	224	229	18	154	26.00
11.	Dungarpur	2	55	66	53	124	31.50
12.	Ganganagar	60	371	572	100	352	134.50
13.	Jaipur	193	320	218	8	257	64.00
14.	Jaisalmer	72	52	53	57	316	5.00
15.	Jalore	..	61	13	19	286	10.5
16.	Jhalawar	19	147	101	54	47	9.5
17.	Jhunjhunu	27	42	269	14	46	37.50
18.	Jodhpur	266	205	104	25	702	90.00
19.	Kota	80	201	153	41	122	53.50
20.	Nagaur	31	193	158	83	307	40.50
21.	Pali	130	164	147	22	188	28.50
22.	Swaimadhopur	28	154	125	21	65	18.00
23.	Sikar	39	72	212	28	163	47.00
24.	Sirohi	88	129	78	52	145	8.00
25.	Tonk	135	93	81	60	68	37.00
26.	Udaipur	227	333	193	264	245	70.00
	Total ..	1937	3783	4129	1737	4839	1115.75

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 35 की सूची)

प्रश्न संख्या 1 उत्तर की सूची

1.	जालौर-आहोर सड़क पर काजवे कि.मी. 63	4.00 लाख
2.	खड़ी नदी पर वेन्टेड काजवे का क्षतिग्रस्त कि.मी. 62	20.00 लाख
3.	बड़गांव पुलिया की सिरोही तरफ की एप्रोच	10.00 लाख
4.	बी. टी. तखतगढ़-जालौर-विशनगढ़-सायला-सिन्दरी	1.00 लाख
5.	बी. टी. सांचौर-रानीवाड़ा-मण्डार	3.20 लाख
6.	बी. टी. भीनमाल-रानीवाड़ा	1.00 लाख
7.	बी. टी. कालन्द्री-जालौर-मोकलसर रोड	1.50 लाख
8.	जी. आर. सांचौर-भवातरा रोड	1.00 लाख
9.	बी. टी./जी. आर. जालौर-सियाना-सिरोही	0.80 लाख
10.	तखतगढ़-चान्दराई	1.00 लाख
11.	बी. टी./चान्दराई-गुड़ा-बाकेप्टान	0.25 लाख
12.	एम. आर./जी. आर. उम्मेदपुरा-जसवन्तपुरा	0.15 लाख
13.	एम. आर./जी. आर. साण्डेराव-मोकलसर	1.70 लाख
14.	एम. आर./डी. आर. मालवाड़ा-जसवन्तपुरा	1.00 लाख
15.	जी. आर. भीनमाल बागोड़ा-सोवराबास	1.25 लाख
16.	एम. आर. माद्राजन-रामा	0.30 लाख
17.	जी. आर. भीनमाल-सांचौर	0.60 लाख
18.	जी. आर. जालौर-रेवतड़ा	0.20 लाख
19.	एम. आर./जी. आर. भीनमाल-पन्येड़ी	0.30 लाख
20.	एम. आर. कुडा-करडा	0.20 लाख
21.	एम. आर./जी. आर. साकड-सुरावा	0.20 लाख
22.	बी. टी. हीरपुरा से गुजरात सरहद	0.20 लाख
23.	बी. टी. सांचौर से गुजरात सरहद	0.20 लाख
24.	अन्य सड़कें एप्रोच सड़कें	0.40 लाख
25.	जालौर-भीनमाल-आकोली काजवे	10.00 लाख

270

जिला जालौर में अतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत की सूची

क्रम संख्या	सड़क का नाम	स्वीकृत लागत	प्रावधान 1977-78	प्रावधान 1978-79
			(लाखों में)	
	स्टेट सैक्टर			
1.	बी.टी. व जी.ग्रार. तखतगढ़-जालौर-बिशनगढ़-सायला-सिन्दरी रोड	2.50	1.50	1.00
2.	बी.टी. सांचौर-रानीवाड़ा-मण्डार रोड	1.20	1.00	0.20
3.	बी.टी. भीनमाल-रानीवाड़ा रोड	1.00	1.00	..
4.	बी.टी. कालन्द्री-जालौर-मोकलसर रोड	0.50	0.50	..
5.	जी.ग्रार. सांचौर-भवातरा-रोड-बाकासर	2.00	1.00	1.00
6.	बी.टी. तखतगढ़-चान्दराई	2.00	1.00	1.00
7.	एम.ग्रार. व जी.ग्रार. मालवार-जसवन्तपुरा	1.00	0.50	0.50
8.	एम.ग्रार. व जी.ग्रार. सान्डेराव-मोकलसर रोड	2.70	1.50	1.20
9.	भीनमाल बानोड़ा-सोबरावास	2.00	1.00	1.00
10.	जालौर-भीनमाल रोड	10.00	5.00	5.00
11.	एम.ग्रार. भादरावन-रामा रोड	..	..	..
12.	भीनमाल-सांचौर रोड	..	..	..
13.	एम.ग्रार. व जी.ग्रार. भीनमाल-पन्थेडी रोड	0.30	0.30	..
14.	एम.ग्रार. व जी.ग्रार. सांचौर से गुजरात सरहद	0.20	0.20	..
15.	जालौर-ग्राहोर रोड (काजव की मरम्मत)	4.00	3.00	1.00
16.	जालौर-भीनमाल रोड (भरूंडी नदी पर काजवे)	20.00	5.00	15.00
17.	रानीवाड़ा-मंडारा (बड़गांव पुलिया की मरम्मत)	5.00	..	5.00
	योग ..	54.40	22.50	31.90
	एडवान्स प्लान असिस्टेन्स (सेन्ट्रल सैक्शन)			
1.	रानीवाड़ा-मंडार रोड (बड़गांव पुल की मरम्मत)	5.00	5.00	..

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 36 का आदेश)

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप 2) विभाग

क्रमांक : एफ 1(16)सा.प्र.।11।77 जयपुर, दिनांक 13 सितम्बर, 1977

आदेश

विषय:---राजकीय आवास गृहों के किराए की वसूली के संबंध में।

पुनरीक्षित नवीन वेतनमान, 1976, जो दिनांक 1 सितम्बर, 1976 से प्रवृत्त हुये हैं, को दृष्टिगत रखते हुये राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों से उन्हें आवंटित राजकीय आवास भवनों के किराया वसूले जाने संबंधी नई दरें निर्धारित किये जाने संबंधी प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन था और इस प्रश्न पर सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये यह निर्णय लिया गया है कि राजस्थान सिविल सेवाएं (डिटर्मिनेशन एण्ड रिकवरी आफ रेन्ट आफ रेजिडेन्स अकमोडेशन) रूल्स, 1958 के नियम 18(2) को संशोधित करते हुए निम्नानुसार नवीन दरों से किराया वसूल किया जाये, जो दिनांक 1-9-1976 से प्रभावशाली होगा :—

वेतन	किराया की प्रति माह दरें जो नवीन रूप से निर्धारित की गई है
300/- रु. से कम मासिक वेतन	10/- रु. (स्थिर)।
300/- रु. और अधिक किन्तु 500/- रु. से नीचे	वेतन का 4½%
500/- रु. व उससे अधिक किन्तु 800/- रु. से कम	वेतन का 5%
800/- रु. और अधिक किन्तु 1400/- रु. से कम	वेतन का 7
1400/- रु. व उससे ऊपर किन्तु 2000/- रु. से कम	वेतन का 8%
2000/- रु. व उससे अधिक	वेतन का 10%

भारतीय सेवाओं के अधिकारियों एवं ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों से, जो पुनरीक्षित नवीन वेतनमान, 1976 के अन्तर्गत वेतन प्राप्त नहीं करते हैं, मकान किराया पुरानी निर्धारित दरों से ही वसूल किया जायेगा।

वर्तमान में स्टेन्डर्ड रेट की दर से की जाने वाली वसूली की परिपाटी को सभी मामलो में भी समाप्त किया जाता है।

272

उक्त आदेश वित्त विभाग (नियम) की सहमति से उनकी अ. शा. टीप क्रमांक अन्तर्विभागीय।4729।वित्त।77, दिनांक 3-7-1977 द्वारा प्रदान की गई है, प्रसारित किये जाते हैं।

(राजेन्द्रपाल सिंह)
शासन उप सचिव।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य ही हेतु प्रेषित है :—

1. समस्त शासन सचिव एवं आयुक्त।
2. सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री।
3. निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
4. सचिवालय के समस्त विभाग, अनुभाग प्रकोष्ठ आदि।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. समस्त जिलाधीश।
7. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माणविभाग (भवन व पथ), राजस्थान, जयपुर कृपया सभी अधीक्षण अभियन्ताओं एवं अधिशाषी अभियन्ताओं को एवं सहायक अभियन्ताओं आदि को उपरोक्त निर्णय से अवगत कराने की व्यवस्था करें ताकि संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों से नवीन निर्धारित दरों से किराया वसूले जाने संबंधी समुचित कार्यवाही उनके द्वारा की जा सके।
8. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर। कृपया उक्त आदेश को आगामी प्रकाशित होने वाले राजपत्र में प्रकाशित कराने की व्यवस्था करें तथा इस विभाग को अवगत करायें।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित है:—

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
5. संयुक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सर्विसेज अपीलिएट ट्रिब्युनल, जयपुर।
7. पंजीयक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।

ह०,
शासन उप सचिव।

Rajasthan Civil Services (Determination and Recovery of Rent of Residential Accommodation) Rules, 1958.

Extracts:—

18(1) × × × × ×

18(2) Unless in any case it be otherwise expressly provided in these Rules, he shall pay—

(i) (a) rent for the residence, such rent being the standard rent as defined in these Rules, or

(b) 7.5 per cent of his monthly emoluments in case his emoluments are below @ (Rs. 509/-) p.m. and

10 per cent of his monthly emoluments, if it is @ (Rs. 509/-) p.m. or more; whichever is less, and

Government of Rajasthan Order.—The recovery of rent for Government Residential Accommodation, allotted to Government servant shall in respect of persons drawing less than Rs. 150/- in the Revised Pay Scales, be made with effect from 1-9-1961, at the following rates:—

Pay range	*Rent*
Below Rs. 50	Rs. 3.00
Rs. 50 and above but below Rs. 75	Rs. 4.00
Rs. 75 and above but below Rs. 100	Rs. 6.00
Rs. 100 and above but below Rs. 125	Rs. 7.50
Rs. 125 and above but below Rs. 150	Rs. 9.00

The recovery of rent from a person who does not elect to pay in the Revised Pay Scales, shall also be made with effect from 1-9-1961 at the above rates, if his pay is less than Rs. 150/- including dearness pay.

None of the existing employees mentioned in paras 1 and 2 above shall be required to pay rent more than what was being paid by them on 31-9-1961, until they earn their next increment after 1-9-1961, or are appointed to a post carrying pay scale higher than what was admissible to them on 1-9-1961 whichever is earlier.

The Rajasthan Civil Services (Determination and Recovery of Rent of Residential Accommodation) Rules, 1958 may be deemed to have been modified to the extend indicated above.

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 37 की सूची)

मृतक व्यक्तियों के नाम मय पिताः–

1. श्री हरीराम पुत्र श्री गोरधन बिश्नोई
2. श्री प्रहलादराम पुत्र श्री सुखराम बिश्नोई

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 42 की सूची)

राजस्थान भूमि सुधार एवं भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति

अधिनियम के अन्तर्गत भूतपूर्व राजाओं के भूमि अवाप्ति की सूची:—

भूतपूर्व शासक का नाम	भूमि का क्षेत्रफल
किशनगढ़ (अजमेर)	16,353 बीघा
अलवर	105 एकड़
बांसवाड़ा	4,287 एकड़
भरतपुर	191 एकड़
शाहपुरा (भीलवाड़ा)	540 बीघा 4 बिस्वा
बीकानेर	6,441 एकड़
बूंदी	3,058 बीघा
डूंगरपुर	17,402 एकड़
जैसलमेर	1,810 एकड़
जोधपुर	11,753 एकड़
करौली (सवाई माधोपुर)	715 बीघा 6 बिस्वा
सिरोही	574 एकड़

भूमि अवाप्ति के आदेश जारी किये गये की सूची:—

(1) जयपुर	9,354 बीघा 10 बिस्वा
(2) उदयपुर	1,418 बीघा
(3) जोधपुर	242 एकड़

परिशिष्ट 9

प्रधान खनिज

(अतारांकित प्रश्न संख्या 49 की सूची)

क्र. सं.	पट्टाधारी का नाम	खनिज	स्थान व क्षेत्र	तहसील	अवधि	वार्षिक स्थिर भटक	आय	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री मोदी मिनरल्स ग्राइंडिंग मिल्स प्रा. लि., नीमकाथाना	बेराइटीज	खडक-बीजपुर 38.85 है.	नीमकाथाना	14-6-61 से बीस वर्ष	1,456.88	1,456.88	
2.	"	कैलसाइट	रायपुर (तेली-वाली) 72.62 है.	"	18-5-66 से बीस वर्ष.	2,719.50	2,719.50	
3.	"	कैलसाइट	रायपुर 38.85 है.	"	1-1-73 से बीस वर्ष	1,456.88	1,456.88	
4.	"	कैलसाइट	मावाडा 32.37 है.	"	20-3-71 से बीस वर्ष	1,213.88	1,213.88	
5.	"	कैलसाइट	नरोना 32.37 है.	"	2-4-72 से बीस वर्ष	1,213.88	1,213.88	
6.	"	कैलसाइट	बिहारीपुर 164.01 है.	"	2-12-68 से बीस वर्ष	4,100.25	4,370.40	
7.	"	चायना कले-सिलिका सैंड	भावनाडा 51.80 है.	"	12-5-60 से बीस वर्ष	1,942.50	1,942.50	
8.	"	डोलोमाइट	मावण्डा 96.56 है.	"	11-6-59 से बीस वर्ष	3,620.92	3,620.92	
9.	"	माइका व गारनेट	ऊपरला मावंडा 250.0 है.	"	5-5-70 से बीस वर्ष	9,375.00	9,375.00	

10.	,,	क्वार्ट्ज	किशोरपुरा 32.37 है.	नीम का थाना	26-12-69 से बीस वर्ष	1,213.88	1,213.88
11.	,,	सिलिका सैंड	किशोरपुरा 230.98 है.	,,	27-2-75 से बीस वर्ष	2,887.50	2,887.50
12.	,,	क्वार्ट्ज	माहवा 113.7 है.	,,	21-4-60 से बीस वर्ष	4,264.12	4,264.12
13.	,,	फैल्सपार व गारनेट	माकड़ी 158.85 है.		19-8-75 से बीस वर्ष	1,985.62	1,985.62
14.	,,	सोपस्टोन	खो 58.90 है.	उदयपुरवाटी	16-3-72 से बीस वर्ष	736.26	736.26
15.	,,	सोपस्टोन	खो 33.42 है.	,,	18-5-72 से बीस वर्ष	417.74	417.74
16.	,,	सोपस्टोन	खो 39.92 है.	,,	8-9-76 से बीस वर्ष	499.00	499.00
17.	,,	डोलोमाइट	सिंग्रोर 139.00 है.	खेतड़ी	24-10-73 से बीस वर्ष	1,737.50	2,445.90
18.	श्रीमती मधु अग्रवाल	सोपस्टोन	ढाणी 129.50 है.	,,	29-9-75 से बीस वर्ष	1,618.74	1,618.74
19.	मैं. हिन्दुस्तान कोपर लि., खेतड़ी	कोपर ओर	चांदमारी 234.73 है.	,,	27-12-72 से बीस वर्ष	2,934.13	
20.	,,	कोपर ओर	वनवास गोडरा 481.78 है.	,,	23-2-63 से बीस वर्ष	18,064.50	33,85,122.88
21.	,,	कोपर, गोल्ड, सिल्वर, निक	कोलिहाव 352.73 है.	,,	24-11-66 से बीस वर्ष	8,818.25	
22.	,,	कोपर, गोल्ड, सिल्वर, निक	वनवास 125.50 है.	,,	14-8-74 से बीस वर्ष	1,568.75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	श्री नन्दलाल अग्रवाल	आइरन ओर	तौंवा 107.91 है.	खेतड़ी	19-2-71 से बीस वर्ष	2,697.76	5,826.75	..
24.	"	आइरन ओर	बेसरडा 40.0 है.	"	11-4-74 से बीस वर्ष	500.00	1,027.50	..
25.	"	डोलोमाइट	कालीपहाड़ी 32.37 है.	"	29-9-65 से बीस वर्ष	1,213.88	1,576.20	..
26.	"	डोलोमाइट	माउण्डा 32.37 है.	नीमकाथाना	9-11-75 से बीस वर्ष	1,213.88	1,339.50	..
27.	"	डोलोमाइट	मावण्डा 50.4 है.	"	4-9-76 से बीस वर्ष	625.50	625.50	..
28.	"	डोलोमाइट	नाकडो 42.31 है.	"	8-4-68 से बीस वर्ष	1,455.25	1,455.25	..
29.	श्री बनवारीलाल अग्रवाल	डोलोमाइट	कालीडूंगरी 114.38 है.	"	11-9-59 से बीस वर्ष	4,289.25	6,128.70	..
30	"	केलसाइट	नावपुरा 53 95 है.	खेतड़ी	12-5-70 से बीस वर्ष	1,348.76	1,758.30	..
31	मै. वैस्ट. केमीकल इण्ड. प्रा. लि., नीमकाथाना	केलसाइट लाइमस्टोन	जीलो 32.37 है.	नीमकाथाना	26-9-75 से बीस वर्ष	1,213.88	72,385.25	..
32.	"	फेल्सपार	दूदावास 88 50 है.	"	14-6-75 से बीस वर्ष	1,106.25	1,890.14	..

33.	मै. ओरियन्टल टाक प्रौडक्ट प्रा. लि., नीमकाथाना	कैलसाइट, डोलोमाइट, लाइमस्टोन	रामपुरा 41.13 है.	नीमकाथाना	16-2-73 से बीस वर्ष	2,520.10	1,87,576.80
34.	मै. मोदी लेवीगेटेड कंम्रोबीन प्रा. लि., नीमकाथाना	आइरन ओर	नरौना 44.03 है.	,,	11-4-77 से बीस वर्ष	550.38	550.38
35.	,,	आइरन ओर	जमालपुर 99.55 है.	खेतड़ी	29-5-75 से बीस वर्ष	1,503.50	1,503.50
36.	मै. पायराइट, फास्फेट कंमीकल प्रा. लि., सलादीपुरा	सल्फर ओर	सलादीपुरा 518.0 है.	श्रीमाधोपुर	17-9-70 से बीस वर्ष	12,950.00	12,950.00
37.	श्री ग्यारसीलाल अग्रवाल	क्वार्टज व सिलिका सैंड	सीकर 35.28 है.	,,	31-5-74 से बीस वर्ष	440.88	440.88
38.	श्री राधाकिशन गूजर	सिलिका सैंड	सालोदरा 58.28 है.	नीमकाथाना	30-6-69 से बीस वर्ष	1,457.00	1,457.00
39.	श्री फतेहचन्द सुल्तान सिंह	एसबसटस	कर्जों 34.1325 है.	,,	14-12-76 से बीस वर्ष	426.62	426.62

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	श्री हरिप्रसाद शाह	एसबसटस, क्वार्ट्ज	खतड़ी 32.34 है.	खेतड़ी	1-4-67 से बीस वर्ष	808.50	808.50
41.	श्री माधोलाल चौधरी	फायर क्ले	गिरावडी 72.84 है.	उदयपुरवाटी	27-4-63 से बीस वर्ष	2,731.50	2,731.50
42.	श्रीमती वीना जोशी	सोपस्टोन	कातिण हीरावास 151.43 है.	दांतारामगढ़	23-7-73 से बीस वर्ष	2,439.88	2,439.88
43.	श्री सीताराम अग्रवाल	सोपस्टोन	दौलतपुरा 259.0 है.	दांतारामगढ़	14-11-75 से बीस वर्ष	3,237.56	3,237.56
44.	श्री विष्णुकुमार अग्रवाल	फैल्सपार व क्वार्ट्ज	दूदावास 166.33 है.	नीमकाथाना	26-3-77 से बीस वर्ष	2,079.12	2,079.12
45.	राज. इण्ड. मिनरल डवलपमेंट कोर्पोरेशन	फैल्सपार	सलवाडी 404.68 है.	उदयपुरवाटी	23-3-76 से बीस वर्ष	5,058.50	5,058.50
46.	,,	कोपर ओर	जबई आकावाली 932.0 है.	खेतड़ी	23-2-76 से बीस वर्ष	11,650.00	11,650.00
47.	श्री फतेहचन्द सुल्तानसिंह	कैलसाइट	नागलिया 64.75 है.	झुंझुंनू	14-4-77 से बीस वर्ष	..	..
48.	श्री रघुनाथ राय पुत्र गिरधारीलाल	रेडओकर	रघुनाथगढ़ 43.17 है.	सीकर	27-4-77 से बीस वर्ष	..	..

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49.	श्री किरोड़ीमल मोदी, नीमकाथाना	फायर क्ले	गिरावडी 462.42 है.	उदयपुरवाटी	16-6-77 से बीस वर्ष	..	..	
50.	श्री मोदी मिनरल्स ग्राईंडिंग मिल्स, नीमकाथाना	डोलोमाइट	मठुवा 259.0 है.	नीमकाथाना	27-10-77 से बीस वर्ष	..	..	
51.	"	बैराइटीज	(बड़ा) बीजपुर 304.65 है.	"	27-10-77 से बीस वर्ष	..	..	

अप्रधान खनिज

क्र.सं.	पट्टाधारी का नाम	खनिज	स्थान	तहसील	क्षेत्र	अवधि	वार्षिक स्थिर	भाटक आय	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	श्री भंवरलाल गुप्ता	चेजा पत्थर	मोडी डूंगरी	सीकर	100×50 मी.	7-9-77 से 5 वर्ष	2,157.30	2,157.30	
2.	श्री महावीर रोड़ी फैक्ट्री	चेजा पत्थर	मोडी डूंगरी	सीकर	50×50 मी.	15-3-73 से 5 वर्ष	750.00	1,800.00	
3.	श्री महावीर रोड़ी फैक्ट्री	चेजा पत्थर	मोडी डूंगरी	सीकर	100×50 मी.	15-3-73 से 5 वर्ष	1,500.00	1,500.00	
4.	श्री महावीर रोड़ी फैक्ट्री	चेजा पत्थर	मोडी डूंगरी	सीकर	50×50 मी.	24-9-73 से 5 वर्ष	750.00	1,200.00	
5.	श्री फैजू खां पुत्र रहीम खां	ईंट मिट्टी	देवीपुरा	सीकर	50×50 मी.	18-12-75 से 5 वर्ष	500.00	500.00	
6.	सर्व श्री वेस्ट कैमीकल लाइमस्टोन कं. प्रा. लि., नीमकाथाना	चूना पत्थर	मावण्डा	नीमकाथाना	1,303.8 है.	17-6-77 से 10 वर्ष	1,08,000	1,08,000	

7.	श्री सुन्दरलाल नारनोल	मारबल	जीलो	नीमकाथाना	4 वर्ग मील	17-1-72 से 5 वर्ष	47,016.00	नवीनीकरण का राज्य सरकार के विचाराधीन
8.	श्री नन्दलाल अग्रवाल	चेजा पत्थर	कोलोता	नीमकाथाना	400×300 फुट	15-2-73 से 10 वर्ष	600.00	1,091.15
9.	श्री नन्दलाल अग्रवाल	चेजा पत्थर	बादलवास	खेतड़ी	300×200 फुट	6-2-74 से 5 वर्ष	444.00	742.75
10.	श्री नन्दलाल अग्रवाल	चेजा पत्थर	बादलवास	खेतड़ी	300×200 फुट	6-2-74 से 5 वर्ष	592.00	900.75
11.	श्री महेश कुमार शर्मा	बजरी व चेजा पत्थर	अजीतगढ़ राजस्व सीमा	श्रीमाधोपुर	राजस्व सीमा	30-3-72 से 5 वर्ष	850.00	राज्य सरकार के स्थगन आदेश के अन्तर्गत
12.	श्री बृजमोहन मोदी	चेजा पत्थर	माहवा	नीमकाथाना	70×45 मी.	22-5-76 से 5 वर्ष	787.50	787.50
13.	श्री गणेश कुमार अग्रवाल	मारबल	दायरा रामपुरा	श्रीमाधोपुर	4 वर्ग मील	15-4-74 से 5 वर्ष	7,000.00	7,000.00
14.	श्री लक्की मिनिरल्ज प्रा. लि., नीमकाथाना	मारबल व चूना पत्थर	रामपुरा बल्लुपुरा	नीमकाथाना	4 वर्ग मील	14-6-76 से 10 वर्ष	45,000.00	53,684.20
15.	श्री शहजाद	चेजा पत्थर	गुढ़ावाली डूंगरी	नीमकाथाना	100×50 मी.	3-9-76 से 5 वर्ष	750.00	750.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	श्री राधाकिशन गूजर	चूना पत्थर	मोतीडूंगरी	उदयपुर वाटी	150×150 मी.	23-9-73 से 10 वर्ष	10,000.00	10,000.00	
17.	"	"	धोलीडूंगरी	"	"	12-12-72 से 10 वर्ष	12,495.46	12,495.46	
18.	श्री वेद प्रकाश, रेल्वे ठेकेदार	चूना पत्थर	भोजनगर	उदयपुरवाटी	1100'×365'	11-10-76 से 5 वर्ष	5,000.00	5,000.00	
19.	श्री रिछपाल सिंह	बजरी	उदयपुर नांगल नदी	"	प्लॉट 1,2,3	30-6-77 से 5 वर्ष	1,250.00	1,250.00	
20.	"	"	"	"	प्लॉट 4,5,6	20-6-77 से 5 वर्ष	1,070.00	1,070.00	
21.	श्री नाथू सिंह	"	"	"	प्लॉट 9 से 12	20-6-77 से 10 वर्ष	4,215.00	12,000.00	
22.	श्री मंगल सिंह	चेजा पत्थर	नांगल	"	प्लॉट 6	7-4-73 से 5 वर्ष	300.00	450.00	
23.	श्री दीनदयाल अग्रवाल	मारबल व चूना पत्थर	धिरोड	"	90.9 एकड़	27-11-73 से 10 वर्ष	20,000.00	35,000.00	
24.	श्री मोहनलाल बलाई	चेजा पत्थर	सोरडा	"	50×50 मी.	19-6-75 से 5 वर्ष	750.00	750.00	
25.	श्री बृजेन्द्र कुमार	चेजा पत्थर	आशावासी डूंगरी	"	250'×500'	12-2-75 से 5 वर्ष	375.00	375.00	
26.	श्री रामजीलाल शर्मा	चेजा पत्थर	सिंघाना	खेतड़ी	304.8 एकड़	22-3-75 से 5 वर्ष	5,017.00	5,017.00	
27.	श्री शिवदयाल नारनोल	बजरी	जमालपुर	"	500'×500'	6-9-77 से 5 वर्ष	756.00	756.00	

Page No 285

28.	श्री गोवरधन सिंह	,,	देवराला	झुंझुनूं	915′×228′	8-10-74 से 5 वर्ष	2,625.00	5,000.00
29.	श्री रामेश्वर सिंह	चेजा पत्थर	देवरोड	झुंझुनूं	720′×220′ 980′×880′	26-1-72 से 5 वर्ष	5,000.00	नवीनीकरण विचाराधीन
30.	श्री जगदीश प्रसाद महाजन	,,	काना पहाड़	झुंझुनूं	500′×2000′	27-12-74 से 5 वर्ष	3,000.00	11,000.00
31.	,,	,,	नारीपहाड़ी	,,	80×50 मी.	12-3-76 से 5 वर्ष	1,000.00	6,000.00
32.	,,	ईंट मिट्टी	झुंझुनूं लोड़	,,	90×50 मी.	2-3-76 से 5 वर्ष	900.00	900.00
33.	श्री रामनिरंजन तुलस्यान	चेजा पत्थर	मेड़िया पहाड़	,,	60×50 मी.	21-2-76 से 5 वर्ष	750.00	750.00
34.	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
35.	श्री रामसिंह ओमप्रकाश	मारबल	मीनाकानांगल	नीमकाथाना	320×80 मी.	1-2-78 से 10 वर्ष	12,490.00	12,490.00
36.	श्री भूराराम चमार	चेजा पत्थर	तोरडा	उदयपुर वाटी	100×60 मी.	16-6-77 से 10 वर्ष	600.00	600.00
37.	श्री मालाराम हरिजन	,,	मांहवा	नीम का थाना	220×70 मी.	22-9-77 से 10 वर्ष	770.00	770.00
38.	श्री भोलाराम रेगर	,,	जय पहाड़ी	झुंझुनूं	300×75 मी.	13-4-77 से 10 वर्ष	1,125.00	1,125.00
39.	श्री पोयाराम खाती	,,	पिलानी पहाड़ी	चिड़ावा	230×70 मी.	20-6-77 से 10 वर्ष	752.50	752.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40.	श्री द्वारकाप्रसाद जांगिड़	चेजा पत्थर	मन्सा देवी	झुंझुनू	250×150मी.	12-9-77 से 10 वर्ष	1,875.00	1,875.00	
41.	"	"	"	"	"	"	"	1,875.00	
42.	"	"	"	"	"	"	"	1,875.00	
43.	श्री हरीराम चमार	"	मांडिया पहाड़	झुंझुनू	100×300 मी.	26-11-77 से 10 वर्ष	1,500.00	1,500.00	
44.	श्री रामू नायक	"	मोडी डूंगरी	सीकर	100×60 मी.	23-7-77 से 10 वर्ष	600.00	600.00	
45.	"	"	"	"	"	"	"	600.00	
46.	"	"	"	"	"	"	450.00	450.00	
47.	श्री महादेव जोशी	"	मदरवासी	नीमकाथाना	150×50 मी.	8-9-77 से 10 वर्ष	750.00	750.00	
48.	श्री बजरंगलाल नायक	"	चौबारी मंडी	झुंझुनू	200×90 मी.	19-7-77 से 10 वर्ष	900.00	900.00	
49.	श्री देवीसहाय सैनी	"	पहाड़ घाई	श्रीमाधोपुर	160×95 मी.	22-7-77 से 10 वर्ष	760.00	760.00	
50.	श्री रामलाल जाट	"	पीतमपुरी	नीमकाथाना	230×70 मी.	25-7-77 से 10 वर्ष	850.00	850.00	
51.	श्री नागरमल हरिजन	"	नारी पहाड़ी	भिडावा	90×180 मी.	2-2-78 से 10 वर्ष	1,035.00	1,035.00	
52.	श्री प्रभातीलाल हरिजन	"	नारी पहाड़ी	भिडावा	300×60 मी.	30-9-77 से 10 वर्ष	1,125.00	1,125.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53.	श्री मनीर खां	ईंट मिट्टी	सालसर	फतेहपुर	50×50 मी.	1-6-77 से 10 वर्ष	250.00	250.00	
54.	श्री हनुमान सिंह जाट	चेजा पत्थर	पिवासर	झुंझुनू	150×150 मी.	31-6-77 से 10 वर्ष	1,125.00	1,125.00	
55.	श्री नोरंगलाल हरिजन	„	जयपहाड़ी	„	250×75 मी.	16-6-77 से 10 वर्ष	937.00	937.00	
56.	श्री नोरंगलाल हरिजन	चेजा पत्थर	जयपहाड़ी	„	100×75 मी.	26-11-77 से 10 वर्ष	750.00	750.00	
57.	श्री श्योदानराम हरिजन	चेजा पत्थर	भरोत पहाड़ी	„	320×100 मी.	2-2-78 से 10 वर्ष	1,750.00	1,750.00	
58.	श्री विश्वेशर दयाल	ईंट मिट्टी	हीराजीकीढाणी	नीमकाथाना	105×65 मी.	8-2-78 से 10 वर्ष	682.50	682.50	

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 54 की सूची)

गलीचा प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची

राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा संचालित केन्द्र

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	शुरू होने की तिथि	प्रशिक्षणार्थी
1.	बीकानेर	27-10-76	70
2.	जयपुर	24-2-77	61
3.	नवलगढ़	20-4-77	60
4.	लाडनूं	1-5-77	41
5.	चूरू	2-6-77	58
6.	भीलवाड़ा	2-6-77	80
7.	जोधपुर	4-6-77	46
8.	सीकर	12-7-77	25
9.	नापासर	1-9-77	18
10.	केकड़ी	3-9-77	50
11.	सांभर	19-10-77	34
12.	ब्यावर	9-11-77	22
13.	जैसलमेर	20-11-77	20
14.	पुष्कर	28-12-77	5
			611

अखिल भारतीय हस्तकला मण्डल द्वारा स्वीकृत दिनांक
31-3-78 तक स्थापित किये जाने वाले
गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र

1.	बस्सी	8.	कामौता	15.	नीम का थाना
2.	जयपुर शहर	9.	शाहपुरा	16.	जहाजपुर
3.	लालसोट	10.	चौमू	17.	अजमेर
4.	निवाई	11.	शिवदासपुरा	18.	मनोहरपुर
5.	मालपुरा	12.	चाकसू	19.	टोंक
6.	आमेर	13.	फुलेरा	20.	देवली
7.	सांगानेर	14.	रींगस		

Page No 289

289

निजी व्यापरियों द्वारा चलाये जा रहे निगम द्वारा सहायता प्राप्त
एशोसियेटेड ट्रेनिंगसैन्टर

		प्रशिक्षणार्थी
1.	मैसर्स इण्डियन वूलन कारपेट फैक्ट्री, जयपुर	17
2.	मैसर्स कारपेट्स एण्ड वूलन प्रा. लि., मनोहरपुर	30
3.	मैसर्स अरावली कारपेट्स, भीलवाड़ा	18
4.	मैसर्स सिघवी कारपेट्स, ब्यावर	31
5.	मैसर्स जैन हस्त शिल्प उद्योग, चिन्नर	27
6.	मैसर्स सलेमपुरिया कारपेट्स, भरतपुर	27
7.	मैसर्स अग्रवाल वूलन्स, बीकानेर	17
8.	मैसर्स अप्सरा कारपेट्स, सीकर	18
9.	मैसर्स मूनलाइट कारपेट्स, बस्सी	20
10.	मैसर्स छवि कारपेट्स, अलवर	18
11.	मैसर्स सिद्धार्थ कारपेट्स, आमेर	18
12.	मैसर्स अग्रवाल कारपेट फैक्ट्री, सांभर	20
13.	मैसर्स राजस्थान हैण्डी कारपेट्स वूलन फैक्ट्री, जयपुर	38
14.	मैसर्स भारतीय गलीचा उद्योग, पहाड़िया	10
15.	मैसर्स त्रिरानी कारपेट्स, भीलवाड़ा	20
		329

नागौर तथा बालोतरा में भी राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा केन्द्र शुरू करने हेतु सामान, मशीन इत्यादि भिजवा दी गई है। प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षणार्थियों का चयन शीघ्र किया जा कर केन्द्र शुरू कर दिये जावेंगे।

298

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 57 की प्रतिलिपि)

मोहर/प्रतिलिपि,
ह.------------------
16/7

आज तारीख 3-2-58 को नगरपालिका बोर्ड की की बैठक 9 बजे नगरपालिका कार्यालय में बुलाई गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :—

1. श्री उगमसी मोदी
2. श्री हस्तीमल जी सोलंकी
3. श्री खोलेराज जी चौधरी

प्रस्ताव संख्या

(4) प्रस्ताव संख्या बाबत भीनमाल रोड पर स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के लिए प्लाट असेसमेन्ट रेट्स पर अलाट करने हेतु पेश हुआ। सर्वसम्मति से तय पाया गया कि 75 गज ×56 गज का प्लाट स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के लिये असेसमेन्ट रेट पर 500/- प्रति प्लाट के हिसाब से दे देवें। एक व्यक्ति को 2 से अधिक प्लाट नहीं दिये जावें। किन्तु वे प्लाट दूसरे काम में नहीं ला सकेगा व 1 माह के अन्दर इन्डस्ट्री शुरू करनी होगी वरना नगरपालिका प्लाट की कीमत जब्त कर प्लाट का नगरपालिका को लेने का व उसे दूसरों को अलोट करने का अधिकारी होगा।

ह. खोलेराज

ह.
उगमसी मोदी,
चेयरमेन,
म्युनिसिपल बोर्ड, जालोर।

ह. हस्तीमल सोलंकी,
सदस्य

ह.

केदार नाथ गोयल
अधिशाषी अधिकारी,
नगरपालिका, जालोर।

291

कार्यालय नगरपालिका, जालौर

लघु उद्योग कोलोनी, जालौर-भीनमाल रोड

क्र.सं.	प्लाट सं.	भूमि प्राप्तकर्ता का नाम	भूमि आवंटन का वर्ष	प्लोट का नाम व रकबा	प्लाट की कीमत	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.		पोरम खादी उद्योग संघ, जालौर	1959-60	180×150	804.00	इमारत बनी हुई है और खादी व ऊनी खादी दोनों का कार्य चल रहा है।
2.	„	„	„	„	„	„
3.		श्री सुकनराज पुत्र रूपचन्द ओसवाल, जालौर	1959-60	„	500.00	चार दीवारी बनी हुई है। कोई इन्डस्ट्री नहीं लगी हुई है।
4.	„	„	„	„	„	„
5.		श्री जवरीलाल चंपालाल, जालौर	„	„	„	प्लाट खुला पड़ा है। कुछ भी इमारत नहीं बनी हुई है और नोटिस दे दिया गया है।
6.		नथमल प्रभाजी „ जालौर	„	„	„	इमारत बनी हुई है। पहले इन्डस्ट्री लगी हुई थी। अब नहीं है। कुछ समय के लिए राज्य रोडवेज को किराये पर दिया था।
7.	„	„	„	„	„	„
8.		श्री टेकचन्द कस्तूरचंद	„	„	„	इमारत बनी हुई है। उद्योग शुरू किया गया था लेकिन अब राज. अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड को किराए पर है।
9.	„	„	„	„	„	„

1	2	3	4	5	6	7
10.	लक्ष्मी इन्डस्ट्रीज		1959-60	180×150	500.00	प्लाट खुला पड़ा है। इमारत नहीं बनी हुई है और नोटिस दे दिया गया है।
11.	सुमेर मल टोडाजी		,,	,,	,,	,,
12.	राज. मैटल इन्डस्ट्री (भंवरलाल पुखराज)		,,	,,	,,	उद्योग शुरू किया गया था लेकिन अब आर.एस.ई.बी. को किराये पर दिया है।
13.	हरिकिशन नरसिंह जी		,,	,,	,,	चार दिवारी बनी हुई है। इन्डस्ट्री नहीं लगी हुई है। प्लाट खुला पड़ा है।
14.	केवल चन्द पूनम चन्द		,,	,,	,,	मकान की इमारत की नींव भरी है और प्लाट खुला पड़ा है। कोई इन्डस्ट्री नहीं है।
15.	नरहरी प्रसाद गुप्ता वीरमदेव इण्डस्ट्री, जालौर		10-6-76	,,	750.00	प्लाट खुला पड़ा है। कुछ भी इमारत अभी नहीं बनाई है।

293

कार्यालय नगरपालिका, जालौर (राज.)

क्रमांक दिनांक

नोटिस

बनाम श्री निम्नलिखित सूची के अनुसार

विषय:—प्लाट नं. लघु उद्योग कॉलोनी, भीनमाल रोड, जालौर में आवंटित का अलाटमेंट निरस्त करने के संबंध में।

उपरोक्त विषय में जरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि आपको प्लाट सं०... लघु उद्योग कॉलोनी, भीनमाल रोड, जालौर में दिनांक......को इस शर्त पर अलाट किया गया था कि आप उक्त प्लाट पर निश्चित अवधि (अर्थात् एक साल में) ही लघु उद्योग आरम्भ कर देंगे। किन्तु आपने उक्त शर्त का पालन अभी तक नहीं किया है। अतः इस नोटिस प्राप्ति के 7 दिन की अवधि में आप कारण बतायें कि क्यों न आपका उक्त अलाटमेंट निरस्त किया जाकर आप द्वारा जमा राशि जब्त की जावे। उक्त अवधि में आप द्वारा कोई समुचित कारण नहीं बताने की सूरत में यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है उचित आदेश दे दिये जावेंगे और फिर आपका कोई उजर नहीं माना जायेगा।

ह.

न. पा., जालौर।

क्र.सं.	सूची जिन्हें नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया नाम जिनको प्लाट अलोट किए गए	प्लॉट नं.	नोटिस देने का नं. व दिनांक	
(1)	जवाहरलाल पुत्र चम्पालाल	3	4080	1-2-77
(2)	केवलचन्द पुत्र पूनम चन्दजी	11	4079	1-2-77
(3)	लक्ष्मी इन्डस्ट्रीज (सुमेरमल गारोजी ढड्ढा)	14-6	4081	1-2-77
(4)	फूलचन्द पुत्र भागाजी ऐलाणा	15	4078	1-2-77
(5)	सुकनराम पुत्र रूपचन्दजी	2 व 10	4087	1-2-77
(6)	हरिकृष्ण पुत्र नरसिंगजी	8	4091	2-2-77
(7)	टेकचन्द पुत्र किस्तूरचन्द	5 व 13	4089	2-2-77
(8)	भंवरलाल पुत्र पुखराजजी खेंदड़ा	7	4090	2-2-77
(9)	नथमल पुत्र धन्नाजी	4-12	4088	2-2-77
(10)	हरिकिशन पुत्र नरसिंगजी	16	4077	1-2-77